

Indian Journal of Social Concerns

इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स

(कला-मानविकी-समाजविज्ञान-जनसंचार-वाणिज्य-विज्ञान, वैचारिकी की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका)

Volume -11: Issue - 48 July - Sep. 2022 Ghaziabad

A RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
(An International Peer-Reviewed & Refereed Journal)

Journal Impact Factor No. : 7.01

Editor

Dr. RAJ NARAYAN SHUKHLA

Guest Editor

Dr. Pardeep Kumar Sharma

Editor in Chief

Dr. HARI SHARAN VERMA

Asstt. Editor

Dr. MUKTA SONI

Sub Editor

Dr. PUSHPA
Dr. BEENA PANDEY (SHUKLA)

Art Editor

(MS) MANISHA VERMA

Managing Editor

Dr. SANGEETA VERMA

Legal Advisor

Dr. JASWANT SAINI
SHRI BHAGWAN VERMA

Joint Editor

Dr. PRIYANKA SINGH

Office Assistant

JITENDER GIRDHAR

Computer Operator

MS. NEHA VERMA

- The responsibility of the originality of the articles/papers shall be of the author.
- The editor does not owe any kind of responsibility in this regard



Dr. Pardeep Kumar Sharma
Guest Editor



Dr. Hari Sharan Verma
Editor in Chief



Dr. Raj Narayan Shukhla
Editor



Dr. Sangeeta Verma
Managing Editor

मानविकी शोध पीठ प्रारम्भ सोसायटी,
गाज़ियाबाद द्वारा संचालित

प्रकाशक : डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक
SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)

दूरभाष : 9910777969

E-mail : harisharanverma1@gmail.com

WWW.IJSCJOURNAL.COM

सहयोग राशि (भारत में)

(व्यक्तिगत) (आजीवन 4100 रुपये)

(संस्थागत) (आजीवन 6100 रुपये)

विदेश में :-

(व्यक्तिगत) 26 यू.एस. डॉलर (आजीवन) (संस्थागत) 32 यू.एस.
डॉलर (आजीवन)

कृपया सहयोग राशि बैंक ड्राफ्ट से ही भेजें।

बैंक ड्राफ्ट, संपादक "इण्डियन जर्नल ऑफ सोशल कन्सर्न्स" के पक्ष में देय होगा। आजीवन सदस्यता केवल दस वर्षों के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश पत्रिका का प्रकाशन बन्द हो जाता है तो आजीवन सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

संपादकीय कार्यालय :

1. डॉ० हरिशरण वर्मा, प्रधान सम्पादक

F-120, सेक्टर-10, DLF, फरीदाबाद (हरियाणा)

harisharanverma1@gmail.com 09355676460

WWW.IJSCJOURNAL.COM

2. डॉ० राजनारायण शुक्ला, सम्पादक

SH, A-5, कविनगर, गाजियाबाद (उ० प्र०)

क्षेत्रीय सम्पादक

1. डॉ० वाई.आर. शर्मा, A-24, रेजिडेंसल कैम्पस, न्यू कैम्पस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180001, फोन : 09419145967

2. डॉ० सलमा असलम, ओल्ड टाउन बारामुला, कश्मीर पिन-193101, मौ० 9682162934

3. डॉ० आरती लोकेश P.o.Box 99846, Dubai, UAE 97150-4270752

4. श्री मोहनलाल, 11 अशोक विहार, संजय नगर, पो. इज्जत नगर बरेली (उ० प्र०) फोन : 09456045552

5. श्री जितेन्द्र गिरधर, कार्यालय सहायक 105/26 जवाहर नगर, कॉर्पोरेटिव बैंक के पीछे, रोहतक 09896126686

6. डॉ० विमला देवी, सहायक प्रोफेसर (इतिहास) स्वामी विवेकानन्द राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट चंपावत (उत्तराखण्ड)-262524 - 9411900411

7. डॉ० प्रिया कपूर, सहायक प्रोफेसर, डी० ए० वी शताब्दी कालेज, फरीदाबाद मौ० 09711196954

8. डॉ० किरण मिश्रा, सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, राम गुलाम राय पी० जी० कालेज, देवरिया गोरखपुर-273001 मौ० :7007018819

9. डॉ० ऊषा रानी, हिन्दी-विभाग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5

10. विमला टोप्पो, एस० आर० इंटरप्राइसेस म्युनिसिपल काम्पलेक्स सोपन 4, डेरी फार्म, पोर्ट बलेयर, पी० ओ० जंगली घाट-744103 साउथ अंडमान

संरक्षक मण्डल :

1. डॉ० दिनेश मणी त्रिपाठी, प्रधानाचार्य एन० पी० के० आई कालेज, सरदार नगर बसडीला (गोरखपुर) उ० प्र०
2. डॉ० राजेन्द्र सिंह, (पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय राहतक)
3. डॉ० रमेशचन्द्र लवानिया, (पूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
4. डॉ० वाई.आर.शर्मा, (राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू)
5. डॉ० सुधांशु कुमार शुक्ल चेयर हिन्दी, आई. सी. सी. वासा विश्वविद्यालय, वासा (पोलैन्ड) मौ० 48579125129
6. डॉ० तपन कुमार शण्डिल्य, कुलपति, डॉ० श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय राँची, (झारखण्ड) 9431049871
7. सुदेश रावत प्राचार्या एस. एन. आर. जयराम महिला कॉलेज, लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र हरियाणा 36119 (सेठ नारंग राय लोहिया जय राम महिला कॉलेज)

परामर्शदात्री समिति :

1. डॉ० नरेश मिश्रा (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
2. डॉ० सुधेश (पूर्व आचार्य, हिन्दी विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)
3. डॉ० गिरिराजशरण अग्रवाल (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, वर्धमान कॉलेज, बिजनौर)
4. डॉ० राजकुमारी सिंह, प्रोफेसर एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय लोधीपुर राजपूत मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 9760187147
5. डॉ० जंगबहादुर पाण्डेय (पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) रांची विश्वविद्यालय, रांची - 834008 फोन : 09431595318
6. डॉ० माया मलिक, पूर्व प्रोफेसर हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
7. डॉ० ममता सिंहल, (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग) जे० वी० जैन कॉलेज सहारनपुर

संपादकीय विशेषज्ञ समिति :

हिन्दी विभाग:

1. डॉ० राजेश पाण्डे (डी.वी. कॉलेज, उरई, जिला जालौन, उ० प्र०)
2. डॉ० अनिता, सहायक प्रोफेसर, (हिन्दी), श्री अरविन्दो कालिज (सांध्य) मौ० :8595718895
3. डॉ० सुशील कुमार शर्मा (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग, मेघालय)
4. डॉ० शशि मंगला, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
5. डॉ० के० डी० शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, गोस्वामी गणेशदत्त स्नातन धर्म स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पलवल
6. डॉ० उत्तरा गुप्ता (पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आर. एन. कॉलेज, मेरठ)
7. मुकेश चन्द्र गुप्ता (हिन्दी विभाग, एम.एच.पी.जी. कॉलेज, मुरादाबाद)
8. डॉ० गीता पाण्डेय (रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)

9. डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा (सह प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग) गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, पलवल गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय, पलवल
10. कु० महाविद्या उपाध्याय (हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, आरोना (गु० प्रोफेसर हिन्दी विभाग कश्मीर)
11. डॉ० रूबी, (सीनियर सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग कश्मीर)
12. डॉ० सुमन राठी, सहायक प्रो० हिन्दी विभाग, मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
13. डॉ० अनिल कुमार विश्वकर्मा (जनता महाविद्यालय अजीतमल, औरैया, उ०प्र०)
14. डॉ० एम. के. कलशेट्टी, हिन्दी विभाग, श्री माधवराव पाटिल महाविद्यालय, मुरुम तह० अमरगा, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)-413605
15. डॉ० मनोज पंड्या, व्याख्याता हिन्दी विभाग, श्री गोविन्द गुरु, राजस्थान महाविद्यालय, बांसवाड़ा-327001, मो० 09414308404
16. डॉ० कृष्णा जून, प्रो० हिन्दी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
17. डॉ० विपिन गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, वैश्य कॉलेज भिवानी
18. डॉ० सीता लक्ष्मी, पूर्व प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आन्ध्रप्रदेश
19. डॉ० जाहिदा जबीन, (प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर-६)
20. डॉ० टी०डी० दिनकर, (एसो० प्रो० एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, अग्रवाल कॉलेज, बल्लभगढ़)
21. डॉ० सुभाष सैनी, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग दयालसिंह कॉलेज, करनाल, हरियाणा)
22. डॉ० उर्विजा शर्मा, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग शम्भु दयाल स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, गाजियाबाद)
23. डॉ० कामना कौशिक, (सहायक प्रोफेसर हिन्दी विभाग एम.के. स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, सिरसा 09896796006)
24. डॉ० मधुकान्त, (वरिष्ठ साहित्यकार) 211- L मॉडल टाऊन, रोहतक
25. डॉ० कंचन पुरी, विभागाध्यक्ष, रघुनाथ गर्ल्स पी० जी० कालेज मेरठ
26. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० हिन्दी बाबा मस्तराथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
27. डॉ० राजपाल, सहायक प्रो० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार
28. डॉ० प्रवेश कुमारी, सहायक प्रो० टिकाराम कन्या कॉलेज, सोनीपत, हरियाणा

अंग्रेजी विभाग:

1. डॉ० ममता सिंहल, अध्यक्षा, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर, उ.प्र.
2. डॉ० रणदीप राणा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ० जयवीर सिंह हुड्डा, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
4. डॉ० रविन्द्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
5. डॉ० अनिल वर्मा (पूर्व रीडर, अंग्रेजी विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर)

6. डॉ० जे. के. शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक
8. डॉ० पी.के. शर्मा, (प्रो., अंग्रेजी-विभाग, राजकीय के.आर.जी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर)
9. डॉ० गीता रानी शर्मा, (सहायक प्रोफेसर) गो.ग.दत्त सनातन धर्म कॉलेज, पलवल
10. डॉ० किरण शर्मा, (एसोसिएट प्रोफेसर) राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक

वाणिज्य विभाग:

1. डॉ० नवीन कुमार गर्ग (वाणिज्य विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० ए.के. जैन, पूर्व रीडर (वाणिज्य विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर)
3. डॉ० दिनेश जून, एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फरीदाबाद
4. डॉ० एम.एल. गुप्ता, (पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन संकाय, एस.एस.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ एवं संयोजक-शोध उपाधि समिति एवं संयोजक बोर्ड ऑफ स्टीडिज चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ)
5. डॉ० वजीर सिंह नेहरा, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
6. डॉ० संजीव कुमार, प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, म.द.वि. रोहतक
7. डॉ० गीता गुप्ता, (सहायक प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक)
7. डॉ० नरेन्द्रपाल सिंह, (एसोसिएट प्रोफेसर) वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद, उ.प्र.)

राजनीति शास्त्र विभाग:

1. साकेत सिसोदिया, (राजनीति शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
2. डॉ० रोचना मित्तल (रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीति शास्त्र-विभाग, शम्भु दयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
3. डॉ० कौशल गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, देशबन्धु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली Mob.: 09810938437
4. डॉ० पी.के. वार्णोय, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, जे.वी.जैन कॉलेज, सहारनपुर
5. डॉ० सुदीप कुमार, सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र) Mob.: 9416293686
6. डॉ० वाई०आर० शर्मा, एसो० प्रो०, राजनीति शास्त्र विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू (कश्मीर)
7. डॉ० रेनु राणा, (सहायक प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग, पं. नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय रोहतक 124001)
8. डॉ० ममता देवी, (सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक शास्त्र विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)

इतिहास विभाग:

1. डॉ० भूकन सिंह (प्रवक्ता, इतिहास विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० मनीष सिन्हा, पी.जी. विभाग, इतिहास, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार-824231
3. डॉ० राजीव जून, सहायक प्रो० इतिहास, सी.आर. इन्स्टीट्यूट ऑफ ला, रोहतक
4. डॉ० मीनाक्षी (सहायक प्रोफेसर इतिहास विभाग) सी.आर. किसान कॉलेज, जीन्द

भूगोल विभाग:

1. डॉ० पी.के. शर्मा, पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, भूगोल विभाग, जे.वी. जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सहारनपुर
2. रश्मि गोयल (भूगोल विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद)
3. डॉ० भूपेन्द्र सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय पी.जी. कॉलेज, हिसार
4. डॉ० विनीत बाला, सहायक प्रो. भूगोल विभाग, वैश्य पी.जी. कॉलेज, रोहतक
5. डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबा मस्तनथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक

शिक्षा विभाग:

1. डॉ० उमेन्द्र मलिक, एसिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, म.द.वि. रोहतक
2. डॉ० संदीप कुमार, सहायक प्रो० शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली/एसोसिएट
3. डॉ० तपन कुमार बसन्तिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर एजुकेशन, सैट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया कैम्पा, विनोभा नगर, वार्ड नं. 29, Behind ANMCH मगध कालोनी, गया-823001 बिहार Mob.: 09435724964
4. डॉ० (प्रो०) अनामिका शर्मा, प्राचार्या, एम.आर. कॉलिज ऑफ एजुकेशन, फरीदाबाद
5. डॉ० मनोज रानी, सहायक प्रोफेसर (अंग्रेजी) एम.एल.आर.एस. कॉलिज ऑफ एजुकेशन, चरखी दादरी (भिवानी)
6. डॉ० अनीता ढाका, (प्राचार्या, आर.जी.सी.ई. कॉलेज, ग्रेटर, नोएडा।)
7. डॉ० ममता देवी, (सहा. प्रो. बी.आई.एम.टी. कॉलेज कमालपुर गढ़ रोड, मेरठ)

गृह विज्ञान

1. डॉ० श्रीमती पंकज शर्मा, (सहायक प्राफेसर), गृह विज्ञान (प्रसार शिक्षा) राजकिय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रोहतक

शारीरिक शिक्षा विभाग:

1. डॉ० सरिता चौधरी, सहायक प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा विभाग, आर्य गर्ल्स कॉलेज, अम्बाला कैंट, हरियाणा
2. डॉ० वरुण मलिक, सहायक प्रोफेसर, म.द.वि., रोहतक
3. डॉ० सुनील डबास, (पद्मश्री व द्रोणाचार्य अवार्ड) HOD in physical education "DGC Gurugram

समाज शास्त्र विभाग:

1. प्रवीण कुमार (समाजशास्त्र विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)
2. डॉ० कमलेश भारद्वाज, समाज शास्त्र विभाग, एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद

मनोविज्ञान विभाग:

1. डॉ० चन्द्रशेखर, सहायक प्रोफेसर साईकलोजी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
2. डॉ. रश्मि रावत, (मनोविज्ञान विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून)
3. अनिल कुमार लाल (प्रवक्ता, मनोविज्ञान विभाग, शम्भुदयाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजियाबाद)

अर्थशास्त्र विभाग:

1. डॉ० जसवीर सिंह (पूर्व रीडर अर्थशास्त्र विभाग, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना)
2. डॉ० सुशील कुमार (एस.डी. कॉलेज, गाजियाबाद, उ०प्र०)
3. डॉ० अखिलेश मिश्रा (प्राध्यापक, अर्थशास्त्र-विभाग, एस.डी.पी. जी. कॉलेज, गाजियाबाद)
4. डॉ० सत्यवीर सिंह सैनी, एसो०प्रो० (अर्थ०वि०, गो०ग० सनातन धर्म पी०जी० कॉलेज, पलवल)
5. डॉ० सारिका चौधरी, अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, दयाल सिंह कॉलेज करनाल

विधि विभाग:

1. डॉ० नरेश कुमार, (प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
2. डॉ० विमल जोशी, (प्रोफेसर, विधि-विभाग भगत फूलसिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर, सोनीपत)
3. डॉ० जसवन्त सैनी, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
4. डॉ० वेदपाल देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
5. डॉ. अशोक कुमार शर्मा, एसो. प्रोफेसर, विधि विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
6. डॉ. राजेश हुड्डा, सहायक प्रो०, विधि विभाग, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत
7. डॉ० सत्यपाल सिंह, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
8. डॉ० सोनू, (सहायक प्रोफेसर, विधि-विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक)
9. डॉ० अर्चना वशिष्ठ, (सहायक प्रोफेसर, के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरुग्राम)
10. डॉ० आनन्द सिंह देशवाल, (सहायक प्रोफेसर, सी०आर० कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक)
11. अनसुईया यादव, (सहायक प्रोफेसर, विधि विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)

गणित विभाग:

1. डॉ० विनोद कुमार, रीडर एवं अध्यक्ष गणित विभाग, जे.वी. जैन कॉलेज, सहारनपुर
2. डॉ० विरेश शर्मा, लेक्चरर गणित विभाग, एन.ए.एस. कॉलेज, मेरठ
3. डॉ० सलौनी श्रीवास्तव सहायक प्रो०, गणित विभाग आर० बी० एस० कालेज आगरा

कम्प्यूटर विभाग:

1. प्रो० एस.एस. भाटिया (अध्यक्ष, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन, थापर विवि, पटियाला)
2. सर्वजीत सिंह भाटिया (प्रवक्ता, कम्प्यूटर साईंस, खालसा कॉलेज, पटियाला)
3. डॉ० बालकिशन सिंहल, सहायक प्रोफेसर, कम्प्यूटर विभाग, म०द० विश्वविद्यालय, रोहतक

संस्कृत विभाग:

1. डॉ० रामकरण भारद्वाज पूर्व रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, लाजपत राय कॉलेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद)
2. डॉ० सुनीता सैनी, ए०सी० प्रोफेसर संस्कृत विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक
3. डॉ० साधना सहाय पूर्व प्राचार्या, नेशनल इस्माईल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेरठ
4. डॉ० सुमन, (सहायक प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी।)
5. डॉ० दिनेश मणि त्रिपाठी {प्रधानाचार्य} एल०पी०के० इंटर कॉलेज सरदार नगर बसडिला [गोरखपुर]
6. डॉ० दानपति तिवारी, प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष, साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या उत्तर-प्रदेश

रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग:

1. डॉ० आर०एस० सिवाच, प्रो० एवं अध्यक्ष, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, म०द०वि०, रोहतक

दृश्यकला विभाग:

1. डॉ० सुषमा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दृश्यकला विभाग, म०द० विश्वविद्यालय, रोहतक

पंजाबी विभाग:

1. डॉ० सिमरजीत कौर, सहायक प्रो० (पंजाबी), ईश्वरजोत डिग्री कालेज, पेहवा (कुरुक्षेत्र)

संगीत विभाग:

1. डॉ० संध्या रानी, अध्यक्षा, संगीत विभाग, यूआरएलए, राजकीय पीजी कॉलेज, बरेली
2. डॉ० हुकमचन्द, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा डीन, संगीत विभाग महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा
3. डॉ० अनीता शर्मा, (संगीत-गायन प्राध्यापिका, जयराम महिला महाविद्यालय लोहारमाजरा (कुरुक्षेत्र)
4. डॉ० वन्दना जोशी, (सहायक प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग, एस.एस.जे. परिसर, अल्मोड़ा)

पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग:

1. डॉ० सरोजनी नंदल, प्रोफेसर (पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

उर्दू विभाग:

1. डॉ० मो. नूरुल हक, (एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, उर्दू, बरेली कॉलेज, बरेली)

.....

An update on UGC - List Journals

The UGC List of Journals is a dynamic list which is revised periodically. Initially the list contained only journals included in Scopus, Web of Science and Indian Citation Index. The list was expanded to include recommendations from the academic community. The UGC portal was opened twice in 2017 to universities to upload their recommendations based on filtering criteria available at <https://www.ugc.ac.in/journallist/methodology.pdf>. The UGC approved list of Journals is considered for recruitment, promotion and career advancement not only in universities and colleges but also other institutions of higher education in India. As such, it is the responsibility of UGC to curate its list of approved journals and to ensure the it contains only high-quality journals.

To this end, the Standing Committee on Notification on Journals removed many poor quality/predatory/questionable journals from the list between 25th May 2017 and 19th September 2017. This is an ongoing process and since then the Committee has screened all the journals recommended by universities and also those listed in the ICI, which were re-evaluated and rescored on filtering criteria defined by the Standing Committee. Based on careful analysis, 4,305 journals were removed from the current UGC-Approved list of Journals on 2nd May, 2018 because of poor quality/incorrect or insufficient information/false claims.

The Standing Committee reiterates that removal/non-inclusion of a journal does not necessarily indicate that it is of poor quality, but it may also be due to non-availability of information such as details of editorial board, indexing information, year of its commencement, frequency and regularity of its publication schedule, etc. It may be noted that a dedicated web site for journals is one of the primary criteria for inclusion of journals. The websites should provide full postal addresses, e-mail addresses of chief editor and editors, and at least some of these addresses ought to be verifiable official addresses. Some of the established journals recommended by universities that did not have dedicated websites, or websites that have not been updated, might have been dropped from the approved list as of now. However, they may be considered for re-inclusion once they fulfil these basic criteria and are re-recommended by universities.

The UGC's Standing Committee on Notification on Journals has also decided that the recommendation portal will be opened once every year for universities to recommend journals. However, from this year onwards, every recommendation submitted by the universities will be reviewed under the supervision of Standing Committee on Notification of Journals to ascertain that only good-quality journals, with correct publication details, are included in the UGC approved list.

The UGC would also like to clarify that 4,305 journals which have been removed on 2nd May, 2018 were UGC-approved journals till that date and, as such, articles published/accepted in them prior to 2nd May 2018 by applicants for recruitment/promotion may be considered and given points accordingly by universities.

The academic community will appreciate that in its endeavour to curate its list of approved journals, UGC will enrich it with high-quality, peer-reviewed journals. Such a dynamic list is to the benefit of all.

LIFE MEMBERS OF INDIAN JOURNAL OF SOCIAL CONCERNS

1. **Dr. Praveen Kumar Verma**
Associate Professor, Hindi Department, GGD Sanatan Dharam Post Graduate College, Palwal.
2. **Smt. Veena Pandey (Shukla)**
Hindi Teacher, Jawahar Navodya Vidyalaya, Dhoom Dadri, Distt. Gautambudhnagar - 203207 (U.P.)
3. **Dr. Kiran Sharma**
Asso.Professor, English Department, Govt. P.G. College (Women), Rohtak (Haryana)
4. **Dr. Narayan Singh Negi**
H.No. 15, Umracoat, langasu-246446, Distt. Chamoli, Uttrakhand.
5. **Dr. Sarika Choudhary**
Head Department of Economics, Dyal Singh College, Karnal (Haryana)
6. **Dr. Suman**
H.No. 1001, Radha Swami Colony, Rohtak Road, Bhiwani (Haryana)
7. **Dr. Reshma Singh**
Assistant Professor, English Department, J.V. Jain College, Saharanpur (U.P.)
8. **Dr. Savita Budhwar**
Assistant Professor, K.V.M. Narsing College, Rohtak.
H.No. 196/29, Gali No. 9, Ram Gopal Colony, Rohtak.
Mob. 9996363764
9. **Principal**
Sat Jinda Kalyana College, Kalanaur (Rohtak, Haryana) 124113
10. **Dr. Renu Rana**
Assistant Professor Department of (Political Science) Pt. Nekiram Sharma Govt. College
Rohtak-124001
H.No. 1355, Sect-2, Rohtak
11. **Dr. Mamta Devi**
Assistant Professor Department of Polt. Science Hindu Girls College, Sonapat (Haryana)
H. No. 2066, Sect. 2 (P), Rohtak 124001
12. **Dr. Subhash Chand Saini** (Hindi Department, Dyal Singh College, Karnal, Haryana)
13. **Dr. Sarita Dahiya** (Department of Education, Maharshi Dayanand University, Rohtak
8222811312
14. **Dr. Vimla Devi**, Assistant Professor (History), Swami Vivekanand Govt. (PG) College,
Lohaghat, Champawat (Uttrakhand)
15. **Princepal**, Associat Professor (Hindi), Aggarwal College, Ballabgharh (Haryana)
16. **Dr. Dinesh Mani Tirpathi (Principal)** L-P=-K Inter College sardar Nagar, Basdila Gorkhpur

अतिथि संपादक: संक्षिप्त परिचय

डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा



डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा का जन्म 1979 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर की ब्रह्मपुरी कालोनी में हुआ था। इन्होंने स्नातकोत्तर एवं पी-एच.डी. की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से प्राप्त की। 09 शोधकर्ताओं ने पी-एच.डी. की उपाधि के लिए अपना शोधकार्य आपके निर्देशन में सफलतापूर्वक पूर्ण किया है तथा 6 शोधकर्ता अभी शोधकार्य कर रहे हैं। डॉ० शर्मा अब तक 40 राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं। सेमिनार एवं संगोष्ठियों में इनके पेपर अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में इनके 30 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

डॉ० शर्मा ने सन् 2010 से 2012 तक के.एल.पी.जी. कॉलेज रेवाड़ी में भूगोल विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्य किया। 2012 से 2018 तक आर.के.जे.के. बरासिया (पी.जी.) महाविद्यालय सूरजगढ़ (झुंझुनू) में भूगोल विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। आपको स्नातक एवं स्नातकोत्तर भूगोल की कक्षाओं को पढ़ाने का 12 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक में मानविकी संकाय के भूगोल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

डॉ० शर्मा की 2 पुस्तकें (नगरों में बढ़ते अपराध समस्या एवं निवारण, सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्रकाशित हो चुकी हैं और 2 पुस्तकों (भौतिक भूगोल, रिसर्च मेथाडोलॉजी) पर कार्य चल रहा है जो अगले वर्ष तक प्रकाशित हो जायेगी। जो स्नातक और स्नातकोत्तर के विधार्थियों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी।

डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक -124021 हरियाणा

मोबाइल नंबर - 8239714897

Email: dr-pardeepsharma79@yahoo-com

सम्पादकीय

शोध : ज्ञान की सतत साधना

डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा



शिक्षा मात्र के लिए अध्ययन, अध्यापन और शोध अनिवार्य अनुषंग है परन्तु उच्च शिक्षा में इनका अनुपात अधिक ही संतुलित है। उच्च शिक्षा अपनी सार्थकता एवं नित्य नवीनता के लिए अनिवार्यतः शोध की माँग करती है। यह शोध प्रविधि एवं पद्धतिजन्य तो होता ही है, विषय की गहराई तक पहुंचने एवं परिधि के विस्तार के लिए भी अनिवार्य होता है। मानव संसाधन मंत्रालय के नए स्वप्नों एवं संकल्पों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शोध को शीर्ष वरीयता दी गई है। शोध की गुणवत्ता को लेकर समय-समय पर सवाल भी उठते रहे हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा से जुड़े विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं छात्र/छात्राओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वे समय के सवालों का सामना करें। निरन्तर छोटे होते विश्व, सूचना के विस्फोट विभिन्न अनुशासनों की विस्तृत होती परिधि एवं परस्पर एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही करते हुए अंतरानुशासनिक अध्ययनों पर बल तथा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक बदलावों के चलते सक्रिय विभिन्न विमर्शों वाले समय में विभिन्न अनुशासनों में न केवल शोध की आवश्यकता बढ़ी है बल्कि उसका रूप स्वरूप भी बदला है। अब न तो पीटी-पिटार्ई पद्धति से काम चलने वाला है न ही परम्परित विषयों पर शोध ही पर्याप्त है।

विकास की यात्रा तय करते हुए आज मानवता जहाँ पहुंच चुकी है उसने केवल ज्ञान के नये गवाक्ष ही नहीं खोले हैं, प्रत्युत नयी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। यदि विज्ञान के अनुशासन को छोड़ भी दें तो मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में भी ज्ञान की अनंत संभावनाएँ अध्येताओं की प्रतीक्षा कर रही हैं। वैश्विक होने के नाम पर अपनी जड़ों से कटने या भूलने वाले एक अर्धसत्य की दुनियाँ ही रचते हैं। ऐसे में स्थानीय अध्ययन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि वैश्विक, साथ ही औपनिवेशिक मानसिकता एवं आतंक से मुक्ति भी एक चुनौती है। जैसे इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में अदवा या बेलन घाटी में होने वाली खुदाइयाँ नये निष्कर्षों तक पहुँचा रही हैं। आज शोध दृष्टि को वस्तुनिष्ठ, तार्किक तथा समाजोन्मुख होना नितांत आवश्यक है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित संस्थान इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण की आँधी तथा सूचना के विस्फोट के युग में भी स्थानीय समस्याओं, सम्पदा-समृद्धि एवं चुनौती की विशिष्ट जानकारी उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी मनीषा ही भली प्रकार प्रस्तुत कर सकती है। आज हमारे समय की विडंबना यह है कि ज्ञान, संसाधन, विश्लेषण, तर्क आदि पर भी कुछ प्रभावी

शक्तियाँ ही काबिज हैं। स्थानीय स्तर पर उगने वाली प्रतिमाएँ अनुकूल खाद-पानी एवं परिस्थितियों के अभाव में या तो अकाल ही कालकवलित हो जाती हैं या विस्मृति के अँधेरे में विलीन हो जाती हैं। परंपरित शोध-दृष्टि या शोध प्रबन्ध लिखने के अभ्यास के कारण शोध-पत्र और निबन्ध का फर्क भी प्रायः नहीं समझा जाता। समुचित विश्लेषण एवं उपलब्ध अभिनव ज्ञान के अभाव में शोध-पत्र अपनी संज्ञा सार्थक नहीं करता।

इन सारे प्रश्नों और चुनौतियों के समाधान की दिशा में प्रयास करते हुए इंडियन जर्नल ऑफ़ सोशल कंसर्स ८ के रूप में एक त्रैमासिक, अन्तर्राष्ट्रीय शोध-पत्रिका प्रस्तुत की जा रही है। इसमें हमारा बल विश्वविद्यालय में शोधरत प्राध्यापकों एवं छात्र/छात्राओं की शोध उपलब्धियों को प्रस्तुत करने पर होगा। यह शोध-पत्रिका साहित्य, कला, संस्कृति, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के अनुशासनों से जुड़ी होगी। इसके माध्यम से हाशिए पर पड़े विषयों एवं क्षेत्रों को केन्द्र बनाकर किए गए शोध की प्रस्तुति को वरीयता मिलेगी। मेरा स्पष्ट अभिमत है कि अपनी ग्राहिका शक्ति का निरन्तर संवर्धन करते हुए ज्ञान की सतत साधना ही शोध है। यह शोध जितना ही समाजोन्मुख एवं अंतरानुशासनिक तथा गुणवत्ता युक्त होगा उतना ही ग्राह्य एवं समाद्रत होगा। इस पत्रिका के माध्यम से विभिन्न अनुशासनों में शोध करने वाले अध्येताओं का आवाहन है जो अपनी परम्परा, प्रकृति एवं संस्कृति का समुचित विश्लेषण करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक चुनौतियों के समाधान में अपने शोध से योगदान दे सकें। प्रयोगशालाओं और पुस्तकों तक सीमित रह जाने वाला अकादमिक शोध आज हमारा काम नहीं। हम तो चाहते हैं कि समाज को साहित्य को खुली आँखों से देखते परखते हुए तथ्यों और आँकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्तापूर्ण शोध प्रस्तुत हो जो समाजोपयोगी भी हो। इस ज्ञान यज्ञ में अपनी समिधा एवं आहुतियों के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। त्रैमासिक शोध पत्रिका का 48वा अंक जुलाई – सितम्बर 2022 आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

डॉ० प्रदीप कुमार शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक – 124021

Emai: dr-pardeepsharma79@yahoo-com

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
1.	Technology used by Indian Election administration in 2019 . Dr (Prof.) Rochana Mittal, Seema Jha		12-18
2.	Protection of Drug Addicted Children's Human Rights Nisha Rani & Dr. Arpana Bansal		19-26
3.	Impact of Parenting Style on Aggressive Behavior of Secondary Level Students in Different Family Structure Anita Kumari		27-31
4.	Environmental Indicators of Desertification In The Dry Land:A Case Study of Jhunjhunu District Dr. Dheeraj Kumar		32-37
5.	Ambient Air Quality: A Case Study of Jind City Sushma		38-40
6.	Impact of Drought On The Tribal Communities: A Geographical Analysis of Kotra Block, Udaipur District Dr. Dheeraj Kumar		41-45
7.	Air Pollution and Its Impact On Human Health In Gurugram District (Haryana) Nisha		46-49
8.	Reforms needed in Indian Criminal Justice: System An Analytical study Dr. Renu Chaudhary		50-52
9.	Changing Pattern of Crops : A case study of Bhiwani District Dr.Rani Singh, Savita Bai		53-56
10.	"A Study On Performance Analysis of Minerav Mills Ltd. Ors V Union of India And Ors" Dr. Santosh Kumar Sharma		57-60
11.	Animal Health And Breeding Care of Livestock In Rajasthan Dr. Mukesh Yadav		61-65
12.	Change in Social Development Policy : Education and Health Policy in Sonipat District. Neha Rani, Dr. Pardeep Kumar Sharma		66-72
13.	A Review on: Effects, causes and treatment of water pollution Mr. Chankit		73-76
14.	Present Scenario of Climate Change: In it's Geographical Context Meenu		77-81
15.	India-China relation: Recent Conflicts and Solution Ajit Singh		82-87
16.	Local Self Government: Philosophy of Panchayati Raj Dr. Balram Singh		88-93
17.	Job Satisfaction and its Relation to Organizational Citizenship Behavior Dr. Arun Kumar		94-97
18.	Dynamics of Urban Sprawl and its Socio-Economic Implications in Hisar District, Haryana Sunita, Dr. Sunila Kumari		98-104

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
19.	Health and good governance: The key for Sustainable Development Dharmveer Singh, Dr. Pushpendra Singh, Md Qaiser Alam		105-110
20.	The Tought Of Feminism In The Selected Composition Of Girish Karnad And Anita Desai (nagamandala And Fasting-feasting) Prof. Pradip Kumar Singh		111-112
21.	Security Issues and Key Authentication Schemes in VANETs-A Review Dr. Goldy		113-120
22.	Inter-relationship between Crime and Drugs: A Study Nisha Rani, Dr. Arpana Bansal		121-127
23.	Law's and Acts against Terrorism Seema Rathee		128-132
24.	Contribution of The People of Village Mehraj In Freedom Movement Manjeet Kaur, Dr. Parmjeet Kaur		133-138
25.	Terrorism & its Impact on Punjab Seema Rathee		139-142
26.	मुगलकाल में अवध की स्थिति डॉ० जया मिश्रा		143-144
27.	भारतीय दर्शनों में उपमान प्रमाण कोमल मौर्या		145-146
28.	वेदों में अनुस्यूत भारतीय नाट्य-परम्परा गरिमा सिंह		147-148
29.	वेदा शिक्षा में यम वर्णों की ध्वनिवैज्ञानिकता नीलम गुप्ता		149-151
30.	सांख्यप्रतिपादित प्रत्ययसर्ग चन्द्रप्रकाश तिवारी		152-154
31.	किरातार्जुनीयम् महाकाव्य मे वनेचर की स्थिति डॉ० दिनेशमणि त्रिपाठी, प्रो० दानपति तिवारी		155-158
32.	कुमारुँ की सांस्कृतिक धरोहर-जागर डॉ० गोविंद सिंह बोरा		159-161
33.	पंडित ओमकार नाथ ठाकुर 'प्रणव रंग का संगीत में योगदान' हेमन्त कुमारी		162-162
34.	हिन्दी हाइकु कविता: परम्परा डॉ० हेमलता		163-165
35.	इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भिक दशकों की कहानियों में चित्रित नारी अस्मिता और स्वतंत्रता रेनू डॉ० राकेश चन्द्र		166-168
36.	हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का महत्त्व डॉ० जितेश्वर कुमार पाण्डेय		169-171
37.	हिन्दी : मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में विजय कुमार संदेश		172-174
38.	गांधीवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि : सत्य और अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में डॉ० प्रमोद कुमार दास		175-177
39.	छायावाद हिन्दी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय डॉ० जितेश्वर कुमार पाण्डेय		178-181
40.	पछतावे के आँसू : आधुनिक जीवन-शैली की व्यथा-कथा दिविक दिवेश		182-184
41.	प्रेमचंद कथा साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर ममता कुमारी		185-187

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
42.	हिंदी कहानियों में विभिन्न विमर्श छाया		188-194
43.	मेवात प्रदेश की लोक कथाएं प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव		195-197
44.	"चितेरे नैनसुख का पहाड़ी चित्रकला के अन्तर्गत अभूतपूर्व योगदान" – एक समीक्षा शालू सिंह		198-201
45.	मेवात प्रदेश लोक गीत प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव		202-204
46.	आंचलिक उपन्यासों में राजनीतिक परिवेश प्रोफेसर डॉ० जयकरण यादव		205-207
47.	ग्रामीण हरियाणा में पेयजल की आपूर्ति व उसके मुख्य स्रोतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन सुनीता देवी		208-212
48.	मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में नारी जीवन का सामाजिक संघर्ष प्रोफेसर डॉ० जयकरण यादव		213-215
49.	भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक समस्या या विकास की जरूरत : एक भौगोलिक समीक्षात्मक अध्ययन सुनीता देवी		216-220
50.	ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास : सहारनपुर जनपद पर एक अध्ययन रंजीता देवी		221-224
51.	झारखण्ड में बोकारो जिले के मुण्डा जनजाति के सामाजिक परम्परा के एक अध्ययन । Gouri Shankar Banerjee		225-228
52.	केशवदेव शर्मा कृत 'भाव तरंग सतसई' में युगीन परिवेश गीता रानी		229-232
53.	आधुनिक हिंदी कविता: संप्रेषण का एक उपेक्षित पक्ष Dr. Priti Prakash Prajapati		233-236
54.	'कबीर की भक्ति भावना' डॉ० सुमन शर्मा		237-239
55.	'राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका' डॉ० तपन कुमार शाण्डिल्य		240-242
56.	डॉ० पुष्पा बंसल कृत प्रतिवाद पर्व में नारी पीडा डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा		243-245
57.	'सभ्यता और संस्कृति: अंतरावलम्बन' डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय तारेण		246-249
58.	'एकता और समता के पक्षधर : रामवृक्ष बेनीपुरी' डॉ० प्रकाश कुमार		250-251
59.	मारिशस और मारिशसवासी डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा		352-256
60.	'विश्व का तोरण द्वार है हिंदी' 'राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा' श्रीमती तारामणि पाण्डेय		357-258
61.	अप्रतिम राष्ट्र भक्त: नेताजी डॉ० चंद्र मणि किशोर		259-260
62.	इतिहास—लेखन और इतिहास—चेतना डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा		261-264
63.	आचार्य भानुदत्त उनकी कृतिया एवं भारतीय नाट्य परम्परा डॉ० रविन्द्र कुमार आर्या, कु० सविता विक्रम		265-269
64.	हिन्दी साहित्य में प्रेम का अलौकिक स्वरूप—'भक्ति' डॉ० निशा गोयल		270-272

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ स.
65.	रसमंजरी एवं अकबरशाह कृत रसमंजरी की समीक्षा डॉ० रविन्द्र कुमार आर्या, कु० सविता विक्रम		273-277
66.	विपणन: पारम्परिक एवं आधुनिक अवधारणा डॉ० नाजिया खान, डॉ० ए०सी० त्रिपाठी		278-281
67.	महादेवी वर्मा की रचना धर्मिता: एक सिंहावलोकन डॉ० निर्भय शर्मा		282-284
68.	दुष्यन्त कुमार का संयुक्त परिवार के प्रति सरोकार भाव सविता सुपुत्री श्री आत्माराम		285-288
69.	स्वाधीनता संग्राम के साहित्यकार: रामधारी सिंह दिनकर डॉ० आरती 'लोकेश'		289-291
70.	हरियाणवी लोकगीतों में चित्रित कृषि में नारी की भूमिका रेखा		292-294
71.	आदिवासी संवेदना एवं संघर्ष (काव्यकृति 'सोमा:' एवं 'लमझना' के विशेष जया प्रभा भट्टाचार्य		295-297
72.	अज्ञेय के काव्य में नये प्रयोग एवं उनकी प्रयोगशीलता डॉ० उर्मिला कुमारी		298-302
73.	अमृत और विष : एक अनुशीलन डॉ० कंचन पुरी		303-305
74.	हिन्दी साहित्य में आधुनिकता : एक विश्लेषण शालिनी, डॉ० जया		306-311
75.	"जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में नारी-पात्रों की अतृप्ति एवं कुण्ठा" डॉ० (श्रीमती) आशुतोष (अध्यक्ष- हिंदी विभाग)		312-315
76.	कबीर की कविता में सामाजिक चेतनाका अध्ययन डॉ० प्रवेशकुमारी		316-317
77.	पुस्तक समीक्षा स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष लौट आया बसन्त" (उपन्यास अंश) लाजपत राय गर्ग		318-320
78.	पुस्तक समीक्षा Diop's At Night All Blood is Black: A text that makes one ponder deep and reconsider Apoorva		321-323

Abstract

Election is the part and parcel of any democracy and for conducting election a robust administrative machinery prevails in almost all democratic country. In India election commission conducts elections and for this purpose it takes help of various technology .This research article tries to analyse the use of technology by election commission specially in context of 2019. For this purpose it uses secondary resources and qualitative research methodology.

Introduction

elections are regarded as a key indicator of a nation's democratic health or vital instruments of democracy (LeDuc et al., 2014; Powell, 2014).

Conducting election is complex task and in this regard election management bodies (EMBs), are especially crucial for preserving the integrity of democratic processes. (Bruce Ackerman, 2000 ; Mark Tushnet 2020 ; Mark Tushnet 2018). In India election management body is set up under Article 324 of the Indian Constitution. The Constitution provides for the appointment of the ECI's members, and secures the tenure and conditions of service of its chief election commissioner (CEC) (Arun K Thiruvengadam, 2017) For conducting free and fair election the election commission of India register candidates ,prepares voter rolls,organises voting and counting and lastly verifies and announces results. the election commission of India is the sole authority having wide range of discretionary power,which make it very powerful especially having access and participation of candidates and voters ,it's decision

on the number and location of polling station and booths are unchallengeable ,it has power to schedule, re- schedule and adjourn elections VS Rama Devi and SK Mendiratta 2017). Recognition and registration of political party are also provided by election commission. These gigantic task can not be accomplished without the help of technology .this article tries to analyse how election commission used technology for making election process much easier especially in 2019 election.

Aim and objective

- 1) To find out how the election commission used technology in the 2019 election to facilitate election.
- 2) To find out how the election commission used new technology for creating awareness among citizens.
- 3) How innovative techniques were used in election process of 2019.

Election which is generally conducted every 5 years is a festival for Indians . Due to its high population conducting election requires some adaptation ,it may be either in form of skill or some technical advancement. First general election which was conducted in 1951-52 were accomplished in 68 phases and even the time taken for the preparation of electoral roll, training of personnel and movement of logistics etc were very long but time to time Election commission tried make their system more advance so it adapted various technology ie ,computerised electoral roll,photo identity card,real time monitoring of booth, installation of gps in vehicles , introduction

of evm , creating its own website, creating social media accounts for awaking citizens and many more are in line ,but considering the 2011 election use of technology by election commission was at its zenith.

Technology used by election commission:

For increasing the awareness and voters participation Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP) was launched by election commission of India which is a multi-intervention programme that applies different modes and media for educating people. The design of SVEEP is based on the cultural, socio-economic and demographic profile of the state alongwith the history of electoral participation in previous elections and learning from it.

Creating awareness among migrant and homeless population :

Special camps was arranged for migrant voters, and nodal officer were appointed for addressing the issues related to migratory voters prior to election. Nodal officer were preferably appointed from among the labour officers in the district so that migratory labourers, agricultural labourer of tribal areas, construction workers could be educated about election process, registration, etc.

For stationed away service voters :

First time ETPBS or Electronically transmitted postal ballot system was introduced for the stationed away service voters .For disseminating the voters awareness the use of internal newsletters ,dedicated posters and brochures were used by the election commission. Even transgender have the option of registering under others.

ECI entered into social media in 2016 for educating voters. Trends on educating voters was scaled up in 2018 and it launched it's official

Facebook page and Twitter handle and an Instagram page was launched especially for voter.

General observers , police observers and expenditure observers have been appointed in the election.

Central Awareness observers were first time appointed by the assembly elections in 2013. This was further strengthened in Lok Sabha election in 2019.

National media campaign was taken up for the first time all major topics were covered under the name of desh ka maha tyohar. A pledge letter was also issued to the family by the school students, who further get it signed by their parents pledging to vote and also to motivate others pledging to vote. These signed pledge letter further collected by school administration and passed to district administration. Voters awareness activities took the shape of a carnival with art, music, dance, game, lights, togetherness etc. Rangoli was also extensively used to convey voter education message. In the rural and Urban area puppet shows was extensively used to educate voters. For engaging students of class IX and XII and far sensitize them on election right a platform named Electoral Literacy Club was launched. At this club learning was made possible with fun and resource material has been developed with games and activities to provoke the thought process of voters.

Assured minimum facilities such as provision for ramp, adequate furniture, drinking water, proper lightening, helpdesk and toilet was ensured.

Booth level officer conducted door to door registration for motivate persons with disability. For them Etiquette and manner training, basic sign language training development of campaign

material was also discussed. For better facilitation sign language interpreters were also deployed in every polling merchandise items like badges, mouse pads, coasters, mobile pop Ups, Pen stands, key chain was designed motivating people to vote and distributed. PwD app was designed to Use of public transports to facilitate voters with disabilities on the poll day, free pick up and drop was provided to the polling station. The transport facility can also be availed through PwD App by Persons with Disabilities. Message on importance of election was disseminated through nukkad natak and street plays. Rangoli art, Henna art, human chain making etc were also included in the awareness programme. Slogan writing competition, painting competition debates etc were organised at school level for creating awareness. All women managed booth has become important features of lok sabha election first time. For helping PwD and senior citizen voters matdata Mitra were engaged from NSS/NCC.

Different apps were launched by Election Commission of India such as voter Helpline App, MX. Democracy, Civigil App, PwD App, Voter Turnout App etc. Voter Turnout App was launched for making election registration process easy. Mx. Democracy was a digital game app which provided information on different aspects of electoral process in playful manner. Civigil App was basically the surveillance app which used to report the violation of Moral Code of conduct. PwD App was developed for the identification and registration of PwD and it was also used for the pick and drop service and wheel chair facility on poll day. Voter Turnout App was developed for the purpose of live updates on Election results and to check real time turnout during vote counting. Celebrities from different fields were nominated as election icon which

included sportsmen actors, cricketer and singers, etc for reaching out to people with different communication channels. Not only these techniques but election commission used railway for the first time to reach out to masses. Trains passed through every part of the country with cover wrapped #Go Vote and regional messages on it. These included Kerala Express, Howrah Express, Konark Express, Himsagar Express and Diksha Bhumi Express etc. Media was also used extensively, electoral awareness video spots were telecasted on 12 channels including general entertainment, private news channels from 10th March 2019 to 19 May 2019. The video on various aspects of voter education were aired from February 2019 on DD News and DD National for 110 days. Moreover these videos were also being screened in multiplexes and theaters through the film division since the last 6 months of election. ECI also launched the outdoor publicity campaign which included display board in 22 cities, display boards, Airport Hoardings in 15 cities and other locations such as bus stands and animation display etc.

A social media campaign was launched on Twitter, Facebook, YouTube, Instagram and through Google posts for connecting tech savvy masses to elections. Braile EPIC were also distributed to blind voters.

EVM & VVPAT Familiarisation camps were conducted for clarifying apprehensions regarding the reliability and use of machine among common voters. For motivating common men wall graffiti was created and some schools launched wall graffiti competition. Electoral literacy clubs educated people through different kind of entertainment activity some awareness was also created with the school election. This club also conducted field visit to the legislative

assembly of the state. In various states PwD managed polling station was setup where most of the personnel were persons with disability. Voting became fashionable with ramp walk organised for ethical voting in Kerala, Chhattisgarh and Election commission of India gave electors an option for the first time as a third gender or other. Divyanv sarthi and Divyang Dolis were used to facilitate senior citizens and persons with disabilities in the hilly area of Himachal Pradesh, Jammu Kashmir. For reaching out to youth, youth marathon were conducted in collaboration of colleges, NGO, CSOs working in the field of election. Numerous new initiatives were taken for the PwD voters such as adjustable furniture was introduced in numerous polling stations so that wheelchair can pass through it ECI also introduced table with specific height for Dwarf voters. Games, dances, songs and activities were organised in many union territories and states. For teaching out to voters voting messages were posted on Gas cylinder and ATMs. Radio jingles were also prepared and aired through different channels for attracting people. corporates and civil society also contributed for spreading awareness on election. In Puducherry and Rajasthan messages were printed on milk sachets. Free SMS were sent to voters for awareness in various states. In this lok sabha election many motivational and educational TV commercials were launched for appealing people, regional and folk songs spread awareness in the remote part of the country. Various SVEEP activities such as human rallies, cycle rallies and roadshows were organised to spread messages on voting and other messages on related to poll day. In many states handbills were designed containing important messages on electoral participation through voluntary groups, field organisations, college children and groups. All different kinds of

media was used to reach out to voters. Humorous content and voting related memes were circulated to UT/ and many states to catch the attention of tech savvy and youths. Many UTs /states propagated the idea of green elections where use of plastic was prohibited throughout the election period. earthen pots and plants were kept in side the polling stations. Oil based/3D paintings on roads related to importance of voting were prepared in various states for creating awareness. Mascots were created for spreading voters awareness Bahane baaz was mascot from Madhya Pradesh. Srimati and srimat were voting couple from Rajasthan and chiraiya was icon of Gujarat. Various kinds of sand art was created on the beaches in several states. creche were created in many polling stations for facilitating new mother. A signature campaign was organised in different regions across the country for motivating people. To make voting more interesting and memorable, selfie points were created at the polling booths decorated with alluring voting messages. Many people clicked their photos at selfie points and uploaded their photos on different social media online, which motivated their friends and followers to go out for vote. Newly wedded couple were seen casting their votes on their marriage day across the country which inspired many towards their right to vote. Throughout the elections informative posters were distributed to educate, inform and motivate voters to participate in the electoral processes. These posters were also circulated to Mahila -Mandals, Gram -Panchayats, Yuvak -Mandals through electoral registration officer, These posters were also displayed in private offices/Government offices and banks etc. I-Help project was launched by Assam Government in collaboration of 3000 common service center which aimed to empower voters

through digital electoral literacy especially on C vigil App, PwD App, Voter Helpline App etc.

Besides these familiarisation training for EVM-VVPAT was also conducted. Punjab collaborated with popular radio channels like Big FM and MY FM during the conduct of General Election to Lok Sabha 2019 which tried to create awareness activities on field voters. In Chandigarh and Karnataka transportation was provided for free to Persons with Disabilities (PwDs) in collaboration with cab companies like uber & ola. A 5-day event on ELC activity was conducted across 1,500 schools in Buldhana district of Maharashtra for creating awareness among students. Tashigang in Himachal Pradesh which is also the world's highest polling station set a model where all polling personnel and voters sang folk song and danced in their traditional attire on poll day. Dandiya and multiple cultural events were organised for the people where the passes were the EPIC card and registration counter was set up for person with no voter id, demo on EVM and VVPAT were also arranged at this counter. A sign language App was developed in Punjab for helping people with hearing disabilities. Similarly the voter Helpline App was re-created with videos containing sign language clips. 'Voters' Park Having information display boards/selfie point were established in Gurgaon (Haryana where most of the people don't come out for voting) to spread awareness among voters. Goa developed Mat Disha game which was designed in Hindi, English and regional language, including special format for PwDs. In Nagaland a workshop for sensitizing BLOs on the matter of PwD was conducted. For spreading voters awareness till grassroot level Sikkim organised a programme for sensitization NGO working in person with disability and leaders of ethnic communities. By doing this they

wanted to disseminate the correct information about the election process and procedures through community leaders thus the chances for misinformation can be minimal. In Andaman and Nicobar the right to vote was spread through village captain/community elders through community discussion and multiple dialogues. Madhya Pradesh created Sugamya App for encouraging PwD voters, which helped in registration of 4.2 lacs pregnant women 0.5 lacs old age voters. Weeklong celebrations like Satrangi Saptah were celebrated which were dedicated to specific segments of election activities like Band Vadan, Deep Daan, Vote Baraat, Mahila March, Tri cycle rally and vote marathon etc were a part of satrangi Shapath. Election commission was so committed towards no single person to be left hence it set up a polling station for one single voter into the deep Gir Forest, full of lions in Gujrat. Malogam in Arunachal Pradesh has a single voter. In Telengana a postcard campaign was launched, where chief electoral officer encouraged voters to cast their vote by issuing a letter to every household. They also provided information relating to electoral process, thus in total 1 cr postcards were distributed covering 83,03,612. To create awareness among Chandigarh developed different taglines such as Eat Pure, Vote for Sure in hotels similarly in hospital Dr was advised to use the tagline 'Vote for a healthy democracy'. Tamil Nadu made its website so advanced that online wheelchair booking and queue management was made available through it which facilitated voters with disability. Himachal Pradesh was very sensitive towards youth voters so head of the state were roped to ensure that all youth voters who were more than 18 years old must be registered for vote. Mizoram also provided taxi coupons for PwD

voters to facilitate on poll Day. In Meghalaya 'Light after Dark' was developed as the first music band of the visually impaired and it was also identified as state icon for encouraging PwD in the electoral process. Rajasthan collaborated with Zomato to send messages to voters ahead of polling day. Maharashtra also facilitated PwD voters by providing PwD kit in which voter assistant was written in regular as well in Braille, Posters as well as voters slips written in Braille/ normal were also distributed to them as per their requirement. In Delhi volunteers for assisting voters were deployed at polling station. Different states used different technology for assisting voters with disability. Delhi made magnifying sheets available at polling station for facilitating voters with low vision. Following a ban on non biodegradable and use of flex material during electioneering Kerala held clean and green election, A booklet was made in which explanation of green protocol can be adhered, special events such as cycle rallies were organised by official and green procession by students etc. Signature campaign such as street play on clean and green election, beach run, quizzes, sand art, endorsement by celebrity and messages from district SVEEP icon further disseminated the messages. The public was also encouraged to come up and report any violations that were detected in the state for immediate action from concerned authorities. Mizoram initiated Young voters club, in this club top 20 Instagram users with highest followers appealed their generations to exercise their franchise. Young voters club for college students with events like slogan writing competition, debates, music competition and elocution. In Bihar Lalti Devi an worker having locomotor disability, even though her physical limitations she visited every house to motivate

people to come out and exercise their right to cast their vote. In Meghalaya open mic cafe event was organised to tackle urban apathy, Numerous artists through their music reached out to the man on streets appealing them to vote. For wandering Buddhist monk the Sangha constituency in Sikkim established mobile polling booth. The state of Assam launched 'Aaideur Chora' initiative to educate women voters about SVEEP programme. For sensitization rural women more than 2 lac self - Help groups with government departments came out and organised weekly discussion on ethical voting, value of democracy and voting related information were conducted. Not only this but more than 2,870 village Ambassadors were also engaged in distributing information leaflets in local languages amongst prospective women voters. Gujarat state developed stamps with messages on voting, stamps were also developed and stamped on bills, receipts, cinema tickets, courier and parcels, postal envelopes during election. Hamlets of attapadi used by students and teachers for creating awareness in tribal area of Kerala. By wearing this Hamlets the teachers and students visited every home in tribal areas and tried to sensitize them on their right to vote, use of EVM and VVPAT and ethical practices. For creating awareness among voters DTC buses were wrapped with voters awareness messages which appealed voters to come out and vote.

Conclusion:

Technology used by election commission was numerous. It not only used social media platforms for generating awareness among people but developed various apps, to facilitate voters. Innovative techniques were also used eg, painting on train coaches, digital hoardings, Electronically transmitted postal ballot system etc

were launched.

References

1. Sharma, B. R. (1952). SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE ELECTORAL MACHINERY IN INDIA. The Indian Journal of Political Science, 13(3/4), xi–xiv.
2. Bruce Ackerman, 'The New Separation of Powers' (2000) 113 Harvard Law Review 633.
3. Mark Tushnet, 'Institutions Protecting Constitutional Democracy: Some Conceptual and Methodological Preliminaries' (2020) 70(2) University of Toronto Law Journal 95
4. Mark Tushnet, 'Institutions Protecting Democracy: A Preliminary Inquiry' (2018) 12(2) Law & Ethics of Human Rights 181.
5. Arun K Thiruvengadam, The Constitution of India: A Contextual Analysis (Hart Publishing 2017) 148–156; *ibid* 29–34.
6. VS Rama Devi and SK Mendiratta, How India Votes: Election Laws, Practice and Procedure (4th ed, LexisNexis 2017) 493–51

By Seema Jha

Research Scholar

Political science department ccsu Meerut.

&

Dr (Prof.) Rochana Mittal

H.O.D political science department.

S.D.College Ghaziabad

Introduction

"Human Rights" these two words, had occupied, in the 20th century, still continues to occupy the central stage in the 21st century. The issue has been the focus area of human civilization from a very long time. Protection and promotion of human rights have been one of the main objectives of United Nations and its member nations, while violation of human rights has been the main cause of concern of this world body, judiciary and of civil society all over the world. The world community has responded to these problems in various forms for instance there is plethora of human rights law regime. Although the campaign for human rights began as a response to Nazi atrocities and widespread human rights violations during World War II after the United Nations was established, it did not take long for human rights to become a permanent component of both domestic and international law. The only hope for preventing the extinction of our great civilisation in a world threatened by weapons of mass destruction, nuclear weapons, widespread violence, terrorism, torture, etc. is the respect for and observance of human rights. In his book *Human Rights and Human Wrongs*, Justice V.R. Krishna Iyer wrote, "In the end, humanity has a commitment to history to make human rights a sustainable reality. The preservation of human rights cannot be restricted to the territory of any state because they are an issue and an integral aspect of international law. This is because human rights are independent of an individual's nationality. Even though everyone agreed that the Universal Declaration of Human Rights had only moral and political significance and no legal value at the time it was adopted in 1948 [General Assembly Resolution 217(iii), U.N. GAOR Supp. (No.13) 71, U.N. Doc A/810(1948)], it was widely acknowledged that human rights were no longer a topic of international concern.

Human Rights

Human rights can be viewed as those fundamental, unalienable rights necessary for a person to survive. These are the rights that every person has by virtue of being a person, regardless of that person's nationality, ethnicity, religion, sex, or other characteristics. We cannot survive as humans without these, which are ingrained in our nature. Our ability to fully develop and employ our human traits, including our knowledge, talents and conscience, as well as to meet our bodily, spiritual and other demands is made possible by human rights and fundamental freedoms. They are founded on humanity's growing yearning for a life that respects and upholds each person's inherent value and dignity. Human rights closely resemble natural rights because they were not established by any legislation. The obligation to respect human rights is a part of the legal duty to safeguard them.

Who is a "Child" ?

According to international law, a child is any person who is younger than 18 years old. This definition of a child is generally acknowledged and is taken from the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), a treaty that the majority of nations have ratified. According to the English Cambridge Dictionary, "a child is a boy or girl from the time of birth until he or she is an adult, or a son or daughter of any age."

Rights of the Children

The right to special care and aid for children was also enshrined in the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, a significant piece of international human rights law, embodies a rights viewpoint. Children, who are the most vulnerable members of society, require care, love and protection to ensure their survival and overall growth.

Children and Health

Every child has an intrinsic right to life, according to Article 6 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, adopted in 1989 and held in New York, and states parties are required to do everything in their power to secure the child's survival and development. According to Article 24 of the aforementioned treaty, States are required to guarantee that children and their families have access to basic health services, including the benefits of breastfeeding and pre- and post-natal care for mothers. Article 47 of the Indian Constitution commands the State to improve public health and elevate the standard of nutrition in addition to make measures to reduce use of intoxicating beverages and pharmaceuticals that are harmful to health unless used for medical reasons. In addition, Article 15(3) gives the States the authority to pass specific laws to advance women and children in society.

What are Child Rights?: The Constitution of India, 1950 guarantees all children certain rights, which have been specially included for them. These include:

1. Right to free and compulsory elementary education for all children in the 6-14 years age group (Article 21A);
2. Right to be protected from any hazardous employment till the age of 14 years (A24);
3. Right to be protected from being abused and forced by economic necessity to enter occupations unsuited to their age or strength [Article 39(a)];
4. Right to equal opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and guaranteed protection of childhood and youth against exploitation against moral and material abandonment [Article 39(f)].

Drug Problem in Children: Drug abuse has serious repercussions for both drug users and those who are closest to them. We contend that parents of children with drug issues can be seen as a particularly vulnerable groups because the entire family may be impacted. The parents can be questioned and blamed by both themselves and others because the child issues are frequently seen in relation to the

circumstances in their upbringing. Additionally, compared to mental and physical illnesses, a child's drug addiction is stigmatised more than those conditions. Family relationships are described as "fractured," "shattered," "skewed," and "strained" by parents of children who use drugs. Parents' decisions and behaviours are frequently cited as the cause of social issues like drug abuse, criminal behaviour and academic failure. It might take a long time for parents to fully realise that their child has a serious drug problem and it is usual for parents to view their child's behavioural changes as normal teen behaviour or a passing phase. The emotional toll that drug use by children has on their parents is a recurring issue in earlier research. Parents talk of feeling guilty, ashamed, alone, helpless, sad, worried, stressed and uncertain.

The prevalence of substance misuse in young children and teenagers is significantly higher than that of the overall population. This is especially true due to the fact that adolescence is a time for exploring one's individuality and taking risks. A significant number of youngsters living on the streets turn to the use of inexpensive drugs as a means of coping with the daily cycles of sexual, physical and emotional abuse or as a kind of recreation in order to escape a life of poverty. Children in India are most likely to misuse heroin, opium, alcohol, cannabis and propoxyphene. These are the top five most commonly abused substances. According to the Juvenile Justice Act of 2015, children who have been affected by substance misuse are regarded to be youngsters who are in need of care and protection. A survey conducted by an NGO in India found that 63.6% of patients seeking treatment had their first experience with drugs while they were under the age of 15 years old. According to yet another survey, 13.1% of those involved in the illegal use of drugs or other substances in India are under the age of 20. According to the results of a poll, respectively 21%, 3%, and 0.1% of all opium, cannabis and alcohol users are under the age of eighteen. Children who take drugs are increasingly using many drugs at once, injecting them and frequently sharing needles, which raises the likelihood that they may

contract HIV. This practise is becoming increasingly common. Children made up between 0.4% and 4.6% of the overall number of people who sought treatment in the respective states.

International & National Law dealing with the Protection of Children's Human Rights:

In the beginning, sovereign states were the main focus of international law and people were not directly addressed by its principles. As a result, the subject of human rights was avoided. Natural, fundamental or basic rights of an individual were only very recently acknowledged in national systems. The first 10 amendments of the U.S. Constitution, which were incorporated in 1792, the American Declaration of Independence, the Virginia Declaration of Rights and other documents included provisions for human rights. The French National Assembly adopted the Declaration of Human and Citizen Rights in 1789. The need for universal recognition and preservation of basic human rights received a boost from World War I. Human rights are a "shared language of humanity," according to former United Nations Secretary General Boutros Boutros-Ghali. Regardless of any other factors, according to D.D. Basu, "Human rights are those minimum rights which every individual against the State or other public power must have." Human rights are defined as "the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or enshrined in the international accords and enforceable by courts in India" under section 2(1)(d) of the Protection of Human Rights Act, 1993. Human rights are defined by, a former distinguished judge of the Supreme Court of India, Justice Krishna Iyer in "his Tagore Law Lecture" as follows: "The sky is the size of the canvas on which human rights are written. Legislators, attorneys and judges in particular must inject human values into the written word without fear of repercussions to the status quo order." A.K. Ganguli J. of the Supreme Court in *Ram Deo Chauhan vs. Bani Kant Das* has rightly observed: "Human right is a broad concept and cannot be straight-jacketed within narrow confines. Any attempt to do so would

truncate its all embracing scope and reach and denude it of its vigour and vitality."

Part III of the Constitution recognises all human rights outlined in the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (ICCPR) as unalienable fundamental rights, subject to "reasonable restrictions" that serve the greater good. The fundamental rights are described as being an inherent component of life. The Directive Principles mention a gradual improvement in quality of life. Directive principles are not justiciable or subject to court enforcement, according to Article 37. The highest court of the country by its first case in *Francis Coralie Mulin* gave a wide meaning to expression "life" under Article 21. It was decided that the term "life" refers to more than just physical or animal existence. It also refers to the right to live with human dignity and everything that entails, including the basic essentials of life like healthy food, clothing and a roof over one's head."

All of these rights which are necessary for the defence and upkeep of human dignity and which foster an environment in which every person can fully express his or her personality, may be referred to as human rights. The Human Person is the Central Subject of Human Rights and Fundamental Freedoms as stated in the Declaration of the World Conference on Human Rights held in 1993 in Vienna. All human rights flow from the dignity and worth inherent in the Human Person. Therefore, human rights are those that an individual is entitled to as a result of being a human. These are necessary for the overall development of people's personalities in society must be preserved and should be accessible to everyone. If there is to be peace and prosperity, these must be protected, valued and sustained.

Convention on the Rights of the Child, 1990: The State Parties to the present convention recall that the United Nations declared that children have a right to special care and assistance in the Universal Declaration of Human Rights. Considering that the child should be fully prepared to live an individual life in society and brought up in the spirit of the ideals proclaimed in the United Nations charter, particularly

in the spirit of peace, dignity, tolerance, freedom, equality and solidarity. Recognizing that the child should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding. Remembering that the kid "requires special precautions and care, including adequate legal protection, before as well as after birth" because to his or her physical and mental immaturity, as stated in the Declaration of the Rights of the Child.

Article 5 States the parties shall recognise the rights, obligations and responsibilities of the parents, legal guardians or other persons legally responsible for the child to provide, in a manner consistent with the development of the child's capacities, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognised in the present convention. According to Article 33, States Parties must take all necessary steps to protect children from the use of illegal narcotics and psychotropic substances as defined by the pertinent international treaties, as well as to stop the use of kids in the production and trafficking of such substances. These steps must include legislative, administrative, social and educational ones. Two clauses of this Article 33 deal with drug usage and involvement in the drug trade.

The Single Convention on Narcotic Drugs (1961), the Convention on Psychotropic Substances (1971), and the Vienna Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) are the three UN drug control conventions that are linked to the CRC via Article 33. These are the pertinent international treaties that are mentioned in the clause. The Vienna Convention's preamble, on the other hand, outlines the States parties' grave concern that "children are used in many parts of the world as an illicit drug consumers market and for purposes of illicit production, distribution and trade in narcotic drugs and psychotropic substances, which entails a danger of incalculable gravity" as justification for the provisions that follow. This relates to the concerns around drug use and participation in the drug trade covered in Article 33. The CRC and the drug control system seem to share similar perspectives: States have a duty to safeguard kids against

drugs, as well as a duty to regulate those drugs in certain ways. Children are put in danger by the drug supply chain at every point, from production to use. Drug abuse, parental drug addiction, drug-related violence, human trafficking and a variety of other factors all negatively impact children. But just asserting that children have a right to be protected from drugs is worthless.

Article 24 expressly requires states to establish adequate, high-quality programmes for kids whose health is impacted by drug use. The Committee made a clear connection between articles 24 and 33 in the context of injecting drug use and HIV, stating that States Parties are required to see to the implementation of programmes that seek to lessen the factors that expose children to substance use as well as those that offer treatment and support to children who are abusing substances, in accordance with the rights of children under articles 33 and 24 of the Convention." In order to effectively safeguard minors from the risks connected to the use of controlled substances, article 33 cannot be interpreted in isolation. Instead, it offers a window or lens through which to access and utilise all of the Convention's provisions for creating plans to address juvenile drug use.

Drug use among children endangers their ability to survive, develop and maintain good health. However, in many regions, instead of receiving the assistance they require, drug-using youngsters are dealt with by the criminal justice system. A failure to accept that kids use drugs also prevents kids from getting access to resources for harm reduction and recovery. People often claim that children need to be protected, but the best protection is to provide them with the services and honest, unbiased information they need to make wise decisions. Article 39 States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of any form of neglect, exploitation or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an

environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child. Article 40 of Universal Declaration of Human Rights, 1948 Children who are accused of breaking the law, are entitled to receive legal help and a fair trial which taken into consideration their age and situation.

Vienna Convention: The Preamble expresses parties' great concern over the widespread exploitation of minors as a market for illicit drug consumers and for the criminal production, trading and distribution of narcotic and psychotropic substances, which poses a grave risk. Children are put in danger by the drug supply chain at every point, from production to use. Drug abuse, parental drug addiction, drug-related violence, human trafficking, among other things, all impact children. However, just asserting that children have a right to protection from drugs is worthless. What matters is how states carry out that right, and unlike many other child rights areas, enforcing Article 33 necessitates action in a legal and policy context that has historically been fraught with serious human rights dangers. Drug policy will be used to protect children from drugs, not some impersonal execution of children's rights. Article 33 of the CRC is undoubtedly part of the human rights risk posed by international drug control laws if the right to protection from drugs is essentially a child rights stamp on current drug policy.

"It is apparent that the global drug problem impairs the enjoyment of a wide variety of human rights, frequently leading in serious violation," said Flavia Pansieri, deputy high commissioner for human rights. However, the fact that human rights are increasingly being taken into account in the planning for the General Assembly's Special Session on the global drug crisis, which will take place in April 2016, is a positive trend. " The impact of the global drug problem is discussed in the report in five main areas: the right to health, rights relating to criminal justice, the prohibition of discrimination, especially against women and ethnic minorities, the rights of children and the rights of indigenous people. Children should be protected by focusing on prevention and should receive accurate and objective

information on drugs in a child-friendly and age-appropriate manner, the report states. In order to address human rights violations related to the global drug problem and to better integrate the protection of human rights into state law and practice in the future, it is my sincere hope that human rights will be addressed in the outcome documents of the General Assembly's Special Session on the global drug problem in a constructive and specific manner."

Juvenile Justice System and Human Rights of Drug Addicted Children: Abuse of drugs bears the same social stigma in India as it does in any other country in the world. This social stigma, in turn, has a negative influence on fundamental human rights when it interferes with the regular course of an individual's life. An individual is said to be addicted to drugs when they have developed a habit of using a specific sort of substance on a regular basis and are unable to stop using the substance, despite the fact that doing so has a negative impact on their health. Abusing drugs is regarded as a vice in the Indian social structure and is seen as harmful not only to the user but also to his family and society as a whole. Abuse of drugs can take many forms, such as that caused by stimulants, which give a person an increased amount of physical and mental energy; depressants, which cause one to feel calm and relaxed; opiates, which cause one to experience an intense rush of pleasure; and hallucinogens, which cause one to feel detached from their surroundings. There is a correlation between drug abuse and criminal behaviour; however, it is important to keep in mind that a drug addict is still a human being. As such, whenever a drug addict is the subject of a legal proceeding, they should be treated the same way as any other human being and should have all of the rights that are associated with trials guaranteed to them. They should be viewed as drug dependent individuals who are in need of assistance and who are able to be cured. Additionally, they should not be believed to be offenders on a prima facie basis, nor should they be stigmatised for their drug addiction. These individuals are subjected to a severe and pervasive violation of their human rights, which has a significant and deleterious

effect on both their health and their general well-being. Because of the violation, there is an increased risk of contracting blood-borne diseases like HIV and hepatitis B and C. Because of the stigma attached to their behaviour, they are often excluded from society, discriminated against, and subject to laws that make their behaviour illegal.

When a youngster starts using alcohol and other drugs at an earlier age, they put themselves at a greater risk for developing major health problems and abusing substances as adults. It is one of the main preventable causes of death among those aged 15 to 24 that fatalities, both accidental and purposeful, that are related with drug and alcohol use in the adolescent population are one of the leading causes of death. Studies have shown that 80 per cent of juvenile offenders who are involved in the juvenile justice systems of state governments were under the influence of alcohol or drugs when they committed their crimes, test positive for drugs, were arrested for committing an alcohol or drug offence, admitted to having substance abuse or addiction problems, or shared some combination of these characteristics. According to the findings of certain studies, there is a connection between juvenile delinquency and substance misuse. The majority of juveniles (44%) who were arrested for burglary stated that they committed the offence in order to obtain narcotics. A third of the adolescents who were arrested for assault said that they had been high or inebriated at the time of the incident. Young people who commit repeat violent offences have a threefold increased risk of drinking alcohol and a twofold increased risk of using marijuana. In addition to this, 85% of juvenile offenders have admitted to buying drugs, whereas only 55% have admitted to selling narcotics. At the time of their arrest, close to half of all juveniles who have been detained were found to be under the influence of alcohol, and close to two thirds of juvenile offenders admitted to taking at least one illegal substance on a regular basis. The connection between juvenile delinquency and substance usage can be explained by a variety of different factors, including substance abuse itself. Even in states that have decriminalised the use and sale of

some drugs, it is still against the law for minors to consume, possess, or sell drugs. Many young people who are addicted to substances will eventually turn to selling drugs in order to finance their habit, which can result in major legal repercussions for the individual. Addiction to drugs can be extremely costly, which might motivate young people to engage in criminal behaviour such as shoplifting, breaking and entering, and armed robbery. In addition, the use of drugs and alcohol impairs a person's ability to think clearly and make sound choices. This effect is magnified even further in younger people who begin using drugs and alcohol because their brains are still in a formative stage at that age. All of these factors contribute to an increase in the rate of criminal behaviour among juveniles who abuse substances and beverages.

Enforcement of Laws: The arrest procedure is often a youngster's first experience with the juvenile justice system, which begins with the booking process. When a minor interacts with law enforcement personnel and agencies, this is typically his or her first experience with the juvenile justice system. Law enforcement agencies across the country are taking on a more prominent role in efforts to reform the juvenile justice system and ensure that young offenders are treated ethically and fairly. Both felony and misdemeanour offences can result in an arrest or detention of a juvenile by a law enforcement official. In order to make an arrest of an adult, a police officer must be present when the crime is committed. However, officers can make arrests of minors as long as they have probable cause to believe that the minor committed a criminal offence. This is in contrast to the requirements for making arrests of adults. The minor will, in many instances, be taken into custody for truancy.

Prevention and treatment

Drug abuse therapy and drug use prevention are typically seen as effective policy measures. Aside from issues with effectiveness and the scarcity of or insufficiency of youth-specific treatment and harm reduction choices in many settings, numerous prevention and treatment initiatives have sparked concerns about child welfare and

rights. Concerns about children's rights, ethics, and practicality are significant when using sniffer dogs, strip searches, or random drug testing in schools. After the now-famous case of Savana Redding, the United States Supreme Court ruled that strip-searching students violates their rights and is cruel and humiliating. Redding, then 13 years old, underwent a strip search after another student reported seeing her distribute prescription-strength ibuprofen and over-the-counter naproxen at school. Two female school officials inspected her undergarments but didn't find any drugs. In a historic decision, the Supreme Court's majority concluded that Redding's rights under the fourth amendment had been violated and that the search had been unjustified. Sniffer dog use and unbiased drug testing in schools both pose privacy issues and go against the documented reductions in drug use rates brought about by a culture of trust between students and instructors, which is undermined by both techniques. The greatest study on drug testing at random in schools found no difference in drug use rates between testing and no testing. Despite these worries, sending a "strong message" about drugs might often take precedence over worries for the rights and wellbeing of specific young people who are impacted by such activities. To guarantee that rights are respected and that drug treatment is effective, extreme caution is needed. The appalling abuse incidents that Human Rights Watch uncovered at drug detention facilities around the world are the best example of this need. For instance, Human Rights Watch noted that in government drug detention facilities in Cambodia in 2008, "just under one quarter of detainees were aged 18 or below." They are detained with adults, which is against international law. Inmates who were children described to us being beaten, stunned with electric batons, and made to work."

Drug abuse carries with it a stigma from the society in India as in any other country of the world, which in turn results into adverse impact over the basic human rights in normal course of life of an individual. Drug abuse carries with it a stigma from the society in India as in any other country of the world, which in turn

results into adverse impact over the basic human rights in normal course of life of an individual.

Criticism: What matters is how states carry out that right, and unlike many other child rights, Article 33 implementation necessitates action in a legal and policy realm that has long been fraught with serious human rights dangers. It is reasonable to wonder if the CRC works to lessen these hazards or if it acts as a defence of children's rights for the behaviours that cause them. The United Nations Drugs Conventions of 1961, 1971 and 1988 can be closely examined to see how little attention was paid to children during the writing procedures. Children or minors are only directly mentioned in the 1988 drug trafficking convention. Beyond designating child victimisation and some offences committed near children as "especially serious" crimes, neither of the two pertinent provisions mentions specific steps to address drug usage among children or involvement in the drug trade. The 2009 UN Political Declaration and Plan of Action on Drugs does not adequately address specific issues facing children and young people in relation to drug use, aside from various reaffirmations of commitment to focus on youth and a recognition of the need for targeted services for children and adolescents. Additionally, it fails to fully address how young people are involved in the drug trade.

Conclusion & Suggestions: Therefore, the idea that children need to be protected rather than punished is at the heart of the strategy used in article 33. But when it comes to this big model, some caution is needed. It might be difficult to strike the right balance between a child's need for protection and their right to punishment. Appropriate steps must be taken to prevent the onset of drug use among children under the age of 18 in order to fulfil the duty to protect children from the illicit use of narcotic drugs and psychotropic substances. The question is whether states have a duty to take appropriate action to alleviate any harm connected to a child's drug use, or if the duty to protect is only preventive or encompasses a rehabilitative/remedial obligation. There is a need of active participation of

Government, Government agencies, law enforcement agencies, educational institutions, non-governmental organizations and the most important the parents of the children so that they can protect their children from drug addictions and violation of their human rights in the hands of drug trafficking mafias.

Nisha Rani

Ph.D. Research Scholar
Guru Kashi University, Talwandi Sabo,
Bathinda, Punjab.

Dr. Arpana Bansal

Dean of University School of Law &
Supervisor,
Guru Kashi University, Talwandi Sabo,
Bathinda, Punjab.

Impact of Parenting Style on Aggressive Behaviour of Secondary Level Students in Different Family Structure

Anita Kumari



Abstract:

Indians are known as peaceful people in the world because of them believed that peace of mind is the best wealth in the world. But at present time aggressive behaviour is increasing in our society and peace and patience are losing from the behaviour. Today aggression is increased at all stage of the age. Aggressiveness is finding in adolescence and children also with adult and youngers. Aggression is a negative and reactional emotion. So, it has so many reasons or factors like- biological factors, family factors, environment factors, social -cultural factors, economic factors and political factors etc. But family factor is the most important factor in of them because most of the time child lives with their parents. Parents are as a base point for formation the direction of their children's life especially when their children studied at secondary level going on their adolescence period. In present paper, we will discuss all things about parenting style and its impact on aggressive behaviour of secondary level students.

Key Words: Aggression, Parenting Style, Secondary level Students, Different Family Structure.

Introduction: The main aim of our education is all round development of the personality of the child. But the healthy environment is necessary for the development of the personality in proper manner like a seed required proper environment for germinate and make fruitful tree. But India is a developing country. So, desired and well- suited atmosphere is not available for students at home as well as in schools and society. In the society many of the people are found involved in various anti- social activities. In our daily life, we can read the news in newspaper about physical assault, violent threats, killing, shooting; acid attack, committing suicide and terrorism etc. this type of news are common in the news headlines. So that, due to impact of poor environment many school students are the victims of various behavioural problems such as hyperactivity, violation, non-

compliance, disruptive behaviour, aggressiveness, social withdrawal etc. Aggression is the main cause of these types of activities.

Aggression is increasing in people of the society as well as in school students every day. Aggression is a natural negative emotion and we all feel aggressive on occasion but today secondary level students suffer from extreme level of aggression. It means problem of aggressive behaviour is the serious matter for the society. The main aim of the present paper is to contribute to an understanding of the meaning of parenting in different family structure with regards of aggression among secondary level students in modern time and give suggestions which will helpful for parents in reducing the aggressive behaviour of their children.

Meaning of Aggression

In simple words aggression means physically or mentally hurting to someone or yourself. Aggression is a psychological term which refers to a range of behaviours that can result harm to others, objects in the environment or you in both manners – physically or psychologically. There are many different purposes of aggression like- expressing anger or hostility, asserting dominance, threatening, responding to fear, achieving a goal, competing with others, reacting to pain and expressing possession etc.

Form of aggression: Aggressive behaviour can be express in different form like physical, verbal, relational and passive. Physical aggression means beating, hitting, kicking or stabbing another individual and damaging property. Whereas mocking, yelling and name calling and use abusing word or language included in verbal aggression. Relational aggression means spreading rumours and telling lies about someone with intend to harm another person's relationships. In other hand, passive aggression means harm to someone indirectly like ignoring someone during a social event or back-biting.

Normally we think on physical aggression but

sometimes psychological aggression can also be very harmful. There is several factors responsible for excessive aggression. A present time, due to aggression crime graph is increasing highly and secondary level students are involved in large number.

Secondary Level Students

Secondary school is defined as schooling after elementary school. Secondary school students mean pupils attending a school offering any secondary curriculum for grades 9, 10, 11 or 12. It means secondary education begins in grade 9 and lasts until grade 12 and students aged 14 to 18 years studied in grade 9 to 12 consider as secondary level students. According to the age of secondary level students we can say that secondary level student being going on adolescence period which occurring between 12 to 20 years of age. This is a period of substantial changes in physical maturation, cognitive abilities and social interactions. Adolescence period is a time of stress and storm. At this time mind catches negative things easily and risk-taking behaviour increased. So, secondary level students or adolescence easily involved in many anti-social activities if they do not get proper guidance in right way. At this time they need more interaction and friendly behaviour. Old saying that when child come in age of sixteen, father's shoes fit in his foot, should behave friendly with him. But parents adopt different style of parenting which affect the child behaves differently.

Parenting Style

Parenting is way of bringing up a child used by a parent. It is a natural ability and activity of a parent. So, we cannot say that a specific manner of parenting. Every parent use different parenting style and each parenting style impact on later behaviour of child. First learning of a child from parents because parents are first teacher of their child and parenting style play a very important role in shaping the personality of the child. We can observe mainly four styles of parenting are used by parents in every culture- Authoritarian Parenting, authoritative parenting, Permissive parenting and uninvolved Parenting.

· **Authoritarian Parenting:-** Authoritarian parents are often dominant and dictator for their children. They accept their children to follow the rules strictly. They give

punishment if children fail to follow such rules. They expect children to obey their order without question and without any explanation. They expect children don't make mistakes and to behave properly. They do not provide direction properly about what their children should or avoid in the future. This parenting style is not appropriate for making good personality of a child in future.

· **Authoritative Parenting:-** Authoritative parenting style is a democratic style. These parents establish rules for their children and give guidelines properly. These parents are responsive to their children and willing to understand their emotion and feelings. These parents are supportive and they want their children to develop skills such as independence, self-control and self-regulation. This parenting style is assumed as best style of parenting.

· **Permissive Parenting:-** Permissive parents have low expectations of maturity and self-control. They are very lenient. They do not mature behaviour. They are generally communication with their children as a friend.

· **Uninvolved (Neglectful) Parenting:-** In this parenting style, parents have few demands, low responsiveness and very little communication with their children. These parents only fulfil the child's basic needs, they are generally free from their child's life. They do not provide guidance, rules or even support.

Influence of parenting style on Aggressive behaviour of secondary level students in different Family structure

Secondary level students are being going on adolescence period. This is the period of physically and psychological changed in the individual. At this time need, interest, attitudes are changed of an individual. But parents follow same style which used infancy and childhood stage for their children. According to many psychologists, "teenagers are the worst understood human beings in the world. They are treated as children by they are expected to behave like adults." So that, if parenting style is not appropriate then children become behave aggressively. At present, different family structures are found in India and parents are used different parenting style for nurture their child.

§ **Joint Family:-** In India joint family was the

traditional structure of the family. Its trend is reduced at present time but in rural areas it is found in many families. In joint family children live with parents, grandparents, uncle, aunt, cousins etc. In joint family children didn't depend on their parents only for fulfilment their need? They could fulfil their different types of needs from different member in joint family easily. So that children could learn behave properly with each other. Children learned keep control on his emotions and made good personality with all human values. Main aim of the life was live together with happy. But feeling of competition is increasing in all family members and they pressurized to children all times for study. Children become behave aggressively due to compare to others.

§ Nuclear Family:-In modern time, due to urbanisation family structure is changed and people live in nuclear family. In nuclear families, some parents are live in fear about bright future of their children they used authoritarian parenting style and strictly behave with children. These parents do not care their interests, emotions and feelings. Some of parents fulfil their needs conditionally. These parents do not provide guidance to their children in right way. Due to obstacles in fulfilment of needs, interests, emotions and feelings, children become behave aggressively. They don't care other's views and feelings. These children want to fulfilment his needs and interest in all right or wrong way. We can read news in daily newspaper about this parenting style and its impact on child. In adult age, these children behave aggressively with their parents. According to Bandura's social learning theory, when father shout or beating their children than children learn also shout and beat their toys and peer group. An old saying that, 'Human cut the crop which seeding'.

§ Working Parents:-In modern time, main aim of life is earning money and materialistic. So, husband and wife both are working, they want to provide all facilities to their children. But in the race of earning-money they have not time for their children. Due to shortage of time they don't understand their children's views, emotions, feelings and problems of their children and do not provide guidance to their children. These children search other sources like internet and peer group for fulfilment their needs, answers of their doubts and find mis-guidance. These children learn

happy with physical products. If their desires are blocked due to any reasons they become behave aggressively. These children learn achieve their desires, needs at any cost either harm to others or self.

§ Different attitude of Parents:-Some parents use different attitude for parenting of their children. In this parenting father is very strict for their children and mother keep soft corner for their children. Children do not want to get guidance from their father and try to escape from scolding of their father, their mother also help them in it. In adolescence period due to physical and psychological changes these children behave aggressively with each person in their family even with their father. They behave aggressively with their mother also because they find their mother weak to complete their desire and they feel that their desire can fulfil only through aggressive behave.

When mother's attitude is very strict and father is soft for their children, situation is worst for children. Because they spend too much time with their mother and they feel compulsion of obey the rules of their mother all time. They can't express their views to mother. So that children learn behave aggressively in these family environments.

§ Single Parent:-Single parent trend is also increased in the society because of death of one parent, one parent is doing job in other city and divorce of parents etc. In these cases, single parent to have play role of both parents. They feel pressures about bright future of children. They expect high demand from their children and do not expect any small mistake from their children. They pressurized their children all time for study. Even they do not change their behaviour in adolescence period of their children. These children lost their patience due to fast changes in emotions. They become behave aggressively. Some mother as a single parent is found very proactive and result in same above.

With this modern time is technique time. Its time of globalisation. Every parent feel pressure that how to their children will face the world competition in future either they use any parenting style their expectations are very high from their children. They want to their children become very intelligent. They pressurised to children from infancy stage of development. Parent starts a search a very good school for children by their birth. They face very tough competition in

school of their children. They pressurised their children for study at all time and behave aggressively with children due to feel fear about their future. For instance, here I want to talk about the movie 'Hindi Medium'. The movie present real picture of parents who feel pressure about future of their child and they take any steps for this at any cost in our society. In last of the movie parents realized their mistake and take right steps for bright future of the child and present themselves as good citizens of the society.

Suggestions for Parents:-

In real world most of the parents feel pressure for child's bright future and this pressure they use authoritarian behaviour with their child. Scolding, beating, and other forms of punishment are used by parents to keep their children in line. But by scolding and beating children obey their parent rules till some time. In adolescence period or after independence children do not obey the parent rule and behave aggressively with their parents as well as with others. So, parents should be changed the way of behaviour with children. Some suggestions are the given bellow which parent should be follow for their children and to make the children good citizens of the society.

Ø Make positive environment:-Parents should make positive environment when they give any task to children. They can give any task in interesting way and self-participates also. If task is interesting then children complete with their full ability and increase in learning attitude.

Ø Motivate to children:- Always motivate to children for their work. They can use way of praise and surprize gifts for motivation. Do praise rather than scolding. Don't comparison between to children and don't partiality between their children. They should respect their individual difference.

Ø Introduce with logic:-Parents explain any task with logic. They explain every doubt and every question of their children. They explain that why is necessary doing the work? What are the benefits from doing the work? Parents explain way of understanding rather than rote of learning. They introduce every type of logic.

Ø Aware about their words:-Parents should aware about use of words. They give attention that these words will use by children in future. Because each word that speak by

parents make children's word in future. Parent's behaviour may be developed as habits of children in future life.

Ø Learn from mistake:-Parents should understand that learning is impossible without mistakes. An old saying that 'If make mistakes are there, something is doing. There is making no mistakes, its mean no doing and no learning'. If parents scolding to children for their mistakes than decrease the learning attitude of children. When children make mistakes again and again than parents explain to children that repeating mistakes make as your habits which will affect your future life.

Ø Children are mirror of parents:-We should understand that our children are mirror of us. Parent's behaviour makes habit of children. So, parents should speak politely and keep patience when explain something to their children. Then children can understand their view points.

Conclusion

Generally, parents used two types of parenting styles- neglectful and authoritarian parenting. Both parenting styles are harmful for all round development of the children. Some parents nor behave like a boss and directed them either some parents try to behave friendly. But children need parents not boss or friends. Other many people are available in their life for playing these roles. Only some parents can understand their role in their children's life and can play successfully. But uneducated and unaware parents cannot understand their responsibilities themselves. So, 'Parents Samvad Programme' has started from 28 October, 2021 in Delhi Government schools. The aim of the programme is not only enhancing partnership of parents in their children's education even suggest them that how can they do it. This programme is a means of attachment of parents with their children's school and provide new dimension of parenting.

REFERENCES

1. Amy Morin LCSW (2021): four types of parenting styles and their effects of kids
2. Anderson, C.A., & Bushman, B.J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behaviour, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and pro social behaviour: A meta- analytic review of the scientific literature. Psychological Science.
3. Chowdhury, S. and Ghose, A. (2014). Effects of patterns of

- parenting on study habits of adolescents. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 3(3) 15-19.
4. Estevez, E., Povedano, A., Jimenez, T.I. & Musitu, G., (2012). Aggression in adolescence: A gender perspective, *psychology of Aggression: new research*, pp 37-57.
 5. Fatima Shireen & Dr. Malik Sufiana Khatoon (2015). Causes of students: Aggressive behavior at secondary school. *Journal of literature*. 11, 2422-8435.
 6. Ghosh, S M., (2013). A comparative study on aggression between boys and girls adolescent. *International journal of behavioral social and movement sciences*. 2, 76- 82.
 7. Salcedo, Gianna Rendina-Gobioff & Ray Gadd (2000). The Relationship between Parenting Style and Children's Adjustment: The Parents' Perspective, *Journal of Child and Family Studies*. 9, 231–245.
 8. www.verywellmind.com Kendra cherry (2021). What is aggression?

Anita Kumari

Principal

Delhi college of vocational
studies and research, Baprola,
Najafgarh, New Delhi

ENVIRONMENTAL INDICATORS OF DESERTIFICATION IN THE DRY LAND: A CASE STUDY OF JHUNJHUNU DISTRICT

4

Dr. Dheeraj Kumar

Abstract :

Desertification is essentially a problem of faster land degradation, which sets in when the geomorphic processes under a natural set up are accelerated due to increased human activities and climate change. Climatic conditions along with certain human activities such as over exploitation of water, aggressive use of fertilizers, overgrazing, deforestation, improper agricultural practices, mismanagement of arid ecosystem and other unsustainable practices have accelerated the conversion of fertile lands into arid lands. Climatic pattern, land form history, morphological and pedological characteristics of the land and vegetation types also determine the extent and magnitude of the problem. Wind erosion/deposition, water erosion, water logging, salinity/alkalinity and vegetation degradation have been identified as the major types of degradation in the arid western part of Jhunjhunu. Industrial effluents and mining are also gradually becoming important factors of desertification. In this paper an attempt has been made to analyze the impact of resource degradation of desertification in Jhunjhunu district.

Keywords: Climatic conditions, agricultural, conversion, problem, degradation, water erosion,

Introduction

Jhunjhunu is a district in the state of Rajasthan. The district falls within Shekhawati region, and is bounded on the northeast and east by Haryana state, on the southeast, south, and southwest by Sikar district, and on the northwest and north by Churu district. Desertification has long been recognized as a major environmental problem, affecting the livelihood of the people in the affected regions of Jhunjhunu. Its high population depends on rainfed agriculture and animal husbandry that are always vulnerable to climate shocks and climate change. Here, the desertification results from complex interactions among physical, chemical, biological, socio-economic and political problems. The

studies further indicate that over-cultivation, overgrazing, deforestation and poor irrigation practices are degrading the dry land in the study region. The major factors for this are population (human and livestock) pressures, inappropriate land use and agricultural practices, social conflicts and drought. The current study focuses on desertification due to environmental resource degradation-both quantitative decline and qualitative degradation observed in the recent past, but emphasizing on the latter which also results from the former.

Environmental Indicators For Desertification

The desertification process has its causative roots in various factors that can be broadly grouped under natural and anthropogenic factors, which also interact with each other. Table 01 provides the list of such indicators prevailing in the region and their explanation, which is based on field study and expert interviews.

Table : 1 Environmental Indicators Of Desertification in Jhunjhunu District

Sr No.	Environmental Indicators	Specific explanatory indicators existing in the study area
1	Physical Indicators	
(a)	Hot and dry climate	<ul style="list-style-type: none"> • Arid to semi- arid type of climate. • Periodical occurrence of droughts. • High temperature. • Low and erratic rainfall.
(b)	Land use pattern and changes	<ul style="list-style-type: none"> • Large amount of barren land. • Declining forest cover. • Intensification and extensification of agriculture.
(c)	Land degradation	<ul style="list-style-type: none"> • Soil erosion due to wind and water agents, calcinization and alkalization of land.
(d)	Water resources critically	<ul style="list-style-type: none"> • Unsustainable water demands. • Unfavorable water quantity balance. • Water quality degradation.
2	Biological Indicators	
(a)	Stress on forest vegetation	<ul style="list-style-type: none"> • Shrinking forest cover and degradation of forest area. • Low net primary production of forest biomass. • Increase in forest offences and wild -life attacks.
(b)	Stress on Pastures	<ul style="list-style-type: none"> • High number of livestock • Grazing indicators well above optimum.
3	Socio- economic Indicators	
(a)	Demographic pressures	<ul style="list-style-type: none"> • Increasing population and urbanization. • High number of peasant population
(b)	Socio-economic pressures	<ul style="list-style-type: none"> • Inequitable land holding patterns. • Market driven cropping patterns. • Feudal structure of society

Climatic Parameters:

The geographical position of the district rendered it with low amount of rainfall and hot temperatures. The mean of annual average temperatures was about 32°C, whereas much higher temperatures could be observed during summer 47°C. According to the classification of climatic zones based on the average annual rainfall alone, the district falls in the class of arid & semi-arid type of Central Arid Zone Research Institute (CAZRI) developed such criteria to delimit the climate zones-arid, semi arid and dry sub-humid-based on the observations across the country, which classified the Jhunjhunu into an arid zone. However, besides the means of the parameters (temperature and rainfall), their distribution is also important, as also the variation over space and time. The normal temperature range was around 25°C-35°C, but the extremes varied from 15°C to 45°C indicating a wide variation. Similarly, the rainfall range varied from less than 200 mm to more than 600 mm, but its distribution within a year was highly skewed with a peak in monsoon period.

Table 02: Climatic zone classification

Sr.No.	Climate zone	Range of annual rainfall (in mm.)
1	Humid	> 1200
2	Sub - humid	800 - 1200
3	Semi - arid	600 - 800
4	Arid	400 - 600
5	Hyper - arid	200 - 400
6	Desert	< 200

Sandy land forms in the western part of the area are more unstable and vulnerable than the sandy land forms in the east. This is especially due to the decreasing rainfall gradient from east to west and increasing wind strength in that direction. Most high sand dunes in the area were formed during an earlier dry climatic phase and became naturally stabilized subsequently due to climatic amelioration and increased vegetation.

Drought Occurrence

The measures of climate indicate the prevalence of hot and dry conditions with low amount of rainfall, which conditions the region's inherent vulnerability to desertification hazards. It is important to recognize, in this context, that the frequent occurrence of droughts in the district indicates the losing balance and increasing susceptibility to desertification hazards. It is also observed that the area falls in the zone with drought occurrence period of once in 3 years, which means

almost every third year is a drought year.

LAND RESOURCE

The soils of the district are exclusively either regasolic, desert soil, calcareous ,sierozemic soil or red gravelly soil. Higher rate of soil erosion over the natural rate of soil formation results in soil loss, which results in the loss of soil physical and organic matter, and thus productivity, leading to increased desertification. The land use pattern prevalent in the district (shown in Table 03) implies a low amount of land resource allocation to the uses of ecological value(e.g. forests and pastures) and a greater allocation to the uses of more economic value (e.g., agriculture). This might be expected, but a significant proportion of fallow land indicates the pressure on land resource from uses like agriculture; it also indicates a decline in soil fertility, which was observed in the district. Besides this pattern depicting an intensification of the land resource use, the decreasing trend of barren land's share also suggests intensification of uses like agriculture, leading to the cultivation of marginal areas. The intensive use of land for agriculture and its intensification also result in an increase of soil erosion hazards discussed earlier.

WATER RESOURCE

Water resources are critical resources upon which both natural and human sustenance depends. The availability of water in good quantity as well as quality will have a significant bearing on human life. In the arid zone of Jhunjhunu, soil erosion through increased sheet wash and rill and gully development occurs mainly in the eastern part of the district. The major reasons are increased ploughing of the marginal lands with high slopes and shallow soils, ruining of natural vegetation for fuel and fodder, overgrazing, and other destructive uses.

Table 03: Landuse Patterns of Jhunjhunu District

Sr.No.	Type of Land Use	Area in hectare 2016-17	Area in hectare 2017-18	Area in hectare 2018-19
1	Forests	39,680	39,680	39,680
2	Non- Agriculture	46,535	46,532	46,196
3	Barren and Uncultivated	6,873	7,002	6,671
4	Parmanent Pastures	39,607	39,474	39,470
5	Cultivable Wastes	37,509	37,687	37,781
6	Cultivable Fallows	23,226	22,034	22,330
7	Other Fallows	21,821	22,692	24,250
8	Net Area Sown	45,047	44,726	46,580
9	Miscellaneous Tree and Grooves	55	56	55
10	Gross Area Sown	331,183	331,653	328,573
	Total Geographical Area	5,91,536	5,91,536	5,91,536

Source: Statistics department of Jhunjhunu

In the Aravali hill ranges, along the eastern margin area, the hill slopes are being washed out by sheet, rill, and gully erosion, so much so that in many areas there is hardly any soil to start a re-plantation programme. However, specific data on the quantum of soil loss is lacking. It is often difficult to suggest how much gulying is due to human activities alone and how much due to natural processes. An increasing agriculture together with increasing population exerts a high demand for water. The intensification of agriculture exerts pressure on water quantity not only of surface source but also of groundsource. The ground water has been increasingly used to irrigate the crop lands, particularly during the non-monsoon period. Technological improvements in deep well digging have led to an increase in the extraction of ground water beyond the sustainable yields of aquifers, and also posed water quality degradation problems. The geological formations of the deeper underlying rocks in the district are rich in fluoride, which come into contact with water due to the increase in its drawl that results in ground water quality degradation. The widespread prevalence of fluoresce in this district clearly indicates this problem. Summarily, water resource criticality is affected by human uses to reach the margins of thresholds and also pose discernible degradation hazards that may lead to exacerbation of desertification conditions.

Biological Resource

Degradation of natural vegetation is one of the major causes of desertification. Over-grazing, especially by sheep and goats, and other forms of continuous ruin of natural vegetation, have led to gradual change in species composition and plant density in many parts of arid Jhunjhunu. For example, in the sandy areas of less than 200 mm annual rainfall zone the *Lasiurus sindicus*-*Eleusine compressa* grassland is being slowly replaced by *Aristida funiculata*-*Dactyloctenium indicum*, with concomitant decline in basal cover and plant density. Similarly, in the high rainfall zones, many trees and shrubs in the permanent pastures and wastelands have become more degraded and assumed a stunted look. At many places the original species are being replaced by poor quality shrubs and grasses, including *Prosopis juliflora*, *Crotalaria burhia* and *A. funiculata*. Degradation of forest cover, a major biological resource, has resulted in a loss of biomass.

Although agricultural areas and pastures also produce biomass, this is not as high as that of the forests and also they lack several other features like ecological services and biodiversity. Historically the district was endowed with good forest cover with wild life but human pressures have resulted in a gradual decline of it.

Population Growth and Urbanization

Population growth is an important root- cause of several problems associated with resources, as it increases the demand for food, water and land. Demand for several economic goods, which are accelerated by urbanization, in turn, result in greater demand for exploitation of resources in a subsistence economy. Also, increasing access to markets and marketization of societies also leads to intensification of degradation in dry lands through greater resource consumption and increased market risks. The district has been showing a trend of increasing population and urbanization, despite a relatively low population density in the district. Urbanization increases the pace of market expansion, thus increasing resource consumption.

Agriculture

Agriculture plays a vital role in societal development by providing food for human beings and fodder for livestock but, at the same time, it can be linked to resource utilization. Dry land traditionally has subsistence agricultural practices that impose resistance on resource use; but they also have subsistence levels of food production and nutrient consumption. However, dry land is different from others in that they are sensitive with respect to environmental resources due to the thresholds, surpassing of which may lead to serious disruptions. Economic development, through increasing access to markets and marketization, leads to the breakdown of subsistence conditions, but it is also increases the risks as well as the cost of external damages (e.g., Jodha 1990). From this view point, the management of dry lands, particularly the agriculture use of it, assumes greater importance, since the failure of it may eventually lead to desertification (Ridley, 1990). The impact of market forces is more evident in the case of subsisting crops like pulses that are more suited to this climate. The impact of market forces is more evident in the case of groundnut cultivation, which is the major crop cultivated in the district.

Livestock Growth

Livestock breeding is not a major occupation in the district, but the livestock number has been quite high. Livestock has been rather seen as a toiling animal for cultivation and an asset easily disposable in times of severe drought. The livestock's demand for fodder is exceedingly high, whereas, as observed earlier, the land use pattern implies very low allocation of land to pastures implying very high incidence of grazing.

Occupational Structure and Land Holding

In the study region, the occupational structure has a major population problem as agricultural laborers and non-workers live on the subsistence means of income and a major problem in agriculture and other service sectors, which typically characterizes a feudal structure. The occupation and land holding patterns reflect the subsistence conditions and poverty, which leads to continued dependence on natural resources and result in degradation due to the pressure of human activities.

Conservation Strategy

It has been emphasized throughout the analysis so far that the environmental or natural resource degradation has been taking place, which results in desertification conditions and increases the vulnerability of the area to undergo more rapid desertification. It follows that there is a clear need for a strategy and an action plan for mitigating the process changes leading to desertification. The conservation strategy proposed here is two fold- natural resource based conservation planning, on one hand, and institutional approach to translating the plans into actions with an active involvement of people. The natural resource conservation strategy proposed here can be again two fold - agriculture conservation and forestry (including wildlife) conservation.

(i) Agricultural Conservation

The agricultural conservation strategy shall essentially aim at achieving effective soil and water management at field level, reducing the population burden and making them part of the resource development and conservation plan, and finally, bringing in institutions that may reduce the vulnerability of the dependent population, on one hand, as well increasing the cropping ability, on the other. Essentially, soil and water management can be effectively achieved through: Preventive marginal land cultivation; encouraging in situ conservation practices like bundling, terracing, and

plugging and strengthening of gullies; promotion of good agricultural practices like inter-cropping and relay cropping, crop diversity, horticulture, and social afforestation. The people need to be educated about the means of improving natural resource potential through existing agricultural management institutions and made responsible for checking the utilization of common property resources like water tanks, which are quite abundant in the district. There is also a good scope for making use of the good NGOs which are already working in the district. The population burden in urban areas can be effectively reduced by encouraging the industrial set-ups, particularly in agro-processing, mineral exploration and mining. As the peasant do not have any direct methods of coping with the natural vagaries, individual or group crop insurance plan may be designed or the public/private insurance institutions can be encouraged to come out with such schemes. Moreover, effective information dissemination in terms of weather forecasts and suggestions of appropriate cropping plans can reduce their vulnerability to climatic stresses.

Forest Conservation

Forest conservation is quite essential for achieving manifold objectives of maintaining good land use balance, reducing rainfall variation, protecting the wildlife and dependent population, and promoting utilization of forest resources for commercial purposes. The forest conservation strategies shall essentially focus on protection and maintenance of existing forest lands, which requires the co-operation and involvement of local people; promotion of social-forestry, agro forestry and even commercial forestry; and targeting easily achievable programmes like shelter belts along the motorways, at farm boundaries and village commons.

An institutional approach towards achieving conservation shall essentially focus on designing and implementing the programmes for achieving conservation. The Ministry of Rural Development already has a mechanism of Drought Prone Area Programme/Desert Development Programme, under which it already offers financial support in terms of soft loans to the people, which, however, requires better administration and target group selection by avoiding political interferences. Also, watershed management is promoted by the same Ministry, but the support is not enough and the implementation is sought in a phased manner. Good

amount of documentation on and plans for the approach towards implementing watershed management in the district already exist. The watershed management practices can bring about transformation, when they are implemented on a large scale throughout the entire district, which requires the promotion of efforts, awareness, and education as well as financial support. The state machinery has to find out alternative means of funding and implementation with active participation of the local NGOs. In short, we can say that some important steps should be applied in the area to control the process of desertification which are:-

1. Much of the sand dune stabilization programme is directed towards the old dunes, so that the production potentials of these lands can be restored.
2. Protection of the area from human and livestock encroachment.
3. Creation of micro wind breaks on the dune slopes, using locally available shrubs and other in a checker board pattern or in parallel strips.
4. Direct seeding or transplantation of indigenous and exotic species.
5. Plantation of grass slips or direct sowing of grass seeds on leeward side of micro windbreaks.
6. Management of re-vegetated sites. Bio-fencing, using locally non-palatable species, is a cheaper and more effective form of barrier.
7. The area should be protected from biotic interference and aerial seeding continued for four to five years, so that a good plant population is ensured.
8. The dunes are largely owned by private farmers. Therefore, sand dune stabilization programme in these areas will succeed only with the participation of local population.
9. Erection of shelter belts along the boundaries of crop fields helps to reduce injuries to the tender seedlings from sand blasting and hot desiccating wind. Experience suggests that across-the-wind plantation of a 13m wide tree belt, grown in pits and interspersed with 60m wide grass belt, provides the best results. Establishment of micro-shelter belts in arable the windward side. Mixing crop residues and organic matter with light-textured soils help to increase the soil moisture and crop yield.
10. On non-arable lands establishment of a grass cover, rather than cultivated fallow, ensures minimum soil loss.

11. Farming of land at regular intervals is necessary for healthy crop growth.

Conclusions

Conservation and development of natural resources has remained an area of concern to policy planners, scientists, academics, executives and social activists alike throughout the world. The problems of desertification are increasing in the drylands, especially due to unplanned and need-based excessive human use of the available land and water resource. Many of the problems have local origins, and hence, solutions may be sought locally. A systematic mapping of the areas affected by different kinds of desertification is, however, still lacking for the whole of the region.

Building up on the researches in agriculture and allied fields, especially during the past five decades has made it possible to suggest a number of alternatives to farmers and other land users, which can decelerate the process of desertification, improve the quality of land, and increase production in a sustainable manner. More interactions between the land users, the researchers, the bureaucrats and the development organizations are necessary so that all can benefit from co-learning process. New researches can be based on such learning and old ones can be modified.

References

1. Barrow, C.J., 1985, Land Degradation: - Development and Breakdown of Terrestrial Environments, Cambridge University Press, Cambridge.
2. Beaumont, P., 1989, Environmental Management and Development in Dry Lands, Routledge Publishers Ltd., UK.
3. Bullock, P. and H. Le Houerou, 1996, 'Land Degradation and Desertification', In, Watson, R.T., Zinyowera, M.C. and Moss, R.H. (Eds.), Climate Change, 1995, Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change, Working Group- II, Intergovernment Panel on Climate Change, Bonn.
4. District Statistics of Jhunjhunu, 2011. Bureau of Statistics and Economics, Jaipur.
5. CGWB Report, 2008, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, Govt. of India, New Delhi.
6. Dregne, H.E., 1986, 'Desertification of Arid Lands', In, Bazz, F.E.I. and Hassan, M.H.A. (Eds.): Physics of Desertification, Dordrecht, The Netherlands.

7. Grainger, A., 1990, The Threatening Desert: Controlling Desertification, Earth Scan Publishers Ltd., London.
8. ICAR, 1977, Desertification and Its Control, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
9. Jodha, N.S., 1991, Drought Management: Farmers' Strategies and Their Policy Implication', Economic and Political Weekly, Vol XXVI, Page 39.
10. Jodha, N.S., 1995, 'Common Property Resources and the Environmental Context: Role of Biophysical versus Social stresses', Economic and Political Weekly, Vol XXX, Page 51.
11. Miller, 1990, Environmental Science: Living on the Earth, Wadsworth Publishers Ltd., USA.
12. Nadkarni, M.V., 1985, Socio-economic Condition of Drought Prone Areas, Concept Publishing Company Ltd., New Delhi.
13. RUIDP, 2014, Rajasthan Urban Infrastructure Development Project, Government of Rajasthan for the Asian Development Bank, Jaipur.

Dr. Dheeraj Kumar

Assistant Professor
Department of Geography
S.B.D. Govt. P.G.
College
Sardar Shahar



Abstract

The air quality is getting worse day by day. At the same time, there are many reasons for pollution, some of which are environmental factors and some are man-made factors. But anthropogenic factors are causing more air pollution. Due to this the harmful gases present in the air are worsening the air quality day by day. Air pollution is affecting wildlife, animals and adversely. Therefore, it has become imperative for us to focus on measures to reduce the impact of air pollution. The study is based on the air quality of Jind city of Haryana. Jind city of Haryana has been included among the first polluted cities in the country and among the world in 2021. Air Quality Index data has been used for this study. The Air Quality Index is used by government agencies to tell the public how polluted the air is currently or how polluted it is estimated to be. This measurement of AQI is based on the quantum of emissions of PM 2.5 & pm10 Nitrogen Oxide Sulfur Dioxide Carbon Monoxide etc. Air quality is divided into 6 parts in the AQI index.

Key words: Air pollution, air quality, Jind, measurement, Oxide Sulfur Dioxide.

Introduction

Environmental pollution is a common and serious problem for developed and developing countries. At present our environment is getting polluted day by day. Air pollution is one of these serious problems, which is having an impact on human health, animals and climate. Both environmental effects and human causes can be responsible for air pollution. But man is responsible for most of the air pollution. Air quality is deteriorating day by day due to increasing means of transport, industrial gas, trade, traffic, decomposition of organic matter, manufacturing process, city development plans, agriculture oil composition process etc. Due to the increasing population, a large amount of toxic waste is generated every year, due to which the

problem of pollution is becoming more serious. PM10, PM2.5, sulphur dioxide, nitrogen dioxide and suspended particulate matter (SPM) are regarded as major air pollutants in India (1).

Air is everywhere and so is its influence. Polluted air has been linked to climate as particulate matter absorb or reflect sun light and affect cloud formation and rainfall pattern of a place (2). It's health impact has been reported worldwide. World Health Organization (WHO) studies has reported premature death of 3.7 million people world over in 2012 due to air pollution (3).

Every country and city is facing the problem of air pollution. Every city has its own characteristics and the development level of each city is different. Thus the city of Jind in the state of Haryana has its own distinct characteristics. Due to the absence of any major industrial unit in the city of Jind, it was one of the 20 most polluted cities in the world according to a report by the World Health Organization. Jind's Air Quality Index has been recorded at 418, which is a very dangerous level for human health and environment. There are many reasons responsible for this. An Air Quality Index (AQI) is used by government agencies (4), to communicate to the public how polluted the air currently is or how polluted it is forecast to be come (5)(6). AQI information is obtained by averaging readings from an Air Quality sensor. Pollutants tested include Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, carbon monoxide, PM2.5, PM10 . Computation of the AQI required an air pollutants concentration over a specified averaging period , obtained from an air monitor or model.


Objective

The objective of the present study are to assess the ambient air quality with respect to PM10, PM2.5 , Sulphur dioxide, carban monoxide to study trends of pollutants over a period of time and space and to create public awareness about environment pollution.

Study Area Jind district is one among 21 districts of haryana state, India . Jind City located at Latitude 29.3N and Longitude 76.3 E . Jind district is sharing border with Hisar district to the west , kaithal district to the north , Panipat district to the east. Jind district occupies an area of approximately 2702 square kilometres . Its in the 235 meters to 225 meters elevation range. This district belongs to hindi belt of India.

Climate of Jind City is on the whole dry , hot in summer and cold in winter. The year may be divided into 4 seasons. The cold season from November to March is followed by hot season which lasts till the onset of the south-west monsoon. Jind gets 138.38mm of rain and approximately 7 rainy in the month. Jind district administrative head quarter is Jind. It is located 190 km north towards state capital Chandigarh . Jind district population is 1332042 . It is 7th largest district in the state by population .

Map: Location of Study Area



Methodology

Methodology is a systematic way to solve a problem. It is a science of studying how research is to be carried out. The study will be secondary sources of data. The data will be collected from the combination of quantitative and qualitative methods. Secondary data will be collected from central Pollution Control Board (CPCB) , Haryana State Pollution Control Board (HSPCB), newspaper, and reports . I will used systematic random sampling for collecting the data of monthly average AQI and monthly concentration of air pollutants in air . The collected data will tabulate with suitable tools and then apply to represent in the

form of graphs , maps and diagrams .

Ambient air quality of Jind City


The Air Quality Index is used by the food agency to measure air quality and its impact on humans. The presented data pollutes the air quality of Jind district. After perusing the table and so on, we have come to the conclusion that the air quality of China city is the worst in the months of November, December and January, in these months air quality very poor and There is severe rehta, kyunki iss time due to climate reason there is moment downward rahta of air due to which pollutants remain at their place and air quality is khrab krte. During the rest of the months the air quality is of moderate type. In the month of September, the air quality remains satisfactory because the air becomes clean due to rain at this time. The amount of PM 2.5 and PM 10 is highest in the air of Jind. After this the amount of Nitrogen dioxide or carbon monoxide is found more.

Table:1 Concentration of Pollutants In Jind City Air

	Jan.	Feb.	March	April	May	Jun.	July	Aug	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
PM2.5	255	186	135	100	116	112	98	68	42	155	356	302
PM10	132	117	136	131	113	135	132	81	42	11	242	170
Nitrogen oxides	47	43	42	42	30	40	32	29	10	16	12	24
Ammonia	17	23	24	8	13	30	22	13	9	8	5	5
Sulphur dioxide	27	15	35	15	10	7	12	12	5	8	11	6
Carbon monoxide	27	67	68	69	68	42	25	23	39	47	35	26
AQI	252	213	163	218	173	158	141	110	53	182	423	352

Source Haryana State Pollution Control Board (HSPCB)

Figure: 1 Graphic presentation of pollutants Concentration in air



Source Base on table no.1

Reason of pollution in Jind City

The level of pollution in the industrially backward Jind is alarming. Recently, Jind has come in the first place among

the polluted cities of the country. At the same time, the name of Jind has also come in the top 20 polluted cities of the world in the last few years. These days the level of pollution in Jind i.e. Air Quality Index has crossed 400. The air quality index was also recorded at 418 on Saturday. There are no major industries in Jind city with a population of about two lakhs. The stubble burns in the months of October and November. But in the rest of the months also the level of PM 2.5 reaches 300 to 400. It is only when it rains that the level of PM 2.5 comes down. Poisonous smoke from factories extracting oil by burning tires around the city is increasing pollution. At the same time, in the name of highway and road widening in the last five-six years, more than one lakh trees were cut in the district. In lieu of the cutting of trees, the forest department plants new saplings by depositing the amount. But it takes many years for these plants to become trees. Jind city is surrounded by railway line from three directions. The Delhi-Bathinda railway line has gates at Bhiwani Road Bypass, Bhiwani Road, Old Hansi Road and New Hansi Road. On the Jind-Panipat railway line, there is a gate at Pindara, Rohtak Road Bypass, behind the Mini Secretariat, Devilal Chowk. The work of making ROB and underpass in place of these gates is going on. ROB on Pindara, Rohtak Road Bypass and Bhiwani Road Bypass have been completed this year. At the same time, the work of ROB on old Hansi road is going on. At the same time, the construction of highway from Jind to Rohtak is going on outside the city. Simultaneous construction work on such a large scale is also the reason for increasing pollution. Dust blowing from the decaying roads inside the city

The city council had started the work of suppressing the pipeline three years ago for rainwater drainage under the AMRUT scheme. For this, digging was done on many roads including Safidon Road, Sabzi Mandi Road, Ara Road, Rohtak Road, Mini Bypass Road, Bal Bhavan Road. Due to lack of maintenance of roads after excavation, pollution also increased due to dust blowing. At present, construction work is going on on the roads of Ara Road, Scheme 5 and 6, Sabzi Mandi Road, Safidon Road. At the same time, a road was built on Rohtak Road. But during the construction itself, in July this road collapsed. Dust keeps blowing throughout the day on the broken road from place to place. Due to which the shopkeepers and the local people are upset.

Tire burning and battery lead factories Industrially backward Jind has come in the list of top 20 polluted cities of the world. The main reason for getting polluted is the factories of burning tires and battery lead around the city. These factories remain closed during the day and run in the dark of night. In a factory, about 7-8 tonnes of tires are burnt every day to extract oil. This oil is sold to hot mix plants and cement factories. Apart from this, iron wire is also extracted. Burning tires releases chemicals like carbon monoxide and sulfur oxide, which cause many serious respiratory diseases. Jind was ranked 13th in terms of pollution in the World Air Quality Report 2020 prepared by the Swiss organization IQ Air. The air quality index of Jind is mostly above 200. Sometimes it even crosses 400. Relief comes only when there is strong wind or rain.

Conclusion

Pollution levels are at their worst in October-November every year. Paddy is harvested during these days. Many farmers get the paddy harvesting done by combine and set the crop residue on fire. During these days, due to the cold start and low wind speed, the smoke and dust particles settle in the sky. In October-November last year, the pollution level in the city had crossed 400 micrograms. Even in December-January, the level of pollution remains more than 200, at that time even the stubble does not burn. Due to lack of maintenance of roads after excavation, pollution also increased due to dust blowing.

Reference

- 1 Agrawal , M. And J.Singh : Mohit. Assess , 60 Air Quality, publication New Delhi pp 261 - 282 (2000).
- 2 Ramanathan, V.; Cruteen, P.J.; Kiehl, J.T.; Rosenfeld, D. Aerosols Science, 2001, 294, 2119 - 2124
- 3 WHO. Ambient (outdoor) air quality and health. Fact Sheet 2014 31
- 4 International Air Quality". Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 20 August 2015.
- 5 "NOAA's National Weather Service/Environmental Protection Agency - United States Air Quality Forecast Guidance". airquality.weather.gov. Retrieved 2021-04-28
- 6 "MACC Project - European Air Quality Monitoring and Forecasting". Archived from the original on 2014-10-18. Retrieved 2014-10-12
- 7 Barman , S.C. , Kumar. N and R. Singh : Assessment of urban air Pollution and its probable health impact. Journal of Environment Biolog , 31(6) , 931 - 920 (2010) .
- 8 Ahmad , A. and Bano , N : Ambient air quality of firozabad city - spatio - temporal Analysis . Journal of Global Biosciences , ISSN 2320 - 1355 (2015).

Sushma

Research Scholar

Department of Geography

Baba Mastnath University, Rohtak

E Mail: sushmamor7@gmail.com



Impact Of Drought On The Tribal Communities: A Geographical Analysis of Kotra Block, Udaipur District

Dr. Dheeraj Kumar



Abstract:

The conventional idea of drought as a natural phenomenon of arid areas is changing now. It is because of the fact that many areas receiving high rainfall are facing acute water scarcity. This shows that drought is just not the water scarcity or absence of precipitation, but it is more related to water resource management or mismanagement in the area. In the case of Rajasthan, every year some part of state is affected by drought. Despite this, the state considers drought as a temporary phenomenon where short-term relief measures are considered to be a solution. Udaipur district of south Rajasthan has been suffering from the problems of water scarcity, environmental degradation, poverty and shocks of frequent droughts. The present paper is an empirical investigation based study. It is based on both primary and secondary sources of data. The field investigation method with a structured questionnaire schedule has been adopted. The present study tries to examine the effort and status of participatory approach in water resources management against drought situations in tribal dominated Kotra block of Udaipur district in particular. It argues that an integrated water resource development through tribal-wisdom and conventional methods have successfully improved the surface and ground water resources.

Keywords: Water Scarcity, Tribal Communities, Drought, Water Resource Management, Community Participation, Kotra block.

Introduction

Rajasthan is the largest state of India with an area of 342,239 km² (10.4% of the country total) and population of 68.5 million (5.6 % of the country total) of which 75.13% is rural (Census of India, 2011). The state has only 1% of India's water resources. Repeated drought, poor resource base for economic development, arid climatic situation, low rate of literacy, high rate of population growth and water scarcity

makes the task of socio-economic development a challenge compared to many other states in the country. Rajasthan's vulnerability to drought is more than 25 percent, which is one of the highest in the country (Rathore, 2004). Drought affects soil moisture, salinity of soil, cultivation, livestock, and livelihoods. Here more than 70 per cent of Udaipur's rural inhabitants (out of total rural population 60.3% is tribal population) dependent on farming, livestock and forest related activities as a main source of occupation. Period of last four years 2010 to 2013 is study duration. Meteorological records of this period shows that 89 per cent of the total rainfall in a year received in the span of three month (July to September) only and remaining months, whole area facing the problem of water scarcity or drought situation. With the unpredictable nature of monsoon/weather many villages in the rural areas of Udaipur are struggling for survival. The situation is more vulnerable in the remote and tribal dominant region of Kotra block of Udaipur district.

Objective:

The objective of the study is to examine the impact of drought on tribal communities and reasons behind the problem of water scarcity in the tribal dominated area of Kotra block. At the same time people do not view drought in an integrated way. The paper also seeks to analyze the role of community participation for drought management and traditional practices of tribal communities to minimize the harshness of water scarcity, and further study suggest suitable measures to reduce the impact of drought in future.

Methodology

The present study is based on both primary and secondary sources of data. The field investigation method with a structured questionnaire schedule has been adopted for this study in Kotra block of Udaipur district, Rajasthan. Multi-stage stratified random sampling methods were chosen for the study. Secondary sources of data were collected from the annual and programme reports of WRP (Water Resources

Planning) and DPAP (Drought Prone Area Programme) for the State of Rajasthan. Various central and state governmental reports related to the Water resource development in the Tribal Sub-Plans (TSP) area were used for the interpretation. Suitable cartographic techniques were also used for representing and analyzing the collected data and observations.

The Study Area:

Udaipur district is situated in the Aravali range in southern-west part of Rajasthan. The present study area is Kotra block of Udaipur district. This block is a remote and tribal dominated block (Panchayat Samiti). It has 32 Gram Panchayats and a total of 266 revenue villages. The block is lying in south-west of Udaipur district, between 23° 32' 28.98" N to 24° 45' 04.78" North latitude and 73° 06' 00.78" E to 74° 02' 00.77" East longitude covering an area of 1191.51 Sq. Km. The block bordered in the north with Pali and Sirohi districts of Rajasthan, in the South it shares state border with Sabarkantha and Banaskantha districts of Gujarat State. As per population census 2011, total population of Kotra block is 2,30,532. Kotra is a tribal dominant block with 2,20,905 persons belonging to the Scheduled Tribes, constitutes 95.82% of the total population (Table: 01).

Table 01: Scheduled-Tribe Population Composition in Kotra Block, Udaipur District

Sr.No.	District/Block	Total Population	Population of Scheduled Tribe	Population of Scheduled Caste
1	Udaipur	30,68,420	15,25,289 (49.70%)	1,88,525 (6.16%)
2	Kotra Block	2,30,532	2,20,905 (95.82%)	1,695 (0.73%)

Source: Population Census of Rajasthan, 2011

Therefore, Kotra block is listed under Tribal Sub-Plan (TSP) area and selected for the study area. Geographically the study area has mountainous terrain with a very narrow strip stretching towards the north and south-west, which can be used as an advantage for creating functioning watersheds.



Drought Perceptions: A Relative Phenomenon

Drought is relative phenomenon of long continued dry weather conditions, which causes the depletion of ground water, exhaustion of soil moisture and reduction of stream flow. Drought is conventionally categorized in meteorological, hydrological and agriculture drought. The various forms of droughts are linked to each other through the water-cycle (NCA, 2013). Many others socio-economic or economic aspects have included. The concept of drought varies from place to place depending upon weather conditions, available water resources, agricultural practices, traditional knowledge and the various socio-economic activities of a society.

The various approaches have been taken by scientists and non-scientists to define social and economic drought and their complex or interdisciplinary nature. Social drought relates to the impact of drought on human activities, including direct or indirect impacts and economic drought relates to the meteorological anomaly or extreme event of intensity, duration, outside the normal range of events that enterprises and public regulatory bodies have normally taken into account in their economic decisions (Benson and Clay, 1998). The study tries to define the social, economical and physical aspects of droughts and its nature of vulnerability on tribal communities of Kotra block.

Changing Conditions of Kotra: Water availability to Scarcity Geographically Kotra block lies in an entire metamorphic, undulating terrain. Low soil fertility, denuded wastelands with rock outcrops and high rate of soil erosion, were the typical features of area. Here the rainfall is erratic,

in 2016 the region received only 898 mm rainfall, in 2017 the rainfall was 1059 mm, in 2018 it was 789 mm and in 2019 the block received 699 mm, which included 92 percent rain fall over in 28 days only (Table 02). The rainfall variability within the Kotra block fluctuates between 32% and 41%. The lowest 12% variability was observed during the year 1981 and the highest (41%) in the years 2006 (IMD, 2019), this kind of rain causes more harmful because away a lot of soil. this create the flash flood situation and it washes away a lot of soil.

Table 02: Rainfall Profile of Kotra Block (2016 to 2019)

Sr.No.	Year	Total Rainfall in mm.	Rainy Days	Highest Rainfall in mm.
1	2016	898	54	65
2	2017	1059	40	238
3	2018	789	33	152
4	2019	699	39	164

Source: IMD, 2019, "Meteorological Monograph: Hydrology NO.15/2019 Rainfall Profile of Udaipur", India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, GOI: New Delhi

Rainfall variability and uneven distribution have also varied significantly over the period under study. The variability of weather patterns estimated from social, economic, agriculture, water resource and forest indices, suggests that Kotra is among those areas/blocks most vulnerable to water scarcity. Since last three decades the tribal communities of Kotra block has been gradually shifting the trend of occupation from forest based to agriculture. Whereas, the major portion of the population in the block is scheduled tribes (95.82%), with very poor literacy rate (15.8%).

About 78 per cent households were consuming the total agriculture/food production and had no surplus to sell. The dependency on mediators or Sud-khore (moneylenders) is very common practice in the study area. Livestock owned by villagers were unproductive due to severe untrained genetic erosion and fodder scarcity due to rainfall failure. Illiteracy, lack of transfer of tradition water conservation knowledge, miss-management of planning's and migration having deep rooted issues causes severity of drought in the tribal (Garasia, Damor, Ahari, Gameti, Kathodi, Bheel and Meena) communities.

Impact of Drought and its Implications

The impact of a drought at every level (Country to Village) could be direct or indirect and varies in nature and degree. At

the block level the impact is largely on the water availability, livestock, procure food and agriculture. The impact also varies according to the structure of society/community of village/pal. Here, impacts were in a considerable increase of food insecurity, water scarcity and loss of livelihoods of the nature based tribal communities. Marginal and small farmers of tribal community are more vulnerable to drought because of their dependence on rain-fed survival agriculture and related activities. As a consequence, unemployment increases and tribal's are most vulnerable group isbeither forced to migrate, work at lower wages or live in near hunger conditions. In the following section analyze the impact of water scarcity and its implications on agriculture, livestock and livelihood on tribal communities:

(i) Agriculture: During the field investigation we observed the drought impacts on Kharif crops (Corn, Maize, Urd, Sorghum, etc.) are relatively more adversely affected than Rabi crops (Gram, Wheat, Rapeseed & Mustard, etc.). The intensity of drought means the percentage of villages/pals and number of peoples affected by drought in a given year. As 87 per cent of rainfall takes place in the monsoons season, winter rains are limited in the area. To cope with the rainfall variability, people have adopted mix-farming system. Many times, the distribution of rainfall were affecting the grain output severely but a lot of fodder is produced to sustain livestock (Mathur, 2003). Severe droughts are rare but annual dry periods may lead to crop failure as well. Despite frequent droughts affecting agricultural output, there is an increasing observed trend of changing/substituting food habits (in Dewla, Bekariya, Malwa Ka Chora villages), nature of migration (Dhadhmata, Nathara villages) and shifting of dependency from nature to other loubaring occupations in most of the villages of block.

(ii) Livestock: The study observed the impact of drought on livestock is manifested in way of mortality, fertility and health of their domestic animals. The census of livestock is conducted after every four years irrespective of weather, but it does not capture the true picture of drought impacts on animals. It was observed that goats and sheep followed by cows were the most vulnerable animals in the block. The declining ratio of animal population is in between 18 to 32 percentage of the total. The losses of goats were

much higher (48% to 62%), and large numbers of cows (42% to 56%) were abandoned due to starvation and acute shortage of water and fodder. The remaining goats, sheep and cows became weak and sick, but relatively mildly compared to large animals (Rathore, 2003). They are mainly grazing animals and depend on common property resources like as forest, wasteland and grazing lands. Migratory practice for small animals is traditional pattern in the region. In case of widespread drought, they are taken out of the state to Gujarat (preferably Khed-Brahma, Edar and Sabarkantha towns).

(iii) Livelihood: Livelihood of tribal communities is affected by water stress in many ways in the block. In term of livestock perish, shifting dependency on nature, change of occupation, forced to migrate from the region in search of jobs or survival. Through government schemes the affected population received food and cash from the state and central governments. Drought has a significant impact on the occupations of people, as tribal peoples traditional depending on nature and nature products (Kakade, 2000). But after severity of water crisis more than 85% of tribal peoples of block were forced to join the labour work outside the villages/pal. Therefore, tribal people also (39%) migrated from the block area to nearby towns of within state (Aabu-Road, Pindwarha, Udaipur, Rajsamand as a mining labour) or (54%) outside the state (Eder, Khed-Brahma, Ahmedabad as daily wage worker), on low wage, over time and distress conditions. It is also observed that not only signal but also the whole families become bonded labourers for short periods of 4 to 6 months until the peoples. next rainfall season, this hardship faced by poor tribal

Strategy against Drought: Water Resource Management

The effort is about improving livelihoods of the tribal society by managing water and land resources. The study involves formation of community participation among the community groups. These groups undertake construction of water harvesting structures like loss stone check dams (bandhas), Med/paal to harvest rain water which would otherwise flow off. In the catchment area of the earthen check dams, where the land is extremely undulated, plantation and terracing, gradient levelling and field bunding is done to make these wastelands cultivable. On societies at the pal/village to block level. These groups play a bridge role

to make arrangement and co-operation among the governmental, Non-governmental and local other tribal communities to mitigate the drought harshness. Community participation and their contribution to build structure found in different format from Magra Panchayat, Pal Panchayat, Gram-Sabha level-Panchayat, Panchayat Samiti level/village area to block level. The rate of success and effectiveness is observed high from higher to lower/local level participation.

Conclusion and Suggestions

Development of tribal communities through education, poverty, reduction, employment opportunities and water management will be the part of strategy to mitigate the drought severity and reducing its impacts. It may be work slowly, but needs to be revised in the context of depleting natural resources base of the tribal communities. Water resource development through community participation in this tribal dominated block Kotra should be the best strategy against drought. High priority should be given to traditional/conventional techniques of water resource management and conservation. This study recognizes the requirement of more structures and practices in the area to keep a reliable source of water for the local demand. The people needs a sustainable way to conserving water resource throughout the year with the concept of "Kud ka Pani Kud me, Khet ka Pani Khet Mein, Goan ka Pani Goan Mein" means village water should be within the village boundary and farm-land water should be in farm land. So, tribal communities should be encouraged for traditional integrated utilization of water resources to mitigate the drought impacts.

References:

1. Annual Report of Ministry of Tribal Affairs 2013-14, Government of India, New Delhi.
2. Benson, C., and Clay, E., 1998, "The Impact of Drought on Sub-Saharan African Economies: A Preliminary Examination". Technical paper No. 401, World Bank, Washington D.C.
3. District Rural Development Authority, 2014, "Tribal Sub-Plan Report 9/64 of DRDA", DRDA, Udaipur.
4. Food and Agricultural Organization, 1998, "Sustainable Development in Famine/Drought-Prone Areas: Approaches

and Issues", FAO, Rome.

5. Government of Rajasthan, 2002 "Drought Prone Area Programme: Draft Annual Plan 1983-84 and 1984-85 Rajasthan", DPAP: Jaipur, pp. 48-53.

6. India Meteorological Department, 2013, "Meteorological Monograph, Hydrology NO.15/2013 Rainfall Profile of Udaipur", India Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences, GOI, New Delhi.

7. Kakade, B.K., 2000, "Combating Drought in Rajasthan through the Watershed Approach", LEISA (Low External Input and Sustainable Agriculture), India., Vol. 2 (3), Bangalore, pp18-40

8. Mathur, K., and Jayal, N.G., 1993, "Drought, Policy and Politics in India: The Need for a long-term perspective" Sage Publications, New Delhi.

9. Mehta, Lyla., 2005, "The Politics and Poetics of Water: Naturalizing Scarcity in Western India", Orient Longman Private Ltd., New Delhi.

10. National Commission on Agriculture, 2013, "Don't Waste the Opportunity This Time", Government of India, Ministry of Agriculture, New Delhi.

11. Rathore, M.S., 2003, "Community Based Management of Ground Water Resources: A Case Study of Arwari River Basin", British Geological Survey., U.K., Wallingford.

12. Rathore, M.S., 2004, "Adaptive Strategies to Droughts in Rajasthan", Institute of Development Studies, Jaipur.

13. Report on Udaipur district, 2010, Ground Water Scenario, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, Government of India, New Delhi.

Dr. Dheeraj Kumar

Assistant professor

Department of Geography

S. B. D. Government

P. G. College sardarshahar



Abstract :

Air pollution is caused by the role of chemicals, micro-matter or organic matter in the environment which causes harm to human beings or other living beings and the environment. All the elements in air have a limit. If these elements exceed the limit. That is, if their concentration in the air becomes more than normal, then these elements are called pollution, pollutant can be divided into two parts .primary and secondary pollutants. Primary pollutants are those elements which are directly formed by a process such as volcanoes, ash from eruptions, so₂ gas released from factories, carbon monoxide gas from vehicles, etc. The secondary pollutants are not emitted directly. These pollutants are formed when they react with the primary pollutant. Some pollutants in the air like so₂ NO, O₃, CH₄ etc. are found. Nowadays air pollution has become a big problem. At the same time, many types of diseases are spreading due to pollution and this problem is even more serious in the cities. In this paper, we will study about the air pollution of Gurgaon city and its air quality and its impact on health.

Keywords: Gurugram city ,Air quality index , Human health.

Introduction

Air pollution has emerged as a biggest problem in modern times and this problem is found most severely in the cities. There are many reasons for this. Industrialization and more number of vehicles in cities than in villages. This is the biggest reason. This problem started when humans invented fire and started mining nature. But then nature was able to balance this. As time went on, this problem became serious as man started over-exploiting nature. In terms of air pollution, the 10 largest polluted cities in the world are in India. Therefore, this is the most serious problem for the country of India. PM 2.5 is a fine particles that is about 30 times smaller than a human hair. PM 2.5 is called the silent

killer. PM 2.5 is a pollutant that forms haze and fog and enters human lungs through inhalation and causes many diseases. Around 7 million people were estimated to died from exposure to Indoor and outdoor pollutants in 2012 by the WHO. India has 18 cities with the highest increase in PM 2.5 from 2010 to 2019. This has been disclosed by the Health Institute of USA in one of its reports.

Objectives:

(i) To examine the air quality in Gurugram and its impact on human health.

(ii) To find out cause of air pollution in Gurugram city

Materials and Methods

Haryana is a fast developing state of north India situated at 30° 30' N, 74° 60' E and around 210-275 m above mean sea level with an area of 44,000 Km². Gurugram was selected for the air quality and its impact on human health. In Gurgaon in the last few years the problem of air pollution has increased a lot due to industrialization and increase in the number of vehicles in the residential areas. In this study, we have used secondary data and maps and newspapers.

Study Area:


Gurgaon is the second largest city in Haryana. It is the industrial, corporate and financial hub of the state. Gurgaon is the neighbouring city and one of the satellite cities of Delhi, the national capital. It also comes in the National Capital Region. The city is around 280 km south of Chandigarh, the capital of Haryana. The city comprises of a huge contrast between old Gurgaon and new Gurgaon. The old Gurgaon is congested with poor infrastructure; while the new Gurgaon has well planned infrastructure with huge skyscrapers and buildings. In the past two decades the city has undergone a rapid growth and transformation.

Location: Gurgaon is located in the southern part of the state of Haryana. The city comes under the district of Gurgaon which has a total area of 1,215 sq km. The city's geographical coordinates are 28.47°N 77.03°E and comes under the time

zone of GMT/UTC + 05:30 hour.

Population: The population of Gurugram as per the 2011 census is 1,514,085 with a population growth at 73.93% since the last census. The official language of Gurugram is Hindi and Punjabi which is used by all sections of people in the city.

Location Map Of Gurugram



Air quality index

(AQI) The Air Quality Index (AQI) was calculated using the method suggested by Tiwari and Ali (1987). First of all, the air quality rating of each pollutant was calculated by the following formula: $Q = \frac{Vs}{V} \times 100$ Where, Q represents quality rating, V the observed-value of the pollutant and Vs the standard value recommended for that pollutant. The Vs values used are as National Ambient Air

Quality Standards for different areas. If total 'n' number of pollutants were considered for air quality monitoring, geometric mean of these 'n' number of quality rating is calculated in the following way: $g = \text{antilog}(n) \cdot \log \log 10$

Air Quality in Gurugram: Gurugram is among the worst affected cities by air pollution. In 2018, it ranked number 1 as the most polluted city in IQAir

AirVisual's 2018 World Air Quality Report³. In March 2019, Gurugram was again named the 7th most polluted city in the world by the IQ Air's World Air Quality Report 4. Gurugram has four air quality monitoring stations at the following locations: NISE Gwal Pahari, TERI Gram, Gurugram University in sector 51 and Vikas Sadan. These stations record ambient concentrations of various pollutants which are then used to arrive at an air quality index 5.

While the data from these stations suggests that the level of both PM_{2.5} and PM₁₀ have been well above the prescribed standards, the levels have shown a slight decrease over the years 6. Recently, an air lab has been operational since October 2020 that monitors air-pollution data from 24 air-monitors located across the city. The Municipal Corporation of Gurugram(MCG) is working on individual action plans for reducing air-pollution at 14 hotspots across the city⁷.

Air Pollution Sources

The typical sources of air pollution involve emissions from vehicles, industries, thermal power plants, DG sets, residential sources, among others. In Gurugram, other sources contributing to air pollution are the construction activities, road dust, waste combustion, and seasonal stubble burning. Increasing dust from the Thar desert due to ongoing destruction of Aravalli range is also a concern.

Vehicles: The limited public transport options in Gurugram result in high vehicle ownership and pollution. The city has one of the highest vehicle ownership rates in the country – i.e. 323 cars per 1,000 people, which is higher than in Delhi (88 cars per 1000 people). In Gurugram, 43 per cent of the households own two-wheelers and 33 per cent own cars. Bus numbers have not increased appreciably in the city and are 50 per cent less than the service level benchmark of 60 buses per lakh population (it was 31 per lakh in 2014-15)¹³.

Diesel generator sets: Haryana government authorities estimate that, at present, more than 14,000 diesel generator

sets are running in Gurugram (2019). Besides shopping malls, markets and offices, thousands of residential apartments run on diesel generators as well. A study by Centre for Science and Environment (CSE) in 2018 reported that the use of diesel generator sets increases the level of PM_{2.5} and PM₁₀ in Gurugram by 30 percent. Though Gurugram lacks a dedicated source apportionment study to determine the exact levels of pollution caused by various sources, some studies covering the entire NCR region have estimated the sectoral shares in pollution at various towns in NCR, including Gurugram. The ARAI and TERI report (August, 2018) estimated the sectoral shares in PM_{2.5} and PM₁₀ pollution during summer and winter season based on dispersion and receptor modelling techniques. The major sources considered were vehicles, dust (road, and construction, and soil dust), industries, biomass, and others (DG sets, refuse burning).

Burning of waste

Connecting Golf Course Road with Sohna road, this road has witnessed a sudden increase in traffic movement in the last three years, with several buildings coming up in sectors 61, 62 and 66, and residents moving in. Waste burning is a major problem here. Residents claimed 2-3 cases of waste burning in this area are reported almost every day. "We need to keep our apartment doors and windows shut, as black smoke keeps billowing from waste burning nearby,

Health Impacts :

1) Exposure to high level of air pollution can have adverse impact on the health of the citizens. It increases the risk of stroke, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer and acute respiratory infections. The impact varies with nature and concentration of pollutants, exposure, health and age of the receptor. Air pollution also causes several mental health complications such as impairment of cognitive abilities⁹, increased risk of dementia and adverse effect on the development of infant brains¹⁰. In addition, a recent study by Harvard University found that patterns in Covid-19 death rates generally mimic patterns in both high population density and high PM_{2.5} exposure areas. An increase of 1 µg/m³ in PM_{2.5} is associated with an 8% increase in the COVID-19 death

rate¹¹. The AQLI report by University of Chicago's Energy Policy Institute in 2020 found that exposure to PM_{2.5} — the most prominent pollutant in the city air — is potentially reducing the lifespan of the average citizen in Gurugram by 8.8 years compared to 5.2 years as the national average. Therefore, if PM_{2.5} was brought to a level under 10 µg/m³ prescribed as WHO Guideline, the citizens could then potentially add 8.8 years to their lives. The report, titled 'Air Quality Life Index' also found that the average annual level of PM_{2.5} in the city increased by 41 µg/m³ between 1998 and 2016, which experts said is alarming compared to the national average rise of 22.1 µg/m³, recorded during the same period. Carbon monoxide is a harmful gas due to which it enters our lungs and due to this there is a lack of hemoglobin in the blood. The reason for this is even though there is enough oxygen in the air. We feel difficulty in breathing and we feel suffocated. Sulfur dioxide is a terrible and most affecting gas, due to which the muscles we have, swell and we feel burning in our eyes

Conclusion

Based on the study, it can be easily concluded that Environmental Pollution is One of the Biggest Problem Caused by Human Activities. 80% of Air Pollution in Urban Areas due to Automobiles. Every Kind of Pollution leaves negative Impact on Our Environment, Human lives, animals ect. Particle of 2.5 PM and Laser Diameter are Most Harmful to Human health (central Pollution Control Board). The increase of harmful gases in the environment is causing acid rain and the depletion of the ozone layer. In Order To Reduce The Level Of Air Pollution we should bring some huge Changes to our habits on daily basis. We should make sustainable transportation choices. we should take advantage of public transportation walk or ride bikes, when whenever possible consolidate our trips and consider purchasing an electric car. smoke free fuel should be used. The problem of pollution in the atmosphere can be avoided by the use of hydroelectricity. Coal must be smelted before being used as an engine, which can reduce atmospheric pollution. CNG gas should be used instead of petrol and diesel which will help in reducing air pollution in Gurugram. While setting up industries, it should be kept in mind that they should not be located in Residential areas, they should be established in

open places outside the city. Factory's chimney should be high. The chimney of the thermal power house should still be high. This can reduce the effect of air pollution to a great extent. While setting up industries outside the cities, it should be kept in mind that there is less air coming from the factories to the cities. This can also reduce air pollution. Planting trees is the biggest weapon in fighting the problem of atmospheric pollution. Trees act as the lungs of the environment. They absorb CO₂ gas from the atmosphere, release oxygen gas and purify the air. Leaves of plants have the ability to absorb sulfur, dioxide and nitrogen gas and purify the air.

References:

- 1) WHO/UNEP Report: (1992), Urban air pollution in megacities of the world.
- 2) World Health Organisation and United Nations Environment Programme, Blackwell Publishers, 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF Cambridge, UK.
- 3) World Health Organization, Geneva. WHO (1999), 'Guidelines for air quality', World Health Organization, Geneva.
- 4) <https://www.iqair.com/us/blog/press-releases/IQAir-AirVisual-2018-World-Air-Quality-Report-Reveals-Worlds-Most-PollutedCities>
- 5) <https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities/world-air-quality-report-2019-en.pdf>
- 6) <https://app.cpcbcr.com/ccr/#/caaqm-dashboard-all/caaqmlanding/data>
- 7) <https://www.hindustantimes.com/gurugram/mcg-working-on-action-plan-for-14-most-polluted-areas-in-the-city/storyw63bEwEF1qnES4mCxsX9kK.htm>
- 8) Zhang, Xin & Chen, Xi & Zhang, Xiaobo. (2018). The impact of exposure to air pollution on cognitive performance. Proceedings of the National Academy of Sciences. 115. 201809474. 10.1073/pnas.1809474115.
- 9) <https://www.unicef.org/press-releases/babies-breathe-toxic-air-south-asia> 15.
<https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm>
- 10) Anumita Roychowdhury and Shubhra Puri 2017, Gurugram: A framework for sustainable development, Centre for Science and Environment, New Delhi.

11) https://m.timesofindia.com/city/gurgaon/10-reasons-why-gurgaon-is-among-worlds-most-polluted-cities/amp_articleshow/64035907.cms

Nisha

Research Scholar

Department Of Geography

Baba Masth Nath University, Rohtak

Email id. Nishaj074@gmail.com

Reforms needed in Indian Criminal Justice System : An Analytical study

Dr. Renu Chaudhary



ABSTRACT

The subject of criminal justice reforms in India has received considerable attention in recent years due to undue delay in investigations, framing of charges and the conduct of trials. The principal purpose of criminal justice administration is to preserve and protect the law, which includes, enforcement of law, maintenance of order, fair and speedy trial, punishment of offenders, and rehabilitation of offenders through correctional system to victims of crimes. Criminal cases are pending in courts from several years and in some cases more than 15 years or more and number of under trial prisoners languishing in jails are increasing day by day. The different sub-systems of criminal justice system, like police, prosecution, judiciary and correctional institutions have not been able to meet their goals and people have lost faith in existing Criminal Justice System. Now a days criminal justice system has failed to deliver speedy and prompt justice to people and ensuring certainty of punishment to perpetrators of crime. The researcher tries to find out the reasons for the delay in justice and give certain suggestion to make the criminal justice system more effective. This article also focuses on the problems faced by the sub-system of Criminal Justice System in exercising the delivery of Justice.

Key Words: Reform, rules, speedy trial, punishment rehabilitation, Crime and Justice.

Introduction

Criminals are not born but made by situations of the society. Many criminals or offenders attempt criminal or unlawful activities of their anger or lack of patience. Some offender after the crime feel bad about their criminal activity and they want to recover from it. Hence the prisoners must be considered as sensitive human beings. This is difficult but essential goal. And the issue is whether existing law or provisions may help to deliver promptly and effective and cheap justice to the victim of crime or not. The legislative has

great importance in criminal justice system of a state. They make the laws that tell us what behavior is forbidden and provide penalties for engaging in unlawful activities. These laws give power to the courts to decide guilt or innocence, and the correctional sub-systems to punish or attempt to rehabilitate the convict. So that the offenders can readjust in the society, hence the functioning of our criminal justice system begins with the enactments of legislature. The criminal justice system is a system, which comprises organizational arrangement, consisting of different components working jointly or individually towards a specific goal.

Legislatures can enact thousands of laws, but if the police fails to act, the law can be violated with impunity: If citizens are unable to go about their daily work in a safe manner, one would be forced to say that the govt. has ceased to operate effectively. The major problem of the future is that of the protection of police from political attacks." As police is the prime law enforcing agency, Political interference in law enforcement has also prevented the police to act impartially and treat all men equal under the law. The activities of the police not only center around the enforcement of various laws, but their free functioning is also governed by the process of laws. In this area of accountability to the law of the land, the police activities come under very close scrutiny of the judiciary. In other words, the accountability to the law is ensured by judicial review at several stages. To sum up there are three-fold accountability of the police, to the people, to the law and to the organization. Another component of criminal justice system is Prosecution. The prosecutor is the person, who determines whether an alleged violator will be processed by the judicial sub-system. If the prosecution feels that the case is appropriate, then formal charges are framed. The prime function of the court is to impart free, fair, speedy and impartial justice. The judges have to discharge their

functions with utmost care and caution so that the public confidence in judicial process is not shattered. The judiciary shall decide the matters before it, impartially, on the basis of facts and in accordance with law, without any restrictions, improper influences, pressures, threats, or interferences, direct or indirect for any reason.

The correctional services, which include the prison as well as other rehabilitative institutions like probation, juvenile justice and correctional homes, can be viewed not merely as agencies to reform the offenders, but as an index of their efficacy of the entire criminal justice system. Thus these sub-systems of criminal justice system are by no means exclusive of one another. What is done in one area has a direct effect upon the other and they interact at many points in the criminal justice process.

Objectives Of The Study

- To examine challenges and various loopholes under the existing law
- To ascertain the actual position of human rights in CJS of India and to discover the protection of victim and their human rights under CJS.
- To approach the failure of state machinery to implement the acts.

Scope Of The Study

The present study is to cover up the constitutional provisions with leading cases of apex courts. Efforts shall be made to examine the awareness in general public towards the right of the victims. An attempt is also made to examine loopholes and suggestion to reform CJS which may be helpful to the researchers in many ways.

Research Methodology

For this research work secondary data/ sources of information have been utilized. The other sources are standard reference books, supreme court cases, AIR, criminal law Journal, magazine and newspapers. The research method used in the proposed study is analytical, comparative and critical in nature.

Challenges of Existing Criminal Justice System: -

The common man has no idea of the inherent lacunas in Criminal Justice System and he is surprised when he finds that he does not get the relief or remedy, which he expected and finally he loses faith in the system.

There is also a lack of coordination between police and prosecution. The ultimate success of police investigation depends on the competence of the prosecuting agency in collecting the evidence and presenting the same before the presiding officer of the court in a convincing and effective manner. The learned judges of Delhi High Court observed in Jessica Lal murder case that public prosecutor failed to produce case convincingly. If the course of a trial is inordinately long, the chances of miscarriage of justice are more and expenses of litigation increase alike.

In 1978, The Law Commission of India, headed by Justice **H.R. Khanna** observed that:

"The problem of delay in disposal of cases pending in law courts is not a recent phenomenon. It has been with us since a long time. This has subjected our judicial system, as it must to severe strain".

Impact of delayed justice lies in overcrowding in jails. Its principal causes are unnecessary detention of under trial prisoners and the heavy influx of short term convicts as an inevitable consequence of unnecessary detention, under trial prisoners contribute bulk of India's prison population. The plight of under trial prisoners was highlighted in Hussainara Khatoon' case by Supreme Court of India. As we approach the 21st century but delay in Justice has brought a frustration amongst the litigants. Cumbersome procedural law and the grant of unnecessary adjournments on the mere asking or on account of "strike call" add to the problem.

The high cost of litigation is yet another challenge, we must admit that even after 75 yrs. of independence, when we are celebrating Amrit Mahotsav the poor and weaker sections of the society, do not feel that they have equal opportunities for securing justice because of their socio-economic conditions, though the govt. has enforcing and supporting the **National Legal Services Authority Act.**

Delay in courts like a cancer which kills the entire judicial system of the country.

In India, the right to speedy trial is an integral and essential part of the fundamental right to life and liberty under Article 21 of the constitution of India. Supreme Court held in case title A.R. Antulay Vs. A Nayak! case held that right to speedy trial is implicit in Article 21 of the constitution and this constituted a fundamental right under

article 14 of every person accused of a crime. In Hussainara Khatoon Vs. Home Secretary, State of Bihar," the Supreme Court observed "Now obviously procedure prescribed by law for depriving a person of his liberty cannot be 'reasonable, fair, or just' unless that procedure ensures a speedy trial for determination of guilt of such person. No procedure which does not ensure a reasonably quick trial, can be regarded as 'reasonable, fair or just' and it would fall foul of Article 21

The Govt. of India constituted a Committee on 24.11.2000 for Reforms of Criminal justice system under Justice VS. Malimath, which submitted its Report on 21.04.2003. As per Committee, the ultimate object of the system is to render justice, which means punishing the guilty and protecting the innocent. The Committee recommended that the system must focus on justice to victims. The important institution of prosecution of Criminal justice system has been weak and somewhat neglected. Its recruitment, training and professionalism need special attention. The Committee felt that there is gross inadequacy of judges to cope up the enormous pending and new inflow of cases. Though in India government has created "Fast Track Courts" scheme for dealing with the session's cases. But additional courts are still needed.

That despite various measures adopted by the government to deliver justice to people. But still they fail to earn the faith to people in criminal justice system.

Conclusion And Suggestions To Improve Criminal Justice System

Criminal Justice is a state of policy ambiguity hence India needs to draft a crystal clear policy that should inform the changes to be envisaged in Crpc and IPC. More over all reforms will be futile unless simultaneous improvement is made in the police, prosecution, judiciary and prisons. Our legislature or policy makers need to focus on reformative justice in order to bring piece in the society and for that malimath committee reports and Madhav Menon reports and their recommendations should be implement.

Some suggestions are as under-

1. Knowledge and awareness of human rights are the most important for a democratic country hence accused should be made awareness of the human rights available to them

under the international human rights as well as national laws.

2. Adjournments on false grounds must be stopped and lawyers' strikes be curbed.

3. Justice should be made less expensive. People avoid taking their cases to courts due to high rates of fees of lawyers.

4. Measures should be adopted for witness protection.

5. The vacancies in courts should not remain unfilled.

6. The legislature should be careful in multiplying the number of criminal laws.

7. Impartiality of the police in law enforcement must be maintained and thereby basic human rights of citizens must be upheld and protected.

8. The time of police investigation must be time bound and in case of delay compensation should be given to the victim of crime.

9. The performance of police should be evaluated every year by the government.

The excessive political pressure on CJS should be reduced by the ruling party.

As a famous saying goes that "let go of a hundred guilty, rather to punish an innocent". We need to understand that inflicting a punishment upon someone changes his mental, physical and social status drastically. Thus while administering criminal Justice, Utter carefulness has to be executive, or else the wary principles of justice would go for a toss.

Dr. Renu Chaudhary

Incharge

Faculty of Law

Gurugram University, Gurugram

rcadvocate167@gmail.com

Abstract

The cropping pattern of a crop determined by the number of factors in an area of production, and also determines the food habits of the local population. There are many changes take place in the cropping pattern of bhiwani since the Green Revolution during the 1960s to dates. The present research paper is attempted to present an analytical account of patterns of crops in the Bhiwani district. Analysis reveals that the sown area and yield under different types of crops suffer from temporal as well as a spatial variation over the reference period of the study i.e. 2020-21 across the Bhiwani districts of Haryana. The Cropping pattern of bhiwani highly affects by the green revolution because it enhance the production and price of wheat and rice which affects the mindset of the farmers. However, the present pattern of farming in the Bhiwani has completely been transformed from intensive farming to market-oriented forming of the crops for profit-making business. Extensive market-oriented agriculture farming in bhiwani has affected the soil fertility, underground water table, nutritional value of crops and environment as well. Keywords: Agriculture-System, Cropping Pattern, Fertility, farmers intensive farming.

Introduction: Cultivated crops are usually grown in combinational association (Weaver, 1954). Crop combinations or associations are now recognized as important typological characteristics of agriculture (Pande and Saxena >1972). Due to physical and cultural variety of land, the farmers of a region grow many crops rather than a single crop. Therefore the distributional pattern of crops gives lift up spatial prevalence of certain crops or combination of certain crops resultant in the coming out of crop regions. A study of crop combinations forms an essential part of agricultural geography, and such a study is greatly helpful in regional agricultural planning, especially to optimize crop farming. Crop concentration or

diversification is the result of variety in agro-climatic, topographical and socio-economic conditions as well as intensity of irrigation technological level and institutional factors. The objectives considered in the present paper. The concept of crop combination appear to be valid as it makes possible the establishment of are differences on the basis of area wise dominance of crops that are specially related and occur together in varying strength. The complexity of the crop can easily be studied with delineation of the varying crop association. This delimiting is very beneficial for a better understanding of the agricultural situation. For such a study attempts should always be made to collect data of cultivated crops at the smallest possibly level (operational holding), so that maximum diversities may be traced and understood. Weaver (1954) has pointed out the following three major particulars to highlight the basic significance of the geographical pattern of crops. 1. A knowledge of the character and extent of the crop combination is essential to an adequate understanding of the geography of individual crops that hold variable position within than. 2. The crop combination is an interrogative reality that demands of definition and delineation and analysis.

3. Such a region is a construction of essential agricultural facts that must be available, if one wishes to build a still more complex structure of valid agricultural region. From the above three steps we conclude that the study of crop combination constitute a significant aspect of agricultural geography, as it provides a good basis for regional planning. In recent year, owing to its importance the problem has engaged the attention of geographer and agricultural land-use planner alike. The studies in this field range in approach from topical to regional or the entire Country. Different method applied in the delineation of crop combination region can be summed up under the following headings: First, in some cases crop region are developed by making arbitrary choice of crops, e.g. first ranking crops, second


ranking crops, etc. These highlight certain differences which are relative not absolute. The second method, being based on statistical approaches more accurate, scientific and popular. In the present an attempt has been made to delineate the pattern of crop combination in Bhiwani district by applying doi's method. Bhiwani district produces a large number of crops these crops are grown in combinational association, where a number of crops are cultivated side by side in the same season or in rotation with other in the same field in a year. An isolated geographical study of any of these uses a practical picture of the integrated network of the agricultural landscape and its land utilization. Thus, to draw a comprehensive picture of broad mosaic of cropped land use in Bhiwani district is systematic study of the character and extant of its crop combination pattern seems imperative. The delineation of crop reason, thus determined, reveal agricultural activities and specialization of crops in an area. The pattern of crop combination reason that will emerge from the delineation might also serve the purpose in balanced regional planning of agriculture.

There is some limitations in the weaver's method. The main difficulty in the weaver's method is that it require long and too many calculation and occasionally leads the least deviation for a crop combination that includes every crop occupying as much as one percent of the total cropped area. Such generalized results generally occur in areas where large number of crops is raised Kikukazu doi's (1959) modified method substitutes the standard deviation with the sum of squared differences. A crop combination having the smallest d^2 is found by consulting a "sheet table", where one is required to sum up the percentage instead of squaring the differences.

In the doi's method the main limitation is that it excludes the significant crop, e.g. if two crop cover 60% of the area and the third crop occupy 20% of the area, than the third crop is not included in the crop combination. But in the cases of Bhiwani District Doi's method gave good results which compare well with the pattern of the soil and intensity of irrigation.

Study Area :-Bhiwani is between the north and north 28°22'00" and the latitude of 29°04'35" and between the eastern 75°28'00' and the east longitude 76°28'45.' It has an

area of 3432 sq.km that is 10.8% of the State 's overall area and the number one spot. This occupes 3373.93 sq.km in rural areas and 58.07 sq.km in metropolitan areas. In the south west region of the state is Bhiwani district. The form is lightweight. The district is bordered by Hisar in the north, Mahendragarh in the south, Rohtak and Jhajjar in the eastern frontier. Rajasthan City falls to the west and south-west.



Crop combinations according to 1990-91: There were nine crop combinations in Bhiwani district. The most important crops were gram, bajra and wheat, while pulses as a crop lost its representation in the crop combination. The nine crop combinations in 1990-91 were as under:

- (1) Bajra- Gram- Gwar :- This crop combination covers fifty percent areas of the southern and western parts of the district. Where bajra & gwar was the main crop of kharif season and gram was the Rabi season crop. In this combination Gwar was cropped as a fodder crop. Bajra was first ranking crop in this part, while gram had second position and Gwar had third position of this area.
- (2) Gram- Jowar- Bajra:- This crop combination was covered the middle part of the district. Where bajra & Jowar was the main crop of kharif season and gram was the Rabi season crop. In this combination Jowar was cropped as a fodder crop. Gram was first ranking crop in this part, while Jowar had second position and Bajra had third position of this area.
- (3) Bajra-Gram- Jowar:- This crop combination was covered the Northern part of the district. Where bajra& Jowar was the main crop of kharif season and gram was the Rabi season crop. In this combination jowar was cropped as a fodder crop. Bajra was the first ranking crop of this part, while Gram was the second ranking in this part and Jowar was the third position.
- (4) Gram- Bajra- Cotton:- This crop combination was covered the Northern

part of the district. Where Bajra & Cotton was the main crop of kharif season and gram was the Rabi season crop. In this combination cotton was cropped as a cashed crop. Gram was the first ranking crop of this part, while Bajra was the second ranking in this part and Cotton was the third position. (5) Wheat-gram –Cotton :- This combination covered the north-eastern parts of Bawani Khera tehsil. Where Wheat & Gram was the main crop of Rabi season and Cotton was the kharif season crop. In this combination cotton was cropped as a cashed crop. Wheat was the first ranking crop of this part, while gram was the second ranking in this part and Cotton was the third position. (6) Gram- Bajra- Wheat :- This combination covered the eastern parts of Bhiwani tehsil. Where Wheat & Gram was the main crop of Rabi season and Bajra was the kharif season crop. Gram was the first ranking crop of this part, while Bajra was the second ranking in this part and Wheat was the third position. (7) Gram- Jowar- Wheat :- This combination covered the south-eastern parts of Bhiwani tehsil. Where Wheat & Gram was the main crop of Rabi season and Jowar was the kharif season crop. In this combination Jowar was cropped as a fodder crop. Gram was the first ranking crop of this part, while Jowar was the second ranking in this part and Wheat was the third position. (8) Bajra- Gram- Wheat :- This combination covered the south-eastern parts. Where Wheat & Gram was the main crop of Rabi season and Bajra was the kharif season crop. In this combination Bajra was the first ranking crop of this part, while Gram was the second ranking in this part and Wheat was the third position. (9) Bajra- Gram- Oilseeds :- This combination covered the southern parts. Where Oilseeds & Gram was the main crop of Rabi season and Bajra was the kharif season crop. In this combination Bajra was the first ranking crop of this part, while Gram was the second ranking in this part and Oilseeds was the third position.

Crop combinations according to 2020-21:- In 2020-21, the numbers of crop combination were six. In 1985-86 the numbers of crop combination were nine three crop combination decrease do to intensity of crop and development of irrigation facility. In some area seven crop combination. Bajra, wheat, oilseeds, Gwer cotton and rice are main crop in the region. But gram and pulses as a crop lost its representation in the crop combination. The six crop

combination in 2020-21 was as under:- (1) Bajra-Gwar-Gram : This crop combination covers north western corner of the district where the Bajra was the main crop of Kharif season and Gram was the Rabi season crop. The region has less then 25% irrigation facilities now. (2) Bajra-Wheat-Oilseeds-Gwar:- This crop combination was situated in the southern parts of the district. Here, Bajra and Gwar were the Kharif crops and Wheat & Oilseeds were the Rabi crops. In this combination Oilseeds was cropped as a case crop. (3) Bajra-Oilseeds-Gram-Wheat-Gwar:- This crop combination lay in the middle parts of the district. In this combination Wheat, Oilseeds and Gram were the Rabi crops. Bajra & Gwar were Kharif crops. Because of irrigation facilities Gram was disappeared in some area of the district. (4) Bajra-Gowar-Wheat-Oilseeds-Rice:- This crop combination covered the south western parts of the Bhiwani district. Bajra, Gowar and Rice were the Kharif crops and Wheat and Oilseeds were Rabi crops Bajra covered more area than Gowar crop. Because of irrigation facilities Rice appeared as a new major crop in these areas. (5) Bajra-Gwar-Wheat-Oilseeds-Rice :- Cotton-pluses: - This combination covered the area of Bhiwani tehsil, most of the crops growing in the Kharif season. Bajra, Gwar, Rice, cotton and pluses were Kharif crops. Wheat and Oilseeds were Rabi crops. Gram was disappeared due to the irrigation facilities development (6) Wheat-cotton-Oilseeds-Bajra-Rice:- This combination covered the Northern parts of the Bhiwani district, which is more irrigated area of the district. Wheat and cotton were the main crops of this area. Oilseeds, Bajra and rice were secondary crops.

In 1990-91 the crop combinations were not uniformly distributed. Only the Bajra- GramGower crop combination covered more than 40 per cent area of the district. This combination covered the south western parts of the district. In these areas irrigation facilities were less then 25 per cent the areas where irrigation facilities were high Wheat and gram crops appeared as first or second ranking. All the crop combinations had three crops in 1990. In 2020-21 the crop combinations were almost equally distributed all over the district. Now 6 crop combinations developed instead of nine. In every combination number of crops increased previously (year 1991) only three crops combination was found. Now

there were 5 to 7 crops are developed. Superior crops found in the crop combination of 2020-21 because of the development of irrigation facilities. Conclusion:- Highlight the spatio- temporal changes in Bhiwani district in 2020-21 over 1990-91. The six crop combination reveals higher diversification in 2009-10. It was made possible by better and increased facilities of irrigation. Sprinkler irrigation and lift- canal irrigation made available more water over vast areas, under ground water (sprinkler irrigation) and canal irrigation and tub well irrigation changed the crop combination Bajra-Guar- gram combination was replaced by Wheat- Oilseeds – rice and cotton, there are more fine and cash crops. Gram was replaced by wheat and oilseeds, because per acre production was increased. In these crops because of high breed quality of seeds and pesticides. Gram production was reduced because of under ground water irrigation like tube well and sprinkler system .In Haryana Gram can only produce in rainy water and sandy area. Bajra and Jowar were replaced by cotton and rice, per acre production cost of cotton and rice was high. Rice is much fine crop and used largely. Of course, labor and saving agricultural implements enabled cultivation of fine cash crops, like wheat, cotton rice and oilseeds Increased road linkage between the villages and the urban or regulated markets encouraged the marginal farmers to produce more for the payment and ever growing rich urban markets. After having gone through the contents of the subject It is concluded that with the increase in irrigation and fertilizer or pesticide the cropping patterns have become diversified. Due to this Inferior crops like Jawar, Bajra, guar, and barley have lost area to superior crops of wheat, oilseeds rice and cotton in areas where irrigation facilities have increased significantly. The use of sprinkler irrigation, lift canal system and increased of number of canals have improved the farming system. The farmers cannot invest huge amount of money on tube-wells as the water is going on low to very low. Again, in most of the area the under-ground water is not suitable for agriculture as salty ground water is not very suitable for the crops. It limits the choice of crops. Hence former should be encouraged to adapt allied farming as horticulture, animal husbandry, fishery, dairy farming poll houses poultry farming and sheep goat and piggery farming.

Reference:


1. Bhatia, S.S. (1965). Patterns of Crop distribution and Diversification in India, Economic Geography, Vol. 41,
2. Doi, K. (1959). The Industrial structure of Japanese Prefectures, Proceedings of IGU, Japan, 1957, pp. 310-316
3. Gregor, H.F. (1970). Geography of Agriculture : Prentice Hall, Englewood cliffs.
4. Hussain, M. (1968). Land Utilisation in the Upper Ganga Yamuna Doab, Geographical Review of India, Vol. 30, pp. 7-21.
5. Hussain, M. (1970). Patterns of Crop Concentration in U.P., Geographical Review of India, Vol. 32, No.3, pp. 164-185.
6. Hussain, M. (1979), Agricultural Geography, Inter - India Publication, New Delhi.
7. I.C.A.R., (1972). Proceedings of the Symposium on Cropping Patterns in India, I.C. A.R., New Delhi.
8. Jasbir Singh (1974). An Agricultural Atlas of India; A Geographical Analysis, Vishal Publications, Kurukshetra.
9. Jasbir Singh, (1976) An Agricultural Geography of Haryana”, Vishal Publications, University Campus, Kurukshetra.
10. Shafi, M. (1966). Technique of Rural Landuse Planning with reference to India# The Geographer# Vol. 13# pp. 13-24.
11. Sharma, Lai, (1956). Mechanization of Agriculture in India, Rural India, Vol. 19, No.2, pp. 59-63.
12. The Hand Book of Statistics, Bhiwani District, 1985-86 and 2009-10, Compiled and Published by Chief Planning Officer, Bhiwani
13. Singh, Vikram.(2013) A research Journal International Research Journal of Commerce Arts and Science .

Dr. Rani Singh

Associate professor
Department of Geography
Baba Mastnath University.
Asthal Bohar, Rohtak

Savita Bai

Research Scholar
Department of Geography
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak



“A Study On Performance Analysis of Minerav Mills Ltd. Ors V Union of India And Ors” By

Dr. Santosh Kumar Sharma



Abstract.

Minerva Mills Ltd. and Ors v Union of India and Ors is one of the most important judgments which guarded the 'basic structure' of the Constitution form being amended by parliament. The constitutionality of sections 4 and 55 of the 42nd Amendment Act, 1986 gave the parliament 'unlimited powers' to amend the constitution and hence were struck down by the Hon'ble Supreme Court.

Introduction

1. Minerva Mills Ltd. (herein after referred to as the petitioner no. 1/ the Company) is a limited company dealing in textiles in Karnataka. The other petitioners are the shareholders in Minerva Mills.

2. August 20, 1970- The Central Government, in apprehension of the substantial fall in production of Minerva Mills, appointed a committee under section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (herein after referred to as the IDR Act) to make an investigation of the affairs of Minerva Mills Ltd.

3. October 19, 1971- After the submission of the committee report, the Central Government passed order under section 18A of the 1951 Act that authorised the National Textile Corporation Ltd., to take over the management of the Mills on the ground of mismanagement of the company affairs. Hence, this undertaking was nationalized and taken over by the Central Government under the provisions of the Sick Textile Undertakings (Nationalization) Act, 1974 (herein after referred to as the Nationalization Act).

Thereafter, the petitioners challenged this order before the High Court. The High Court, however, dismissed their petition.

5. The petitioners, therefore, filed a writ petition before the Hon'ble Supreme Court under article 32 of the Constitution of India, 1950.

6. They challenged the constitutionality and validity of the

following; a. Sections 5(b), 19(3), 21 (read with 2nd schedule), 25 and 27, of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974

b. Order of the Central Government dated October 19, 1971

c. Sections 4 and 55 of the Constitution (Forty Second Amendment) Act, 1976; and

d. The primacy given to the Directive Principles of State Policy over the fundamental Rights.

Analysis of the Judgment

The 1st and the 2nd issues questioning the validity and constitutionality of; some provisions of the Sick Textile Undertaking (Nationalization) Act, 1974 and the order of central government under section 18 A of the Industrial (Development & Regulation) Act, 1961, were addressed in the judgment passed by a bench of Justice M. M. Dutta and Justice O. Chinnappa Reddy on September 9, 1986.

While the remaining two issues are addressed in the judgment delivered on July 31, 1980 by a bench of Justice V. Y. Chandrachud, Justice P. N. Bhagwati, Justice A. C. Gupta, Justice N. L. Untwalia and Justice P. S. Kailasam.

1). The Judgment delivered on September 9, 1986

The petitioners, namely, Minerva Mill Ltd. and the some of its creditors, challenged the order pronounced by the Central Government on October 19, 1971 under section 18 A of the IDR Act, 1961 on the following grounds;

a. After the completion of the investigation, the Central Government by an order dated April 24, 1971, sanctioned a guarantee to enable the company to raise a loan for Rs.20 lacs to deal with its financial crisis. Thereafter, the central government passed the above-stated order in October, to hand over the management of the Company to National Textile Corporation.

The petitioners claimed that the copy of the Investigation report was not given to them by the Central Government and this resulted in a situation that prejudiced them.

c. The petitioners challenged the validity of sections Sections 5(b), 19(3), 21 (read with

2nd schedule), 25 and 27 of the Nationalization act on the ground that it violated their fundamental rights and the 'basic structure of the constitution.'

1.2) Analysis of this Judgment
a. The hon'ble Supreme Court has very rightly pointed out the fact that the petitioners approached the court after a delay of almost 7 years from the passage of the order passed by the Central Government on October 19, 1971. After the Investigation Authority submitted its report on the management of the company, the government authorized the National Textile Corporation to take over management of the undertaking of the Company. During the pendency of taking over management of undertaking by the National Textile Corporation, the Sick Textile Undertakings ordinance of 1974 was promulgated and it was replaced by the Sick Textile Undertakings Act (Nationalization Act). Section 2 (j) of the Nationalization act defines 'Sick Textile Undertaking' as an undertaking specified in 1st Schedule, the management of which has been taken over the Central Government under section 18

A of the IDR Act. Court had rightly pointed out the fact that the results of the investigation should not be overlooked as it showed the company was mismanaged in a manner highly detrimental to the interest of the public.

The court rejected this contention of the petitioners by saying, 'The Government might have thought of assisting the Company in raising loan, but the fact that such proposal for assistance was made for special reasons as provided in the proviso to section 4 of the Mysore State Aid to Industries Act, 1959, is not sufficient to uphold the contention of the petitioners.

b. The contention the petitioners that section 16 of the IDR Act requires the government to issue directions to the concerned industrial undertakings after an investigation is conducted, was rejected by the court on the ground that issuance of the guidelines was not 'obligatory' for the government.

c. Further, the court rejected the claim of prejudice suffered by the petitioners on non- supply of the copy of the investigation report for two reasons;

1. The petitioners did not ask for any such copy; and

2. The petitioners were also given ample opportunities to make representations against the proposed take-over, but they failed to refute so.

d. The court's take-over on the contention of the petitioners that Nationalization Act is unconstitutional as it violates fundamental rights and the basic structure of the constitution, was also rejected by the court on the following grounds;

1. The basic structure of the Constitution can be damaged by an amendment of the provisions of the Constitution. While referring to the Kesavananda Bharati case, the court emphasized on the fact that only constitutional amendments made on or after April 24, 1973 by which acts or regulations were included in the 9th Schedule can be challenged. However, if such challenge is protected by Articles 31 A and 31C (as it was prior to the 42nd amendment Act), it cannot be sustained.

2. The Nationalization Act under section 39 declared that it gave effect to the policy of the State in implementing the principles given in Article 39 (b). Moreover; no argument was placed by the petitioner to counter this statement of purpose.

3. The Nationalization Act comes under the umbrella of Article 31 C, the petitioners were held not entitled to challenge the constitutional validity thereof on the ground of violation of the provisions of Articles 14 and 19 of the Constitution.

Judgment of Supreme Court delivered on July 31, 1980

Issues Raised before the Court

1. Whether Sections 4 and 55 of the 42nd Amendment Act, 1986 are constitutional?

2. Whether the Directive Principles of State Policy should be given supremacy over the fundamental rights?

Analysis of the Judgment

1. Section 4 of the Constitution (42nd Amendment) Act 1976, replaced the clause, 'the principles specified in clause (b) or clause (c) of article 39' with 'all or any of the principles laid down in Part 4' and hence this amendment gave parliamentary sanction to any law or regulation passed to fulfill any goal laid in the Directive Principle of State Policy, irrespective of the fact that it violated article 13 read with articles 14 and 19.

2. Section 55 introduced sub-clauses (4) and (5) to Article 368 of the Constitution, which gave the parliament unlimited powers to amend the constitution.

3. A limited amending power is one of the basic features of Indian Constitution and therefore, the limitations on that power cannot be destroyed and the right to repeal or abrogate the same cannot be held constitutional. The meaning and spirit of article 13 will cease to exist. The court was called upon to deal with questions of constitutional amendment which interfered with the fundamental rights of the people.

4. The petitioners raised the question that whether the Keshvanandi Bharti case permitted the parliament to introduce such an amendment whereby the DPSP is given more preference than the Fundamental Rights. The answer is; if article 19 and 14 are a part of the basic structure of the constitution, then they cannot be amended. The DPSP are essential for the welfare of the people but to subvert the fundamental guarantees of part 3 of the constitution is to destroy the basic structure of the constitution.

5. Fundamental rights occupy a unique place in the lives of civilized societies and have been variously described as "transcendental", "inalienable" and "primordial" and as said in Kesavananda Bharati Case they constitute the soul of the Constitution. Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy are two wheels of the chariot and twin formula to achieve social revolution.

6. The Indian Constitution has maintained a balance between the fundamental freedoms and the DPSP, therefore, giving absolute primacy to one, would disturb the harmony and balance sought by the founding fathers of our constitution. The preamble has very clearly woven the threads of this harmony. On the one hand it reflects on the ideal of India being a socialist state, secure social justice to all its citizens and on the other hand, it empowers each and every citizen with the liberty of thought, faith, belief, worship and right to maintain dignity and fraternity, equality of opportunity and status and the right to maintain human dignity, in order to give an individual ideal opportunity and freedom to endeavor to be the version of him.

7. The goals set to be achieved in part 4 are to be achieved by purity of mean and not at the cost of fundamental freedoms. These two should go hand in hand. In regard to the category

of laws described in article 31 C, the section 4 of the 42nd amendment act, abrogates article 14 and 19 of the Constitution. The consequence of such an amendment is that no matter, any law violates the spirit of article 13 read with 14 and 19, it shall not be subject to any questions as to its validity as long as it seeks to achieve the goals laid down in part 4; the DPSP.

8. The contention that not all laws fall within the ambit of article 31 C is no justification to abrogate the fundamental freedoms guaranteed under articles 14 and 19. No doubt, there are certain laws which do not fall within the jurisdiction of the above mentioned article, but they are not a small proportion of them.

9. Article 38 states that state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice social, economic and political shall inform all the institutions of National life.

10. There are two aspects that need to be looked into; this article no doubt has a broader implication, yet the article does not necessarily corroborate with it and second thing being, it is clear to deduce that no law that seeks to give effect to this article can be contrary to the ideals of the constitution, therefore, there is no need whatsoever, to make an amendment to the basic structure of the constitution to achieve this.

11. The main purpose of introducing this article is to get away with such laws which cannot stand article 19 and 14 of the constitution of India. Articles 14 and 19 are not some fancy right but are natural and fundamental human rights that made their appearance for the first time in the UDHR 1948 and if the legislatures are empowered to pass unreasonable restrictions on these rights, then the very soul of the constitution will be shattered. Section 4 of the Forty Second Amendment found an easy way to circumvent Article 32(4) by withdrawing totally the protection of Articles 14 and 19 in respect of a large category of laws, so that there will be no violation to complain of in regard to which redress can be sought under Article 32.

12. The power to take away the protection of Article 14 is the power to discriminate without a valid basis for classification. Moreover, article 14 permits reasonable classification to

ensure social welfare and article 19 comes with reasonable restrictions that can be imposed in order to ensure just and fair society, the sole purpose of the DPSP. Hence, the amendment into the article to ensure the realization of DPSP to such an extent that any abrogation of these fundamental rights was not to be questioned in the Court.

13. Laws can be passed with immunity, preventing the citizens from exercising their right to move freely throughout the territory of India. Thus, this amendment virtually breaks the heart of the constitution. Article 12 of the constitution gives interpretation of the word 'state' which includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India. Wide as the language of Article 31C is, the definition of the word "State" in Article 12 gives to Article 31C an operation of the widest amplitude. Even if a State Legislature passes a law for the purpose of giving effect to the policy by a local authority towards securing a directive principle, the law will enjoy immunity from the provisions of Articles 14 and 19.

14. The contention that this amendment seeks to empower the democracy by fulfilling the ideals of state policy does not hold ground, because state has certain goal to achieve in any democracy and therefore, seeking to achieve these goals in a disciplined way while maintaining the guarantee of the fundamental rights is what makes the ways of achieving state goals democratic. If the discipline of Article 14 is withdrawn and if immunity from the operation of that article is conferred, not only on laws passed by the Parliament but on laws passed by the State Legislatures also, the political pressures exercised by numerically large groups can tear the country asunder by leaving it to the legislature to pick and choose favoured areas and favourite classes for preferential treatment.

15. Since the amendment to Article 31C was unquestionably made with a view to empowering the legislatures to pass laws of a particular description even if those laws violate the discipline of Articles 14 and 19, it is impossible to hold that the court should still save Article 31C from the challenge of unconstitutionality by reading into that Article words which destroy the rationale of that Article and

an intendment which is plainly contrary to its proclaimed purpose.

IV. CONCLUSION OF THE COURT.

1. The court in the judgment dated July 31, 1980 by majority of 4:1 held the sections 4 and 55 of the 42nd (Amendment) Act 1986 unconstitutional.

2. Further, the writ petition challenging the constitutionality of the Sections 5(b), 19(3), 21 (read with 2nd schedule), 25 and 27, of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974, was dismissed.

Dr. Santosh Kumar Sharma

M.COM, MBA, LLB, LLM WITH PhD.

H.no. 5113 Sector-3 Fbd-pin Code 121004

Mo.-9899882948, 9711639799.

santosh.sharma2013@gmail.com

Animal Health And Breeding Careof Livestock In Rajasthan

Dr. MukeshYadav



Abstract

It is very important to provide all the livestock, health, breeding facilities, veterinary facilities and livestock improvement programs for better output. Animal husbandry is a major economic activity of the rural people, especially in the arid and semiarid regions of Rajasthan. Development of livestock sector has a significant beneficial impact in generating employment and reducing poverty in rural areas. Livestock is the best insurance against drought and famine and generate gainful employment in rural areas of Rajasthan. Rajasthan is the largest state of the country with geographical area of 3.42 lack sq. km. The state has about 11.27 per cent of country's total livestock population. Livestock rearing is an integral component of the economic and social fabric of the rural masses in Rajasthan. Since crop farming is constrained by erratic rains and limited irrigation facilities, livestock is an adjunct farm enterprise in most parts of the state especially in arid areas. About 55 per cent of the total area of the state is under Thar Desert. Animal husbandry comes to the rescue as a measure to alleviate the effects of frequent droughts and by providing sustainable year-round income to the farmers.

Keywords: Livestock, Milk, Animal husbandry, Dairy

Animal Health: -

The milk societies are providing veterinary first aid at the society level; timely visits by the mobile veterinary units; emergency visits by veterinary surgeons and vaccination against contagious and infectious diseases. The modern animal health facilities before the year 1923 were available to animals, which were connected with defense purposes. These facilities were negligible to privately owned animals. In the year 1923 the first institute known as The Imperial Institute of Animal Husbandry and Dairying was started at Bangalore. There is no doubt from the time immemorial the

livestock keepers in Rajasthan used to cure their animals with local available herbs and plants abstracts. In every cluster of villages, some experts were there to treat the ill animals. These experts are still helping the animal breeders, keepers without any fee. Their methodology and treatment was and is still unwritten. These experts locally known as Vaidyas in the villages do this work as a social work without any charges. This hidden treasure of cheap and good veterinary knowledge can be written, explored and preserved to use in time to come with the government help and initiative. At the time of independence in the year 1947 very few animal hospitals were there and these were in big cities and towns of the state. But nowadays lots of improvements have been done in this direction.

The table given below shows the efforts made by the state government to improve the health facilities and to improve the breed quality of the animals.

Table 1 Animal Health Facilities In Rajasthan

Year	Animal Hospital	Animal Dispensary	Sub-Center	Mobile Units	Sub-Divisional Mobile Units	Key Village Sub-center
1993-94	1053(10)	285	749	55	33	200
1994-95	1053(11)	285	749	55	35	200
1995-96	1180(12)	285	749	55	45	204
1996-97	1180(12)	285	749	55	45	206
1998-99	1319(12)	285	749	55	48	210

Note: - Polyclinics are mentioned in the brackets.

Source: - Directorate of animal husbandry.

There is a rapid growth of veterinary facilities in the state, yet there is still much is to be done to decrease the distance to be covered by the livestock owners for the veterinary facilities and number of animals per exper. Besides veterinary facilities provided by animal husbandry department, the Rajasthan Dairy Development Co-Operative Federation Ltd is also providing veterinary services to the milk union members at their doorsteps. The whole Rajasthan has been

divided into 55 mobile routes to provide veterinary services for the milch animals of milk co operative societies. Shortcoming of this program is that these facilities by the co-operative societies are available during flush milk season and particularly to the milch animals. Though this scheme is working well yet the expansion of veterinary services through the milk collecting societies and unions, strictly on Annand Pattern have a lot of scope in Rajasthan. It is suggested here that these facilities should not only be limited to milk stock of the member, instead it should cover all the animals of the member concerned.

The number of animals fall ill increases during the drought years as well as in the areas of floods. Therefore, the increase of these facilities during these special conditions with the help of other states is suggested. There is no doubt that the normal situation of rainfall resulting in good green and dry fodder conditions the animal disease decreases.

Programmes Of Livestock Improvement

Cattle And Buffalo Improvement: -

In Rajasthan there is a lot of scope for the improvement of the livestock because the existing situation is not so good. So the economic returns from livestock are low. Therefore, the continuous efforts to upgrade the different animal breeds in general and milch stock in particular is required. With the help of the state and central governments many livestock improvement programmes are in progress in the state such as cross-breeding, frozen semen scheme, the village program and intensive cattle development programmes.

There is a rapid population growth and urbanization; therefore, demand of milk and milk by-products is increasing day by day. The solution of this increased demand can be provided through organized dairy industry, exotic-cross-breeding in cows in selected areas and selective breeding in some areas in the state. For this purpose in first and second five-year plans for the development of Haryana breed, Mewat breed and Nagori breed, the development centers were started at Alwar, Bassi and Nagaur. At Kumher cattle improvement farm great efforts are being analyzed for the Haryana breed development. At

Nohar young stock development center has been established. At this center the bulls are being distributed to Panchayats in the state. At the same time at Ramsar and Deeg the young stock animal husbandry farm is working.

Through artificial insemination of best foreign breeds is being done through cross breed of non-descript cows in the state so that good quality milch animals can be produced. For the development of Rathi, Gir, Tharparkar, Kankrej and Nagori descript cows five cattle development projects are working. For the developed cow and oxen breeds there were 240 Goshalas working in the years 1996-97. It is the author's point of view that the Nagori breed and the Haryana breed, which are producing strong and disease resisting draft oxen from so many years, should be spared from the crossbreeding programs keeping in view the foreseen future energy crisis in India.

In Rajasthan the climatic hazards are clearly seen, therefore, in place of fresh liquid semen deep frozen semen banks should be established. In different development farms the studs of foreign breeds are being produced and tested under the Progeny Testing Technique under Rajasthan climatic conditions to meet the need of genetic improvement for increased milk production in the state.

The following cow and buffalo improvement programs are in progress by the department of animal husbandry government of Rajasthan: -

INDIGENOUS COW-BREED IMPROVEMENT PLAN: -

Kamdheni Plan: -

In order to produce high quality breeds of indigenous and sanker cows, the Kamdheni plan was started in the year 1997-98. Goshala and non-government organizations also can take the benefit of this plan. Its implementation is done by the animal husbandry department.

Cow And Buffalo Development Plan: -

There is provision of establishment of two frozen semen laboratories and four thousand new artificial insemination centers with the help of Rs. 60 crores in the state. Selections of bulls/calves in a scientific manner and to provide artificial insemination are the aims of this plan.

Rearranging Of Animal Breeding Farms:-

These farms have been changed into calf keeping centers from high quality bull providing centers. This will fulfil the demand of rural area of having high quality animals.

The districts which touch Haryana keeping and rearing the world known Murrah breed. Murrah breed bulls are being taken from Haryana Buffalo Development Farms for buffalo breeding in Rajasthan. The team of veterinary experts and farmers under government loan programs go every year in Haryana to purchase buffaloes, because the geo-climatic conditions in adjoining Haryana areas are somewhat the same as the adjoining areas in Rajasthan. Moreover, the villagers themselves also go to Haryana to purchase best breeding bulls for buffalo breeding for their villages. This practice is also prevalent in the districts of Bharatpur, Dholpur, Karauli and Sawai Madhopur also. The author here suggest some buffalo research centers should be installed for the genetic improvement in buffaloes at Ganganagar, Khetri, Behror, kotpuli, Alwar, Dhlopur, and Bharatpur.

In Rajasthan Murrah, Mehsana and Surti breeds are reared, but the Murrah breed is the maximum. Farms of Murrah breed have been established in Kumher and Bassi.

SHEEPIMPROVEMENT PROGRAMME:-

There were 25 per cent of the total Indian sheep in Rajasthan in the year 1997. It is on account of the geoclimatic conditions of the state. Sheep can bear the harsh environmental conditions. On account of importance of sheep rearing in Rajasthan's economy the government of Rajasthan has established a department of Sheep and Wool in the year 1963. The establishment in the department is Director, Joint Director and eight Deputy Directors, nineteen district level officers who look after the activities of 146 sheep and wool department centers and 233 insemination development centers. This department is running the following programmes about sheep development in Rajasthan:-

1. Sheep health cover programme.
2. Cross breeding programme for sheep breed improvement.
3. Desert development and drought prone area programmes.

Under this scheme the following programmes are being run:

- a. Development of sheep grazing land.
- b. Training of sheep rearers.
- c. Sheep exhibition.
- d. Mobile disease research laboratories.
- e. Selected breeding programme.
4. Under integrated rural development programme to give financial help to purchase sheep to the people living below poverty line.
5. To provide facilities to Scheduled Caste and Scheduled Tribe for sheep development.
6. To run sheep and wool training institute.
7. To run wool analysis laboratory.

SHEEPCROSS BREEDING PROGRAMMES:-

There are primarily eight sheep breeds in Rajasthan. Their wool and meat production is of low quality. For this purpose the department of sheep and wool has started three cross breed farms in which foreign male are developed and distributed to shepherders in the state. The developed crossbreed sheep give quality wool and meat. These crossbreed programs are carried out in twelve districts in the state. These districts are Jaipur, Ajmer, Bhilwara, Tonk, Chittorgarh, Dungarpur, Banswara, Churu, Jhunjhunu, Sikar and Sri Ganganagar.

Disease Research Laboratories:-

The department of sheep and wool is running a disease research laboratory at Jodhpur. This research center is doing research on sheep disease in Rajasthan. This research center has established twelve mobile disease research laboratories. These mobile laboratories are in Jaipur, Kota, Bikaner, Barmer, Jodhpur, Bhilwara, Nagaur, Karauli, Ajmer, Churu, Suratgarh and Udaipur. These mobile disease research laboratories go in the rural areas for treatment of sheep. They organize vaccination camps with pre information.

Training of Sheep Rearers:-

The department of sheep and wool organize training of sheep rearers in nineteen districts of the state every year, so that rearers and herders know the latest knowledge of sheep rearing. During these training camps the rearers are being

trained about sheep health, sheep feeding, sheep breeding, production and marketing, development of grazing grounds, plantation and co-operatives.

Research Work: -

For the research of sheep breeds' wool of Rajasthan, eight centers have been established. These are: - Bikaner (for Magara and Poogal breed), Mandaur (for Jaisalmeri sheep), Pokran (for Jaisalmeri breed), Jaipur (for Malpura breed), Kodemdeshar (for Chakhla breed), Jodhpur (for Marwari breed), Chittorgarh (for Sonari breed) and Hanumangarh (for Nali breed).

Wool Development: -

There are many centers for wool development in Rajasthan. Rajasthan state has been divided into four stations. These are Jaipur, Jodhpur, Bikaner and Jaisalmer. Each station has been divided into ten sub development centers.

Jaisalmer- Ramgarh, Dedasar, Lathi, Jaisalmer, Mada, Shiv, Pokran, Mohangarh, Falaudi, and Onsia.

Jodhpur -Barmer, Jodhpur, Pali, Jalore, Nagaur, Medta city, Parbatsar, Bilada, Bali and Balotra.

In the year 1978-79 Rajasthan Sheep and Wool Development Corporation was established, the main purpose of which is to provide market to wool. The rearers should cut wool in a scientific manner. More wool-cutting centers should be established. The sheep rearers in the western parts of the state move their herds in February and March in search of feed and drinking water towards Punjab, Haryana, Utter Pradesh, Madhya Pradesh and Gujarat. During this movement it is very difficult to provide medical facilities. They start their back journey with herds when the rainy season starts.

Goat Improvement Programmes: -

The goat improvement programmes are going on in the state with the help of foreign breeds. There is an agreement between the Indian and Switzerland Governments for improvements of goat breed by cross breeding. Alpine and Toganburg bred he-goats are imported from Switzerland to improve the state of goat breed quality. Foreign help is also obtained under the goat development program.

Camel Improvement Programme: -

There is a camel research center at Bikaner. This center works for research and improvement of camel. This center also works in the direction of breed development programme.

Fodder Development Programme: -

In arid and semi-arid regions of Rajasthan due to irregular and low rainfall drought occurs frequently and so occurs the scarcity of fodder. In order to deal with these problems the government made a plan in the year 1959 which covers the arrangement of grazing grounds to keep secure the crop residue, collection of tree leaves, to develop the grazing grounds in idle and waste land. To open fodder depots and distribute fodder to animal keepers on low prices during drought. To sow fodder seed in grazing grounds. To develop sewan grass areas in Jaisalmer and Barmer districts.

Conclusion

The study concluded that, in general, overall technology adoption rate is higher in comparison to other areas of country. Respondents have high level of adoption of scientific practices of feeding, breeding, management and health care. Adoption of improved dairy technologies is influenced by many factors. Among each respondent, level of education, awareness on available technologies and willingness of farmers to adopt technologies are major ones. Extension services should be strengthened and training of farmers on improved technology and technical support should be continuing. There is large gap in technologies adoption on advance breeding and marketing practices, which should be filled up by product selling under a brand. In dairying, milk production not only depends on the best breeds but also on efficient management through adoption of recommended scientific managemental practices. It was focused on the adoption behavior of crossbred cattle rearers towards recommended dairy managemental practices. Government should intervene with subsidy and other financial incentives to attract unemployed educated youth to replace the old people looking after dairy farming.

References

1. 19th Livestock Census 2002, Government of India.

2. Directorate of Animal Husbandary, Jaipur, Government of Rajasthan.
3. Basic Animal Husbandry and Fisheries Statistics (2014), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Ministry of Agriculture, Government of India.
4. Bhowmick, B.C. and D.C. Kalita (2005), Performance of Livestock and Fishery: Constraints for Agricultural Development and Prioritization of Strategies, Department of Agricultural Economics Assam Agricultural University, Jorhat, Assam.
5. Bohra, H.C.; A.K. Patel, P.P. Rohilla, B.K. Mathur, N.V. Patil and A.K. Misra (2012), Feed Production Technologies for Sustainable Livestock Production in Arid Areas, CAZRI Publication, Jodhpur, Rajasthan.
6. Kumar, R.; D.R. Singh, P. Arya and A. Kumar (2015), “Temporal and Spatial Pattern in Sheep Production System in Rajasthan”, Biotech Articles (Agriculture) 2015. National Project for Cattle and Buffalo, Rajasthan Livestock Development Board, Government of Rajasthan.
7. Singh and Niwas (2012), “Upliftment of Rajasthan through Livestock Farming”, Rajasthan Journal of Extension Education, Vol.20, pp.27-31.

Dr. MukeshYadav

Associate Professor,
Geography, Govt. College,
Hisar (Haryana)

Change in Social Development Policy : Education and Health Policy in Sonipat District.

Neha Rani, Dr. Pardeep Kumar Sharma



Abstract

Social policy is the guidelines formulated by the state for the welfare and development of its various population groups. social development is the execution of the programmes schemes and projects meant to achieve the goals delineated in the social policy. Social policy aims to improve human welfare and meet human needs for education, health, housing and social security. Social policy is thus ? A statement of the programmes? , methods and principles of social agency. Social policy is vital for social planning. A must be conceptually clear and simple, theoretically sound and stated in terms of desired changes achieved among target groups. The policy with clear designation of roles and responsibilities of all the stakeholders, clear directives and organ National structures, goes a long way in effectively realizing its set goals. Education is one of the priorities of the government. India? s commitment to provide for and ensure universal elementary education for all children up to the age of 14 has been realiterated time and again. The Kothari commission (1964-1966) the Acharya Ramamurthy Committee (1990) The professor Yashpal committee (1993) the Saikia Committee (1997) have all emphasised the need for free and compulsory universal elementary education and quality education. Health as world health organisation defines it is more than just the absence of disease. It is a state of complete physical, mental and social well being. India first National Health Policy in 1983 aimed achieving the goal of health for all by 2000 A.D. through the provision of comprehensive primary healthcare services. The present study covered Sonapat District (Haryana) 28°41' 30" to 29°11' 54" N and 76°28' 30" to 71°13' 40" E. The study has been found out social Development Education and Health Policy in Sonapat district. The Right of Children to free and compulsory education act 2009 guarantees to all children within the age group of 6-14 years the right to education in proper schools with trained teachers. Sonapat and Gohana have high

primary healthcare service, Kharkhoda have moderate services and Ganaur have low primary health care services.

Keywords : Social Development, Public Policy, Education Policy, Health Policy, Social Development Programmes.

Introduction

The most common social and political use of the term ? Policy? refers to a course of action or intended course of action, conceived as deliberately adopted after a review of possible alternatives and pursued or intended to be pursued. Social policy is thus, ? a statement of the programmes, methods and principles of social agency.? The older concept that the policy formulation is the function of politics is hardly tenable today. They carried out policy and do not make policy. Regarding execution, bureaucracies are generally the instruments which implement public policy. Bureaucracies are necessary for policies to be carried out with some predictability, equity and due process. None the less, the negative connotations of bureaucracy (like, red tapism, inflexibility, overemphasis on rules and regulations to mention a few) may contribute to withdrawal of public confidence in the efficacy of social policy.

Social Development Policy is vital for social planning. It must be conceptually clear and simple, theoretically sound and stated in terms of desired changes achieved among target groups. The policy with clear designation of roles and responsibilities of all the stakeholders. Clear directives and organizational structures goes a long way in effectively realizing its set goals. Social policy reflects the government? s commitment for the particular cause for which the policy has been formulated. It implies the government priorities and resource distribution. Hence, technical and budgetary means as well as time frame should be delineated clearly in the policy. However it may be reminded that policies are merely guidelines and do not enjoy legal sanctity as in the case of social legislations. Since independence the government of India has formulated many policies and reviewed and modified them from time to

time. National Health Policy, National Policy on Education, National Policy on empowerment of women in India and National Youth Policy. Many of these policies have been reviewed and revised say National Health Policy, National Policy on Education. These policies are comprehensive documents covering the vision and mission of the state, plan of action, targets to be achieved, Stakeholders, expected outcome, etc. Though the State cannot be sued if it fails to keep its promises mentioned in the policy, however in this largest democracy of the world votes for the common man prove to be a driving force for politicians to try their best in policy execution. Further, in India social policy plays crucial role in formulation of five years plans. Health department, Sonapat is constantly guided by the W.H.O. definition of Health which states that Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely an absence of disease or infirmity. The department aim is to improve the quality of life of people by providing better health services. Health department, Sonapat strives to help people improve their productivity and reduce risks of diseases and injury in a cost-effective way.

The National Rural health Mission (NRHM) initiated in 2005 promises to provide universal access to equitable, affordable and quality healthcare, which is accountable and at the sometime responsive to the needs of the people, especially of those who are marginalized and live in rural areas. The National Urban Health Mission (NUHMI) focuses on the healthcare needs of the urban poor, particularly the slum dwellers in urban areas. The Government of India's National Policy on Education, 1986 is a forthright statement on education as an empowering agent, those of 1968 and 1986 and the latter policy was then reviewed and modified in 1992. Literacy rate in Sonapat has been upward trend and it percent as per 2011 Population Census. The Right of Children to free and compulsory education Act 2009, guarantees to all children within the age group of 6-14 years the right of education in proper schools with trained teachers. Social development Policy is an important element in the population structure of any society region. Education Policy and Health Policy are important social and economic indicators of any region.

Objectives

The proposed study will be carried out with the following


objectives :-

- Understand the meaning and concept of social policy.
- Appraise the Health Policy and Salient Programmes on Public Health.
- Gain knowledge about Education Policy and related programmes and schemes.

Research Design and Methodology

An analytical study has been carried out to obtain the above mentioned objective. The present study has been included whole Sonapat District and primarily based on Secondary data, collected from Haryana Statistical Abstract, Ministry of Health, Education and Family Welfare, Social Welfare, Books and Magazines. The Sonapat District Education Schools has been classified into Senior Secondary Schools, High Schools, Middle Schools, and Primary Schools. The Primary healthcare Service has been classified into high, moderate, Mean category. An attempt has been made to highlight the data by applying appropriate tables and maps. Data is analysed with the help of general statistical techniques, spearman's correlation and Arc GIS 9.3 software.

Study Area



Svarnprastha. The earliest reference of this city comes in the epic Mahabharata and at that time, it was one of the five village demanded by the Pandavas in lieu of the Kingdom of Hastinapur. The District was carved out of the erstwhile Rohtak district on 22 December 1972 with Sonapat as its headquarters other smaller towns are Gohana, Ganaur,

Mundlana, Kharkhoda and Rai. The district is surrounded by Panipat district in the North Jind district in the west, Rohtak district in the south west direction and Delhi in the South. The district headquarter Sonapat is connected by metalled roads with important cities of the state to Delhi. The total area of Sonapat district is 2122 sq.km. and its population is 1450001.

Result And Discussion

Social policies are policies which are designed to address social issues, ranging from poverty to racism. Social policy is a plan or action of government or institutional agencies which aim to improve or reform society. The idea behind social policy is that taking steps to benefit human welfare is a generally good idea. The immediate effect of social policies can be economic and social improvement in a nation, but many people also feel that benefiting other humans is intrinsically good, even if it confers no immediate benefits. In fact research on social policies seems to suggest that attempts at equalization do benefit society in both the short and long term for example pushing for equal inclusion of women in the workplace has resulted in a larger and more diverse workforce and providing health care through the government lowered health care costs in addition to creating a healthier and more productive population.

Social Policy is an inclusive disciplinary which means to provide solutions to address needs of social life. Social problems change based on economic and environmental factors. These changes also differ based on social structure and state policies. The developments and changes in the social life have led to change in the social needs. Therefore, problems and their solutions also change.

Differences regarding the definition of social policy also arise from periodic conditions. To Wagner, social policy means the measurements taken by state to protect workers. While to Kessler, it means the movements and struggles of social class and state's attitude against this struggle. To Lauber, social policy is a set of measurements taken at national level in order to change and regulate the financial and cultural life conditions in a definite period of time. Albrecht defines social policy as all measures and institutions that are taken to protect the part of society which is in need of economic protection and to ensure social security and peace.

Social Policy aims to improve human welfare and to meet human needs for education, health, housing and economic security. Important areas of social policy are wellbeing and welfare, poverty reduction, social security, justice on employment insurance, living conditions animal rights, pensions, health care, social housing family policy, social care, child protection, social exclusion, education policy, crime and criminal justice, urban development and labour issues.

Education :- Education is a purposeful activity directed at achieving certain aims, such as transmitting knowledge or fostering skills and character traits. Education is defined as a natural harmonious and progressive development of man's innate power. Strayer defines education as worth just the difference it makes in the activities of the individual who has been educated. Education policy consists of the principles and policy decisions that influence the field of education as well as the collection of laws and rules that govern the operation of education system. Education policy analysis is the scholarly study of education policy. It seeks to answer questions about the purpose of education the objectives that it is designed to obtain the methods for attaining them and the tools for measuring their success or failure research intended to inform education policy is carried out in a wide variety of institutions and in many academic disciplines. The Sonapat district is one of the major education hubs in India. Apart from a number of schools and colleges, the district is home to many Universities. We can identify five types of classic areas of Social policy activities the governments provide money and services to their citizens.

- Social Protection benefits
- Health Services
- Education Services
- Housing Provision & Subsidies
- Personal Social Services

The constitution of India is the ultimate document which guides state policy in all sectors including education. Details of provisions contained in the constitution having a bearing on education have been listed as :

- Provision of free and compulsory education to all the children up to the age of fourteen years.
- Education in general is the concurrent

responsibility of the union and the states.

Local authorities (Panchayats and Municipalities) are to be assigned a suitable role in education (Especially schools, adult and non-formal education) through individual state legislations. State governments and local authorities are expected to provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary state of education.

National Policy on Education

There have so far been mainly two comprehensive statements of the NPE, viz. those of 1968 and 1986 and the later policy was then reviewed and modified in 1992. The NEP of India 2020 which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020, outlines the vision of new education system of India. The new policy replaces the previous National Policy on Education, 1986. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban area. The policy aims Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme was launched by the Government of India in August, 2004 for setting up residential schools at upper primary level for girls belonging predominantly to the SC, ST, OBC and minorities in difficult areas.

National Programme of Nutritional Support to Children of Primary School commonly known as Mid Day Meal Scheme was introduced to improve health condition of children belonging to poor economic status particularly girls who remain unfed, underfed has been an important scheme to attract and retain children in schools. District institute of education and Training is another scheme initiated in 1988 for training of teachers.

Mahila Samakhya Programme is education for women? s equality that was launched in 1988-89 and has covered more than 10,000 villages in 10 states. Through women? s groups (Mahila Sanghs) it enables women to use education as a path for their empowerment to transform India? s education system by 2030.

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) is an effort to universalize elementary education by community ownership of the school system. It is an attempt to ensure quality basic education all over the country. The aim of SSA Programme is to provide useful and relevant elementary education for all children in 6 to 14 age group by 2010. There is also another

goal to bridge social, regional and gender gaps, with the active participation of the community in the management of schools. Its aim is to allow children to learn about and master their natural environment in a manner that allows the fullest harnessing of their human potential both spiritually and materially.

Broad Strategies of SSA include institutional reforms sustainable financing, community ownership with community based monitoring with full transparency Institutional capacity building for national, state and district level institutions like NIEPA/NCERT/NCTE/SCERT/SIEMAT/DIET Education Policy- 2000 for the state of Haryana. At the threshold of the new millennium, the Government of Haryana has sought to address the challenges thrown up by the changing environment and the problems being faced by the state in terms of key HRD Indicators by bringing Education at the central stage of its development agenda. The Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad is implementing Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) in the state. It aims to provide useful and relevant education to all children in the 6 - 14 age groups. Presently, the sharing pattern of centre and state is in the ratio of 65 : 35.

Table-1

Difference in literacy rate of Haryana State and Sonapat district (2011)

Area	Total Literate Population		Literacy Rate
Haryana	Males	9794067	84.06
	Female	6804921	65.94
	Total	16598988	75.55
Sonapat	Males	589881	87.18
	Female	408435	69.80
	Total	998316	79.12

Difference in literacy rate of Haryana State and Sonapat district (2011)




Table-1 : Total Population of Haryana State in year 2011 was 25351462. Out of which 16598988 people are literate which shows that the literacy rate of Sonapat district in 2011 is 79.12%. Male population of Sonapat 589881 (87.18%) out of which female population 408435 (69.8%) in 2011, the total literacy rate in Haryana 75.55. male and female literacy Rate 84.06 and 65.94% represent. The total number of literate in Sonapat was 998316 which constituted 79.12% of the population with the male literacy of 87.1% and female literacy of 69.8%. the effective literacy rate of 7+ population of Sonapat was 85.5% of which the male and female difference in Haryana and Sonapat district literacy rate 3.57%.

The Government has enacted ? Right of children to free and compulsory education Act 2009? and has framed district Right to children to free and compulsory education Rules, 2011 to ensure that every child of the age of 6-14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till the completion of elementary education. Pilot project of national Vocational Education Qualification framework scheme has been approved for 40 schools. About 6000 students are likely to be benefitted under the scheme. A centrally sponsored scheme ? Saakshar Bharat? was launched in the year 2009. Under this scheme the expenditure is shared between the Government of India and State Government in the ratio of 75 : 25. Under Rajiv Gandhi Scholarship Scheme for excellent students (1st to 12th) 330 lakh have been sanctioned during the year 2011-12. Free textbooks and workbooks have been provided to all children studying in classes 1 to VIII. To universalize access to school and improve quality of education at secondary level for all boys and girls in the age group of 14-18 years a centrally sponsored scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been implemented.

Table-2

School Education Institutes

Name of Tehsil	Primary School	Middle School	High School	Higher Secondary School
Sonapat	107	24	14	25
Rai	71	19	12	14
Mundlana	38	6	11	14
Kharkhoda	50	5	12	20
Kathura	24	4	4	13
Gohana	50	5	11	20

Sources : Statistics of School Education (2009-10)^{2,3}

Table-2 show the school education institutes in different category in different tehsils of the district. The highest school education institutes in Sonapat Tehsil and lowest school education institutes Kathura Tehsil. District Primary Education Programme is to ensure education of children at district level. It stresses on gender training and has constituted village Education committees. The primary focus of the District Government is to provide quality and need based education to all. The district Government is providing educational facilities within a minimum distance to children. Now educational facilities are available within a radius of 1.52 km and 2.28 km for High and Senior Secondary Schools respectively in the year 2011-12. The District education committee will be responsible for carrying out the objectives set forth in the state policy on safety measures and ensure compliance of all the conditions mentioned herein in letter and spirit.

Table-3 Higher Education Institutes

College	Universities	Polytechnic and Engineering Institutes	Total
66	6	22	94

Sources : Statistics of School Education (2009-10)

Table-3 : The Sonapat district is one of the major education hubs in India. Apart from a number of schools and colleges the district is home to many universities. Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology in Murthal was founded in 1987, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya in Sonapat was founded in 2006 and O.P. Jindal Global University near RATHDHANA was founded in 2009. Recently in 2012 National Institute of Food Technology Entrepreneurship was founded in Kundli which falls near Delhi border, SRM Institute of Science and Technology near Delhi was founded in 2013. The first university exclusively for women in North India has been established in district Sonapat. In Sonapat district higher education institutes colleges 66, universities 6 and Polytechnic and Engineering Institutes 22.

Health Policy and Programmes

? Health is Wealth? ? this old proverb has all the more significance for the government of any nation like India as only healthy citizen can contribute fully for National growth

and development. In this regard the government quality health care to all its citizens. Health department has been constantly upgrading itself in terms of infrastructure, human resource, drugs, equipment etc. Haryana health needs of all categories of population including infants, children, adolescents, mothers, eligible couples and the elderly in addition to the sick and trauma victims. Also there is a constant endeavor to keep communicable and non-communicable diseases in check and to have strong systems of recording, reporting evaluating and planning.

The department aim is to improve the quality of life of people by providing better health services, Health department, Haryana strives to help people improve their productivity and reduce risks of diseases and injury in a cost-effective way. The department is guided by the W.H.O. Principle of universal health ? ensuring that all people have access to needed primitive, preventive, curative and rehabilitative health services of sufficient quality to be effective while also ensuring that people do not suffer financial hardship when paying for these services.

The ultimate function of the department is to provide adequate, accessible, equitable, quality health has formulated its National health Policy in the year 1983 that talked about setting up of a well dispersed network of comprehensive primary health care services with referral system specialty and super specialty facilities in a decentralized and integrated manner. The NEP ? 1983 had envisaged providing ? Health for all by the year 2000 AD, through the universal provision of comprehensive primary health care services which we could not achieve for several reasons. Again in the year 2002, another National Health Policy was formulated where an attempt has been made to maximize the broad-based availability of health services to the citizenry of the country on the basis of realistic considerations of capacity. The current policy also stressed on establishing more public health institutions at a decentralized level.

Health Department, Haryana is constantly guided by the W.H.O. definition of Health which states that ? Health is a state of complete physical, mental and social well being and not merely an absence of disease or infirmity. Government of Haryana is committed to provide care services to all leading to reduction of out of the pocket

expenditure on health of a common man.

Sonepat district has progressed 2011-12 as compared to the 2006 in health care services. Primary healthcare services provide to the people of this district, different medical institutions have been established here. However the health care system has not developed greatly. According to 2011-12 data shows that the district has provides balanced healthcare services and facilities to their population. In rural area/urban area the public health care services is provided through a network. The study reflects the clear picture, so the primary healthcare services divided at tehsil level. The public health care infrastructure of the district consists of 164 sub-centres, 33 primary health care centres and 7 community health centres. There are four tehsil exist in this district which are serve health care services to their population. Primary healthcare services in different tehsil have been classified into the following categories.

Table-4
Primary Healthcare Service by Category
in Different Tehsil of Sonepat District 2012

Category	Healthcare Services	Tototal Primary Healthcare Centre	Name of Tehsil
High	51 ? 75	66, 75	Sonepat, Gohana
Moderate	31 ? 50	30	Kharkhoda
Low	Below 30	33	Ganaur

Table-4 shows the primary healthcare services in different categories in different tehsil of the district Sonepat Tehsil provides primary healthcare services through these centres to their rural/urban population. Sonepat is one of the major education hubs in North India. Gohana tehsil is second highest population after Sonepat Tehsil. 2 Community helath centre, 13 Primary health centre jand 60 sub centres in Gohana tehsil. Kharkhoda have moderate services and Ganaur have low primary healthcare services.

Major National Health Programmes are as follows :

- National Water Borne Disease control Programme
- National Filarial Control Programme
- National Leprosy Eradication Programme
- Revised National TB Control Programme
- National Programme for Control of Blindness.
- National Iodine Deficiency Disorders Control Programme

- National Mental Health Programme
- National Aids Control Programme
- National Cancer Control Programme
- Universal Programme for prevention and Control of Deafness.
- Pilot Programme on Prevention and Control of Diabetes, CVD and Stroke.
- National Tobacco Control Programme. Conclusion

At the threshold of the new millennium, the Government of Haryana has sought to address the challenges thrown up by the changing environment and problems being faced by the state in terms of key HRD indicators by bringing Education at the central stage of its development agenda. At this stage of development, the education agenda of the state should be re-negotiation from quantity to quality from mere transfer of information to enhancement creativity and knowledge and development of relevant skills from a centralized to a participative decision making process. The ministry of health and family welfare is the nodal agency that implements various national health programmes. Healthcare system in India involves a huge web of primary health centres and sub-centres, community health centres and district hospitals. It has as its key components provisions of a female health activist in each village, a village health plan prepared through a local team headed by the health and sanitation committee of the Panchayat, strengthening of the rural hospital for effective curative care and integration of vertical health and family welfare programmes and funds for optimal utilization of funds and infrastructure and strengthening delivery of primary healthcare. It aims at effective integration of health concerns with determinants of health like sanitation and hygiene nutrition and safe drinking water through a district plan for health. References

Ansari, S.H. (2005). Spatial Organization of Health Care Facilities in Haryana. National Geographical Journal of India.

Dewey, John (1916/1944). Democracy and Education. The Free Press.

District Census Handbook: Sonapat, Village and Town Directory, Haryana. Directorate of Census Operations, 2001.

Duggal, Ravi (2002). "Right to Health" (Mimeo), CEHAT,

Mumbai.

District Census Handbook: Sonapat, Village and Town Directory, Haryana. Directorate of Census Operations, 2011.

Gakhar, K & Kour, H. (2002). Scenario of Present Education System: A comparative Study of Haryana and its neighbouring States. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research.

Kumar, K. (2005). Quality of Education at the beginning of the 21st Century. Lessons from India. Indian Educational Review Draft national Education Policy 2019.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Annual Report 1999-2000.

Ramachandran, R. (2002). Unhealthy Policy. Frontline, March 15.

Reddy, M.V. Lakshmi (2002). Implementation of Adult Education and Development Programme: Contradiction and Distortions. University News.

Sen. G., Iyer, A.S. George, A. (2002). Structural Reforms and Health Equity: A comparison of NSS Surveys (1986-87 and 1995-96). Economic and Political Weekly, April 6.

Neha Rani

Research Scholar
Department of Geography
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak,
Haryana 124001

Dr. Pardeep Kumar Sharma

Associate Professor
Geography
Baba Mastnath University
Asthal Bohar, Rohtak,
Haryana 124001

A Review on: Effects, causes and treatment of water pollution

Mr. Chankit



Abstract:

A national and international problem is water contamination. The severe effects of water pollution are being felt by humans and all other living things in the world. The current study examines the degree of raising awareness of youth and water pollution's origins, consequences, and health risks. The study utilizes original information gathered from college students and various papers. According to the study's findings, the majority of educated young regard water pollution as an environmental concern and rank it as the top hazard. The study determined that untreated sewage and industrial discharges were the two main contributors to water pollution. In the study, typhoid, diarrhea, dengue fever, cholera, Jaundice, malaria, chikungunya, etc. survey. According to the report, the best way to stop environmental degradation is through public awareness campaigns that involve the general public and rigorous adherence to environmental rules by relevant authorities. It is advised that there should be an appropriate system for disposing of waste and that waste should be treated before entering rivers and other bodies of water.

Keywords: Contamination, Disease, Pollutants, Global Warming.

Introduction:

Water pollution is a terrible issue that has the potential to destroy the entire world. Since water is a simple solvent, most contaminants can simply dissolve in it and contaminate it. The most fundamental consequence of water contamination is that aquatic life, especially amphibians, directly suffers [1,2,3,4]. On a personal level, drinking contaminated and diseased water causes a number of deaths every day. Figure 1 shows the basic water pollution system.




Figure1: Water Pollution

Various Causes of Water Pollution:

Water can be polluted in many ways some of these are explained in figure 2:



Figure 2: Cause of water Pollution

- 1.Industrial waste: Industries generate a significant amount of garbage that contains hazardous chemicals and pollutants that can harm our environment and cause air pollution. They include toxins like lead, hazardous substances include nitrates, asbestos, mercury, sulphur, and sulphur dioxide. Many industries do not have an effective waste management system, therefore they discharge their trash into freshwater bodies of water like rivers and canals that eventually end up in the sea.
- 2.Sewage and wastewater: The sewage and wastewater that is produced by each household is chemically treated and released into the sea with fresh water. The sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problems. Pathogens are known as a common water pollutant. The sewers of cities house several pathogens and thereby diseases.
- 3.Chemical fertilizers and pesticides: Chemical fertilizers and pesticides are used by farmers to protect crops from insects and bacteria. They are useful for the plant's growth. However, when these chemicals are mixed up with water produce harmful for plants and animals. Also, when it rains, the chemicals mix up with rainwater and flow down into rivers and canals which pose serious damages for aquatic animals.
- 4.The burning of fossil fuels: Fossil fuels like coal and oil when burnt produce a substantial amount of ash in the atmosphere. The particles which contain toxic chemicals

when mixed with water vapor result in acid rain. Also, carbon dioxide is released from the burning of fossil fuels which result in global warming [2,5,7].

5. Leakage from sewer lines: A small leakage from the sewer lines can contaminate the underground water and make it unfit for the people to drink. Also, when not repaired on time, the leaking water can come on to the surface and become a breeding ground for insects and mosquitoes.

6. Global warming: An increase in earth's temperature due to the greenhouse effect results in global warming. It increases the water temperature and results in the death of aquatic animals and marine species which later results in water pollution.

7. Radioactive waste: Nuclear energy is produced using nuclear fission or fusion. The element that is used in the production of nuclear energy is Uranium which is a highly toxic chemical. The nuclear waste that is produced by radioactive material needs to be disposed of to prevent any nuclear accident. Nuclear waste can have serious environmental hazards if not disposed of properly. Few major accidents have already taken place in Russia and Japan.

8. Urban development: As the population has grown, so has the demand for housing, food, and cloth. As more cities and towns are developed, they have resulted in increasing use of fertilizers to produce more food, soil erosion due to deforestation, increase in construction activities, inadequate sewer collection, and treatment, landfills as more garbage is produced, increase in chemicals from industries to produce more materials.

9. Leakage from the landfills: Landfills are nothing but a huge pile of garbage that produces the awful smell and can be seen across the city. When it rains, the landfills may leak and the leaking landfills can pollute the underground water with a large variety of contaminants.

10. Animal waste: The waste produced by animals is washed away into the rivers when it rains. It gets mixed up with other harmful chemicals and causes various water-borne diseases like cholera, diarrhea, jaundice, dysentery and typhoid. 14. Underground storage leakage Transportation of coal and other petroleum products through underground pipes is well known. Accidental leakage may happen anytime and may cause damage to the environment and result in soil erosion.

Pollution's Effects on Water:

Aquatic life and humans are equally impacted by water pollution. Most nearby sources of water are garbage and chemical dumping, whether legal or not, pollute cities and metropolitan areas. Here are a few frequent and harmful consequences of water pollution bodies [4].

1. Effects on Humans:

Life is cyclical, and humanity's careless actions frequently come back to bite it. The human family has been impacted by the contamination of water bodies in a number of ways. 2.1 billion People do not have access to clean water, according to WHO report. As then time passes, it was reported that 785 million people lacked access to necessary drinking water. Diseases are one of the main consequences of this. According to the World Health Organization, there roughly 120,000 people per year pass away from cholera.

2. Disruption of the Food Chain:

By shifting the poisons from lower levels of the food chain to higher levels, pollution disturbs the food chain. In rare instances, pollution can completely destroy a link in the food chain. Such have an impact on other creatures by either causing mortality, or excessive development in the event the predator dies.

3. Aquatic Life Loss:

Polluted water has a particularly negative impact on creatures and vegetation that rely on water for survival. An insightful look at how the Deep Horizon disaster affected the environment comes from statistics from the Centre for Biological Diversity.

Treatments for Water Pollution:

1. Treatment of municipal wastewater:

Municipal wastewater (or sewage) is often treated by centralized sewage treatment plants in urban centres of developed countries. The pollutant load in sewage can be reduced by at least 85% when the system is properly built and run (i.e., with secondary treatment steps or more sophisticated treatment). Some plants have additional systems to get rid of pathogens and nutrients, but these more sophisticated processes cost more money each time.

2. Treatment of industrial wastewater:

Some industrial operations produce wastewater that can be handled by sewage treatment plants because it resembles home sewage. Industries that produce wastewater with high quantities of harmful contaminants like heavy metals and volatile organic compounds, organic matter like oil and

grease, or nutrients like ammonia need specific treatment systems. Some industries set up a pre-treatment system to get rid of some pollutants (such as hazardous chemicals), and then they release the wastewater that has undergone this partial treatment into the public sewage system. Most industries that produce considerable amounts of wastewater have their own treatment facilities.

Following technologies are employed to extract heat from wastewater produced by factories or power plants:

1. Cooling ponds are artificial bodies of water that use evaporation, convection, and radiation to chill the environment.
2. Cooling towers, which evaporate or transmit heat to the atmosphere to release waste heat.
3. Treatment of agricultural wastewater

The main cause of agricultural pollution is sediment (loose dirt) that is washed off of fields.

Farmers that want to decrease runoff and keep soil on their farms might use erosion controls. Contour ploughing, crop mulching, crop rotation, sowing perennial crops, and setting up riparian buffers are typical methods [2]. Nitrogen and phosphorus are often added to farms as commercial fertiliser, animal dung, or sprayings of wastewater (effluent) from municipal or industrial sources. Runoff from agriculture leftovers, irrigation water, animals, and air deposition can all include nutrients.

Farmers can utilise Integrated Pest Management (IPM) strategies (which can include biological pest control) to keep pests under control, limit their dependency on chemical pesticides, and safeguard water quality in order to reduce the effects of pesticides.

4. Controlling erosion and sediment from building sites:

Construction sites' sediment is controlled by putting in sediment basins and silt fences, as well as erosion controls like mulching and hydro seeding. By using: Spill prevention and control strategies specially built containers (for example, for concrete washout Structures such as overflow controls and diversion berms, it is possible to prevent the discharge of harmful compounds like motor fuels and concrete washout.

Diseases from polluted water:

The following table gives examples of health problems that can occur from chemical water pollution:

Table 1: Disease from chemical water [7]

Element name	Effect
Arsenic (As)	Dermatitis, Muscular paralysis, Damage to liver and kidney, Loss of hair, Gangrene, Cancer
Cadmium (Cd)	Kidney damage, Cancer
Chromium (Cr)	Skin ulcer, Kidney inflammation, Cancer
Lead (Pb)	Neurotoxin, Blood system and brain damage
Mercury (Hg)	Nerve damage, Kidney damage
Nitrate (NO ₃)	Diseases of domestic animals (above 75 ppm), Harmful for baby (above 67 ppm)

Conclusion

The whole community is currently experiencing the severe effects of water contamination, which is a worldwide concern. Domestic and agricultural waste discharge, population increase, excessive pesticide and fertilizer use, and urbanization are the main causes of water contamination. Human health is being impacted by the spread of bacterial, viral, and parasite diseases through contaminated water. It is advised that adequate waste management procedures be followed and that waste be treated before being dumped into rivers. To stop the pollution, programmes for education and awareness should be set up.

Reference

- [1] Alrumman, Sulaiman A., Attalla F. El-kott, and S. M. A. S. Keshk. "Water pollution: Source and treatment." *American Journal of Environmental Engineering* 6.3 (2016): 88-98.
- [2] Haider, Almas. "Inequalities in Water Service Delivery in Delhi." *Water Integrity Network*. February 2 (2016): 2016.
- [3] Yogendra, Kambalagere, and E. T. Puttaiah. "Determination of water quality index and suitability of an urban waterbody in Shimoga Town, Karnataka." *Proceedings of Taal2007: The 12th world lake conference*. Vol. 342. 2008.
- [4] Owa, F. D. "Water pollution: sources, effects, control and management." *Mediterranean journal of social sciences* 4.8 (2013): 65-65.
- [5] Pawari, M. J., and S. A. G. A. R. Gawande. "Ground water pollution & its consequence." *International journal of engineering research and general science* 3.4 (2015): 773-776.
- [6] Colten, Craig E. "Cities and water pollution: An historical and geographic perspective." *Urban Geography* 26.5 (2005): 435-458.
- [7] Chakraborty, Chandan, et al. "Analysis of the causes and

impacts of water pollution of Buriganga river: a critical study." Int J Eng Res Technol 2.9 (2013): 245-252.

Mr. Chankit

Assistant Professor

Department of Geography,
Government College Jatauli

Hailymandi Gurugram

Email: verma.chankit@gmail.com

Mobile: 9729151009, 9813777384



Abstract

The Earth is the only known planet in whole universe that supports life. The complex processes related to the evolution of life occurred on Earth only because of some unique environmental conditions that were present such as water, an oxygen-rich atmosphere, and most importantly a sea surface temperature and only the Earth has an atmosphere of the proper depth and chemical composition. About 30% of incoming energy from the sun is reflected back to space while the rest reaches the earth, warming the air, oceans, and land, and maintaining an average surface temperature of about 15 °C. But from past some time heavy addition of CO₂ by anthropogenic processes has caused severe worried to very existence to humanity on planet earth. Present paper attempts to bring out some relevant issues and challenges related to Climate change mitigation that are especially relevant in the present global scenario by analysing data provided by IPCC and Various other International Agencies working towards mitigating the impact climate change on earth surface.

Keywords

Anthropogenic, Climate change, Adaptation, Mitigation, Geological history, Green House Gases (GHG's), Carbon Footprints, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Carbon Intensity, Co₂e, Developmental Goals, Climatic Models.

Introduction

Earth is a unique planet, not only among planets of solar system but in whole of universe. Uniqueness of earth lies in environmental conditions that are present on earth surface that are very essential for sustaining healthy life. It is earth's climate (especially its average temperature of 15°C) which has helped life to flourish. Scientifically, temperature on earth's surface is determined by the balance between the influx of energy from sun (that is Solar Radiation) and the Re-radiation of the energy from earth (that is Terrestrial radiation). Earths uniqueness also lies in its temperature balance as earth has able to maintain its average temperature of 15°C which is very crucial for the existence of life on earth

surface. If earth would have no atmosphere or if it would have an atmosphere of different composition, average temperature would have gone to extreme ends in positive as well as negative side of scale and in that conditions life would have impossible. In this way earths uniqueness lies in 'Natural Greenhouse Effect' which may act as a perfect balance between incoming/outgoing heats from earth systems.

In earth's atmosphere there are certain gases which trap potential to long wave radiation and acts as transparent to short wave radiation. These gases have special heat absorbing characteristics and these are known as 'Green House Gases' (GHG's).Historically, these gases have played very important role in maintaining optimum life sustaining temperature on earth (Maslin, 2009). But, after industrial revolution surplus pumping in GHG's in earth atmosphere by anthropogenic causes has drastically altered the original composition of atmosphere. Combustion of fossil fuels, transformed land use, rapid Population growth and high levels of urbanization has caused drastic alteration. This alteration of atmosphere has potential of catastrophic consequences in the form of global climate change.

For present mankind climate change is a very complex issue, no country or no society is immune to it. At the same time no country alone can take on the interconnected challenges possessed climate change, including daunting technological requirements and far reaching global consequences (The World bank, 2010). Normally, earth's climate tends to changes over time largely owing to many natural causes and also partly due to human interference. These natural causes include, process internal to the earth, extra-terrestrial forces and more recently human activities. To understand the concept of 'Climate Change' and debate around climate change one must understand the logic, Issues and challenges in climate change mitigation. Present paper is an attempt to bring out core issues and challenges concerning climate change.

Understanding the concept 'Climate Change'

As per current usage, especially in the context of matters

relating to environment the expression 'Climate Change' often refers only to changes in modern climate, including the rise in average surface air temperature what is now ominously known as 'global warming'. It is most important to understand that present understanding of climate change is based on the presumption of human causation. Technically speaking climate change refers to a statistically significant deviation in either the mean state of the climate or in its variability in terms of more than 30 years average. Burning of coal, oil, and natural gas, deforestation various agricultural and industrial practices are altering the composition of the atmosphere and contributing to it. These human activities have led to increased atmospheric concentration of a number of greenhouse gases, including carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and troposphere ozone in the lower part of the atmosphere. Study is divided into two different but coherent sections. Section I deals with issues related with climate change. Section II deals with challenges in climate change mitigation and ways to combat future climate changes respectively.

Objectives of the study:-

1. To study the basic challenges in global response to climate change mitigations.
2. To compare the change in quantum of green house gases in the world after 1990-2005.

Database and Methodology

Present study is an attempt to look into the various issues concerning to present day climate change debate globally. Study is based on purely secondary data sources collected from varied data sources. Reports of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and World Bank have served as main data sources. Apart from these sources many other studies have been referred to obtain relevant data from them. Study presents data with the help of various graphs and so that visual impression can be achieved.

Climate in Past Geological History:

Climate change of the geological past has been reconstructed by analyzing a number of key indicators, including marine and lake sediments, ice core, cave deposits and tree rings. These evidences have proved that Earth has experienced alternately warming and cooling many a times in the past. A rapid build-up of green house gases caused warming in early Jurassic period, with average rise by 5 degree Celsius. But,

later on this released, CO₂ got trapped in 'rock cycle' reducing the level of CO₂ back to normal level. To comprehend the structure of world climate, one must understand its historical natural variations in a proper framework and for that fortunately reliable data on temperature measurements over periods on geological time scale is now available through many scientific and laboratory research across India and world. But when it comes to present day climate change many things are still not very clear and they are at the stage of debate. Most researchers prove that present climate is changing due to massive pumping of GHG's through human action. At present the issue of climate change is battling with following core issues and challenges in climate change mitigation for common reference point present study accepts that present day climate changes are anthropo-genetic in nature.

Issues related of Climate change

a. Is present climate change is 'Human Induced'?

Till very recently, one of the core issue related to climate change was that the present climate change is 'Natural Cycle' or 'Human Induced'. Many researchers proved that earth's climate in past geological history kept changing; there was time when earth's temperature was more than today's temperature. And at times there were many periods when temperatures were substantially low (these periods are known as ice ages). But today a kind of consensus among scientific community has emerged in a number of detailed reports of Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) that 'present climate change is Anthropogenic'. Created in 1988 by World Meteorological Organization (WMO) and United Nations Environmental Programme (UNEP), the IPCC's purpose is to evaluate the state of climate science as a basis for informed policy action, primarily on the basis of well established and published work. Various reports of IPCC have unequivocally stated that earth's climate is being badly affected by human activities. Report says that: "human activities.....are modifying the concentration of atmospheric constituents...that absorb or scatter radiant energy...most of observed warming over the last 50 years, is likely to have been due to increase in GHG'S concentration." Moreover, comparison of past data shows that there is marked increase in the concentration of GHG's in earth's atmosphere from pre-industrial to now.

b. Question of Who and How Much responsible for climate change?

“The countries most vulnerable are least able to protect themselves. They contribute least to global emission of GHG's, without action they will pay a high price of the actions of others.”

(Kofi Annan, former General Secretary of UNO).

Source: UNDP: Human Development Report 2007-08

Now, When it is proved beyond doubts that climate is changing and its origin is 'Anthropogenic activities'; now the question arises that who is responsible for climate change and how much burden of reduction of green houses gases on whom. Historical evidences shows that developed countries are main culprit in climate change. Their hunger for development has caused change in the concentration of earth's atmosphere. And now this is widely accepted that they should act to undo climate change. On other hand, developing countries are not historical polluters and their race of development has just begun and in no way they can be blamed for climate change. But on the basis of 'Common Responsibility' this can be said that developing countries have major role to play in climate mitigation. The philosophy of 'Common but Differentiated Responsibilities' should act as a founding stone in terms of climate mitigation. The question of 'Responsibility' has two correlated dimensions one is related to polluting sectors of economy and other is most polluting country. In general assumption it is many a times believed that industries are most polluting and agriculture is clean sector. But 1 clearly shows that there is not much difference between industry and agriculture sectors. But when we look into the combined impact of sectors that are mainly related to developed countries (i.e. Industries, Transportation, Power Land Use changes) these covers around 75 % of total emission is produced by only developed nations. Whereas, in developing countries where agriculture is still dominating only contributes remaining 25%.

When it comes to most polluting countries clearly reflects that low income group countries only contributes 2.6 percent of total global emissions whereas OECD countries produces around 49 % of GHG's annually. At the same time USA followed by China, Russia, India are four top polluting countries with 22.02, 19.06, 5.81, 4.33 % share in global emission of CO₂e. One more interesting aspects which

comes out from 1 is that in terms of per capita emission in 2005, USA followed by Australia, Canada, Saudi Arabia are most polluting. In this category India's place in top 20 polluting countries is last with only 1.1 Million tons per year per person. 1 also resembles that Carbon intensity of top 20 polluting countries has not improved as much as it was expected between the time period of 1990 to 2005.

c. How much time we have to act?

On climate change front due to business as usual global temperature have already increased by approximately 0.6°C (1°F) over the last century, and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concluded that the majority of warming over the past 50 years is likely the result of human activities (Houghton et al., 2001). In addition, the IPCC projects that average global temperatures will increase by 1.4 to 5.8°C (2.5 to 10.4°F). Scientists believe that once the rate of temperature increase is above certain level climate system would become 'irreversible'.

2 shows the concentration of GHG's in our atmosphere from pre-industrial to 2005, which clearly reveals that emission of all GHG's has went up in between selected time periods. Human sources such as use of fossil fuel, rice cultivation and various industrial processes has contributed very richly in adding more and more GHG's in atmosphere. In the selected time period concentration of CO₂ has increased by 30 % and CH₄ has increased by 250 %. And if this rate continues without any check we have left with very little to check global warming.

d. Accuracy of various climate change Models

With the development of knowledge concerning climatic variables, Model building has also changed. Now with the help of modern technological advances climatic models are now based on many variables and are far more accurate than the earlier ones. DICE, FAIR, MESSAGE, MiniCAM, PAGE, and REMIND are Peer-viewed models which attempt to predict future climate based on scientific calculations. There are many models also but from last some time people are raising the questions about the accuracy of prediction (Maslin, 2009). Different models predict different future of earth but at the same time they are not unanimous about 'What will happen' like questions and there is a type of uncertainty about what will happen now. At the same time future prediction in a phenomenon which is highly variable and dependent on so many other variables is very

hard nut to crack. Nevertheless, if we accept that whatever these climate change models are predicting is true than in mitigating climate changes following challenges must be taken care off.

1.Challenges in Mitigation

The climate change is going to endanger the very existence of the human race on the planet. And scientists believe that the only solution is in mitigation and adaptation efforts. Climate change mitigation are measures or actions to decrease the intensity of radiative forcing in order to reduce global warming. Mitigation is distinguished from adaptation, which involves acting to minimize the effects of global warming. Most often, mitigations involve reductions in the concentrations of greenhouse gases, either by reducing their sources or by increasing their sinks. Following are the core challenges in climate change mitigation:

Funding for mitigation efforts

As developed countries are 'Historical Polluters' they must take the leading role in financing combating climate change. But climate change will neither effective nor efficient without the active participation and abatement efforts in developing countries. So an equi approach to limiting global emissions of GHG's has to recognize that developing counties have legitimate development needs and their development may be jeopardized by climate changes and that they have contributed little, historically to the problem (World bank, 2010). The contribution of countries to climate change and their capacity to prevent and cope with its consequences vary enormously. The UNFCCC and the Kyoto Protocol therefore foresee financial assistance from Parties with more resources to those less endowed and more vulnerable. Developed country Parties (Annex II Parties) shall provide financial resources to assist developing country Parties implement the Convention. To facilitate this, the Convention established a financial mechanism to provide funds to developing country Parties. Dearth of funds is also hampering climate mitigation very hard. Funds are required for technology development, enhancement of adaptation mechanism, capacity building and scientific researchers at meso and micro level. In developing countries like India, climate change could spell an additional stress on ecological and socio-economic systems which are already facing tremendous pressures due to rapid urbanization, industrialization and economic development so they would

require additional funds to manage normal way of life. But, current climate agreements do not provide binding commitments for adaptation funding.

Adaptation Mechanism of all human act

Adaptation mechanism and strategies present a complementary approach to those of greenhouse gas mitigation. Efforts that limit or reduce climate-driving forces (i.e., mitigation or reduction of greenhouse gas emissions) tend to reduce the degree and likelihood that significantly adverse conditions will result. Actions that can reduce this likelihood are thus reasonable and prudent, and to a large measure have been the primary focus of public attention and policy efforts on climate change. However, recognition that the climate system has a great deal of inertia is increasing, and that mitigation efforts alone are insufficient to protect the Earth from some degree of climate change. Even if extreme measures could be taken instantly to curtail global emissions, the momentum of the Earth's climate is such that additional warming would still happen. Although essential for limiting the extent of rapid and severe climate change, mitigation is not—and this report argues, should not be—the only protective action in society's arsenal of responses. This report explains the concepts of vulnerability and adaptation in the context of climate change. It illustrates selected successes and failures of reactive adaptation to analogous changes in environmental or socioeconomic conditions, and it explores the challenges and potential benefits of deliberately stoking the nation's adaptive capacity with proactive policies in anticipation of climate change.

Conclusion and Way forward

Climate on earth keeps on changing owing natural causes and partly due to human activities. Climate change has put question mark on the very existence of man on earth. If rising sea levels, melting of glaciers, frequent flood and droughts, violent storms are considered as signs of changing climate, Climate Change can have disastrous impact on human life and properties. But, this can be minimized by collective human action. Collective action of all developed and developing nations towards saving humanity on earth will play very important role. Question of diffusion of green technology, financing should be solved in keeping future on mankind on earth, because it is like 'Act now or never' situation. If we don't act now, we will leave a much larger problem to future generations. The good news is that, if we

all join in to stop climate change, we can reduce its impact on our planet earth. Nurturing the nature of climate conciseness is the need of hour.

References

Houghton, J. T., Y. Ding, D. J. Griggs, M. Noguer, P. J. Van Der Linden, and D. Xiaosu, Eds., (2001): Climate Change 2001: The Scientific Basis, Contributions of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, PP. 881. <http://www.ipcc.ch> (Last Accessed on 10 June 2010).

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007): "Climate Change 2007: The Physical Science Basis" contribution of working group I to the Fourth Assessment Report of Intergovernmental Panel on Climate Change Ed. S. Solomon et al. Cambridge University Press.

Kumar, Vinod (Forthcoming issue): "Role of Indigenous knowledge in Climate Change adaptation strategies: A study with Special Reference to North-Western India", Annals of the Association of Rajasthan Geographers (Accepted for Publication).

Maslin, M. (2009): Global Warming: A very Short Introduction, Oxford University Press.

Metcalf, B. and Ramlogna, M. (2008): "Innovation systems and Competitive Process in Developing Economies", Quarterly Review of economics and Finance, Vol. 48, No. 2, PP. 433-446.

The World Bank (2010): Development and Climate Change, World Development Report- 2010.

Meenu

Assistant Professor (T),
Geography, Institute of Higher
Learning, BPSMV Khanpur Kalan,
Sonapat, 131305
Contact no. 9050148284
Email –me121290.ms@gmail.com



Abstract

This article examines and analyses the issues and conflicts related to Sino India relation after Galwan incident and engagement at Ladakh border in June 2020. China remains an unpleasant subject in context of India's security and national interest from 1962 onwards. But China does not appear to feel any insecurity or threat in context of India. From their communist status in 1949, China has done tremendous success in economic and military front as compared to India. To the outside world, India and China show strong impression and similarities as both are ancient civilizations, got their nation status at the same time, both are Nuclear weapon states, large populated states with huge economy, expanding military budgets and are emerging powers in the world. Due to their striking similarities, both are competing in the Indian Ocean and Asia for their emerging status in the world. In spite of these issues, both have bilateral issues also in which border disputes between both the forces are major concern. Due to the misperception and the inability to comprehend each other's international and national ambitions between the two countries yielding the fear for their foreign policy makers against each other. The various incidents at no. of friction points in eastern Ladakh and later Galwan valley clashes again increased the fear and threat to India's security perspective. After these incidents, the two armies held eight rounds of talks in 2020; five rounds of talk held in 2021 and have held 3 rounds of talk so far this year to solve out the issue. This paper traces the impact and development on these misperceptions on Sino-Indian ties through different phases before considering the future of the relationship after these incidents. This paper tries to understand why Chinese troops moved into areas in Ladakh and incident of Galwan happened. This paper also suggests that how can the relation between the two forces be improved and will have positive implications in near future.

Key words: Galwan, Ladakh, incident, conflict, incursion, Line of Control

Introduction

The summer of 2020 witnessed a military aggression

between India and China in which twenty Indian soldiers sacrificed their life and an unspecified number of Chinese casualties happened which is later confirmed by China of four casualties on their side. This incident happened on the night of 15th June 2020. The clash was part of a broader border standoff along the Galwan River between India and China on the Line of Actual Control. Recently history of standoff on border between the forces of India and China can be seen at Depsang in 2013, Chumar in 2014, Doklam in 2017 and no. of friction points in eastern Ladakh including Galwan in 2020. The reason of confrontation between the two forces was because of accidentally come face to face to each other while patrolling activities by the soldiers. But the incident of Galwan is completely different from the previous incidents. This time a large number of Chinese soldiers came to Ladakh along with large no. of Arms and ammunition including tanks and artillery. Before this incident, many disengagement and high level talks between the political leaders & military officials have also happened at several different location. A series of negotiations were called for disengagement on border standoff but they were unable to disengage the troops amassed on either side of the border. Six decades of relative calm between the two countries collapsed in a matter of weeks and the incident of Galwan valley happened. From the above facts, it appears that the incidence of Galwan was not only premeditated but also well planned for achieving several political and military goals by China. The Ladakh crisis suggests that India China relations are darker and more complex than most observers acknowledge.

Tibet is an autonomous region which is captured by China after 1950 Mao's revolution & rule. At the geographical point, it is a plateau which is surrounded by high mountains, lakes and rivers. It is a dry region and receives very less precipitation because it lies in the Himalayan shadow region. The areas in which the eastern section in Arunachal Pradesh which is also called as North East Frontier Agency (NEFA) earlier and Ladakh in western section are of particular concerns for disputes between the

two countries. The China viewed these areas as part of Southern Tibet containing area of 145,000 km² in eastern sector and areas of 34,000 km² in western sector which included most prominently the Aksai Chin plateau bordering Kashmir, Xinjiang and Tibet. Aksai Chin is part of Ladakh which is lost by India in 1962 India china war. It is high altitude cold desert and its south & south-western side Karakoram (K2) ranges are there. It is currently administration by China as region of Xinjiang-Tibet Autonomous region. At the same time, it is also claimed by India as part of Ladakh.

Actual places where China launched multiple incursions across the Line of control in eastern Ladakh in mid 2020 are situated in the Karakoram Range. The relation between India and China soured following a standoff in April-May 2020 over the transgression by the Chinese Army in multiple areas including the finger point, Pangong Tso, Galwan Valley, Hot spring & Gogra and Gurung Hill & Reqin la in Ladakh. The situation worsened after the violent clashes with Chinese troops in Galwan Valley in June 2020. The name of the Galwan valley comes from the Galwan river which originates from Aksai Chin region, passing from K2 ranges and enters into Indian part at Ladakh and joins the Shyok river which originates from K2 range. The area of Galwan valley is strategically important for India as it provides direct access to Aksai Chin from Ladakh. For the Indian Army, this area is crucial for defence of Siachin and Leh. In 1962, India China war took place at Galwan valley in western front of India. In 1957, China built a road, NH G219 that passes through disputed area of Aksai Chin. The construction of this road was one of the reason for 1962 India-China war because that road was built without India's consent. K2 range average elevation is 6000 m & China made sure that LAC goes through the highest crest line of K2 so that Chinese soldiers can control any movement of Indian Army from western Ladakh to Aksai chin. In actual, there is more depth and distance between LAC and NH G219. Galwan valley is only way to provide direct access from Aksai Chin to Ladakh, the Chinese wants to control these areas as the fears that Indians side could threatens their position at Aksai Chin by using the river valley. India try to make a feeder road from Darbu Shyok village to Daulat Beg Old (DBO) road along with the Shyok river, most critical line of communication close to LAC. This road will connects to

Leh from DBO, the most northern point of Indian Territory at Ladakh. The incident of Galwan happened at entrance PP14 point of Galwan valley as the Chinese soldiers came to this point.

The Indian strategic thinkers are strongly in agreement that this border dispute marks a remorseless decline in India-China ties. They argue that the very basis of relations that emerged after 1962 war was from former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi's visit to Beijing in 1988. After modus Vivendi of 1988, the two countries managed to solve out their difference at some level but the Galwan clash again intensified the future relations. The border dispute between Sino-Indian relations had been steadily declining due to rampant misperceptions of both sides, contributing to a lack of trust. The most fundamental misperception between the two countries is the inability to comprehend each other's international ambitions, yielding the fear that their foreign policies are targeted against the other. We can trace the impact and development of these misperceptions on Sino-Indian ties through different phases before considering the future of the relationship after the Galwan dispute.

History and reason for Quarrel

To understand the quarrel between Sino India disputes, a little background is important on the border of Tibet and military relations in the Himalaya region. The India-China border snatches from Aksai Chin in the west through a so called middle sector to Arunachal Pradesh in the east. There are four states, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand & Himachal Pradesh and one union Territory Ladakh which are surrounded with China. The border area along with China is also called Line of Actual Control (LAC) which is an effective border between India and China. Total length of Sino-India border is 4056 km. It can be divided into three sectors, the eastern sector includes border of Arunachal Pradesh & Sikkim, and the Middle sector includes border of Himachal Pradesh & Uttarakhand and the western Sector border with Ladakh. The dispute is over Aksai Chin bordering in Ladakh union territory. Both India and China have started their friendly relations after the 1950s popular Hindi slogan Hindi Chini Bhai-Bhai (Indians and Chinese are brothers). Both countries have got republic status by different struggles almost at the same time (1947-49). Both supported a shared responsibility to lead countries newly

emerging from colonisation in a quest for peace and prosperity against US–Soviet rivalry. However, there were marked differences in the ideologies of the two great leaders between Mao and Nehru who controlled the foreign policies of their respective nations. Nehru chose a foreign policy of non-alignment while Mao adopted a policy of formal support for international revolution. Later China made strategic understanding with Pakistan founded on their convergent interests vis-à-vis India'. This laid the foundation for one of the twentieth century's most enduring alliances which is still intact.

Indo-china war, 1962

The roots of the Indo-Chinese border dispute can be seen before the Chinese invasion of Tibet in 1950. Invasion of China on Tibet has created significant tensions in India which had strategic as well as spiritual interests in Tibet. In 1958, it emerged that the US Central Intelligence Agency and Chiang Kai-shek's agents were financing and training Tibetan rebels in Indian Territory. In November 1961, India launched a more covertly operation establishing military posts north of existing Chinese positions in the disputed territories in an attempt to cut off Chinese supply lines. This approach was reinforced in April 1962 when China was upset under the disastrous impact of the Great Leap Forward, facing threats of military invasion from Taiwan and involved in a proxy conflict with the United States in Laos. By July, however, these international challenges were resolved and China focused its energy on countering India's actions. On 20th October 1962, China attacked Indian positions in both the eastern and western sectors and surprised Delhi. The Sino-Indian war is often cited as a watershed moment in Indian foreign policy after which Nehruvian idealism began to give way to the pragmatic impulses of subsequent administrations. After the war, India began to align itself more closely with the Soviet Union which had begun to split from China within the international Communist movement; meanwhile, China and Pakistan developed closer ties.

The 1965 India–Pakistan war was a litmus test of the already established US–Pakistan relationship as well as the new Sino-Pakistani relationship. When the United States declared neutrality and blocked military transfers to both India and Pakistan, Islamabad turned to Beijing for

assistance which it provided in generous quantities. When war broke out, China came down heavily on Pakistan's side and threatened to open a front with India on the Sikkim border. In 1967 as Mao's Cultural Revolution took hold, India and China again exchanged artillery fire in the eastern sector of their disputed border. As the Cultural Revolution subsided, Washington began cultivating ties with China through Pakistan. During the 1971 unrest in East Pakistan, India faced tremendous pressure from both the United States and China driving Prime Minister Indira Gandhi to seek a military alliance with the Soviet Union. From that point on until the softening the Cold War, India and China were on opposing sides of a global rivalry.

A new phase of Interaction & Correction

In 1988, Rajiv Gandhi's visit to China; it was the beginning of a new stage in India-China relations. It led to fundamental policy shifts. First, both India and China agreed that this relationship would be fully normalized and would no longer be conditional upon prior settlement of the boundary question. Second, both also undertook to maintain peace and tranquillity along the LAC pending a final resolution that was fair, reasonable and mutually acceptable. Third, each acknowledged the legitimate contributions of the other for global peace and progress. This came to be loosely known among Indian circles as the Rajiv Gandhi–Deng Xiaoping modus Vivendi. In 2005, Chinese Premier Wen Jiabao officially recognised Sikkim as part of India and seemed to acquiesce in India's bid for a permanent seat in the UN Security Council. The year of 2006 was declared 'India–China Friendship Year' and was celebrated by the exchange of dignitaries and a year-long programme of cultural events. Significantly, the Nathu la trading pass on the Sino-Indian border in Sikkim was reopened.

After the 2008 financial crisis, when China reoriented its foreign policy to accommodate its growing global ambitions. As China expanded its global role, it did not consider the implications of its actions on India. As a consequence, its new foreign policy was not well received in New Delhi which sparked fear that China was attempting to undermine India's interests. In turn, New Delhi's counter to these policies fostered an antagonistic response in Beijing which did not understand how its new foreign policy affected

India's international interests. This set of interactions marked the first indication of the growing misperceptions and ensuing lack of trust characterizing Sino-Indian relations.

In 2014, Beijing and New Delhi's leadership have been changed and had hardened mutual suspicions about the other's foreign policy. As Prime Minister Narendra Modi instituted a new direction in Indian foreign policy, China's perception that New Delhi was trying to contain China hardened. Despite the Modi government's desire to continue the previous administration's emphasis on strong Sino-Indian relations, its Neighbourhood First policy and closer ties with the United States were perceived negatively in China. Corresponding with these perceptions was Beijing's growing assertiveness vis-à-vis India, symbolized in the 2017 border standoff at Doklam and China's increased naval activity in the Indian Ocean. These actions convinced New Delhi that despite its efforts, China was not sensitive to India's international interests while also building a negative impression of Chinese President Xi Jinping's government. Hence, in 2018, misperception and mistrust became a pervasive feature of Sino-Indian relations. One of the strongest reasons of this situation was reflected in Sino-Indian attitudes towards the Indo-Pacific region. Here, policymakers in Beijing reacted sharply to U.S.-India cooperation in the Indo-Pacific region labelling it "containment." That India's growing influence in the Indian Ocean region stand up its position as a burgeoning international power was not accepted by China. Instead China used these actions in the Indian Ocean region to justify its naval expansion which it now deemed necessary given its perception that the United States and its allies were trying to restrict China's maritime position. These sections illustrate the extent to which each side has misinterpreted the other's international position firmly establishing a sense of distrust in Sino-Indian relations. As a consequence, ties between both countries have reached their lowest point since the 1962 war.

Reasons of misperceptions

There could be many reasons behind the China's military aggression against India. Many Indian strategist thinkers have many arguments for this incident. Some of the reasons which led to Ladakh incident by China are mentioned as below:-

1. From 2017 onwards, India starting to build road on Sino-

India border, due to this, China was worried by this.

2. Recently statement made by Indian politician on claiming Aksai chin is as an integral part of India, provoked China

3. On 5th August 2019, India changed the status quo in J&K by announcing the two separate Union territories and Ladakh was made as a separate UT in which Aksai chin was part of Ladakh. China strongly opposed this action of Indian parliament and reiterated its position on Ladakh as per 1959 proposal.

4. India's closeness with the US and Japan accelerated China's tension in the Indo pacific region. India has warmed up to both the Free and Open Indo-pacific of US & Japan and also associated with QUAD created by four democracies (India, the US, Japan and Australia) to counter China. India along with other QUAD members are also organising Malabar exercises further provoking China.

Dynamic after the Ladakh incidents

After the Galwan valley incident at Ladakh, India china relations became very complex after 1962 India China war. As per India Today magazine's mood of the nation survey of public opinion in August 2020 revealed that nearly 60 % people wanted to go to war with China over Ladakh and 70% thought that they could win the war. Nearly half of the Indian people held China responsible for this crisis. India should not trust on Xinping & China and 84% said that China & Xi had betrayed Modi. 90% favoured boycotting Chinese products and 91% supported the measure taken Chinese apps and contracts of India. 67% were ready to pay more for goods not made in China. In turns out, the Chinese public polled about relation with India also in August 2020 by the Global times & the China institutes of Contemporary International Relations (CICIR). In their survey, it is revealed that 90% of Chinese people supported strong retaliatory action against India if China is provoked by India, 57% felt that India was not a threat to Chinese military, 50% opined that India is heavily dependent on Chinese products and imports and more than 50% people though that India cannot surpass China in terms of national power.

Underlying above views of the Sino-Indian relationship is the notion that two rising powers with rapidly growing economies and global ambitions cannot peacefully

co-exist at such close quarters. Standard realist accounts argue China is unwilling to permit the emergence of India as a power beyond South Asia. In the past China has built alliances and partnerships with countries in the Indian periphery with Pakistan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Bangladesh and more recently with Taliban in Afghanistan to counter India. Combined with the Chinese presence in the Indian Ocean region, this has created some concern among Indian policymakers of strategic encirclement. Still, India has been cautious and in all but naval strategy, circumspect about countering China's moves. New Delhi continues to follow a one-China policy favouring Beijing despite growing military exchanges with Taiwan. India's Look East policy, a serious attempt to correct the conceptual drift in India's approach to Asia beyond China has resulted in substantially growing economic relations with Singapore, Vietnam and Indonesia. Yet India has refrained from seeking out strategic alliances in either East or Southeast Asia.

Conclusion

It seems the two nations stand at a crossroads in the seventieth year of bilateral relations. India has interpreted Galwan & Ladakh as a case of Chinese aggression and places the onus on Beijing to restore the status quo. After years of inclusive Military talks and halting disengagement from the sites of confrontation, the rivals had made little progress till now. The boundary is fundamental to the relationship. China's gesture to restore the status quo ante will be helpful. The key is to find a mutually acceptable resolution. If a mutually acceptable resolution of the situation in eastern Ladakh in the near future is possible, it should then be feasible for the highest leaderships on both sides to reset the relationship. A frank exchange followed by broad understandings might lead to a road map that could trigger a top-down review of the relationship. This might be the only way of building understanding and over time trust. It may also help to deal with specific questions at the functional levels where both sides have different systems of decision making and styles of negotiation so that the two sides do more than simply speak past each other. There are also some other ways by which the relation between both the countries can be improved:-

1. India and China should treat the military escalation in eastern Ladakh with equal seriousness.
2. After the incident of Doklam, army from both sides came

to the standoff in eastern Ladakh, after having many levels of high level talks, the disengagement at many frictions is still pending to be resolved yet. It would be advantageous for both to return to their original points should clarify the LAC issue as a crucial step.

3. The trade between both countries are in favour of China. The unsustainable trade imbalance of more than \$50 Billion per year at the Indian side has gone should be addressed. India should ensure greater symmetry in economic exchanges where India have a complete advantage. A balanced trade and economic relationship might lay a solid foundation for future relations between both economies and mutual cooperation between them.

4. China should not have to hinder the UN resolution on Azhar and support the India's membership towards the Nuclear Supplier Group.

5. Both countries should engage in open dialogue to build trust and better understanding of each other's regional initiatives. China should respect sovereignty and territorial integrity of India and have to listen India's concern on One Belt One Road initiative because it passes through Pak occupied Kashmir which is an integral part of India.

6. There is huge asymmetry between the two economies; China committed Galwan type military aggression against India as China has greater economy. We have to find ways by which we can reduce the gap between the economies size by promoting India's manufactured sector, rapid economic and social progress. In turn, it may lead to changes in military asymmetry and greater respect to India from China.

7. China's string of pearls policy has created lot of confusion for Indian strategic thinkers. China is developing strategic ports at Gawadar, Karachi, Ketu Bunder port in Pakistan, Hambantota in Srilanka, Kunming at Myanmar, which are creating serious problems to India's national security.

At last, the prospects of India-China relations not only improve from the lessons that both countries draw from the Ladakh crisis. The Military threat on the China border is not only diminished but has grown over the course of the crisis. The reinforcement that each side deployed since 2020 has not returned to its original position till now. Both sides have raced to build permanent military infrastructure near the border, it will help them to surge forces to the border in any worse situation. Even if future rounds of talk continue "disengagement & de-escalation" and reduce these forces

returning to the status quo ante is now become impossible. Unsurprisingly China seems to have outpaced India in building these roads, helipads & communications nodes. China still claims Arunachal Pradesh as its own & just as it has pressed its maritime claims once its growing capabilities permit, its military build-up may portend increasing pressure in coming years. Then, it will be better for India to be prepared for all types of battles with China and Army modernization in the future. The essence of this paper is that India should focus to improve its National capacities in the Military domain to counter any worse situation that arises in the future.

References:

1. Bajpai, Kanti. India versus China. New Delhi: Juggernaut publication (2021).
2. Banerjee, Aparna. "India-China Border Clash: 20 Indian Soldiers Killed, Confirms Army," Livemint, June 16, 2020, <https://www.livemint.com/news/india/india-china-border-clash-at-least-20-indiansoldiers-killed-confirms-army-11592325205852.html>
3. Brahma Chellaney, "A Tipping Point in the Himalayas," *Hindustan Times*, June 10, 2020, <https://www.hindustantimes.com/columns/for-india-at-tipping-point-with-china/story-6hwPN84esqFFpWPssRn3yM.html>.
4. Gokhale, Vijay, The road from Galwan: The future of India China relation. New Delhi: Carnegie India. (2021, March).
5. Gokhale, Vijay, The Long Game: How Chinese negotiate with India, Gurugram, Penguin Random House India (2021)
6. Malone, David M. Does the elephant Dance. New Delhi: Oxford University Press (2011).
7. Malone, David M & Mukherjee Rohan. India and China: Conflict and Cooperation- research paper (2010)
8. Menon, Shivshankar, What China Hopes to Gain From the Present Border Standoff With India, wire magazine, 2020, December.: <https://thewire.in/external-affairs/what-changed-india-china-ties-2020-result-rising-tensi9>.
9. Pant, Harsh V, Politics and Geopolitics-Decoding India's neighbourhood challenges. New Delhi: Rupa Publications. (2021) pp-38-55.
10. Rao, Nirupama. The fractured Himalaya-India Tibet China 1949-1962, Gurugram: Penguin Random House India. (2021).
11. Saran, Shyam, How Chinese Sees India and the World: The Authoritative account of the India China relationship, New Delhi, Juggernaut Books (2022)
12. Sikri, Rajeev. Challenge and Strategy, Rethinking India's foreign Policy, New Delhi: Sage Publication (2013).

Ajit Singh

Ph.D. Research Scholar

Dept of Political Science, Maharishi

Dayanand University,

Rohtak-124001

Address- Ajit Singh s/o Prem Prakash,
VPO-Pahari, Teh-Pataudi, Gurugram-122503
(Mob: 9739756463)

Abstract:

Panchayati Raj, as a system of governance at the grass roots level in rural India, has rightly been conceived as the most viable and proper mechanism of realizing the goals of democracy and decentralization. The current debate is not on its desirability but on strengthening it by identifying its weakness and taking care of the lacunae which are still there in spite of its constitutionalization through the historical 73rd Constitutional Amendment. It has now been more than two decades since Panchayati Raj in India had not only been constitutionalized in the true sense of the term but also given a status which has led to the debate on district government and creation of third tier of federal policy in India. Empowerment of women and the weaker sections through a well-conceived system of reservation has brought about a change in the socio-political culture of those sections of society and has also led to a virtual transformation of the rural scene where people have not only increasingly become aware of their rights but have also started demanding their share in power. In fact, rural India today has become the embodiment of a new revolution which seeks to provide a much-needed direction to the polity and thereby make democracy and decentralization vibrant and feasible for those who deserve it most.

Introduction

Decentralization and democracy are the most significant themes in any discussion in the realm

of development and polity. The dawn of the 21st century, in a way, marks the emergence of an era where the futility of centralized experiments of governance has been conceded and decentralized governance has unequivocally been advocated, both as a strategy and philosophy of bringing about reforms and changes in democracies which should invariably lead to virtues of transparency, responsiveness and accountability and ensure good governance. Democracy is considered as one of the best forms of government because it ensures liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity as well as the right to participate in political decision-making. Participation and control of governance by the people of the country is the essence of democracy. Such participation is possible only when the powers of the states are decentralized to the district, block and village levels where all the sections of the people can sit together, discuss their problems and suggest solutions and plan, execute as well as monitor the implementation of the programmes. It called the crux of democratic decentralization.

Rationale for Democratic Decentralization

G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, in their book *Decentralization and Development*, have enumerated the following advantages of decentralization:-

* Tailor-made plans as per the needs of heterogeneous regions and groups are possible.

- * It can cut red-tape.
- * Closer contact between government officials and local population is possible.
- * It can allow better penetration of national policies to areas remote from the national capital.
- * It will ensure greater representation of political, religious, ethnic and tribal groups in development decision-making that could lead to greater equity in allocation of resources.
- * Capacity of local institutions and their managerial and technical skills will develop.
- * Top management would be relieved of routine jobs and devote time to more important jobs.
- * It will ensure better coordination.
- * It will institutionalize the participation of the citizens and exchange of information.
- * It will offset the influence of the elite people.
- * It will lead to a more flexible, innovative and creative administration.
- * Local people can execute, monitor and evaluate better than the central agencies.
- * Increased political stability will be ensured by increasing the participation of the local people in decision-making.
- * It will also reduce the cost of planning and increase the number of public goods.

However, mere decentralized decision-making will not be effective or ensure social equity unless the capacity of local organizations and administrative units is developed. Decentralization is not an end in itself, but it depends on the circumstances under which decentralization occurs. Democracy provides the best environment for nurturing its growth and realization.

Abraham Lincoln defined democracy as “the government of the people, by the people and for

the people”. But, in the present context, people can participate in the government at the top level only indirectly by electing their representatives to run the administration, but, at the lower levels, they can participate directly but identifying their needs and prepare micro-level plans as well as execute such plans.

In India, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Jai Prakash Narayan described democracy as the government that gives 'power to the people'. Gandhi said: “True democracy could not be worked by some persons sitting at the top. It had worked from below by the people of every village”. Nehru also advocated democracy at the lower levels when he opined: “Local self-government was and must be the basis of any true system of democracy. People had got into the habit of thinking of democracy at the top and not so much below. Democracy at the top could not be a success unless it was built on this foundation below”. Jai Prakash Narayan also favoured power to the people of the village along with the government at the centre when he remarked: “To me the Gram Sabha signifies village democracy. Let us not have only representative government from the village up to Delhi, one place, at least let there be direct government, direct democracy. The relationship between the Panchayat and Gram Sabha should be that of the Cabinet and the Assembly”.

Philosophy of Panchayati Raj

Mahatma Gandhi's vision was that democracy through people's participation could be ensured only by way of 'Garam Swarajya'. He wanted Gram Swarajya in villages where there will be a village republic and the management of the affairs of the village would be done by the people

themselves. They would elect their president and common decisions would be taken unanimously by the Gram Sabha of the village. According to Gandhi's Gram Swarajya, "every village should a democracy in which they will not depend even on neighbour for major needs. They should be self-sufficient. For other needs, where cooperation of others would be essential, it would be done through mutual cooperation. It will be swarajya of the poor. No one should be without food and clothing. Everybody should get sufficient work to meet one's necessities. This ideal can be achieved only when the means of production to meet the primary needs of life are under the control of the people. True swarajya cannot be achieved by power to a few people. People should have the capacity to prevent misuse of power and regulate it."

"How to give power to the people" has been a issue of concern and debate in our country. India, as welfare state, has to discharge multifarious functions. If the central and state governments alone discharge all such functions, efficiency cannot be ensured. Hence, it becomes essential to decentralize powers and responsibilities to the local bodies, which may plan programmes as per the local needs and aspirations, as well as execute them efficiently with the help of the local people. The late Prime Minister of India, Lal Bhadur Shastri, was also of the opinion that "only the panchayats know the needs of the villages and hence development of villages should be done only by the panchayats. Prosperous people in villages should ensure that powers given to the panchayats are used in the interest of the poor. The panchayats are the foundation of democracy and if the foundation is based on correct leadership and

social justice, there can be no danger to democracy in this country. Efforts should be made that the institutions established for community development and Panchayati Raj, After independence, are used for establishment of real democracy and improving economic and social conditions of the people."

After independence, many functions were included in the state list, consequent to the objective of a welfare state as enunciated in Article 38 of the Constitution of India. Besides law and order and public administration, many welfare functions like education, health and family welfare, transport, social security, agriculture extension, animal husbandry, irrigation and power, urban development, rural development, poverty alleviation and employment generation, population control and environment regulation, etc., became the concern of the states. Consequently, many new departments were created, resulting in a huge expansion of the service cadre and bureaucracy. Therefore, it became essential to decentralize the powers, especially relating to the social services sectors and welfare functions. Moreover, it was also necessary to consult people for whom such schemes were being implemented.

Swarajya through Panchayati Raj

It was also laid down in Article 40 of the Constitution that "the state shall endow such powers and responsibilities to the Panchayats so as to make them institutions of self-government". In pursuance the Directive Principles also, it was conceived to decentralize powers and functions to the Panchayati Raj Institutions.

When five-year plans were launched, community development in rural areas was being done

through bureaucrats who were conversant with the local needs of the people. People's participation was missing. The Balwant Rai Mehta study team recommended the association of the people's elected representatives for effective rural development, which led to the establishment of Panchayati Raj in 1959. S.K. Dey, the then Minister for Community Development, announced that "Panchayati Raj as we visualize will, therefore, mean progressive increase in competence from the ground upwards and corresponding transfer of responsibilities from the Centre to the ground. If one wishes to climb higher, one must reduce the burden of avoidable weight on his shoulders. In order to function at the level, our Centre must be relieved, of responsibilities which should be discharged by the State Government, the State Government should be relieved, likewise, of responsibilities such as can be discharged by the Panchayati Raj Institutions along the line—the Z i l a Parishad, Block Panchayat Samiti, Gram Panchayat, associate voluntary institutions and the individual families. Panchayat Raj will, thus, grow to a way of life and a new approach to government as against a unit of government. It will bring about a complete link up of our people from the Gram Sabha to the Lok Sabha."

In a democracy, the decision-makers should use their powers, as far as possible, with the consent and understanding of all concerned. By way of Panchayati Raj, people participate more and more in politics and administration. The key to the success of democracy lies where more and more strength is given to people's elected bodies at the district, block, and village levels. At the village level, even the poor people, including the SCs, STs

women and other marginalized sections of the community get a chance to participate in the administration of the village. Thus, Panchayati Raj is a system which ensures people's participation at the lowest levels. It is democracy at the base level. Panchayati Raj Institutions become a training ground for developing leadership at the primary stage because they become well-versed with the local problems and deal with such problems.

Guiding Principles for Panchayati Raj

The credo of Panchayati Raj is :-

- *Give power to the people.
- *Power is about people's participation.
- *Build democracy bottom up.
- *Awaken the collective consciousness of the masses.
- *Start with the Gram Sabha.
- *Through elected representatives, not bureaucrats.
- *Give the feeling of participation.
- *Bring about transformation through real devolution of power.
- *Teach by showing, learn by doing.
- *Plan with people's consensus.
- *Motivate people to strive for their own good.
- *Approach with humility and a measure of faith.
- *Lead the people to achieve their goals.
- *Not a show-case but a pattern.
- *Not coercion but consensus.
- *Not order but participation.
- *Not rule but representation.
- *Not relief but realizing their potential power.
- *Not to conform but to transform.
- *Not a piecemeal but integrated approach.

These principles have universal values and the effort to put them into concrete reality. Panchayati Raj has no exception in these regions. A sustained

attempt to relay the goals of democracy at the grass roots level has yielded a vocabulary of suggestions which, if implemented faithfully, can go a long way in realizing the goals of swarajya. These are, of course, an outcome of researches on experiments with Panchayati Raj during the last many decades and are being outlined here to focus on the basic issues of concern across the different states in India since these continue to be core of the debate on the new Panchayati Raj.

Realizing Swarajya through Panchayati Raj

1. Regular elections should be held for the Panchayati Raj Institutions every five years so that the people at the village level regularly get a first-hand opportunity to take part in the decision making at the local level and take training in politics.
2. Panchayati Raj Institutions should be entrusted with sufficient powers and functions so as to make them institutions of self-government in the real sense of the term.
3. Powers without resources is a nullity. Hence, the government should be liberal in passing on the share of taxes collected by state to such bodies in proportion to the population for local development works.
4. Panchayats should be empowered to impose local taxes like house tax, toll tax, entertainment tax, sanitation tax, water tax, etc., compulsorily to raise their own resources for development.
5. Incentive in the form of matching contribution equal to the taxes and other own resources raised should also be provided by the state so that the Panchayati Raj Institutions become self-sufficient.
6. All such efforts will bear fruit only when

sufficient staff is also placed at the disposal of the panchayats to implement the decisions taken at local level.

7. Capacity building of newly elected people's representatives, specially the women, SCs and STs, through intensive training and orientation programmes must be made a regular feature so as to develop local leadership and ensure efficiency and social justice in development.
 8. Political will at the state level and the will of the top bureaucracy is also a pre-condition for the successful implementation of Panchayati Raj in true spirit.
 9. The Gram Sabha, as the Lok Sabha of the village, can ensure full participation of all the adult voters as well as train villagers in democracy. Hence, powers should be vested in the Gram Sabha to ensure real 'Gram Swarajya'. The decisions of the Gram Sabha should be made binding on the panchayat as the cabinet is bound by the decisions of the parliament. The Gram Sabha, as a vigilance body for social audit of the panchayat, should exercise ownership of the natural resources of the village and have control over all the social service institutions and their staff.
 10. The Members of the Parliament, the Legislative Assembly and the Ministers of the State should not snatch the powers and resources of the Panchayat Raj Institutions but give them full support to develop as real institutions of self-government.
- Thus, the Panchayat Raj Institutions can ensure grass roots democracy in true spirit, provided that all the powers and functions regarding rural development, along with proper resources and

staff, vested in them. This would undoubtedly pave the way for Gram Swarajya in India.

Conclusion

In a democracy, decentralization of political and economic power is essential, because a few centres of power cannot realize or fulfil the needs of the vast multitudes of people. If India is to develop, the power and responsibilities must be shared by all.

References

- 1.Joshi,R.P., Constitutionalization of Panchayati Raj: A Re-assessment, Rawat Publication, Jaipur, 1999
- 2.Ashok Mehta Committee Report, Government of India Publications, New Delhi, 1978
- 3.Bakshi,P.M., The Constitution of India, Universal Law Publishing Co.,Delhi,1998
- 4.Singh,S.S.and Suresh Mishra, Legislative Framework of Panchayat Raj in India, Intellectual Publication, Delhi, 1993
- 5.Bhuria Committee Report, Government of India Publications, Delhi, 1995
- 6.Panchayat Raj in India, Status Report, Rajiv Gandhi Foundation, March 2000,

Professor Balram Singh

133 Govind Nagar Najibabad
Distt. Bijnor(UP) 246763
9412428986

Job Satisfaction and its Relation to Organizational Citizenship Behavior

Dr.Arun Kumar




Abstract:

Job satisfaction is a very important facet in the life of every employee in the organization. An employee feels more pleasant when he is satisfied with his job. This satisfaction may result in positive commitment among the employees. In this paper, we have discussed the concept of OCB and job satisfaction. We have also elaborated on the various factors affecting job satisfaction and the relationship of job satisfaction with OCB. This study is helpful to understand the relationship between the various facet of job satisfaction and OCB and may result in better organizational outcomes such as more productivity and profitability. This study is also useful for organizations that want to produce efficiency and effectiveness in organizations. Keywords: job satisfaction, organizational citizenship behavior (OCB), co-worker, promotion. 1. Introduction: OCB is a novel concept that represents a very old human conduct of voluntarily doing work, helping co-workers, and gives their maximum time and efforts to the organization without any benefit or rewards. The concept of OCB was introduced by Denis Organ in 1983. OCB defined as behavior that (a) goes beyond the assigned job responsibility (b) is flexible and (c) is of benefits of the organization and co-workers. The main aim of OCB to save the organization from noxious and troublesome behaviors which increase the occupant's skills and capabilities and improve the efficiency and productivity of an organization by effective use of resources. A higher level of OCB leads to better job satisfaction and has positive effects on both organization and employees such as low turnover rate and absenteeism and increases more productivity and profitability for the organization. On the other hand, lower level of OCB decreases job satisfaction and has negative effects on both organization and employees such as nervousness, tension, worry, upset and distress higher turnover rate and absenteeism, and more supervision. Henne et al., (1985) stated that job dissatisfaction may lead

to harmful reactions against the achievement of the organizational goals.2. Job satisfaction: Many researchers recognize that job satisfaction is a universal concept that includes various aspects. The major aspects of job satisfaction include organizational policies and procedures, pay, promotions, nature of work, co-workers, and supervision. Some other aspects like as: reward system, recognition, working conditions, and management, etc. Job satisfaction measures how an employee thinks about his or her job, including various aspects of the job. Many researchers introduced job satisfaction in various ways. Locke (1976) defined that, job satisfaction is a positive emotional reaction that arises from an evaluation of a job or job experience. Job satisfaction is a strong and leading predictor of organizational citizenship behavior (Smith, 1985 and Organ et al., 1995). Victor and Vroom (1978) defined that Job satisfaction is the favorableness or unfavorableness with which employees view their work. Saepung (2011) stated that management increase employee's efficiency and motivation by applying managerial strategies that increase job satisfaction.

Job satisfaction defines personal factors such as employee needs, ambitions, attitude, and organizational factors such as working conditions, rules, and regulations, relationships with co-workers and supervisors. A satisfied employee always contributes positively and remains with the organization. On the other hand, the dissatisfied employee contributes negatively and need higher supervision, nervousness, absenteeism, and high turnover rate. Dissatisfied employees are also in stress/tension and being late or absent from work. Job satisfaction considered the following conditions such as:i) Motivate the employees to work effectively and efficientlyii) Encouraged to stay in the organizationiii) Willing to do work effectively in emergency situationsiv) Without conflicts ready to accept

changes v) Willing to encourage the goodwill of the organization 3. Factors affecting job satisfaction Behavioral researchers claim that job satisfaction is the main function of (OCB). Penner et al. (1997), stated that job satisfaction is the main reason for the precise prophecy of OCB. Job satisfaction has a positive effect on employee behavior (Oshagbemi, 2003). An employee can be satisfied or dissatisfied on various aspects of the job. In the literature, many theories on job satisfaction are related to motivational theories. Motivation is the process of stimulating people to accomplish actions and goals. It is the psychological factor that stimulating people's behavior for success. Motivation theories, on job satisfaction, are divided into two parts namely content theories and process theories. Content theories focus on "what" motivates people and involved with individual goals and needs. (Maslow's Need Hierarchy theory, Herzberg's Two Factor Theory etc) and process theories focus on the "process" of motivation and are involved with how motivation occurs. (Vroom's Expectancy Theory, Hackman and Oldham's Job Characteristics Model etc). Job satisfaction affects the following factors as employee turnover rate, work commitment and performance, absence from a job, and wellbeing, etc. Many researchers explained the following factors that are linked with job satisfaction: demographic variables, personal factors, reward policy, and working environment. Demographic variables consist of occupational level and status, age, gender, time, family conditions, number of dependents, service on the job, and educational level. Personal factors include personality, Specialization, Level of Education, Intelligence, Health, Interests, and Training. Reward policy consists of promotion, monetary benefits, security, bonus, increments, etc. Working environment related to working conditions, the job itself, and relation with co-workers and supervisors. Chirchill et al. (1976) stated seven components of job satisfaction including the job itself, co-worker, supervision, company rules and policy, pay, promotion, and working conditions




Job itself: The job itself plays a significant role in defining the level of job satisfaction. Most employees want a suitable job that allows improvement, success, and growth for them. According to Locker (1985), Employees are interested in getting autonomy, responsibilities, role clarity, and feedback from manages. **Co-worker:** The concept of teamwork is more prevalent today and helps as a source of comfort, support, advice, and support individuals. In the organization, employees like their co-workers which have the same thoughts and facilitate achievements (Locke et al., 1985). Ideal teamwork makes the job more joyful, charming, interesting, and pleasant. **Pay:** Remuneration play a vital role in the field of job satisfaction and ensure social status and fulfill the expectations of the employees. Oshagbemi et al., (2003) stated that salary influence the job satisfaction or dissatisfaction of the employees. Locke et al., (1985) stated that employees want fair remuneration to fulfill their basic needs. Apart from monetary benefits, the organization should provide sufficient allowances and non-monetary benefits, so that they feel motivated and exhibit a very high level of satisfaction. **Supervision:** Supervision is a significant concept that improves the morale and job satisfaction of employees. Employees enjoy an honest, thoughtful, fair, and competent supervisor. Employees want that they are rewarded for good performance and make them partners in decision making in the organization. **Promotion:** Promotional possibilities provide significant effects on job satisfaction. The aspiration of promotion is high among employees as it involves a change in job content, status, pay, responsibilities, etc. (Jackson et al., 2000). When employees

observe that promotion policies, decision, and their implementation are fair, supportive, and lawful they feel more satisfied in their job (Robbins, 2000). Working condition: Working conditions effects on job performance. Due to the frequent changes in technologies, organizations must work on advanced systems, processes, and technology. It is also necessary that the work environment should be neat and clean and provide adequate facilities such as airy, spacious, lighting, tools and equipment, immediate support of supervision, etc. Company policies: Company policies are an important factor affecting job satisfaction. Employees wish to stay in an organization that admires them and their thoughts and values.

4. Relationship between job satisfaction and OCB: OCB is an emerging concept touching how and why employees contribute positively to their organizations above their assigned work. The main function of OCB is to assure that all the employees should work for accomplishing the organizational goals instead of fulfilling their duties. The concept of OCB was introduced by Denis Organ in 1983. OCB defined as behavior that (a) goes beyond the assigned job responsibility (b) is flexible and (c) is of benefits of the organization and co-workers. Organ (1988) defined the following dimensions of OCB: Altruism: helping co-workers Conscientiousness: self-discipline, obey rules and regulations Sportsmanship: willingness to accept changes without complaining Courtesy: prevent problems with other individuals Civic virtue: Voluntarily attend meetings, training campus and take active participation in organization From the literature, it is observed that job satisfaction is one of the important antecedents of OCB and have a positive impact on OCB. In the initial stage, every employee faces many problems which makes him very uncomfortable. But after taking some time they are familiar with the environment and feel very pleasant, express positive affectivity, and express OCB. Work itself is the main component of job satisfaction and a source of motivation.

Organizations should manage work in a way that the task itself becomes one of the biggest motivating factors which promotes OCB. Working condition is significantly related to work motivation. At the workplace, experienced employees show a high level of motivation that leads to higher OCB, more job satisfaction, and less turnover rate. In the present scenario, retention in the main problem instead of recruitment (Wegge et al., 2006)..



Mooman et al., (1991) stated that all the dimensions of OCB were correlated with job satisfaction. A study was conducted by Konovsky et al., (1996) on professionals and administrative employees of a hospital by and concluded that all the dimensions (altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue) of OCB are highly related with job satisfaction. Cekmecelioglu (2011) studied the chemical industry and found that job satisfaction has a significant effect on OCB and a strong antecedent of OCB. Conclusion: There is a direct correlation between job satisfaction and organizational citizenship behavior. Job satisfaction has a positive effect on employee behavior. An employee can be satisfied or dissatisfied based on various aspects. In this study, we discussed the various factors of job satisfaction and its relationship with the OCB and conclude that if the employees are more satisfied then they exhibit high citizenship behavior. This study is useful for organizations that want to produce efficiency and effectiveness in organizations.

References

1. Chirchill, G. A., Ford, N. M. and Walker, O. C. (1976), Organizational Climate and Job Satisfaction in the Salesforce, *Journal of Marketing Research*, 13(4).
2. Feldman D.C. and Arnold H.J. (1983), *Managing*

Individual and Group Behaviour in Organisations, New-York, Mc Grow-Hill.

3. Jackson, S. E. and Schuler, R. S. (2000), *Managing Human Resources*, 7th Edition, South- Western Collage Publishing, New York.

4. Locke E.A. (1976), *The Nature and Cause of Job-satisfaction*, *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Chicago, Rand Mc Naaly.

5. Henne, D. and Locke, E. A. (1985), *Job Dissatisfaction: What Are Consequences?* *International Journal of Psychology*, 20: 221-240

6. Konovsky, M. A. and Organ, D. W. (1996), "Dispositional and Contextual Determinants of Organizational Citizenship behaviors", *Journal of Organizational Behavior*, 17, 253-266.

7. Moorman, R. H. (1991), *Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?* *Journal of Applied Psychology*, 76.

8. Moorman, R. H., Niehoff, B. P. and Organ, D. W. (1993), *Treating employees fairly and organizational citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment, and procedural justice*, *Employee Responsibilities & Rights Journal*, 6(3).

9. Oshagbemi, T. (2003), *Personal Correlates of Job Satisfaction: Empirical Evidenc from UK Universitie*, *International Journal of Social Economics*, 30(12): 1210-1232.

10. Oshagbemi, T. and Hickson, C. (2003), *Some Aspects of Overall Job Satisfaction: a Binomial Logit Mode*, *Journal of Managerial Psychology*, 18(4): 357-367.

11. Penner, L.A. Midili A.R., and Kegelmeyer, J. (1997). *Beyond Job Attitudes: A Personality and Social Psychology Perspective on the Causes of OCB*. *Human Performance*, Vol. 10.

12. Robbins, S. P. (2000), *Essentials of Organizational Behavior*, Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey.13.

13 Saepung, W. Sukimo. (2011). *The relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior in*

the retail industry in Indonesia. *World Review of Business Research*. 1(3).

14. Victor H. Vroom (1978), *Work and Motivation*, New Delhi, Wiley eastern Ltd.

15. Wegge J., Rolf V. D., Gary K., Christiane W., and Kai M. (2006). *Work Motivation, Organizational Identification, and Well-being in Call Centre Work*. *Work & Stress*. Vol. March 20(1).

Dr. Arun Kumar
Assistant professor
Department of Commerce
Rakesh P G.College
Pilani, Rajasthan

Dynamics of Urban Sprawl and its Socio-Economic Implications in Hisar District, Haryana

Sunita, Dr. Sunila Kumari



Abstract

Urban sprawl (also known as suburban sprawl or urban encroachment) is the unprecedented growth in many urban areas of housing, commercial development, and roads over large expanses of land, with little concern for planning. Urban sprawl is subjected to bringing changes in its surrounding classes. It also effects the socio-economic condition of the people. Time to time monitoring of the sprawl is very important as it can bring the clear picture of the situation of the place. In the present study an effort has been made to find out the dynamics of urban sprawl using Remote Sensing and GIS techniques and it find out its socio-economic implications. To find out the socio-economic impact a field level survey was done, a systematic random sampling technique was used to find out the sample for the survey, an effort was made to note the perspective of people from various income group. The data was further interlinked with spatial data and final conclusion was reached.

KeyWords- Urban Sprawl, RS and GIS techniques, Socio economic survey, systematic random sampling.

Introduction

Urban sprawl occurs on agricultural land, toward highways, on historical sites, on water sources, and on the sources of biodiversity. It can take many different forms, such as residential buildings, industrial facilities, infrastructure, etc. The world's agricultural resources continue to face challenges from urban development on agricultural land. Advocates for fair housing, environmentalists, land use planners, and even many of the employers in the suburbs who are unable to find the necessary employment realised that the consequences go far beyond aesthetics when a development threatens the quality of life for inhabitants. Metropolitan sprawl, which results from the loss of agricultural land to deterioration, is a problem that affects urban populations as well as suburban and rural locations. In his way, sprawl consumes thousands of acres of forest and

agricultural land. Land use policies that allow this sprawl is based on a complex framework of laws and regulations.

Urban sprawl on agricultural lands has developed into a global issue that affects rich and poor countries alike. Most governments around the world, especially newly forming ones in and around cities, found it difficult to deal with the rapid population development and the attendant loss of resources, notably agricultural lands. Despite having little natural resources, District Hisar mainly depends on agriculture to provide for its food needs. Like in other developing nations, agriculture provides a means of living for many households in the nation. Urban expansion significantly increased in the latter decades of the twentieth century as a result of natural population growth. Housing and human resources are in greater demand as the population increases. As a result, agricultural areas began to dwindle day by day, and the quick cultural transformation and change. In Hisar, population increase has changed the traditional relationship between people and the environment.

The study of urban sprawl and its impact on other land cover classes at different time period can easily be done using change detection techniques of Remote sensing and GIS. Change detection captures the spatial changes from multi temporal satellite images due to manmade or natural phenomenon. It is of great importance in remote sensing, monitoring environmental changes and land use –land cover change detection. Remote sensing satellites acquire satellite images at varying resolutions and use these for change detection. This paper briefly analyses various change detection methods and the challenges and issues faced as part of change detection (Rawat.et.al, 2011).

Methodology used

The present work was initiated by downloading Landsat images for the year 2000 and 2020. LULC images for both the year were created for these years. Change detection

analysis was done to find out the urban area spawl change. A socio-economic survey was done on this changed area. The sample for the survey were taken using systematic random sampling method. For the survey all the wards were arranged based on population. Then every 5th ward was selected to be a part of the survey. The population structure for the survey was selected based on economic strata. The methodology scheme is highlighted in Figure 1.




Fig 1- Methodology Scheme

The surface of the earth changes continuously due to the natural phenomena or human activities. The process of identifying the changes which has occurred over time on the earth effectively in the field of remote sensing using various techniques. (Mishra et.al, 2017).


Despite recent industrial developments, Haryana is still considered to be primarily an agricultural state. About 70% of the residents are engaged in agriculture in Haryana. Wheat and rice are the main crops. Haryana is self-sufficient in food production and is the second largest contributor to India's central grain bank. The main crops of Haryana agriculture are wheat, rice, sugarcane, cotton, oilseeds, gram, barley, corn, millet, etc. There are two main types of crops in Haryana agriculture: Rabbi and Khalif.

Rice, jowar, bajra, maize, cotton, jute, sugar cane, sesame, and groundnuts are the principal Kharif crops in Haryana. When the rains start in June, sow seeds after preparing the soil in April and May. In the first part of November, crops are ready for harvest. Wheat, tobacco, gramme, flaxseed, rapeseed, and mustard are the principal crops grown by rabbis. Late October or early November is used to prepare the soil, and March is used to collect the crop. 96% of the area

is arable land, which makes up around 86% of the total area. A large network of canals and tube wells are used to irrigate almost 75% of the region. India's Green Revolution in the 1970s, which made the nation food self-sufficient, was significantly aided by Haryana. The state makes a considerable contribution to the nation's agricultural education market. The "green revolution" in the state has been significantly aided by Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, which is the largest agricultural university in Asia and is located in Hisar. The data of overall area cannot highlight the true picture of any area. To get a better picture the local people have to be interacted. Socio economic survey is an essential part of every geographical study. The present study is on urban sprawl and its impact on other classes in Hisar District of Haryana, the present study area has seen an increase in the area of urban sprawl in last 2 decades. The change is on the basis of compromising other land cover classes. In the LULC maps created for the year 2000 and 2020 clearly shows that the change is seen mostly over the agricultural land. Thus, it is a proven fact that in the present study area the area under urban space is increasing whereas the area under agricultural area is decreasing. But studying the physical change is not enough to get a overall picture of an area, with every change of land cover there is a change in the socio-economic as well as cultural arena to. To know more about the cultural and socio-economic change a socio-economic survey was conducted.


Out of the total people surveyed 80.8% people belong to the local area whereas 20.2% people have migrated from other places. Most of the people have migrated from states like Uttar Pradesh, Bihar, Punjab. Figure 2 is highlighting it clearly.

Fig 2. Residency of the people




Source- Based on data collected from Primary Field Survey

Fig 3 Permanent Resident and Migrants




Source- Based on data collected from Primary Field Survey When these individuals were questioned regarding the reason behind their relocation to the area, they stated that internal migration and urbanisation were closely related processes. The latter has historically played a significant role in the expansion of urban areas and is seen as having started and supported the urbanisation process. Natural growth, migration, and administrative reclassification of urban areas—both of which are significant—are all likely to contribute to an increase in urban population growth. Overall, depending on the degree of urbanisation, the relative contributions of migration and natural growth to urban expansion varied. The contribution of net migration to urban population increase is typically greater than that of natural growth during the early phases of development, when the level of urbanisation is low and both urban and rural natural growth rates are high. Relatively slow but steady growth rate of urban population in Haryana.

Fig 4 Occupation Structure



Source- Based on data collected from Primary Field Survey The respondents were then asked about their occupation structure, out of the total respondents 44% respondent answered that they are engaged in public sector, 42% are engaged in private sector, 10% do agricultural activities and 4% are into other jobs. When enquired about the availability of agricultural land 62.5% of total respondents accepted that they have agricultural land whereas 37.5 % people said they don't have land for agriculture. The stats is highlighted in fig 5.

Fig 5 Availability of Agricultural Land



Source- Based on data collected from Primary Field Survey The scenario clearly tells that many people do have agricultural land but these people are also engaged in tertiary as well as secondary activities that means agriculture is no more the main source of income for the people of Hisar.

The respondents were also asked about the changes in the economic activities they have observed in these time period in that they have answered that in these 2 decades the occupation structure has shifted from primary to secondary and tertiary activities.

Out of the total respondents 80% believed that people are shifting towards secondary and tertiary activities.10 % agreed that between 2000 and 2020 there has been a decrease in agricultural land. Another 5 % also accepts that there has been increase in the area under certain crops.



Source- Based on data collected from Primary Field Survey Change should always be for better, as in the previous part it has become clear that there is an increase in the area under urban sprawl in Hisar district. Due to the combined effects of climate change and rapid urbanization, urban water scarcity is a critical issue worldwide. Urban water scarcity can be defined as the lack of sufficient water supply to meet the needs of urban areas, although future water supply may be significantly affected by climate change due to changes in precipitation and increased urbanization. Rapid urbanization will exacerbate the imbalance between water supply and demand, leading to an increased possibility of future water shortages in developed regions. Growing water scarcity and limited water resources may also constrain further

urbanization.

Urban development or population expansion may be the cause of rapid urbanisation. Prior research has mostly examined how urban water shortage is impacted by climate change or population increase, but urban development patterns themselves can have a considerable impact on regional hydrological cycles by changing the geology of watersheds (e.g., slope, permeability, etc.). Understanding how urban growth patterns contribute to water shortage might give policy makers a foundation for future water scarcity mitigation.

Urban development can be defined as the interaction of vertical growth (high density) and horizontal growth (spread) patterns. Sprawl patterns refer to low-density urban areas with segregated land use and population homogenization, while high-density patterns refer to urban areas with uneven populations, accompanied by small areas of open or green space to accommodate large numbers of residential and commercial buildings. Urban development patterns are one of the main drivers of rising urban water demand. A disorderly development model can lead to an increase in outdoor water use per capita, while a high-density development model can lead to a decrease in outdoor water use.

Despite extensive research on water scarcity at different spatial and temporal scales, the importance of the role of urban development patterns remains poorly understood and discussed. Most previous national-scale studies have mainly examined the distribution of water availability and water demand and the mismatch between the two, while previous regional-scale studies have focused on urban development and emphasized the important role of land use change on future regional water availability. MacDonald et al. (2011) investigated how population growth and climate change will affect water availability in developing countries' cities, noting that the effects of water scarcity can be attenuated by the efficient use of landscape resources. Li et al. (2020) report that both the level and type of urbanization have a considerable impact on water scarcity.

They studied the Beijing-Tianjin-Hebei mega-region in China and found a positive correlation between anthropogenic water scarcity and landscape urbanization, implying that an increase in building area would exacerbate water scarcity due to an increase in building water consumption. land.


In addition, many studies reports that urban development can lead to an urban heat island effect (UHI), where the temperature in urban areas is higher than in surrounding rural areas. Huang et al. (2019) report that the global urban land area could expand by 78%-171% by 2050, leading to an increase in temperature of 0.5-0.7°C, up to 3°C in some regions. Previous studies have reported that the physical form and land cover of cities strongly influence the strength and pattern of UHI. For example, people living in low-density cities use irrigated landscapes to reduce daytime temperatures.

In the United States, the urban population has grown from 6% to 81% over the past 200 years, and urban areas continue to expand. The process of urban expansion in the American West and Southwest has intensified at an alarming rate. While rapid urbanization seems inevitable in the United States, understanding a sustainable way to mitigate potential negative future impacts on urban water resources is an important challenge.

Although the above studies describe the impact of land use change on water use, there are fewer studies on the enhanced characterization of the combined effects of population growth and climate change on future water scarcity characteristics under different urban development model scenarios. Understanding the link between water supply and development patterns is critical to effectively managing and planning for future urban water resources. In other words, the importance of urban development patterns to future water scarcity has received less attention than climate change and population growth as major sources of exacerbating water scarcity. Climate change exacerbates rapid urbanization More and more people are coming to Hisar for job or for some better opportunities. But with this

there should also be the availability of basic facilities. One the most basic facility is drinking water, out of the total people surveyed 80% said they have availability of drinking water generated by municipality. 20% agreed that they still have to suffer for getting safe drinking water.

Fig 7 Access to Drinking water



Source- Based on data collected from Primary Field Survey

Urban populations interact with their environment. Urban people transform their environment by consuming food, energy, water and land. In turn, polluted urban environments affect the health and quality of life of urban populations.

People living in urban areas have very different consumption patterns than those in rural areas. For example, urban populations consume more food, energy and durable goods than rural populations. In China in the 1970s, the urban population consumed more than twice as much pork as the rural population who raised pigs. As the economy developed, the consumption gap narrowed as the rural population ate better. But even ten years later, the urban population is eating 60 percent more pork than the rural population. Rising meat consumption is a sign of Beijing's growing affluence. In India, where many urban dwellers are vegetarians, increased milk consumption has brought greater prosperity. The urban population not only consumes more food, but also more durable goods. In the early 1990s, Chinese urban households were twice as likely to own a television as rural households, eight times as likely to own a washing machine and 25 times as likely to own a refrigerator. This increased consumption is a function of the urban labor market, wages, and household structure. Energy consumption for electricity, transportation, cooking and heating in urban areas is much higher than in rural areas. For example, the urban population has far more cars per capita

than the rural population. Almost every car in the world in the 1930s was in America. Today, in the United States, there is one car for every two people. If this becomes the norm, by 2050 there will be 5.3 billion cars in the world, all using energy.

In China, per capita coal consumption in urban areas is more than three times that in rural areas. Comparing changes in world per capita energy consumption and gross national product shows that the two are positively correlated, but may not change at the same rate. The relative price of energy has risen as countries shifted from using non-commercial to commercial forms of energy. As a result, economies tend to become more efficient as they develop due to technological advancements and changes in consumer behaviour. However, despite efficiencies and new technologies, the urbanization of the world's population will increase total energy use. Increased energy consumption may have detrimental effects on the environment.

Urban energy consumption contributes to the formation of heat islands, which alter local weather patterns and the tailwinds of heat islands. Heat islands occur because cities radiate heat back into the atmosphere at 15 to 30 percent less rate than rural areas. Increased energy consumption and differences in albedo (radiation) mean that cities are warmer (0.6 to 1.3 degrees Celsius) than rural areas. These heat islands become traps for atmospheric pollutants. Cloudy and fog are more frequent. Cities get 5% to 10% more precipitation; thunderstorms and hail are much more frequent, but snow days are less common in cities.


Urbanization also affects the wider regional environment. Precipitation, air pollution and thunderstorm days also increased in areas downwind of large industrial parks. Urban areas affect not only weather patterns, but also water runoff patterns. Urban areas generally produce more rainwater, but they reduce water infiltration and lower the water table. This means that runoff occurs faster and peak flows are greater. Flood volumes have increased, as has downstream flooding and water pollution.

Many of the environmental impacts of urban areas are not

necessarily linear. Larger urban areas don't always create more environmental problems. Small urban areas can cause big problems. The main factor that determines the degree of environmental impact is the way urban populations behave – their consumption and lifestyle patterns – not just how big they are.


In the present study area 80% of the respondents accepted that there has been a negative impact of urbanization on the environment rest 20 % don't feel there has been any change in environment due to urbanization.

Fig 8 Environmental Problems



Source- Based on data collected from Primary Field Survey
The growth of urbanization also impacts the cultural structure of a society. Urbanization welcomes migration which leads to heterogeneity in the society. The effect of this change can be directly seen in cultural parameters like festivals, language, dressing pattern and food habits.

Fig 10 Dressing pattern



Source- Based on data collected from Primary Field Survey
Festivals comprise an important part of every culture. Even India is considered as a country of festivals. There is one or other festival in every month. The knowledge of festivals highlights the cultural awareness of the local people. In the present study area out of the total respondents 82% respondents are aware of the local festivals and celebrate them on time, 18 % are not much aware of the local and cultural festivals.

To validate the accuracy of the work a field level

survey was also done. The places having the maximum changes within these years were scanned in the field too. Photographs of these changes were also clicked to confirm validity of the work.

Conclusion

Hisar District of Haryana is emerging as a hub of culture and education. Over the period of time, it has seen various changes, one of the biggest changes is the growing urbanization. The growing urban sprawl is putting a great impact on the agriculture of this area. Moreover, the local people are transforming and shifting towards secondary and tertiary sector of economy. To have a clear understanding of this situation a socio-economic survey was conducted in which the sample were selected using a systematic random sampling technique. From the survey it was made clear that the urbanization is making the local society heterogenous, people are adopting western lifestyle, most of the educated residents are adopting salary-based work rather than working hard in agriculture.

References

1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. Retrieved from <http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/Arellano-Bond.pdf>
2. Barrios, S., Bertinelli, L., & Strobl, E. (2006). Climatic change and rural-urban migration: The case of Sub-Saharan Africa. *Journal of Urban Economics*, 60(3), 357–371.
3. Berry, D. (1978). Effects of urbanization on agricultural activities. *Growth and Change*, 9(3), 2–8.
4. Binswanger-Mkhize, H. P., Johnson, T., Samboko, P. C., & You, L. (2016). The impact of urban growth on agricultural and rural non-farm growth in Kenya. Tata-Cornell Institute for Agriculture and Nutrition (TCI). Retrieved from <https://tci.cals.cornell.edu/sites/tci.cals.cornell.edu/files/shared/The%20Impact%20of%20Urban%20Growth%20on%20Agricultural%20and%20non-farm%20income.pdf>

5. Corden, W. M., & Neary, J. P. (1982). Booming sector and de-industrialization in a small open economy. *The Economic Journal*, 92(368), 825–848. doi:10.2307/2232670
6. Davis, K. (1955). The origin and growth of urbanization in the world. *American Journal of Sociology*, 60(5), 429–437.
7. Firebaugh, G. (1979). Structural determinants of urbanization in Asia and Latin America, 1950– 1970. *American Sociological Review*, 44(2), 199–215.
8. Gollin, G., Parente, S., & Rogerson, R. (2002). The role of agriculture in development. *American Economic Review*, 92(2), 160–164.
9. Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development: A two-sector analysis. *American Economic Review*, 60(1), 126–142.
10. Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector auto regressions with panel data. *Econometrica*, 56(6), 1371–1395. doi:10.2307/1913103
11. Iheke, O. R., & Ukandu, I. (2015). Effect of urbanization on agricultural production in Abia state. *International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems*, 5(2), 83–89.
12. Ivanova, R., & Jeong, B. (2011). Why don't migrants with secondary education return? (Working Paper Series 449). Prague: CERGE-EI. Retrieved from <https://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp449.pdf>
13. B. F., & Mellor, J. W. (1961). The role of agriculture in economic development. *The American Economic Review*, 51(4), 566–593.
14. Kalamkar, S. S. (2009). Urbanization and agriculture growth in India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 35(3), 442–461. Retrieved from <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/204644/2/13-Kalamkar.pdf>

Dr. Sunila Kumari
Assistant Professor
Department of Geography,
Baba Mastnath University,
Rohtak, India

Sunita
Research Scholar,
Department of Geography,
Baba Mastnath University, Rohtak, India
Email-sharnswami11@gmail.com

Abstract:

The concept of good governance used as a new tool for alleviation and elimination of various issues like inequality, poverty, unemployment, social and economic development etc. by applying its different dimensions i.e. Participation, Consensus, Orientations, Accountability, Transparency, Responsiveness, Effectiveness, Equity and Abidance of the rules of law. But this concept, in health system is almost neglected so this study was conducted with the aim of analysing the role and importance of good governance on health and achieving SDGs. Evidence show that independent studies was conducted but simultaneous study on the role of good governance on Public healthcare and achieving sustainable development goals has not been analysed. This study was conducted as a systematic descriptive study based on medical data base of various health journals like, PubMed, ScienceDirect, Medline, Scopus, Elsevier and different official reports of national and international organisations.

India's healthcare has gone through propound changes over the past few decades but it faces various challenges in managing and effective working of public healthcare system in India. After screening available literature various articles, research papers were reviewed & analysed with inclusion criteria.

Despite the 2017 National health policy (NHP) shows improvement since last NHP 2002 but there is still a long way before the components of good health governance are to be realised.

Keywords: Health, SDGs, Good Governance, Public healthcare

1Research scholar Department of Economics RBS College, Agra

2Associate professor, Department of Economics RBS College, Agra

3Associate professor, Department of Economics AMU, Aligarh

Introduction:

In terms of their joint responsibility for the overall performance of the health system, good governance in health refers to the strengthening of leadership and stewardship roles, as well as the improvement of management support systems, of both the central and local governments. It also includes establishing policies and processes for openness and accountability, encourage the political will to enforce the rules, and providing the appropriate incentives to boost positive conduct among health-care stakeholders.

Along with this, good governance also includes a clear system of data collection about various policies and schemes' implementation in terms of accountability and transparency with the assessing the role and importance of these on health of the different sections of societies especially the vulnerable and risky populations

Regarding the importance of health and its affordability and accessibility famous Nobel laureate said that "Health equity cannot be concerned only with health, seen in isolation. Rather it must come to grips with the larger issue of fairness and justice in social arrangements, including economic allocations, paying appropriate attention to the role of health in human life and freedom. Health equity is most certainly not just about the distribution of health, not to mention the even narrower focus on the distribution of health care" –Amartya Sen (2002)

Healthcare index of for India and its neighbour counties which indicate its ranking in 2018

Table 1: Healthcare Index for South Asian & South East Asian Countries 2020 Countries

Countries	Healthcare Index Rank 2018
Sri Lanka	72.53
Singapore	70.84
India	67.13
Pakistan	60.59
Nepal	56.88
Bangladesh	42.8

Source: Global Burden of Diseases, 2020 WHO

According to the India record 35,000 maternal death in 2017, life expectancy is 79.79 years (2019), healthy life

expectancy (HALE) at birth is 60 years (2019), morality due to NCD is 687.3 per 100,000 in 2019, UMR-5 is 32.24 (2020) and IMR is 27.16 (2020) in comparing to other counties in region India is performing quit good but some small counties are performing better in some aspects.

Table 2: Best healthcare system, 2021

Rank	Country	Health Care Index (Overall)	Infra.	Professionals (doctors, nursing staff, other health workers)	Cost (USD p.a. per capita)	Medicine Availability	Govt. Readiness
1	South Korea	78.72	87.16	14.23	83.6	82.3	87.89
5	Japan	70.73	78.77	21.6	74.9	74.18	93.2
10	United Kingdom	61.73	88.63	14.66	75.6	90.25	88.41
19	India	52.1	74.2	17.84	63.5	97.84	89.98
24	Singapore	48.54	82.67	13.35	66.2	81.98	81.63
30	United States	45.62	84.18	13.1	65.5	76.28	76.21
40	Sri Lanka	42.92	71.54	16.25	57.7	53.28	89.48
46	China	41.4	69.67	15.42	56	65.36	89.31
53	South Africa	38.65	91.58	20.88	66	94.29	92.3
58	Russia	37.76	64.76	21.83	51.7	57.85	93.8
61	Nepal	37.08	71.76	14.07	55	73.65	87.85
63	Brazil	36.31	69.21	14.77	53.3	52.97	88.62
85	Bangladesh	32.89	70.58	22.84	52.3	68.18	94.2
87	Iraq	32.55	73.74	14.59	53.8	57.45	88.36
88	Pakistan	32.52	73.36	18.25	53.6	58.14	90.81
89	Venezuela	32.42	71.39	17.16	52.5	53.7	89.84

According to the India record 35,000 maternal death in 2017, life expectancy is 79.79 years (2019), healthy life expectancy (HALE) at birth is 60 years (2019), morality due to NCD is 687.3 per 100,000 in 2019, UMR-5 is 32.24 (2020) and IMR is 27.16 (2020) in comparing to other counties in region India is performing quit good but some small counties are performing better in some aspects.

Table 2: Best healthcare system, 2021

Sources: CEOWORLD magazine's 2021

According to CEOWORLD magazine's 2021 editions of 89 countries India's rank is 19th rank and far better than various its neighbour counties. The list is topped by South Korea and Venezuela is worst performer in the list. The ranking looks at 89 countries around the world on five different health variables.

The health situation of India is not up to the required level due to the governance issue and that's why India is lacking behind the SDG goals. India is ranked 145 in HAQ index in 2018, 67th rank in Health index of South Asian & South East Asian Countries in 2020 which is given below in tables.

Table 3: Healthcare Access and Quality Ranking of South Asian Countries 2018

Countries	HAQ Index rank 2018
Sri Lanka	71
India	145
Pakistan	154
Nepal	149
Bangladesh	132

Source: Global Burden of Diseases, 2018

Countries such as Sri Lanka have made greater strides in improving health outcomes than India, which is still a long way from providing health results. In India, Public hospitals, a lack of accountability and transparency is frequent, undermining health-care delivery

According to the data of Web World, Hospitals Ranking indicates that out of the top twenty South Asia hospitals nineteen are situated in India, one in Bangladesh, and none of them exist in Pakistan.

Review of Literature:

Good governance and sustainable development has gained importance simultaneously in healthcare. There is lots of theoretical and empirical work is available on these aspects. Good governance has enhanced public awareness about many tasks and issues concerning government departments, and it has become a key aspect in the way of a nation's capability to study and comprehend the standards of good governance throughout the world.

Some studies assess the role of good governance in healthcare and its administration in public hospitals applies quantitative measures of cross-sectional survey designs by “structural equation modelling” (SME). Positive and favourable changes can be made in healthcare by good governance mechanisms in poor and developing counties. Furthermore, effective governance in health has been addressed in a variety of contexts, including global governance, corporate governance, governance in development, and how the private sector would govern in the provision of public services. When it comes to measuring health outcomes most of the research on good governance and sustainable development is theoretical in nature and less conducive to practices and policies applicability.

Several studies have examined the influence of governance and identified components of good governance on health outcomes. For example World Health Statistics

(2018), (2015), (2013), Brinkerhoff & Bossert (2013); some studies have examined the scope and impact of certain aspects of good governance on health outcomes ;

The majority of the work on good governance and health outcomes has concentrated on elements of good governance such as government effectiveness, corruption, and community engagement in growth & development. Generally, these take various indicators of health outcomes i.e. MMR, IMR, UMR-5, life expectancy, immunization & vaccination etc.

Because of the intense health services and treatment, the private healthcare sector is an essential resource for child health services, outpatient consultations, maternal health services, and other health services. As a result, the private healthcare sector's role in the delivery of health services has grown significantly.

The rising number of publications highlighting the need for higher expenditures in health through increased public finance is further proof of the relevance of health to sustainable development. These publications have emphasised the multiplier impacts of health investment and the "public and out of pocket expenditure" from preventable mortality and disability, underlining the need of addressing not only illnesses but the broader dimensions and determinants of health.

To focus on long-term health outcomes, good governance is required. Accountability is difficult to achieve when the parallel streams of officers and administrators do not collaborate. Because health equality is not high on the policy agenda, it poses a barrier to access and affordability for the poor and low-income populations. Because the responsiveness of health services is not properly monitored, there is a lack of coordination among the relevant institutions, and there is no proper transparency in the health sector, which undermines public trust in the health sector and the implementation of health policies, programmes, and innovations. The present study will look at the influence of good governance factors such accountability, equality, responsiveness, and openness on the health outcomes of

public healthcare facilities.

Good Governance

Governance is not a new concept it is as old as our civilization. It can be defined as the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented) . The concept of good governance somehow relates to developing countries being free from the oppression and corruption that help in achieving prosperity and wealth for a nation . A very misconception among people regarding governance that this is related to the working of the government, but in reality, in new public management, good governance means working together coherently without relying on the government. Good governance means decision making and implementation of decisions and it ensure oppression and corruption free working.

Principles of good governance

®Legitimacy and voice: it means everyone has right in decision making either direct or indirect through legitimate intermediate institutions that represent them. Such a level of participation requires freedom of association, speech as well as capacities to participate constructively.

®Direction: there should be a proper direction in the utilization and program implementation with right approach on right time.

®Performance: performance should be assessed; if there is any lack in the performance it should be rectified.

®Accountability: accountability ensures decision-makers in different forms i.e. government, private and civil society organisations to accountable to the public and other stakeholders.

®Transparency: It means honesty, free flow of information among the all that needed to understand the process and institution.

®Fairness: it means all should have equal chances of improving their wellbeing.

According to UNESCAP there are 8 different characteristics of good governance I.e. Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus orientated,

equity and inclusiveness, Effectiveness and efficiency, and accountability.

Good Governance For Health

In healthcare good governance can be defined as the transparent rules and regulations administer by the accountable management and strong supervision (WHO, 2015).

Rapidly changing world where everything is very in nature like economic, social, political and environmental changes occurs in an unpredictable manner, the scope of good governance in healthcare management is very vital. As a nation progress it runs and implements various facilities, schemes, programmes, and initiatives for its population to ensure betterment. Management and facilitation of all these, good governance is very in discussion now a days especially in the context of public health. It is crucial for sustainable development not only because it provides better measures for the sustainable development goals but also healthcare provides productive employment, lesser expenses on the illness and sickness that lead development and economic growth of the country. In 2015 heads of states collectively agreed to achieve some goals by 2030 like social, economic and environmental etc. Effective or good governance is very crucial for the efficiency in healthcare and wellness of population . There should be sufficient funds, human capital and physical capital with the government to have strong healthcare system. For this Strong governance is essential for public sector management and transparency in utilization of funds.

Health And Sustainable Development

Societies are committed to progress across four dimensions by giving emphasis on sustainable development: economic development, including the eradication of widespread poverty, social inclusion, environmental sustainability, and good governance. Almost all of these dimensions relates to the others, so development in all four areas is essential for social and collective well-being. As a human right, health is fundamentally vital, but it is also critical to achieving these four pillars. National economic growth cannot be met unless

the workforce is healthy and productive. While economic growth supports health, its play a significant role as a driver for development in health-related goals for achieving the SDGs. Health is being covered in under SDG-3 in the 17 goals of Sustainable development, it Ensure healthy lives and promotes well-being for at all ages. One thing is noticeable is that SDG-3 is link with other SDGs goals i.e. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13. Some important targets of SDG-3 are as follows i.e. reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live birth by 2030, By 2030, end preventable deaths of new-borns and children under 5 years of age, with all countries aiming to reduce neonatal mortality (Table-8) to at least as low as 12 per 1,000 live births and under-5 mortality (Table-7) to at least as low as 25 per 1,000 live births, By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases. Child and maternal mortality (Table-8, 4), along with poverty eradication, women's empowerment, and environmental sustainability, became indicators of a country's overall progress and economic development. Simultaneously, it is also recognised, that controlling the spread of HIV/AIDS and lessening the burden of tuberculosis and malaria were vital to human development, since these illnesses have a disproportionate influence on the development potential of a nations

Table-4: Maternal mortality ratio (MMR) and maternal deaths

Year	Maternal Mortality ratio (Per 100,000 live births)	Number of Maternal deaths
2010	210	55,000
2011	197	50,000
2012	185	47,000
2013	175	44,000
2014	166	41,000
2015	158	38,000
2016	150	37,000
2017	145	35,000

Sources: WHO.Int/data/health estimates

Table-5 Life expectancy at birth and at age of 60

Year	Life expectancy at birth (years)			Life expectancy at age 60 (years)		
	Male	Female	Both Sexes	Male	Female	Both Sexes
2019	69.52	72.17	70.79	18.11	19.54	18.82
2015	68.11	70.62	69.31	17.74	19.25	18.49
2010	65.69	68.94	67.23	16.91	19.02	17.95
2000	61.34	62.92	62.11	15.41	16.84	16.12

Sources: WHO.Int/data/health estimates

Table-6 Healthy life expectancy at birth and at age of 60

Year	Healthy life expectancy (HALE) at birth (years)			Healthy life expectancy (HALE) at age 60 (years)		
	Male	Female	Both Sexes	Male	Female	Both Sexes
2019	60	60	60	13.25	13.47	12.25
2015	59	59	59	13.06	13.32	13.06
2010	57	58	57	12.57	12.12	12.57
2009	53	53	53	11.98	11.97	11.33

Table-7 Under-five mortality rate (UMR-5)

Period	Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) Male	Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) both sex	Under-five mortality rate (probability of dying by age 5 per 1000 live births) Female
2020	32.24	32.63	33.03
2019	33.86	34.37	34.87
2018	35.61	36.33	37.08
2017	37.69	38.56	39.5
2016	39.83	40.97	42.17
2015	42.12	43.53	44.98
2014	44.55	46.22	47.95
2013	47.07	49.03	51.11
2012	49.72	51.97	54.36
2011	52.46	55.04	57.73
2010	55.26	58.15	61.23

Sources: WHO.Int/data/healthestimates

Table-8 Infant mortality rate and neonatal mortality rate at birth

Period	Infant mortality rate (probability of dying between birth and age 1 per 1000 live births) male	Infant mortality rate (probability of dying between birth and age 1 per 1000 live births) female	Infant mortality rate (probability of dying between birth and age 1 per 1000 live births) both sexes	Neonatal mortality rate (per 1000 live births)
2020	27.16	26.81	27.01	20.35
2019	28.42	28.18	28.33	21.44
2018	29.78	29.74	29.76	22.67
2017	31.33	31.46	31.39	23.73
2016	32.96	33.29	33.13	24.8
2015	34.68	35.21	34.95	25.9
2014	36.48	37.21	36.85	27.03
2013	38.34	39.32	38.82	28.21
2012	40.28	41.48	40.86	29.4
2011	42.27	43.68	42.97	30.61
2010	44.28	45.96	45.09	31.84

Sources: WHO.Int/data/healthestimates

Role Of Government In Public Healthcare In India:

A country's overall health conditions are represented by health care indicators and demographic indicators, which also assess the government's efficiency and productivity in the health sector. It is also important for nation's growth & development. Governments bear responsibility for people's health, which can only be met by providing proper health and social measures. "Roles of government are not limited to public health programmes and initiatives but these are multidimensional, multidirectional in various terms because it ensures overall health in the country, i.e. insurance provides, regulator controller, supervisor over the healthcare system in the country.

India seems to have a population of over 1.35 billion people,

responsible for roughly 17% of the world's population. a study of the country's health-related data indicates unequal improvement in health indicators throughout regions, with gender and place inequalities. To close this gap and offer accessible, affordable, and equitable health care, the government has launched plenty of programmes, missions, and initiatives to ensure the good healthcare for the population.

®National health mission includes various programmes i.e. "NRHM RCH Flexible Pool including Health System Strengthening, Routine Immunisation programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc., National Urban Health Mission – Flexible Pool"

®Human Resources for Health & Medical Education)

®National AYUSH Mission Ayush.

®"Mission Indradhanush".

®National AYUSH Mission Ayush,

®Umbrella ICDS.

®Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY).

®NHM - Flexible Pool for Communicable Diseases.

®National AIDS Control Programme and many more.

Post Applicability Of Nhp

In India, to strengthen the healthcare system various national health policies were launched over a period of time i.e. NHP-1983, NHP-2002 and most recently in 2017. Every health policy is somewhere focused in the improvement in the healthcare in India. The primary aim of the recently launched policy is to inform, clarify, and strengthen the healthcare system. The role of the government in supporting and sharpening the healthcare system in all dimensions is indispensable.

The proposed to attain the highest possible level of health and wellbeing for all ages, through a preventive and promote health care orientation in all developmental policies, and universal access to the best health care services without financial distress for anyone. This would be accomplished by improving access, raising quality, and lowering the cost of health services.

The policy acknowledges the critical relevance of the

Sustainable Development Goals (SDGs). At the end of this section, an illustrative list of time-bound quantitative targets connected with existing national initiatives as well as global strategic orientations is provided.

Conclusion:

From the above discussion about the good governance, sustainable development and healthcare, good governance play a critical role and have an ideal place in achieving the well managed sound healthcare care system. It also helps in achieving the SDG-3 Ensure healthy lives and promotes well-being for at all ages. This paper analyses the present situation and condition of Indian healthcare system, concentrating on the system coherence with good governance and sustainable development. For this we uses or applies the UNDP principles of good governance and sustainable development. It is clearly recognized that economic and social progress can neither be secure nor sustainable if sufficient investments are not made to protect and promote the health status of all people across the world with the principles of good governance in the promotion and distribution of facilities.

Reference

- 1.Brinkerhoff, D. W., & Bossert, T. J. (2013). Health governance: principal-agent linkages and health system strengthening. *Health Policy and Planning*, 29(6), 685-693.
- 2.World Health Organization. (2013). Oral health surveys: Basic methods. World Health Organization.
- 3.World Health Organization. (2015). Global tuberculosis report 2015. World Health Organization.
- 4.World Health Organization. (2015). World malaria report 2014. World Health Organization.
- 5.World Health Statistics. (2018). Monitoring health for the SDGs, Sustainable development goals. Geneva, World Health Organization, Retrieved on APRIL 25, 2022 from http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2018/en/.

Dharmveer Singh,
S/0 Sh. Hukam Singh
H.No. -FCA-643
Block-C
SGM - Nagar
NIT- Faridabad
Pin 121001
Mob. 8010658439

Dr. Pushendra Singh,
Md Qaiser Alam

Email: veerdharam671@gmail.com

The Thought Of Feminism In The Selected Composition Of Girish Karnad And Anita Desai (nagamandala And Fasting-feasting)

Prof. Pradip Kumar Singh



Abstract

Feminism in Indian literature as can be most commonly conceived is a much sublime and over-the-top concept, which is most subtly handled under restricted circumstances with advancement of time, however feminism has been accepted in India, setting aside the patriarchal predominance to certain extent. Perhaps massive work of feminism is also accomplished through Indian literature. According to Shri Ramakrishna, woman was the universal mother. According to Tarashankar Bandyopadhyay the woman's role is threefold-the daughter, the mother and the most seductive the consort. Mahasveta Devi's woman characters are activists though Mahasveta Devi is not professionally a feminist. The woman break through the tradition of home, hearth and evil to fight this establishment with whatever weapons they can wield-the sickle, the hatchet or with sulking detachment: they remain immaculate. According to Ashapura Devi, women are all domestic characters who of course revolt against the dogma ridden society. Similarly Girish Karnad also highlighted the circumstances of woman in domestic way and due to it she suffers with other drastic problems. Similarly Anita Desai also present woman as an embodiment of sacrifice, silent suffering, humility, faith and knowledge. In fasting, feasting from a feminist perspective. This composition depicts the human value particularly woman. For example Uma the main character of fasting feasting sacrifices for the families, though she suffered very much during her life time. Similarly Anamika the cousin sister of Uma Got a golden chance to study in oxford university by getting scholarship but she had been forbidden by her parents and forcedly married. Consequently she did not able to adjust in the family. Eventually she got demise. She was brutally killed by her husband and in-laws by burning. This predicament propagated by her husband. In nagamandala and fasting feasting both rise a question on even intellectual society that do not quit any opportunity to oppress the woman who sacrifice herself for the upliftment of the families. This perspective of nagamandala of Girish Karnad and fasting

feasting of Anita Desai rises akshaya interrogation on Indian society even today. "Why the daughter is compelled and helpless even today".

Key Words

Compelled, Sacrifice, Intellectual, Consequently, Feminist.

Introduction

Anita Desai is widely recognized as an Indian feminist writer in English. Similarly Girish Karnad has provided some literary composition on feminism. In Nagamandala Girish Karnad also highlights the evil of man in the character of Appana who oppressed Rani very much and pushed her towards the illegal captivation of Naga (a vicious cobra). Even after getting much problem she always co-operated her husband. This mindset is very dangerous and destructive. Anita Desai is the post independence feminist writer who occupies a unique place in the history of Indian feminism. She has been immensely successful in creating new images in her works and formed a feminist perspective. The transformative power of Anita Desai's fasting feasting brings real figure of feminism in India. It is a close study of female struggle for their autonomy in various aspects of life. One way Nagamandala describes the perspective of life partner where as fasting feasting illustrates the vision of parents as well as in-laws both to words women. Various feminists consider that male always strongly grip the women's autonomy and their modes of works. There fore in the comparison of Nagamandala and fasting feasting on the basis of the feminism both are homogeneous.

Main Body

The Nagamandala and fasting-feasting are based on feminism. Nagamandala is related with folk tales about Naga popular in Karnataka and in several other parts of India in its different forms. Girish Karnad had heard this tales from A.K. Ramanujam who had collected many folk tales and their variants prevalent in different parts of India. These literatures illustrate about the plight of the women in Indian society and world as well. It also shows the conceive of the people towards women and their plight. The history of feminism in India can be divided into three phases: the first

phase, beginning in the mid-19th century, initiated when reformists began to speak in favour of women rights by making reforms in education, customs involving women; the second phase, from 1915 to Indian independence, when Gandhi incorporated. This drama describes about the drawbacks of society that treats the woman as a weak sex or only domestication. Rani, Uma and Anamika are women characters become the victim of ungrateful society. It proves that due to mixed behavior of men, women becomes the victim in the society. "A woman is not born but made" quoted by a famous writer Simon De Behavior in her book, 'The Second Sex' published in 1949.

The pitiable circumstances of women is because of the orthodoxing notion of society. The social taboos and dogmatism prevailing among different communities in India also create problems for the woman. India is so called male dominated society. Here almost in all communities the women are used as a domestic properties. However, the Indian culture, civilization and constitution do not allow it. In Nagamandala and fasting-feasting simple man misused his wife that pushed her towards the fatality of a snake, similarly Anamika is also killed by her husband. The man is always found guilty in the drastic problem of women. On this basis the perspective of man is negative towards the women. They generally blame her for that improper situation. Appana and Rani were married at a very early age. When Rani becomes young Appana brought her to his home. He has on illicit relationship with a concubine. He continues with it and ignores his wife. He neither talks to her nor spends his night with her. She is thus forced to live all alone in his house day dreaming or weeping. He only comes to have his bath and lunch and then goes out after looking the door from outside. So we see that Rani is victimized for no fault. She is innocent of her biological needs that certainly she wants love and care and time of her husband. This event says that man only conceive his own benefit and resources. But women conceive about surrounding. In a same way the cousin sister of Uma was ignored for higher education and married. Eventually she was killed. Nagamandala exposes effectively the hollowness and injustice of patriarchical family system. The drama's context is female oriented. The narrator of this play is female. Other sub-characters Kurudavva and Kappanna's story is dominated by a woman as well. It is different from the common feminist problem. Even the main

plot centres round a feminist oriented issue - the emancipation of a bride, Rani from subjugation of her husband Appana. In the same way Uma in fasting-feasting sacrificed for the family by obtained nothing only rejection and humiliation.

Conclusion

Thus Nagamandala is a folk drama of Girish Karnad but its message is very profound for the society. It suggests a way of improvement in the plight of the women in every section of society. It also suggests that dogmatic system has many drawbacks that should be highlighted perfectly. Fasting-feasting of Anita Desai also describes how the women are exploited and restricted in their upliftment. It also shows the brutality of patriarchal society.

References

1. Nagamandala – Girish Karnad- 1987-88, Oxford University Press.
2. Sangarikumkum and Sudesh vaid-Introduction' in recasting women- essay in colonial history. Published in 1989 in the university press, USA. ISBN, 9788185107080.
3. Bharti's S. Krishna- Indian English Drama: A Critical Study sterling 1987.
4. Mythical Elements in Indian plays- A study of Naga Mandala of Girish Karnad by Dr. Tuta Eswar Rao, in November 2011, Govt. press odisha.
5. Fasting-feasting- Anita Desai.
6. Anita Desai's Fasting-feasting and the condition of women-Ludmilavolna-Purdue university press- ISSN-1481-4374-2005.

Prof. Pradip Kumar Singh

Dept. English

R.P.S Degree College Madanpur

Paschim Palli, Chandrapura

Chandrapura,

Bokaro, (JH) Bokaro, (JH) Pin-828403

Address:Qtr. No-H/T-3



Abstract

Vehicular ad hoc networks (VANETs) are getting more popularity in the area of wireless and communication technology because they provide safety and precautionary measures to the drivers and the passengers on the roads while they are travelling. In this paper, VANETs are summarized by discussing their architecture, components, characteristics, security and challenges. Secondly, this paper also discusses the need of authentication and privacy in VANETs. Different authentication schemes are discussed which protects the vehicular network from malicious nodes and fake messages. Lastly the paper includes security issues in existing authentication schemes. This paper comprehensively covers the entire VANETs system and its applications by filling the gaps of existing surveys and incorporating the latest trends in VANETs.

Keywords: - VANETs, Authentication, privacy, cryptography, certificateless, signature l.

1. Introduction

VANETs are becoming popular in wireless and mobile communication technology in these days as they are one of the robust schemes in implementing the intelligent transportation system (ITS). Since 1980, VANETs infrastructures is growing abruptly in which vehicles communicate among themselves using wireless medium. The main idea is to produce effective communication among vehicles in the network. The vehicles are basically known as the nodes in a network which needs to acquire information about other nodes so as to communicate with them and then to make decisions based on all information collected by the use of sensors, cameras, global positioning system (GPS) receivers, and omnidirectional antennas [1]. In these days VANETs are being used in improving traffic safety, managing the flow of traffic and in reducing the traffic congestion and also in driver guidance. VANETs are comprised of several units like OBUs, RSUs and TA. RSUs

are the units on the roads that hosts an application which is used to communicate with other network devices attached to it. The OBU is mounted on each vehicle and it is used to collect the useful information of other vehicles such as the speed, acceleration, fuel etc. This information is then forwarded to the neighbouring vehicles using wireless networks. TA is the main component which is responsible for maintaining communication among the VANETs [2]. There are different types of vehicle communication in VANETs which can be categorised into V2V, V2I, V2X and V2P. V2V stands for vehicle-to vehicle communication in which a node can transmit important information like the use of emergency brakes, collision detection and traffic conditions. The transmission medium in V2V is characterized by high transmission rate and short latency. In V2I (vehicle to infrastructure) communication there is transmission of important information between the vehicles and network infrastructures. The vehicle in V2I develops a connection with the RSUs in order to exchange information with the other networks. V2I requires large bandwidth than V2V because of communication of vehicles with the infrastructure but they are less vulnerable to attacks than V2V. The V2X communications play an important role in the management of Intelligent Transportation systems in improving the traffic management, traffic safety and in enhancing the driving experiences by providing real-time and highly reliable information such as collision detection, information about road hurdles, traffic congestion, emergency conditions etc [3].

2. Differences between VANETS and MANETS

VANET is a kind of Mobile Ad Hoc Networks (MANET) with some differences. In MANETs, power constraint is one of the most important challenges in aspects like routing, fusion etc. whereas in VANETs, there is a use of huge battery carried by the vehicle, so energy consumption is not a big issue. There is a random moving pattern of nodes in the

MANETs whereas there is a high mobility of nodes in VANETs as the nodes tend to move in an organized fashion. Both have self-organization capability and both lack infrastructure. VANETs have high mobility and volatility which makes them weaker to the internal and external network attacks as compared to MANETs. The security in VANETS is divided into different domains like availability, confidentiality, authenticity, data integrity and nonrepudiation. The breach of security creates difficulty in making secure systems and in maintaining privacy and trust[4].

3. VANETs Characteristics

The special characteristics of VANETs are summarized as follows: -

i) Frequent Topology Changes: The nodes in the VANETs move on the road with high-speed thereby making the environment as highly dynamic. Due to the high speed of the nodes, there is continuous change in the topology, the communication links between the vehicular nodes can be established only in a temporary fashion making it vulnerable to attacks[2].

ii) High mobility patterns: Due to frequent topology changes the vehicles follow a certain mobility pattern. Various factors restrict the movement of vehicles on the road like the structure of roads, traffic lights, speed constraints, traffic conditions and driving pattern of neighbouring vehicle drivers[3].

iii) Wireless Communication: The connection of nodes and the communication of data between the nodes are exchanged through a wireless medium. Therefore, it is important to develop a reliable communication during transmission of data[4].

iv) Localization: Each vehicle in VANETs is equipped with the global positioning system which is used to detect its locations accurately. The use of GPS provides a potential range of location-based applications in VANETs [3].

v) Low Latency Requirements: VANETs requires low latency as the applications are extremely time sensitive because the primary objective of VANET is to enhance the road safety and driver assistance [3].

vi) Communication Environment: The efficiency of communication in VANETs is dependent on the

communication environment. One comprises of highways where the vehicles travel at different speeds unidirectionally and the other comprises of urban areas where the movement of vehicles is constrained by certain factors making communication more complex [4].

vii) Unlimited Energy: The use of battery in vehicles provides an unlimited energy as the battery has an infinite power supply which is important for performing all computation tasks in the VANETs environment [2].

viii) Volatility: As the medium of communication is wireless, the connections between two nodes are usually developed due to their high mobility patterns. Due to this it is possible that the connection among the vehicles may be lost or may remain active within a small distance making it difficult to ensure the personal security in the VANETs [4].

4. Need of authentication and privacy in VANETs

VANET possesses important characteristics such as high mobility of nodes in a network, high reliability but there is a use of unreliable communication medium which increases the security and privacy concerns while transmitting important information relating to safety like verifiable identity, current location of the node, speed and acceleration of a vehicle in a network. These safety messages assist the drivers in taking sensible driving decisions based on traffic congestions and about the conditions of the road which prevents occurring of accidents. On the other hand there is a breach of security as the location of a victim vehicle can be tracked by an unauthorized vehicle. This is because of the nature of the wireless medium in VANET which allows anybody within the range to receive the broadcasted messages. Therefore, authentication plays an important role in the security of VANETs which validate the identity of the packet sender to prevent attacks on VANETs. Different algorithms are designed in the VANETs which handle the security and privacy issues and can tackle all kinds of threats and attacks [3]. There are some requirements of VANETs which must be satisfied in order to provide secure communication in VANETs are listed below [5].

i) Computational and Communication cost: Computational overhead incurred due to the use of sophisticated cryptographic operations done by a vehicle or trusted authority for verifying an authentication request must be

minimized ii) Bandwidth Utilization

The bandwidth must be utilized properly in bytes per second (bps) to handle the request for an authentication like exchanging cryptographic secret key and other credentials.

ii) Scalability

The process of authentication should be scalable enough to handle multiple network operations and communications between trusted parties.

iii) Time Response

The response time needed to respond for an authentication mechanism must be minimized.

iv) Use of Powerful Authentication Schemes

There should be use of powerful authentication schemes which has good capability to prevent VANETs from different vulnerable attacks.

5. Authentication Schemes used in VANETs

Authentication is required in all networks to protect the sensitive and confidential information relating to vehicles or passengers from being misused by the malicious people. To solve this purpose there are several authentication schemes which have been proposed so far to ensure secured communication in VANETs which helps to identify the malicious nodes and fake messages[6]. Figure 1 below depicts the authentication schemes in VANETs The schemes are divided into two categories comprising of signature based schemes and cryptography schemes.




Figure 1:- Authentication Schemes in VANETs

Cryptography Schemes

This is used to protect private information from public or third parties. They are further classified as :-

I) Symmetric Cryptography Scheme This scheme is also known as private-key cryptography which uses a message authentication code (MAC) to authenticate the messages. The key used is a shared secret key so that the sender can

generate MAC to authenticate each message and accordingly all the nodes in an anonymity set can verify the MAC using the shared key to authenticate the messages received by the receiver. This scheme is fastest and has more reliable computational efficiency because it consists of only a single key[7]. Symmetric cryptography is further categorized into two types:-

I.I) Hash Function

This function is responsible to examine the message integrity without any encryption of the message. This is achieved by assigning input to the hash function through which the hash value can be generated. This hash value must be attached to the message being sent to ensure the message integrity. Hash function has been used by researchers in different ways. Chuang et al. [8] introduced a decentralized-based lightweight authentication scheme named as TEAM (trust-extended authentication mechanism) which only utilizes XOR and the hash function during the authentication process. Chim et al. [9] introduced a method which uses one-way hash function and a secret key between the vehicle and RSU. Vighnesh et al. [10] introduced a novel sender authentication scheme by using hash chaining and the authentication code to authenticate the vehicle to ensure secure communication between the vehicle and RSU.

I.II) TESLA-Based Authentication Schemes

This is a timed checking scheme introduced by Jahanian et al. [11] to time the efficient stream loss-tolerant authentication (TESLA). In this scheme firstly the sender computes MAC using a known key and then attaches a MAC to each sending message. On the receiving part the messages received are buffered without authentication. But the biggest problem in TESLA is the advance synchronization of the clock at receiving side and the sending side. It is also prone to DOS attack caused by unregistered vehicles that floods the receiver memory with unwanted messages [12]. TESLA is further modified into TESLA++ by Studer et al. [13] which provides the same broadcast authentication and is computationally efficient in terms of memory consumption and is used to effectively verify the newly RSUs and OBUs encountered during communication. Its main goal is control memory DOS attacks, obtained by receivers' self-generated MAC.

II) Asymmetric Cryptography Scheme

This scheme uses a set of two keys namely public key and the other is known as private key to ensure security of data. It is also known as the public key cryptography which is used for encrypting and decrypting a message to ensure the privacy and security of data. The public key is used for encryption of the messages by generating a digital signature and the private key on the other side is used for decryption of an encrypted message by verifying its digital signatures. This scheme is further categorised into public key infrastructure (PKI) certificate and elliptic curve digital signature (ECDSA) based authentication.

II.I) Public key infrastructure (PKI) certificate

The public key certificates are the best methods that are used in public key infrastructure (PKI) to authenticate vehicles in a secure and reliable way. PKI contains the digital signature of the certification authority (CA) which is the centralized management unit, responsible to certify nodes, keys, etc. and also authenticate the vehicles in V2V communication. Every vehicle before officially joining the VANET system must register with the CA database to communicate with it in two ways through offline registration or using RSU for indirect online registration. Different researchers worked on it in different ways. Raya et al. [14] utilized the anonymous public keys which must be modified in such a way that the receiver will not be able to track the vehicle owner key to provide privacy but this method requires a large amount of storage and memory for certificate revocation list (CRL) checks, for a large number of anonymous keys. This may cause DOS attack due to a large computational overhead. Calandriello et al. [15] introduced pseudonym-based authentication method which reduces the security overhead while maintaining the robustness of traffic safety. This scheme combines the combination of the baseline pseudonym and group signature that can generate its own pseudonym on-the-fly and self-certification and therefore it minimizes the requirements of handling the pseudonym in authentication. Wasefand Shen [16] introduced an expedite message authentication protocol (EMAP) method for VANETs which replaced the lengthy process of CRL by an effective revocation process. This method uses a keyed hash message authentication code (HMAC) in EMAP which is

shared only among non-revoked OBUs to safely share and update the secret key. An effective anonymous authentication with a conditional privacy (EAAP) scheme was introduced by Azees et al. [17] to avoid a malicious vehicle from entering in the VANETs by using track mechanism that can track vehicles or RSUs that create disturbance in VANETs. It uses bilinear pairing in which TA is required to keep the anonymous certificate of the vehicles and RSUs. TA can also cancel the anonymity of a malicious vehicle and can also reveal their identity in a group.

II.II) Elliptic Curve Digital Signature (ECDSA)

This scheme was introduced by Manvi et al. [18] which utilizes a secure hash algorithm (SHA) to create hash of the message by the sending vehicle to generate a private and public key. The received message is decrypted by using the public key at the receiving end. Kalkundri et al. [19] introduced technique which uses the ECDSA algorithm to provide security in terms of the point-to-point (p2p) mechanism to obtain message authentication in VANETs. Smitha et al. [20] used classification method of the critical safety to authenticate the message based on the Merkle tree and ECDSA.

III) Identity Based Cryptography Schemes

In this scheme the user public key is obtained from their ID information such as user location, telephone number, email address etc in order to authenticate the message but did not use the PKI certificates which reduces the communication overhead and managed overhead of CRLs. Shim [21] proposed an efficient conditional privacy-preserving authentication (CPAS) scheme which uses pseudo-IBS to obtain secure communication in V2I. The RSU is able to verify the large amount of received messages simultaneously, thereby reducing computational time and memory space. Sun et al. [22] proposed a VANET security system in which an authentication is accomplished without needing a certificate thereby consuming less memory space and low computational overheads.

III.I) Identity Based Signature

The idea of identity dependent cryptography (IBC) was proposed by Adi Shamir in 1984 [23]. In the identity-based signatures public keys can be extracted from the network entity's public identification details such as name, email

address, Internet addresses, etc., which can be used for encryption or signature authentication purposes. There are no need digital certificates for public key authentication as in case of traditional PKI thereby decreasing the expense of creating and maintaining digital certificates [9]. The IBS has a four-step process:

1. Setup: Firstly the PKG evaluates the master key and public parameters and then it discloses these parameters to all vehicles publicly in a VANET.
2. Key Extraction: Then a private key is generated using the vehicles ID and master ID which is used to communicate with the vehicle through a secure channel.
3. Signing Signature: These are generated using a private key by assuming a message M, and timestamp T.
4. Verification: The validity of the algorithm is tested to find whether signature generated are valid or not.

III.II) Certificateless Signature

The idea of Certificateless Public Key Cryptography (CL-PKC) developed by Al-Shamir & Paterson is a derivative of identity-based cryptography which is being used today. The overhead of issue of public key infrastructure (PKI) certificates, the key escrow problem and identification issue is removed with the CL-PKC. It utilizes third party named Key Generation Centre (KGC) for creation of a partial private key for a user which is then paired with the hidden key selected by the user for the generation of a complete secret key. The user of the key utilizes KGC's default parameters such as setup, partial private key extract, secret value, private key, public key, sign and verify including its hidden key to determine the public key [23] which are explained below:-

- i) Setup:- It uses security parameter to produce master key and master public key. Also it can produce parameters which can be distributed among all the nodes [24].
- ii) Partial Private Key Extract:- It can be generated by having different parameters such as master key, master public key, system parameters and an identity ID [23].
- iii) Set Secret Value:- It is generated by using master public key and other system parameters [24].
- iv) Set Private Key: This algorithm utilizes parameter, partial private key and secret value as input parameters. The secret value is used to transform partial private key into full private

key which is returned by the algorithm [24].

- v) Set Public Key: The public key is generated by using different parameters such as the master key, the system function, an identity, and its secret value [24].
- vi) Sign: It generates a certificateless signature by using a system parameter, a master public key etc. [23].
- vii) Verify: The signatures can be verified by using several parameters such as the system parameter, master public key ID, public key ID etc [24].

III.III) Group Signature Schemes

This scheme uses group signatures for preserving the privacy of the vehicles. Only the members of the group which are registered can sign up for the messages anonymously [25]. The authenticity of the message can be verified by head of the group to check whether the message is coming from the original sender. But it requires a lot of time to verify the signature thereby limiting its use to the time-related applications in VANETs [9]. Zhang et al. [25] in 2010, proposed an efficient method where each RSU maintained and managed on-the-fly group within its range of communication and the vehicles which enter the group can secretly send V2V messages which can be further verified by users of the same group and if any vehicle is found producing the fake message it can be traced by the trusted authority. In Reference [26], Zhang et al. introduced a location-based service (LBS) protocol used to address the inherent challenges in terms of authentication and conditional privacy for offering LBSs in VANETs and for achieving this a vehicle only requires a member key which can generate verifier-location group signatures. The signatures can be verified by LBS without interfering with the privacy of a vehicle and if it is found false then the key generation certificate can evaluate the vehicle ID. A password-based conditional privacy preserving authentication and group-key generation (PW-CPPA-GKA) protocol was introduced by Islam et al. [27] which provided several features such as user exiting, user entering and changing a password. It is designed without using bilinear pairing and elliptic curve techniques due to which this protocol is computationally stable.

1. Security issues in existing authentication schemes: -

- i) High computational overhead with traditional PKI

The RSU's and vehicles require additional computations to verify certificates issued by TA for authentication process in earlier schemes[28].

ii)Use of large memory

Each OBU generates its own pseudonyms which means each mobile node will generate its own pseudonyms for building secure channels which will lead to considerable use of memory[29].

iii)Hardware tampering/Replication Attacks

The sensors and onboard RSUs are manipulated by adversaries when they are deployed in an unattended environment thereby extracting all the confidential data. Sometimes the nodes are replicated and tampered creating clones from tampered RSUs which poses a security and privacy threat in VANETs[28]

iv)Malicious nodes detection

If an attacker inserts a malicious node or tampers the original message, it will be difficult to detect the malicious node which will lead to traffic chaos or even accidents[30].

2.Certificateless Key Authentication Scheme

After reviewing different authentication schemes in VANETs, it was found that schemes based on public key cryptography, symmetric key cryptography and also identity-based solutions have many shortcomings in securing communications in vehicle organizations[31]. The main aim of an authentication scheme is to lower computational cost, maintaining node anonymity, tracking malicious nodes and nonrepudiation. The shortcomings can be mitigated by the use of certificateless authentication which can improve the automotive protection of ad hoc networks[32]. Certificateless key authentication scheme eliminates the overhead of certificate revocation as in the case of public key cryptography. It also solves the key escrow problem in case of identity-based cryptography. An effective certificateless aggregate signature scheme is being introduced for vehicle communications which is designed primarily for secure vehicle communication by drastically reducing signature verification time and increasing the number of messages that can be verified at a particular instance of time. The proposed scheme reduces computational cost that is incurred in certificate revocation and in verifying signatures. This system is more effective for

networks that have limited resources and it will be used for building secure networks which will ensure smooth communication process in VANETs[33].

3.Conclusion

VANETs are considered more important and promising research area in an intelligent transportation system due to its unique characteristics. Therefore, security and privacy in VANETs are considered as a critical issue. The main aim of VANET is to ensure the safety of human beings on the roads by broadcasting safety messages among the vehicles. But these safety messages are broadcasted in an open environment which make the VANETs more vulnerable to attacks. Therefore, there is a need to develop a sophisticated and robust security scheme to tackle security and privacy attacks. Also, the security system must be improved by robust authentication schemes for providing secure communication in VANETs. There is a need of an efficient authentication scheme for securing privacy and security of data between V2V and V2I and also protect their vehicles ID and location privacy.

References

- [1] F. Akyildiz, W. Su, Y. S. Subramaniam, and E. Cayirci, "A Survey on Sensor Networks," *IEEE Communications Magazine*, vol. 40, no. 8, pp. 102-114, August (2002).
- [2] Marvy B. Mansour¹, Cherif Salama², Hoda K. Mohamed³ and Sherif A. Hammad⁴ *International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA)* Vol. 10, No.2, March (2018)
- [3] Mohammad Jalil Piran, G. Rama Murthy, G. Praveen Babu "Adhoc and sensor networks; principles and challenges" *International Journal of Ad hoc, Sensor & Ubiquitous Computing (IJASUC)* Vol.2, No.2, June(2011) .*Security Comm. Networks* 2011; 4:1137–1152 Published online 15 July 2010 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com). DOI: 10.1002/sec.239
- [4] Muhammad Sameer Sheikh ^{1,2}, Jun Liang ^{2,*} and Wensong Wang " A Survey of Security Services, Attacks, and Applications for Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs)" "Sensors 2019, 19, 3589; doi:10.3390/s19163589 Aug (2019).
- [5] Lin, X.; Lu, R.; Zhang, C.; Zhu, H.; Ho, P.; Shen, X. Security in vehicular Ad-hoc networks. *IEEE Commun.*

Mag., 46, 88–95 (2008).

[6] Harry Gao, Seth Utecht, Gregory Patrick, George Hsieh, Fengyuan Xu, Haodong Wang, Qun Li “High Speed Data Routing in Vehicular Sensor Networks” “Journal of communications, vol. 5, no. 3, march (2010)

[7] Jaehoon Paul Jeong , Tae Tom Oh , Sangheon Pack Alexandre Petrescu “ Protocols and applications in vehicular sensor networks for driving safety, driving efficiency, and data services” “International Journal of Distributed Sensor Networks, Vol. 13(2) (2017)

[8] Chuang, M.; Lee, J. TEAM: Trust-Extended Authentication Mechanism for Vehicular Ad Hoc Networks. In Proceedings of the International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, CECNet, XianNing, China , 1758–1761 (2011).

[9] Chim, T.W.; Yiu, S.M.; Hui, L.K.; Li, V.K. “Security and Privacy Issues for Inter-vehicle Communications” Proceedings of the 6th Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks Workshops VANETS (2009).

[10] Vighnesh, N.V.; Kavita, N.; Shalini, R.U.; Sampalli, S. “A Novel Sender Authentication Scheme Based on Hash Chain for Vehicular Ad-Hoc Networks” In Proceedings of the IEEE Symposium on Wireless Technology and Applications, Langkawi, Malaysia, pp. 25–28 September (2011).

[11] Jahanian, M.H.; Amin, F.; Jahangir, A.H. “Analysis of TESLA Protocol in Vehicular Ad Hoc Networks Using Timed Colored Petri Nets.” In Proceedings of the 6th International Conference on Information and Communication Systems (Amman, Jordan, pp. 222–227. 7–9 April (2015)

[12] Perrig, A.; Canetti, R.; Tygar, J.D.; Song, D. “ Efficient Authentication and Signing of Multicast Streams over Lossy Channels” In Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy, Berkeley, CA, USA, ; pp. 1–18, 14–17 May (2000)

[13] Studer, A.; Bai, F.; Bellur, B.; Perrig, A. “Flexible, extensible, and efficient VANET authentication”pp 574–588. (2009)

[14]. Raya, M.; Hubaux, J. “The security of vehicular ad hoc networks. In Proceedings of the 3rd ACM Workshop on Security of Ad hoc and Sensor” Alexandria, VA, USA, pp. 11–21. 7–10 November (2005)

[15] Calandriello, G.; Papadimitratos, P. Hubaux, J.; Liyo, A. “Efficient and Robust Pseudonymous Authentication in VANET” Proceedings of the 4th ACM International Workshop on Vehicular Ad Hoc Networks, Montreal, QC, Canada, pp. 19–28. 10 September (2007)

[16] Wasef, A.; Shen, X.S. EMAP:” Expedite Message Authentication Protocol for Vehicular Ad Hoc Networks” IEEE Trans. Mob. Comput. 12, 78–89. (2013).

[17]. Azees, M.; Vijayakumar, P.; Deboarh, L.J. EAAP “Efficient Anonymous Authentication With Conditional Privacy-Preserving Scheme for Vehicular Ad Hoc Networks” IEEE Trans. Intell. Transp. Syst, 18, 2467–2476. (2017)

[18]. Manvi, S.S.; Kakkasageri, M.S.; Adiga, D.G. “Message Authentication in Vehicular Ad hoc Networks: ECDSA Based Approach” In Proceedings of the International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 16–20. ,3–5 April (2009)

[19]. Kalkundri, R.; Kulkarni, S.A. “A Secure Message Authentication Scheme for VANET using ECDSA”. Proceeding 4th International Conference on Computing Communications Networking Technologies (ICCCNT), Tiruchengode, India” pp. 1–6. 4–6 July (2013)

[20]. Smitha, A.; M, M.P.M.; Ajam, N.; Mouzna, J. “ An optimized adaptive algorithm for authentication of safety critical messages in VANET”. In Proceedings of the 8th International Conference on Communications and Networking in China (CHINACOM), Guilin, China, pp. 149–154 August (2013)

[21] Shim, J. CPAS: “An efficient conditional privacy-preserving authentication scheme for vehicular sensor networks”. IEEE Trans. Veh. Technol. 61, 1874–1883. (2012)

[22] Sun, J.; Zhang, C.; Zhang, Y.; Fang, Y. “An Identity-Based Security System for User Privacy in Vehicular Ad Hoc Networks” IEEE Trans. Parallel Distrib. Syst., 21, 1227–1239 (2010)

Dr. Goldy

Assistant Professor

Dept.of Computer Science And
Application, NIILM University,
Kaithal, Haryana

- [23] Al-Riyami, S.S.; Paterson, K.G. Certificateless public key cryptography. "In Proceedings of the International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Taipei, Taiwan, Volume 2984, pp. 452–473 30 November–4 December (2003)
- [24] Qu, F.; Wu, Z.; Wang, F.; Cho, W. "A Security and Privacy Review of VANETs". IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., 16, 2985–2996. (2015)
- [25] Zhang, L.; Wu, Q. Solanas, A.; Domingo-ferrer, J. "A Scalable Robust Authentication Protocol for Secure Vehicular Communications" IEEE Trans. Veh. Technol. 59, 1606–1617 (2010)
- [26] Zhang, L.; Wu, Q.; Qin, B.; Domingo-Ferrer, J.; Liu, B. "Practical secure and privacy-preserving scheme for value-added applications in VANETs" Comput. Commun. 71, 50–60. (2015)
- [27] Islam, S.K.H.; Obaidat, M.S.; Vijayakumar, P.; Abdulhay, E.; Li, F.; Reddy, M.K.C. "A robust and efficient password-based conditional privacy preserving authentication and group-key agreement protocol for VANETs" Futur. Gener. Comput. Syst, 84, 216–227. (2017)
- [28] Congcong Li 1,* , Xi Zhang 1 , Haiping Wang 2 and Dongfeng Li "An Enhanced Secure Identity-Based Certificateless Public Key Authentication Scheme for Vehicular Sensor Networks" Sensors 2018, 18, 194; doi:10.3390/s18010194 January (2018)
- [29]. Riley, M.; Akkaya, K.; Fong, K. A survey of authentication schemes for vehicular ad hoc networks. Secur. Commun. Netw. Volume4, Issue10 (2011)
- [30]. Manvi, S.S.; Tangade, S. A Survey on Authentication Schemes in VANETs for Secured Communication. Veh. Commun. Volume9 (2017)
- [31] Du, H. Wen, Q. "Efficient and provably-secure certificateless short signature scheme from bilinear pairings" Comput. Stand. Interfaces 31, 390–394. (2019)
- [32] Chun-Ifan, R.H.H.; Ho, P.H. "Truly non-repudiation certificateless short signature scheme from bilinear pairings" J. Inf. Sci. Eng. 27, 969–982 (2011)
- [33] Thokozani Felix Vallent 1 , Damien Hanyurwimfura † and ChomoraMikeka 2, Efficient Certificate-Less Aggregate Signature Scheme with Conditional Privacy-Preservation for Vehicular Ad Hoc Networks Enhanced

Introduction

The idea of a society without crime is a fiction. In actuality, a society cannot exist without the issue of crime and criminals. In essence, the idea of crime is tied to the social structure. It is common knowledge that a man's interests are best served by belonging to a community. Everyone has obligations to their fellow humans as well as rights and privileges that they want others to protect for them. The behaviour of the people inside a society is governed by this sense of respect and trust for one another's rights. Even if the majority of individuals adhere to the "live and let live" philosophy, there are others who, for one reason or another, stray from this standard and connect themselves with anti-social elements. This lays a duty on the State to keep society functioning normally. The State is responsible for carrying out this difficult mission of guarding law-abiding citizens and punishing those who transgress the law. Over time, there has been a dramatic change in how crime is perceived. In general, crime refers to human behaviour that is abhorred or condemned by society. However, in the modern sense of the word, anything that is illegal under the current penal code is considered a crime, with punishment as the result. The idea of crime is dynamic in that it is constantly altering in response to shifts in societal standards, values and perspectives on improper human behaviour. Additionally, perceptions of crime vary from location to location. Regarding how the definition of crime has evolved over time, for instance, the sale and consumption of alcohol are both crimes in the States where prohibition laws are in effect, but not in moist areas where it is not forbidden.

Criminal law is the area of law that most directly affects and worries a man in his day-to-day life, yet the current state of the law is not sufficient. There have been numerous attempts to define crime, but they have always

failed to specify the type of act or omission that constitutes a crime. This may be due to the shifting perceptions of crime from time to time and location to location. The fundamental definition and concept of crime differs depending on a variety of circumstances, including the type of government, political and economic structure of the community, as well as the ideals, beliefs, attitudes, practices, traditions and taboos of a particular group or civilization.

A drug-related crime is, any offence involving the possession, production or distribution of substances with a high potential for abuse (such as cocaine, heroin, morphine and amphetamines). Drugs and crime are linked because drug cartels, organised crime and gangs frequently control drug trafficking and manufacture. Drug addiction creates a great deal of suffering for people and drug manufacture and trafficking are major drivers of crime and bloodshed around the world. Drug misuse is a complicated issue with a number of social, cultural, biological, geographic, historical and economic facets. Drug misuse has had a negative effect on society. The crime rate has increased as a result of it. In order to afford their narcotics, addicts turn to criminality. Drugs lower inhibition and skew judgment, encouraging offenders to commit crimes. Drug addiction is associated with an increase in bullying, group fights, assaults and impulsive killings. Addiction worsens tensions and inflicts excruciating emotional suffering on every family member in addition to having an adverse impact on the stability of the finances.

Crime

Criminals are those who perform acts that are prohibited by the law and crime is defined as the commission of such crimes. On the basis of these presumptions, a massive body of literature has grown regarding the scope of crime, its causes, how to avoid it, how to stop it, how to

repress it and how to apprehend offenders, judge them and how to reform them. Philosophically speaking, the core question is whether to define crime negatively by the laws of man or positively by the laws of God. Is crime essentially created by God or by humans? God's law transformed into natural law as Western civilisation progressed. Crime evolved into a break of nature's order, which is the ideal situation that God preordained. Crime as a sin diminished to a theological idea, while crime as a violation of the natural order took over as the prevailing perspective. According to the natural law idea, some actions are unlawful regardless of whether a statute specifically states they are. Contrarily, regardless of the legal system's classification, actions that do not go against the natural order are not unlawful.

Fundamentals of Modern Criminal Law

Criminal law has two purposes: to deter future crimes and to punish offenders. Analysis of the substance and type of a crime is therefore required. To be considered a crime, an act generally needs to have all of the following components:-

1. For there to be a crime, there must be an overt act (actus) or omission on the part of the offender. In other words, a crime cannot be committed based just on intent or mens rea unless some overt or obvious action is also committed.
2. There should have been criminal intent (mens rea), whether explicit or implicit. It is widely accepted as a fundamental doctrine of criminal culpability that the common law premise that requires both purpose and the act to be illegal must apply.
3. The act or omission, as applicable, should be considered illegal behaviour under the current criminal code. In other words, unless it is specifically forbidden by local criminal law, any immoral behaviour is not illegal.
4. It should be accompanied by some sort of sanction or penalty. The State should also be empowered to penalise those who commit crimes, in addition to outlawing them under the law.

Narcotic Drugs & Alcohol

Abuse of narcotic medicines and psychotropic chemicals, which are essential in the treatment of various types of

human illness and pain, can be harmful not only to the user but also to society as a whole as well as the nation in which they are used and the entire human race. They lower levels of tension, anxiety and hostility, which leads to an overall improvement in one's well-being. These effects, while beneficial from a therapeutic standpoint, are also the reasons why they are abused. The use of narcotics can lead to a number of undesirable side effects including drowsiness, apathy, an inability to concentrate, a reduction in physical activity, dilation of the subcutaneous blood vessels, which can cause flushing of the face and neck, constriction of the pupils, nausea, vomiting and depression of the respiratory system. When narcotics are used frequently, tolerance and reliance on the medication might eventually develop. A shortened duration as well as a lowered intensity of analgesia, euphoria and sedation are the hallmarks of tolerance. Tolerance can also be caused by chronic use of a substance. Dependence can manifest itself in both the physical and mental realms.

Originally, the term "designer drugs" referred to the ability of scientists to make illegal substances in clandestine laboratories that were tailored to the preferences of particular drug addicts. Now, this expression refers to illicitly produced substances of abuse that are chemically and pharmacologically comparable to substances of abuse that are subject to legal control, but are structurally distinct from those substances in such a way that they cannot be brought under the purview of the law. Designer drugs are analogues of drugs of abuse that are subject to legal control. Designer drugs, when designed properly, produce the same effects as drugs of abuse that are subject to legal control. However, designer drugs are not subject to legal control because their chemical structures are distinct from those of the drugs that are subject to legal control. These so-called designer medicines are produced by modifying the chemical structure of commonly abused substances already in circulation. According to some accounts, the first designer drugs were hallucinogenic amphetamine equivalents of the substance mescaline. Analogues of fentanyl and pethidine,

both of which were considered to be heroin alternatives not so long ago, have recently gained popularity among people who abuse drugs. The terms coca leaf, cannabis (hemp) and opium poppy straw are included in the broader category of narcotic substance, which also refers to all synthetic narcotics.

Victimless Crimes

A crime that does not directly violate or endanger the rights of another individual is referred to as victimless crime. This phrase is used to describe certain behaviours that are illegal but do not directly violate or threaten the rights of any other individual. Consider, for example, the problems of drug addiction, homosexuality and abortion. This kind of wrongdoing is committed behind closed doors. Because there is no other person who is affected, there is no one who has an immediate interest in complaining to the authorities and producing evidence against the perpetrators of the crime. This is one of the distinguishing characteristics of such laws. A primary factor in whether or not a victim is recognised for a crime is whether or not the victim is aware of the incident. A crime has been committed against him or her, yet the act is considered victimless when the victim is uninformed of the crime and the harm that has been done to him. Example: a person who trespasses into the yard of a neighbour without being seen or causing any harm is guilty of the victimless crime. The urge to acquire unlawful goods or services that are in high demand is the driving force behind many crimes that do not involve any victims. This crime tariff fosters the development of sophisticated and well-organized criminal groups and contributes to their growth. Officials are required to engage in intensive monitoring, wiretapping and surveillance of suspects as well as the general public in order to effectively implement this type of criminal law. Offences in which the perpetrator bears the majority of the responsibility for the damage created by the crime. E.g. suicide, truancy or drug usage. Because the perpetrator of these offences has decided to experience the consequences of their actions, they cannot be considered victims in the traditional sense. According to Siegel (2004), "crime that

involves activities that interfere with the operations of society and the ability of the people to function efficiently" is the definition of victimless crime or public order crime. Despite the fact that alcoholism and drug addiction are not considered to be crimes with direct victims, it is important to remember that these conditions do have secondary victims, including members of the affected person's family, those who are reliant on them, friends, acquaintances, and so on. Because of their purportedly enjoyable and calming effects, or as a means of easing physical stresses and tiredness, or as a stimulant to face adversity, drinking and drug habituation have been prevalent in most communities throughout the ages. On the other hand, as a direct result of the phenomenal growth of the pharmaceutical sector, the consumption, abuse and improper use of alcoholic beverages and illicit narcotics have skyrocketed over virtually the entire population.

Why should Victimless Crime be punished?

Despite the fact that victimless crime does not cause any harm to other people, it should nonetheless be punished for the sake of the public interest. Even if the activity in question does not cause any other person any direct harm, there may be wider interests of society that need to be protected or furthered by criminal legislation. These interests may be furthered by criminal legislation. In the eyes of individuals who identify as conservative, one of those fundamental concerns is the maintenance of moral norms. Crimes committed with the consent of the victimless victims have their own distinct characteristics, which make them an indirect threat to the privacy of other people. Because there is a market for their products and there is money involved, they have the ability to create a gang sub-culture. The decriminalisation of such offences goes against the moral ideals of society since they bring about a decrease in the quality of life, cost the society's essential values, and cause significant harm to the society.

Drug-Addicts and Crime

In addition to drinking, substance addiction is a significant factor in the development of criminal behaviour. Every person who is addicted to drugs is a lawbreaker and a

provider of drugs because of their addiction. As a result of the fact that simple possession of a narcotic is considered an illegal act that might result in legal repercussions, drug addiction alone contributes to an increase in the rate of criminal activity. Researchers in the United States who have studied the connection between drug addiction and criminal behaviour have shown that narcotic addicts frequently engage in predatory crimes such as larceny, shoplifting, stealing, burglary, robbery and other similar offences. Those who are addicted to drugs almost always have a criminal record. The majority of drug addicts who steal in order to finance their habit of using illicit substances is a pattern that is frequently observed. After beginning to use narcotic drugs, the majority of people go on to engage in criminal behaviour. Many people who commit violent crimes use narcotic substances in order to gain the thrill and courage they need to commit crimes like homicide, burglary, extortion or rape that they otherwise would not commit if they were not under the influence of drugs. According to Dr. Kolb's point of view, the fact that drug addicts commit violent crimes is not due to the fact that they are addicts; rather, it is due to the fact that a significant number of addicts are psychopaths. Additionally, Dr. Kolb made the observation that opiates such as opium, heroin, morphine and cocaine transform psychopaths who are ferocious fighters into cowardly, dull, non-aggressive idlers. The United Nations Report on Drug Abuse came to the conclusion that the connection between drugs and suffering and crime forced governments to intervene in the use and sale of drugs because of the connection between the two.

The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

In addition to being responsible for the implementation of the United Nations lead programme on terrorism, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is a world leader in the fight against illegal drugs and international crime. It is also a leader in the fight against international terrorism. The UNODC was established in 1997, and it currently employs over 500 people across the

globe. It has liaison offices in New York and Brussels in addition to its headquarters in Vienna, where it also maintains twenty more field offices. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) strives to raise awareness about the dangers of drug addiction among people all over the globe and to increase international action against the manufacture and trafficking of illegal drugs and crimes associated to drug use. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) has undertaken a variety of projects with the purpose of achieving the aforementioned objectives. These projects include the implementation of projects to combat money laundering and the monitoring of illegal crop cultivation. In order to reinforce the rule of law, promote stable and viable criminal justice systems, and combat the growing threats of transnational organised crime and corruption, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is also working to improve crime prevention and provide assistance with criminal justice reform. An extended programme of activity was approved by the General Assembly in 2002 for the Terrorism Prevention Branch of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The primary emphasis of these operations is to offer states, upon their request, assistance in ratifying and putting into practise any of the eighteen global legal instruments designed to combat terrorism. UNODC operates in over 150 countries through its network of 20 field offices. UNODC field employees create and implement drug control and crime prevention programmes that are specifically suited to the requirements of individual nations through direct collaboration with national governments and non-governmental organisations.

Legislative Framework:

In India, the statutory control over narcotic substances is exercised through a variety of different enactments that are both Central and State laws. A considerable amount of time has passed since the passage of the primary Central Acts, which include the Opium Act of 1857, the Opium Act of 1878, and the Dangerous Drugs Act of 1930. Many loopholes in the regulations that are currently

in place have been brought to light as a result of the passage of time and the advancements that have taken place in the sphere of illegal drug trafficking and drug misuse on a national and worldwide level.

"This is a special Act, and while adopting the liberal construction of the Act, it is found that the Act has been enacted with the view to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances." "While adopting the liberal construction of the Act, it is found that the Act has been enacted with the view to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to the narc; Gulam Mohiuddin v. State of Jammu and Kashmir.

A fund that will be known as the National Fund for Control of Drug Abuse is going to be established by Section 7A of the Act. The fund is to be utilised by the Central Government in order to meet the expenditures incurred in connection with the measures taken for combating illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances, controlling the abuse of narcotic drugs and psychotropic substances, identifying, treating, and rehabilitating addicts, preventing drug abuse, educating the public against drug abuse, and supplying drugs to addicts in situations where such supply is a medical necessity.

Section 27 defines whoever consumes any narcotic drug or psychotropic substance shall be subject to the following punishments: (a) where the narcotic drug or psychotropic substance consumed is cocaine, morphine, diacetyl-morphine or any other narcotic drug or any psychotropic substance as may be specified in this behalf by the Central Government by notification in the Official Gazette, with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to twenty thousand rupees; or with both.

According to Section 27A, whoever participates in the financing, directly or indirectly, of any of the activities listed in sub-clauses I to (v) of clause (viii) of section 2, or harbours such a person engaged in any of the aforementioned activities, shall be punished with rigorous imprisonment for

a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years, and shall also be liable to a fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupee, Provided, however, that the court has the ability to impose a fine that is greater than two lakh rupees for reasons that must be mentioned in the ruling.

According to Section 39, (1) When an addict is found guilty of an offence punishable under section 27 1 [or for offences involving small amounts of any narcotic drug or psychotropic substance] and the court finds it appropriate to do so due to the addict's age, character, antecedents, or physical or mental condition, the court may do so regardless of the provisions of this Act or any other laws currently in effect.

(2) The court may direct the offender's release following due warning upon his execution of a bond in the form prescribed by the Central Government, with or without sureties, for refraining from the commission of any offence under Chapter IV for such period not to exceed three years as the court may determine, if the court determines that it is expedient to do so after considering the report regarding the results of the medical treatment provided under sub-section (1). Addicts who voluntarily seek medical treatment for de-addiction from a hospital or an institution maintained or recognised by the government or a local authority and undergo such treatment are not subject to prosecution under Section 64A. This applies to addicts who are charged with crimes punishable under Section 27 or with crimes involving small amounts of narcotic drugs or psychotropic substances. According to Section 71, the government has the authority to set up facilities for the supply of narcotics and psychoactive drugs as well as for the identification, treatment, and other needs of addicts. The Government may establish, recognise, or approve as many centres as it deems necessary for the identification, management, education, after-care, rehabilitation, and social reintegration of addicts. The Government may also supply any narcotic drugs and psychotropic substances to the addicts registered with the Government and to others where such supply is a medical

necessity, subject to the conditions and in the manner prescribed by the concerned Government necessity. The Government may issue regulations in accordance with this Act establishing, appointment, upkeep, supervision, and management of the referenced centres, as well as their management and supply of narcotics and psychoactive chemicals.

Measures to control Drug Addiction

Stringent legislative restrictions have been put in place to govern the production, distribution, and sale of these items as well as to outlaw their possession and usage for anything other than medicinal and scientific objectives in an effort to combat alcoholism and drug addiction. However, through a competent licencing system and regulating procedures, the use of alcohol and narcotic medications for cure or treatment purposes has been made acceptable to meet the demands of the legitimate. Through international accords and conventions agreed between countries under the United Nations Commission on Narcotic Drugs, to which India is a signatory, narcotics are controlled internationally.

This risk is decreased by the system of licencing doctors to offer medications to addicts at a reasonable cost and to help prevent their exploitation by criminal peddlers. The method of granting doctors the right to prescribe medications to addicts at a fair price also contributes to reducing this crime by avoiding their exploitation by criminal drug dealers. The Prohibition Enquiry Committee, established by the Planning Commission, proposed in its report of June 1955 that the country's development goals be integrated with the prohibition and anti-drug policies in order to combat alcoholism and raise the standard of living for the populace. The Committee also recommended the creation of a Central Prohibition Committee to monitor the development of prohibition and oversee associated activities in different states. The Committee also recommended the creation of a Central Prohibition Committee to monitor the development of prohibition and oversee associated operations in various states. The Department of Customs, the Central Excise Narcotics Commissioner, the Central Bureau of

Investigation, the Central Economic Intelligence Bureau, the Directorate of Revenue Intelligence, the Border Security Force, and the Drug Controller are just a few of the authorities that the Central Government has established.

Conclusion

From the above discussion, it has been concluded that the Central Government, State Government and the relevant authorities are trying to implement the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 so that the nexus between drug addiction and crime should be smashed. Because of this relationship, the person who is using the drugs and become drug addicted commits crime and it all have an impact on the society, his family, friends, acquaintances, his study, work and other relationships. After consuming drugs a person behaves like an insane person who becomes unable to understand the nature and quality of his acts which he is performing, and also cannot understand that what he is doing whether that act is right or contrary to the society and law.

Reference

- Paranjape, N.V., "Criminology and Penology" 14th Edition, published by Central Law Publications.
- Paranjape, N.V., "Indian Penal Code" Edition 2018, Central Law Publications.
- Gaur, K.D., "Textbook on Indian Penal Code" Sixth Edition, Published by Universal Law Publishing.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Drug-related_crime.
- Prajapati, Nishka, "Drug Addiction and Crime", available on <https://www.legalserviceindia.com/legal/article-2844-drug-addiction-and-crime.html>.
- Gaur, K.D., "Textbook on Indian Penal Code" Sixth Edition, Published by Universal Law Publishing.
- Paranjape, N.V., "Indian Penal Code" Edition 2018, Central Law Publications.
- Mehanathan, M.C., "Law on Control of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in India", Third Edition, published by LexisNexis.

- “Victimless Crimes” available on <https://journalsfindia.com/victimless-crime/>.
- Paranjape, N.V., “Criminology and Penology” 14th Edition, published by Central Law Publications.
- Paranjape, N.V., “Criminology and Penology” 14th Edition, published by Central Law Publications.
- United Nations Office at Vienna, available at <https://www.unov.org/unov/en/unodc.html>.
- (1994) 1 Crimes 204 (J & K).
- The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
- Paranjape, N.V., “Criminology and Penology” 14th Edition, published by Central Law Publications.

Nisha Rani

Research Scholar

Garu Kashi University

Talwandi Sabo

Supervisor

Dr. Arpana Bansal

Garu Kashi University

Talwandi Sabo

Abstract

The Punjab State of India was fully infected with terror activities during the period 1982-1995. During this period, there were many terror attacks and other types of violence activities happened that were planned by some terrorist organizations which were desired to disturb the peaceful environment of the Punjab State with a motive to create a separate Sikh State Khalistan. There were so many reasons behind all this we can't neglect all those reasons which were responsible behind these terror activities and violence. First was to create (Establishment) a separate Sikh State, second was to accept the Anandpur Sahib Resolution and other last was to give a special identity as a Sikh to all those people prepare who were living in the Punjab region and some others parts of India even who have gone abroad.

Key-Words: Terrorism, Activities, Organisation, Weapons, Terrorists, Identity, Sikh State, Resolution, Reason, People, Establishment, Responsible, Violence, Abroad, Punjab, Separate.

Introduction

The Punjab State of India was fully infected with terror activities during the period 1982-1995. During this period, there were many terror attacks and other types of violence activities happened that were planned by some terrorist organizations which were desired to disturb the peaceful environment of the Punjab State with a motive to create a separate Sikh State Khalistan. There were so many reasons behind all this we can't neglect all those reasons which were responsible behind these terror activities and violence. First was to create (Establishment) a separate Sikh State, second was to accept the Anandpur Sahib Resolution and other last was to give a special identity as a Sikh to all those people prepare who were living in the Punjab region and some others parts of India even who have gone abroad. But these all demands which made by the Sikhs were fully rejected by the then central government of India led by Mrs. Indira Gandhi. Before Operation Blue Star, there is no doubt that some demands were accepted by the central government in favour of Sikh religion on the other hand although, some

reasonable demands were accepted by the then central government but that was not enough for the Sikh's that's why at last, they have chosen only way to spread terrorism in the Punjab region and on the other parts of India with a motive to accept their all demands.

The deadly violence included terror activities in the Punjab state (India) began to intensify with late 1984. When the central government of India led by the then Prime Minister Smt. Indira Gandhi who was assassinated after operation blue star by her own two security guards. Operation blue star and anti Sikh riots in the capital of India, Delhi after the assassination of Mrs. Indira Gandhi in 1984, led to a manifold increase in violence in Punjab. Even, Punjab was already under the President's rule since September 1983. During this period many law's were enacted providing the security forces with extraordinary powers to deal with the terrorist groups who were spread terrorism in the central region. But on the other hand, many law's and acts which have been passed in the Indian parliament for fight against terrorism, were misused by a section of security forces to hand and harass the common people which have not any type of relation with any social and other activities. That's why a large number of young youth militants began to spread fear and deter innocent people and extorting many from them.

This resulted in kidnappings, sometimes for ransom and in some case, to secure the release of prominent militants from jail, and to garner international recognition for the issue. To see all this critically situation, the Governor of Punjab Shri Sidhartha Shankar Ray (1988-93) summed up this situation their following words.

There is a government but not in Chandigarh and only in Amritsar rooms No.45, 47, 48 of Guru Nanak Niwas like the Jazhia of the Mughal day. Militants are sending show cause notices to people demanding money. These purpose both Sikhs and Hindus do not go the police or to the Deputy Commissioner. They straight go to the militants to pay the money and go of.

These words which have been said by the then governor of

Punjab Shri Sidhartha Roy are fully true (Narayan, 1996 P27) men who were in the age of between 18-22 years were fearing torture, arrest by the Punjab police and they all planned ran from their own homes and they only choosed to the way join the membership of terrorist groups. Even, some young men crossed into the indo Pakistan (international border) for take a full armed training from the inter services. intelligence of Pakistan and they all young men returned to India as trained armed terrorists who had a main target to kill police officers, security forces men, anti Sikh's, anti Khalistan movements. (The Indian Express 1992).

Militants activities increased manifold between 1987-92 which included bomb blast, killing of innocent Hindu civilians and kidnapping for ransom (Dhillon 1998 PP120-22) it was estimated that more than a billion rupees were extorted by the militants between (1987-92). In this way the prevailing situation provided militants groups with an opportunity to exploit the weak government. This resulted the civil administration totally paralyzed. In the country side, particularly in the region of Punjab because, during these day's there was no law and order has been fully maintained by the Punjab police administration to counter terror incidents and violence caused by well trained terrorists.

Therefore, those days, there was an urgent need to maintain law and order to handle this critical situation. But it is also true that there was many law's and acts was passed by the then central government to abolish terrorism from the region of Punjab. We are discussing all those law's and acts which were amended and newly passed by the centre as well as state governments to check on terror and violence activities include Punjab and other States of India, which are nearby the International Border.

Although terrorism is a matter of international concern. Therefore, the direct responsibility is that of the domestic legal systems. Every state has a right to seek international cooperation but here one big question arise, that why India has not been able to seek full cooperation of Pakistan. The chemistry of cooperation is more important than the covenants of cooperation, states cooperate with each other when they find a quid pro quo for that. The experience of extradition. arrangement show that.

States avoid extradition treaties and prefer informal and flexible arrangements. States do not extradite terrorists when they think their interests. Mainly their own security

interests will be affected by the proposed extradition. Extradition proceedings succeed in a small number of cases of international terrorists who acquire double nationality. Extradition becomes difficult in case of

National Security Act NSA 1980

The central objective of the national security act was to authorize the preventative detention of individuals who were deemed acting in a manner "Prejudicial to the defence of India" (Human rights watch 1991) The act allowed the detention of individuals for a period of two years without trial. Individuals detained under this act were to appear before a three person government appointed advisory committee composed of individuals who were capable of being a high court judge. Officials were to inform the advisory committee of the reason for detention within four months and two weeks. The advisory committee had five months to decide whether reasons for detention were sufficient. Individual deemed a security threat were detained.

This act removes constitutional legal restraints hindering security authorities from quelling violence in the early 1980s when terrorist activities increased in Punjab and then the Indian Government implemented the concerned above said National Security Act to repress terrorism from Punjab. The NSA had numerous flaws that hindered its effectiveness. The NSA failed to detain key members and leaders of militants organisations. A territory deficiency in the application of National Security Act by Security agencies both consistent harassing of innocent civilians with mass arrest. Here we have a big example that there were thousands of pilgrims were caught from the golden temple which is situated in the holy city named Shree Anandpur Sahib, now the district of Punjab during the operation blue star. The detention of these civilians for a prolonged period in fruited the Sikh population who perceived this as another example of Indian Government repression. The national security was also hampered from effective functioning by: consent political interference during various stages of conflict. This persistent political interference of living extremists led to the presumption of violence by a segment of these individuals and reduced the effectiveness of preventative arrest by security officials.

Anti Hijacking Act 1982

In response to the hijacking by terrorist

organisations the anti hijacking act was implementing in 1982. Concerned act was largely constructed to deter act of aviation terror by using judicial means to prosecute hijackers. This act was implemented after big hijacking incidents that was occurred on Sept, 29, 1982 when an Indian Airline that was travelling between Sri Nagar and New Delhi was hijacked by some terrorists. The hijackers were hijacked this airline in response to the arrest of Sant Jarnail Singh Bhindrawale for his role in the murder of the editor of The Hind Samachar which was published from Jullundhar. Lala Jagat Narain alongwith Baba Gurbachan Singh sect of Nirankaris. This matter was resolved peacefully when the five assail ants were overpowered by Pakistan security officers. The primary objective of this hijacking was to bring attention to the perceived repression of the all Sikh population in the Punjab region and to pressure upon the Indian Government to grant their all demands especially to create a separate Sikh state named Khalistan. There were some links of terrorist organisations like Dashmesh Regiment, Dal Khalsa and Sikh terrorist organisations behind this hijacking of Indian Air Line. Hijackers convicted under this act were liable to live imprisonment include a huge fine. The anti hijacking act and implantation of increased security measures in airport facilities were instrumental in reducing act of aviation terror by terrorist organisations during the period of 1980s.

The Armed Forces (Punjab & Chandigarh Special Power Act 1983).

The concerned act was passed by the Indian Parliament in 1983. According to this act some special powers were assigned to the armed forces when the governor of Punjab named Sidhartha Shankar Roy declared the whole situation of the state of Punjab as disturbed. The objective of the armed forces act was to provide armed forces personnel in Punjab region with special powers to assist state and security officials to repress terrorists. The legislation also authorize armed forces personnel to arrest without warrants who had committed reasonable suspicion exited was about to commit a cognizable offence.

The Punjab Disturb Area Act 1983

The Punjab disturb area act 1983 was enacted by the then central government of India in 1983 to abolish terror activities including other types of violence made by the terrorist groups who had desire to disturb the peaceful

environment of Punjab and some parts of India to fulfill their own desire. The Punjab disturb area granted the police officials the ability to use maximum force against terrorists who is including to spread terror activities which may result in serious breach of public order or is acting in contravention of any law or order for the time being inforce prohibiting the assembly of five or more persons or the carrying of weapons (Human Rights Watch 1991-42).

The terrorist and disruptive activities (Prevention Act)

When the central government of India led by Mrs. Indira Gandhi imposed curfew in Punjab in the month of June 1984, there is no doubt that this curfew was a part of the operation blue star. During the period of this curfew many people were detained from some terror affected areas without giving any show cause notice by the officials of the Punjab Police Department. All this was against the concept of Indian Constitution. Therefore advocates including journalists have expressively documented evidence of human rights violation caused by the security forces that was deployed in each district of Punjab.

The Indian government relied significantly upon its emergency and preventive definition powers in responding to the Punjab terror situation.

The Indian government used the national security act in October 1980 and then the government also amended this national security act in early 1984. After the amendment in national security act, the maximum period has been increased detention period from one year to two years.

We should not forget that the Indian Government dismissed to Punjab State Government and have imposed the President Rule in 1983 and then in 1987. When second time the President rule was imposed in 1987, in the state of Punjab this time Indian govt. amended the Indian constitution to expand the grounds for declaring a National State of Emergency to include internal disturbance in Punjab state remained under the President rule until 1992. Even the Indian Government also passed some new non emergency laws which could be used against the act of Punjab terrorism. In early 1984, the Indian government had passed the terrorist affected areas (Special Courts Act) which had concern to established special courts to adjudicate certain scheduled officer related to terrorism in areas which was designed by the Indian Government for the proceedings of the terrorists in such there courts most of these provisions were

incorporated in to the more sweeping terrorist and disruptive activities prevention act 1985. This act was passed after the assassination of Mrs. Indira Gandhi, concern act is known as with its short form TADA. The Presidential Rule under this concern terrorist and disruptive activities deported from the ordinary rules of evidence and criminal procedure in several respects. Because while ordinary law precludes admissibility of any confession made to police officials. Therefore, this act provided instead that confessions to the officers of police department.

Preventions of Terrorism Act, 2002

This prevention of terrorism act passed by the Indian government in the parliament in 2002. This act which was so much strict against terrorism. Concern act was replaced the prevention & terrorism ordinance (POTO) that enacted in 2001. This act was enacted in response to the attack which happened on 13 December 2001 at the Indian Parliament. The danger terrorist group Lashker-E-Toiba who belonged to our neighboring country Pakistan was responsible behind the major attack. The winter session of the both houses in the Indian Parliament was going on the same day, in this major attack, six security persons, two parliament security guards and one gardener of the parliament have died in the attack. Five all terrorist were also killed outside the parliament. Eighteen other people were injured in the concerned attack. AKM Rifles and other type of dangerous explosives were seized from terrorists.

Features of prevention of terrorism act 2002

There are many characteristics of prevention of terrorism act 2002. We are going to discuss all the major characteristics as following:

1. The act defined what constituted a "terrorist act" and who a "terrorist".
2. Prevention of terrorism act granted special powers to the investigation agencies.
3. Every person shall be liable to punishment under this prevention & terrorism act which held guilty in India.

Indian Judiciary and Human Rights

We know that all citizens are living in the territory of India are guaranteed the rights to speech, free movement, peaceful assembly and give their own expressions, their own views regarding social, economic, political, religious, cultural and the judiciary system which is being running after the independence of India.

Establishment of the Indian Constitution

Although, "Parliament of India may legislate reasonable restrictions" on some of these rights in the interest of the sovereignty and integrity of India". The constitution of India also authorizes suspension of judicial enforcement of these all rights during lawful normally declared period of emergency, while the constitution does not explicitly protect due process of law. The Indian constitution give guarantee for right to privacy and freedom from the cruel inhuman and torture. In such cases, the court also has recognized a constitutional right to a fair criminal trial including among other elements the presumption of innocence, independence, impartially and competence of the judge.

According to our judiciary system the code of criminal procedure, detention in police custody. Beyond the constitutional limit of 24 hours. Must be authorized by a Magistrate on the other hand when the accused is initially produced before the magistrate. The magistrate of the court must release the accused on the basis of bail unless it. Bail is meant to be the rule and continued detention the exemption. In these cases where the accused may be remanded to police custody for upto 15 days. In minor cases the accused may be released on bail at the discretion of the court.

Human Rights Courts

For the purpose of providing speedy trial of offences arising out terrorism or violation of human rights, the every state government may with the concurrence of the chief justice of the High Court of concerned state by notification specific of every district a court of session to be a human right court to try the said offences. Provide that nothing in this section shall apply if

1. A special court is already constituted for such these offences that concern with terrorist activities and other types of violence. Under any other law for the time being in force.
2. A court of session is already specified as a special court.
3. The comptroller or Auditor General or any person appointed by him in connection with the audit of the account of the commission under this act shall have the same rights and privileges and the authority in connection with such audit as the comptroller and auditor general.

Conclusion & Suggestions

At last we can say that Punjab state became one of the most prosperous state in the post independence of India and this is an important factor for understanding the political economy of the concerned state. There is no doubt that the

state of Punjab in 1966 neither solve the above said problem of the state nor satisfy disgruntled elements among the Sikhs. The communalization in Punjab politics as well as factionalism within the Akali Dal added fuel to the already simmering fire of discontentment with the skewed model and vision of development in Punjab. This resultant many terror activities and other types of violence happened during the period of militancy in Punjab. There is no doubt it dented the image of the Sikhs throughout the world. The action of the state government during the period of militancy was fully brutal and controversial and support of the then central government combined with resistance of the rural Sikh population and the effort of democratic forces resulted in complete eradication of insurgency related violence. This research paper is fully concerned with all those national laws and acts which has been enacted by the central government of India to abolish terrorism activities not only from the territory of Punjab but also in the other states of India. Therefore, we can say that even during the present time there are many terror attacks has been made by the terrorist organisations who belong to the inter services intelligence of Pakistan to spread terrorist activities in Punjab region with a motive to disturb the peaceful environment of the concerned state on the other hand some Sikh organisations who have desire to create a separate Sikh state in the Punjab territory. Even they are giving their full financial support to some terrorist organisations who belong to Pakistan to fulfil their own desire. In the end of this research paper we can say that strict laws and acts may be implemented to see current circumstances which are happening from 2016 and till now. If the present central government pay more attention upon all the situation of above said terror activities which happening form 2016 and strict laws and acts should be passed by the present Indian government in the parliament such these terror activities can be reduced than before. The trial system should also be speedy regarding the arrested terrorists and they shall be punished by the TADA court as soon as possible..

References:-

Sharma D.P 1985 the Punjab story, decade of turmoil A.P.H Publication corporation new Delhi. Tell ford H 1992 the political Economy of Punjab creating space for Sikh militancy. Asian survey.

Singh Randhir 1992 Terrorism and state terrorism and democratic rights mainstream.
Wallace Paul 1995 Political Violence and Terrorism in India. Pennsylvania university press.
Kumar P victims of Sikh Militancy "UNICEF" research paper (2001).
Sekhon J.S terror Reaches homes kidnapping during militancy in Punjab Research journal social science vol. 20 No. 1 (2012).
Kalhan Anil,P Conroy Gerald and Jed S.Rakoff, Kaushal Mamta, Miller Samscott COLONION CONTINUITIES: HUMAN RIGHTS, TERRORISM, AND SECURITY LAWS IN INDIA
B.Philip Heymann and Blumgabriella Laws outlaws and terrorist. Lesson from the war on terrorism. Hardcover out of print sep. (2010)
Singh Parkash MPRA London School of Economics Amherst college London (march 2011).
Paul Haridakis and workneh Tewodros Counter Terrorism laws and freedom of expression. Lex ington books (2021).

Seema Rathee

Subject: - Political Science

E-mail:- seemarathee786@gmail.com

Contribution of The People Of Village Mehraj In Freedom Movement

Manjeet Kaur, Dr. Parmjeet Kaur



Abstract:-

In Azad Hind Army, five residents of village Mehraj had taken part. These five men were freedom fighters: Major Singh, freedom fighter Bhanta Singh, freedom fighter Pritam Singh, freedom fighter Bhag Singh and freedom fighter Mewa Singh. Queen of Jhansi "Rani Lakshmi bai" had established army of woman. In woman army, a woman of Mehraj named Dalip Kaur had participated. In Quit India movement and civil disobedience movement Hari Singh of village Mehraj had contributed. These all freedom fighter were honoured by P. M. of India Mrs. Indira Gandhi with Tamar Patter in 1972

Key words:- Subhash Chandra Bose, Azad Hind Army, Mehraj, Quit India movement, Major Singh, Bhanta Singh, Pritam Singh, Bhag Singh and Mewa Singh
Azad Hind Army

Azad Hind Army was established on 15th February 1942. The idea and institutionalization of Azad Hind Army was made by Captain Mohan Singh. The soldiers who returned were including the Freedom Fighters of Village Mehraj. Their jobs were taken and sentences were awarded.

Swatantrata Sangrami (Freedom Fighter)



Bhag Singh was born in the year 1899 at Mandi Dabwali (Haryana) to father Dasaundha Singh and mother Ind Kaur. Plague was an epidemic at that time, and father Dasaundha Singh of Bhag Singh was also a victim of the disease and died due to plague. Bhag Singh's mother was remarried to the resident of Village Mehraj Tota Singh. Bhag Singh came to Village Mehraj with his younger brother Dalip and Mother Ind Kaur. When Bhag Singh and Dalip Singh grown up their stepfather Tota Singh evicted them. Bhag Singh took work of

animal husbandry in the house of a Jimindar of the village. One day Bhag Singh went to village Poothla with this friend (Here the rest house of British, Nehri Kothi was situated). There soldiers were being recruited by the British Government. Bhag Singh stood in the line for physical measurement. British Officer recruited Bhag Singh in the army. Bhag Singh's friends took the buffaloes back (which blocked to a farmer of the village). Bhag Singh and other recruited soldiers were taken along by British Officers. Bhag Singh was appointed in the M.T. (Mechanical Transport). Bhag Singh informed his son that after his training he served at Lucknow, Kanpur in U.P., Pune in Maharashtra etc. and also at Delhi (Capital of India). Bhag Singh's unit was given duty to supply food material to the army from Delhi Red Fort. Bhag Singh posted at Delhi Red Fort for two years. His Army Number was 923490. During this battle started between British and Japanese. Bhag Singh was sent to Burma (Asian Country) with his unit. There General Mohan Singh and Netaji Subhash Chandra Bose took a meeting and deputed the army at Japanese Borders. Subhash Chandra Bose was already in Japan to free India from British. When Bhag Singh's unit reached at borders Subhash Chandra Bose gave a speech, "Do you want your country to be free and will you contribute in this cause". Under the command of General Mohan Singh entire Unit of Bhag Singh joined Japanese Army. Bhag Singh's Unit was named as Azad Hind Army. Earlier this unit was called as Indian National Army. According to Bhag Singh, the jeep which was given to their unit had an Indian and a Japanese soldier. In Burma a fierce battle was going on in the hills of Imphal. Bhag Singh was driving the jeep. Inder Singh was operating the LMG (Light Machine Gun) installed on the jeep. There was two other soldiers in the jeep. The jeep was attacked by a British army plane. Due to this Inder Singh was martyred. Bhag Singh and Gurnam Singh were wounded. In this attack a wound was there in the side of stomach of Gurnam Singh. Bhag Singh

He tied the wound with his turban and reached at the No. 12 hospital at a distance of 1.5 km which was treating wounded soldiers and Bhag Singh got his wound treated. This hospital was also attacked by British. Bhag Singh ran away with his friends and saved his life and he took shelter at a house in Burma but British bombed here. Bhag Singh saved his life, but British Army won the war and Japan was defeated. British started imprisoning the soldiers who revolted against them. Bhag Singh stayed at a Gurudwara in Burma but the Granthi there was dishonest. He informed about Bhag Singh and Gurnam Singh, hence they were arrested. Bhag Singh along with his friends was kept at a temporary jail in Delhi. Some friends of Bhag Singh were hanged. Finally Bhag Singh was released from Delhi but he was not allowed to take anything with him, he only took a water bottle, his golden bracelet was also seized by British. Bhag Singh had such sanctions that he was not allowed to visit any relative when he was in village without informing police. Bhag Singh fought independence battle without any remuneration. On 15th August 1972 Tamra Patra was presented by Smt. Indira Gandhi.



Tamra Patra of Bhag Singh



Pritam Singh Freedom Fighter who participated in Azad Hind Army



Pritam Singh was born in the year 1919 at Village Mehraj,

Patti Sol. His father was Lahora Singh and mother was Gujjar Kaur. Pritam Singh was fluent in Sanskrit and Hindi.

Pritam Singh had a nicely built body. As per the Certificate issued by British Government he was 5'11". He did farming in the childhood. He was from a poor family and he joined British Army at Malaya (Asian Country) in the year 1938 to improve the conditions of the house. In the year 1939 second world war started and Indian British Army at Malaya was called for war. At that time Subhash Chander Bose (Leader of Azad Hind Army) was at Malaya. He organized Azad Hind Army in the year 1942. Azad Hind Army was constituted taking the soldiers from British Army (Indians who were in the British Army). Pritam Singh also joined Azad Hind Army. Now British Government faced trouble from two sides.


Pritam Singh along with his friends took the commands in Imphal and Kohima (These are the hills in the Burma). Although Subhash Chander Bose tried to get help from Japanese, yet they were making tactics. Battalion of Pritam Singh was led by Captain Mohan Singh.

Pritam Singh joined Nehru Brigade of Azad Hind Army along with his friends. Although, there was a scarcity of food for Pritam Singh's brigade (when the revolted against British) yet their confidence was high. They remained in the hills about two months and spent their time eating leaves.

Pritam Singh was arrested with his friends by the British Army and all were sent to Delhi jails. After arrest Pritam Singh was badly tortured by British and released after a thorough enquiry. When Pritam Singh released with his friends, he returned to home and he could not identified. He was reinstated in the Indian Army when India was independent and he retired in the year 1949 from Indian Army. He was appointed in Indian Homeguards in the year 1964, and did job there. Pritam Singh died in the year 2001. Now family of Pritam Singh resides in the Patti Sol of Village Mehraj. He had a son namely Nirmal Singh who died before Pritam Singh. Now he has two grandsons.



Freedom Fighter Bibi Dalip Kaur



Bibi Dalip Kaur came after marriage with Bhanta Singh at Village Mehraj Patti Kala. Bibi Dalip Kaur was appointed in army of Rani Jhansi. After the revolt of 1857 Rani Jhansi made a battalion for female and Dalip Kaur was recruited in that. During second world war they surrounded a forest and made a fencing of iron wire. They also put electric wires to the iron wire so that no soldier can leave the forest.

They were availed with food after much struggle. When after the second world war Dalip Kaur was released she reached at Village. She had no property. Dalip Kaur gave birth to five kids. Dalip Kaur opened a small poultry farm because she had lesser property and run her expenses selling eggs.

Dalip Kaur was also neglected by the Governments and no pension was awarded. When her sons grown up they made efforts and her pension was applied. Unfortunately when the letter of release of pension was posted at her house, she died. Her husband Bhanta Singh was also in the Azad Hind Army. Bhanta Singh was released after Dalip Kaur.

Now family of Mata Dalip Kaur is residing in Village Mehraj Patti Kala and her eldest son has died. It was not a qualified family and one person of the village got their signatures deceived them and the petrol pump awarded to the Dalip Kaur's family, converted in his own name. Now only help is that their 300 units of electricity is free. Smt. Indira Gandhi presented Tamra Patra in the year 1971.



Tamar Patra of Bibi Dalip Kaur

Freedom Fighter Major Singh




Major Singh was born in the year 1922 at Village Kalal District Sangrur. His father was Rattan Singh, mother Nand Kaur. Rattan Singh was a farmer and mother Nand Kaur was a house lady. Major Singh studied upto fifth in the school at Village. One day a British Officer came to Kalal and took tea at the house of Rattan Singh. British Officer was impressed when he saw the body of Major Singh and he offered Rattan Singh to recruit his son, Rattan Singh agreed. Major Singh was recruited in the Army in the age of only 17 years. After some time revolts started against the British Government. Subhash Chander Bose was making efforts to make India free. He organized Azad Hind Army and Major Singh joined Azad Hind Army against British and struggled for the freedom of country. He participated in the Burmese war in the year 1944. British Army surrounded the forests of Burma and there was no food and water left with the Azad Hind Army soldiers. The encircling continued for 6 months and they survived on leaves. A bullet was also shot to Major Singh. One bullet shot in the thigh. There was no arrangement of treatment and he treated his wounds with the herbs available in the forest. Six months spent in the Burmese forests and family thought he has been killed in war. When he reached home after end of war family celebrated. He was retired in the year 1946. Two pensions were awarded by the Government to Major Singh, one by the Central Government and one by the Punjab Government. Major Singh was also presented with various awards. Smt. Indira Gandhi also awarded him Tamra Patra. Partap Singh Kairon also issued Award Letters. Major Singh joined Punjab Police after retirement and served for various years. In the year 1960 he was married to Gurnam Kaur of District Barnala. In the year 1963-64 Major Singh settled in the Village Mehraj with his family and started farming. In the year 1997 his wife Gurnam Kaur died, Major Singh could not bear the loss and he was ill. He left this world on 14 Dec

1999. Sukhbir Singh Badal laid the foundation stone of the road in the name of Major Singh from Gurusar Mehraj to Talwali. Currently the family of Major Singh resides at Village Mehraj. Major Singh has five sons, two daughters, two grandsons (daughters' sons), 5 granddaughters (daughters' daughters), 10 grandsons and 5 granddaughters. One son is designated in the Government Sector. Other four sons do farming in the Village Mehraj.



Tamar Patra of Freedom Fighter Major Singh



Freedom Fighter Bhanta Singh



Sardar Bhanta Singh was born on 1-9-1888 in the house of father Katar Singh. He joined Azad Hind Army. According to Passport of Bhanta Singh he went to Malaya in the year 1939.

He joined Azad Hind Army from Malaya. After Malaya he fought battle against British at Burma. He was attacked while roaming in the forests and he was wounded in this attack. The wound was on his arm. As he was an absconder for British Government no one treated him at any hospital in Burma and he had to heal his wounds by putting tree leaves.

On the end of the world war at all fronts all soldiers

of Azad Hind Army were imprisoned and they were kept at the temporary jails in Delhi. Bhanta Singh was awarded a sentence for 2 year 2 months. Bhanta Singh was kept in house arrest when he completed his jail term. When he had to visit outside the village to any city he had to enter his visit details in the Police Station at Nathana (Before 1981 Nathana was Tehsil to Village Mehraj) and on return the same activity was to be repeated. After the independence in 1947, considering the sacrifices of Bhanta Singh Government of India appointed him in the police. Mata Dalip Kaur wife of Bhanta Singh was also a freedom fighter. Bhanta Singh had five kids, but his salary was very meager and it was very difficult to run the kitchen expenses. Bhanta Singh's wife used to sell eggs to make both ends meet. They could not provide education to their children due to poverty. Bhanta Singh died on 6/10/1989. Now family of Bhanta Singh is residing at Village Mehraj Patti Soul.



Tamar Patra of Freedom Fighter Bhanta Singh

Freedom Fighter Giani Hari Singh



Giani Hari Singh was born in the year 1971 at Village Mehraj Patti Soul. Giani Hari Singh's father was Bir Singh and his mother was Har Kaur. The main occupation of Hari Singh was agriculture. He was also interested in the education


along with the agriculture. He got a degree of Giani about Guru Granth Sahib from Shaheed Sikh Missionary College, Amritsar. Giani Hari Singh was classmate of Giani Zail Singh. He was with Giani Zail Singh at all fronts (Morchas) in the war of independence like a Quit India movement and civil disobedience movement. Later on Giani Zail Singh became President of India. But Giani Hari Singh did not take any political benefit from him.

Giani Hari Singh was married to Smt. Basant Kaur. Hari Singh had 6 sons and one daughter. His friends were the personalities like Chief Minister Darbara Singh. But Giani Hari Singh did not asked for recommendation of any of his children for Government sector appointments. Three sons (Captain Karamjit Singh, Nayak Sukhdev Singh, Nayak Darshan Singh) of Hari Singh joined Indian Army due to their hard work. His two sons did not marry due to less agricultural land. In the year 1971 he was awarded Tamra Patra by Smt. Indira Gandhi for his contribution in independence.

Giani Hari Singh died on 2 January 1986. According to Sukhdev Singh, Hari Singh remained healthy till his death. He was getting ready to draw his pension on 2nd January at 6 AM (at that time he was drawing pension from Phull by going on feet) but a heart attack was occurred to him while he was tying his turban at about 6:30 am. Family of Giani Hari Singh currently resides at Village Mehraj Patti Soul. Most of the family is in Indian Army. Three sons and four grandsons of Hari Singh are serving army.



Tamar Patra of Freedom Fighter Giani Hari Singh



References:

Foundation ston:-

- Foundation stone laid by Sukhbir Singh Badal
- Tamra Patra:-
- Tamra Patra of Bhag Singh
- Tamar Patra of Freedom Fighter Giani Hari Singh
- Tamar Patra of Freedom Fighter Bhanta Singh
- Tamar Patra of Freedom Fighter Major Singh
- Tamar Patra of Bibi Dalip Kaur
- Passport:-
- Passport of Dalip Kaur
- Passport of Major Singh
- Passport of Bhanta Singh
- Personal interviews
- Personal interview with Sukhdev Singh and Karamjit Singh on 14-3-2021
- Personal interview with Jasvir Kaur daughter-in-law of Pretam Singh on 18-6-202
- Personal interview with Balveer Singh son of Major Singh on 1-1-2021
- Personal interview with Avtar Singh son of Major Singh on 10-1-2021
- Personal interview with his Lakhvir Singh grandson of Pretam Singh on 21-6-2020
- Personal interview with Teja Singh son of Bhanta Singh and Bibi Dalip Kaur on 21-6-2020

Books :-

- Beer, Sarwan Singh, Surbir Desh Bhagat, Lok Samprk Department, Bathinda, 1987
- Singh, Sohan, Foziyaan di Azaadi Nu Den (Contribution of Soldiers in Independence), Punjabi University, Patiala 1972

Author

Manjeet Kaur

Assistant Professor
Department of History
Guru Kashi University
Talwandi Sabo, Punjab

Co- Author

Dr. Parmjeet Kaur

Research scholar
Department of History
Guru Kashi University
Talwandi Sabo, Punjab



Abstract

There are many countries of the entire world which are facing the threat of terrorism caused by some terrorist organizations although there are many causes behind the activities of terrorism but Religion, language and Region are the main cause behind the emergence of terrorism. If we talk about the Punjab terrorism who faced difficult circumstances during the period of 1982-1995. Religion, language, Region and other some economic factors were fully responsible behind the acts of terrorism.

Key-Words: Economic, Factor, Language, Terrorism, Reason, Responsible, Circumstances, World, Organisations.

Introduction

During the present time there are many countries of the entire world which are facing the threat of terrorism caused by some terrorist organizations although there are many causes behind the activities of terrorism but Religion, language and Region are the main cause behind the emergence of terrorism. If we talk about the Punjab terrorism who faced difficult circumstances during the period of 1982-1995. Religion, language, Region and other some economic factors were fully responsible behind the acts of terrorism. There is no doubt that there were several Terrorist groups like, Khalistan liberation force Khalistan Zinda Force, Bhindrawale Tiger force of Khalistan, Babbar Khalsa, Khalistan commando force even Babbar Khalsa international Group desired to create a separate Sikh State in Punjab. These Terrorist groups were called upon to youths for fight against, Anti Khalistani's and political leaders of the India who fully opposed the establishment of Khalistan.

There are so many causes behind to spread terror and violence incidents in Punjab, that caused by terrorist organizations we are going to discuss all those causes which are responsible for the emergence of terrorism in Punjab during the period of 1982-1995. During this period Amritsar, Taran Taran Gurdaspur, Ferozepur were infested with Terrorism. Which factors are responsible for the emergence of terrorism in Punjab during the above said period we are describing to all those as following. Political factors

When the general election took place after the

assassination of Mrs. Indira Gandhi who was ex prime minister of India gave an unprecedented victory to the national congress party of Lok Sabha. Which is the lower house of the Indian parliament. After the assassination of Indira Gandhi her son named Shri. Rajiv Gandhi took over a charge as a prime minister of the India.

There is no doubt that they had desired to solve the difficult circumstances which emerged caused by various factors therefore they signed an accord with Harchand Singh Longowal but when Harchand Singh was shoot dead by the terrorists within a month of signing the Rajiv Gandhi-Harcharan Singh Longowal accord of July 1985. The democratic process and formation of the Akali Dal government raised hopes for bringing an end to the era of hatred and warfare. But non implementation of the Rajiv Gandhi-Harcharan Singh Longowal accord, conflicts within the Akali Dal and opportunist politics of leaders of both Congress and Akali Dal. Though an effort was made to resolve the political situation of Punjab and the ministry under the leadership of Surjit Singh Barnala then the chief minister of Punjab proved not only fully helpless but caused further deterioration of the situation this time the Golden Temple which is situated in the district of Amritsar became the sanctuary of terrorist and this was first time when a public declaration for the establishment for create a separate Sikh state Khalistan was made in January 26, 1986.

Terrorist activities increased in 1987 there were many killings of innocent people bomb blast smuggling ransom bank robberies even kidnapping in this way the prevailing situation provided militants groups with an opportunities to exploit the weak government of Punjab the civil administration was totally paralyzed in the region majha of Punjab. Terrorist started to spread awe and fear to deter innocent people and extorting money from them. When the state Government of Punjab dismissed which was led by the Surjit Singh Barnala and the president rule imposed in Punjab in the month of May 1987. There were many acts of violence terror activities happened during this time. On the other hand social reforms moments include the declaration of Khalistan was made by the all India Sikh students federation and Khalistan commando force.

When the legislative assembly elections of Punjab

were held in 1992 and in these elections the Indian national congress party won 87 seats out of 116 and Bahujan Smaaj Party won 9 out of 105 and Shiromani Akali Dal 3, Bhartiya janta party 6 out of 66, communist party of India 4 out of 20, Communist party of India (Marxist) 1 seat out of 17, janta dal 1 out of 37 contested seats. The voting percentage was very low at nearly 24 because of threats which were given by terrorist during these elections. Economic factors

During the period of militancy in Punjab. The system of double cropping had increased water requirements. We know that crop of Wheat needed a lot of water for irrigation. But that time canal irrigation lacked the kind of flexibility and reliability that could be secured by tube-well irrigation. Even it was not always available at the desire time of the farmers of Punjab in required volume for irrigation to crop therefore the farmer did more invest to install tube- well in their fields for irrigation. This resulted a huge amount spent for irrigation by the farmers to grow their double crop thus there is no doubt that the economic condition of the farmers was not good. Those days they always were in fear due to any attack that could be happened upon them by terrorist with a motive give a challenge to Punjab police administration. On the other hand people who were living near by the border area of Punjab targeted in violence where armed bands looted families of farmers and rural house hold were subjected to attack on their lives and properties .such these farmers were dependent just upon cooperation of the local population to provide them food safety, money even they also given to them shelter to escaped themselves from terrorists.

There were only eight percent workers were employed during the period of 1981. This time farming was the predominant occupation in Punjab. Those days the farmers of Punjab were used to bullock carts for cultivation were taken for the entire period. Because bullock carts was the primary source of cultivation in every district of Punjab although tractors became common in late 1980.

Religious factor

Here, we are describing some religious factors that were also responsible behind the act of terrorism in Punjab. Out of all those factors the Anandpur Sahib resolution was a main factor which was authenticated by Sant Harchand Singh Longowal and they started their struggle against then the center government of India. When All India Akali Conference held at Ludhiana on 28/10/1978 under the leadership of Jathedar Jagdev Singh Talwandi. Its main characteristics as followings:

- (a) To safeguard the fundamental rights of the religious and linguistic minorities.
- (b) Chandigarh should be handed over to Punjab as its capital.
- (c) Punjab of the Punjabi area's to be identified by linguistic experts with village as an unit should be conceded.
- (d) The strength of the Sikhs in Indian army should be maintained..
- (e) The water of Ravi-Beas should be revised on the universally accepted norms and principles.
- (f) Taking appropriate steps for the enactment of all India Gurdwara act with a view to introduce improvements in the administration of the Gurdwara Building in proper condition.
- (g) The Sikhs and other religious minorities living out of Punjab should be protected against any kind of discrimination.
- (h) Liquor and intoxicants should be strictly banned from the region of Punjab

These above said demands which were mentioned by Sant Harcharan Singh Longowal in the interests of Sikh religion out of all these demands some demands were accepted by the center government and others were rejected. On 4th Oct. 1982's Akali Dal and Jarnail Singh Bhindrawale who was the head of Damdami Taksal Joined hands to launch to the Dharam Yudh Morcha. During this Dharm Yudh Morcha Thousand of people joined the movement that was started against then center government led by Smt. Indira Gandhi when operation Mrs. Indra Gandhi assassinated on 31 oct. 1984 by her two security guard after the operation blue star after her death her beloved and wise son Rajiv Gandhi took an oath as the six prime minister of India from 1984 to 1989. Rajiv Gandhi was the youngest prime minister of India who were at the age of 40 when they took an oath as the prime minister of India on 24'th July 1985 an accord was signed between Shri Rajiv Gandhi and Sant Harchand Singh Longowal regarding the Anandpur Sahib Resolution. According to this accord all demands were accepted by the center Government led by Shri Rajiv Gandhi. Siromani Akali Dal was agreed to withdraw their agitation. Action against Terrorists

To see difficult circumstances of terrorism in Punjab Mrs. Indra Gandhi who was the prime minister of India decided take a strict action against head of the Damdami Taksal Jarnail Singh Bhindranwala and his other supporters who were fully connected with the inter services intelligence (ISI) of Pakistan Blue star operation started by the Indian army led by major Kuldeep Singh Brar on 3-6 June 1984 against all those escaped terrorist who were took

their shelter under the religious Premises. In this operation 492 terrorists were killed and some terrorists were arrested by the Indian army. On the other hand 83 Indian army Soldiers were killed according to the white paper which submitted by Indian Army to the Center Government in 1984. There were 5000 Civilians. The Indian Intelligence agencies reported after captured this blue star operation that three prominent Sikh figures Shabeg Singh who was an Indian officer and later to join Jarnail Singh Bhindranwala Group. He was also identified as a main provider of dangerous. automatic weapons training at Akal Takhat. Even Intelligence Agencies alleged that the training of weapons was also provided at various Gurdwaras of Punjab Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. When operation black thunder started against terrorist organizations. This operation had started in two parts its first part was started on 30 april, 1986 to flush out Khalisthan Militants from the holy shrine Shri Harmandir Sahib. In this concern operation black cat com mandos of the national security guard and commandos from border security force were used for this mission. About 200 militant which were occupied the Golden Temple. This operation contin ued till eight hours and was approved by then the Chief Minister of Punjab Shri Surjit Singh Barnala they also said that in this big operation there were seven hundred cops from border security force who captured upon two hundred terrorist by the bless of god any security guard from both forces didn't injured and died by the bullets of terrorist and then it's second part of operation of black thunder had started on may 1988 in District Amritsar. This operation was started under the commended of then the D.G.P of Punjab Shri Kanwar Pal Singh. Sharp snip ers were used in the concern operation about 2 hundred militant surrendered and 41 terrorist were killed. After complete the operation Shri Kanwar Pal Singh Gill (D.G.P) of Punjab stated that they didn't want to repeat the mistake which was made by our Ex. Prime minister of India Smt. Indira Gandhi during the operation blue star. This time more than twenty thousand people have been killed in the violence which was made by terrorist. When V.P Singh took an oath as prime minister of India in 1989 they appealed to the terrorist for join main stream of good society. The Indian national congress party under the chairmanship of Shri P.V Narsimha Rao choosed the face of only Shri Beant Singh as a chief minister of Punjab. The Government of Punjab under the leadership of Shri Beant Singh began to control terrorist activities and violence. During the period of Shri Beant Singh terrorist activities were under control throughout Punjab. There was a big reason behind it that Kanwar Pal

Singh Gill who were The Director General of Police they gave strict instructions to the Punjab police and Punjab armed force to kill those terrorist who were involved to spread terrorist activities and there is no doubt that there were four hundred ninety five terrorist were killed by Punjab police. There was a big casualties of terrorist than to previous years. Even suspects persons were also arrested by the police cops and they all sent to jail. Out of these suspected persons were also released by the police department and other who were declared main accused by the honorable court of Punjab. There is no doubt that the late chief minister of Punjab Shri Beant Singh desired to abolish terrorism from the entire region of Punjab that is why they had given strict instructions to the director General of Punjab Shri Kanwar Pal Singh Gill to killed all those terrorists who were involved behind the killing of innocent people of Punjab but unluckily, on 31 August 1995 our Ex. Chief minister of Punjab Shri Beant Singh was also assassinated in a human bomb blast which happened at the Secretariat com plex situated in Chandigarh (UT). This major bomb blast claimed the lives of 17 including 3 Indian Commandoes who were serving their duty along with the chief minister. The responsibility for this attack taken by the Balwant Singh Rajowana who belonged to Babbar Khalsa International terrorist group later, he was arrested by the Punjab police and sent to jail. In 2012 a court of Chandigarh (UT) sentenced Balwant Singh Rajowana to death after the judgment that given by above said court of Chandigarh a number of Sikhs gathered in the favor of Balwant Singh Rajowana and against the judgment of death penalty. On 28 march 2012 Parkash Singh Badal Ex. Chief minister of Punjab met the Ex. President of India Shri Pratibha Devi Singh Patel regarding the matter of death penalty which was given by the district court of Chandigarh but now that death penalty of Balwant Singh Rajowana has been turn into life imprisonment who was main accused for the assassination of Ex. Chief Minister of Punjab Shri. Beant Singh.

Conclusions and Suggestions:-

There is no doubt that, there were so many factors behind the emergence of terrorism in Punjab. We have studied all those factors in this research paper. At last, we can say that there is a no way to keep dangerous weapons in our hands and spread to terrorist activities and to disturb the peaceful environment of good society. If we are suffering from any social political religious, economic and also cultural problem we should be raised our these such issues upon the state and central government to solve all these issues but during the militancy period of Punjab there was no any wise political leader who

could be successful to win a heart of all those followers of Sikhism which were included to raised some issues. We think that there were some Political leaders of all political parties didn't pay attention upon the dangerous situations of terrorism in Punjab. Even during the present time the inter service intelligence (ISI) of Pakistan is also responsible to spread terror activities in Punjab. Here we have some examples of terrorist activities that happened from the year 2017 from till now like a major attack at Dina Nagar police station of District Gurdaspur and attack at the Airbase of (Indian Air force) which is situated near by the District Pathankot of Punjab. The Indian Government should be take strict steps against such these terrorist and terrorist organization which are responsible behind the many acts of terrorism.

References

Singh Devinderjit Sikh arms and terrorism Cambridge university (Sikh society) (1986). Dang satya pal Genesis of Terrorism: Analytical study of Punjab terrorists Patriot Publishers New Delhi (1988).
Gupta Dipankar the context of ethnicity: Sikh identity in comparative perspective Delhi oxford university press (1996).
Dhillon K.S (1998) A decade in violence 1983-1992.
Pachnanda K. Ranjit Terrorism and response to terrorist threat UBS Publishers Distributers Ltd New Delhi (2002).
Khan Ullaha Aarish the terrorist threat and the policy response in Pakistan SIPRI Policy paper No. 11 stockholm international peace research institute Printed at kopia Bromma in Sweden (2005).
Singh Parkash Munich personal Repec Archive London School of Economics Amherst College London (MPRA 2011)

Seema Rathee

Subject: - Political
Science

E-mail:- seemarathee786@gmail.com



सारांश

अयोध्या भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण जनपद है। जो पूर्व में फैजाबाद जनपद का एक महत्वपूर्ण भाग था। यह भारतवर्ष ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व में विख्यात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम की जन्मभूमि के नाम से कुप्रसिद्ध है। यह नगरी माँ सरयू के पावन तट पर विद्यमान परम पवित्र तीर्थस्थल के नाम से जानी जाती है। यहाँ सम्पूर्ण विश्व के पर्यटक आते हैं तथा माँ सरयू के पवित्र जल में स्नान करके भगवान् राम का दर्शन पूजन करते हैं। इस महत्वपूर्ण धर्मस्थली की स्थिति का अवलोकन करने के लिए जब हम मुगलकाल का अध्ययन करते हैं तो हमारा हृदय अश्रुपूरित हो जाता है। इस काल में अयोध्या पर सर्वप्रथम सैय्यद सलार मसूद गाजी ने आक्रमण किया। इन्हें हम गाजी मियां भी कहते हैं। अब्दुर्हमान चिश्ती (1683) का मिरात-ए-चिपूती के अनुसार-1030 के समय गाजी के द्वारा अवध प्रान्त पर कब्जा कर लिया गया था। यह भी माना जाता है कि 1080 में सुल्तान इब्राहीम के शासनकाल में भी अयोध्या पर आक्रमण किया गया था। 1194 में मुहम्मद बिन सम ने अयोध्या पर विजय प्राप्त किया था तथा उसके सेनापति ने यहां कब्जा भी कर लिया था। इस काल में अयोध्या को दिल्ली साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था, किन्तु इसका स्पष्ट प्रमाण अप्राप्त है। दिल्ली के तुर्की सुलतानों के समकालीन मिनहाज सिराज ने अवध के गवर्नरों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि प्रारम्भिक तुर्की शासनकाल में अवध स्थानीय हिन्दू राजाओं के अधीन था जिसके कारण सुलतान के गवर्नर बहुत अधिक अधिकार नहीं दिखा पाते थे। इनके द्वारा अवध को अपने क्षेत्र विस्तार का आधार माना जाता था। कुछ की शक्ति में तो इतनी वृद्धि हो गयी थी कि वे सुल्तान के शासन को भी अस्वीकार कर देते थे। इसीलिए सुल्तान द्वारा इनका प्रायः स्थानान्तरण कर दिया गया था। कुछ समय अयोध्या पर कुतुबुद्दीन ऐबक का भी शासन था। उसने यहां शासन करने के लिए हसमन्दुद्दीन उगुलबक और मोहम्मद बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया था। 1126 में नसरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसे भी अवधप्रान्त का गवर्नर बनाया गया था। वह अत्यन्त बहादुर था तथा उसका शासन भी सशक्त रहता था। इसके पश्चात् 1226 में महिक हायासुद्दीन मुहम्मद ने अवध पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर रजिया सुल्तान ने 1226 में मलिक उसरत को अवधप्रान्त सौंप दिया।

जिस समय अयोध्या पर क्रूर मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया उस समय यहां बायजीद फरमूली शासक था। जब 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गयी तो फरमूली ने बाबर के साथ मिलकर यहां अपना अधिकार जमा लिया तथा यहां से कर के रूप में बहुत अधिक धनराशि वसूलकर बाबर को प्रदान किया, किन्तु 1528 में उसमें बाबर के विरोध में विद्रोह कर दिया किन्तु बाबर द्वारा इस विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया गया तथा वह अपने परिवार के साथ गाजीपुर भाग गया। इसके पश्चात् बाबर अयोध्या आकर कुछ समय नहीं यहीं व्यतीत किया। यहां निवास करते हुए वह यहां के बागों, झरनों, सुन्दर भवनो आम के पेड़ों तथा रंगीन चिड़ियों से बहुत प्रभावित हुआ तथा बाकी

ताशकान्दी को यहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उसने अपने विरोधी स्थानीय सरदायों को अपने अधीन कर लिया तथा 1528ई० में मस्जिद का निर्माण कराया। इसका प्रमाण हमें मस्जिद के भीतर लिखित अभिलेख से प्राप्त होता है। जब बाबर की मृत्यु हो गयी तो हुमायु ने इधर से अपना ध्यान हटाकर गुजरात की ओर किया। इसके पश्चात् इन जिलों में विद्रोह होने लगे तथा उलूहा वेग मिर्जा और उनके पुत्रों द्वारा अवध प्रान्त पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद हुमायु का छोटा भाई हिन्दक उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेना संगठित किया तथा इनको परास्त कर दिया।

सम्राट अकबर के शासनकाल में वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसे 1564-65ई० में सिकन्दर खान खाने आलम की जागीर के रूप में विकसित किया गया। इसका कुछ भाग इब्राहिम खान के अधीन था। इन सभी ने मिलकर विद्रोह भी किया जिसे अकबर द्वारा कुचल दिया गया। कुछ समय के पश्चात् कुचल दिया गया। कुछ समय के पश्चात् मोहम्मद नौशीन खान नामक परगना मुखिया के द्वारा अकबरपुर की स्थापना की गयी। कुछ समय तो यहां शान्ति बन रही, किन्तु आगे चलकर फिर वहां तक वातावरण अशान्त हो गया। वहां के सन्दर्भ में अबुल फजल का कथन है कि-जैसे वह प्रान्त बिना किसी महान् अधिकारी के था, सम्राट ने आदेश दिया कि किसानों और सैनिकों को मुश्किल समय में सहायता और समर्थन करना चाहिए। वह महीने के अन्त में वहां से चला गया तथा वहां के कुछ चुने हुए सैनिकों और नौकरों को भी अपने साथ ले गया। सन् 1850 में तरसुन मुहम्मद खान को जौनपुर का गवर्नर बनाया गया तथा अवध को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यहां उसे कुछ असन्तुष्ट सदस्यों का भी साथ मिला। उसके विरोध के पश्चात् शाबाज खान को विद्रोहियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए भेजा गया तथा 22 जनवरी 1581 को सुल्तानपुर (विल्हेरी) में युद्ध हुआ जिससे परास्त होकर शाबाज खान जौनपुर की ओर भाग गया, किन्तु तरसुद मुहम्मद खान ने विद्रोहियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने शाबाज खान के साथ मिलकर मासून खान को परास्त कर दिया जिसके बाद वह शिवालिक के पहाड़ियों की ओर भाग गया फिर पेशावर खान को उसके स्थान पर गवर्नर बनाया गया, किन्तु उसने भी विद्रोह कर दिया। कुछ समय के पश्चात् अनाज के काफी सस्ता हो जाने के कारण किसानों के द्वारा सरकार को राजस्व दे पाना कठिन हो गया जिससे प्रभावित होकर सरकार ने अवध प्रयागादि में राजस्व माफी की घोषणा कर दिया। मिर्जा यूसूफ खान उस समय अवध प्रान्त का गवर्नर था। इसके बाद भी अनाज के दामों में भारी गिरावट दर्ज होने के कारण अकबर द्वारा भी राजस्व के 1/6 भाग को माफ कर दिया गया। इसके सन्दर्भ में अबुल फजल कहता है कि-

अकबर के इस कदम से लोगों को बहुत रियासत मिली जिसके फलस्वरूप सभायें करके सरकार को धन्यवाद दिया गया तथा खुशियां भी मनाई गयी।

आगे चलकर जहांगीर के शासनकाल में बाकीर खान नज्म सानी को 1621ई० में अवध का गवर्नर बनाया गया। उन्होंने 1621 से 22 तक जहांगीर को अपनी बहुमूल्य सेवा देता रहा तथा विद्रोही राजकुमार (शाहजहां) खुर्रम को भी रोकने में

उसकी सहायता करता था।

फिर शाहजहां के शासनकाल में अब्दरहीम खान खानम के पौत्र मिर्जाखान मनु चेहर को अवध का गवर्नर बनाया गया, किन्तु वह अधिक समय तक वहां नहीं रह सका। इसके बाद शाहजहां के कार्यकाल के 26 वें वर्ष में मिर्जा उज जमन शाहनवाज खान को अवध का गवर्नर बनाया गया तथा उसके अधीन गोरखपुर और बहराइच को भी किया गया। वह पांच वर्षों तक अवध में रहा। उसके बाद बर्लास खान को अवध का गवर्नर बनाया गया, किन्तु उसे अतिशीघ्र ही राजधानी बुला लिया गया।

औरंगजेब के शासनकाल में मीर इश्हाक को अवध का फौजदार बनाया गया किन्तु उसके असमय ही कालकवलित हो जाने के कारण उसके स्थान पर अजीम खान को अवध और गोरखपुर का गवर्नर बना दिया जाय। इसी प्रकार यहां अनेक गवर्नर आते-जाते रहे। 1684 में सलामत खान अवाध का सूबेदार बना। यह कुछ ही समय तक वहां था तथा उसके पश्चात् नामदार खान को नियुक्त कर दिया गया। फिर 1690ई० में हिम्मत खान अवध का सूबेदार और गोरखपुर का फौजदार बना। उसके कुछ दिनों के बाद 1694 में अक्सर खान को नियुक्त कर दिया गया। वह 1698 तक वहां रहा तथा 1703ई० में शम्स शेरखान को अवध का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर नियुक्ति की यह परम्परा आगे भी इसी प्रकार संचालित होती रही।

डॉ० जया मिश्रा

प्रवक्ता-हिन्दी
राजकीय इण्टर कॉलेज,
बडौदा हिन्दुवान, हापुड़



सारांश

‘प्र’ उपसर्गपूर्वक ‘माङ्’ धातु से ‘ल्युट्’ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न प्रमाण शब्द का अर्थ है— भली प्रकार से सिद्ध करना है— प्रदर्शन मीयते प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम्।

न्यायदर्शन में अपने वर्णविषय की विवेचना पदार्थों के रूप में की गयी है। इनकी संख्या 16 मानी गयी है। इन 16 पदार्थों में प्रथम स्थान पर परिगणित प्रमाण न्यायसम्मत एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण पदार्थ माना जाता है। इन पदार्थों के विवेचन का प्रमुख तात्पर्य तत्त्वपरक निःश्रेयस् की प्राप्ति है। यह निःश्रेयस् ही परमपुरुषार्थ है तथा इसे आचारमीमांसा का विषय भी स्वीकार करते हुए न्यायदर्शन की सम्पूर्ण विषयवस्तु को जिन चार भागों में विभाजित किया गया है उनमें प्रमाण को प्रथम माना गया है— प्रमाण, तत्त्व, आचार तथा ईश्वर।

न्यायदर्शन के अनुसार— प्रमाकरण प्रमाणम्।

इस लक्षण में दो पद हैं। 1— प्रमा, 2 करण।

आचार्य केशव मिश्र के अनुसार—यथार्थ अनुभव प्रमा है— यथार्थानुभवः प्रमा। इसी प्रकार साधकतम को करण कहा गया है— साधकतमं करणम्।

वैशेषिक दर्शन में— ‘असाधारणं कारणं करणम्’ कहकर असाधारण कारण (प्रमुख कारण) को करण माना गया है। इस प्रकार जो प्रमा साधकतम है उसकी सिद्धि में सर्वाधिक सहायक को करण कहा जाता है। यही करणत्वेन प्रमाण है। जहाँ तक प्रमाणों की संख्या व उनकी स्वीकृति का प्रश्न है वहाँ सांख्य और योग तीन प्रमाणों को स्वीकार करता है। 1— प्रत्यक्ष, 2— अनुमान, 3— शब्द। न्यायदर्शन इनके अतिरिक्त उपमान को भी प्रमाण मानता हुआ चार प्रमाणों को स्वीकार करता है। वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान, मीमांसा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति रूप पाँच प्रमाणों को वेदान्त इसके अतिरिक्त अभाव को स्वीकार करते हुए छः प्रमाणों को मानता है। इसी प्रकार चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को, बौद्ध और जैन प्रत्यक्ष और अनुमान को ही स्वीकार करते हैं। इन प्रमाणों में से प्रत्यक्ष और अनुमान तो प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों द्वारा स्वीकार किये गये हैं, जबकि प्रमाण के रूप में उपमान को मान्यता देने वाले न्याय, मीमांसा तथा वेदान्त है। इन तीन दर्शनों में उपमान का विश्लेषण पृथक्-पृथक् किया गया है। सांख्य-योग शब्द तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत इसका अन्तर्भाव कर देते हैं वे मानते हैं कि ‘यथा गौस्तथागवयः’ इत्यादि किसी आप्तपुरुष द्वारा कथित है तथा उसने प्रत्यक्ष के आधार पर इसे प्रस्तुत किया है। वैशेषिकों ने तो अनुमान के अन्तर्गत इसका अन्तर्भाव कर दिया है। अतः वे इसे

प्रमाण नहीं स्वीकार करते हैं। आचार्य अन्नभट्ट ने ‘उपमितिकरणमुपमानम्² कहकर उपमिति के करण को उपमान स्वीकार किया है तथा ‘संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः’ के अनुसार संज्ञा (पद) और संज्ञी (अर्थ) के सम्बन्धज्ञान को उपमिति माना है। उपमिति का करण सादृश्यज्ञान है अतः सादृश्यज्ञान ही उपमान है। जैसे कोई ग्रामीण पुरुष जो गवय को नहीं जानता, वह किसी आरण्यक पुरुष से ‘गोसदृशो गवयः’ अर्थात् गो के सदृश गवय होता है, ऐसा सुनकर वन में चला गया तथा वहाँ इस अतिदेश (सादृश्य) वाक्य का स्मरण कर ही रहा था कि अकस्मात् अपने सम्मुख स्थित गवय पिण्ड को देखकर उसे ‘असौ गवयशब्दवाच्यः’ ऐसी उपमिति होती है। इस उपमिति का करण सादृश्यज्ञान ही उपमान है। न्यायसूत्रकार के अनुसार—

प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम्।

किन्हीं दो पदार्थों का सादृश्य पूर्व से ही ज्ञात हो जाने पर उसके आधार पर प्रथम अदृष्ट पदार्थ का ज्ञान हो जाना उपमान है। यहाँ प्रयुक्त अतिदेश का तात्पर्य सादृश्य होता है—

अतिदिश्यते प्रतिपाद्यतेऽनेन साधर्म्यादि इति अतिदेशः।

अथवा एकत्र श्रुतस्य अन्यत्रसम्बन्धः अन्यधर्मस्थ यत्रारोपणम्।

कहने का अभिप्राय यह है कि जिस वाक्य से एक पदार्थ के धर्म का अन्य पदार्थ में सम्बन्ध दिखाया जाये उसे अतिदेश वाक्य कहा जाता है। यथा ‘गौस्तथा गवयः। इसमें गो तथा गवय का सादृश्य दिखलाया गया है। अतः उपमान प्रमाण का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके तीन अ हैं :

1. गोसदृश पशुविशेष का प्रत्यक्ष दर्शन

2. प्रत्यक्षदर्शन के आधार पर अतिदेश (सादृश्य) वाक्य का स्मरण

3. गवय का ज्ञान

इसमें प्रथम व द्वितीय उपमान तथा तृतीय उपमिति है।

यथा गोस्तथागवयः इस उपमान वाक्य में गो प्रसिद्ध तथा गवय अप्रसिद्ध है। यहाँ गो सादृश्य से साध्यरूप गवय का ज्ञान हो रहा है। इसी आधार पर तर्कभाषाकार का कथन है कि अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसा दृश्य विशिष्ट पिण्ड ज्ञान मुपमानम्।

अर्थात् अतिदेशवाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ गोसादृश्य विशिष्ट पिण्ड का ज्ञान उपमान है। केशव मिश्र ने भी उपमिति के सन्दर्भ में कहा है कि— संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिरुपमिति।

अर्थात् संज्ञा—संज्ञि सम्बन्ध की प्रतीति उपमिति है।

यहाँ गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड संज्ञी है और गवय पद उसकी संज्ञा है। इस सम्बन्ध की प्रतीति उपमान का फल है। यही उपमिति है। आचार्य केशव मिश्र के अनुसार यहाँ संज्ञा—सांज्ञि सम्बन्ध का ज्ञान

उपमान के अतिरिक्त अन्य प्रमाण से नहीं हो सकता है, क्योंकि उन प्रमाणों से यह प्रमा साध्य नहीं है। उपमान के सन्दर्भ में यहाँ तक कहा गया है कि उपमितनिष्ठ निरूपकता निरूपित निरूप्यताकत्वे सति व्यापारवदसाधारणकारणत्वं उपमानस्य लक्षणम्।

इसके सन्दर्भ में तर्कामृत में कहा गया है—

उपमितिकरणमुपमानम्। कीदृशो गवय इति प्रश्ने गोसदृशो गवय इत्युत्तरिते यदा गोसदृशं प्राणिनं पश्यति तदा पूर्वार्कं वाक्यार्थ स्मरति अनन्तरं अयं गवय पद वाच्यः। इति शाक्तिग्रहः सेयभुपमितिः।^६

सांख्यतत्वकौमुदीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पृथक् प्रमाण न मानकर उसका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के अन्तर्गत कर दिया है, जबकि श्री उदयनाचार्य ने संज्ञा—संज्ञि सम्बन्ध के ग्रहण के लिए उपमान की सत्ता अनिवार्य माना है। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार—

प्रसिद्धार्थस्य साधर्म्यादप्रसिद्धप्रसाधनम्।

उपमिति हेतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः।

उपमितिः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य ग्रहस्तथाः।

उपमानं पृथङ्मानं न्यायेयत्तु प्रकीर्तितम्।^७

आगे चलकर इनका अनुसरण करके वरदराज ने कहा है कि—

प्रमेयः तस्य सम्बन्धः संज्ञायाः संज्ञिना सह।

तत्प्रतीतिः फलं चास्य नासौ मानान्तराद् भवेत्।।

इसके सम्बन्ध में सारसंग्रह में कहा गया है कि

सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह।

प्रत्यक्षादिरसाध्यत्वादुपमानफलं विदुः।।^८

यह प्रतीति प्रत्यक्षप्रमाण गम्य नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की उपमिति प्रत्यक्षप्रमाणगम्य हो जाती तो जो व्यक्ति 'यथा गौस्तथा गवयः' का ज्ञान नहीं रखता है उसे भी जंगल में गवय को देखते ही नीलगाय का ज्ञान हो जाता, किन्तु ऐसा होता नहीं है तथा प्रत्यक्ष प्रमा को अतिदेशवाक्यार्थ के स्मरण की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण में उपमान का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष के ही समान हेतु पर आधारित अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत भी उपमान का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपमिति में किसी भी प्रकार के अनुमापक हेतु की विद्यमानता नहीं होती है। अनुमान के पश्चात् शब्द प्रमाण में भी उपमान का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है नैयायिकों ने उपमान प्रमाण का जो फल स्वीकार किया है वह शब्द प्रमाण द्वारा सम्भव नहीं है। मीमांसकों ने उपमान का जो स्वरूप स्वीकार किया है उसका नैयायिकों से परस्पर भेद हैं। वे मानते हैं कि उपमानजन्य ज्ञान तब होता है जब पूर्व में दी गयी वस्तु के समान कोई पदार्थ देखने पर मानमेयोदय के अनुसार—दिखाई पड़ने वाली वस्तु के सादृश्य से स्मरण की गयी वस्तु के सादृश्य का ज्ञान 'उपमिति' कहलाता है। जैसे गाय को देखने वाला व्यक्ति जंगल में जाकर उसी के समान नीलगाय को देखता है, तब सादृश्य के कारण उसे गाय की स्मृति हो उठती है तथा उसे यह ज्ञान होता है कि गाय नीलगाय के समान है यही ज्ञान उपमिति है।^९

मीमांसकों के अनुसार यह एक स्वतन्त्रज्ञान है जिसका अन्तर अन्य प्रमाणों से स्पष्ट है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष से भिन्न है, क्योंकि सादृश्य को धारण करने वाली गाय का ही उस समय प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी प्रकार गाय के ज्ञान के समय नीलगाय का ज्ञान भी नहीं था अतः अन्य वस्तु के सादृश्य का अनुभव न होने से यहाँ स्मृति का भी अभाव है। व्याप्ति के दूषित होने के कारण इसे अनुमान के अन्तर्गत भी नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार शब्द प्रमाण के अन्तर्गत भी यह अन्तर्भूत नहीं है। अतः उपमान सभी प्रमाणों से पृथक् एक स्वतन्त्र प्रमाण है। मीमांसा नैयायिकों के उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानता तथा उसका प्रत्यक्षादि में अन्तर्भाव स्वीकार करता है, क्योंकि दोनों के दृष्टान्तों में मतैक्य का अभाव है। वह नैयायिकों के उपमान प्रमाण मानने के प्रयास को व्यर्थ मानता है।

क्योंकि यथा 'गौस्तथा गवयः' में आप्तपुरुष के कथन को स्वीकार करके जब कोई व्यक्ति अरण्यक में जाकर गाय की समानता रखने वाले जन्तु को देखता है तब आप्तवाक्य के श्रवण होने पर उसे यह ज्ञान होता है कि 'यही गवय नामक जन्तु है।' यही न्यायमतानुसार उपमान है। मीमांसा इसको स्वकार नहीं करता। उसकी दृष्टि इससे भिन्न है वह इसमें अन्य प्रमाणों की स्थिति को स्वीकार करता है यथा—'यह जन्तु गाय के समान है' यह ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा होता है। 'गाय के समान नीलगाय है' यह ज्ञान आप्तवाक्य के स्मरण से होता है फलतः यह जन्तु नीलगाय है' यह ज्ञान अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। इसके लिए उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः नैयायिकों का यह प्रयास व्यर्थ है तथा उन्हें उपमान को पृथक् प्रमाण नहीं मानना चाहिए, किन्तु नैयायिकों ने उपमान को पृथक् प्रमाण स्वीकार करते हुए प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान और शब्द ये चार प्रमाण माना है।

संदर्भ

1. तर्कभाषा।
2. तर्कसंग्रह (उपमानप्रकरणम्)
3. न्यायसूत्र (1/1/6)
4. तर्कभाषा (उपमानप्रकरणम्)
5. तर्कामृत।
6. दर्शनमीमांसा।
7. तार्किकरक्षा 1/23
8. सारसंग्रह पृ0 89
9. मानमेयोदय, पृ0 64, वेदान्त परिभाषा, पृ0 92

कोमल भौर्या

शोधच्छात्रा—संस्कृत

डॉ0 रा0म0लो0अवध वि0वि0,

अयोध्या (उ0प्र0)



सारांश

वेद विपुल ज्ञान के भण्डार हैं। विभिन्न शास्त्रों तथा कलाओं के मूल, स्पष्टरूप में अथवा प्रतीकरूप में वेदों में प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नाट्य-परम्परा के मूल में भी हमारा वैदिक वाङ्मय ही है। अनेक नाट्यशास्त्रियों ने नाट्य को पंचमवेद कहा है। आचार्य भरत भी इसे पंचम वेद स्वीकारते हुए अन्य चार वेदों का सम्मिश्रित रूप मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्मा ने नाट्य-वेद की सृष्टि करते समय ऋग्वेद से पाठ्य-तत्त्व को लिया-जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। यजुर्वेदादभिनयान् रसानथर्वणादपि।।

इस प्रकार दैवी सिद्धान्त को नाट्य का मूल मानने वाले आचार्य भरतमुनि इसके विकास में वेदों को ही स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। उपर्युक्त कथन की प्रामाणिकता अथवा तथ्यपरकता पर पर अवश्य ही सन्देह किया जा सकता है, किन्तु यदि हम वैदिक साहित्य में आये हुए संवादात्मक सूक्तों अथवा कुछ आख्यानों पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि नाट्य की उत्पत्ति वैदिक संवाद-सूक्तों से हुई है। प्रो० मैक्समूलर, डॉ० विण्टरनिट्ज, प्रो० लूडर्स, प्रो० सिलवाँ लेवी, प्रो०एच० ओल्डनबर्ग एवं ए०बी० कीथ आदि पाश्चात्य विद्वान् किसी न किसी रूप में वैदिक संवाद-सूक्तों को नाट्य-साहित्य किसी न किसी रूप स्वीकार करते हैं। वेदों में ऐसे बहुत से सूक्त हैं जिनमें संवादात्मकता विद्यमान है। ए०बी० कीथ ने, ऐसे लगभग पन्द्रह सूक्तों को खोज निकाला है जिनमें संवादात्मकता है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल का दशम सूक्त यम-यमी संवाद के रूप में है जिसे हम दार्शनिक संवाद के रूप में देख सकते हैं। इस सूक्त के द्वारा मानवजाति की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है। दशम मण्डल का ही पुरुरवा-उर्वशी-संवाद (10-95) एक अत्यन्त रोचक सूक्त है। इस सूक्त में पुरुरवा-उर्वशी की चंचलता की भर्त्सना करता है, परन्तु उसे अपनी आसक्तदृष्टि से ओझल होने से रोकने में भी अपने को असमर्थ पाता है।

ऋग्वेद का 1.179 सूक्त अगस्त्य-लोपामुद्रा का संवाद-सूक्त है जो फसल कट जाने के बाद किया जाने वाला प्रजनन सम्बन्धी अनुष्ठान कहा जा सकता है। ऋग्वेद के 1.165 सूक्त के इन्द्र, अगस्त्य और मरुतों का संवाद वर्णित है जिसमें इन्द्र मरुतो से विवाद करते अवलोकित होते हैं क्योंकि वृत्रासर के साथ युद्ध में मरुतों ने इन्द्र का साथ नहीं दिया था। इस सूक्त में अगस्त्य मध्यस्थता करते हैं। ऋग्वेद का 1.170 सूक्त थी उपर्युक्त भाव को ही अभिव्यक्त करने वाला संवाद-सूक्त है। इसमें अन्त में अगस्त्य एक

साथ इन्द्र और मरुतों की स्तुति करते हैं। मैक्समूलर इन्द्र, अगस्त्य और मरुतों के सूक्त के सम्बन्ध में कहते हैं कि सम्भवतः मरुतों की आराधना में किये गये यज्ञों के अवसर पर इ संवाद का पाठ होता था अथवा दो दलों द्वारा इसका अभिनय किया जाता था जिनमें एक दल इन्द्र का अभिनय करता था और दूसरा दल मरुतों का एवं उनके अनुयायियों का। इस बात को प्रो० सिलवाँ लेवी भी स्वीकार करते हैं।

ऋग्वेद के 3.33 सूक्त में विश्वामित्र के साथ नदियों का वार्तालाप वर्णित है जिन नदियों को विश्वामित्र पार करना चाहते हैं। इस सूक्त में चेतन विश्वामित्र अचेतन नदियों के साथ वार्तालाप करते हैं। 4.42 सूक्त में इन्द्र और वरुण अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी-अपनी बड़ाई करते हैं। 4.18 सूक्त में इन्द्र, अदिति और कामदेव का एक विशिष्ट प्रकार का संवाद प्राप्त होता है जिसमें इन्द्र की अस्वाभाविक उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद के ही 7.33 सूक्त में विशिष्ट का अपने पुत्रों के साथ सम्भाषण प्राप्त होता है और 7.100 में नेम भार्गव नामक मुनि इन्द्र की स्तुति करते हैं और प्रसन्न होकर इन्द्र उनका उत्तर देते हैं। 10.28 सूक्त में इन्द्र, वमुक एवं वस्त्रुक की पत्नी का वार्तालाप प्राप्त होता है। 10.86 सूक्त में इन्द्र, इन्द्राणी एवं वृशाकपि का वाद-विवाद अत्यन्त दुर्बोध है जिसका प्रत्येक वक्ता एक दूसरे के सिद्धान्तों में दोष देखता है और अपने सिद्धान्त को निर्दुष्ट सिद्ध करता है।

ऋग्वेद का 10.18 सूक्त बहुत ही मनोरंजक सूक्त है जिसमें सरमा नामक इन्द्र की कुतिया जो दूती बनकर इन्द्र की गायों को चुराने वाले पणियों के पास जाती है और उनके साथ वार्तालाप करती है। यह सूक्त इस तथ्य को सिद्ध करता है कि आर्य लोग उस समय भी कुत्तों को प्रशिक्षित करके उनके आधार पर किसी चोरी गयी वस्तु का पता लगाते थे।

आज जो एकालाप या मोनोलॉग नाटक प्राप्त होते हैं उनके मूल में भी कुछ वैदिक सूक्त हैं। 10.119 सूक्त में इन्द्र सोमपान करके नशे में चूर होकर अपना गुणगान करते हुए दिखाई देते हैं जो एकालाप नाटकों का स्रोत माना जा सकता है। इस सूक्त के विषय में ए०बी० कीथ कहते हैं कि 'सूक्त 10.119 उस कर्मकाण्ड का एक भाग माना जाना चाहिए जिसमें (उस अनुष्ठान में सोमपान की समाप्ति पर) एक पुरोहित इन्द्र की भूमिका ग्रहण कर आगे आता है और एकालाप के द्वारा सोमरस की शक्ति की प्रशंसा करता है यह सिद्ध करने के लिए कि मानवसम्बन्धी सादृश्य उपस्थित करने का प्रयत्न प्रदर्शित करते हुए एक देवता प्रवेश करता है, जबकि एक गायक उसके प्रभावकारी गुणों का गान करता है।'

ए०बी० कीथ ऋग्वेद के 10.34 के अक्षसूक्त को भी एकालाप स्वीकार करते हुए उसके विषय में कहते हैं कि

‘अक्षरसूक्त, जिसमें एक जुआरी उस पासे के प्रति अपने घातक रोग पर पश्चाताप करते हैं, जो उसकी पत्नी तक के सत्यानाश का कारण हुआ है, एक नाटकीय एकांताप है, जिसमें नट उछलते तथा गिरते हुए पासों का अभिनय करते हैं।’

वार श्रोएडर ऋग्वेद के 7.102 के मण्डूक सूक्त को नाटकीय स्वीकार करते हुए उसके विषय में कहते हैं कि सम्भवतः बहुत से ब्राह्मण मिलकर किसी मेढकों से भरे तालाब में खड़े होकर उस सूक्त को गाते रहे होंगे। उन्होंने ऋग्वेद के 9.112 सूक्त को भी नाटकीय स्वीकार किया है जिसमें सोमरस को निकालता हुआ एक ब्राह्मण अन्य जीवधारियों के समान अपनी इच्छापूर्ति के लिए संरक्षण प्राप्त करना चाहता है। उस उत्सव में वनदेवता भी छिपकर नाचते-गाते हैं। अतः उनका कहना है कि “अत्यन्त प्राचीनकाल में नृत्य, गीत और वाद्य साथ-साथ चलते थे। इसीलिए उसी से प्रभावित होकर ऋग्वेद के ऋषियों ने वैदिक संवादों का गायन एवं नर्तन के साथ अभिनय करना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वे अभिनय केवल यज्ञ से सम्बद्ध होते थे इसलिए उनमें यूनान और मैक्सिकों के गीतों की तरह अश्लीलता नहीं होती थी।”

अथर्ववेद में मात्र एक सूक्त संवाद-सूक्त के रूप में प्राप्त होता है। 5.11 में ऋत्विज प्राप्य गौ के लिए अथर्वा देवता की प्रार्थना करता है, किन्तु अथर्वा उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अन्त में ऋत्विज के अधिक अनुनय-विनय पर वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं।

इस तरह वेदों में अनेक ऐसे संवाद-सूक्त प्राप्त होते हैं, जिन्हें कुछ अंश में नाट्य का आदि रूप कहा जा सकता है। डॉ0 हर्टल ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि वैदिक संवाद बीजरूप में रहस्यात्मक रूपक है। उनके अनुसार वैदिक संवाद के ये सूक्त गाये भी जाते थे। अतः वैदिक संवादों एवं कर्मकाण्ड में नाट्य बीज अवश्य है और ऋग्वेद के सुपर्णाध्याय में इस बीज का विकास है जिसका अनुकरण अद्यावधि बंगाली जात्राओं में मिलता है।

संवाद-सूक्तों के अतिरिक्त वैदिक-साहित्य में कुछ और भी अंश प्राप्त होते हैं, जिन्हें नाट्य का स्रोत माना जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के पुरुशमेघ प्रकरण में एक प्रसंग आया है जिसमें सूल, शैलूश आदि शब्द आये हैं, जो नाट्य की सूचना देता है। पं0 सीताराम चतुर्वेदी ने4 इस प्रसंग के विषय में लिखा है-इसका अर्थ यह है कि आज से सहस्रत्रों वर्ष पूर्व वैदिक काल में नाटक अपने पूर्ण विस्तार के साथ हमारे देश में विद्यमान था और यहां नाटक के प्रयोग होते थे।5 किन्तु ए0बी0 कीथ और डॉ0 दासगुप्त इस मन्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं और वे कहते हैं कि शैलूश शब्द अभिनेता अर्थ को प्रकट करने वाला नहीं है, अपितु उसका अर्थ गायक अथवा नर्तक है।

डॉ0 दशरथ ओझा ने7 अपने ग्रन्थ हिन्दू नाटक : उद्भव और विकास में एक वैदिक संवाद प्रस्तुत करते हुए उसे नाटकों का मूल स्वीकार किया है। उनके अनुसार-“सोमयाग नामक यज्ञ-क्रिया की योजना, सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी

करते थे। सोम बेचने वाले वनवासियों के साथ यजमान, सोम-विक्रेता और अध्वर्यु का संवाद अभिनय का सूचक प्रतीत होता है।”

इस प्रकार के विवरणों के आधार पर ए0बी0 कीथ स्वीकार करते हैं कि वैदिक संवादों को यदि छोड़ भी दिए जाए तो वैदिक कर्मकाण्ड में अवश्य ही हमें नाटक के बीज प्राप्त हो सकते हैं। वे कहते हैं-“यदि कर्मकाण्ड कहते हैं यदि कर्मकाण्ड में अभिनय के तत्त्वों का समावेश है तो उसका उद्देश्य अभिनय नहीं है, बल्कि अभिनेता किसी साक्षात् धार्मिक अथवा चमत्कारक फल के लिए प्रयत्नशील है।” परन्तु कीथ का यह विचार भ्रामक प्रतीत होता है। वस्तुतः यजमान को उस अभिनय से कोई मतलब नहीं होता था। अतः सोमक्रय की जो रीति थी वह पूर्णतया नाटकीय होती थी जिससे कर्मकाण्ड के बीच ही में मनोरंजन भी हो जाए। स्टेन कोनो इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह मानते हैं कि ये कर्मकाण्डपरक अर्धनाटकीय तत्त्व ही नाटक के प्रादुर्भाव के मूल कहे जा सकते हैं।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारतीय नाट्य के विकास में वैदिक संवाद-सूक्तों, आख्यानों और कर्मकाण्डपरक अभिनयों का मूहत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं प्रेरणा-ग्रहण भारतीय नाट्यकारों ने विविध प्रकार के उत्कृष्ट नाट्यग्रन्थों का प्राण्यन किया।

संदर्भ :

1. भरतमुनिप्रणीत नाट्यशास्त्र, 1.17
2. संस्कृतनाटक (ए0बी0 कीथ), पृ0 7-8, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1971
3. संस्कृतनाटक, कीथ, पृ0 8
4. भारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच (पं0 सीताराम चतुर्वेदी), पृ0 11, लखनऊ 1964
5. यजुर्वेद संहिता अध्याय 30, मंत्र 6
6. भारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच पृ0 12
7. हिन्दी नाटक : उद्भव एवं विकास (डॉ0 दशरथ ओझाकृत), पृ0 42 दिल्ली, द्वितीय संस्करण।
8. संस्कृत नाटक, पृ0 13

गरिमा सिंह

(शोधछात्रा-संस्कृत)

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।



सारांश

ऋग्वेदप्रातिशाख्य में कहा गया है कि 'शेशोव्यजनानि' अर्थात् स्वरों और अनुस्वारों के अतिरिक्त शेष सभी वर्ण व्यजन हैं—सर्वः शेशो व्यजनान्येव।¹ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऋक्प्रातिशाख्य में अनुस्वार को स्वर और व्यजन दोनों माना गया है—“अनुस्वारों व्यंजन वा स्वरों वा।² ये व्यजन अर्थविशेष के बोधक होते हैं तथा व्यजन के परिवर्तित होने पर शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे—कूप, धूप और यूप में स्वर वही हैं, किन्तु व्यजनों की भिन्नता के कारण उनके अर्थ भिन्न—भिन्न हैं। व्यजनों के सन्दर्भ में तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वैदिकाभरण में कहा गया है कि 'परेण स्वरेण व्यजत इति व्यजनम्।³ अर्थात् स्वर की सहायता से व्यक्त होने के कारण इन वर्णों को व्यजन कहा जाता है। ऋक्प्रातिशाख्यकार ने 'सर्वः शेशो व्यजनान्येव' में सर्व शब्द का प्रयोग यम आदि वर्णों के ग्रहण के लिए किया है उन यमादि का यद्यपि वर्णों की संज्ञा के अधिकार में ग्रहण नहीं किया गया है, किन्तु स्थान के अधिकार में उसका ग्रहण अवश्य किया गया है। यम, नासिक्य और अनुस्वार के अतिरिक्त शेष सब ओढ्य हैं। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या का निरूपण करते हुए कहा गया है कि—

त्रिंशद्विंशत्तुश्शशित्वा वर्णाः शम्भुमते मताः।

प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवाः।⁴

अर्थात् वर्णों की संख्या 63 या 64 है। इसे परम्परया स्वीकार किया गया है। इसीलिए ग्रन्थकार ने शिवमत का उल्लेख किया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि इनका प्रयोग प्राकृत और संस्कृत में होता है। आगे चलकर इन वर्णों की संख्या का क्रमानुसार उल्लेख करते हुए कहा गया है—

स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पचविंशतिः।

यादयश्च स्मृता ह्यश्टौ चत्वारश्च यमाः स्मृताः।।

अनुस्वारों विसर्गश्च क पौ चापि पराश्रितौ।

दुःस्पृष्टश्चेति विशेषो लृकारः प्लुत एव च।⁵

यहाँ 21 स्वर, 25 स्पर्शवर्ण, यकारादि 8 वर्ण, 4 यमवर्ण, अनुस्वार,

दुःस्पृष्ट और प्लुत लृकार का उल्लेख किया गया है।

यहाँ उल्लिखित यम वर्ण व्यजनवर्णों के अन्तर्गत आते हैं। क०प्रा० प्रातिशाख्य में 44 प्रकार के व्यजनों को नौ भागों में विभाजित किया गया है।

1— स्पर्श, 2— अन्तःस्था, 3— ऊष्मन्, 4— अनुस्वार, 5— विसर्जनीय, 6— नासिक्य, 7— लकार, 8— यम, 9— स्वरभक्ति।

यहाँ पर यम वर्णों को वर्ण विशेष मानकर वर्णमाला में इनका उल्लेख किया गया है इसके सन्दर्भ में यहाँ कहा गया है— यम शब्द का अर्थ होता है— जोड़ा अथवा जोड़े में से एक। अनुनासिक तथा अननुनासिक स्पर्शवर्णों के मध्य में आगम होने से एक अनुनासिक स्पर्शवर्ण के स्थान पर दो वर्ण हो जाते हैं। इसमें से द्वितीय को यमवर्ण माना जाता है। क०प्रा० के अनुसार—'स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपरादानुपूर्व्यान्नासिम्याः' के अनुसार — उत्तम (पचम) स्पर्श बाद में होने पर अनुत्तम स्पर्शों को यथाक्रम से नासिक्यों का आगम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्पर्शवर्णों के पश्चात् यदि वर्ग का अन्तिम स्पर्श होता है तो प्रथमादि स्पर्शों को नासिक्य का आगम हो जाता है। कुछ आचार्य इन नासिक्यों को यम की संज्ञा देते हैं— तान्यमानेके।⁶

ऋग्वेदप्रातिशाख्य में कहा गया है कि—

अत्र यमोपदेशः।⁷

यहाँ सभी यमों को नासिका स्थान वाला माना गया है। यह वर्ण अपने प्रकृतिभूत स्पर्श के सदृश होता है। क०प्रा० में यमध्वनि के लिए यम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ 'नासिक्या— यमाः' (2/49) कहकर यम के लिए नासिक्य शब्द का प्रयोग हुआ है। यम वर्ण के स्वरूप के सन्दर्भ में प्रातिशाख्यों में आचार्यों द्वारा जो मत प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार

1. अनुनासिक वर्ण बाद में आने पर अनुनासिक वर्ण ही यम हो जाता है।

2. अनुनासिक स्पर्श के बाद में अनुनासिक स्पर्श हो तो दोनों के मध्य में यम का आगम हो जाता है।

ऋग्वेदप्रातिशाख्य 6/29 के अनुसार—

स्पर्शा यमानननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शेष्वनुनासि केशु।

अर्थात् बाद में अनुनासिक स्पर्श होने पर अनुनासिक स्पर्श अपने यमों को प्राप्त हो जाते हैं।

वा०प्रा० के अनुसार—पद के मध्य में पचम स्पर्श बाद में होने पर अपचम स्पर्श विच्छेद (यम) को प्राप्त हो जाता है—

अन्तः पदे पचमः पचेशु विच्छेदम्।⁸

च०अ० के अनुसार—

समानपदेऽनुत्तमात्स्पर्शादुत्तमे यमैर्योगिसंख्यम् ।

अर्थात् एक ही पद में अनुत्तम स्पर्श के बाद उत्तम स्पर्श हो तो दोनों के मध्य में क्रम से यमों का आगम होता है ।

ऋ०तं० के अनुसार— अनुत्तम स्पर्श तथा उत्तम स्पर्श का संयोग होने पर मध्य में पूर्ववर्ती स्पर्श के गुण से युक्त यम का आगम होता है—

अनन्त्यात्संयोगे मध्ये यमः पूर्वगुणः ।₁₀

पाणिनीय शिक्षा (4) पर पजिका भाष्य में यम सम्बन्धी व्याख्याओं को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है—नारद और औद्व्रजि आदि ग्रन्थकारों ने यम को 'आगम' माना है, किन्तु आचार्य शौनक ने उसे 'वर्णापत्ति' कहा है—

नारदौद्रव्रज्योर्मतेन यमो वर्णागम इति विधीयते ।

अन्ये तु यमं वर्णापत्तिं मन्यन्ते । तथा च शौनकः स्पर्शा यमानुनासिकाः स्वान् परेशु स्पर्शश्चनुनासिकेशु ।¹¹

मैक्समूलर और रेग्नियर के अनुसार—

अनुनासिक स्पर्श के बाद में अनुनासिक स्पर्श होने पर अनुनासिक स्पर्श के पूर्व में एक नासिक्य ध्वनि का आगम होता है जिसे यम कहा जाता है ।

यम वर्ण 4 माने गये हैं । इसके सन्दर्भ में प्रो० श्रीनारायण मिश्र का कथन है कि—प्रत्येक व्यजन के प्रथम चार व्यजनों में से किसी एक के उत्तर यदि व्यजन वर्ण का पचन आये तो पूर्ववर्ती तथा परवर्ती व्यजनों के मध्य पूर्ववर्ती व्यजन के सदृश एक अधिक अनुनासिक व्यजन आ जाता है । इसी मध्यगत व्यजन को 'यम' कहा जाता है । यद्यपि इनकी संख्या 20 है, तथापि सभी वर्णों के चार वर्णों की दृष्टि से ये 4 माने गये हैं । पं० अवस्थी के अनुसार—

चत्वारो यमाः वर्णेश्वाद्यानां

चतुर्णां पचमे परे मध्येपूर्वसदृशा वर्णोः₁₁

उत्त्वट के अनुसार—

कं खं गं घं इत्यादयो यमाः । अर्थात् कं, खं, गं, घं, यम, है इत्यादि । उन्होंने आगे भी कहा है कि—

अनुनासिकाः स्पर्शाः स्वान्यमान् आपद्यन्ते अनुनासिकेशु स्पर्शेशु परेशु ।

अर्थात् वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण अपने-अपने 'यम' हो जाते हैं यदि बाद में वर्णों के पचम वर्ण हों ।

जैसे—'पलिकनीः' में यम ककार के सदृश है—

पलिकनीः । चख्णथुः में यम खकार के सदृश है— चख्णथुः । जम्मतुः में यम गकार के सदृश है— जग्मतुः । जध्णथुः में यम धकार के सदृश है— जध्णथुः ।

ये यमवर्ण अपने प्रकृतिभूत स्पर्श के सदृश होता है । यह स्पष्ट है कि इनकी संख्या 20 होने के कारण यम भी 20 माने जाते हैं ।

उत्त्वट के अनुसार—

एवं विंशतिः यमाः बह्वृचानां भवन्ति,
स्वरूपैश्चत्वार एव ।

वा०प्रा० (8/24) तथा ऋ०तं० (1/2) के अनुसार कँ, खँ, गँ, घँ ये चार यम हैं ।

कुछ आचार्यों ने चार यमों को इस प्रकार भी

1. अघोश अल्पप्राण यम—कँ, चँ, टँ, तँ ।

2. अघोश महाप्राण यम—खँ, छँ, ढँ, थँ, फँ ।

3. सघोश अल्पप्राण यम—गँ, जँ, ङँ, ढँ, बँ

4. सघोश महाप्राण यम—घँ, झँ, ढँ, धँ, भँ

ध्वनिविज्ञान के माध्यम से इन यमों को समझना सरल है । संस्कृत में पुरोगामी समीकरण की तुलना में पश्चगामी समीकरण अधिक प्रभावशाली होता है । यहाँ परवर्ती ध्वनि के द्वारा अपनी पूर्ववर्ती ध्वनि को प्रभावित किया जा सकता है । यहाँ नासिका का थोड़ा भी प्रभाव किसी वर्ण को नासिक्य ध्वनि बना देता है । यहाँ अनुनासिक और अननुनासिक स्पर्श वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारणवयव परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं । इसमें प्राणवायु का सर्वाधिक योगदान होता है । जब दो उच्चारणावयवों का स्पर्श होता है उसके तुरन्त बाद ही अनुनासिक स्पर्श का उच्चारण करना पड़ता है तो जिसके उच्चारण में दो ओं का स्पर्श अन्य स्पर्श वर्णों के ही समान होता है, किन्तु उसके साथ ही साथ वायु नासिका—विवरा से बाहर निकल नासिक्य हो जाता है । यही नासिक्य वर्ण 'यम' कहलाता है ।

कृ०प्रा० में प्रत्येक यम वर्ण के दो उच्चारणस्थान माने गये हैं । नासिका तो सभी यमवर्णों का उच्चारण स्थान है ही—

नासिक्याः नासिकास्थानाः ।

ऋग्वेदप्रातिशाख्य में भी इनको नासिका से उच्चरित माना गया है—

नासिक्ययमानुस्वारान् ।₁₂

कृ०प्रा० में इसका दूसरा उच्चारण स्थान मुख माना गया है—

मुखनासिक्या वा ।₁₃

वैदिकाभरण में भी इन्हें मुख और नासिका से उच्चरित मात्रा माना गया है । यहां यह भी बताया गया है कि नासिक्यों का कारण अपने वर्ण के अनुसार होता है—

वर्गवच्चैशु ।

ऋग्वेदप्रातिशाख्य के अनुसार— सभी यमों का नासिका—स्थान तो है ही, दूसरा स्थान प्रकृतिभूत स्पर्शवर्ण का ही होता है जैसे—'पलिकनीः' में ककार यम की प्रकृति है ।

इसलिए यम को प्राप्त ककार के दो स्थान हुए (क) नासिका (ख) जिह्वामूल ।

इसका उल्लेख करते हुए ऋक्प्रातिशाख्य के शष्ठ पटल में कहा गया है—

श्रुतिर्वा यमेन मुख्यास्ति समानकाला ।¹⁴

अर्थात् यम के उच्चारण के काल में ही मुख में एक (स्पर्शात्मक) ध्वनि उच्चरित होती है ।

संदर्भ

1. ऋ०प्रा०—1 / 6
2. वही, 1 / 5
3. तै०प्रा० 1 / 6
4. पाणिनीय शिक्षा—3
5. पा०शि०— 4—5
6. कृ०प्रा० 21 / 13
7. ऋ०प्रा० 1 / 50
8. वा०प्रा० 4 / 163
9. च०अ०—1 / 99
10. ऋ०तं०—1 / 2
11. पा०शि० 4 पर पजिकाभाश्य ।
12. ऋ०प्रा०—1 / 48
13. कृ०प्रा०—2 / 50
14. ऋ०प्रा० 6 / 33

नीलम गुप्ता
शोधछात्रा—संस्कृत
डॉ० राममनोहर लोहिया
अध्व विश्वविद्यालय,
अयोध्या



सारांश

प्रतीयते अनेन इति प्रत्ययः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यय का तात्पर्य 'बुद्धि' से है, क्योंकि किसी भी प्रतीति के लिए अध्यवसायात्मक बुद्धिव्यापार की ही आवश्यकता होती है। अतः सांख्यदर्शन में निमित्त और नैमित्तिक रूप सोलह बुद्धिकृत तत्वों का उल्लेख किया गया है। निमित्त पद से बुद्धि के धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, अविराग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य नामक आठ प्रकार के भावों का ग्रहण किया जाता है तथा नैमित्तिक पद से स्थूलशरीर का बोध होता है जो धर्मादिनिमित्तों का कार्य है तथा इन दोनों में प्रस तद्विशयक अनुरक्ति है—

निमित्तं च नैमित्तिकं च तत्र यः प्रस प्रसक्तिः तद्विशये अनुरक्तिः तेन।

सूक्ष्मशरीर की प्रयोजन प्रवृत्तिका पुरुष का भोग और अपवर्ग रूप कार्य होता है। इसी की सिद्धि हेतु सूक्ष्मशरीर का निर्माण होता है जो स्थूलदेहस्व रूप कार्य और उसके धर्माधर्म आदि रूप कारणों के द्वारा सम्पन्न होता है—

पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसेन।

सृष्टि के दो प्रकार हैं। 1— भौतिक 2— भावमयी भौतिक सृष्टि के अन्तर्गत घट, नदी, पर्वतादि आते हैं। धर्माधर्मादि भाव, सूक्ष्म और स्थूल शरीर बौद्धिक सृष्टि के अन्तर्गत है क्योंकि इनकी उत्पत्ति के मूल में महत्त्व है, जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। आचार्य ईश्वरकृष्ण ने इसमें अन्तर्निहित तत्वों को चार भागों में विभाजित करते हुए कहा है कि—एश प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तिस्तुष्टिसिद्धयाख्यः।

गुणवैशम्यविमर्दात् तस्य च भेदास्तु पाचाशत्।।

अर्थात् जो आठ प्रकार के निमित्त (कारण) तथा आठ ही प्रकार के नैमित्तिक (कार्य) हैं। इनके संयोग से जो सोलह तत्वों का समूह है उसे बुद्धि की सृष्टि कहते हैं। यही प्रत्ययसर्ग है। विपर्यय, अशक्ति, सिद्धि और तुष्टि इनकी संज्ञायें हैं। विशमावस्था में अवस्थित गुणों के संघर्ष से इसके पचास भेद हो जाते हैं।

1— विपर्यय— विपर्यय का तात्पर्य है—विपरीत। आचार्य पतजलि ने इसे ज्ञान से भिन्नरूप में प्रतिष्ठित मिथ्याज्ञान कहा है—

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठितम्।

अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अत्यन्ताभाव न होकर ज्ञान से भिन्न एक

भावात्मक तत्व है। यहाँ प्रयुक्त न् से तद्भिन्न— तत्सदृश' का बोध होता है। आचार्य सदानन्द ने इसे अविद्या कहा है जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के भेद से पाँच प्रकार की है। विश्णुपुराण में इसके लिए 'पचपर्वा अविद्या' का प्रयोग किया गया है—

अविद्या पचपर्वेशा प्रादुर्भूता महात्मनः।

यहां प्रयुक्त अविद्या के बुद्धि का धर्म होने के कारण इसमें तमोगुण का प्रभाव होता है। इसलिए विपर्यय को अज्ञान कहा जाता है—

तत्र विपर्ययज्ञानम्।

अशक्ति— आचार्यो ने ज्ञान की प्राप्ति के असामर्थ्य को अशक्ति कहा है। किसी विशय के निश्चय और उसे क्रियात्मक रूप देने की अक्षमता को अशक्ति के नाम से जाना जाता है। जब त्रयोदश करणों में से किसी एक या अनेक की विकलता के कारण उसके द्वारा अपने विशय का ग्रहण नहीं किया जाता तो उसे अशक्ति कहते हैं। इसके विशय में कहा गया है कि —अशक्तिज्ञानाधिगमासामर्थ्य सत्यामाधिजिगासायाम्।

तुष्टि— सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति से भिन्न पुरुष की सत्ता होती है। ऐसा ज्ञान होने पर श्रवण, मननादि द्वारा उसके विवेकरूपी साक्षात्कार हेतु किसी असत् उपदेश के कारण प्रवृत्त न होना तुष्टि कहलाता है। इसके लिए कहा गया है कि—तुष्टिमोक्षोपयेशु वैमुख्यम्।

सिद्धि— सिद्धिर्ज्ञानप्राप्तिः के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति ही सिद्धि है। सांख्यदर्शन में पुरुषार्थ को पुरुष का प्रयोजन माना गया है। अतः परमपुरुषार्थ की निष्पत्ति ही सिद्धि कहलाती है। सांख्यकारिकाकार ने इनके भेदों का उल्लेख करते हुए कहा है कि—

पचविपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्।

अष्टाविंशतिभेदा, तुष्टिर्नवधाऽष्टधा सिद्धिः।।

अर्थात् विपर्यय के (तम, मोह, महामोह, तामिस्र तथा अन्धतामिस्र) पाँच भेद होते हैं। अन्तः और बाह्य करणों की विकलता से होने वाली अशक्ति अट्ठाइस प्रकार की होती है। इसी प्रकार तुष्टि के नौ और सिद्धि के आठ भेद होते हैं।

योगसूत्र में आचार्य पतजलि ने पचक्लेशों का उल्लेख करते हुए कहा

है—

अविद्यास्मारारुद्रेशाभिनिवेश पचक्लेशाः ।_५

अर्थात् अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये जो पचक्लेश है इनको ही क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र कहा जाता है। योगाभाष्यकार द्वारा क्लेश के लिए विपर्यय शब्द का प्रयोग किया गया है—

क्लेशा इति पचविपर्ययः ।_५

सांख्यकारिकाकार ने पाँच प्रकार के विपर्ययों के भेदों का उल्लेख करते हुए कहा है कि—

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च, दशविधो महामोहः ।

तामिस्रोऽष्टादशधा, तथा भवत्यन्धतमिस्रः ।।_५

विपर्यय के पाँच भेदों में से तम और मोह के आठ-आठ भेद होते हैं, तृतीय महामोह के दस, चतुर्थ तामिस्र और पचम अन्धतामिस्र के अठारह-अठारह, भेद होते हैं।

सत्रह प्रकार के बुद्धिदोशों के साथ ग्यारह प्रकार के इन्द्रियों की विगुणतायें अशक्ति कहलाती है। नौ प्रकार की तुष्टि और आठ प्रकार की सिद्धियों के विपरीत भाव के द्वारा ही बुद्धि की सत्रह प्रकार की अशक्तियाँ सम्पन्न होती हैं—

एकादशेन्द्रियवधाः सहबुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा ।

सप्तदश वधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम् ।।_५

यहां प्रयुक्त वधाः शब्द का अर्थ होता है नाशक ध्वन्तीति । अतः व्यक्ति की स्वतः प्राप्त इन्द्रियादि शक्तियों की क्षति के परिणामस्वरूप होने वाली असमर्थता ही अशक्ति कहलाती है। यह अशक्ति द्विधा विभक्त है। 1— इन्द्रियों से सम्बन्धित, 2— बुद्धि से सम्बन्धित। यहां प्रयुक्त वध शब्द असमर्थता का ही वाचक है। मनसहित एकादश इन्द्रियों में से किसी एक अथवा अनेक की क्षति से होने वाली असमर्थता ग्यारह प्रकार की हो जाती है। इसी प्रकार नौ प्रकार की तुष्टि और आठ प्रकार की सिद्धि का अभाव बौद्धिक अशक्ति कहलाती है। अतः इन दोनों के मेल से अशक्ति अट्ठारह प्रकार की हो जाती है।

ग्यारह प्रकार की इन्द्रियों को ज्ञान का निमित्त माना जाता है। जब ये इन्द्रियाँ दोशग्रस्त हो जाती हैं तो इनकी सहायता से कार्य करने वाली बुद्धि भी अशक्तता को प्राप्त हो जाती है और पुरुष के अभिलाशित अर्थ का समर्पण नहीं कर पाती— बाधिर्यादिदेशदुष्टोन्द्रियद्वारभूतैरनुपस्थिते, तत्तद्, विशये द्वारिणी बुद्धिरशक्ता पुरुशार्थं न समर्पयतीत्यर्थः ।

सरबोधिनि

इन्द्रियों के दोशों को अशक्ति के रूप में परिगणित करते हुए इनकी संख्या एकादश मानी गयी है—

1— बाधिर्य, 2— कुष्टिता, 3— अन्धत्व, 4— जड़ता, 5— अजिब्रता, 6— मूकता, 7— कौण्ड्य, 8— पंगुत्व, 9— उदावर्त, 10— क्लैव्य, 11— मन्दता ।

उपर्युक्त अशक्तियाँ इन्द्रियों से सम्बद्ध होने के कारण करणगत कही जाती है तथा इसके अतिरिक्त बुद्धि से सम्बद्ध जो अशक्तियाँ हैं वे स्वरूपगत कहलाती है। तुष्टियाँ और सिद्धियाँ भी बुद्धि का ही प्रपच है। इनकी असफलता भी अशक्ति कहलाती है, क्योंकि इनकी सफलता साक्षात् बौद्धिक सम्बन्ध पर निर्भर करती है। जिसकी बौद्धिक क्षमता जितना अधिक होती है उसे उतनी ही तुष्टियाँ और सिद्धियाँ स्वयमेव उपलब्ध हो जाती हैं। यद्यपि इनकी संख्या क्रमशः नौ और आठ है, किन्तु इनके अभाव से प्रादुर्भूत अशक्तियों की संख्या भी इन दोनों के योग के बराबर होती है।

तुष्टियों का निरूपण करते हुए सांख्यकारिकाकार का कथन है कि—
आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः ।

बाह्याः विशयोपरमात् पच चन व तुष्टियोऽभिमताः ।_५

अर्थात् तुष्टियाँ दो प्रकार की होती हैं। इनमें से चार आभ्यन्तर या आध्यात्मिक हैं जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग हैं। शब्दस्पर्शादि विशयों के प्रति वैराग्य से होने वाली तुष्टियाँ पाँच प्रकार की होती हैं। अतः तुष्टियों की संख्या नौ है।

प्रकृति के व्यतिरिक्त आत्मा है—'इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अथवा यह स्वीकार करके कि उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है या प्रकृति के नियमानुसार उसका ज्ञान स्वतः ही हो जायेगा, अतएव उसके ज्ञानार्थ आयास न करना तथा प्राकृतिकतत्त्वों में से ही किसी एक अथवा अनेक तत्त्वों की प्राप्ति में संलग्न रहना तुष्टि कहलाता है। यह तुष्टि दो प्रकार की है। 1— आध्यात्मिक (आभ्यन्तर), 2— बाह्य। प्रकृति, उपादान, काल और भाग को आभ्यन्तर कहते हैं। इनको आभ्यन्तर (आध्यात्मिक) कहने का कारण यह है कि ये प्रकृति से इतर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए सम्भव है। इसके अतिरिक्त बाह्यतुष्टियों में पुरुष के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार न करते हुए मूलप्रकृति—अहंकारादि को ही आत्मा मानकर विरक्त हो जाती है। इसके लिए विशयोपरमात् अर्थात् विषयों के प्रति वैराग्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रयुक्त उपरम का तात्पर्य वैराग्य से है। ये विशय के अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसादोश के होने से उत्पन्न होते हैं। इसको पारम्, सुपारम् पारापारम्, अनुत्तमाम्भ और उत्तमाम्भ कहा गया है। तुष्टि के

पश्चात् सिद्धि का निरूपण करते हुए सांख्यकारिकाकार का कथन है कि—

ऊहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्त्रयः सुहृत्प्राप्तिः ।

दानं च सिद्धयोऽश्टौ सिद्धेः पूर्वोऽस्त्रिविधः ॥१०

अर्थात् आध्यात्मिक, आधिभौतिक, तथा आधिदैविकइन त्रिविध दुःखों के पृथक-पृथक तीन उच्छेदक अध्ययन, शब्द, ऊह, सुहृत्प्राप्ति और दान ये आठ सिद्धियाँ हैं तथा विपर्यय अशक्ति और तुष्टि ये तीनों प्रत्ययसर्ग सिद्धि के बाधक हैं ।

पुरुषार्थ की निश्पत्ति को सिद्ध कहा जाता है । पुरुषार्थ तो पुरुष का भोगाप्रवर्गरूप प्रयोजन होता है । प्रयोजन वही है जिस पर अन्य की इच्छा के अधीन इच्छा का विशय नहीं होता । पुरुषार्थ निश्पत्ति रूप सिद्धि दो प्रकार की है । 1— मुख्य, 2— गौण । मुख्य सिद्धि के अन्तर्गत त्रिविध दुःख का उच्छेद आता है । शेष पाँच अन्य सिद्धियाँ गौण हैं ।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि लि शरीर भावों से अधिवासित हाकर विविध योनियों और लोकलोकान्तर में संस्रण करता है । सूक्ष्मतन्मात्राओं से रचित शरीर को सूक्ष्मशरीर कहा जाता है जो सदैव विद्यमान रहता है । भावों का तात्पर्य धर्मादि आठ बुद्धिधर्मों से है । सांख्यदर्शन में यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि—भाव अर्थात् प्रत्ययसर्ग के अभाव में लि या तन्मात्रसर्ग उत्पन्न नहीं होता । न ही लिसर्ग के बिना भाव की निश्पत्ति सम्भव है ।

अतः लि और भाव नामक दो प्रकार की सृष्टियाँ एक ही बुद्धि से प्रवृत्त होती हैं— न विना भावैलि न विना लिन भावनिवृत्तिः ।

लियाख्यो भावाख्यस्तस्माद्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥११

सांख्यदर्शन में प्रयुक्त लिपद का तात्पर्य सूक्ष्मशरीर से है, किन्तु उसके शब्दस्पर्शादि तन्मात्राओं से घटित होने के कारण प्रस्तुत कारिका में प्रयुक्त लिंग पद तन्मात्राओं से निष्पन्न सृष्टि का बोध कराता है । अतः लिंग पद का प्रयोग यहाँ उपलक्षण में तन्मात्र सृष्टि के लिए हुआ है । यही स्थिति भाव पद की भी है । इससे आठ बुद्धिधर्मों का बोध होता है ।

संदर्भ सूची

1. सांख्यकारिका—42
2. सांख्यकारिका—46
3. योगसूत्र—1/8
4. सांख्यकारिका—47
5. योगसूत्र—2/3

6. योगभाष्य—2/3

7. सांख्यकारिका—48

8. सांख्यकारिका—49

9. सांख्यकारिका—50

10. सांख्यकारिका—51

11. सांख्यकारिका—52

चन्द्रप्रकाश तिवारी

शोधच्छात्र—संस्कृत

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध

विश्वविद्यालय,

अयोध्या, उ०प्र० ।

सारांश

‘वने चरतीति वनेचरः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार— जो वन में विचरण करता है, वनेचर कहलाता है। इसके सन्दर्भ में कहा गया है कि ‘वनेचरः वनेचरो वनप्रियः इति स्मृतः।’ यह शब्द वने+चर्+ट (चरेष्टः) से निष्पन्न है। इस प्रकार वनेचर शब्द जंगल में रहने वाला, वनवासी, जंगल में रहने वाला आदमी आदि का वाचक है। महाकवि भारवि ने अपने किरातार्जुनीयम् महाकाव्य के प्रथम सर्ग में इस शब्द का प्रयोग गुप्तचर के रूप में प्रेषित व्यक्ति के लिए किया है। उन्होंने महाकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक प्रारम्भ करते हुए कहा है कि—

श्रियः कुरुणामधिपस्य पालनीं,
प्रजासुवृत्तिं यमयुद्धं वेदितुम् ।
स वर्णिली विदितः समाययौ
युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः ॥

यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने कुरुदेश के अधिपति दुर्योधन की राजलक्ष्मी की प्रतिष्ठापना करने वाले, प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के निमित्त ब्रह्मचारी वेशधारी वनवासी—किरात को गुप्तचर के रूप में भेजा था। वह सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के समीप आया। यहाँ वनेचर के लिए ‘वर्णिलिंगी’ शब्द का प्रयोग किया गया है जो वनेचर के मूलस्वरूप का द्योतक है। इसका तात्पर्य है—

वर्णः प्रशस्तिः अस्यास्तीति वर्णी तस्य वर्णिनः,
लीनम् अर्थं गमयतीतिलिम् वर्णिनः लिम् अस्य अस्तीति वर्णिली ।
इसके सन्दर्भ में यह भी कहा गया है कि—
वर्णी स्याल्लेखके चित्रकरेऽपि ब्रह्मचारिणी इति विश्वः ।
यहाँ वर्णिली में प्रयुक्त वर्ण शब्द का अर्थ प्रशस्ति है। इसके सन्दर्भ में कहा गया है कि अष्टविध मैथुनों का अभाव ‘प्रशस्ति’ है—
एतदष्टविध मैथुनाभावः प्रशस्ति । ये अधोलिखित है—
स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गृह्यभाषणं ।
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिश्पत्तिश्च च ।।
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतददेवाष्ट लक्षणम् ।।

यहाँ यह भी उल्लिखित है कि युधिष्ठिर ने किरात को छद्मवेश (ब्रह्मचारी तपस्वी के वेश) में ही भेजा था ऐसा क्या? इसका उत्तर यह है कि आचार्य कौटिल्य, मनु आदि नौ प्रकार के प्रतिनिधियों का उल्लेख किया है जो शत्रुओं की गतिविधियों का पता लगाते हैं—

कृत्सनं चाश्टविधं कर्मपचवर्गं च तत्त्वतः ।

अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥

हमारे आचार्यों ने शत्रुओं के गुप्त रहस्यों को जानने के निमित्त तथा उनमें भेद कराने के लिए एक सुसंगठित गुप्तचर—व्यवस्था के होने का उल्लेख किया है। राजा इन्हीं के माध्यम से राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान करके तदनुसार अपने कार्यों का निर्धारण करता था। इसीलिए महाकवि भारवि ने उनके लिए चारचक्षु पद का प्रयोग किया है—

क्रियासु युक्तैर्नृप चारचक्षुशो ।

चारचक्षुष का तापर्य है— चरन्तीतिचराः । चराः एव चाराः । चाराः एव चक्षुषि येषां ते चारचक्षुषः ।

अर्थात् दूतरूपी नेत्रों वाले या दूतों के माध्यम से अपने राज्य की व्यवस्था को देखने वाले ।

धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की शासनव्यवस्था को जानने के निमित्त ब्रह्मचारी वेशधारी जिस वनेचर को भेजा था वह उसकी सभी गतिविधियों का सम्यक् अवलोकन करके जब उनके पास वापस आता है तो विनम्रतापूर्वक उनको प्रणाम करके शत्रु दुर्योधन द्वारा जीती गयी पृथिवी के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए किसी भी प्रकार की व्यथा का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह स्वामी युधिष्ठिर का हितचिन्तक था जो कि गुप्तचर का एक प्रमुख गुण होता है। इसके सन्दर्भ में भारवि ने कहा है कि जो स्वामी के हितेशी होते हैं वे मिथ्या प्रिय नहीं बोलते हैं—

कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे

जितां सपत्नेन निवेदयिश्यथः ।

न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं

प्रवक्तुमिच्छन्ति मृशा हितैशिनः ॥

यद्यपि वनेचर द्वारा धर्मराज को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करना शास्त्र सम्मत है, किन्तु इसका एक उदाहरण हमें वाल्मीकीय रामायण में भी प्राप्त होता है। यहाँ उल्लिखित है कि जब हनुमान् जी लंका गये थे तो अशोक वाटिका में उन्होंने सीता जी को झुककर प्रणाम किया था, क्योंकि वह स्वामी की पत्नी थी। इसी प्रकार जब वे लंका से वापस आये तो पुनः स्वामी राम को भी उन्होंने उसी प्रकार प्रणाम किया था। इस प्रकार महाकवि भारवि ने यहाँ न केवल एक सार्वजनिक सिद्धान्त की स्थापना, अपितु दूत की मर्यादा के

चरमोत्कर्ष को प्रस्तुत किया। वह वनेचर मिथ्या प्रिय नहीं बोल रहा था। यहाँ यह भी सम्भावना है कि उसकी बातें धर्मराज को कड़वी भी प्रतीत हो रही थी, किन्तु हित से सम्पृक्त थी। यही कार्य हनुमान् न लंका से वापस आकर शासन-प्रबन्धन की प्रशंसा करके किया था। उन्होंने राम के सम्मुख मन्दोदरी के अप्रतिम सौन्दर्य की भी प्रशंसा की थी। इतना होते हुए भी हनुमान् ने रावण पर विजय के लिए अनेक उपाय भी बतलाये थे। इसके पश्चात् वह वनेचर अपने स्वामी के प्रति सच्चीनिष्ठा को प्रकट करता हुआ उनकी अनुमति प्राप्त करके ही शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त पुष्ट प्रमाणों से निश्चित अर्थवाली वाणी में धर्मराज से बोला—

स सौष्टवौदार्यविशेशशालिनीं
विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे ।।⁶

महाकवि भारवि ने गुप्तचरों की सत्यनिष्ठा व कर्तव्यपरायणता की ओर संकेत करते हुए कहा कि कर्तव्यपालन हेतु नियुक्त सेवकों को कभी भी अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए वनेचर कहता है कि यदि मैं कुछ उचित अथवा अनुचित बात कहता हूँ तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि प्रायः हितकारी और प्रियवाणी दुर्लभ होती है— हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ।, इसका उल्लेख रामायण के अरण्यकाण्ड में भी मिलता है। वहाँ रावण को उपदेश देता हुआ मारीच कहता है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ।

नीतिवाक्य में भी राजा के लिए 'चारचक्षुश' शब्द का प्रयोग किया गया है—

गन्धेन गावः पश्यन्ति, शास्त्रैः पश्यन्ति पण्डिताः ।

चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ।।

गुप्तचर में चार गुणों का होना आवश्यक था—

1— अमूढता, 2— अशैथिल्य, 3— सत्यवादिता, 4— सम्यक् रूप से अनुमान करने की सामर्थ्य। युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित गुप्तचर उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त था। इन गुणों में से सत्यवादिता एक प्रमुख गुण है जो दूत में विशेष रूप से आवश्यक है तथा उसके सत्यवाक्य ही राजा के लिए कल्याणकारी हुआ करते हैं। इसीलिए महाकवि भारवि ने कहा है कि— स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपं ।⁸

अर्थात् जो अपने स्वामी को हितकारी परामर्श नहीं देता वह अच्छा मित्र नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए वनेचर ने युधिष्ठिर को सूचना देने से पूर्व एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त को प्रस्तुत किया जो वास्तव में राजा को लोकप्रिय बनाने के लिए, राजा-प्रजा और राजकर्मचारियों के मध्य सौमनस्य की भावना के लिए नितान्त आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सम्पत्तियाँ अनुराग करती हैं—

सदाऽनुकूलेशु हि कुर्वते रतिं
नृपेश्वमात्येशु च सर्वसम्पदः ।।

गुप्तचर में सत्यवादी होने के साथ-साथ कुशल और पारदर्शी बुद्धिवाला भी होना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह शत्रुओं के रहस्य का भेदन कर सकता है। उसमें अपने शत्रु के हावभाव से ही उसकी मानसिक प्रवृत्ति को जानने-समझने में निपुणता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित वनेचर ने अपने बुद्धिनैपुण्य से दुर्योधन के दुर्ज्ञेयचरित्र को अच्छी तरह से समझने में सफल हो गया तथा इसका श्रेय भी अपने स्वामी को ही देता है जिससे उसकी स्वामिभक्ति भी प्रकट हो जाती है—

निसर्गदुर्बोधमबोधविकलवाः

क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः ।

तवाऽनुभावोऽयमवेदि यन्मया

निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विशाम् ।।¹⁰

महाकवि भारवि द्वारा यहाँ प्रयुक्त नयवर्त्म शब्द नीतिमार्ग की ओर सेत करता है। आचार्य चाणक्य द्वारा भी शङ्गुणों का विश्लेषण करते हुए कहा गया है—

सन्धि-विग्रह-यानानि संस्था व्यासनमेव च ।

द्वैधीभावश्च विज्ञेयाः शङ्गुणा नीतिवेदिनाम् ।।

आचार्य मनु के अनुसार—

सन्धिं च विग्रहं चैव यानमासनमेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयं च शङ्गुणांश्चिन्तयेत्सदा ।।¹¹

वनेचर ने दुर्योधन द्वारा छद्म से जीते गये साम्राज्य में उसकी नीति की सफलता को स्वीकार किया, किन्तु अब वह दुर्योधन उस साम्राज्य को नीतिपूर्वक जीत लेने का सफल प्रयास भी कर रहा है तथा इसके लिए वह प्रजा को अधिक महत्त्व देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। ऐसा वर्णन करना एक कुशलनीतिज्ञ वनेचर की ओर संकेत करता है। यही कार्य मन्थरा के परामर्श से 14 वर्षों का वनवास माँगकर कैकेयी ने भी किया था, क्योंकि इतनी दीर्घावधि में भरत अपनी नीतियों से प्रजा को प्रभावित कर सकता है तथा राम प्रजा के प्रेम से विरत हो सकते हैं। यहाँ वनेचर कहता है कि दुर्योधन के ये समस्तकार्य आपके भय से ही हैं, क्योंकि उसे इस बात का अच्छी तरह से आभास है कि एक बार पाण्डवों के साथ युद्ध करना ही पड़ सकता है। यहाँ महाकवि भारवि ने दूत को नीतिविशारद बताने के उद्देश्य से उस सत्य को प्रस्तुत किया है जो अप्रतिम है—

वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः ।।¹²

अर्थात् अपने उत्कर्ष की कामना करने वाले व्यक्ति के लिए महान् लोगों के साथ विरोध को दुर्जनों के मित्रता की अपेक्षा

अधिक श्रेयस्कर होता है। वनेचर अहंकाररहित और अत्यन्त ही विनम्र है, क्योंकि वह दुर्योधन के अत्यन्त गूढ़रहस्यों का उद्घाटन करते हुए भी अहं की भावना से रहित प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ वनेचर दुर्योधन के गूढ़रहस्य को अच्छी तरह से जानकर उसके द्वारा अपनायी जा रही दामनीति का भी उल्लेख करता है। इस सन्दर्भ में वह कहता है कि योद्धागण दुर्योधन के भय से उसकी सहायता के लिए तत्पर नहीं हैं, अपितु वह धन के द्वारा उनका सम्मान कर रहा है तथा वे लोग मन, वाणी और कर्म से उसके प्रति समर्पित हैं—

महौजसो मानधना धनार्चिता

धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः ।

न संहतास्तस्य न भिन्नवृत्तयः

प्रियाणि वाछन्त्यसुभिः समीहितुम् ।।¹³

वनेचर अहंकार की भावना से रहित तथा अत्यन्त ही विनम्र है। वह इतनी गूढ़ सूचनाओं से धर्मराज को अवगत कराता है, किन्तु अहंभावरहित ही रहता है—

तदाशु कर्तुं त्वयि जिहममुद्यते ।

विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् ।

परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां

प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः ।।¹⁴

वनेचर पाण्डवों का शुभचिन्तक है। इसलिए अत्यन्त ही मर्यादापूर्वक वह युधिष्ठिर को सलाह देता है कि दुर्योधन आप और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत होकर आपका अनिष्ट न कर सके।

इसके पूर्व ही आपको उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए। मैं तो यद्यपि आपके आदेशों का पालन करना हुआ आपको सूचना ही दे सकता हूँ, किन्तु उस कपटाचारी दुर्योधन के प्रतिकार का उपाय तो आपको ही करना है। वह विनम्रतापूर्वक इन बातों को कहता हुआ स्वयं को क्षमा प्रार्थी भी स्वीकार करता है—

अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधुसाधु वा ।

वनेचर द्वारा दुर्योधन के आर्थिक उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है। वह दुर्योधन के द्वारा की गयी धनसम्पत्ति के वृद्धि का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके साम्राज्य की प्रजा निश्चिन्त होकर प्रचुरधनार्जन कर रही है तथा वह अपने राजा को प्रचुरधन भी प्रदान कर रही है। सम्प्रति दोनों एक दूसरे से प्रसन्न हैं—

उदारकीर्तिरुदयं दयावतः

प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया ।

स्वयं प्रदुग्धेऽस्य गुणैरुपस्नुता

वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी ।।¹⁵

यहाँ वनेचर धर्मराज के प्रति संकेत करता हुआ कहता है

कि जो राष्ट्र आर्थिक रूप से समृद्ध होता है उसे परास्त कर पाना आसान नहीं होता। इस नीमित्त आपको भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ वनेचर कह रहा है कि वह दुर्योधन कुबेर के समान है और उसके गुणों से द्रवित हुई पृथिवी स्वयं गौ के समान उसे समृद्ध कर रही है।

वह वनेचर दुर्योधन की साम और दामनीतियों का शास्त्रोक्त विवेचन करते हुए कहता है कि वह अपनी सफल सामनीति का प्रयोग धनदान के बिना नहीं करता। यह प्रचुर धनदान को सत्कारपूर्वक ही कर रहा है तथा विशेष प्रकार का सत्कार भी व्यक्ति के गुणानुरूप ही करता है—

निरत्ययं साम न दानवर्जितं

न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियाम् ।

प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी

गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया ।।¹⁶

यह प्रस महर्षि वाल्मीकि के रामायण में वनगमन स्थल पर वन जाते समय राम के द्वारा अत्यन्त ही सत्कारपूर्वक ब्राह्मणों, याचकों और ऋशियों को दिये जा रहे दान के अनुरूप ही है। आगे चलकर महाकवि भारवि ने आचार्य चाणक्य के द्वारा प्रतिपादित 'राजस्य मूलमिन्द्रियनिग्रहः' का अनुसरण करते हुए दुर्योधन को जितेन्द्रिय कहकर सम्बोधित करते हैं तथा उसकी दण्डनीति को शास्त्रोचित ही सिद्ध करते हैं। इसका उल्लेख करते हुए वनेचर धर्मराज से कहता है—

‘वसूनि वाछन्न वशी न मन्युना

स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः ।

गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा

निहन्ति दण्डेन स धर्मविप्लवः ।।¹⁷

इसके सन्दर्भ में मनुस्मृति में कहा गया है कि—

दण्डः शास्ति प्रजा सर्वाः दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुप्तेशु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ।।¹⁸

अर्थात् दण्ड ही सभी प्रजाओं पर शासन करता है और उनकी दुष्टादिकों से रक्षा करता है। सोई हुई जनता में अकेला दण्ड ही जागता रहता है। अतः विद्वज्जन दण्डविधान को ही राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं। राजनीति के जो चार उपाय साम, दाम, दण्ड और भेद कहे गये हैं वे राजा के लिए आवश्यक होते हैं—

भेदोदण्ड सामदानमित्युपायचतुष्टयम् ।

(अमरकोश)

वह दुर्योधन इन चारों नीतियों का सम्यक् पालन करता हुआ अपनी सम्पत्तियों की निरन्तर वृद्धि कर रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा

गुप्तचररूप में नियुक्त वनेचर एक सर्वगुणसम्पन्न, स्वामिभक्त, सत्यवादी, नीतिविशेषज्ञ, हितचिन्तक, अंहभावरहित, विनम्र और कुशल व्यक्तित्व वाला हैं जिसके द्वारा धर्मराजा को दुर्योधन की शासनव्यवस्था का सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

संदर्भ

1. किरातार्जुनीयम्-1 / 1
2. मनुस्मृति-7 / 154
3. किरातार्जुनीयम्-1 / 4
4. किरातार्जुनीयम्-1 / 2
5. वा0रा0 अरण्यकाण्ड-37 / 2
6. किरातार्जुनीयम्-1 / 3
7. किरातार्जुनीयम्-1 / 4
8. किराता0-1 / 8
9. वही-1 / 8
10. किराता0-1 / 6
11. मनु0 7 / 160
12. किराता0-1 / 8
13. किराता0-1 / 19
14. किराता0-1 / 25
15. किराता0-1 / 18
16. किराता0-1 / 12
17. किराता0-1 / 13
18. मनु0-7 / 18

डॉ० दिनेशमणि त्रिपाठी

(प्रधानाचार्य)

एल०पी०के० इण्टर कॉलेज,
बसडीला-सरदारनगर, गोरखपुर, उ०प्र०

प्र० दानपति तिवारी

अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग
का०सु० साकेत पी०जी० कॉलेज,
अयोध्या
(उ०प्र०)



सारांश

कुमाऊँ (देवभूमि) उत्तराखण्ड राज्य का ऐतिहासिक भू-भाग है। यह सांस्कृतिक एवं पारम्परिक धरोहर से परिपूर्ण है। उत्तराखण्ड में कुछ ग्राम देवताओं की पूजा की जाती है, जैसे गंगनाथ, गोलू, भनरिया, सैमज्यू, लटवा आदि। इन देवताओं को स्थानीय ग्राम भाषा में ग्राम देवता कहा जाता है। ग्राम देवता का अर्थ है ग्राम का देवता। यहाँ की अनेक सांस्कृतिक एवं पारम्परिक प्रथाओं में जागर एक महत्वपूर्ण प्रथा है। 'जागर' अर्थात् 'देवी-देवताओं को जगाना' 'उनका आह्वान करना'। आम जन अपनी खुशी से, कष्ट निवारण हेतु जागर का आयोजन करते हैं। जागर के सफल संचालन में कुमाऊँ के पारम्परिक संगीत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देवी-देवताओं के आह्वान हेतु आयोजित जागर में यहाँ के पारम्परिक वाद्ययंत्रों के साथ-साथ स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जागर मंदिर अथवा घर कहीं पर भी किया जा सकता है। मुख्यतः जागर बाईसी तथा चौरास दो प्रकार के होते हैं। यह विधा बहुत ही पवित्र मानी जाती है तथा यह यहाँ की आस्था का प्रतीक है।

प्रस्तावना— उत्तराखण्ड देवभूमि है और यहाँ के कण-कण में देवी-देवता निवास करते हैं। यहाँ पर देवाधिदेव महादेव का घर भी है और ससुराल भी। वेद-पुराणों में भी देवी-देवताओं का वास उत्तराखण्ड में ही माना गया है। उत्तराखण्ड का एक भाग कुमाऊँ है। कुमाऊँ का नाम लेते ही हमें सबसे पहले हिमालय की विशालता का अनुभव होता है। कुमाऊँ जहाँ एक ओर अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण भू-भाग है, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ के कण-कण में देवता विराजते हैं। 'उत्तराखण्ड के लिए कहा गया है जितने कंकड़ उतने शंकर'। इन सभी देवी-देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ देवी-देवताओं को मनुष्य के हर कष्ट का निवारण करने हेतु किसी पवित्र शरीर के माध्यम से अवतरित करवाया जाता है। अवतरण की यही प्रक्रिया को ही जागर कहते हैं।

जागर—एक परिचय:— जागर का अर्थ है एक अदृश्य आत्मा (देवी-देवताओं) को जाग्रत कर उसको किसी व्यक्ति के शरीर में अवतरित करना। इस कार्य के लिए जगरिया जागर लगाता

है।

'यद्यपि यह प्रक्रिया समय के अनुसार कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्यतः तीन प्रकार की होती है—1. एक दिन, 2. चार दिन (चौरास) तथा 3. बाईस दिन (बैसी)।' 2 प्रयोजन के अनुसार यह दो प्रकार का होता है— 1. देव जागर तथा 2. भूत जागर। देव जागर के अंतर्गत गोलू, गंगनाथ, हरू, सैम, कालसिन, नंदादेवी, हरजू, कलबिष्ट आदि देवताओं आदि देवताओं के जागर लगते हैं, जबकि भूत जागर में भूतप्रेत, परियाँ, आचरियाँ आदि के जागर लगाए जाते हैं।

“A Sanskrit word- Jagar means to 'wake'. In this- A spirit is invoked in a living person's body. There are two kinds of Jagars- one invoking the 'Ghost' of a dead person and the other invoking the spirit of a God or Goddess.” 3

जागर का आयोजन भादो (जुलाई-अगस्त) या पूस (दिसम्बर-जनवरी) के महीने समस्त ग्रामवासी मिलकर प्रति तीसरे वर्ष भूमिया और कतिपय अन्य देवताओं के नाम से किया करते हैं। गाँव के भीतर स्थित परम्परागत देवस्थल या देवता के थान (स्थान) पर सामूहिक जागर आयोजित किया जाता है। मध्य में बड़ी-सी धूनी जलाकर उसके एक ओर जागर गायकों, देवताओं के धामियों (पुजारी) तथा विशेष व्यक्तियों के बैठने के लिए तिरपाल या चटाईयों का छप्पर डालकर तड़यो (बृहद कक्ष) बना दिया जाता है। इससे ठीक सामने धूनी के दूसरी ओर ध्यौलिया और उसके सहयोगी नगाड़ा वादकों के लिए भी इसी प्रकार का स्थान बनाया जाता है जो अपेक्षाकृत छोटा होता है। सांयकाल होते ही ध्यौलिया (मुख्य नगाड़ा वादक) अपने साथियों के साथ देवार्चन की धुन पर नगाड़े बजाता है। देवता का पुजारी और जागर का गायक (जगरिया) दीप प्रज्वलित कर सूक्ष्म पूजन और आरती करते हैं। इसके बाद जगरिया देवताओं को आमंत्रित करने के लिए संझ्यावाली गीत गाता है। इन गीतों द्वारा जागर से संबंधित देवता के अतिरिक्त पंचकोटी देवताओं को आमंत्रित कर पूरे समय तक उस स्थल पर उपस्थित रहने की प्रार्थना की जाती है। 4

'प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश तिवारी 'गिर्दा' के अनुसार कुमाऊँ में जागर का भी अपना एक अलग ही सांस्कृतिक महत्व है, इसमें गंगनाथ का वर्णन होता है और इनकी पूजा की जाती है, सबसे पहले

इनका अवतार अल्मोड़ा जिले में हुआ था।⁵ जागर लगाने के लिए जगरिया, डंगरिया एवं स्योंकार तीनों का होना अति आवश्यक है।

जगरिया— जागर में जगरिया मुख्य पात्र होता है। जगरिया' उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अदृश्य आत्मा को जागृत करता है। ये रामायण, महाभारत आदि की कहानियों के द्वारा जिस देवता को जगाना होता है उस देवता का चरित्र चित्रण वहाँ की भाशा में करता है। 'इसका कार्य देवताओं की जीवनी, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ व उनके प्रमुख मानवीय गुणों को लोक वाद्य के साथ एक विशेष शैली में गाकर देवता को जागृत कर उनका अवतरण डंगरिया के शरीर में कराना होता है। यह देवता को प्रज्वलित धूनी के चारों ओर चलाता है और उनसे जागर लगवाने वाले की मनोकामना पूर्ण करने का अनुरोध करता है।⁶ जगरिया हुडका, ढोल, दमाउ बजाते हुए कहानी कहता है उसके साथ में आये दो तीन लोग जगरिए के साथ जागर गाते हैं तथा साथ में काँसे की थाली बजाते हैं।

डंगरिया— जिस व्यक्ति के शरीर में देवता अवतरित होता है, उसे डंगरिया कहते हैं, इसे डगर (रास्ता) बताने वाला कहते हैं। डंगरिया के आगे चावल के दाने रखे जाते हैं जिसे हाथ में लेकर डंगरिया वहाँ बैठे हुए लोगों द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब देता है। 'डंगरिया को हमेशा शुद्ध रहना होता है, विशेषतः जिस दिन जागर लगनी होती है उस दिन उसे खाने-पीने में बहुत परहेज करना पड़ता है। जब डंगरिया के शरीर में देवता अवतार लेता है, उस समय उसका सारा शरीर कांपता है तथा उसे उस समय देवताओं की तरह शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे वह सभी दुःखी लोगों की समस्याओं के समाधान का रास्ता बताता है।',

स्योंकार— जिस घर में जागर लगाई जाती है, उस घर के मुखिया को स्योंकार कहा जाता है। स्योंकार देवता के सामने चावल के दाने रखता है। देवता चावल के दानों को हाथ में लेकर उसकी समस्या का समाधान बताते हैं।

धार्मिक दृष्टिकोण के साथ—साथ जागर गीत एवं गीत विधा उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कर्मों के फल एवं दैवीय न्याय पर उत्तराखंड के लोगों का अटूट विश्वास एवं श्रद्धा होने के कारण जागर लगाने पर परिवार एवं गाँव के लोग देश-विदेश में चाहे कहीं भी हों अपने गाँव आते हैं। जिससे एक तो सामाजिकता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर भावी पीढ़ी अपनी कुमाउँनी संस्कृति एवं लोक साहित्य के प्रति जागरूक होती है तथा वह इस विरासत के संरक्षण में अहम भूमिका निभाती है।

जागर में संगीत का महत्व— जागर में संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा देवताओं को जगाया जाता है। गायक

रामायण या महाभारत के संकेतों द्वारा लोकगीत गाता है जिसमें एक कहानी होती है तथा देवताओं द्वारा किए गए साहसी कार्यों को गाया जाता है। जागर लगाते समय धार्मिक क्रियाकलापों को निम्नलिखित आठ भागों में बाँटा जाता है— 1. सांझ्यवाली गीत, 2. विर्वाई, 3. औसाण, 4. गुरु आरती, 5. खाख रमाना, 6. दाणिक विचार, 7. आर्शीवाद तथा 8. प्रस्थान।

1. सांझ्यवाली गीत (संध्या वंदन)— जागर के प्रथम चरण सांझ्यवाली गीत में जगरिया हुडके या ढोल-दमाऊँ के वादन के साथ सांझ्यवाली का वर्णन करता है। इस गायन में जगरिया सभी देवी-देवताओं का नाम, उनके निवास स्थान का नाम और संध्या के समय सम्पूर्ण दैवीय कार्यों के स्वतः प्राकृतिक रूप से संचालन का वर्णन करता है—

जै गुरु—जै गुरु

माता पिता गुरु देवत

तब तुमरो नाम छू इजाँ

यो रूमनी—झुमनी संध्या का वखत में।।

तै बखत का बीच में,

संध्या जो झुलि रै।

बरम का बरम लोक में, बिष्णु का बिष्णु लोक में,

राम की अजुध्या में, कृष्ण की द्वारिका में,

यो संध्या जो झुलि रै,

शंभु का कैलाश में,

ऊँचा हिमाल, गैला पाताल में

डोटी गढ़ भगालिंग में।

2. विर्वाई— इसमें समस्त देवताओं, स्थानीय देवताओं, मंदिरों, तीर्थों में वास करने वाले देवताओं का आवाहन किया जाता है, तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। इस समय गायन व वाद्य यंत्रों का प्रयोग मन को मोहने वाला होता है।

गोरिया दूदाधारी छै, कृष्ण अवतारी छै।

मामू को अगगवानी छै, पंचनाम द्याप्तोक भाणिज छै।

तै बखत का बीच में गढ़ी चंपावती में हालराई राज जो छन,

अहा! रजा हालराई घर में संतान न्हेंतिन,

के धान करन कूनी राजा हालराई.....।

विर्वाई की ताल, देवता का अवतरण करने से पहले प्रारम्भ में बजाई जाती है। इसमें हुडका और कांसे की थाली बजाई जाती है।

3. औसाण— इस प्रक्रिया में पवित्र आत्माओं के शरीर में देवता अवतरित होने लगते हैं। देवता (डंगरिया) का शरीर कांपने लगता है और फिर वह नृत्य करने लगता है और धीरे-धीरे नृत्य की चरम सीमा पर पहुँच जाता है। जगरिया और उसके साथियों का गायन

चलता रहता है। हुड़का, थाली व अन्य वाद्य यंत्र की आवाज धीरे-धीरे बढ़ती जाती है।' ।

4. गुरु आरती— मान्यताओं के अनुसार कुमाऊँ के वे सभी लोग जिनमें जागर के समय पवित्र आत्माओं (देवी-देवता) का अवतार होता है, गुरु गोरखनाथ के अनुयायी माने जाते हैं। जागर लगाते समय जगरिया (जागर लगाने वाला प्रमुख व्यक्ति) का विशिष्ट स्थान होता है। वह गुरु की भूमिका निभाते हैं तथा सभी डंगरियों (वह व्यक्ति जिनके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करती है) को आदेशित करते हैं। जागर के प्रारम्भ में सर्वप्रथम गुरु की आरती की जाती है—

ए तै बखत का बीच में, हरिद्वार में बार बर्षक कुम्भ जो लागिरौ ।
ए गांगू ! हरिद्वार जै बैर गुरु की सेवा टहल जो करि दिनु
कूछे..... ।

अहा तै बखत का बीच में, कनखल में गुरु गोरखीनाथ जो भै रई
..... ।

ए गुरु के सिरां ढोक जो दिना, पयां लोट जो लिना ।

ए तै बखत में गुरु की आरती जो करण फ़ैगो, म्यरा ठाकुर बाबा
..... ।

5. खाख रमाना— यह जागर की एक महत्वपूर्ण विधा है। जागर के समय अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उस समय पवित्र अग्नि से जो राख उत्पन्न होती है, उस राख को देवता द्वारा अपने व वहाँ उपस्थित सभी लोगों के माथे पर लगाया जाता है, जिसे खाख रमाना कहते हैं।

6. दाणिक विचार— इस धार्मिक प्रक्रिया में प्रश्न पूछने वाला दाणि (चावल के दाने) देवता को देता है। देवता उस दाणि को देखकर उस व्यक्ति के प्रश्न का समाधान करता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग देवता द्वारा बताए गए समाधान का सम्मान करते हैं तथा उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं।

7. आशीर्वाद— इस धार्मिक प्रक्रिया में देवता द्वारा उपस्थित सभी लोगों को सुख, समृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है, जिससे लोगों को संकट तथा विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है।

8. प्रस्थान— जागर के अंत में जिस व्यक्ति के शरीर में देवता अवतरित होते हैं, वह डंगरिया (देवता) जगरिया से अपने निवास स्थान, कैलाश पर्वत जाने को कहता है क्योंकि जिस कार्य के लिए जागर लगाई गई थी वह कार्य पूरा हो जाता है। उत्तराखण्ड में ऐसा माना जाता है कि सभी देवता हिमालय में निवास हैं। अतः जगरिया अब अंतिम औसाण देता है और अंतिम बार नाचता है और वह फिर वह अपने निवास स्थान को प्रस्थान करता है। देवता के प्रस्थान के

बाद देवता की आत्मा डंगरिए के शरीर को मुक्त कर देती है। इसके बाद डंगरिए के शरीरमें कंपन बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें गंगाजल, गौ मूत्र दिया जाता है। इस प्रकार जागर संबंधी धार्मिक क्रियाकलाप का समापन होता है।

निष्कर्ष:

आधुनिक पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग अब जागर जैसी परम्परा पर कम ही विश्वास करते हैं, और इसको अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जागर कुमाऊँ की पवित्र सांस्कृतिक धरोहर है। इसके साथ लोगों की भावनात्मक आस्था जुड़ी हुई। खुशी एवं संकट दोनों समय ईश्वर से साक्षात्कार कराने में जागर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जागर अर्थात् पवित्र आत्माओं को जगाना। इस जगाने की प्रक्रिया में संगीत का विशेष योगदान है। इसमें अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों जैसे— ढोल, नगाड़ा, हुड़का, डमरू, थाली आदि का प्रयोग किया जाता है। जागर के प्रारम्भ, मध्य एवं अंत के आधार पर संगीत में भी परिवर्तन होते रहते हैं। यह समाजीकरण के लिए भी एक आवश्यक क्रिया है क्योंकि जगरिया, डंगरिया, स्योंकार तथा ग्रामवासी सभी एक साथ मिलकर आपस में सुख—दुःख बाँटते हैं। अतः जागर कुमाऊँ की सांस्कृतिक प्रथा के साथ-साथ पारम्परिक संगीत को संरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संदर्भ सूची

1. File :/I:\Calling of God – Jaagar.htm.
2. राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध साहित्यकार राजेश उप्रेती (पिथौरागढ़) से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर।
3. <http://www.beatofindia.com/forms/jagar.htm>
4. पद्मादत्त पंत, 2010, सोर की लोक थात, हिमाल प्रेस, पिथौरागढ़, पृ. 80–81।
5. प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश तियाड़ी 'गिर्दा' (नेनीताल) से प्राप्त जानकारी के आधार पर।
6. File :/I:\Calling of God – Jaagar.htm.
7. प्रसिद्ध डंगरिया श्री दिलीप सिंह जी (हल्द्वानी) से लिए गए साक्षात्कार के आधार पर।
8. [mera.pahad form.com/.../musical instruments of uttarakhand](http://mera.pahadform.com/.../musical_instruments_of_uttarakhand)

डॉ० गोविंद सिंह बोरा

विभाग प्रभारी संगीत

एम.बी.जी.पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी (नेनीताल)

उत्तराखण्ड – 263139



सारांश

संगीत अच्छाई के लिए भी है और उपासना के लिए भी है, इस उपासना और आध्यात्मिक वृत्ति की दृष्टि से यदि बीसवीं शताब्दी पर दृष्टि डालें तो इस समय लगभग सम्पूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, जो जनकल्याण भावना से दूर मात्र शोषण के आधार पर पोषण किसी का हिस्सा छीन लेना ही अपना लक्ष्य बना लिया जिस कारण आम जन-मानस ने अर्जित करना छोड़ दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से पंडित जी के कार्यों से अत्यन्त प्रभावित रही हूँ, संगीत के क्षेत्र में प्रातः स्मरणीय संगीत मार्तण्ड, पदश्री पंडित ओमकार नाथ ठाकुर 'प्रणव रंग' जी ने जो महान कार्य किये हैं उसका विश्लेषण करते हुए यदि अध्ययन किया जाय तो कुछ और नये तथा वैज्ञानिक समाधान प्राप्त हो सकते हैं।

राजनीतिक स्थिति :-

किसी भी युग के साहित्य को जानने के लिये युगीन परिस्थितियों का अवलोकन आवश्यक है। राजनीति परिस्थितियों के निम्न बिन्दु विचारणीय हैं। 1857 की क्रान्ति के बाद साम्राज्य का शासन समाप्त हुआ, कम्पनी का राज्य विक्टोरिया के शासन में बदला और इतिहास में भयंकर आर्थिक शोषण का युग आरम्भ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) की स्थापना हुई, जिसने भारतीयों के लिये अधिकारों की मांग की, देशी राजा और प्रजा सब अंग्रेजी राज्य से भयभीत थे।

सामाजिक स्थिति :-

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत की सामाजिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था। जमींदार अंग्रेजों की चापलूसी करके उनके प्रिय मित्र बन चुके थे और उनसे अपने लिये विशेष सुविधाएँ प्राप्त कर लेते थे तथा जमींदार कृषकों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे तथा गाँवों में शैक्षिक संस्थाओं का अभाव था। इस स्थिति में संगीत को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा था। इस कारण संगीतज्ञों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। 20वीं शताब्दी शिक्षित स्थिति :-

अंग्रेजों का बुनियादी सिद्धान्त भारतीयों को राष्ट्र को हर संभव तौर पर अपने हितों के लिये गुलाम बनाना था।

हर वो सम्मान प्रतिष्ठा शिक्षा तथा ओहदे से वंचित रखना था। यह नीति जान-बूझकर अपनाई गई थी अतः समस्त जनमानस को इन सेवाओं की जरूरत उस समय भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना करना तथा पूरे भारत पर अपना राज्य करना ही मकसद था। अतः आधुनिक और उच्चतर शिक्षा संस्थान खोलने पर जोर देने की नीति गलत नहीं थी। अगर और कुछ नहीं तो प्राथमिक स्कूलों के लिये शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज की आवश्यकता थी।

सांस्कृतिक स्थिति :-

अठारहवीं सदी के दौरान सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में दुर्बलता के

लक्षण दिखाई पड़े तथा भारतीय संस्कृति पूरी तरह परंपरावादी बनी रही अतः सांस्कृतिक क्रियाकलापों को खर्च अधिकतर शाही दरबार शासक और सामंत तथा सरदार बनकर करा करते थे। उन सांस्कृतिक शाखाओं में तेजी से गिरावट आई जो राजाओं, राजकुमारों, सामंतों के संरक्षण पर निर्भर थी। सम्पूर्ण भारत की संस्कृति बहुमूल्य रही है। अतः भारतीय संस्कृति की मुख्य कमजोरी विज्ञान के क्षेत्र में थी।

प्रमुख उपाधियाँ तथा सम्मान :-

संगीत महाउपाध्याय (1930 नेपाल नरेश द्वारा) संगीत प्रभाकर (1936 में महामना पं० मदन मोहन मालवीय द्वारा) संगीत मार्तण्ड (1940 राजकीय संस्कृत विद्यालय कलकत्ता (संगीत सम्राट) 1943 श्री वल्लराम सांगवेद विद्यालय तथा विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी पद्म श्री (1955 में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा) डी०लिट० की मानद उपाधि (1963 काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी कुलाधिपति डॉ० कर्ण सिंह टाटा) डी०लिट० की मानद उपाधि (1964 रवीन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता डॉ० पदमा नायडू द्वारा) संगीत नायक अकादमी पुरस्कार (1963 सं०ना० अकादमी इत्यादि)।

विभिन्न व्याख्यायें :-

विभिन्न विषयों पर आपके 64 व्याख्यान हुए। सन् 1933 में आपने यूरोप की यात्रा की और फ्लोरस नगर की अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद में भाग लिया।

ग्रन्थ अध्ययन :-

- (क) प्रणव भारती
- (ख) संगीतांजली
- (1) संगीतांजली प्रथम भाग
- (2) संगीतांजली द्वितीय भाग
- (3) संगीतांजली तृतीय भाग
- (4) संगीतांजली चतुर्थ भाग
- (5) संगीतांजली पंचम भाग
- (6) संगीतांजली षष्ठम भाग
- (7) संगीतांजली सप्तम भाग

हेमन्त कुमारी

विषय : संगीत

अनुक्रमांक : 1011112

पंजीकरण संख्या : 21000704

स्थान : बरेली।



सारांश

हिन्दी काव्य-साहित्य में अनेक विदेशी काव्य गजल, रूबाई, सॉनेट, तॉका, सिजो आदि अपना स्थान बना चुके हैं। हाइकु भी उनमें एक हैं। हाइकु को संसार की सबसे छोटी कविता मानने वालों को संस्कृत भाषा के छन्द-शास्त्र को देखना चाहिए। जिसमें एक वर्ण से लेकर हाइकु के सत्रह अक्षरों से छोटे सोलह वर्णों के छन्दों तक का विधान है। वैसे भी 1960 के बाद हिन्दी काव्य में लघु कविता के रूप में जो क्रान्ति आई है, उसमें अनेक क्षणिकार्य सत्रह अक्षरों से भी कम अक्षरों में लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं हाइकु मूलतः जापानी कविता का एक काव्य रूप हैं, लेकिन आज विश्वभर में इस प्रकार फैल चुका है कि लन्दन में विश्व हाइकु क्लब वर्षों से चल रहा है, जो समय-समय पर विश्व के हाइकुकारों के सम्मेलनों का आयोजन करता है। अंग्रेजी के अनेक समाचार पत्रों के साहित्यिक विभाग के हाइकु प्रकाशित और हाइकु पुरस्कृत भी होते रहे हैं। जापान में तो प्रत्येक वर्ष दस लाख से अधिक हाइकु लिखे जाते हैं। जापान के अनेक मूर्धन्य हाइकुकारों ने पहले स्वयं इसका प्रशिक्षण लिया और बाद में आजविका के लिए शिक्षण कार्य भी किया। ऐसे हाइकुकारों में बाशो, इस्सा जैसे उच्चकोटि के अनेक हाइकुकारों के नाम गिनाये जा सकते हैं।

इस प्रकार 'हाइकु' 5,7,5 के क्रम में 17 अक्षरों में लिखा जाने वाला एक लघु त्रिपदी अतुकांत काव्य रूप है। इसे एक-श्वासी काव्य भी कहा गया है। जापानी 'हाइकु' में सत्रह ध्वनि घटक होते हैं। जिन्हे भाषा वैज्ञानिकों ने सत्रह अक्षरों के रूप में स्वीकार किया है। अक्षरों की इस गणना में मात्राओं और अर्द्धव्यंजनों की गणना नहीं होती है। मूलतः यह एक अतुकांत छंद है। बाशो की परवर्ती हाइकु रचनाओं के विषय में डॉ० वर्मा ने लिखा है— 'बाशो' के हाथों में हाइकु मात्र शब्दाभिव्यक्ति न रहकर अंतदृष्टि बन जाता है।

बाशो के अनुसार हाइकु दैनिक जीवन से अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति है पर वह सत्य एक विराट सत्य का अंग होना चाहिए। हाइकु सम्पूर्ण कविता नहीं है, वह विराट सत्य की ओर इंगित करने वाली सांकेतिक अभिव्यक्ति है।²

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के पूर्व जापानी विभागाध्यक्ष, डॉ० सत्यभूषण वर्मा ने अपने शोध प्रबन्ध में हाइकु की परिभाषा इस प्रकार दी है। 'हाइकु' अनुभूति के चरम क्षण की कविता है। सौन्दर्यानुभूति अथवा भावानुभूति के उस चरम क्षण की अवस्था में

विचार, चिंतन और निष्कर्ष आदि प्रक्रियाओं का भेद मिट जाता है।⁴ अभी तक यह माना जाता रहा है कि गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर जब जापान की यात्रा पर गये थे तो वहां से आने के बाद उन्होंने अपने ग्रंथ 'जापानी यात्री' में सर्व प्रथम हाइकु काव्य का परिचय देते हुए दो हाइकुओं के हाइकुओं के शाब्दिक अनुवाद दिए थे। साथ में यह भी लिख था कि "तीन पंक्तियों की कविता संसार में और कही नहीं।"⁵

हमें जापानी हाइकु के तत्वों, लक्षणों, परिभाषाओं, स्थापनाओं आदि को पीछे छोड़कर हिन्दी और भारतीय भाषाओं में आज हाइकु अपना जो स्थान बना चुका है उधर ध्यान देना चाहिए, जिस प्रकार 'गजल' ने हिन्दी गजल के रूप में और 'रूबाई' ने मुक्तक के रूप में अत्यन्त उच्चकोटि की अनेक रचनाओं से हिन्दी काव्य साहित्य को समृद्ध किया है, वही कार्य हिन्दी हाइकु भी कर रहा है और भविष्य में इससे भी अच्छा करेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है।⁶

हिन्दी काव्य जगत को हाइकु से परिचय कराने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। सन् 1959 में प्रकाशित उनके काव्य संग्रह अरी ओ करुणा प्रभामय में सर्वप्रथम जापानी शैली में निम्नलिखित हाइकुओं का परिचय मिलता है।⁷

अरी ओ करुणा प्रभामय—में अज्ञेय की सन् 56 से 58 तक की रचनाएँ हैं जिसके चीड़ का खाका खण्ड में 27 जापानी हाइकु कविताओं के अनुवाद है। कुछ छायानुवाद है, कुछ भावानुवाद और कुछ मूल के निकट पहुँचे अनुवाद है। सन 57 में अज्ञेय स्वयं जापान गये थे, वहाँ के अनेक कवियों से मिले, चर्चा-विचारणा की थी। हाइकु के गर्म को जानने का प्रयत्न किया था। इसलिए अज्ञेय के अनुसार हिन्दी में हुए तब तक के अनुवादों में श्रेष्ठ माने गये हैं। अज्ञेय एक समर्थ कवि थे, इसलिए जापानी हाइकु की संवेदनाओं को आत्मसात कर सके। फिर भी 17 अक्षरीय त्रिपदी मौलिक हाइकु अज्ञेय ने नहीं लिखें यह भी एक तथ्य है।⁸

अज्ञेय से पहले सन् 50-51 में त्रिलोचन शास्त्री ने लगभग 100 हाइकु 'हक' शीर्षक से रचे थे।⁹

सन् 1978 में डॉ० वर्मा ने दिल्ली में भारतीय हाइकु क्लब की स्थापना की और 'हाइकु' नाम से एक त्रैमासिक अंतर्देशीय पक्ष भी प्रकाशित किया। इस पक्ष ने दिल्ली एवं उसके आसपास के अनेक कवियों को हाइकु-लेखन की प्रेरणा मई सन् 86 में श्री शंभुदयाल सिंह सुधाकर ने 'त्रिशुल' नामक अंतर्देशीय पक्ष निकाला। जापानी नाम 'हाइकु' के स्थान पर हिन्दी के अनेक विद्वानों ने इस त्रिपदी काव्य को जिन विभिन्न नामों से विभूषित किया, उनमें एक

‘त्रिशुल’ भी हैं। यह पक्ष भी लगभग तीन वर्ष चला। डॉ० प्रभा शर्मा ने अपने शोध-प्रबंध में लिखा है— अनियमितकालीन पक्ष त्रिशुल में नियमित रूप से लिखने वाले कवि हैं— “कमलेश भट्ट, ‘कमल’ रामनिवास पंथी, अहमद खॉं, ‘राना’ जवाहर इन्दु, गोविन्द नारायण मिश्र, राम सागर शुक्ल, प्रमोद वर्मा, सुशील द्विवेदी, विजयमित्र ‘परिमल’ तथा रमण आदि।¹⁰

इस समय हिन्दी, गुजराती, भोजपुरी, मालवी, जापानी आदि विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के पचास से अधिक हाइकु संग्रह एवं संकलन हैं। यहाँ हिन्दी हाइकु के विकास के इतिहास का परिचय देने के लिए, केवल हिन्दी के हाइकुकारों की रचनाओं का विवेचन प्रस्तुत है—

सन् 1965 में डॉ० भगवतशरण अग्रवाल गुजराती हाइकुओं के अनुवाद के माध्यम से इस क्षेत्र में आये। सन् 1967 में उनका प्रथम हाइकु छपा संयोग से हिन्दी के प्रथम हाइकु-संग्रह के प्रकाशन का श्रेय भी उन्ही का प्राप्त हुआ। इससे पहले अनेक पत्र-पत्रिकाओं में उनके हाइकु छप चुके थे।

डॉ० प्रभा शर्मा अग्रवाल जी के हाइकुओं के सम्बन्ध में अभियत है कि श्वस्तुतः डॉ० अग्रवाल के के हाइकुओं में विषय-वैविध्य के साथ-साथ बिम्बो की सघनता वर्णों की स्वराणुपता, सानुप्रासिकता और लयात्मकता का अद्भूत संयोजन है¹¹

डॉ० सुद्या गुप्ता हाइकु-लेखन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं आपके तीन हाइकु-संग्रह ‘खुशबु का सफर’ (1986), ‘लकड़ी का सपना’ (1989) और ‘तरु देवता, पाखी पुरोहित’ (1997) में प्रकाशित हुए हैं। डॉ० सुद्या गुप्ता के हाइकुओं में प्रकृति के चित्रों का प्राधान्य है।

डॉ० प्रभा शर्मा का अभिमत है कि सुद्या गुप्ता ने ‘प्रकृति’ की नाना छवियों, उसके बहुवर्णों रूपों का संश्लिष्ट और मनोमुग्धकारी चित्रण उनकी रचनाओं में हुआ है। षट्त्रयु-वर्णन और आरह मासो के अन्तर्गत कवियत्री ने प्रकृति के बदलते हुए रूपों का तटस्थ और यथारूप चित्रण किया है।¹²

मेरठ की डॉ० शैली रस्तौगी के अब तक पांच हाइकु संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ‘प्रतिबिम्बित तुम’ (1998), ‘सनाटा खिचें दिन’ (2001), ‘दुख तो पाहुने हैं’ (2001), ‘बांसुरी है तुम्हारी’ (2003), ‘अक्षर हीरे मोती’ (2003)

डॉ० प्रभा शर्मा ने शैली रस्तौगी के हाइकुओं के सम्बन्ध में लिखा है कि — ‘हाइकु’ के भावबोध की मूल-चेतना को आत्मसात् करके 17 अक्षरीयवर्ण-विधान में प्रकृति-दर्शन, जीवन और जगत की नान छवियों दृश्य-विधानों वैचारिक मान्यताओं एवं सामाजिक विसंगतियों का वैविध्यपूर्ण एवं कलात्मक चित्रण एवं स्पष्टीकरण डॉ० शैली रस्तौगी के हाइकुओं में बड़ी ही बारीकी और बेबाकी से हुआ है।¹³

डॉ० अग्रवाल ने शैली जी के हाइकुओं के सम्बन्ध में लिखा

है कि “सरल, सहज, रोजमर्रा की घरेलु भाषा में व्यक्त शैली जी की विविध भावोर्मियों की विभिन्न भंगिमाओं में, नित्य-प्रति के जीवन में प्रयोग में आने वाले बिम्बो और प्रतिको का साम्राज्य है।”¹⁴

रायबरेली के डॉ० गोविन्द नारायण मिश्र का हाइकु संग्रह ‘त्रिवेणी’ शीर्षक से 1986 में प्रकाशित हुआ था। त्रिवेणी के हाइकुओं का विषय में डॉ० वर्मा ने अपने अभिमत में लिखा है— “त्रिवेणी हाइकु में नया प्रयोग है। सचमुच गागर में सागर। भाषा सरस और सरल, हाइकु के रूपाकार के अनुकूल। लय और अनुप्रास के गुणों से युक्त। सभी हाइकु तुकान्त हैं। हर हाइकु अपनी लघुता में पूर्ण हैं।”¹⁵

बम्बई के प्रसिद्ध कवि डॉ० मनोज सोनकर का प्रथम हाइकु-संग्रह ‘चितकबरी’ शीर्षक से सन् 1992 में और दूसरा ‘खुर्दबीन’ शीर्षक से सन् 1999 में प्रकाशित हुआ। मनोज सोनकर के हाइकुओं में सामाजिक चंतना के स्वर स्थान-स्थान पर मुखरित हुए मिलते हैं। ‘खुर्दबीन’ के फ्लैप पर दिए विचार, मनोज सोनकर के हाइकुओं के कथ को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। “उनकी काव्य चेतना में विविधता है और यह विविधता ही उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इस विशेषता के रिरण उनकी कविताओं को किसी एक विशेष घेरे में कैद करना मुश्किल है। वे प्रगतिशील भी हैं, सामाजिक चिंतक भी हैं, प्रकृति प्रेमी भी हैं और आन्तरिकता के चितेरे भी हैं।”

सन् 1999 में पाँच हाइकु संग्रह प्रकाशित हुए। उनमें रामनिवास पंथी का वर्तमान की आंखें, सीमित हाइकु संख्या में अवधि, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला अनुवादों के साथ प्रकाशित हुए।

हिन्दी
बसंत आया
नया नया जीवन
हुलस आया। 16

बंगला अनुवाद
एलो बोसन्तो
नोतून जीबोन
छेड़िये गेछे।

डॉ० स्वर्ण किरण का नाम हिन्दी में अनजाना नहीं है। एक कुशल प्राध्यापक, अनेक शोध ग्रन्थों के निर्देशक, कवि, कहानीकार, सम्पादक आदि के रूप में वे विख्यात हैं। उनका ‘संताप’ शीर्षक हाइकु-संग्रह भी इसी वर्ष निकला था। हिन्दी काव्य के क्षेत्र में, विशेषकर राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में डॉ० दयाकृष्ण विजयवर्गीय ‘विजय’ लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार हैं अनेक काव्य-संग्रहों के रचियता, अनेक पुरुस्कारों, सम्मानों से विभूषित, ज्ञानवृद्ध डॉ० विजय जी के हाइकु ‘हाइकु-भारती’ में प्रकाशित होते रहे हैं। नलिनीकांत हिन्दीतर प्रदेश अण्डाल से कविताश्री नामक पत्रिका को प्रकाशित करते हैं। वर्षों से वे हाइकु लिखे रहे हैं। हाइकु के साथ-साथ अपने हाइकु-गीत लिखकर अनेक सुधी पाठकों एवं समीक्षकों की प्रशंसा प्राप्त की है। नलिनीकान्त जी को कविता की

गहरी समझ है। रूढ़ी के राधेश्याम ने लगभग सवा दो हजार छन्दों में सम्पूर्ण रामायण लिखकर इस क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग किया है। उन्होंने हिन्दी के अतिरिक्त ब्रज, अवधी, संस्कृत, उर्दू आदि अनके भाषाओं में असंख्य हाइकुओं की रचना की है। जो विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हाइकु में पहलियाँ भी लिखी हैं। जैसे—

नैन हजार,
पीताश हाथ चार,
गज सवार,

डॉ० धन प्रकाश मिश्र ने प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित हाइकु लिखे हैं जो 'क्रान्तिमन्यु', वीणा, तथा नालन्दादर्पण में प्रकाशित हुए हैं। मेरठ के ही डॉ० सूरज ने अनियारेप्रसून में दर्शन, जीवन दर्शन तथा युगबोध से सम्बन्धित कुछ हाइकु लिखे हैं। उदाहरण देखिये—

सास सफरी	तेरे नमन
सागर मिलन की	अनियारे प्रसून
आस तड़पे	हँसं औ चुभें

इससे पूर्व अलीगढ़ के सुरेश कुमार की 'जैसे ओस कहानी' हाइकु-रचना सन 1991 में प्रकाशित हुई थी। जिसमें वर्तमान जीवन का संघर्ष, संत्रास तथा तनाव व्यक्त हुआ है। संसार की क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए सुरेश कुमार लिखते हैं—
दुनिया फानी,
लिखे फूल पै जैसे
ओस कहानी।

हिन्दी हाइकु-परम्परा पर सम्यक दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि इसका जन्म अज्ञेय की रचना 'अरी ओ करुणा प्रभामय' से होता है कि परन्तु उसके शास्त्रीय विधान—सम्मत रूप— शिल्प की त्रुटिहीन लेखन—परम्परा सन् 1970 के बाद प्रारम्भ होती हैं आठवां और नवां दशक हाइकु-रचना का उत्कर्षकाल है। इसमें अज्ञेय, श्रीकान्त वर्मा, सावित्री डागा आदि की रचनाएँ हैं जिसमें मूलतः जापानी हाइकु शैली का अनुकरण है और उनके अनुवाद की चेष्टा है। वर्तमान में हाइकु साहित्य की अबाध परम्परा विकासमान है और हिन्दी ही नहीं, भारत की लगभग सभी भाषाओं में हाइकु का प्रभूत मात्रा में लेखन हो रहा है। आज हिन्दी हाइकु ऋतु और प्रकृति तक ही सीमित नहीं है वरन् उसमें एक व्यापक चेतना का भी समावेश हुआ है। आज के हिन्दी के हाइकु में मिथक है और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं, विडम्बनाओं के चित्र है। सामाजिक परिस्थितियों के प्रति आक्रोश है। प्रेम की सूक्ष्म संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है परिवार, चौपाल, गँव, तालाब आदि के मूर्त दृश्य है तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के लुभावने एवं वेदनाजनक चित्र भी है। संक्षेप में आज का हिन्दी हाइकु जन्म से मृत्यु तक के कार्य व्यापारों

को अपने में सुक्षात्मक रूप में समेटे हैं।

सन्दर्भ:—

1. हाइकु भारती पृ० 27 अंक 12 जनवरी— मार्च, 2001
2. द्रष्टव्य जापानी हाइकु और आधुनिक हिन्दी कविता पृ० 15
3. जापानी हाइकु और आधुनिक हिन्दी कविता पृ० 15
4. वही० पृ० 42
5. वही० पृ० 86
6. डॉ० भगवतशरण अग्रवाल—हाइकु भारती पृ० 29—30, अंक जनवरी—मार्च 2001
7. डॉ० प्रभा शर्मा, हिन्दी हाइकु कविता: परम्परा, प्रयोग, पृ० 25
8. डॉ० सत्यभूषण वर्मा, जापानी हाइकु और आधुनिक हिन्दी कविता पृ० 90
9. डॉ० प्रभा शर्मा, हिन्दी हाइकु कविता: परम्परा ओरा प्रयोग पृ० 43
10. वही० पृ० 37
11. द्रष्टव्य, हिन्दी हाइकु कविता: परम्परा और प्रयोग, पृ० 37
12. डॉ० प्रभा शर्मा, हिन्दी हाइकु कविता: परम्परा और प्रयोग पृ० 38
13. वही० पृ० 39
14. डॉ० भगवतशरण अग्रवाल, हाइकु भारती, शरदांक 11, अक्टूबर—दिसम्बर 2000
15. हाइकु पत्र, सम्पादक डॉ० सत्यभूषण वर्मा अंक 14 अक्टूबर 1981
16. सम्पा० डॉ० भगवतशरण अग्रवाल, हाइकु भारती, जनवरी—मार्च 2001

डॉ० हेमलता

हिन्दी व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय जाटौली, हेलीमण्डी
गुरुग्राम (हरि.) — 122504



सारांश

स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। स्त्री के संसर्ग में रहकर ही पुरुष सभ्यता से जुड़ पाया है। वस्तुतः बिना नारी के समाज एवं पुरुष दोनों का ही अस्तित्व नहीं हो सकता। यही कारण है, जिससे स्त्री को धात्री कहा जाता है। तब भी नारी अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत है।

स्त्री अस्मिता से अभिप्राय स्त्री के स्वयं के अस्तित्व एवं पहचान से है। नारी आज भी संघर्षरत है। नारी और उसकी अस्मिता के बीच में अनेक धार्मिक, सामाजिक बन्धनों का एक पुंज खड़ा है, जो जन्म से मृत्यु तक उसकी राह दुष्कर बनाता है। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के नाम पर नारियों को वैवाहिक सम्बन्धों एवं पारिवारिक रिश्तों में इस तरह जकड़ दिया जाता है कि वह अपनी निजी इच्छाओं को छोड़कर अपने अस्तित्व को भूलकर अपनी जिन्दगी व्यतीत करने पर मजबूर हो जाती है। यही कारण है कि समाज में नारियों को माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में ही पहचाना जाता है, न कि उसकी अपनी अर्जित पहचान से। वर्तमान समय में अपनी खुद की पहचान के प्रति सचेत नारी ने इस मुकाम तक आने के लिए एक लम्बा संघर्ष किया है और आज भी कर रही है।

इक्कीसवीं सदी के आरम्भिक दशकों की कहानियाँ स्त्रियों के आत्मबोध, आत्मविश्लेषण एवं आत्माभिव्यक्ति के संघर्ष को चित्रित करती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस समय की कहानियों में स्त्रियों में रूढ़ हो चुकी मान्यताओं, परम्पराओं को लेकर असन्तोष का भाव है और इन सबसे मुक्ति की आकांक्षा है। इस दौर की नारियों में पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदण्डों, मूल्यों और अन्तर्विरोधों को पहचानने और समझने की अन्तर्दृष्टि है। इस दौर की कहानियों में चित्रित नारी अपने वजूद और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उसे दूसरों से माँगना या उन पर निर्भर रहना कतई मंजूर नहीं है। ये 'स्व' का भाव हर वर्ग और उम्र की नारी का अनिवार्य गुण बनता जा रहा है। किसी से याचना करना नारी के सम्मान के विरुद्ध है। जैसे कहानी "मैं खिलौने बेचूँगी" की सुखली, जो बाप की असमय मृत्यु और दो छोटे भाईयों और माँ की जिम्मेदारियों के लिए किसी से याचना करना अपने सम्मान के विरुद्ध मानती है, जिसमें कर्मठता का गुण कूट-कूट कर भरा है, वो अपने लड़की होने को लेकर अपनी बीमार माँ की चिन्ता को व्यर्थ मानकर हर एक परिस्थिति का सामना निडरता और साहस से करती है। "काका ! सब ठीक हो गया है। मैं बस अड़्डे के दरवाजे के बाहर

टाट-पट्टी बिछाकर मूर्तियाँ और खिलौने बेचूँगी। काका मैं दो पैसे कमाऊँगी तो सबको दे दूँगी, नहीं तो ठेंगा। हाँ ! मैं डरने वाली नहीं हूँ।",

नारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी निरन्तर अपने कदम आगे बढ़ाये हैं। ना तो नारियों ने आर्थिक स्तर पर हार मानी और ना ही भावात्मक स्तर पर। बल्कि, जिन रिश्तों में नारियों को सम्मान और कद्र नहीं मिली, उन सबको छोड़कर नारियाँ निरन्तर आगे बढ़ी हैं। सम्मान और स्वाभिमान की ये भावना आज सम्पूर्ण नारी जाति में विद्यमान है। नारियाँ इस तथ्य से भली-भाँति परिचित हैं कि उनका जीवन परिश्रम और कर्मठता से ही चल सकता है। कहानी 'एकदम चंगे' में चित्रित विस्थापित शरणार्थी स्त्रियों में व्याप्त स्वाभिमान की भावना ही तो है, जो उन्हें अपनी जरूरत के लिए किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाने देती—

"बहन जी ! बड़ी मेहरबानी आपकी ! पर हुण कि करां ?मैन्ने कसम खाई है, मुफ्त का न लेणे का, आप मैनु माफ किता, पण मैं ये रक्ख ना सकदी। आप कोई काम मुझसे करवा लेणा, तो मैं भी कुछ सामान ले लेवाँगी। पैसे भी ले लेवाँगी।",

ये नारी जाति में व्याप्त अस्मिता का भाव ही है, जो नारी को किसी के ऊपर आश्रित रहकर बोझ बनना नहीं अपितु स्वयं को सक्षम बनाना सिखाता है। इस दौर की कहानियों में चित्रित नारी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी है, उसे ये बात स्वीकार्य नहीं कि कोई पुरुष उसके ऊपर अपने पैसे खर्च करके उसके स्वाभिमान को आहत करे या अपनी पुरुषवादी सोच व प्रवृत्ति को तुष्ट करे। जैसे ही कोई पुरुष नारी व उसके वजूद को कम करके अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयास करता है तो वह सचेत हो जाती है और अपनी अस्मिता पर हो रहे प्रहार को पुरजोर तरीके से रोकती है और अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को दर्शाती है। कहानी 'वैलेन्टाइन-डे' की नायिका की यही चारित्रिक विशेषतायें हैं—

"मुझे यह अपमानजनक लगता है कि कोई पुरुष मेरे ऊपर पैसे खर्च करके अपनी श्रेष्ठता साबित करे।",

सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं इस समय की नारियों ने भावात्मक स्तर पर भी अपने आपको श्रेष्ठ साबित किया है। एक तरफ परम्परागत समाज है, जो नारी को परम्पराओं और मर्यादाओं के दायरे में रोककर उनके अस्तित्व को बाँधने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी तरफ नारियों ने ना केवल अपने आपको स्थापित किया है। अपितु समाज और परिवार को भी सम्बल दिया है। सिर्फ अपनी

रक्षा, आत्मनिर्भरता ही नारी जीवन का ध्येय नहीं, बल्कि दूसरों को भी मदद करना, उनके लिए भी संसाधन जुटाना, कमजोरों की सहायता करना, नारी के जीवन का मकसद है। भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सम्पन्नता और वैभव का जीवन छोड़ना ही क्यों ना पड़े। जैसे कहानी “मेरी ऐन” की मैरीऐन जो भव्यता से भरा जीवन त्यागकर आम जन-जीवन के दुःख और तकलीफों को दूर करने में स्वयं को झोंक देती है—

“पर करुणा का मूर्तिमन्त रूप बनी मेरीऐन की आँखें और चेहरा देखकर मुझे मृत ईसा को गोद में लिए हुए रोती मरियम का सेंट पीटर्स वाला चेहरा याद आ गया।”⁴

अस्मिता की ये भावना नारियों में सामूहिक रूप से आई है। इस दौर में चित्रित नारी ने स्वयं के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण नारी जाति के आत्मसम्मान के रक्षार्थ आवाज उठायी है। इसके लिए भले ही नारियों को अपने खून के रिशतों के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। स्वाभिमान और अस्मिता के लिए नारियों ने इस अग्नि परीक्षा को भी सफलता पूर्वक पार किया है। सुखद बात यह भी है कि ये भावना सिर्फ शहरी और शिक्षित नारी की ही नहीं अपितु अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश से जुड़ी महिलाओं में भी है। जैसे ‘शिवमूर्ति’ की कहानी ‘कसाईबाड़ा’ की फूल कुमारी मास्टराईन हो या जमींदारिन, इन सभी में अस्मिता और स्वतंत्रता का भाव समान रूप से है। ये सभी नारी पात्र सत्-असत्, नैतिकता-अनैतिकता, सही-गलत के बीच अन्तर समझने वाले हैं, जबकि इनके पति इन जीवन-मूल्यों को अपने स्वार्थवश भूल चुके हैं। तब भी ये नारियाँ स्वाभिमान और स्वत्व की भावना से युक्त हैं और दोनों ही तरह की स्त्रियाँ अपने पतियों के स्वार्थी कर्मों के लिए उन्हें धिक्कारती हैं। अनपढ़, किन्तु दयालु और नारीत्व के गुणों से युक्त जमींदारिन के ये वाक्य नारी जाति के लिए भावों को व्यक्त करते हैं—

“ई गाँव लंका हैं। इहाँ लंकादहन होवेगा। रावन तू ही हो। तोहरे दूनों के चलते गाँव का सत्यानाश होवेगा लेकिन अब हम एहि घरे मा ना रहब।”⁵

ठीक इसी प्रकार से मास्टराईन के भी नारी जाति के लिए भाव हैं, जिसमें वो अपने पापी पति को धिक्कारती है।

“तुम लोग कसाई हो। सारा गाँव कसाईबाड़ा है। मैं नहीं रहूँगी इस गाँव में। वह हाथ झटककर आँगन में आ जाती है।”⁶

नारी की अस्मिता और विश्वास पर इस तरह की चोट और शोषण को परिवेश की सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता। इस तरह की घटनायें नारियों के साथ अपने-पराये, घर-बाहर हर जगह होती हैं और नारियों ने इस तरह की घटनाओं का सामना अत्यन्त बहादुरी और संयम के साथ किया है और ये भाव हर तबके, हर वर्ग की महिलाओं में समान रूप से आया है। परिस्थितियों से जूझकर ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है, नारियों ने इस बात को चरितार्थ किया है। आधुनिक कहानियों में चित्रित नारी इस बात का प्रमाण है

कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विकट रही हों, हालत चाहे जैसे रहे हों, चाहे कोई साथ दे या ना दे या समाज, परिवार चाहे जितनी ही मार्ग में रूकावटें क्यों ना डाल दें, तब भी आधुनिक नारियों ने अपनी अस्मिता और स्वतंत्रता को बचाकर उसकी रक्षा करते हुए अपने व्यक्तित्व को नवीन आयाम दिये हैं। आज की नारी चुपचाप रहकर सबकुछ सहन करने की अपेक्षा अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए प्रतिकार करना जानती है। ये एक सकारात्मक परिवर्तन है, जिस कारण से निश्चित तौर पर समाज में भी परिवर्तन आयेगा। आधी आबादी जो कि नारियाँ हैं, वो निश्चित तौर पर समाज, परिवार को सकारात्मक बदलाव की राह पर चलायेंगी।

बदलते परिवेश और बढ़ती साक्षरता दर के कारण नारी जाति में चेतनता के आ जाने से नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। अब उनके बढ़ते कदमों को ना तो उन्हें डरा-धमका कर रोका जा सकता है और ना ही उन्हें भावुकता में बहा कर ठगा जा सकता है। नारी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि समाज में सम्मान से जीने के लिए भौतिक साधनों, धन-सम्पत्ति की भी आवश्यकता है। जैसे शिवमूर्ति की कहानी ‘कुच्ची का कानून’ की सुगरा जिसे अच्छी तरह से पता है कि किसी भी नारी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना ही पड़ेगा और इसी कारण से वो अपनी सम्पत्ति को अपने जीते-जी अपने भतीजे को नहीं दे सकती।

“सुगरा ने भी साफ कह दिया कि जीते-जी अपना हाथ नहीं कटा सकती, जो मेरा है, वह मरने के दिन तक मेरा रहेगा।”⁷

नारियों ने धन की महत्ता को समझकर ही यह जाना है कि बिना धन के सम्मान से जीना कितना मुश्किल है, किन्तु ऐसा नहीं कि धन एकमात्र साधन है, जिसके बल पर वो सम्मान से जी सकती हैं, किन्तु ऐसा भी नहीं है कि धन की प्राप्ति ही नारी जाति का एकमात्र निमित्त हो। वरन् नारी जाति को यह बात स्मरण है कि परिश्रम और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नारी परिश्रम के मार्ग का सदैव अनुसरण करती है। इच्छाओं, धन-वैभव, सुख-सुविधाओं के स्थान पर त्याग के मार्ग का चयन करती हैं। ऐसी भावना का जो, नारी को भोग के स्थान पर त्याग, पाने के स्थान पर खोने के मार्ग को सुझाती है, का लोहा इन कहानियों के पुरुष पात्र भी मानते हैं। कहानी ‘अर्चना का जवाब’ की अर्चना उभरते बाजारवाद के विरुद्ध एक नारी की अस्मिता की कहानी है। जहाँ पर पति के लिए झूठी शान, दिखावे की प्रवृत्ति, शान-शौकत के सामान या आधुनिक साज-सज्जा और सामान जरूरी हैं, वहीं पर अर्चना के लिए इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक नारी का सम्मान और इज्जत। अपने पति की इस आदत का सामना अर्चना बेहद समझदारी और दृढ़ता के साथ करती है, वो इन सब सामानों को वापस भिजवाकर उसके स्थान पर सादगी और सम्मान से अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाती है और उसकी इसी बात को सोसायटी के

पुरुष भी सराहते हैं—

“अर्चना मात्र एक औरत नहीं है, प्रशांत। घरों को बाजारू बनाते बाजार का जवाब है। अस्मिता को अर्थ देता नाम है।”

आज के दौर की कहानियों में चित्रित नारी का संघर्ष केवल अपने लिए ही नहीं अपितु वो भावी पीढ़ी के लिए भी है। नारियों का अस्मिता विषयक संघर्ष अगली पीढ़ियों का भविष्य सँवारने के लिए है। कहानी ‘पोस्टमार्टम’ की सुमेधा और उसकी माँ, दोनों ही परिस्थितिवश एक ऐसी दशा में फँस जाते हैं, जिसमें दोनों ही की इच्छाएं, सपने, सबकुछ दौब पर लगा है। एक दुर्घटना में सुमेधा के पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त सभी रिश्तेदार इन दोनों माँ-बेटियों पर दबाव बनाते हैं कि वो सबकुछ छोड़कर गाँव जाकर रहें, नहीं सुमेधा की पढ़ाई छुड़वा दे और कुछ समय बाद उसका विवाह करा दें। भावुकता एवं दुःख की इस घड़ी में रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक सत्ता के विरुद्ध सुमेधा की माँ का विरोध अपनी बेटी, भावी पीढ़ी की नारी के लिए एक आधुनिक नारी का संघर्ष है, जो एक छोटी बच्ची के सुखमय भविष्य के लिए आवश्यक था। आज भी एक माँ को अपनी बेटी की शिक्षा एवं उसके सुखद भविष्य के लिए घर, परिवार, रिश्तेदारों एवं समाज से मुखर होकर विरोध करना पड़ता है—

“बाबू जी मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊँगी, उनकी इच्छा उसे डॉक्टर बनाने की थी। उसने अपना निर्णय बता दिया। क्या ?ससुर, जेठ, देवर, भाई सब अवाक् रह गये थे।”

नारियों को अपने सम्मान के लिए घर की चार दीवारी से लेकर बाहरी दुनिया तक हर एक रूढ़िवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। घर के बाहर की दुनिया में नारियों के बढ़ते कार्य क्षेत्र, उनकी बढ़ती समस्याओं ने उन्हें और अधिक दृढ़ और पारंगत बनाया है। आर्थिक स्वावलम्बन के कारण आज नारियाँ ना सिर्फ घर को सम्भाल रही हैं, अपितु वे व्यवसाय, नौकरी या अन्य आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से नारियों का शोषण करने की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। कुछ कुत्सित मानसिकता के व्यक्तियों के लिए नारियों की कार्य-कुशलता, उनका कठिन परिश्रम, निष्ठा कोई मायने नहीं रखती। ऐसे व्यक्ति नारियों के मार्ग में पग-पग पर अड़चनें पैदा करते हैं। स्वाभिमानी नारी ऐसे व्यक्तियों या मुश्किलों से नहीं डरती, बल्कि डटकर इनका सामना करती है। जैसे कहानी ‘चुनरी में दाग’ की नायिका अंतिका।

“अरे नहीं ———” न हाथ रखने देती है, न गिफ्ट-शिफ्ट ——— दीवाली पर भी मिठाई नहीं ——— मैं क्यूँ करूँ, इसका काम ?कोई कारण तो हो।”

नारियाँ अपने सम्मान और अस्मिता की जो लड़ाई लड़ रही है, वो यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुरूप अस्मिता के अर्थ बदलते रहेंगे और निश्चित तौर पर ये लड़ाई भी चलती रहेगी। इन सब में सुखद बात है कि नारी जाति

अपने अधिकारों और युगानुरूप परिवर्तनों के प्रति सचेत और जागरूक है, जो निश्चित तौर पर आशान्वित करने वाला है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. यादवेन्द्र शर्मा, वाह किन्नी वाह, वाणी प्रकाशन, 21ए, दरियागंज, नई दिल्ली, 2009, पृष्ठ 21.
2. कुसुम खेमानी, सच कहती कहानियाँ, राधा कृष्ण प्रकाशन, 7/31, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 109.
3. क्षमा शर्मा, नेम प्लेट, राजकमल प्रकाशन, 1बी, नेताजी सुभाष चन्द मार्ग, दिल्ली, 2010, पृष्ठ 49.
4. कुसुम खेमानी, सच कहती कहानियाँ, राधा कृष्ण प्रकाशन, 7/31, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ 94.
5. शिवमूर्ति, केशर कस्तूरी, राजकमल प्रकाशन, 1बी, नेताजी सुभाष चन्द मार्ग, दिल्ली, 2015, पृष्ठ 21.
6. वही, पृष्ठ 23.
7. शिवमूर्ति, कुच्ची का कानून, राजकमल प्रकाशन, 1बी, नेताजी सुभाष चन्द मार्ग, दिल्ली, 2016, पृष्ठ 115.
8. सीमा ओझा, (सं0) आजकल, पटियाला हाऊस, मार्च 2018, पृष्ठ 43.
9. आनन्द सुमन सिंह, (सं0) सरस्वती सुमन, 2006, पृष्ठ 65.
10. हरिनारायण, (सं0) कथादेश, मई 2018, पृष्ठ 49.

रेनू पत्नी संदीप धीमान

3/3596, कपिल विहार,

निकट विश्वकर्मा चौक,

पेपर मिल रोड, सहारनपुर।

मो0— 9760453548, 9760519548

शोध निर्देशक

राकेश चन्द्र

एस0 प्रो0

(हिन्दी-विभाग)

जे0वी0 जैन

(पी0जी0)

कालैज, सहारनपुर

(उ0प्र0)



सारांश:-

हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल का उदय मोटे तौर पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने सन् 1843 ई. से माना है। प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। सन् 1857 में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। अंग्रेज सरकार के दमनात्मक रवैये ने देश की मनीषा को झंकझोर दिया और कवियों को यह आवश्यकता महसूस होने लगी की वे देश की जनता को अंग्रेजी शासन की अच्छाई – बुराई के बारे में देशवासियों को बतावें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, गाँधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता द्वारा किए गए विविध संघर्षों के परिपेक्ष्य में ही आधुनिक काल के साहित्य को देखा दृ परखा जाना चाहिए।

भारतेंदुजी के नाटकों में देश के गौरव पूर्ण अतित की झांकी है, तो कहीं समाज – सुधार की भावना है। कहीं वे अपनी संस्कृति की उज्ज्वल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेशाभीमान को अभिव्यक्ति देते हैं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नील – देवी, भारत – जननी और भारत दुर्दशा नाटकों की रचना की। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम व्यंग नाटिकाएँ हैं जबकि चंद्रावली नाटिका में मधुरा भक्ति को विषय बनाया गया है। देश प्रेम, हास्य-व्यंग एवं समाज-सुधार भारतेंदुजी के नाटकों का प्रमुख विषय हैं। अपनी रचनाओं से उन्होंने जनजागरण के रूप में अमूल्य योगदान दिया। हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन् 1857 ई. में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नवजागरण का विगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वस्वदेशाभीमान की भावनाएँ जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवम् विकसित हो गईं। डॉ. रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिन्दी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जन – जन तक पहुँचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा, मर्यादा पत्रिका को भी यह श्रेय जाता है।

ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अर्थ – नीति, शासन – व्यवस्था में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस की स्वतंत्रता वरदान सिद्ध हुई। पुनर्जागरण के लिए कार्यरत सामाजिक

नेताओं ने इसका भर पूरा लाभ उठाया। भारतेंदुजी के समय में प्रायः सभी प्रमुख साहित्यकार किसी न किसी साहित्यिक पत्र-पत्रिका से जुड़े थे। वे इनमें अपनी साहित्यिक रचनाओं के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं पर भी प्रकाश डालने वाले लेख लिखते थे। जनतांत्रिक मूल्यों का पोषण, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, राष्ट्रीयचेतना के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 'मुद्रण' ने साहित्यकार और समाज को एक दूसरे से वैचारिक स्तर पर जुड़ने का माध्यम प्रदान किया।

राजाराममोहन राय ने सन् 1828 ई. में "ब्रह्म समाज" की स्थापना की और कर्मकांड एवं अंधविश्वास का विरोध उपनिषदों के आधार पर किया। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा, सती प्रथा का डट कर विरोध किया। वे विधवा विवाह एवं स्त्री-पुरुष की समानता के भी पक्षधर थे। देवेन्द्रनाथ टैगोर एवं केशवचन्द्र सेन ने भी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। केशवचन्द्र सेन के प्रभाव से सन् 1857 ई. में "प्रार्थना – समाज" की स्थापना हुई जिसके प्रमुख उन्नायक महादेव गोविन्द रानाडे थे। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के प्रति वे निरंतर संघर्ष करते रहे। वे जाति-पांति के विरुद्ध थे और अंतरजातिय विवाह के समर्थक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की। जाति, लिंग एवं नस्ल के आधार पर मानव की समानता के वे प्रबल पक्ष धर थे। सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर आर्य समाज ने एक आचार संहिता बनाई। आर्य समाज का प्रचार मध्य वर्ग के बीच हुआ।

अंग्रेजी माध्यम के स्कूल : कॉलेजों की स्थापना ने भी भारतीय समाज को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मध्यकाल तक भावाभिव्यक्ति का एकमात्र साधन कविता थी, किंतु आधुनिक काल में भाव एवं विचार दोनों की अभिव्यक्ति के लिए गद्य विकसित हो गया। आधुनिक काल की मूल संवेदना के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा को रखा जा सकता है। राष्ट्रीयता और स्वाभिमान की भावनाएँ जो इस काल में विकसित हुईं, इसी का परिणाम मानी जा सकती हैं। एक ओर हम रूढ़िवादी परम्पराओं से मुक्ति हेतु छटपटाने लगे तो दूसरी ओर अपनी परम्परा से श्रेष्ठ जीवन मूल्य लेकर नवीन विचारों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़े। यही नवजागरण का स्वर हमें आधुनिक काल के साहित्य के केन्द्र में दिखाई देता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में चतुर्थ कालखंड को आधुनिक काल कहा गया है।

सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन् 1900 ई. से प्रारंभ हुआ तथा सन् 1903 ई. में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका सम्पादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। डॉ. रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक 'आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी जागरण' में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को पुष्ट किया है।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले अनेक कवि सामने आए जिनमें प्रमुख हैं मैथिलीशरण गुप्त, गोपालशरण सिंह, गयाप्रसाद शुल्क 'सनेही' और लोचनप्रसाद पाण्डेय आदि। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रजभाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवम् शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवम् 'सरस्वती' से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा 'शंकर' तथा राय देविप्रसाद 'पूर्ण'। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवम् स्वदेशी भावना से परिपूर्ण हैं।

एक कवि के रूप में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी का अभूतपूर्व योगदान:— 'भारत भारती' एवम् 'साकेत' जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म चिरगांव (झांसी) में 1886 ई. में तथा निधन 1964 ई. में हुआ। वे हिन्दी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। 'भारत भारती' का प्रकाशन सन् 1912 ई. हुआ जिसमें भारत के अति गौरव का गान है। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित हुई है। भारत भारती की रचना का एक नमूना यहाँ उद्धृत है।

क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कलिमा को भेंट दो स

निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो सस
मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जन मन को प्रेरित करने का स्तुल्य प्रयास किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखीं जिनमें प्रमुख हैं:—

1. जयद्रथ वध (1910 ई.)
2. भारत भारती (1912 ई.)
3. पंचवटी (1925 ई.)
4. झंकार (1929 ई.)
5. साकेत (1931 ई.)
6. यशोधरा (1932 ई.)
7. द्वापर (1936 ई.)
8. जय भारत (1952 ई.)
9. विष्णु प्रिया (1957 ई.)

इनके अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएँ ह:— रंग में भंग, सिद्धराज, पद्य प्रबंध, वैतालिक, किसान। इन्होंने तीन नाटक भी लिखे हैं जिनके नाम हैं:— तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ।

मैथिलीशरण गुप्त रामभक्त कवि थे। 'साकेत' रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशाद रूप से किया गया है। यह उनकी मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला रामकथा का उपेक्षित पात्र रही है। आठवें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। 'यशोधरा' गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित एक काव्य ग्रंथ है जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। गुप्त जी ने नारी की विवशता को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है—

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी स
आँचल में है दूध और आँखों में पानी सस

द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथूराम शर्मा 'शंकर', गया प्रसाद शुल्क 'सनेही', राम नरेश त्रिपाठी, राय देविप्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम एवम् भारत के अति गौरव गान किया गया है। नाथूराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है:—

देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा ।
प्रणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा ।।

गया प्रसाद शुल्क सनेही की कविताओं में भी देशभक्ति एवम् राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है यथा:—

जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है ।।

मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अति गौरव के भव्य चित्र अंकित किए। यथा:—

देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था ।
नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था ।।

राष्ट्र प्रेम की यह भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था, शायद इसी कारण सरकार ने 'भारत भारती' को जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृ भूमि में ही प्रभु के दर्शन किए हैं ।

करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की ।

हे मातृ भूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की ॥
रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नव युवकों को देश पर प्राण न्यौं छाव र करने का संदेश निम्न पंक्तियों में दिया:

सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर ।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निच्छावर ॥
देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असल त्याग से विलासित ।
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती हैं विकासित ॥

राष्ट्रकवि मैथली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं अतः उनके काव्य में द्विवेदी युगीन समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता, जन जागरण की प्रवृत्ति एवम् युगबोध विद्यमान है। उनकी कृति 'भारत भारती' में अतित के गौरव के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और परतंत्रता की बेड़ियाँ तोड़ने का आहवान है। इन्हीं कारणों से इस कृति को तत्कालिन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त उनके अन्य काव्य ग्रंथों में भी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी गई है।

मैथली शरण गुप्त जी ने 'स्वदेश संगीत' में उन्होंने परतंत्रता की घोर निंदा करते हुए भारत की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयास किया तो 'अनघ' में सत्याग्रह की प्रेरणा देते हुए राष्ट्र सेवा, राष्ट्र रक्षा, आत्मोसर्ग की भावनाओं का निरूपण किया। 'वकसंहार' में उन्होंने अन्याय दमन की प्रेरणा दी और 'साकेत' में स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाया।

इस प्रकार सच्चे अर्थों में गुप्त जी ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रप्रेम और समाज सुधार की प्रेरणा दी। गुप्त जी की मान्यता थी कि कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है अपितु वह लोक कल्याण की विधायक भी होनी चाहिए।

केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए ।
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥

गुप्त जी की 'भारत भारती' राष्ट्रीयता एवम् स्वतंत्र चेतना से ओत प्रोत ऐसी रचना थी जिस पर अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। इस रचना में उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए कहा—

शासन किसी परजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो ।
संभव नहीं है किन्तु जो सर्वांश में वह इष्ट हो ॥

भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों एवम् सत्याग्रहों की शक्ति का उद्घोष करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्र इन पंक्तियों में किया है:

अस्थिर किया टोप वालों को गांधी टोपी वालों ने ॥
शस्त्र बिना संग्राम किया है इन माई के लालों ने ॥

गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन साकेत में कुछ इस रूप में दिखाई पड़ता है:

जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहां ।
यों कह पथ में लेट गए बहुजन वहां ॥

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रकवि मैथली शरण गुप्त जी का हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में एक कवि के रूप में अविस्मरणीय एवम् अभूतपूर्व योगदान रहा है।

संदर्भ—ग्रंथः—

- 1 मैथिली शरण गुप्त रचनावली, सं.उर्मिला चरण गुप्त, चिरगांव, झांसी, 2001
- 2 हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा, सं.नंद किशोर नवल, साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1985
- 3 पथिक, मिलन, स्वप्न—राम नरेश त्रिपाठी, साहित्य मंदिर, सुल्तानपुर 1960
- 4 सरस्वती पत्रिका सं.आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 1918
- 5 हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य, रामचंद्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 1995

डॉ० जितेश्वर कुमार पाण्डेय

पूर्व सहायक प्राध्यापक

हिंदी विभाग

एस.आर.एम.विश्वविद्यालय,

दिल्ली एन.सी.आर.सोनीपत(हरियाणा)

चलभाष:9452511723

Email:jiteshwarpandey1@gmail-com

**सारांश :**

हिन्दी इस देश में व्यापक रूप में बोली जाने वाली भाषा है। भाषाविद् परमानंद पांचाल लिखते हैं कि 'यह एक ऐसी भाषा है, जो भारत में व्यापक रूप से अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।' 1 इस कारण यह मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा तो है ही। यहां के हर राज्य की अपनी-अपनी मातृभाषाएँ हैं, पर अधिकांश की संपर्क भाषा हिन्दी ही है। सामान्य रूप में माँ से सीखी गयी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। इसी कारण इसे पालने की भाषा से भी अभिहित किया जाता है। प्रख्यात चिंतक स्वामीनाथन अय्यर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि बच्चों के सीखने के लिए सबसे अधिक सहज और सरल भाषा वही है, जिसे वह अपनी माँ से सुनता है। भारत में बंगला, पंजाबी, उड़िया, मराठी, गुजराती, असमी, राजस्थानी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ उसी प्रकार मातृभाषाएँ हैं जिस प्रकार हिन्दी पट्टी के लिए हिन्दी। बड़ी बात यह कि किसी व्यक्ति की निजी पहचान भी उसकी मातृभाषा ही कराती है। यही कारण है कि बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और केरल में रहने वाले को आमतौर पर बंगाली, पंजाबी, मराठी, असमी, तमिल और कन्नड़ आदि कहते हैं। किंतु, मातृभाषा का प्रश्न वहाँ खड़ा हो जाता है, जहाँ बच्चे के माता-पिता भिन्न भाषा-भाषी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चे की माँ बंगला भाषी है और पिता गुजराती भाषी है, बच्चे का जन्म भी गुजरात में हुआ है और पालन-पोषण भी गुजरात में ही हो रहा है तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? वह बालक अपनी माँ से बंगला सीखता है और जन्मगत परिवेश से गुजराती सीखता है। चूंकि, उसकी मातृभूमि गुजरात है, परिवेश भी गुजराती है और माँ भी गुजराती सीख गयी होती है, ऐसी स्थिति में उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। मातृभाषा के रूप में इस सिद्धांत को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए।

विषय-प्रवेश :

मातृभाषा का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। प्रख्यात वैज्ञानिक श्री सी०वी०श्रीनाथ का यह मानना रहा है कि मातृभाषा के माध्यम से ज्ञानार्जन आसान होता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉ० अब्दुल कलाम ने अपने अनुभव के आधार पर कहा था कि मैं एक अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन सका क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा तमिल में प्राप्त की थी। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा था कि यदि

विज्ञान को जनसुलभ बनाना है तो अपने विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी होगी। भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश बौद्धिक और राजनेता अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए। वैसे लोगों की सूची में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश, बराक ओबामा से लेकर महात्मा गांधी, जगदीशचंद्र बसु आदि के नाम शामिल हैं। मातृभाषा के महत्त्व को देखते हुए पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 'यूनेस्को ने वर्ष 1999 में इसी दिन को मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की और अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति दी थी।' 2 इसका कारण यह है कि इसी दिन वर्ष 1952 में पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बंगलादेश) के कुछ युवकों ने अपनी मातृभाषा के लिए संघर्ष किया था और प्राणों की आहूति दी थी। तब पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे— पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय पाकिस्तान की सत्ता और शासन पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का कब्जा था। वे बंगला-भाषी पूर्वी पाकिस्तानियों पर मातृभाषा बंगला की जगह उर्दू थोपना चाहते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। उनके संघर्ष और आत्म-बलिदान के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अब विगत पचास-बावन वर्षों से एक स्वतंत्र देश का रूप ले चुका है। पहले यूनेस्को (1999) और बाद में संयुक्त राष्ट्र आमसभा ने वर्ष 2008 में इस भाषा आंदोलन के महत्त्व को समझा और फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। यही कारण है कि विश्व में भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को ही मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। माना जाता है कि पहली बार एक बंगलादेशी आप्रवासी कैनेडियन नागरिक रफीकुल इस्लाम ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर दुनिया से कुछ लुप्त होती हुई भाषाओं को बचाने और संरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का अनुरोध किया था और 21 फरवरी का प्रस्ताव रखा था। फलस्वरूप उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस तिथि को ही समय के अंतराल में मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। वैश्विक संस्था यूनेस्को का मानना है कि मातृभाषा के आधार पर बच्चों को इसलिए शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि अपनी मातृभाषा में वे कठिन से कठिन चीजों को भी सहजतापूर्वक सीख जाते हैं। इधर भारत की केन्द्रीय सरकार ने अपनी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा के प्रश्न पर अच्छी पहल की है और प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर

मातृभाषा में ही शिक्षा देने की घोषणा की है। किंतु, एक विडम्बना है कि दुनिया के विकसित देशों को छोड़कर अधिकांश देश भाषायी गुलामी का दंश झेल रहे हैं और उस दंश को भारत भी विगत 70-75 वर्षों से झेल रहा है। यह सच है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में महात्मा गांधी के साथ उनके अनुयायियों ने इस दंश को समझा था और उसे चुनौती दी थी। स्वतंत्रता के बाद राम मनोहर लोहिया और उनके जैसे राष्ट्रवादी नेता भी उस दंश के विरुद्ध चुनौती के रूप में खड़े थे, पर दुर्भाग्य कि उनकी असामयिक मृत्यु ने उस चुनौती पर पर्दा डाल दिया।

मातृभाषा की तरह ही हिन्दी विश्व के करोड़ों लोगों के लिए संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। वास्तव में संपर्क भाषा क्या है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा मानना है कि जब किसी क्षेत्र विशेष में कई भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस भाषा-विशेष के द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति के बीच संपर्क स्थापित होता है, उसे संपर्क भाषा (बदजंबज वधिजमत संदहनहमे) कहा जाता है। इसमें एक भाषा का व्यक्ति दूसरे भाषा के व्यक्ति से या एक प्रांत अथवा देश को दूसरे प्रांत या देश से संपर्क स्थापित करने के लिए उन्हें जिस भाषा-विशेष की आवश्यकता होती है, वह भाषा-विशेष ही संपर्क-भाषा है। इस दृष्टि से भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी व्यक्ति-व्यक्ति के बीच संपर्क सेतु का कार्य कर रही है। जिन क्षेत्रों में बहुभाषिकता की स्थिति नहीं होती, वहां संपर्क भाषा के लिए कोई जगह नहीं होती। किंतु, बहुभाषिक संस्कृति और समाजवाले देश में एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ती है जो दो भाषा-भाषियों के बीच संपर्क का कार्य करे।

भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है। यहां संवैधानिक मान्यता प्राप्त बाइस भाषाओं के अतिरिक्त सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं, जो आठवीं अनुसूची में नहीं हैं। इन सभी भाषाओं-बोलियों के बोलनेवालों के बीच हिन्दी एकमात्र ऐसी संपर्क की भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक लोकप्रिय है। इसी से यह स्वीकार किया जाता है कि 'हिन्दी का अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में उपयोग होता है।' 3 इतना ही नहीं नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और बंगला देश जैसे पड़ोसी देशों में भी हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में बोली जाती है और प्रतिनिधि भाषा के रूप में कार्य कर रही है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वहां भिन्न भाषा-भाषियों के बीच परस्पर संवाद के लिए हिन्दी सबसे अधिक पसंद की जाती है।

संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हजार वर्षों से चली आ रही है। अपने शोध सर्वेक्षण के आधार पर भाषाविद् परमानंद पांचाल लिखते हैं कि 'व्यापक क्षेत्र की संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी भाषा का अस्तित्व पुरातन काल से रहा है।' 4 इस कारण यह केवल अंतरभारतीय ही नहीं बल्कि उसका अंतरराष्ट्रीय रूप भी विकसित हुआ है। यूरोप हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो या हो आस्ट्रेलिया जैसे

देश या महादेश हिन्दी की वहां तक की पहुँच ने उसे वहाँ संपर्क भाषा का रूप दे दिया है। भारत के विशाल बाजार ने वहाँ के लोगों को आकर्षित किया है और अब हिन्दी विश्व-बाजार की भाषा हो गयी है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में वही भाषाएँ जीवित रहेंगी, जो बाजार की भाषाएँ होंगी। इस निकष पर देखें तो हिन्दी दुनिया की सबसे बड़े बाजार की संपर्क भाषा है।

आज हिन्दी भारत के हर कोने में बोली व समझी जाती है और भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क-भाषा का दायित्व निभा रही है। भारतीय भाषाओं के बीच हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत हो रही है। चाहे तमिलनाडु हो या केरल, आंध्र हो या कर्नाटक, महाराष्ट्र हो या गुजरात, उड़ीसा हो या असम-बंगाल या पूर्वोत्तर क्षेत्र ही क्यों न हो- संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी ने अपना परचम लहरा दिया है। देश के किसी भी कोने में हिन्दी को परस्पर भिन्न भाषा-भाषियों के बीच संपर्क-संवाद स्थापित करते हुए देखा जा सकता है। जहां आज से कुछ साल पहले तक भिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों के लोग एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते थे, हिन्दी ने उस दूरी को पाट दिया है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने लिखा है कि 'हिन्दी या हिन्दुस्तानी आज के भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा रिक्थ है। यह हमारे भाषा-विषयक प्रकाश का महत्तम साधन तथा भारतीय एकता व राष्ट्रीयता का प्रतीक रूप है। वास्तव में हिन्दी ही भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती है।' 5 उल्लेख्य है कि डा० चाटुर्ज्या बंगला भाषी थे, अंग्रेजी का भी सम्यक ज्ञान था। बावजूद इसके उन्होंने स्वीकार किया है कि पूरे देश के लिए यदि कोई संपर्कभाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही है। अन्य भारतीय भाषाओं का विकास प्रायः क्षेत्रीय भाषा या अपनी प्रांतीय राजभाषा के रूप में ही हुआ है। यह अवश्य है कि कुछ प्रांतीय भाषाएँ जैसे बंगला और तमिल ने खुद को बंगलादेश और श्रीलंका की राजभाषा के रूप में विकसित करके अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अवश्य ग्रहण कर लिया है पर उससे आगे वे नहीं बढ़ सके हैं।

बहु भाषा-भाषी देशों (यथा- रूस, भारत) के लिए संपर्कभाषा का विशेष महत्त्व है और ऐसे देशों में राष्ट्र की अखंडता के लिए संपर्क भाषा आवश्यक होता है गोकि, वहाँ एक से अधिक संपर्क भाषाएँ हो सकती हैं। भारत में ही हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। दो भाषा-भाषी देशों या प्रांतों के लोग तबतक आपसी संवाद नहीं कर सकते, जबतक उनके बीच कोई संपर्क भाषा न हो। हिन्दी पट्टी के लोग गैर हिन्दी भाषियों से संपर्क के लिए इस कारण प्रायः अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए हिंदी या अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती ही है क्योंकि दोनों भाषाओं की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है।

निष्कर्ष :

भारत बहु-संस्कृति, बहु भाषिक देश है। यहां भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, जैसी कई भाषा परिवारों की भाषा या बोली व्यवहार में है। हर राज्य/प्रांत की अपनी भाषा-बोली है। उत्तर भारत में हिन्दी के अतिरिक्त अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी समृद्ध भाषाएँ हैं और उनका समृद्ध साहित्य संसार है। इसी तरह पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया है तो मणिपुरी, अरुणाचली, मिजो जैसी कई बोलियां भी हैं। हालांकि, इन सभी राज्यों में हिन्दी संपर्क की भाषा बन चुकी है। इसी तरह दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली बोली जाती है। इन प्रदेशों में भी बहुत हद तक अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी भी संपर्क भाषा के रूप में व्यवहृत होने लगी है। इस तरह हिन्दी के अतिरिक्त सैकड़ों भाषाएँ हैं जो मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में इस देश में व्यवहृत हो रही हैं। हिन्दी ने हजारों वर्षों से बखूबी मातृभाषा के साथ-साथ संपर्क भाषा के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है और आज भी कर रही है। इसने इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का महत्तर दायित्व निभाया है। आज देश के कोने-कोने में संवाद-संप्रेषण के लिए हिन्दी संपर्क-सूत्र बनी हुई है।

संदर्भ :

1. पांचाल, परमानंद, हिन्दी भाषा : प्रासंगिकता और व्यापकता, हिन्दी बुक सेंटर, दिल्ली, 2016, पृ० 240.
2. पांचाल, परमानंद, हिन्दी भाषा : विविध आयाम, हिन्दी बुक सेंटर, दिल्ली, 2012, पृ० 45.
3. प्रसाद, विनोद कुमार, भाषा और प्रौद्योगिकी, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2008, पृ० 336.
4. पांचाल, परमानंद, हिन्दी भाषा : विविध आयाम, हिन्दी बुक सेंटर, दिल्ली, 2012, (प्राक्कथन), पृ० प.
5. चाटुर्ज्या, सुनीति कुमार, भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2000, पृ० 149.

विजय कुमार संदेश

प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग

मार्खम कॉलेज, हजारीबाग

झारखण्ड-825301 (भारत)

मो० : 9430193804

Email ID. : sandesh.vijay@gmail.com



सारांश

20वीं शती के भारतीय मनीषियों, विचारकों और दार्शनिकों में राष्ट्रपिता गांधी अग्रगण्य हैं। दुनिया को उन्होंने गांधीवाद जैसा विचार और दर्शन दिया तथापि वह ताउम्र कहते रहे गांधीवाद कोई वाद नहीं है। सन् 1936 में गांधी सेवा संघ के सदस्यों के समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है और मैं अपने बाद कोई वाद या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं किसी नये सिद्धांत की उत्पत्ति का दावा नहीं करता हूँ। इसके बावजूद पट्टाभि सीतारमैया, विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान (सीमांत गांधी), ठक्कर बापा जैसे विचारकों की दृष्टि में गांधीवाद विचारों का एक समूह है, जिसमें गांधी जी की जीवन-दृष्टि निहित है और उसमें एक विशिष्ट दर्शन भी समाहित है। अपने लगभग पचास-पचपन वर्षों के राजनीतिक-सामाजिक जीवन में गांधी जी ने अपने विचारों के ढेर सारे आंदोलन चलाये और उससे सम्बद्ध कई विचार भी दुनिया को दिये, जिसे आज गांधी-मार्ग या गांधी-दर्शन कहा जाने लगा है। अतः कहा जा सकता है कि गांधीवाद गांधीजी के जीवन-मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों और वैचारिक दर्शन का सम्यक रूप है, जिसे उन्होंने जीवन-पर्यंत जिया था। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतीय मनीषा में गांधीवाद या दर्शन उन विचारों, सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, जिसका तहे दिल से समर्थन गांधी जी ने अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में किया था।

विषय प्रवेश :

गांधीवादी दर्शन के बीज वर्ष 1893 के दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन में अंकुरित हुए थे और जिसका वास्तविक विकास भारत में गांधीजी के 1915 और उसके बाद के आंदोलनों में हुआ। गांधीवादी दर्शन के अध्येता प्रख्यात चिंतक श्री रामरतन का मानना है कि 'गांधी के लंबे सार्वजनिक जीवन में लाखों-करोड़ों लोग उनके संपर्क में आये और उनमें से अनेक को जीवन के विभिन्न चरणों में उनके निकट रहने और उन्हें निकट से देखने, सुनने और समझने का अवसर मिला।' इसी तरह उनका गांधीवादी दर्शन भी न केवल राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक है प्रत्युत् आधुनिक भी था, जिसमें पश्चिमी विचारकों यथा- सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, थोरो, रस्किन, टॉलस्टाय जैसे दार्शनिकों के मत शामिल हैं तो भारतीय चिंतनधारा के वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, बौद्ध, जैन ग्रंथों के सांस्कृतिक सत्व समाये हुए हैं। इन सब मतों के योग से जो गांधी-दर्शन तैयार हुआ है, उसके मूल में राष्ट्र-समाज और

जन-कल्याण सन्निहित है। इस गांधी-दर्शन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहां विश्व के कई विचारक मानव और मानव के बीच समता के लिए हिंसा आदि का आश्रय या समर्थन लेकर समानता स्थापित करने की बात करते हैं, वहां गांधीवाद अहिंसक मार्ग का आश्रय लेकर समानता स्थापित करने की बात करता है। इससे यह प्रतीति होती है कि विश्व में गांधीवाद ही एकमात्र दर्शन या विचार है जो मनुष्य को सत्य और अहिंसा के रास्ते राष्ट्र-समाज और व्यक्ति को बदलने का मार्ग दिखाता है। उल्लेख्य है कि अपने स्वाभाविक रूप में मनुष्य सद्गुणी है। यही कारण है गांधीजी मनुष्य के भीतर के सद्गुणों को बाहर लाकर मनुष्य और मनुष्य के भेद को मनुष्य की आत्मा व चिंतन में बदलाव लाकर आदमी से आदमी की दूरी की खाई को पाटना चाहते हैं।

विश्व-पटल पर आधुनिक युग के प्रथमार्द्ध में मनुष्य के पक्ष में पहली बार गांधी जी ने ही सत्य शब्द का प्रयोग परंपरागत अर्थ-संदर्भ के साथ-साथ नये अर्थ-संदर्भ के रूप में किया था। इसी से गांधी-दर्शन में सत्य को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। वे सत्य के दो रूपों की बात करते थे- एक, सापेक्ष या स्थूल सत्य और दो, निरपेक्ष या सूक्ष्म सत्य। गांधी जी की दृष्टि में सापेक्ष सत्य में मनुष्य का साक्षात्कार देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप होता है, जबकि निरपेक्ष सत्य काल व दिशा से परे हैं। अपने इन्हीं विचारों से उन्होंने आजादी के अपने संघर्ष में सिद्ध किया कि सत्य की सदा विजय होती है और हर मनुष्य के लिए सत्य का रास्ता ही सही रास्ता है। गांधीजी के सत्य की यह अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पर आधारित है, जिसमें वे दार्शनिक भाषा में कहते हैं कि सत्य वह शक्ति है जो अजर, अमर और अविनाशी है। उसका क्षरण नहीं हो सकता। इस पृष्ठभूमि में सत्य को उन्होंने उसके व्यापक रूप में स्वीकार किया है। यह उनके मनसा, वाचा और कर्मणा-तीनों में अंतर्भुक्त है। वे यह भी मानते हैं कि केवल 'सत्य वचन' ही संपूर्ण सत्य नहीं है, प्रत्युत् हमारे विचार, वाणी और कर्म में भी सत्य का सहभाग दिखना चाहिए। इसी से गांधी जी सत्य को ही मनुष्य का सर्वोच्च धर्म मानते थे और उनके सत्य-धर्म का यही दर्शन और सार भी है। उन्होंने सत्य को ईश्वर का पर्याय स्वीकार किया। ईश्वर ही सत्य है के सिद्धांत में आस्था रखने वाले गांधी जी ने 'सत्य ही ईश्वर' है कि सिद्धांत को माना और उसका प्रचार-प्रसार किया। गांधीजी का यह सिद्धांत या दर्शन विश्व मानव-समुदाय के बीच आज भी व्यापक रूप से द्योतित है।

सत्य की भांति ही गांधीजी अहिंसा को भी सर्वशक्तिशाली और सत्य की ही तरह अहिंसा को भी ईश्वर का पर्याय मानते थे। 'दार्शनिक दृष्टिकोण से ईश्वर के विषय में गांधी जी का कहना है कि ईश्वर एक जीवंत शक्ति है और हमारा जीवन उसी शक्ति से संचालित होता है।'2 उनकी दृष्टि में सत्य और अहिंसा उस ईश्वर तक पहुँचने का साधन है। इस अर्थ में वे तत्त्वदर्शी थे और उनके इस तत्त्व-दर्शन में अहिंसा के निषेधात्मक और विधायक (रचनात्मक) अहिंसा जैसे दो रूप थे। इन दोनों रूपों के मूल में 'हिंसा का त्याग' जैसा भाव अंतर्निहित है। उनकी दृष्टि में निषेधात्मक अहिंसा का अर्थ-वैशिष्ट्य इस रूप में था कि संसार में किसी भी जीवधारी का किसी भी रूप में कष्ट पहुँचाना वर्जित है। इसी तरह रचनात्मक अहिंसा का अर्थ सभी जीवों से प्रेम है जिसमें दया, मैत्री, करुणा, त्याग, आत्मपीडन आदि को महत्व प्राप्त है। गांधीजी निषेधात्मक अहिंसा के इतर भावनात्मक अहिंसा और मनोवैज्ञानिक अहिंसा की भी बात करते हैं। उनके अनुसार भावनात्मक अहिंसा में सत्य, प्रेम, करुणा का स्थान है इन सबके अभाव में निर्दोष अहिंसा नहीं हो सकती। भावनात्मक अहिंसा के लिए ये तत्त्व आवश्यक हैं। इसी तरह मनोवैज्ञानिक अहिंसा स्थितप्रज्ञता, हृदय की निष्ठा और विचारों का संतुलन है। गांधी जी के इस अहिंसा दर्शन में अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा का प्रतिकार नहीं प्रत्युत् क्षमा, शिष्टता और संवेदनशीलता जैसे मानवीय मनोभावों की जागृति भी है। इस तरह अहिंसा के परंपरागत अर्थ से इतर वे एक नये अर्थ का संकेत कर रहे थे, जिसमें अर्थ-विस्तार तो था ही, व्यावहारोपयोगी भी था। उन्होंने अपने इस मत से संसार के हिंसाग्रस्त मानव समाज को यह बतलाया कि अहिंसा से न केवल मनुष्य बल्कि राष्ट्र-समाज भी परिष्कृत होता है। अहिंसा से मानव-हानि को रोका जा सकता है और मानव-संस्कृति को रम्य व सुंदर बनाया जा सकता है। प्राणी जगत के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना ही अहिंसा का प्रथम लक्ष्य है। इसके पेटे में प्राणी-जगत की रक्षा व सहायता करना अहिंसा का सकारात्मक पक्ष है। अहिंसा की पृष्ठभूमि में यह अवश्य है कि वे तथागत बुद्ध और भगवान महावीर की अहिंसा से दूर तक प्रभावित थे पर अपने अहिंसा-दर्शन को उन्होंने व्यक्तिगत की जगह उसे सामाजिक और राजनीतिक तकनीक में परिवर्तित कर दिया और अपने राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रमों में खुलकर उसका उपयोग करने लगे। वैश्विक शांति और प्राणीमात्र की रक्षा के लिए अहिंसा की नीति को वे आवश्यक मानते थे। 'यह उनके लिए महामंत्र जैसा था।'3 अपने प्रयोगों से उन्होंने सिद्ध किया कि क्रूर से क्रूर हिंसा भाव का मुकाबला अहिंसा से किया जा सकता है।

अहिंसा को किसी भी रूप में वे दुर्बलता का पर्याय नहीं मानते थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कायरता व हिंसा में से अगर उन्हें किसी एक का चयन करना पड़े तो वह हिंसा को चुनेंगे।

वे आत्मरक्षार्थ हिंसा के भी पक्षधर थे। अपने आश्रम की बहनों के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि आवश्यकता पड़े तो दांत व नाखून से आक्रमणकारी की छाती विदीर्ण किया जा सकता है। बढ़ती हुई असहिष्णु हिंसा को वे प्राणी मात्र के अस्तित्व के लिए खतरा मानते थे।

गांधीजी की मान्यता थी अहिंसा केवल विचारधारा या दर्शन नहीं है बल्कि यह कार्य करने की पद्धति के साथ-साथ हृदय-परिवर्तन का साधन भी है। उनकी दृष्टि में 'अहिंसा ऐसी शक्ति है जिसे सभी साध सकते हैं।'4 यही कारण है कि अहिंसा उनके वैचारिक दर्शन का मूलाधार था। अहिंसा को अपना परम धर्म मानने वाले गांधी जी अपने राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलनों का मूल-मंत्र मानते थे। उनके इन्हीं गुणों से आकर्षित होकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा कहा था। गांधी जी के अहिंसा-दर्शन से प्रभावित और प्रेरणा लेकर विश्वजगत यदि विश्वासपूर्वक उनके अहिंसा दर्शन को अपनाये, पालन करे तो विश्व की कई समस्याओं का समाधान सहज ही हो सकता है।

अतः कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में गांधीजी केवल राजनीतिक नेता या विचारक नहीं थे बल्कि वे इससे कहीं आगे बड़े चिंतक और दार्शनिक थे। इसी के साथ ही, उच्च कोटि के समाज-सुधारक, सत्य शोधक, आध्यात्मिक साधक, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, लेखक-विचारक और बहुत कुछ थे। ये उनके दार्शनिक व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट पहलू हैं। बड़ी बात यह कि 'गांधीजी समग्र जीवन के व्यवहर्ता थे। इसलिए उनका दर्शन समग्र जीवन का दर्शन है।'5 मानवता की रक्षा के लिए सत्य और अहिंसा जैसे अमोघ अस्त्र उन्होंने दिये। अपने चिंतन और कार्य रूप से उन्होंने साधन की पवित्रता पर विशेष बल दिया, जिस पर उन्हें अटूट विश्वास था। साधन की पवित्रता भी ऐसी जिसकी आँच अग्नि जैसी हो। यही कारण है कि अपने प्रत्येक विचारों की सिद्धि के लिए उन्होंने 'सत्य और अहिंसा' जैसे कठिन साधनों को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में उन्होंने अपने कर्म और वचन से सत्य और अहिंसा के दर्शन का पूरी निष्ठा से पालन किया। गांधी जी के इस दर्शन का पालन विश्वजगत यदि विश्वासपूर्वक पालन करे, तो कई अनसुलझे सवाल सहज सुलझ सकते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी जिसमें युद्ध, हिंसा, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जैसे वृत्तियों ने स्थायी-भाव बना लिया है, गांधी विचार और दर्शन की आवश्यकता पूर्व की अपेक्षा अधिक महसूस की जाने लगी है। आज पूरी मानवता खतरे में है। व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में हो रही हिंसा-युद्ध और आग्नेयास्त्रों के बेहिचक प्रयोग से दुनिया पर प्राणीजगत के अस्तित्व और उसकी अस्मिता पर खतरा मंडरा रहा है। गांधीजी की विचारधारा पर चलकर उस खतरे को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष :-

आज के नाभिकीय युग में जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है गांधीजी के सत्य और अहिंसा-दर्शन की नितांत आवश्यकता है। एक छोटी-सी चिंगारी पूरी दुनिया के अस्तित्व को मिटा सकती है। आज विश्व में जितनी अशांति, युद्ध और हिंसा है उसकी काट केवल गांधीवादी दर्शन के सत्य और अहिंसा में है। एक देश का दूसरे देश के प्रति युद्ध का भाव हो, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति घृणा-द्वेष का भाव हो- उसका एकमात्र हल गांधीवाद में है। गांधीजी मानते थे कि हिंसा, द्वेष, युद्ध जैसे भावों से हानि केवल मनुष्य की है। इसलिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि गांधी-दर्शन की आज भी उतनी ही जरूरत है, जितना उनके अपने समय में थी। संक्षेप में कहें तो कह सकते हैं कि 'गांधीवाद का मानवीय पक्ष सभी पर भारी पड़ता है'।⁵ गांधी-दर्शन एक ऐसा विश्वास और हथियार है जिसके बल पर कमजोर से कमजोर देश या व्यक्ति बिना किसी हिंसा और हथियार के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है।

संदर्भ :

1. रतन, राम और शोभिका शारदा, महात्मा गांधी की राजनैतिक अवधारणाएँ, कलिंगा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 1992, पृ० 149.
2. मिश्र, ओंकारनाथ, गांधी एक अध्ययन, भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैजाबाद, 2013, पृ० 77.
3. सुदर्शन, हरिदास रामजी शेण्डे, गांधी विचार. साहित्यागार, जयपुर, 2011, पृ० 35.
4. शास्त्री, विष्णुकांत, महात्मा गांधी : अहिंसा का बल, गुरुकुल विद्यापीठ प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ० 164.
5. गुप्त, विश्वप्रकाश और गुप्त मोहनी, महात्मा गांधी : व्यक्ति और विचार, राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2006, पृ० 60.

डॉ० प्रमोद कुमार दास

सहायक प्रोफेसर,

दर्शनशास्त्र विभाग,

साहेबगंज कॉलेज, साहेबगंज, झारखण्ड

मो० : 9470186591

एस० के० एम० विश्वविद्यालय, दुमका

**सारांश :-**

छायावाद हिन्दी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है और पंत, निराला, प्रसाद एवं महादेवी इस युग के ऐसे कवि हैं जिनके अमूल्य योगदान से हिन्दी साहित्य को समृद्धि प्राप्त हुई है। छायावादी कवि चतुष्टय में महादेवी वर्मा, निराला, पंत एवं प्रसाद की गणना होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मुकुटधर पाण्डेय को छायावाद का जनक माना है। छायावाद काव्य का जन्म द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है। शुरुआत में छायावाद का प्रयोग व्यंग रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया (अर्थ) कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतिक्रियात्मक शैली में अभिव्यञ्जना की जाती थी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ई. से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों प्रसाद, महादेवी, पंत एवं निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आस-पास लिखनी शुरू की थीं। 1918 ई. में प्रसाद का "झरना" प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता "जूही की कली" 1916 ई. में प्रकाशित हुई थी। पंत के "पल्लव" की कुछ कविताएँ भी सन् 1918 में प्रकाशित हो चुकी थीं। प्रसाद जी की "कामायनी" 1935 ई. में प्रकाशित हुई तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन् 1936 ई. में हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा सन् 1936 ई. मानी गई है। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के बाद हिन्दी में हुआ।

छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं:-

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी दृष्टि से छायावाद के मूल रूप में पाश्चात्य रहस्यवादी भावनाएं जरूर थीं। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतो की रहस्यवादी साधना अवश्य थी।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल — छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझाना चाहिए पहला तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका

सम्बन्ध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात् जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यञ्जना करता है। छायावाद शब्द का प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है।

डॉ. रामविलास शर्मारू— छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन् थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्रज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्त्वाधान में हुआ था इसीलिए उसके साथ मध्यमवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है।

महादेवी वर्मा:— छायावाद तत्त्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीथ है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है।

डॉ. नागेन्द्ररू— छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है।

डॉ. राम कुमार वर्मा:— परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आलोक में छायावादी काव्य के निम्न लक्षण बताए जा सकते हैं:

(क) छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति रहती है।

(ख) छायावादी कविता प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति का काव्य है।

(ग) छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता रहती है।

(घ) छायावाद के शैली — शिल्प एवं अभिव्यञ्जना पद्धति में नवीनता है।

(ङ) छायावाद में स्वानुभूति कि प्रधानता है।

उपरोक्त लक्षणों के आधार पर छायावाद की एक सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है:-

प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की स्वानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यञ्जना लाक्षणिक एवं प्रतिक्रियात्मक शैली में जिस काव्य में होती है, उसे छायावाद कहा जाता है।

छायावादी काव्य की विशेषताएं

छायावादी काव्य विषय — वस्तु एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से अपने पूर्ववर्ती काव्य से अलग है। इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है:-

शृंगार निरूपण द्विवेदी युगीन कविता में शृंगार—निरूपण बहुत

कम हुआ है और जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप में ही है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्त अंकित किए। निराला ने "जूही की कली" नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया:

निर्दय उस नायक ने
निपट निटुराई की स
झोंकों की झाड़ियों से,
सुंदर सुकुमार देह,
सारी झकझोर डाली सस — निराला
पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण मन को पागल कर देता है :
"तुम मैं जो लावण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन
तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन स
नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षण?" —
पंत वियोग श्रृंगार की अति भव्य चित्र प्रसाद कृत "आंसू" में उपलब्ध होते हैं। प्रिया के वियोग से मन की विकलता कितनी तीव्र हो गई है, इसका उदाहरण निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता हैरू
झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नरिद माला स
पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ घेरा डाला प्रसाद
रो दृ रोकर सिसक दृ सिसक कर कहता है करुण कहानी
तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अंजानी सस —
प्रसाद कविवर पंत ने भी वियोग—व्यथा का मार्मिक वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वे तो यह मानते हैं कि कविता का जन्म ही वियोग व्यथा से हुआ होगा। उस प्रेमी की आहों ने ही कविता का रूप धारण कर लिया होगा :
"वियोगी होगा पहला कवि,
आह से उपजा होगा गान ।
निकलकर आंखों से चुपचाप,
बही होगी कविता अंजान ।। — पंत
प्रिया का ध्यान हृदय में वेदना की कसक उत्पन्न कर उसे अधीर कर देता है :
"तड़ित सा सुमुखि तुम्हारा ध्यान,
प्रभा के पलक मार उर चीर ।
गूढ़ गर्जन कर जब गंभीर,
मुझे करता है अधिक अधिर ।
जुगुनुओं से उड़ मेरे प्राण,
खोजते हैं तब तुम्हें निदान ।।" — पंत
महादेवी वर्मा के काव्य में तो विरह एवं वेदना की ही अधिकता रही है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार निरूपण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है।

नारी भावना — छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री मात्र माना, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है:

'नारी तुम केवल श्रद्धा हो,
विश्वास रजत पग तल में ।
पीयूष स्रोत सी बहा करो,
जीवन के सुंदर समतल में ।" — प्रसाद
पंत ने 'देवी, मां, सहचरि, प्राण कह कर नारी के प्रति अपने आदर का परिचय दिया। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊँचा स्थान था। निम्न पंक्तियों में उनके विचारों को जाना जा सकता हैरू
"तुम देवी! आह कितनी उदार,
वह मातृ मूर्ति है निर्विकार ।
हे सर्व मंगले! तुम महती,
सबका दुःख अपने पर सहती ।।" — पंत
निराला ने भी नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। 'राम की शक्ति पूजा' में राम के निराश हृदय में सीता की स्मृति मात्र से आशा का संचार होते दिखाया गया है:
"ऐसे क्षण अंधकार घन मैं जैसे विद्युत ।
जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत ।।"— निराला
रहस्य भावना दृ छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुल्क ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है:
"न जाने कौन अए द्युतिमान,
जान मुझको अबोध अज्ञान ।
सुझाते हो तुम पथ अनजान,
फूंक देते छिद्रों मैं गान ।।" — पंत
प्रसाद जी ने कामायनी में स्थान : स्थान पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। यह स्पष्ट नहीं की वह अज्ञात सत्ता कौन है, कैसी है, और क्या है:
"हे अनंत रमणीय कौन हो तुम,
यह मैं कैसे कह सकता?

कैसे हो, क्या हो, इसका तो,
भार विचार न सह सकता ।।” — प्रसाद
निराला की तुम और मैं कविता में उस परमात्मा से अनेक प्रकार के
संबंध जोड़े गए हैं। यदि वह हिमालय है तो मैं उससे निःसृत होने
वाली गंगा यदि वह हृदय के भाव हैं तो मैं उससे जन्म लेने वाली
कविता:

तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता स
तुम विमल हृदय उच्छ वास और मैं कान्त कामिनी कविता सस
— निराला

महादेवी के काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति उपलब्ध होती है।
प्रकृति चित्रण दृष्टि छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितरे हैं। इन
कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप लगाते हुए उसे
हँसते-रोते हुए भी दिखाया है:

“अचिरता देख जगत की आप,
शून्य भरता समीर विश्वास :

डालता पातों पर चुपचाप
ओस के आंसू नीलाकाश ।।” — पंत
यहाँ वायु को ठन्डी साँस भरते हुए, आकाश को रोते हुए दिखाया
गया है। पंत जी ने तो प्रकृति ही अपनी काव्य-प्रेरणा माना है और वे
प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। मोह नामाक
कविता में वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि नारी सौंदर्य में
आकर्षण होता है, पर वह इतना नहीं कि प्रकृति सौंदर्य की उपेक्षा
करवा सके:

छोड़ द्रुमों की मृदु छाया
तोड़ प्रकृति से भी माया
बाले! तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन,
भूल अभी से इस जग को! — पंत
पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सुषमा का
चित्रण उन्होंने प्रकृति को आलम्बन बनाकर अपनी अनेक कविताओं
में उन्होंने किया है। वस्तुतः आलम्बन रूप में प्रकृति निरूपण
छायावादी प्रकृति चित्रण की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। पंत
की बादल कविता में आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण किया गया है।
कामायनी में प्रसाद जी ने हिमालय का निम्न चित्र अंकित किया हैरू
“संध्या घन माला की सुंदर,
ओढ़े रंग दृष्टि बिरंगी छीट ।
गगन चुम्बीनी शैल श्रेणियाँ,
पहने हुए तुषार किरीट ।।” — प्रसाद

आलम्बन के रूप में अतिरिक्त उद्यपन रूप में, अलंकार के
रूप में, प्रातिक्रमिक रूप में तथा मानवीकरण रूप में प्रकृति निरूपण

छायावादी काव्य में हुआ है। डॉ. रामकुमार वर्मा ने इसी कारण
छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा है दृष्टि “प्रकृति का क्षेत्र
ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इस कविता को
यदि छायावाद की जगह प्रकृतिवाद कहा जाए तो अधिक युक्ति
संगत होगा ।”

दुःख और वेदना की अभिव्यक्ति :- छायावादी काव्य में
दुःख और वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा तो वेदना की ही
कवियित्री हैं। वे अपने वेदना से भरे की तुलना मेघखण्ड से करती हुई
कहती हैं :

“मैं नीर भरी दुःख की बदली
विस्तृत नभ का कोई कोना
मेरा न कभी अपना होना
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली सस” — महादेवी
वर्मा

महादेवी वर्मा के गद्य-पद्य में जो दुःखवाद और करुणा के भाव
दिखाई पडते हैं, वे बौद्ध दर्शन के प्रभावस्वरूप माने जा सकते हैं।
प्रसाद जी के “आंसू” काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। उन्होंने
अपनी पीड़ा को ही काव्य के रूप में व्यक्त किया है :

“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक मैं स्मृति सी छाई ।
दूर्दिन मैं आंसू बनकर वह आज बरसने आई ।।” — प्रसाद
राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति दृष्टि छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी
मुखर हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है,
उसमें राष्ट्रीयता की भावना की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने
भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का
बखान किया है :

अरुण यह मधुमय देश हमारा ।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा ।। —
प्रसाद

माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर है।
“पुष्प की अभिलाषा” मैं उन्होंने एक पुष्प की यह इच्छा व्यक्त की है
कि उसे शहीदों के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले :

“मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक ।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक ।।” —
माखनलाल चतुर्वेदी

छायावादी कविता की इस राष्ट्रीय चेतना को देखकर यह निष्कर्ष
निकाला जा सकता है कि कवि अपने युग से नितान्त असंपृक्त नहीं
थे।

शान्तिप्रिय द्विवेदी ने ठीक ही कहा था कि “छायावाद एक

दार्शनिक अनुभूति है". रामकृष्ण शुक्ल का मानना था कि "छायावाद प्रकृति में मानव जीवन का प्रतिबिंब देखता है". आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद के दो अर्थ रहस्यवाद और काव्य शैली या पद्धति विशेष माना है. रामकुमार वर्मा जी के अनुसार "छायावाद" की पारिभाषा देते हुए कहा है कि "परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पडने लगती है".

अंततः यह कहा जा सकता है कि छायावाद हिन्दी काव्य की गौरवपूर्ण अध्याय है तथा प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस युग के ऐसे प्रतीक हैं जिनके योगदान से हिन्दी साहित्य को प्रतिष्ठित प्राप्त हुई है.

सन्दर्भ ग्रंथ:-

1. सुमित्रानंदन पंत ग्रंथावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1977.
2. सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य, शांति जोशी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 1975.
3. सुमित्रानंदन पंत का नव चेतना काव्यरू डॉ. नेम नारायण जोशी, एस.चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्ली, 110055.
4. कवियों में सौम्य संत, हरिवंश राय बच्चन, राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली, 1970.
5. सुमित्रानंदन पंत, हरिवंशराय बच्चन, राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली, 1971.
6. ज्योति-विहग, शांति प्रिय द्विवेदी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज, 1964
7. सरस्वती पत्रिका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 1918

डॉ० जितेश्वर कुमार पाण्डेय

पूर्व सहायक प्राध्यापक

हिंदी विभाग

एस.आर.एम.विश्वविद्यालय, दिल्ली – एन.सी.आर.

सोनीपत(हरियाणा)

चलभाष: 9452511723

Emai:jiteshwarpandey1@gmail-com



सारांश :

विजय कुमार संदेश अपनी कहानियों को लेकर हिन्दी जगत में विशेष ख्यातिप्राप्त रचनाकार हैं गोकि, उनकी कविता और यात्रा-वृत्तांतों को भी काफी प्रसिद्धि मिली है। प्रख्यात आलोचक डॉ० अनिल सिंह का मानना है कि 'वे गद्य लेखक के रूप में अनुसंधित्सु और विश्लेषक के रूप में अधिक लोकप्रिय हैं।' आधुनिक कहानी साहित्य में प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत, स्वयंप्रकाश, कमलेश्वर और मोहन राकेश की कहानी परंपरा की अग्रिम कड़ी के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। सच कहा जाये तो झारखंड के वे अकेले कहानीकार हैं जिनकी कहानियों में झारखंड का अंचल और आंचलिक परिवेश तो उभरा ही है, साथ ही साथ देश और दुनिया के कई जीवंत रूप प्रतिष्ठित हैं। उल्लेख्य है कि किसी भी कहानी का शीर्षक कहानी का प्रवेश द्वार होता है। यदि शीर्षक आकर्षक नहीं है तो कहानी का आकर्षण कम हो जाता है। इस दृष्टि से 'पछतावे के आँसू' कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक और कौतूहलवर्द्धक है।

विषय प्रवेश :

पछतावे के आँसू की कथावस्तु अपनी संक्षिप्त में ही गहन आरोह-अवरोह से युक्त है। इसमें स्मृतियों के दंश से उपजे नायक शिशिर के अंतर्मन में उठते आह और कराह की मार्मिक अभिव्यक्तियां हैं तो स्मृतियों के कैनवास पर उठती-गिरती प्रायश्चित की शिकन भरी लकीरें भी हैं। यह कहानी विजय संदेश की बहुत ही मार्मिक, संवेदनशील और यथार्थ की पृष्ठभूमि पर लिखी गयी कहानी है। पछतावे के आँसू का कथानक परंपरागत रूप से आ रही कथात्मकता से भिन्न है। कहानीकार ने कथानायक शिशिर के कर्म-व्यापारों, घटनाओं और उसकी आत्म-वेदना के सहारे पाठकों में संवेदना जगाने का पूरा प्रयास किया है। कथा मात्र इतनी है कि शिशिर के पिता सुरेशकांत चाहते थे कि शिशिर पढ़-लिखकर राष्ट्र-समाज का नाम रोशन करे। इसके लिए वह हर उपाय करते हैं, जिसमें सुरेशकांत को सफलता भी मिलती है। शिशिर बचपन से ही कुशाग्र प्रकृति का छात्र रहा है। अपने जीवन में कभी द्वितीय नहीं हुआ। यह उसका एक बहुत बड़ा गुण था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उसकी नियुक्ति जर्मनी की एक कम्पनी में हो गयी और प्रतिभा के पंख के सहारे वहाँ भी उसने सफलता के कई आयाम छुए। पद, प्रतिष्ठा और पैसा आने के बाद उसके निजी जीवन में जब बदलाव आने लगा तब अपना घर-परिवार और देश उसे छोटा

लगने लगा। डॉलर के व्यामोह ने उसे ऐसा बांधा कि जिस माता-पिता ने स्वयं सैकड़ों दुःख झेलकर उसे अच्छी तालीम दी, इंजीनियर बनाया, उन्हें ही वह भूल गया और अपने दायित्व से मुख मोड़ लिया। उनके निधन पर भी आने की जरूरत नहीं समझी, समाज-राष्ट्र तो दूर की चीज है। जर्मनी की नागरिकता लेकर वहीं बस गया। इस कहानी में शिशिर के बहाने कहानीकार ने आज के शिक्षित युवावर्ग के कार्य-कलापों और उनकी गैर जवाबदेह गतिविधियों पर तीखा व्यंग्य किया है। ऐसे युवा पढ़-लिख जाने और ऊँचा ओहदा पा जाने के बाद अपने माता-पिता को अपने स्टेटस-सिंबल के अनुरूप नहीं पाते और अपनी निजी जिंदगी से उन्हें निकाल देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि जिस स्टेटस में वे जी रहे होते हैं, वह उन्हें माता-पिता के मार्फत ही मिला होता है। माता-पिता अपना सबकुछ बलिदान करके भी अपने बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना सबकुछ दाँव पर लगा देते हैं। पछतावे के आँसू में उनके अतुल्य योगदान की शिशिर ने नजरअंदाज कर केवल अपने निजी स्वार्थ को ही महत्व दिया, जिसका अंतिम दुष्परिणाम पछतावे के रूप में उसे झेलना पड़ा।

संवाद-योजना की दृष्टि से पछतावे के आँसू कहानी अपनी रचनात्मकता में विशिष्ट है। कथ्य और पात्रों के अनुरूप ही संवादों की योजना हुई है। उल्लेख्य है कि कहानियों में न तो लंबे संवाद होने चाहिए और न ही संवादों की अधिकता होनी चाहिए। कहानी में आये संवाद न केवल कथा को गति प्रदान करते हैं बल्कि उसे सजीव और प्रभावशाली भी बनाते हैं जिससे कहानी-पाठ के प्रति पाठक के मन में जिज्ञासा और कौतूहल की सृष्टि होती रहे। प्रभावस्वरूप पाठक एक ही बैठक में पूरी कहानी पढ़ लेता है। इस कहानी में कथ्य और पात्र के अनुसार ही भाषा और संवाद योजना की प्रस्तुति हुई है। यही कारण है कि कहानीकार ने कहानी में नाटकीयता लाने के लिए कई छोटे-छोटे संवादों की प्रस्तुति की है। यथा- 'ऑफिस में साथ काम करनेवाले रामप्रीत जी ने कहा था- सुरेश, तुम बच्चे को लाड़-प्यार में बिगाड़ दोगे। रामप्रीत की बात सुनकर सुरेशकांत हँस पड़े थे और केवल इतना ही कहा था- शिशिर अभी छोटा है। समय आने पर सब ठीक हो जायेगा।' इस तरह के छोटे-छोटे संवाद कहानी में कई स्थलों पर प्रस्तुत हुए हैं जो कहानी की प्रवाहमयता में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं। कहानीकार ने कथानक को गति देने के लिए कई बार 'दिवस जात नहीं लागाहिं बारा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात

और अब पछताये होत क्या'3 जैसी कहावतों और मुहावरों का प्रयोग किया है।

पछतावे के आँसू कहानी का मेरुदण्ड उसमें अभिचित्रित वातावरण चित्रण है, जिसमें कहानीकार द्वारा देश-काल की विभिन्न स्थितियों-परिस्थितियों का आकलन और वातावरण की सृष्टि हुआ है। वातावरण-सृष्टि किसी भी कहानी को यथार्थ बनाने में सहायक होते हैं। कहानीकार जिस स्थान या समय का वर्णन कर रहा होता है, उसके यथार्थ चित्रण की अनुभूति पाठक या श्रोता को होती रहती है। इस दृष्टि से पछतावे के आँसू कहानी वातावरण-चित्रण की अद्वितीय सृष्टि इस अर्थ में मानी जा सकती है कि इसमें पाठक को कहानी के साथ-साथ यात्रा-संस्मरण का सुख भी मिलता रहता है। उल्लेख्य यह भी है कि पछतावे के आँसू कहानी में स्मृतियाँ केवल अतीत में घटी किसी घटना या घटनाओं का शब्दांकन मात्र नहीं है प्रत्युत् उसमें कथानायक शिशिर की कई यादें जुड़ी हुई हैं। अतीत में पिता सुरेशकांत के साथ उसके बालपन के अंतरंग क्षणों की अभिव्यक्तियाँ हैं तो युवाकाल में पिता के प्रति अपने दायित्व को पूरा न करने का दंश भी है। शिशिर अपने जीवन के स्मृतियों को भुला नहीं पाता और कहानी के बीच-बीच में उन स्मृतियों की कल्पना का तादात्म्य उसे होता रहता है। कहानी में सभी स्मृतियाँ छोटे कलेवर वाली हैं, जो प्रायः शिशिर के जीवन के विशेष कालखंड से सम्बद्ध हैं। कहानीकार ने वातावरण के सृष्टि-निर्माण के लिए मार्मिकता और रोचकता का सहारा आद्योपांत लिया है जो कहानी को विशिष्ट श्रेणी में खड़ा करता है।

पछतावे के आँसू कहानी में सुरेशकांत और शिशिर दो मुख्य पात्र हैं, जो पिता-पुत्र हैं। शेष या तो सहायक पात्र हैं या गौण-पात्र। इसमें शैलजा जैसी सहायक पात्र हैं तो रामप्रीत, शिखा और सुयश जैसे गौण-पात्र भी हैं जो कथा को गति देकर नेपथ्य में चले जाते हैं। इस कहानी का मुख्य या केन्द्रीय पात्र शिशिर है, जो सुरेशकांत का एकमात्र पुत्र है। कहानी में आदि से अंत तक शिशिर की भूमिका किसी न किसी रूप में तो है ही, कहानी की मूल और सहायक घटनाओं से भी वह सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। इस कारण पूरी कहानी को वह गति देता है। शिशिर के माध्यम से ही कहानी का आरंभ, विकास और अंत हुआ है। शिशिर का व्यक्तित्व यथार्थवादी की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक धरातल पर अधिक केन्द्रित है। इसका कारण यह है कि वह आदर्श नायक की कोटि में नहीं है। उसका आचरण प्रायः निम्न कोटि के नायक की तरह है। इसके बावजूद कहानीकार ने उसके चरित्र में स्वाभाविकता लाने की पूरी कोशिश की है। कहानी के अंत में उसका प्रायश्चित और उसके पछतावे के आँसू उसके चरित्र के उदात्त स्वरूप को उद्घाटित करने के सार्थक प्रयास के रूप में है। कहानी में आरंभ से अंत तक मुख्य नायक होते हुए भी वह उत्तम कोटि का नायक नहीं बन सका है। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी की कहानियों में इस तरह के सैकड़ों

नायक मिल जाते हैं। शिशिर के अंतर्मन का द्वन्द्वकहानी की रोचकता को बनाये रखने में सक्षम है। चूंकि, कहानीकार ने द्वन्द्वके विन्दुओं को पूरी तरह स्पष्ट रखा है, इसलिए कहानी भी उतनी ही स्पष्टता से आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। इस कहानी के वैशिष्ट्य पर जब विचार करते हैं तो प्रतीति होती है कि कहानीकार ने कथानायक के प्रति एक तटस्थ भाव रखा है। समीक्षकों द्वारा स्थापित मानदंड पर उच्च कोटि का साहित्य वही होता है जिसमें कथा-लेखक का पूर्वाग्रह नहीं बोलता। इस दृष्टि से देखें तो कथानायक के प्रति कहानीकार किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं है और न ही उसके दोषों को उजागर करने में कोई कोताही बरतते हैं। यों, यह कहानी अपने समय की कहानियों के बीच उच्च कोटि की कहानी लगती है क्योंकि इसमें कहानीकार अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। कहानीकार ने भोगवादी जीवन-शैली की दुर्दशा का जीवंत चित्र खींचा है। शिशिर जैसे पात्र वर्तमान समाज की विसंगतियों के प्रतीक हैं। आज का आधुनिक और भोगवादी होता हुआ भारतीय समाज जिन स्थितियों और विसंगतियों को झेलने के लिए अभिशप्त है, पिता के रूप में सुरेशकांत और पुत्र-रूप में शिशिर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। शिशिर भारतीय परंपरा से इतर पाश्चात्य संस्कृति का प्रेमी है, जबकि उसके पिता सुरेशकांत भारतीय संस्कृति के पोषक चरित्र हैं। विसंगतियों को कहानीकार उपहास की वस्तु बनाते हैं करुणा की नहीं। इस पृष्ठभूमि में कहानीकार की पूरी सहानुभूति और संवेदना पिता के रिश्ते के प्रति है। कथा-लेखक विजय संदेश ने एक साहित्यकार के रूप में शिशिर के प्रति अंततः करुणा भाव को संवेदित किया है। यही कारण है कि कहानी के अंत में कथानायक द्वारा प्रायश्चित करते हुए उन्होंने जिस रूप में शिशिर का चित्र खींचा है, उससे वह श्रद्धा का पात्र बन जाता है।

पछतावे के आँसू कहानी में भाषा और शैली को विशेष महत्व प्राप्त है। इसका कारण यह है कि भाषा से ही कहानी बोधगम्य और संवेदना के धरातल पर खरी होती है। भाषा की प्रवाहमयता, चित्रात्मकता और संवेदनीयता उसे विशिष्ट बनाते हैं। पछतावे के आँसू कहानी की भाषा सहज, सरल और बोधगम्य तो है ही कथ्य और उद्देश्य को यदि छोड़ दें तो 'पूर्व दीप्ति' शैली में लिखी गयी यह कहानी कालजयी कहानी 'उसने कहा था' का स्मरण कराती है। सटीक शब्द-चयन, सुसंगठित वाक्य-विन्यास और सुग्राह्यता ने कहानी के अंदाज को कई गुणा बढ़ा दिया है। कम शब्दों में एक विशेष फलक को उकेरने की कोशिश की गयी है। विजय कुमार संदेश ने प्रस्तुत कहानी में प्रायः प्रसादयुक्त सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है जिसका जादुई प्रभाव आरंभ से अंत तक बांधे रहता है। इस कहानी ने हिन्दी के असंख्य पाठकों का ध्यान पहली बार में ही तब आकृष्ट किया था, जब इसका प्रकाशन अमेरिका के पिट्सबर्ग से प्रकाशित 'सेतु' पत्रिका में हुआ था। शैली की दृष्टि से

पछतावे के आँसू कहानी एक नयी दिशा का संकेत है। क्योंकि यह पूर्व-दीप्ति शैली में तो है ही, इसमें यात्रावृत्त की शैली का भी लुप्त उठारा जा सकता है।

निष्कर्ष :

किसी भी कहानी की रचना मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि सोदेश्य होती है। पछतावे के आँसू कहानी इस दृष्टि से एक सफल कहानी है। इस कहानी का अंतिम उदेश्य समाज के लिए उच्च आदर्श या मानदंड स्थापित करना है। भारतीय संस्कृति के आदर्श पाश्चात्य संस्कृति की भोगवादी दृष्टि के कारण जिस तरह हाशिये पर धकेले जा रहे हैं, कहानीकार उससे क्षुब्ध है और अपनी इस मनोभूमि को उन्होंने बड़ी खूबी के साथ उकेरने का प्रयास किया है। यही कारण है कि 'उनकी कहानियाँ न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही हैं।'5

संदर्भ

1. सिंह, अनिल. (2019). गद्य के विविध आयाम. नई दिल्ली. राजकमल प्रकाशन, 2019, पृ० 46.
2. संदेश, कुमार विजय. (सितम्बर, 2021). पछतावे के आँसू. पिट्सबर्ग, अमेरिका. सेतु (ई-पत्रिका).
3. संदेश, कुमार विजय. (सितम्बर, 2021). पछतावे के आँसू. पिट्सबर्ग, अमेरिका. सेतु (ई-पत्रिका).
4. संदेश, कुमार विजय. (सितम्बर, 2021). पछतावे के आँसू. पिट्सबर्ग, अमेरिका. सेतु (ई-पत्रिका).
5. हिन्दुस्तान (दैनिक), रांची, 17 नवम्बर, 2021.

दिविक दिवेश

राजभाषा अधिकारी

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस,
रांची, झारखण्ड-01.



प्रेमचंद के कथा साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर को रेखांकित करना प्रस्तुत शोध पत्र का अभिष्ट है। इससे पहले हमें राष्ट्रीयता को परिभाषित करना उचित रहेगा।

किसी राष्ट्र के जन-गण के मौलिक जीवन के तमाम खूबियों तथा कृषि पद्धति, जीवन यापन के तमाम तौर-तरीके, तीज त्यौहार, खान-पान मूल आदतें आदि जो हमें निरंतर सामाजिक तौर पर जोड़ें रखता है और हमें गौरवान्वित करते हुए जो हमें एक अलग पहचान देता है। मूल रूप से यही एक समग्र राष्ट्रीयता की एक स्पष्ट भावना विकसित करने और उसे जोड़ने में हमारी मदद करता है। हम इनके सहारे ही स्वभावतः एक राष्ट्र और अपनी एक अलग राष्ट्रीय भावना निर्मित कर लेते हैं।

नेहरू जी की राष्ट्रीयता संबंधी भावना तथा मातृभूमि के प्रति उनके जो विचार रहे हैं, हमें स्पष्ट रूप से डिस्कवरी ऑफ इंडिया (भारत की खोज) नामक पुस्तक से परिलक्षित होते दिखते हैं। वे कहते हैं, "मातृभूमि के प्रति भावुकता से भरे संबंध को श्राष्ट्रीयता कहते हैं।" राष्ट्रवाद को नेहरू जी ने भी एक भावात्मक अनुभूति माना था जिसे देशवासी अपने देश के प्रति स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और जिसके कारण वे परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पराधीन भारत में मूल रूप से राष्ट्रीयता की भावना से देश के तमाम जनजीवन, पढ़े-लिखे, अनपढ़ अलग-अलग की सोच रखने वालों के बीच उनकी खुद की राष्ट्रीय पहचान बताते हुए तमाम देशवासियों को जगाना प्रेमचंद अपना प्रथम दायित्व समझे थे।

प्रेमचंद के समग्र कथा साहित्य का मूल आदर्श यही रहा है। इसलिए हमें प्रेमचंद के कथा साहित्य को एक राष्ट्रीय स्वर बताने में जरा भी हिचक नहीं है। प्रेमचंद ही नहीं उस समय के तमाम लेखकों और बुद्धिजीवियों का यही दायित्व रहा है। प्रेमचंद ने उनका न सिर्फ सही-सही निर्वाह किया है बल्कि अपने पीछे ढेर सारे लेखकों को भी साथ चलने को मजबूर कर दिया था। प्रेमचंद के कथा साहित्य का प्रभाव उस दौर में ही नहीं उसके बाद भी परिलक्षित होता है। उनके और उनके बाद के दौर के तमाम लेखक प्रेमचंद कथा साहित्य से खुद को मुक्त नहीं रख सके। प्रेमचंद का प्रभाव बाद के लेखकों पर भी खूब पड़ा है और वह नई कहानी आंदोलन शुरू होने के दौर से ही प्रभाव मुक्त हुआ है। यह मूल रूप से कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश आदि का दौर रहा है और इसके बाद कहानी पीछे मुड़कर नहीं देखती।

प्रेमचंद की कहानियां ग्रामीण जीवन, जमींदारों, साहूकारों

एवं उस समय के सरकारी पदाधिकारियों सहित जमींदारों के अधीन काम करने वाले पटवारियों, मुंशियों, अर्दलियों के शोषण युक्त व्यवहारों से मुखरित हुई है। वे मनोरंजन के लिए कहानियां नहीं लिखे और न ही तिलिस्म और अय्यारी का सहारा लिया। वे विविध विषयों जैसे जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, सूदखोरों के शोषण से पीसते ग्रामीणों की समस्या लालफीताशाही के विरोध, आंदोलन, सत्याग्रह, अंग्रेजों के विरुद्ध जुलूस, सामाजिक एवं ग्रामीण समस्या आदि को उठाया है।

स्वतंत्रता की भावना से लबरेज इनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई जो उर्दू में नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया अपने मित्र और 'जमाना' के संपादक दया नारायण निगम के सुझाव पर। प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी 'उपदेश छपी थी।

'सोजे वतन' कहानी संग्रह की पहली कहानी दुनिया के सबसे अनमोल रतन के अंतिम वाक्य "खून का यह आखरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया का सबसे अनमोल रतन है।" जिसे पढ़कर अंग्रेज कांप उठे। अंग्रेजों को महसूस हुआ कि इनकी कहानियों से लोगों में देश के प्रति मोहब्बत और आजादी हासिल करने की सोच पैदा कर रही। इसलिए अंग्रेजों ने इनके आंखों के सामने ही उनकी सारी प्रतियां जलवा डाली।

शसोजे वतन में कुल 5 कहानियां हैं

1. दुनिया का सबसे अनमोल रतन
2. शेख मखमूर
3. यही मेरा वतन है
4. शोक का पुरस्कार
5. सांसारिक प्रेम और देश प्रेम

'सोजे वतन' की दूसरी कहानी शेख मखमूर कहानी में सिपाही मसूद अपने वतन की आजादी के लिए फकीर 'मखमूर' की शकल में संघर्ष के मशाल को जलाए रखता है और अंततः स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों का प्रेरणा स्रोत बन जाता है। 'शेख मखमूर' कहानी का अंश है— "नहीं यह किले बंद न होंगे हम मैदान में रहेंगे और हाथों-हाथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हमारी सीने की हड्डियां ऐसी कमजोर नहीं है कि तीर तुपुक के निशाने बर्दाश्त न कर सकें।"

'मेरा वतन' कहानी का पैगाम तो बखूबी बयान करता है की "दुनिया

की कोई भी इच्छा कोई आकांक्षा मुझे यहां से नहीं हटा सकती क्योंकि यह मेरा प्यारा देश है, यह मेरी अपनी मातृभूमि है, और मेरी लालसा है कि मैं अपने देश में मरूं।

इसी तरह श्शांसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी इटली के मशहूर राष्ट्रवादी मैजिनी और उसकी प्रेमिका मैडलीन के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई है लेकिन संदर्भ राष्ट्रीयता ही है। "आजादी हाय आजादी तेरे लिए मैंने कैसे-कैसे दोस्त जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किये। कैसे-कैसे नौजवान होनहार जिनकी मांएं और बीवियां आज उनकी कब्र पर आंसू बहा रही है।

मैजिनी कहता है— "तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूँ? क्या यह देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन मेरा प्यारा देश, धोखेबाज अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जायें, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन, अत्याचार का शिकार बने! नहीं यह देखने के लिए जिंदा नहीं रह सकता।

यह कहानी देश की आजादी के लिए आमरण संघर्ष करने की भावना को दर्शाती है। इसमें व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर राष्ट्रप्रेम को दिखाया गया है।

प्रेमचंद की कहानियों का परिवेश एवं वातावरण शहर नहीं गांव—देहात रहता है और उन कहानियों के पात्र साधारण व्यक्ति होते हुए भी अपने कर्मों से संपूर्ण राष्ट्र के जीवंत पात्र बन जाते हैं। चाहे 'ईदगाह' कहानी का हामिद हो या 'पंच परमेश्वर' कहानी के अलगू चौधरी अथवा जुम्मन शेख, 'जुलूस' कहानी का क्रांतिकारी इब्राहिम अली हो या लालफीता का नायक हरी विलास हो अथवा 'कफन' कहानी के पात्र माधव हो इन पात्रों से कौन अपरिचित है। प्रेमचंद तो जानवर तक को हीरो बना देते हैं जैसे दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र हीरा और मोती।

प्रेमचंद युग में जमींदारों के द्वारा किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल किया जाता था। यथा किसानों के पास रुपए हैं नहीं तो कहां से दें। गरीब किसान लगान कहां से दें। उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कड़ाई के साथ वसूल किया जाए। किसान इस पर भी राजी न हैं कि हमारी जमा—जथा नीलाम कर लो, घर कुर्क कर लो, अपनी जमीन ले लो।

प्रेमचंद गरिबों के दर्द और अमीरों के चाल को अच्छी तरह समझते थे। एक जगह पर कहते हैं—गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है।

भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। प्रेमचंद ने देश के शोषित किसानों, वहां के ग्रामीणों की चाहे स्त्री हो या पुरुष उनके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांप्रदायिक और राष्ट्रीय भावना का बारीकी से चित्रण किए हैं। प्रेमचंद के बहुत से कहानियों में महिलाएं भी आजादी के आह्वान पर पुरुषों के बाएं हाथ होती थी। उन्हें राष्ट्रधर्म के लिए प्रेरित करती थी। परतंत्रता को वह सबसे बड़ा

अभिशाप मानती थी। पति से पत्नी कहानी में तो पति सरकारी नौकरी करता है। पत्नी पति के खिलाफ क्रांतिकारियों की मदद करती है। वह एक सिक्के की कीमत ढाई सौ रुपए की बोली लगाकर क्रांतिकारियों को पैसे से भी मदद करती है। अंततः पति अपनी पत्नी के क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होता है और सरकारी नौकरी त्याग कर क्रांतिकारियों के दल में शामिल होकर अपने और अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा करता है। बहुत सारी कहानियों की स्त्री पात्रों ने अपने पतियों को देश के लिए मर मिटने तक को प्रेरित करती है। खुद जुलूस आदि में शामिल होकर क्रांतिकारियों की अनेक तरह से मदद करती है। उनकी जीत पर फूलों की माला पहनाती है। उनके लिए टिफिन पहुंचाती है और अंग्रेजों के विरुद्ध खुफिया भेद भी रखती हैं। सूत कातकर खादी की साड़ी पहनना अपना राष्ट्र धर्म समझती है इसीलिए विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अपना प्रतिशोध प्रकट करती है। उन्हें विधवा होना कबूल है पर गुलाम नहीं। इस तरह स्त्रियों के मन में भी देश प्रेम की भावना प्रबल दिखाई देता है।

'जुलूस' कहानी स्वतंत्रता से पूर्व की कहानी है जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस निकाले जाते हैं। इस कहानी में एक भारतीय दरोगा बीरबल सिंह उमड़ती जुलूस को रास्ते में ही रोककर लाठीचार्ज शुरू करवा देता है जिसमें अधिकतर लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इब्राहिम अली की मृत्यु हो जाती है। फिर भी जुलूस बंदे मातरम गाता हुआ स्वाधीनता के नशे में चूर चौराहे पर पहुंचता है, फुनकी विजय का सबसे उज्ज्वल यह था कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग जो पहले उन पर हंसते थे उनका धैर्य और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पड़े थे। मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है। हमें किसी से लड़ाई की जरूरत नहीं। हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है। उसकी मनोवृत्ति को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जायेंगे, उसी दिन स्वराज सूर्य उदय होगा।' इस तरह प्रेमचंद ने यह भी कहना चाहा है कि देशभक्ति एक जज्बा है। उसे ढंग से जगाया जाए तो देश के लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है। इसी से हमारी जीत सुनिश्चित होगी।

दरअसल उस दौर में जिस तरह से स्वतंत्रता की आग सुलग कर बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों ने लोगों के बीच तरह—तरह के फूड डालने का षड्यंत्र रचते जा रहे थे। यथा लालफीता कहानी का नायक हरि विलास मजिस्ट्रेट के साथ—साथ एक इमानदार, न्यायप्रिय, देशभक्त व्यक्ति भी है। वह ब्रिटिश सरकार की नीति के कारण अपनी बीस वर्ष की सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद हरिविलास को यह कदम उठाना पड़ता है। वह मानता है कि सरकार जब तक अपने धर्म और आत्मा के विरुद्ध आचरण करने को विवश न कर दें, तब तक सरकारी

नौकरी को गुलामी नहीं कहा जा सकता लेकिन सरकारी नौकरी गुलामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं इसका संकेत उसे लाल फीते से बंधा हुआ एक गुप्त निर्देश पत्र पाकर हो जाता है जिसमें उसे क्रांतिकारियों के दमन करने की आज्ञा दी जाती है। वह स्वयं अपनी आत्मा का गला घोटने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाता।¹⁰ लाल फीता कहानी में हरि विलास का बड़ा पुत्र शिव विलास भी पिता जैसा ही देशभक्त है वह एक दूरदर्शी, अर्थशास्त्री की तरह चिंतित सा—दिखता है— छस चरखी पर तो सब कुछ निर्भर है यदि तीस करोड़ की आबादी में केवल पचास लाख मनुष्य यह काम करने लगे तो हमारे देश की अस्सी करोड़ रुपए की वार्षिक वचत हो जाएगी यदि एक करोड़ आदमी इस धंधे में लग जाए तो हमें अन्य देश को पैसा भी न देना पड़े।¹¹ शिवविलास के अंदर स्वावलंबन और विश्वास की भावना इस कदर भरी हुई है कि वह कॉलेज से अपना नाम कटवा लेता है। कॉलेज छोड़ने के बाद वह समाचार पत्र निकालना चाहता है जिसके माध्यम से वह लोगों के सुशुभ मानसिकता को जगा सके। इंसान को विवेक शील बना सके।

प्रेमचंद की ऐतिहासिक कहानियां हो अथवा अन्यान्य पात्रों वाली कहानियां जैसे विक्रमादित्य, सरांध्रा, राजा हरदौल, आल्हा आदि कहानियों के पात्र स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी के लिए मर मिटने को तैयार हैं।

ऐसी कहानियां लिखने का खास उद्देश्य लोगों में देश प्रेम की भावना को जगाना, देश के लिए जीना मरना, अपने हक को लेना और मानव प्रेम का संचार था। श्वराज के फायदेश लेख में वे कहते हैं — श्वराज से देश को सबसे बड़ा जो फायदा होगा वह भारतीय जीवन का पुनरुद्धार है। प्रत्येक जाति के जीवन में कोई प्रधान गुण होता है। अंग्रेज जाति का प्रधान गुण पराक्रम है, फ्रांसीसियों का प्रधान गुण स्वतंत्र प्रेम है, उसी भांति भारत का प्रधान गुण धर्म परायणता है। हमारा जीवन धर्म के सूत्र में बंध हुआ था। लेकिन पश्चिमी विचारों के असर से हमारा धर्म का सर्वनाश हुआ जाता है। हम अपनी विद्या भूलते जाते हैं, अपने रहन—सहन, रीत—रिवाज से भी विमुख होते जाते हैं, हमारा अद्वितीय समाजिक संगठन छिन्न—भिन्न हुआ जाता है। पश्चिम की देखा—देखी हम धनोपार्जन को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगे हैं।¹²

उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम भारतीय समाज का मूल स्वर बन चुका था। साहित्यकार उन दिनों आम जनों को प्रेरणा देते देते या तो खुद स्वतंत्रता सेनानी हो गए अथवा अपने साहित्य को इसका माध्यम बनाया।

निष्कर्षतः प्रेमचंद एक सामाजिक प्राणी व देश भक्त थे इसलिए उनके लेखन का मूल स्वर उस समय की भारतीय समाज की दूरावस्था का चित्रण करते हुए कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना था। उनकी अधिकांश कहानियों में राष्ट्रीय भावना का ही बोध होता है। प्रेमचंद को यथार्थ परक चित्रण करने वाले लेखक

की संज्ञा दी गई है कपोल कल्पना को उन्होंने आधार नहीं बनाया है।

संदर्भ सूची

1. नेहरु 2008, पृष्ठ 67
2. सोजे वतन, पृष्ठ 19
3. सोजे वतन, पृष्ठ 26
4. सोजे वतन पृष्ठ 41
5. वही, पृष्ठ नंबर 53
6. वही, पृष्ठ 53—54
7. मानसरोवर भाग—7, पृष्ठ 10
8. वही, भाग—1, पृष्ठ 135
9. कहानी— जुलूस नेट से पृष्ठ 3
10. लालफीता, प्रेम चतुर्थी पृष्ठ 60
11. वही, पृष्ठ 60
12. स्वराज के फायदे, विविध प्रसंग, भाग—2, पृष्ठ 273

ममता कुमारी

सहायक प्रोफेसर

विभाग—हिंदी

डीएवी शताब्दी महाविद्यालय

फरीदाबाद

मोबाइल न. 9818747616



भारतीय साहित्य किसी एक ही जाति, वर्ग या धर्म का साहित्य नहीं है, बल्कि यह समस्त मानव जाति के बारे में बात करने वाला साहित्य है। सामाजिक परिवेश, सामाजिक चेतना और उसके बदलते हुए स्वरूप को साहित्य प्रदर्शित करता है। आज हिंदी कहानियों में दलित, आदिवासी, किन्नर, नारी तथा विकलांगों पर काम हो रहे हैं। जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में विभिन्न कहानियाँ लिखी गई हैं। इन कहानियों ने समाज की अनेक समस्याओं को उठाया है। दलित साहित्य वह लेखन है, जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ संघर्षरत मनुष्यों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मनुष्य प्रारम्भ से ही अपने परिवेश को लेकर सतर्क रहा है। हिंदी का दलित साहित्य अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ा है। भारतीय साहित्य की विविध विधाओं में दलित चेतना प्रवाहित हुई है। जिनमें एक मुख्य विधा है, 'कहानी'। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, स्वामी अछूतानंद आदि ने वर्ण में व्यवस्था का विरोध करते हुए दलित पुनर्जागरण तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए क्रांतिकारी साहित्य के निर्माण का प्रयास किया। जिस कारण अनेक वर्षों से मूक मनुष्य को दलित साहित्य के माध्यम से वाणी मिली है।

समाज में जिनका नाम लेने पर भी शर्म महसूस की जाती थी, आज उन किन्नरों या तृतीय लिंग पर कथाकार चर्चाएं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को सभी ट्रांस पीपल्स को पहचान देने की आज्ञा दी है। भारत देश में किन्नरों की संख्या लगभग 50 लाख है। किन्नरों को चिकित्सा के माध्यम से पुरुष या स्त्री बनने और बच्चा गोद लेने के अधिकार दे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे इस समाज में किन्नरों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। सरकार ने उनको जो सुविधाएं दी हुई हैं, उनके बारे में वे जान नहीं पाते हैं। हिंदी की ऐसी कई कहानियाँ हैं, जिनमें किन्नरों को अनेक समस्याओं जैसे-बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, समाज से अपमान जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

हिंदी के इन्ही विमर्शों में एक मुख्य विमर्श है, 'आदिवासी विमर्श'। आदिवासी हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक हैं। जो समाज से अलग रहने के कारण पिछड़ गए हैं। आज आदिवासी समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान समय में ये आदिवासी अपने अस्तित्व की पहचान और अधिकारों की मांग करते हैं। इसी मुद्दे को कई कथाकारों ने अपनी कहानियों में उठाकर जनता को आदिवासी

जनों के जीवन तथा उनकी समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। नारी सभ्य समाज एवं परिवार रूपी इकाई का महत्वपूर्ण अंग है। नारी से ही विश्व का निर्माण होता है। नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं से साहित्यकारों ने जनसामान्य को अवगत कराया। हिंदी कहानीकारों ने नारी को अपनी कहानियों का आधार बनाकर उनके जीवन और समस्याओं को जनता के समक्ष रखा। अनेक महिला कहानीकारों ने भी इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विमर्शों के इस दौर में एक ज्वलंत विषय है, 'विकलांगता'। समाज में व्याप्त समस्याओं में यह एक मुख्य समस्या है। विकलांगता का वर्णन प्राचीनकाल से ही हमारे साहित्य में कहीं ना कहीं मिलता रहा है। हिंदी की ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, जिनमें विकलांग पात्रों और उनकी समस्याओं को आधार बनाया गया है। कहानियों के माध्यम से विभिन्न विकलांग पात्रों के जीवन, उनके परिवारवालों में भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के भाव को दर्शाया है। इन कहानियों ने विकलांग मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर किया है।

हिंदी के दलित साहित्य में कहानियों का लेखन सन् 1980 के आस-पास प्रारंभ हुआ। ओमप्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, सूरजपाल चौहान, कुसुम वियोगी आदि कहानीकारों ने दलितों की समस्याओं और वेदना को अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। दलित कहानियों के पात्र आदर्शवादी जीवन जीना चाहते हैं, और अगर उन पर अत्याचार हो तो उनका प्रतिकार भी वे कर सकते हैं। वैदिक काल से लेकर अब तक विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आने के बाद जातिप्रथा में बदलाव नहीं आया है। इस सन्दर्भ में डॉ. सुशीला टाकभौरे का कथन है, "हिन्दू समाज व्यवस्था में जाति ऐसी चीज है, जो इंसान के जन्म के साथ ही जुड़ जाती है और वह इंसान के मरने के बाद भी नहीं जाती है।"।

जाति के आधार पर काम का विरोध—

सुरेश मा. मुले द्वारा लिखित 'दूसरी शादी' कहानी में नारायण के विचारों से रुढ़िवादी विचारधारा का विरोध झलकता है। जिसमें यह वर्णन है कि कहाँ के नियम हैं ये सब? कि चमार चप्पल ही बनाए, ढोर चमड़ा ही बनाए। यह नियम तो हमने बनाए हैं।

स्त्री शोषण की समस्या—

दलित नारियों की विवशता भी अनेक कहानियों में दिखाई देती है। 'खानाबदोश' कहानी में नारी के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में भट्टे में काम करने वाली स्त्रियों पर भट्टे का मालिक

मुखतार सिंह का बेटा सूबेसिंह दिन-दहाड़े कचहरी में बुलाकर वहाँ स्त्रियों के साथ अय्याशी करता है। दलित स्त्री का सुन्दर होना भी एक समस्या होती है। 'अंगूरी' सुन्दर थी। गाँव का मुखिया चन्द्रभान उस पर नजर रखता है, लेकिन वह उसका विरोध करती है।

आर्थिक विपन्नता का चित्रण—

'कहाँ गया तुम्हारा स्वाभिमान' कहानी में आर्थिक विपन्नता का चित्रण किया गया है। दलित लोग अशिक्षा के कारण मजदूरी करने को मजबूर होते हैं। साहूकार लोग पैसे का लालच दिखाकर दलित महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं। 'मेरा समाज' कहानी में दलितों के सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को उजागर किया गया है। पैसे की कमी के कारण दलित लोग आगे नहीं पढ़ पाते हैं।

दलितों का अपमान—

ओमप्रकाश जी की कहानी 'प्रमोशन' में दिग्दर्शन शुरू में स्वीपर के रूप में कार्य करता है। बाद में मजदूर बन जाता है। लेकिन कोई भी उसके इस प्रमोशन को स्वीकार नहीं करता। सब उसे स्वीपर ही बोलते हैं, तब एक बार वह कहता है की "स्वीपर था, अब नहीं हूँ..... अब मैं मजदूर हूँ—कामगार मजदूर। मजदूर—मजदूर भाई भाई इन्कलाब जिंदाबाद" 2

शिक्षा में जागरूकता की आवश्यकता—

अनेक वर्षों से दलितों के पिछड़ेपन का कारण उनकी अशिक्षा है। 'बैल की खाल' कहानी में अशिक्षित भूरे को गरीबी से व्याप्त जीवन अच्छा नहीं लगता है। वह अपने छूटकु की शिक्षा के बारे में सोचता हुआ अपने अतीत को याद करता है— "न जाने कितनी बार स्कूल के बाहर खड़े होकर उसने छोटे बच्चे को पहाड़े रटते देखा था। वह सोचता था कि किसी दिन उसका छुटकु भी इसी तरह बच्चों के बीच खड़ा होकर पहाड़े रटेगा" 3

'मेरा समाज' कहानी में यह वर्णन मिलता है की दलित लोग सुबह देर तक सोते हैं और प्रातः काल जल्दी ही बच्चों को मजदूरी के लिए भेज देते हैं। घर के काम व शराबी पिता के कारण वे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। घर की जरूरतों और खर्चों को ध्यान में रखकर उनकी पढाई जल्दी ही बंद करवा दी जाती है। उन्हें सिर्फ परम्परागत कामों से जोड़ दिया जाता है।

हमारे दलित समाज को यह जानना अत्यंत आवश्यक है की उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए शिक्षा ही महत्वपूर्ण शस्त्र के रूप में कार्य कर सकती है। 'नई राह की खोज' कहानी में रामचंद्र अनपढ़ है। वह अपने बेटे लालचंद को अंग्रेजी कान्वेंट स्कूल में भेजना चाहता है। वह उसका दाखिला भी करवा देता है। लेकिन घर में अन्य सभी लोगों के अनपढ़ होने के कारण एवं उसके अध्ययन में सहायता न करने के कारण वह बच्चा मैट्रिक भी नहीं कर पाता है। घर में सभी कहते हैं कि "आगे चलकर तो बाप का ही काम करना है। क्या जरूरत है अंग्रेजी पढाई—लिखाई की? साहब बाबू की नौकरी हम लोगों के नसीब में कहाँ होती है" 4

आत्मविश्वास की कमी—

दलितों के मन में बचपन से ही आत्मविश्वास की कमी अपना स्थान ले लेती है। वे अपने आपको हीन मानते हैं। 'सिलिया' कहानी में भी सार्वजनिक कूँ के पानी पीने के कारण मालती को उसकी माँ डाँटती है। उच्च वर्ग के लोग उस पर कूँ की रस्सी व बाल्टी को अपवित्र करने का आरोप लगाते हैं। उसकी माँ उसे पीटती है।

दलितों के आक्रोश का चित्रण—

'संघर्ष' कहानी में शंकर को उसके सहपाठी सवर्ण लोग पीट देते हैं। जब उसे अवसर मिलता है, तो वह उससे बदला ले लेता है। वह चाहता है, "उसके पास अमोघ शक्तियाँ हों, जिससे वह अपने दुश्मनों को आग में जलाकर भस्म कर दे" 5

'भोज के कुत्ते' कहानी में सावजी जब ब्रह्मभोज कराता है, तो सावजी को परोसने वाले यह बताते हैं की इन ब्राह्मणों को खिलाने से अच्छा है, कुत्तों और कौओं को खिलाया जाए। सावजी आक्रोश में भरकर कहते हैं की "चलो दीन राजू, बारू, संता, राणा आओ तो सब चोरों की तलाशी लो, आज इन भिखारी की सब ब्रह्मनाई भुला दो। सबको ठगने वालों को ठगना सिखा दो। ब्राह्मणों ने हमें हर दिन मूर्ख बनाकर लूटा है।"

धार्मिक आडम्बरों में विश्वास—

दलित लोग धर्म आदि आडम्बरों में विश्वास करते हैं। उन्हें समझना चाहिए की वे जब तक स्वयं अपनी प्रगति के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। 'व्रत और व्रती' कहानी में धर्मपाल एक गरीब युवक है। वह एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान् श्रीकृष्ण के लिए व्रत करता है। दोपहर तक भूख के कारण उसकी तबियत बिगड़ जाती है। तब उसे अहसास हो जाता है की इस भागती मशीनी जिंदगी में अपने पेट की आग बुझाने का इंतजाम भी स्वयं ही करना है।

छुआछूत की समस्या—

अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है। 'कहाँ जाए सतीश' कहानी में सतीश अपने मास्साब रवि शर्मा की सहायता से घर छोड़कर मिसेज पन्त के यहाँ रहने लगता है। वह उन्हें अपनी जाति के बारे में नहीं बताता। लेकिन एक दिन उसकी जाति के बारे में पता लगते ही वे सतीश को घर से निकल जाने को बोल देते हैं। मिसेज पन्त कहती हैं कि "मैं कुछ नहीं जानती उससे कहो वह इसी वक्त चला जाए, इतने दिन अपनी जात छिपाकर रहा क्या कम है" 6

नई पीढ़ी में उभरते विद्रोह का चित्रण—

'जन्मदिन' कहानी के मुन्ना के मन में आक्रोश का स्वर है। अपने समाज के सफाई कर्मचारियों के बारे में वह चिंतित है। प्रेम राठौर के विरुद्ध मुन्ना अपना स्वर व्यक्त करते हुए कहता है कि, साहब बनना इतना आसान नहीं है मैया। इसके लिए माँ-बाप को बहुत त्याग करने पड़े हैं। तुम भी अपने पप्पू के भविष्य के लिए इस नौकरी का

त्याग करके कुछ अच्छा काम करके इज्जत की जिंदगी जियो। भारतीय हिंदी साहित्य में आज दलितों पर विमर्श हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनकी स्थिति में सुधार आ रहा है।

जिनका नाम लेने पर भी समाज में शर्म महसूस की जाती थी। आज उन किन्नरों या तृतीय लिंग पर साहित्यकार विचार-विमर्श कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को सभी ट्रांस पीपल्स को कानूनी पहचान देने की आज्ञा दी है। भारत देश में किन्नरों की संख्या लगभग 50 लाख है। आज किन्नरों को चिकित्सा के माध्यम से पुरुष या स्त्री बनने और बच्चा गोद लेने के अधिकार दे दिए गए हैं।

लेकिन फिर भी हमारे इस समाज में किन्नरों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। सरकार ने उनको जो अधिकार दे रखे हैं, उनके बारे में वे जान नहीं पाते हैं। किन्नरों को बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, समाज से अपमान जैसी अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भारत के अलग-अलग राज्यों व संस्कृतियों में तृतीय लिंग को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। इस समुदाय के लिए प्राचीन ग्रन्थों में 'किन्नर' शब्द का, उर्दू और हिन्दी भाषा में 'हिजड़ा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। गुजराती में 'पावैया' और पंजाबी में 'खस्त्रा' या 'जनखा' मराठी में 'हिजड़ा' और 'छक्का' शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तेलुगु में 'कोज्जा' आदि नामों से पुकारा जाता है। विभिन्न भाषाओं में प्रयोग किये जाने वाले इन शब्दों की संकल्पना एक ही है। हिंदी कहानियों में आज किन्नरों पर विमर्श हो रहे हैं। कई ऐसी कहानियाँ हैं, जिनमें किन्नरों की स्थिति व समस्याओं पर चर्चा की गई है।

किन्नरों की दयनीय स्थिति का चित्रण—

'पन्ना बा' किन्नर विमर्श से सम्बंधित कहानी है। इसकी रचयिता गरिमा संजय दुबे हैं। इस कहानी में किन्नरों की दयनीय स्थिति और अपमान को चित्रित किया गया है। मृत्यु के बाद उनकी लाश को जूते, चप्पलों से पीटा जाता है। कहानीकार कहते हैं कि "कोई काम पर रखे नहीं, कोई माता—पिता इस अभिशाप को साथ रखने को राजी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पढाई नहीं बेचारा मनुष्य जिए भी तो कैसे? कैसे देह से परे हो, फिर भी जीता है एक किन्नर"। 7

तृतीय लिंग के लोगों की समस्याओं का चित्रण—

शिवप्रसाद सिंह की कहानी 'बिंदा महाराज' में तृतीय लिंग की समस्याओं और स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। कहानीकार ने किन्नरों की पीड़ा, दुःख, संताप, अंधविश्वास आदि को चित्रित किया है। कहानी की मुख्य पात्र बिंदा के माध्यम से पिता द्वारा तिरस्कार, पति का सुख,पत्नी की प्रतीक्षा, बेटे व बेटी के मोह से वंचित होने की मानसिक पीड़ा को कहानी में दर्शाया है। बिंदा इस कहानी में अनेक समस्याओं से लड़ता हुआ अपने अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास करता है कि, वह भी इसी समाज का एक

अंग है। इसी सन्दर्भ में 'नेग' कहानी भी किन्नर विमर्श से सम्बंधित है। उनके रहन-सहन, शादियों तथा अन्य उत्सवों पर उनके द्वारा नेग मांगने की प्रक्रिया का चित्रण किया गया है। कहानी में बेटे के जन्म पर किन्नरों को नेग और बेटी के जन्म पर प्रताड़ना का वर्णन है। इस कहानी में लड़की के जन्म को भी बुरा बताया गया है तथा बेटे व बेटी के भेदभाव को दिखाया गया है।

"अगर इसके जन्म का नेग नहीं दे सकते तो इसे ही ले जाओ—इसने यह अपराध किया है कि यह लड़की बनकर पैदा हुई है। इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे यह खुद ही मेरी कोख में आ गई हो"। 8

किन्नरों की सहृदयता—

समाज में किन्नर जहाँ एक मसीहा साबित हुए ऐसी एक कहानी है, पूनम पाठक द्वारा लिखी गई 'किन्नर' कहानी। यह कहानी किन्नरों के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट करती है। साथ ही किन्नरों के अंदर व्याप्त मानवीयता की भावना को व्यक्त करती है। बस में मानसी नामक लड़की किन्नर के पास सीट पर बैठना नहीं चाहती। लेकिन जब बस में लड़के उससे बदतमीजी करते हैं, तो उस समय वह किन्नर ही उसकी रक्षा करता है। तब बस में बैठे लोग उसका मजाक बनाते हैं तथा उसे 'हिजड़ा' कहते हैं, तब मानसी कहती है कि "हिजड़ा ये नहीं बल्कि आप सब हो, अभी तक सारा तमाशा देख रहे थे। किसी फिल्म की तरह कुछ देर और चलता तो शायद एम. एम.एस. भी बनने लगते, पर मदद को एक हाथ भी आगे नहीं आता"। 9

किन्नरों का समाज निर्माण में योगदान—

किन्नर विमर्श पर ही श्रीकृष्ण सैनी द्वारा लिखी 'हिजड़ा' कहानी एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में निर्मला और उसके पति राघव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। परिवार में सिर्फ तीन—चार साल का बेटा सुनील रह जाता है। तब निर्मला से अपनापन रखने वाली किन्नर रजिया सुनील की जिम्मेदारी लेकर उसे खूब पढ़ाती है। सुनील बड़ा होकर उच्च अधिकारी बनता है। इस समाज के अपमान से डरकर वह अपनी पहचान सुनील के साथ नहीं जोड़ती। धरती के मूल निवासी कहे जाने वाले 'आदिवासी' जो घने जंगलों, ऊँचे पर्वतों और दुर्गम घाटियों में रहते हैं। समान जनजातीय बोली को प्रयोग में लाते हैं। अधिकांशतया माँस खाने वाले तथा अर्ध-नग्न अवस्था में रहते हैं। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है आदिकाल से देश में जो जाति रह रही है। आदिवासी कथा साहित्य में समकालीन युग में आदिवासियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। इनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है। आदिवासी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, 'आदि' और 'वासी'। 'आदि' का अर्थ मूल और 'वासी' का अर्थ 'निवासी' है। अतः आदिवासी से तात्पर्य धरती के मूल निवासी से है। भारत में आदिवासियों को कई नामों से पुकारा जाता है। एबोरीजिनल,

इंडिजिनस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, वनवासी, जंगली, गिरिजन, बर्बर आदि। वर्तमान में आदिवासी साहित्य अपना अस्तित्व स्वीकारे जाने की प्रतीक्षा में खड़ा है। इस सन्दर्भ में अनेक आदिवासी लेखकों के नाम सामने आए हैं। जैसे— कोमल, वाल्टर, भंगरा, तरुण, पीटर पोल एक्का, डॉ मंजू ज्योत्सना। कोमल द्वारा लिखित 'साहूकार की मछली' कहानी में लेखिका ने लगातार किये जा रहे आदिवासियों के शोषण को उजागर किया है। इन्हीं के द्वारा लिखित 'पहचान' कहानी आदिवासियों के जीवन के घोर कष्ट को उजागर करती है। इस कहानी में सिंह जी नाम का एक मुखिया है। मुखिया के पास एक आदिवासी युवती अपना जाति प्रमाण—पत्र बनवाने जब आती है, तो वह मुखिया उसे ऊपर से नीचे तक घूरघूरकर देखता है। वह उसका नाम पूछता है।

तो वह बताती है, कि उसका नाम 'सोनिया टोप्पो' है। वह कहता है की तुम्हारा नाम तो आदिवासियों के जैसा है ही नहीं, आदिवासी लडकियों के नाम तो 'एतवारी', 'सुरजी' आदि होते हैं। पीटर पाल एक्का द्वारा लिखित कहानी 'राजकुमारों के देश में' इस कहानी में आदिवासियों के विस्थापन के दर्द तथा मुखिया ठेकेदार, चौकीदार, सरपंच, पुलिस आदि के षड्यंत्रों को उजागर किया गया है। इसके साथ—साथ भोली—भाली आदिवासी लडकियों व औरतों के बलात्कार का दर्द सम्मिलित है। 'प्रायश्चित' कहानी डॉ. मंजू ज्योत्सना के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का नायक एक रिक्शा चालक है। इसका पूरा परिवार नाच—गाने में माहिर है। वह अपनी गुजर बसर करता है। जब डोमना की शादी होती है तो उसकी दुल्हन बदसूरत व बेसुरी होती है। वह काम बड़े सलीके से करती है। वह काम पर जाती है, और खुद कमाकर लाती है। शादी के दो वर्ष बाद भी उसके बच्चे नहीं होते। तब उसे समाज के ताने सहने पड़ते हैं। उससे कहा जाता था कि "बाँझ हऊ बाँझ, उकर छाई से भी बईच के रहेक चाही"। 10

'चाकरी' कहानी में एक नवयुवक का वर्णन है। वह अपनी ही जाति के लोगों के शोषण का शिकार होता है। उसकी जमीन को सरपंच रघुवीर सहाय हडप लेता है। वह जहाँ नौकरी कर रहा था, वहाँ पर्सनल मैनेजर की बेटी का ट्यूटर बनना पड़ता है। 'जंगल की रानी' कहानी में कमली नामक आदिवासी स्त्री को उच्च अधिकारियों ने बलात्कार करके मार डाला। 'नया सवेरा' के संपादक इसकी खोजबीन कर रहे थे। इस कहानी में नारी के बलात्कार के साथ—साथ उच्च अधिकारियों द्वारा उसका मानसिक शोषण भी होता है। आदिवासी कहानी साहित्य के विमर्श से यह समझ आता है कि आदिवासी समुदाय अपनी भूमि और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आधुनिकीकरण से अनभिज्ञता के कारण उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। आदिवासी जीवन की विविधता, उनकी संस्कृति, लोकजीवन उनका नक्सलवाद में शामिल होना, शामिल न होते हुए भी नक्सलवादी घोषित कर अन्याय करना, स्त्री शिक्षण, अशिक्षा,

औद्योगिकीकरण तथा परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीनें हडपना आदि षड्यंत्र तथा पुनर्वास की समस्याओं को कहानी साहित्य सृजन की प्रेरणा मानता है"। 11

आज स्त्री विमर्श साहित्यकारों के द्वारा किया जाने वाला ज्वलंत विमर्श है। स्त्री विमर्श का लक्ष्य स्त्री को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए, उसे उसके अस्तित्व की पहचान कराना है। इस दिशा में अनेक महिला कथाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सन्दर्भ में नासिरा शर्मा की कहानी 'पत्थर गली', बावली के प्रतीक द्वारा स्त्री के वजूद को उजागर करती है। जिस तरह पानी से भीगी बावली सबकी प्यास बुझाती है। अपनी दीवारों की शीतल पनाह में अपना वजूद भूलकर सबमें अपने को बांटती है, परन्तु उसे तो हमेशा "अकेले, तन्हा आसमान के नीचे जमीन के सीने में धँसे हुए जीना है"। 12

'ताबूत' कहानी के माध्यम से नासिरा जी ने रूपहीनता की समस्या को प्रस्तुत किया है। फहमीदा, हुमैरा और सायरा तीनों बहनों को ऊँचे खानदान के घमंड और अपने पिता के निठल्लेपन के कारण अविवाहित रह जाने का दंश झेलना पड़ा। "अपनी बदसूरती का अहसास तीनों को अपनी बदहाली से कहीं अधिक था। रात भर मन्तों, मुरादों के बावजूद ये तकदीर का लिखा मिटा न सकीं और न दिन में बाप के कोसने से अपने को आज़ाद कर सकीं। उनके हाथ चलते थे, आँखें घूमती थीं। गाड़ी किसी तरह खिंच रही थी। अगर कोई पूछता है कि जिंदगी क्या है, तो वे तीनों जबाब देतीं—रोटी, हाथ और बीडी"। 13

'फर्क नहीं' कहानी में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि, लडकियों को परिवार में अनेक बंदिशों का सामना करना पड़ता है। "वह मेरे यौवन का शिखर था। इसका पता मुझे अपना अंदरूनी कार्यवाही से उतना नहीं चला था, जितना की बाहर रद्दोबदल से। कॉलेज से लौट कर एक दिन मैंने पाया मेरे कमरे की खिड़की पर नीला पर्दा लटक रहा है। इसके साथ ही दृढ़बंदी शुरू हो गयी थी। रातों—रात घर में मेरे लिए प्रतिरक्षा क़ानून बनाकर जारी कर दिए गये थे"। 14

ममता कालिया द्वारा रचित 'राजू' नामक कहानी में विधवा बेटी परिवार में इसलिए उपेक्षा का शिकार होती है, क्योंकि वह विधवा और गरीब नारी है। भाई की शादी में जाने पर उसको अपशकुनी कहकर ताने भी दिए जाते हैं। ममता कालिया की 'तोहमत' कहानी में नारी के प्रति समाज की संकुचित सोच को दर्शाया गया है कि अगर लडकी थोड़े बहुत कटे—फटे कपड़ों से घर की ओर लौटे तो समाज उसे शक की निगाह से देखता है। इस कहानी में जब सुधा और आशा दो सहेलियाँ एक साथ रहती हैं, तो एक दिन घूमने जाती हैं। वे जब कंटीले रास्ते से निकलती हैं तो उनके कपड़े फट जाते हैं। जब उनके घरवाले उन्हें ऐसी अवस्था में देखते हैं, तो शंकित होकर आशा की माँ बुरा—भला कहती है हाय

यह तुझे क्या हो गया? सुधा ने कहा कुछ नहीं चाची जी हम ज्यादा दूर निकल गयीं थीं बातों-बातों में। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैत्रेयी पुष्पा ने पुरुष समाज से यह आग्रह किया है कि वे स्त्री को समाज में उचित स्थान प्रदान करें।

हिंदी की कहानियाँ भारतीय जनमानस की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर लिखी गयीं हैं। हिंदी के कहानीकार अपनी कहानियों में समाज की मूक जनता के साथ-साथ हाशिए पर खड़ी नारी की समस्याओं पर केवल चर्चा ही नहीं करते बल्कि नारी की मुक्ति की इच्छा भी करते हैं। प्राचीनकाल में भारतीय समाज में वैदिक, उपनिषद काल में नारियों को पुरुषों के बराबर का ही दर्जा प्राप्त था। स्त्रियों को भी धार्मिक कर्मकांड आदि में शामिल होने का अधिकार था। लेकिन रामायण महाभारत काल तक आते-आते स्त्रियाँ अपने पद, प्रतिष्ठा, गौरव आदि को खो चुकीं थीं। वे गृहस्थ कार्य तक सीमित कर दी गईं। कालान्तर में समाज द्वारा आरोपित किए गए नियम नारी को मानने पड़े और यहीं से नारी स्थिति दयनीय होती चली गई। "जब 1453 ई.में कॉस्टेंटिनोपल नगर के बाहर वहाँ के नागरिकों ने इटली के आसपास के क्षेत्रों में शरण ली। इस नए सम्पर्क के फलस्वरूप ज्ञान-विज्ञान एवं कलाओं का यूरोप में विकास हुआ"। 15

दहेज प्रथा नारी जीवन से जुड़ा हुआ एक भयंकर अभिशाप है। 'नैराष्य लीला' कहानी में प्रेमचंद जी ने उजागर किया है कि "आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं की उसको लडकियाँ क्यूँ होती हैं? लडके क्यों नहीं होते?" निरुपमा की केवल बेटियाँ होने के कारण उसका पति उसे प्रताड़ित करता है। अंततः अत्यधिक शोक के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। 'उद्धार' कहानी में यह स्पष्ट किया गया है कि दहेज की समस्या से कोई भी माँ-बाप मुक्त नहीं हो सकता। इसी कारण से जब एक परिवार में सात पुत्रों के बाद एक बेटा का जन्म होता है, तो वह भी उन्हें बोझ लगता है। "दहेज के अभाव में कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है"। 16

'नया विवाह' कहानी में भी बूढ़ा डांगामल नवयुवती आशा से विवाह करता है। अनमेल विवाह के कारण ही आशा हम उम्र नौकर की ओर आकर्षित होती है। वह बाह्य प्रलोभनों से आकर्षित नहीं होती, बल्कि सच्चे प्रेम की आशा करती है। स्त्री के विरोधात्मक विचारों को स्पष्ट करते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि "बूढ़े खूसट पति की अपेक्षा जहर खाकर मरना कहीं अच्छा है, क्योंकि तिल-तिल कर आजीवन मरते रहने की अपेक्षा एक दिन मर जाना ज्यादा सुखद है"। 17

1947 के बाद नारी घर की चारदीवारी से बाहर निकली। वह कॉलेज,दफ्तर,बाजार जाने लगी। नारी की सामाजिक स्थिति बदली,

लेकीन उसके सामने अनेक नई समस्याएं भी उत्पन्न हुईं। उसके लिए घर और बाहर सभी जगहों पर नई चुनौतियाँ खड़ी हो गईं। 'काली आंधी' कहानी में पत्नी राजनेता बनकर पति और संतान का साथ नहीं निभा पाती। 'तलाश' कहानी विधवा और कामकाजी नारी जीवन पर आधारित है। चित्रा मुद्गल की अनेक ऐसी कहानियाँ हैं, जिनमें उन्होंने नारी की अनेक समस्याओं को पूरी यथार्थता के साथ उजागर किया। चित्रा मुद्गल की 'प्रेतयोनि' कहानी में यह दर्शाया गया है कि एक नारी को अपनी अस्मिता के बचाव के लिए अपने घर में ही संघर्ष करना पड़ता है। इस कहानी की नायिका अनीता गुप्ता नामक एक छात्रा है। रेल दुर्घटनाग्रस्त होकर जब वह एक टैक्सी ड्राइवर की हवस का शिकार होती है, तो बहादुरी से अपनी जान बचाकर घर आ जाती है। लेकिन घर पहुँचने पर उसके बाबूजी ही उसे कमरे में बंद कर देते हैं। इसलिए वह अपनी अस्मिता की लड़ाई अपने घर से ही लड़ने का फैसला करती है। क्योंकि उसके विरोधियों में उसके माँ-बाप भी शामिल हैं।

निम्नवर्गीय नारी के शोषण का चित्र 'फातिमाबाई कोठे पर नहीं रहती' कहानी में दिखाया गया है कि वेश्याओं को अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लड़कियों को बिकाऊ बनाने में सिर्फ फातिमाबाई का ही योगदान नहीं, बल्कि समाज में ऐसे अनेक लोग हैं, जो परिस्थितिवश अकेली हो गई नारियों को अन्य नाम देकर फातिमा जैसे लोगों के पास पहुंचा देते हैं। 'चेहरे' कहानी शारीरिक रूप से शोषित एक नारी की दशा को उजागर करती है। वह अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर भीख मांगती है। रेलवे पुलिस उसका शारीरिक शोषण करती है। इस प्रकार नारी चाहे किसी भी वर्ग की हो। वह किसी न किसी प्रकार के शोषण का शिकार अवश्य बनती है।

इन्हीं सामाजिक विमर्शों में एक मुख्य विमर्श है 'विकलांग विमर्श'। विकलांगता का वर्णन प्राचीनकाल से ही हमारे साहित्य में कहीं ना कहीं मिलता रहा है। भारतीय समाज के साहित्य को देखने से स्पष्ट होता है कि भारत में विकलांग विमर्श की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अन्य विमर्शों की तुलना में विकलांगता विमर्श को बहुत कम स्थान मिला है। सामान्यतः विकलांगता एक ऐसी शारीरिक व मानसिक अक्षमता है, जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य मनुष्यों की तरह कार्य करने में असमर्थ रहता है। कुछ हिंदी कहानीकारों ने अपनी कहानियों में विकलांग पात्रों को स्थान देते हुए विकलांगों के जीवन के अनेक पहलुओं से अवगत कराया है। उपहार कहानी में जया और विजया दो बहनें हैं। विजया अंधी होने के बावजूद बहुत सुंदर है। जया के बांझपन के कारण उसका पति विक्रम दूसरी शादी अंधी विजया से करता है। विजया जब अन्धकन्या विद्यालय से अपनी पढाई पूरी करके घर आती है तो घरवाले उससे परायों जैसा व्यवहार करते हैं। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। उसको बेसहारा मानकर उसकी मौसी कह रही थी कि— "विजया

का किसी जरूरतमंद के साथ विवाह करदो, अपना घर होगा। इसका जीवन किसी के सहारे बीत जाएगा”। 18

कुसुमलता मलिक की कहानी ‘गाँठ’ में गंगाराम और उसकी पत्नी चमनो है। इनका पिता है मुंशी। रोहित अँधा लड़का चमनो का देवर है। चमनो उस पर बहुत अत्याचार करती है। उसे खाने-पीने को कुछ नहीं देती है। एक दिन वो रोहित को कुँए में धक्का दे आती है। जान बचने पर रोहित ने एक बात गाँठ बाँध ली थी कि, वह सब कुछ देखेगा लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। अपने अंधेपन की लाचारी के कारण वह भाभी की चालाकी को समझ नहीं पाता है। “छोटे को लगा सच में भाभी बहुत अच्छी है। आज तो उसे दूध पीने पर डाँटा तक नहीं। दुनिया को न देख पाने वाली उसकी आँखें अंतःकरण के विरुद्ध चक्षुओं से दुनिया के छल-प्रपंच को देख पाने में असमर्थ थीं” 19

कुसुमलता मलिक की ‘सचेतक’ कहानी में एक शालू नामक अंधी लड़की है। उसका प्रेमी संजय उससे झूठे प्यार के वादे करके निरंतर उसका शारीरिक शोषण करता है। शादी के नाम पर वह टालमटोल कर देता था। अंत में शालू सबकुछ समझकर उसे अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देती है। अतः इस कहानी में एक विकलांग स्त्री के शोषण को उजागर किया गया है। “अन्धता का उपभोग किया जा सकता है, उसे निभाया नहीं जा सकता। जब तुम यह समझ लोगी, तब तुम चमकती बिजली नहीं, खिलती धूप होगी”। 20

विकलांग मनुष्यों की सेवा करने से जब घर के सदस्य ही मना कर देते हैं, तो उनकी दुर्दशा हो जाती है। रामदरश मिश्र की कहानी ‘बहुत देर कर दी में’ नंदकिशोर और उसकी पत्नी का नाम शारदा था। इनका बेटा समीर विदेश चला जाता है। एक दिन नंदकिशोर की हृदयाघात से मृत्यु हो जाती है। शारदा भी सदमे में मर जाती है। “नंबर मिल गया समीर को फोन किया गया। वह दो दिन बाद आया। माँ-बाप की लाश उसी तरह पड़ी हुई थी”। 21

हमारे समाज में मानसिक विकलांगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, हृदयेश जी की कहानी ‘पागल कबीरदास’ इस तथ्य को दर्शाती है। कबीरदास नामक एक मानसिक विकलांग व्यक्ति है, जो अपने जीवन की किसी निजी घटना के कारण पागल हो गया था। समाज उसके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कुकर्म का इल्जाम भी उसी पर लगा दिया जाता है। अंततः कबीरदास को मार दिया जाता है। परन्तु, हिंदी की कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें सामाजिक पात्रों द्वारा विकलांगों की सहायता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। स्वाति तिवारी की कहानी ‘विद्यावती’ में विद्यावती एक बूढ़ी औरत के घर की बहू है। उसकी शादी एक मानसिक विकलांग से कर दी गई। विद्यावती एम.ए. पास थी। उसका पति उसे छोड़कर भाग जाता है। फिर भी विद्यावती अपनी चिंता को भूलकर आजीवन

अपने ससुराल वालों की देखभाल करती है। “मैंने अफ़सोस जाहिर किया, यह तो बड़ा अन्याय है, पर गृहस्थी की गाड़ी को केवल एक पहिया खींचे? कितना मुश्किल है। फिर यहाँ तो विद्यावती पर पूरी गृहस्थी का भार ही नहीं बल्कि दूसरे पहिए के बोझ को भी घसीटना है”। 22

कहानियों में दर्शाया गया है कि अनेक बार ऐसा होता है कि, विकलांगता के कारण विवाह की समस्या भी आती है। विकलांग को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। निर्देश निधि की कहानी ‘जीकाजि’ में तेजस और रीवा बचपन के दोस्त हैं। तेजस को एक बार तेज बुखार से आधे शरीर को लकवा मार जाता है। रीवा तेजस से विवाह के लिए बोलती है, परन्तु रीवा के घरवाले अब अपाहिज तेजस से कोई भी रिश्ता रखने से मना कर देते हैं। रीवा की माँ कहती है कि तेजस अब तेरी शारीरिक जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। “शरीर की भी जरूरत होती है रीवा। जिस शरीर की बात तुम कर रही हो माँ! वह शरीर दुरुस्त है उसका”। विकलांग पात्रों ने जहाँ समाज के कष्टों को सहा, वहीं कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं, जब विकलांगों ने अपनी विकलांगता को सहारा बनाकर अपना जीवन यापन किया।

‘डॉल नहीं गुड़िया कहिए’ कहानी में बिन्नी नामक एक लड़की पलियों के कारण जिसके शरीर का आधा हिस्सा बेजान हो गया। लेकिन इलाज से कैलीपर्स की सहायता से वह चलने लगी। उसने कॉलेज में अध्यापन शुरू किया। लेकिन कुछ समय बाद उसके पैर फिर से खराब हो गये, जिससे वह घर पर रहने लगी। बिन्नी ने गुड़ियों के कपड़े बनाकर बेचने के लिए वेबसाइट लॉचिंग की। अब वह बंद कमरे में थमे कदमों से दुनिया को जीतने लगी। “कभी-कभी मैं तो निराशा के पलों में सोचती थी कि मेरा बेजान शरीर भी इन रबर की गुड़ियों की तरह ही तो है। जिनके अंगों को मोड़कर परिधान पहनाकर, तैयार करके एक जगह पर बैठा दिया जाता है”। 23

प्रकाश मनु की कहानी ‘लावनी की आँखें’ इस कहानी में लावनी नाम की सात-आठ साल की लड़की थी। चेचक से उसकी आँखें चली गईं। समय पर इलाज न होने के कारण वह नेत्रहीन हो गई। लावनी बहुत अच्छा गाती थी। बाद में वह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ बन जाती है। एक बार लावनी की माँ चिंतित होकर कहती है कि “हे राम! कितनी लम्बी जिंदगी है। भला कैसे काटेगी लावनी? जिनके पास आँखें हैं वे भला कैसे समझेंगे कि आँखों के बगैर जिंदगी कितनी अँधेरी है, कितनी स्याह”। 24

रामदरश मिश्र की सीमा नामक कहानी में ‘सीमा’ एक लड़की है, जिसके पैर निर्जीव हैं। वह ना तो बच्चों के साथ खेल पाती है, ना ही वह कहीं जा पाती है। उसकी माँ भी उसकी वजह से बाहर नहीं जा पाती है। सभी उसे लँगड़ी कहकर चिड़ाते हैं। पता नहीं कब अम्मा आएँगी? वह बुदबुदाती है और खुदको कोसते हुए कहती है, “बेचारी इतने दिनों बाद तो निकली है। वह भी काम से,

अभागी तेरे कारण तो वह कहीं निकल नहीं पाती है। बोझ तू सबके सिर का बोझ बनी हुई है”। 25

बीज शब्द— दलित, आदिवासी, स्त्री, विकलांगता, किन्नर, शिक्षा, आडम्बर, विमर्श, दहेज, संघर्ष, आत्मविश्वास, रूढ़ीवाद, आक्रोश
निष्कर्ष—

अतः हम कह सकते हैं कि 21 वीं शताब्दी विमर्शों की शताब्दी है। इस युग में मानव जीवन से जुड़े हर मुद्दे पर विमर्श हुआ है। दलितों पर विमर्श हुए, जिसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिले। दलितों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का उदय हुआ। इसी प्रकार किन्नरों पर होने वाले विमर्श ने किन्नरों के प्रति समाज की सोच को बदला। वे सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को जान सकें हैं। शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। समाज के लोगों की किन्नरों के प्रति दृष्टि में भी काफी हद तक बदलाव आया। संकट से गुजर रहे आदिवासी समाज को अस्तित्व में लाने के लिए अनेक साहित्यकार आगे आए, उन्होंने आदिवासियों की समस्याओं और जीवन से लोगों को अपनी कहानियों के माध्यम से अवगत कराया कि वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। शिक्षा की ओर अब वे काफी हद तक ध्यान दे रहे हैं। समाज की धुरी 'नारी' को लेकर अनेक कहानीकार लिख रहे हैं। नारी की समस्याओं, समाज में उनके साथ हो रहे व्यवहार आदि के बारे में बताते हुए कहानीकारों ने उजागर किया। नारियों की सोच और उनके प्रति समाज की सोच में जो बदलाव आ रहा है, उसका वर्णन कहानीकारों ने किया है। विमर्शों की इसी कड़ी में विकलांग विमर्श भी एक सामाजिक विमर्श है। हिंदी की अनेक कहानियों में विकलांगों की समस्याओं, जीवन और विकलांगता के बावजूद उनकी सफलताओं का वर्णन किया है। इस प्रकार इन कहानियों में विकलांग मानव के जीवन के प्रत्येक पक्ष को उजागर किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 डॉ सुशीला टाकभौरे, संघर्ष, शरद प्रकाशन नागपुर-22, 2006, पृष्ठ संख्या-16
- 2 ओमप्रकाश वाल्मीकि-‘घुसपैटिए’ (प्रमोशन), राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004, पृष्ठ संख्या-48
- 3 ओमप्रकाश वाल्मीकि-सलाम(बैल की खाल), राधाकृष्ण प्रकाशन, 2020, पृष्ठ संख्या-36
- 4 डॉ. सुशीला टाकभौरे-टूटता वहम (नई राह की खोज) प्रथम संस्करण 1997, द्वितीय संस्करण-2012, पृष्ठ संख्या-82
- 5 सुशीला टाकभौरे-संघर्ष, शरद प्रकाशन नागपुर-22, 2006, पृष्ठ संख्या-23
- 6 सूरजपाल चौहान-हैरी कब आएगा, सम्यक प्रकाशन, संस्करण-2003
- 7 डॉ सचिit गपाट-इविकशवीं सदी की कहानियों में किन्नर विमर्श, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय, आई.एस.एस.एनरू 2454-2725
- 8 डॉ लवलेश दत्त- नेग, वांग्मय(त्रैमासिक हिंदी पत्रिका), संपादक एम. फ़िरोज़ अहमद, जनवरी- मार्च 2017, पृष्ठ संख्या- 117
- 9 डॉ सचिit गपाट-21 वीं सदी की कहानियों में किन्नर विमर्श, सहायक प्राध्यापक, मुंबई विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग, आई.एस.एस.एनरू 2454-2725,
- 10 मंजू ज्योत्सना, 'प्रायश्चित'- आदिवासी स्वर और नई शताब्दी,

संपादक रमणिका गुप्ता, वाणी प्रकाशन, 2014, आई.एस.बी.एनरू 81-7055-908-1, पृष्ठ संख्या 169

11 नन्हकू प्रसाद यादव-समकालीन हिंदी कहानी में आदिवासी चेतना, आई.एस.एस.एनरू 2347-7660, आई.एस.एस.एनरू 2454-1818, वोल 6, 7 जुलाई, 2018, पृष्ठ संख्या-10

12 डॉ सुषमा सहरावत-नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री विमर्श, 1 जनवरी 2018, (आई.जे.एस.आई.आर.एस.) 164

13 डॉ सुषमा सहरावत- नासिरा शर्मा की कहानियों में स्त्री विमर्श, 1 जनवरी, 2018, (आई.जे.एस.आई.आर.एस.) 168

14 ममता कालिया-ममता कालिया की कहानियाँ, खंड-1, वाणी प्रकाशन, 2006, आई.एस.बी.एन-81-8143-485-4, पृष्ठ संख्या-120

15 डॉ अनीता मिंज-प्रेमचंद की कहानियों में नारी जीवन की समस्याएं और नवजागरण, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, दौलत राम विश्वविद्यालय, डी.यू., नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या-163

16 प्रेमचंद-नारी जीवन की कहानियाँ, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली, 1987, पृष्ठ संख्या-32

17 प्रेमचंद-नारी जीवन की कहानियाँ, प्रेम प्रकाशन मंदिर, दिल्ली, 1987, पृष्ठ संख्या-63

18 कुसुमलता मालिक-कही-अनकही(उपहार), स्वराज प्रकाशन, पृष्ठ संख्या- 16

19 कुसुमलता मालिक-कही-अनकही, गाँठ, स्वराज प्रकाशन, पृष्ठ संख्या-86

20 कुसुमलता मालिक-कही-अनकही, (सचेतक कहानी), स्वराज प्रकाशन(नई दिल्ली)द्वितीय संस्करण-2018, पृष्ठ संख्या -92

21 संध्या कुमारी-हौसले की उड़ान(बहुत देर कर दी)मोनिका प्रकाशन, पृष्ठ संख्या-10

22 संध्या कुमारी-हौसले की उड़ान (विद्यावती) मोनिका प्रकाशन, पृष्ठ संख्या-174

23 सम्यक ललित-बावजूद(डॉल नहीं गुडिया कहिए) श्वेतवर्णा प्रकाशन(नई दिल्ली) 24 नवम्बर 2021, पृष्ठ संख्या-62

24 सम्यक ललित-बावजूद(लावनी की आँखें) श्वेतवर्णा प्रकाशन(नई दिल्ली)पृष्ठ संख्या-92-93

25 संध्या कुमारी-जीवन संग्राम के योद्धा(सीमा)राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृष्ठ संख्या-17

छाया

शोधार्थी : स्टारेक्स विश्वविद्यालय, गुरुग्राम
गाँव भिरावटी, तहसील-नूँह(मेवात)
chhayaraghav786@gmail-com
मोबाईल-7827066545



सारांश

लोक कथा से तात्पर्य: लोक कथाओं में लोक जीवन की साधारण-असाधारण घटनाओं का अपनी भाषा में जैसा का तैसा वर्णन मिलता है। इनमें हम मानव जाति के आचार-विचार, रीति-रिवाज, धार्मिक विश्वास, रहन-सहन, आशा-निराशा, सुख-दुख की सुन्दर झांकी सकते हैं। कथाएं चाहे वे कवि रूप में हो अथवा लिखित रूप में, हमारी संवेदनशीलता को उभार कर जीवन की कला दे जाती है।

मेवात प्रदेश में प्राचीन काल से अनेक प्रकार की लोक कथाएं प्रचलित हैं। मेवात का लोक साहित्य जितना उत्कृष्ट है मेवाती साहित्य में विविध प्रकार की मनोरंजनपरक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, उपदेश प्रधान, पशु-पक्षियों से संबंधित बातों का विशाल भंडार मिलता है।

मेवाती लोक साहित्य में अनेकों सामाजिक लोक कथाएं मिलती हैं। दरिया खां ससबदनी की बात, मेव खां घुड़चढ़ी की बात, पाँच पहाड़ की बात, चन्द्रावल गूजरी की बात, सामाजिक लोक कथाएं हैं।

“पण्डूल कौ कड़ा” सामाजिक रचना के साथ-साथ वीर रस से ओत-प्रोत रचना भी है। कीचक और भीम की लड़ाई का वर्णन।

महल दल्लत नगर का, थर-थर कम्पत हर हाल

जो कोई जागो रैन को वाय भयो भौपाल।

थर हर हाल, गिरा जब होत धमाको

उथां संभाला फ़ैर, काउको बाल न बांको।।

धार्मिक लोक कथाएं मेवात प्रदेश में विशेष रूप से स्त्री समाज में व्रत उपवास और अनुष्ठान बहुत पाए जाते हैं। व्रत कथाएं धार्मिक विश्वासों के आधार पर खड़ी की गई हैं। इनके कहने-सुनने से शुभ फल की आशा रहती है अथवा अशुभ का निवारण, रक्षा बंधन ज्ञान का अमृत घट लेकर हमें भगनीत्व का मान करना सिखाता है। भैयादूज की कहानी भाई-बहन के प्रेम से ओत-प्रोत है। करवा चौथ की कथा में दाम्पत्य प्रेम कूट-कूट कर भरा है।

मेवात प्रदेश में जब किसी के बच्चे नहीं होते या मर जाते हैं तो देवी माता की जात बोलते हैं। कोई पीर बाबा की जात बोलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है।

“एक बार एक राजा था ऊँकी राणी कै जो भी टाबर पैदा है तो वे जीतो कोन्या। राजा और राणी दोनू चिन्ता में गलया जा रहा था। एक दिन राणी नै कण्हीं बताई की इब काली कै तू देवी माता को सवा मण को रोट बोल दे फेर तेरे जीवतो टाबर पैदा हैगो, वो मरै

कोन्या। राणी बोल्थी ठी सै मे नू ही करुंगी।

मनोरंजनपरक लोक कथाएं: मेवात प्रदेश के लोक कलाकार विभिन्न अवसरों पर इन लीला नाट्यों का मंचन करते रहते हैं। रामलीला, केवट प्रसंग, माखन चोरी लीला, दही चोरी लीला, राधा-कृष्ण परिचय लीला का विशेष स्थान है। सपने का भोज कथा में जाट की चातुर्यता को देखा जा सकता है। सम्पूर्ण कथा में मनोरंजन चरम सीमा पर पहुंचता है यथा

“एक बार तीन ठाकुर भाई और एक जाट धन कमाने के लिए परदेश के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक अच्छी जगह पर वे आराम करने के लिए रुक जाते हैं ठाकुर भाई आपस में बातें करते हैं कि हम तीन हैं और जाट अकेला है। अतः हम जो भी कहेंगे वह उसे माननी पड़ेगी। सभी को भूख लग रही थी तीनों ठाकुर भाईयों ने जाट को पैसा दिया और बोले की जा कुछ खाने को ले आ। जाट बाजार जाकर उन पैसों के लड्डू खरीद लिया तब उसने सोची की वहां जाकर तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा इसलिए उसने अपने हिस्से के लड्डू वहीं खा लिए तथा बाकि बचे को ले जाकर ठाकुर भाईयों के पास रख दिये।

लड्डू कम देखते ही ठाकुर नाराज हुए और पूछा इतने कम लड्डू कैसे है? जाट ने एक लड्डू उठाकर खा लिया और बताया कि इस तरह ये कम। उन्होंने ये पूछा क्यों? उसने दूसरा लड्डू उठाकर खा लिया तब ठाकुरो ने सोचा कि इस तरह तो यह सारे लड्डू खा जायेगा। उन्होंने चुपचाप बचे लड्डू खाकर अपनी भूख मिटाई तथा काम की तलाश में चल पड़े।

जादुई लोक कथाएं: मेवात प्रदेश की इन कथाओं में अलौकिकता रहती है। असंभव कार्य इन कथाओं में संभव हो जाते हैं। भूत-प्रेत, डायन, दाना आदि सभी पात्रों के साथ सुन्दर परियों से भी इन कथाओं में साक्षात्कृत हो पाते हैं। जादुई कटोरे में एक गरीब व्यक्ति को जादुई कटोरे से भोजन मिलता फिर उस जादुई कटोरे से गाँव वालों को भोजन करवाना आदि-आदि बातें लोक कथाओं में दिखाई देती हैं।

उपदेशात्मक नीति संबंधी कथाएं: लोक कथाओं में प्रायः उपदेश की प्रवृत्ति होती है। ये उपदेश कहीं मनुष्यों के माध्यमों से कहीं पशु-पक्षियों के माध्यम से दिये जाते हैं। मेवात की इन कथाओं में उत्साह, उपकार, सत्यव्रत का पालन, न्याय, त्याग आदि का भाव रहता है।

एक भोले आदमी की कथा के द्वारा संक्षेप में इस उपदेश प्रधान वृत्तांत को जाना जा सकता है। भोला आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास गया तथा पानी के

लिए नीचे की तरफ देखा तो उसे शेर/सांप, नाई और सुनार की आवाज सुनाई दी। उन चारों ने बाहर निकालने की गुहार की लेकिन भोला डर गया पर शेर व सांप ने विश्वास दिलाया की वे उसे नहीं खाएंगे। तो भोले आदमी ने उन्हे बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने पर शेर व सांप ने उन दोनो को नहीं निकालने की सलाह दी। वक्त आने पर एक दिन भोला आदमी उसी सुनार के चक्कर में आकर फंस जाता है। तब उसे सांप और शेर की याद आती है। सांप और शेर निर्दोश भोले आदमी की मदद करते हैं तथा नाई और सुनार को फांसी लगवा दी जाती है।

पशु-पक्षी संबंधी कथा: प्राचीन मेवात प्रदेश में बच्चों का मन बहलाने के लिए पशु-पक्षी की कथाएं कहना आम बात रहती थी। गाँव के बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति सर्दियों के दिनों में अलाव जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। बच्चों को विभिन्न रोचक कथाएं सुनाते हैं।

एक जंगल में एक गादड़ा व एक गादड़ी रहते थे। एक दिन गादड़ी एक डबरी में पाणी पीण नू गई। गादड़ी जब पाणी पीण लगी तो वाय पाणी में चन्दा की परछाई दिखी। गादड़ी ने सोचा चन्दा काफी चुम्मी ले रो है। गादड़ी बहुत गुस्सा आयो। ऊ सूदी गादड़ा के पास गई। गादड़ी उदास देख के गादड़ा नै वासू पूछी क्या बात है तो गादड़ी ने वासू सारी बात बता दी कि ऊ जब पाणी पीरी थी तो चान्द ने वाकी चुम्मी ली।

ठगी और धोखे की कथाएं: मेवात प्रदेश के भोले-भाले किसान जो इस ठगी से कोसो दूर रहते हैं पर स्वयं ठगी के शिकार होते हैं। वे कथाएं बड़े प्रेम से कहते और सुनते हैं। इस प्रदेश में ठगी और धोखे संबंधी लोक कथाओं की बहुलता है। माटी की सासू कथा में सासू के प्रति बहू का सराहनीय व्यवहार होता है। वह हर कार्य उससे पूछकर करती थी। सासू के मरने के बाद वह उसकी मिट्टी की मूर्ति को खाना परोसती है लेकिन चतुर पड़ोसन पीछे से उस खाने को उठा ले जाती है। भोली बहू तो यो ही सोचती है कि सासू की खाती है। जब जल्दी अनाज खत्म होता है तो बहू को सासू की मूर्ति के साथ घर से निकाल दिया जाता है। वह जंगल में एक पेड़ पर रात को बैठी रहती है। रात को चोर चोरी का सामान लाकर उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करते हैं तो डर के मारे बहू के हाथ से सासू की मूर्ति छूट जाती है जो चोरों के सिर पर जाकर गिरती है।

डर के मारे चोरी का सामान छोड़कर भाग जाते हैं। बहू उस सामान को उठा करके घर वापस चली जाती है। उधर चतुर पड़ोसन भी धनी होने के चक्कर में मिट्टी की मूर्ति बनवाकर उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। दूसरी रात चोर फिर चोरी का सामान लेकर उसी पेड़ के नीचे आते हैं। चतुर पड़ोसन जान बूझकर मूर्ति चोरों के सिर पर गिराती है। चोरो को शक हो जाता है। वे थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छिप जाते हैं। जब चतुर पड़ोसन नीचे उतरती है तो वे मिलकर उसकी पिटाई करते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां पड़ोसन की लोभ प्रवृत्ति ही उसको काल कलवित कर देती है।

पराक्रम और साहस की कथाएं: अलवर रियासत के राजा

के साथ मेवों ने शोशण एवं अन्याय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा था और दबी कुचली शोशित तथा साधन विहीन कौम ने एक साधन सम्पन्न एवं शक्तिशाली राजा को उखाड़ फेंका था। मेवों के इस संघर्ष को विद्वान अलवर तहरीफ के नाम से जानते हैं।

दोनू हाथन बांकड़ा, दोनू हाथ बन्दूक
कोलाणी कू मत चढ़ा, तेरी काण घटे राजपूत ।।
हाथ जोड़ अर्जी करां, रोवां सब राणी
बाघौड़ा बस को नहीं, जाके आड़े कोलाणी ।।

काम अथवा रति संबंधी कथाएं: रति काम एवं शृंगार रस की रचनाएं भी मेवाती साहित्य में अधिक महत्व नहीं रखती है। इन लोक कथाओं में कवि सादी की कथा "चन्द्रावल गूजरी की बात" विशेष उल्लेखनीय है। इसमें कवि ने शृंगार के साथ काम एवं रति से संबंधित चन्द्रावल गूजरी से एक दो उदाहरण प्रस्तुत है।

देखो चन्द्रावल को रुप सखी सब पड़गी कायल
झांझण-बिछवा पहर, पांव की पहरी पायल ।।
अंगूठा में आरसी, सिर पे औढ़ो दक्खणी चीर
जैसे शीशी कांच की, वाको ऐसो बणो शरीर ।।
दिन की किरण समान, बणी चन्द्रावल नारी

मेवाती लोक साहित्य में काम एवं रति से परिपूर्ण लोक कथा "पिंगला-भरथरी" की है। इसी कथा में पिंगला और दरोगा की कथा के संदर्भ में भी एक नृत्य प्रधान गीत दिया गया है जिसमें अमर फल पिंगला अपने प्रिय दरोगा को दे देती है लेकिन दरोगा पिंगला से अधिक सुन्दरी से प्रेम करता है और वह अमरफल नगर सुन्दरी को जाकर देता है। अमरफल तो ले लेता तथा कहता है।

किमै डर लागै तेरे पति का, किमे
काच्चे कुणबे आला
चक्कर के म्हां ज्यान फंसावै
छुटवावैगी धुड़साला ।।
नाच-कूद और चटक-मटक कै
सौ-सौ फैल करे जांगा
आशिकी का भूखा ना मै सूकी सैल
करे जांगा ।

तनखा खाकै करुं गुजारा थारी रहल
करे जांगा ।

निश्कर्ष:- मेवात प्रदेश में कही जाने वाली कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। कथाकार अपनी कथाओं की बात साहित्य की संज्ञा से अभिहित करते हैं। इन वार्तापरक कथाओं में मेवाती जीवन को निकटता से देखा जा सकता है। मेवाती वीर युवकों को आधार बना कई कथाएं इस प्रदेश में आज भी विभिन्न अवसरों पर कही जाती है। बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों को भी ये कथाएं सुनाते हैं। इन कथाओं में मनोरंजन के साथ उपदेश की प्रधानता भी होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची -

1. मेवाती संस्कृति अध्ययन एवं अवलोकन सिद्दिक अहमद मेव पृ. 86
2. हरियाणा का लोक नाट्य नया रूप रंग डॉ. अनिता भारद्वाज (केवट प्रसंग) पृ. 18
3. हरियाणा का लोक नाट्य नया रूप रंग डॉ. अनिता भारद्वाज पृ. 18 (दही लीला चोरी)
4. मेवाती बात साहित्य संकलन डॉ. अनिल जोशी ,पृ.44 (मेवाती लोक गायकों द्वारा गाये गए वृत्तांत) पृ. 13
5. मीरसी लोक गायकों द्वारा गाये गये आधार पर डॉ. अनिल जोशी, पृ. 52
6. निहाल दे एक विवेचना डॉ. अनिता भारद्वाज एवं डॉ. राम कुमार भारद्वाज, पृ. 50

प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव
हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय
अस्थल बोहर (रोहतक) हरियाणा
मो. 9929179255



सारांश

मुगल व राजस्थानी लघु चित्र शैली के बाद पहाड़ी शैली विश्व की कलाओं में अपनी सौम्यता, सौन्दर्य और सुकुमारता के लिए विशेष स्थान रखती है। इसके अंतर्गत बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चम्बा, मण्डी, गढ़वाल, जसरोटा, बिलासपुर तथा जम्मू केन्द्र आते हैं। इनमें “गुलेर” पहाड़ी शैली का जनक एवं मुख्य केन्द्र रहा। यह राज्य अपने कला प्रेमी राजाओं और उनके महानतम् एवं अदभुत प्रतिभा के धनी चित्रकार पण्डित सेऊ व उनके पुत्रों मनकू व नैनसुख के कारण जाना गया, जिन्होंने इस शैली को न केवल शिखर तक पहुंचाया, अपितु एक चित्रण परम्परा के रूप में अपनी अगली पीढ़ी के द्वारा आसपास के राज्यों तक विस्तारित किया।

प्रस्तुत शोध पत्र में गुलेर चित्रशैली के मुख्य चित्रकार नैनसुख की चित्रशैली एवं चित्रों की विशेषताओं व पहाड़ी चित्रकला के अन्तर्गत अभूतपूर्व योगदान पर विश्लेषण किया गया है। इस हेतु विभिन्न पुस्तकों व पत्रिकाओं का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द – निर्वासन, वैशिष्ट्य, विलक्षण, ज्ञानार्जन।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र में पहाड़ी चित्रकला में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतिभावान चित्रकार नैनसुख के कलात्मक जीवन को उजागर करने का प्रयास किया गया है। नैनसुख पण्डित सेऊ के पुत्र एवं मनकू के छोटे भाई थे। पहाड़ी चित्रकला के अन्तर्गत नैनसुख ने अमूल्य योगदान देकर पहाड़ी चित्रकला को स्वर्णिम एवं उच्च पद प्राप्त कराया। इनके द्वारा बनाये गये चित्रों, चित्रण शैली, विषयवस्तु आदि का विश्लेषण प्रस्तुत शोध द्वारा करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना –

भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। अतः चित्रकला एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत भारत की रचनात्मक एवं कलात्मक प्रवृत्ति पूरे विश्व भर के देशों की तुलना में सर्वाधिक आंकी गयी है। अनेक सुप्रसिद्ध एवं सुविख्यात कला विदों के मतानुसार चित्रकला को सभी कलाओं में उत्तम माना गया है। भारतीय चित्रकला के अन्तर्गत धर्म, समाज, साहित्य, संस्कृति एवं परम्पराओं आदि को विशिष्ट स्थान दिया गया है। आदिकालीन भारतीय चित्रकला से

लेकर आधुनिक भारतीय चित्रकला के कालक्रम में भारतीय कलाकार अपनी कृतियों की सर्जना स्वान्तः सुखाय के लिए करता आया है और इसमें तल्लीन रहकर अपने कौशल को सार्थक करता है।

भारतीय चित्रकला विभिन्न स्वरूपों में विश्वभर में व्याप्त हैं। जिसका स्वरूप बड़ा ही मनोरम है। परन्तु जो स्वरूप लघु चित्रों के माध्यम से जन मानस के समक्ष लाया गया उससे यही ज्ञात होता है कि भारतीय चित्रकला अपने आप में अदभुत, व्यापक एवं अतुल्य है। चित्रकार चाहे किसी भी काल क्रम से सम्बंधित क्यों न हो सभी ने अपनी अन्तर आत्मा को चित्रों का रूप देकर जीवन्त करने का पूर्ण प्रयास किया है और वे इस प्रयास में बहुत हद तक सक्षम भी रहे। भारतीय चित्रकला विभिन्न शैलियों में विभक्त की गयी हैं जिनसे हम पाल शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली एवं पहाड़ी शैली आदि के नामों से परिचित हैं।

कला के सन्दर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में लिया गया है। शैली व्यक्ति विशेष की होती है। लेकिन युग की सांस्कृतिक परिधियों के बीच में चलने वाला चितेरा सहसा ही कोई नया आयाम प्रस्तुत नहीं पाता, बल्कि अपनी शैली वैशिष्ट्य के आधार पर नदी की जलधारा के प्रवाह के समान क्रमिक अन्तर प्रस्तुत करता रहता है।

इसी के आधार पर हमने अपने शोध पत्र में पहाड़ी चित्रशैली की उपशैली गुलेर शैली के सुविख्यात और अदभुत प्रतिभावान चितेरे नैनसुख के कला जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सिन्धु घाटी से लेकर गंगा के उद्गम तक फैली पड़ी पंजाब हिमालय की पहाड़ियों में अनेक छोटे-छोटे राज्य थु, और इन्ही स्थानों पर पनपी चित्रण परम्परा पहाड़ी कलम के नाम से प्रसिद्ध हुयी, यहाँ कृतियों में पहाड़ी आत्मा का सौन्दर्य, सौकुमार्य, वैभव एवं यौवन मुखरित हो उठा है।

मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रकारों ने एक जुट होकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्रशैली को जन्म दिया। इस शैली का एक रूप बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली व तीसरा कांगड़ा शैली के नाम से पनपा।

डॉ० आनन्द कुमार स्वामी जी के अथक प्रयासों से पहाड़ी चित्रकला की 1910 में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रन्थों ‘राजपूत पेंटिंग’ एवं ‘हिन्दू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज’ आदि में पहाड़ी चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इसी प्रकार ओ०सी० गांगुली, जे०सी० फ्रेंच, डब्ल्यू०जी० आर्चर, कार्ल खण्डालावाला, डा० राय कृष्ण दास (भूतपूर्व निदेशक, भारत कला भवन) और डा० बी०एन० गोस्वामी आदि जैसे महान कला विदों ने

समय-समय पर अपने द्वारा रचित ग्रन्थों, पुस्तकों एवं शोधपूर्ण लेखों आदि के माध्यम से पहाड़ी चित्रकला को एक नया आयाम दिया और सांसार के समक्ष इस वैभवशाली चित्रशैली को पहचान दिलाई।

पहाड़ी चित्रकला के अन्तर्गत गुलेर शैली, कांगडा शैली, नुरपुर कलम, बसोहली शैली, चम्बा चित्रशैली, कुल्लु चित्रशैली, गढ़वाल चित्रशैली, मण्डी चित्रशैली एवं जम्मू चित्रशैली आदि उपशैलियाँ आती हैं। जिनके अन्तर्गत अनेक महान व कला कौशल में निपुण चित्रकारों ने चित्रण किया और अपने चित्रों के माध्यम से संसार भर के जन मानस के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ दी।

पहाड़ी चित्रकला में गुलेर चित्रशैली के विषय में बात करें तो यहां अर्थात् गुलेर शैली के समस्त चित्रकार एक ही वंशावली के थे। जिनमें प्रमुख रूप से पण्डित सेऊ का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। पण्डित सेऊ अथवा उनके परिवार से सम्बंधित तथ्य हरिद्वार तथा कुरुक्षेत्र आदि के पण्डों की बहियों से उद्घटित किए गए हैं।

16वीं अथवा 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में पहाड़ी रियासतों में एक नवीन चित्रशैली का प्रादुर्भाव हुआ। जो कुछ मुगल शैली के चित्रकारों द्वारा किया गया। इस नवीन शैली में रेखांकन, संयोजन, वर्ण-विन्यास, मानवाकृतियों, स्थापत्य (भवन-वास्तु), आलंकारिक आलेखन तथा वनस्पतियों आदि का बड़ा की मनोरम और विशिष्ट रूप से अंकन हुआ है।



पण्डित सेऊ (1680-1740 ई०) के परिवार में जितने भी सदस्य थे वे सभी उच्च कोटि के कलाकार थे। पंडित सेऊ घर-परिवार के आदरणीय मुखिया थे। इनके मनकू व नैनसुख नामक दो पुत्र थे। सेऊ ने अपने दोनो पुत्रों को कम आयु से ही चित्रकला के समस्त पहलुओं में प्रशिक्षित कर निपुण कर दिया था। नैनसुख अपने भाई मनकू से लगभग दस वर्ष छोटे थे। पंडित सेऊ के ये दोनो पुत्र बड़े ही प्रतिभावान एवं अद्वितीय चित्रकार थे। गुलेर चित्रशैली को उच्च कीर्तिमान दिलाने का श्रेय पंडित सेऊ एवं उनके वंशजों को ही जाता है।

गुलेर कमल के आरम्भिक चित्र पंडित सेऊ और उनके दोनो पुत्रों ने ही बनाये तथा पंडित सेऊ के पौत्रों – फल्लु, खुशाला, कामा, गोदू, निक्का और रांझा आदि ने भी चित्रकारी के विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाकर अमूल्य योगदान दिया।


नैनसुख 1710 से 1778 ई० के बीच भारत के अभूतपूर्व एवं अद्वितीय चित्रकारों में से एक रहे हैं। ये गुलेर के मूल निवासी थे। ये अपने भ्राता मनकू की तरह पहाड़ी चित्रकला को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ावा देने का कार्य कर रहे थे। नैनसुख को भारतीय चित्रकारों में एक अद्भुत एवं बेमिसाल चित्रकार की उपाधि भी जाती रही है।

नैनसुख अपने नाम को बिल्कुल सार्थक करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है – “आंखों का आनन्द” अर्थात् “नैनो को सुख प्रदान करने वाला”। नैनसुख का जन्म 1710 ई० भारत के हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक स्थान में हुआ था। पश्चिम हिमालय की घाटियों में मुगलिया चित्रकला का प्रचार-प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा था। इस कारण नैनसुख भी मुगल चित्रकारों के अतिशीर्ष सम्पर्क में आ गये थे। नैनसुख द्वारा पहाड़ी कला के आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इनके पास कला के गहरे अनुभव थे जो उनके ज्यामितीय खाकें पक्के रंग एवं जीवन्त रेखाओं के द्वारा देखे जा सकते हैं। उनकी प्रगाढ़ प्रतिभा के कारण उनको “भारत का पिकासो” की संज्ञा से भी सम्बोधित किया जाता है। 1778 ई० के लगभग नैनसुख की मृत्यु हो गयी थी। उनकी अस्थियों को इसी समय पर हरिद्वार लाया गया जो बहियों में दर्ज किया गया है।

नैनसुख ने अपने शैशवावस्था से ही महान व प्रतिभावान कलाकारों की छत्रछाया में ज्ञानार्जन किया तथा अनेक धार्मिक, ग्रन्थों तथा कथानकों के साथ-साथ चित्रकला का भी निरन्तर अभ्यास कर ज्ञान प्राप्त किया। वे अपने पिता पंडित सेऊ से पांच वर्ष की अवस्था में मानव मुख, आंखें, नाक, कान आदि बनाने का अभ्यास करना सिखते थे और इसी अभ्यास के परिणाम स्वरूप कई वर्षों के उपरांत नैनसुख ने निपुणता प्राप्त कर ली। निरन्तर अभ्यासरत रहकर नैनसुख ने 1743 ई० से पूर्व ही व्यक्ति चित्र तथा मुगलकला में प्रवीणता हासिल कर ली।

मुगल शैली के कुछ हिन्दु चित्रकारों ने कांगडा में गुलेर के राजाओं से संरक्षण प्रदान करने की मांग की थी। नैनसुख ने मुगल दरबार में भी चित्रकारी का कार्य किया था। उस समय वहां हिन्दु कलाकारों का होना साधारण सी बात थी। नैनसुख ने मुगल चित्रकला के कई उपन्यासिक तत्वों को अपने परिवार द्वारा सुनियोजित पारम्पारिक पहाड़ी शैली में प्रस्तुत किया। नैनसुख ने गुलेर में स्थापित अपने पिता की कार्यशाला को छोड़ जसरोटा की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। जसरोटा नामक स्थान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। परन्तु धनी रियासतों में से एक था। जहां नैनसुख ने अनेक आश्रयदाताओं तथा संरक्षकों के लिए कार्य किया, वहां के प्रमुख स्थानीय राजपूत शासक जोरावर सिंह और उनके सुपुत्र बलवंत सिंह (1724-1763) थे जिन्होंने नैनसुख को लगभग बीस

वर्षों तक नियुक्त रखा। नैनसुख ने अपनी मृत्यु पर्यन्त उनके संरक्षण में ही कार्य किया। पंडित सेऊ भी उस समय तक जीवित थे और वह कभी अस्थायी रूप से नैनसुख के साथ राजा बलवंत सिंह के दरबार रहते तो कभी अपने बड़े पुत्र मनकू के साथ गुलेर में रहते थे। राजा बलवंत सिंह एक कला प्रेमी राजा था। अतः नैनसुख से उसके सम्बंध अत्यंत मधुर थे। ये दोनों बहुत घनिष्ठ थे। राजा बलवंत सिंह हेतु नैनसुख द्वारा किया गया कार्य अत्यधिक प्रमुख है। नैनसुख ने



बलवंत सिंह के दैनिक जीवन तथा क्रिया कलाओं को असामान्य ढंग से प्रस्तुत किया जैसे – राजा को एक दास के साथ आखेट करते हुए दिखाना, राजा नृतकियों को देखते हुए, राजा अपनी दाढ़ी बनवाते हुए, राजा पत्र लिखते हुए, पूजा-अर्चना करते हुए, धूम्रपान करते हुए तथा राज महल की खिड़की से बाहर देखते हुए आदि छवियों को चित्रित करते थे। जिसमें राजा बलवंत सिंह की अनुमति अवश्य होती थी। राजा बलवंत सिंह के लिए नैनसुख ने जो कार्य किया उसके कारण नैनसुख कला जगत में सदा के लिए अमर हो गये। बलवंत सिंह के गुलेर में निर्वासन की समयावधि में नैनसुख उनके साथ ही थे। बलवंत सिंह का एक अत्यन्त अदभुत व अनोखा चित्र भारत कला भवन, बनारस में संग्रहीत है जो बलवंत सिंह को एक नाव से नदी पार करते हुए दिखाया गया है। उनकी नाव में उनके समस्त अनुचर, हाथी, घोड़े, हवेली भी उनके साथ दृश्यमान है। विशाल तुफानी लहरों वाली नदी का स्वरूप बड़ा ही अदभुत चित्रित किया गया है। इस दृश्य में ऐसा जान पड़ता है मानो राजा बलवंत सिंह अपनी राजसी दुनिया को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हों। राजा बलवंत सिंह के अनेक उत्कृष्ट चित्र प्राप्त हुए हैं जो चण्डीगढ़ संग्रहालय में संग्रहीत हैं। नैनसुख की विलक्षण प्रतिभा उनके चित्रों के माध्यम से समस्त संसार के समक्ष उजागर हुई हैं। नैनसुख चित्रों को ऐसा सजीव उकेर देते थे कि मानो कोई चित्र न होकर कोई फोटो हो।

नैनसुख के युवावस्था में बनाये गये चित्रों में उतना वैभव और परिपक्वता नहीं है पर धीरे-धीरे उनकी शैली में परिपक्वता आ गयी थी। नैनसुख में प्राकृतिक वातावरण तथा मानवाकृतियों को एक अदभुत सलोना स्वरूप देकर चित्रित किया जाना सबसे अभिन्न था। नैनसुख ने स्त्री आकृतियों को बड़े ही सधे हाथों से चित्रित किया

था। नैनसुख ने पशु-पक्षी आदि का भी चित्रण बहुत सुन्दर ढंग से किया। उनके चित्रों में प्रकृति दृश्यों, मानवाकृतियों, पशु-पक्षियों, हवेलियों, इमारतों का संयोजन बड़ा ही मनमोहक है। उनके द्वारा रंगों का चयन चित्रों को बड़ा आकर्षक और सजीव रूप देता था। राजा बलवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत नैनसुख ने राजा बलवंत के भाई के पुत्र राजा अमृतपाल का संरक्षण प्राप्त किया जो बसोहली में शासन करते थे। राजा अमृतपाल एक धर्मनिष्ठ, धर्म के प्रति आसक्त हिन्दू शासक था। इन्होंने अपने समस्त राजपाठ त्यागकर आध्यात्मिक जीवनक को अपनाया। नैनसुख ने राजा बलवंत सिंह के लिए अत्यन्त उत्तम उत्कृष्ट और उच्च कोटि का कार्य किया जो सम्भवतः धार्मिक हिन्दू महाकाव्यों, पौराणिक कथा कहानियों, कथानकों और घटनाओं पर आधारित थे। इस प्रकार नैनसुख ने मुगल चित्रकला के कलात्मक तत्वों को अपनाकर 18वीं शताब्दी में पहाड़ी चित्रकला को नया आयाम दिया। नैनसुख ने अपने जीवन का अन्तिम पड़ाव बसोहली में व्यतीत किया जहां वो धार्मिक विषय पर 1765 से 1778 के मध्य चित्रण कार्य करते रहे परन्तु उन्होने अपने शैलीगत नवाचारों को बरकरार रखा। बसोहली चित्रकला के अंतर्गत नैनसुख के बड़े भाई मनकू का नाम मुख्यरूप से इसलिए लिया जाता है क्योंकि मनकू ने अपनी पारिवारिक वंशानुगत शैली को बरकरार रखा था परन्तु जसरोटा (राजा बलवंत सिंह के शासन काल में 1746-1763 ई०) में अपने कार्य के लिए नैनसुख को अधिक पहचाना गया है।¹⁰

राजा अमृतपाल की मृत्यु की भविष्यवाणी ज्योतिषी नाथ द्वारा पहले ही कर दी गयी थी। इस कारण उनका मन विरक्त हो गया और उन्होने अपना राजपाठ त्याग दिया और 1776 ई० में काशी जाकर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे और 1777 ई० में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गयी थी। काशी जाने से पहले राजा अमृतपाल ने अपनी सारी सम्पत्ति दान में दी दी थी। नैनसुख को भी उन्होने भूमि का दान दिया था क्योंकि नैनसुख भी राजा अमृतपाल की ही तरह धार्मिक प्रवृत्ति का था। कुछ समय पश्चात् 1778 ई० में नैनसुख की भी मृत्यु हो गई थी।¹¹

नैनसुख के चार पुत्र थे जिनका नाम – कामा, गोधु, निक्का तथा रांझा था।¹² नैनसुख ने अपने चारों पुत्रों को भी चित्रकला के सभी गुर सिखाये जो नैनसुख की मृत्यु के उपरान्त चित्रण कार्य में लगे रहे और परिणाम स्वरूप रांझा, निक्का व गोधु बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार बने।

नैनसुख की चित्रण शैली— नैनसुख चित्रकला की एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थी। उनके पास ज्यामीतिय खाके और पक्के रंग तथा जीवन्त रेखाओं के गहरे अनुभव थे। इसके साथ-साथ उनका रुझान वास्तुशास्त्र में भी था। उनको व्यक्ति चित्रण एवं मुगल कला में भी प्रवीणता हासिल थी। नैनसुख एक चित्रकार न होकर एक फोटोग्राफर की भांति कार्य करते थे जो कि उनकी यथार्थपरक होने का परिचायक है। उनकी कला जीवन्त चेतना

सृजनात्मक और प्रयोगात्मक जैसे तत्वों की मुखर गवाही देती है। नैनसुख ने 1743 से लेकर 1750 ई० के मध्य अत्यन्त जीवन्त और संवेदनशील चित्र बनाये। नैनसुख का मानव आकृतियों, वृक्षों, वनस्पति, वन्य प्राणियों को देखने का ढंग व नजरिया औरों से बिल्कुल भिन्न था। उनकी दृश्यावली में गहरे रंग में लहराती शाखाओं वाले पुष्प, वल्लरियों से लदे झूलते हुए वृक्षों के दर्शन नहीं होते। जो अपनी छाया में प्रणयातुर कृष्ण राधा के लिए केलि कुंज बनाते हैं न ही नैनसुख के भूदृश्यों के अनेक कटावदार हेकड़ियों से अटे रहते हैं। जिनकी चट्टानी दरारों में छोटे-छोटे बूटे उगे हुए होते हैं। दूर से कोई शेर, चीता भी दिखाई दे जाता है। कहीं-कहीं कटे-फटे किनारों वाले तालाब भी नैनसुख अपनी पृष्ठभूमि में दिखलाते हैं। नैनसुख द्वारा बनाये गये एक चित्र में जसरोटा के मियां मुकुन्द देव का चित्र है जिसमें समतल पृष्ठभूमि है। उस पर मखमली घास बिछी है।

नैनसुख ने नारी आकृतियों को भी बड़े सधे हाथों से बनाया हालांकि यह उतनी मनमोहक आकर्षक व काल्पनिक नहीं थी जितनी नैनसुख के भ्राता मनकू की थी। परन्तु यह वास्तविक दिखाई पड़ती थी।

नैनसुख ने पशु-पक्षियों जैसे घोड़ा, हाथी, शेर, चीते, सियार, मोर, बाज, बत्तख एवं जलमुर्गी आदि का भी बड़ा मनोहारी एवं सुन्दर चित्रण करना बखूबी जानते थे। उन्हें घोड़ों के चित्रण में महारत हासिल थी तथा वह घोड़े के चित्र बहुत आनन्द से बनाते थे। उनके बनाये घोड़े चुस्त-दुरुस्त तथा उम्दा नस्ल के हैं। अलग-अलग रंगों वाले घोड़े अलग-अलग अंग विन्यास द्वारा सामने देखकर खूबसूरती से चित्रित किये गये हैं।

नैनसुख ने अपने आरम्भ में कुछ वर्ष मुगल दरबार में बिताए तथा मुगल स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने कुछ मुगल शासकों के भी व्यक्ति चित्र बनाये जिनमें औरंगजेब, बहादुरशाह, तथा मुगल सम्राट मुहम्मद शाह (1719-48 ई०) 14 थे।

नैनसुख के बहुत सारे चित्रों पर लेख देखे जा सकते हैं। मुख्यतः टाकरी व देवनागरी में उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखा है।

नैनसुख के प्रमुख व प्रसिद्ध चित्र—

1. राजा बलवंत सिंह का कृष्ण और राधा दर्शन।
2. हनुमान औषधीय जड़ी-बूटियों के साथ राम और लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं। (एक बिखरी हुई रामायण शृंखला से सचित्र)।
3. लड़कों के रूप में राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र की सहायता करते हैं। 15
4. बलवंत सिंह दाढ़ी बनवाते हुए।
5. बलवंत सिंह शेर के आक्रमण से अपने हाथी को बचाते हुए (फॉग आर्ट म्यूजियम, लंदन)
6. बलवंत सिंह हुक्का पीते हुए।
7. राजा बलवंत सिंह संगीत सुनते हुए (सबसे प्राचीन चित्र)।

8. कंचनी जफर का नाच (चण्डीगढ़ संग्रहालय में संग्रहीत है।)



सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारतीय चित्रकला और काव्य (मध्यकालीन भारतीय चित्रकला), डॉ० श्याम बिहारी अग्रवाल, पृष्ठ सं० 1
2. कला विलास भारतीय चित्रकला का विवचेन, आ००० अग्रवाल, पृष्ठ सं० 5
3. कला विलास भारतीय चित्रकला का विवचेन, आ००० अग्रवाल, पृष्ठ सं० 155
4. भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, डा० रीता प्रताप, पृष्ठ सं० 253
5. पहाड़ी चित्रकला के महान कलाकार, वी०सी० ओहरी, पृष्ठ सं० 18
6. Marg - 21 , Pahari Painting: The family as the basis of style, B.N. Goswamy, Page No. 25
7. Nainsukh of Guler, B.N. Goswamy
8. www.hmoob.in>Nainsukh
9. Pahari Miniature Painting in the N.C. Mehta Collection, Karl Khandalavala, Page No. 36
10. www.amarujala.com - Jasrota Rule of Painting in British Museum in London. Know about Painting Nainsukh
11. Pahari Miniature Painting in the N.C. Mehta Collection, Karl Khandalavala, Page No. 45
12. Marg - 21 , Pahari Painting: The family as the basis of style, B.N. Goswamy, Page No. 24
13. Pahari Miniature Painting in the N.C. Mehta Collection, Karl Khandalavala, Page No. 34
14. Lalit Kala - 11, An Early Ruler Painting. Jagdish Mittal, Fig 3
15. www.hmoob.in>Nainsukh

Shalu Singh

D/O Mr. Dayanand Singh,
49/2, Raidaspuri, Muzaffarnagar
(U.P.) – 251 001



सारांश

लोक गीत से तात्पर्य: लोक गीत लोक में प्रचलित वे गीत हैं जो नगर संस्कृति से भिन्न ग्राम संस्कृति या लोक संस्कृति के होते हैं। इनको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित नहीं किया जा सकता। वह तो लोक मानस से तादात्म्य रखता है और ऐसी व्यक्तित्वहीन रचना है जिसमें कि समस्त लोक का व्यक्तित्व उभरता है किन्तु समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। साधारणतः लोक गीत दो शब्दों लोक+गीत के योग से बना है।

लोक गीत लोक जन द्वारा विशेष परिस्थिति स्थल, कर्म तथा संस्कार के समय हुई अनुभूतियों की लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति है। लोकगीत जनमानस से उत्पन्न हर्ष-विषादमयी भाव धाराओं का व्यक्त रूप है। हृदय का सुख-दुख जब स्वरो में साकार होता है तब लोक गीतों की सृष्टि होती है। सरलतम जीवनी की सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतियां लोग गीतों में प्रश्रय पाती है। लोक गीत न तो नया होता है और न पुराना वह तो जंगल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें भूतकाल की जमीन में गहरी धंसी हुई है। परन्तु जिसमें निरंतर नई-नई डालियां पल्लव और फल उगते रहते हैं।

पं. रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार— “जब से पृथ्वी पर मनुष्य है तब से गीत भी है। जब तक मनुष्य रहेंगे, तब तक गीत भी रहेंगे। मनुष्यों की तरह गीतों का भी जीवन-मरण साथ चलता रहता है। कितने ही गीत तो सदा के लिए मुक्त हो गये, कितने ही गीतों ने देश काल के अनुसार अपनी भाशा का चोला बदल डाला पर अपने असली स्वरूप को कायम रखा।

पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार— “लोक गीत की एक-एक बहू के चित्रण पर रीतिकाल की सौ-सौ मुग्धाएं, खण्डिताएं और धाराएं निछावर की जा सकती है क्योंकि ये निरलंकार होन पर भी प्राणमयी है। और वे अलंकारों से लदी होकर भी निष्प्राण है। ये अपने जीवन के लिए किसी विशिष्ट शास्त्र की मुखापेक्षी नहीं है और अपने आप में परिपूर्ण हैं।

मेवात प्रदेश में वैसे तो छत्तीस बिरादरी के लोग रहते हैं लेकिन मेव जाति के लोग बहुसंख्या में हैं। इसी कारण यह सम्पूर्ण क्षेत्र मेवात के नाम से जाना जाता है। लोग संगीत व लोक गीतों के मामले में यह क्षेत्र अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मेवात प्रदेश के लोक गीतों का समग्र अध्ययन करने हेतु निम्न श्रेणी विभाजित की जा सकती है।

जन्म संस्कार संबंधी गीत — मेवात क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर कांसी की थाली बजाई जाती है। जच्चा गाई जाती है। गीत गाने की यह परम्परा प्राचीन है। यहाँ एक मेवाती लोक गीत जो बच्चे के

जन्म दिन पर गाया जाता है दृष्टव्य है।

सुमर सायब कौ नाम, जिनने तोहे जन्म दियो
भंरो सो हाथी जाये, जरदी अमानी
धन-धन तेरा भाग, हुलारिया ने जन्म लियो
भोला तेरी बन्द तं छुड़ाय, मैने तेरो भजन करो
सुमर सायब कौ नाम जिनने तोहे जन्म दियो

कुआं पूजन के गीत इस क्षेत्र के लोगों में पुत्र जन्म के बाद कुआं पूजने की प्रथा है इसे जलवा पूजन भी कहा जाता है। बच्चे के जन्म पर जच्चा के पीहर से छूछक आता है जिसे ओढ़कर जच्चा कुआं पूजने जाती है। इस अवसर पर यह गीत गाया जाता है।

“पांच मोहर को साहिबा पीलो रंगदयो जी।

पांचा बीसी, गोडा मारु जी।

पीलो रंगादयो जी

के पिलो तेरी मां रंगायो जी

के कोई नन्दशाला से आयो जी

पति प्यारा जी

पीलो रंगादयो जी।

खतना संस्कार गीत: यह संस्कार मेव जाति के लोग लड़के के कुछ बड़े होने पर करते हैं। नाई को अपने घर बुलाकर उस लड़के की मुत्रेन्द्रिय के ऊपर के हिस्से की चर्म को आगे से कुछ काट दिया जाता है। इस प्रथा को ‘खतना’ कहा जाता है। उस समय महिलाओं द्वारा निम्न गीत गाया जाता है।

नाईडो मेरो भाईडो, उस्तरो होस्यार रे।

जै नाई तेरो कापे हाथ, ले अल्ला को नाव रे।

नाईडो मेरो भाईडो, उस्तरो होस्यार रे।

जाढना सं तो हिन्दु हो आज हुयो मुसलमान रे।

बंधो दीन को सहरो, हुयो मुसलमान रे।

विवाह संस्कार संबंधी: जन्म आदि संस्कारों के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह ही होता है। विवाह एवं इससे संबंधित लोकाचारों में नारी का योगदान सबसे अधिक रहता है। इनके सरस गीतों से ही तो विवाह सजता संवरता है। यदि नारियों के लोक गीतों की छटा विवाह आदि संस्कारों पर न बिखरे तो वह मृत्यु के संस्कार के समान हो जायेगा।

मंगनी संस्कार : मेवात क्षेत्र के लोगों में सर्वप्रथम विवाह से पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है। सगाई के अवसर पर लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर जाते हैं। लड़के के संबंधी तथा गाँव के जिम्मेदार

लोग इकट्ठे होते हैं। लड़के को बुलाया जाता है तथा उसे कुछ रुपये देकर सगाई की रस्म पूरी की जाती है। औरतें मिलकर एवं बड़े उत्साह के साथ गीत गाकर इस अवसर को शानदार बना देती हैं।

“कैठया सं आया जी नारेल
लाला कैठया सं आया बीड़ा पान।
गढ़-माढो सं आया नारेल जी,
संरजमल ने भेज्या बीड़ा पान।
अपण घर। की लड़वण सोहन चिड़ी,
न म्हारो जग में बढ़ायो जी मान।

भात न्यौतना संस्कार: विवाह से दो या तीन दिन पहले वर पक्ष एवं कन्या पक्ष की और भात न्यौतने की परम्परा है। वर-वधु की माता अपने पीहर जाकर भात न्यौतकर आती है। मेवात में भात न्यौतने की परम्परा काफी प्राचीन समय से चली आ रही है। इसमें वर-वधु की माता अपने साथ मिसरी के कंजे, मेवा, मेहंदी, कलावा, रोली, गुड़ की भेली तथा एक चिट्ठी आदि ले जाती है तो गांव की स्त्रियों के द्वारा निम्न गीत गाया जाता है।

ऊँची तो घर की पोल भाई जाया
नीचो रे घर को बारणो।
बीरा म्हारा ऊबी जोऊ बाट,
आज घर आया भातई
मै दुहरी माला पहर खड़ी कोठा में,
बीरा ऐसो भरियो भात बाहण टोटा में।

बान बिठाना संस्कार गीत: गणेश जी की पूजा के बाद मेवात के लोगों में विवाह के पाँच या सात दिन शेष रहने पर वर व कन्या को बान बिठायो जाता है। बान बैठने के दिन से ही वर व कन्या को नहलाने से पहले जौ या चने का आटा-हल्दी व सरसों के तेल से तैयार किया गया उबटना लगाया जाता है। इस अवसर पर नारियों द्वारा गीत गाए जाते हैं।

आओ री सात जणी, तेल चढ़ाओ।
तेल चढ़ाओ याके बटण लगाआग।।
काई को तेरो बटणो, काई को तेरो तेल।
जौ चना को बटणो, चमेली को तेल।।
आओ री सात जणी तेल चढ़ाओ।

बनड़े के गीत: जिस प्रकार लड़की के विवाह में बनड़ी गाई जाती है उसी प्रकार मेवात में लड़के के विवाह में बनड़े गाये जाते हैं। एक बनड़े के गीत में उसे सजाया संवारा जा रहा है।

बन्ना है बन्नी को बड़ो चाव
चल दियो सिखर दुपहरी में
बन्ना जंता लायो सई साज
मोजा तो लायो, सिखर दुपहरी में।
बन्ना है बन्नी को बड़ो चाव

विदाई के गीत: विवाह के दूसरे दिन वरुण बेला का आगमन होता

है। हांस उल्लासमय वातावरण गहन वेदना एवं शोक से अभिभूत हो जाता है। सदा के लिए पराई होकर अपने सगे माता-पिता और भाई-बहनों को छोड़कर जाने वाली कन्या के विलाप से हृदय दहल उठता है। रोती हुई माता विलाप करते हुए पिता को देखकर हृदय विदीर्ण हो रहा है और आँखें आँसू बहा रही हैं। कन्या के उदास मन में उठे भावों का मेवात के गीतों में कितना मार्मिक चित्रण हुआ है।

बहना घर बहली में पांव,
नाम ले अल्लाह को।
तं तो जा अपणी सुसराड
भंल ना सखियन को
बहना घर बहली में पांव।

हास्य रस संबंधी गीत: मेवात प्रदेश में हास्य रस से संबंधित गीतों की रचना यहां के शायरों एवं मीरासी गायकों ने की है।

साली काली कैसे पड़गी पीहर जाके
जीजा बलम गयो परदेस फिकर करके।
साली देदू चिट्ठी तार बुलादू तड़के,
जीजा मत दे चिट्ठी तार गयो रे लड़ के।

सावण के गीत: सावण की मादकता पशु-पक्षी, नदी-नाले और प्रकृति पर प्रत्यक्ष लक्षित होती है। सावण के झूले मेवात की महिलाएं झूलती रहती हैं और उल्लास के साथ गीत गाती हैं।

“कच्चा नीम की निंबोली, सावण जल्दी आयेगो
बाबुल दूर मत दीजो, हमने कौण बुलायेगो
कच्चा नीम की निंबोली, सावण जल्दी आयेगो

खेती बाड़ी संबंधी गीत: एक परिवार में सास-बहू की नही बनती इसलिए वह अपने बेटे से बहू की शिकायत करती हैं। अपनी पत्नी की शिकायत सुनकर वह उसे फटकारता है। उसी से संबंधी गीत है।

“ठाकै टोकणी पाणी लं चाल्थी, फौजी छुट्टी आ रह्या है
पाणी भरके उल्टी आई मां बेटा लं सिखारी सै
खेत नलावैण भेजं रै बेटा जाटी नीचै सोवै से
दो सेर पोवै, दो सेर पीसै, दो पाणी का ल्यावै सै
काली आँचल ओढ़कै रे बेटा, रंडवा नै मुख दिखावै सै।

देश भक्ति संबंधी गीत: मेवात के लोक गीतों स्वतंत्रता प्राप्ति के संदर्भ में मिलते हैं। राष्ट्रीय चेतना के रूप में जो क्रांतिकारी भाव और विचार भारतीय जीवन में उस समय था उसकी सुन्दर इन गीतों में हुई है। लोक गायक पं. हीरालाल ने राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिकता के सांस्कृतिक इतिहास को भी बड़ी गहरोई से हुआ है।

“एक देश राष्ट्र म्हारा, भारत मां सब की माई
हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई-भाई
गिरजा घर मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद एक स्थान।
पोप, पुजारी, काजी, मुल्ला एक ही सबका ज्ञान

रब, ईश्वर, अल्ला, गौड़ एक है मिल्यां यही प्रमाण
सब की कथनी एक मिलो, म्हारे जितने भी विद्वान ।

निष्कर्ष: मेवात प्रदेश के लोक गीत के विभिन्न अवसरों पर गाये जाने वाले गीतों को रखा गया है। इन गीतों में मेवाती जीवन की वास्तविकता दिखाई देती है। लोक साहित्य में लोक गीतों का महत्व अनन्य है। अन्तःमन की गहराई से फूटे लोक गीतों की विशालता जिस पैमाने में जन जीवन के साथ बंधी हुई है उसका उपयोग भी उतना ही विशाल है। ये विविध संस्कारो व्रत, त्योहारों एवं विविध ऋतुओं पर गाये जाने वाले लोक गीत। मेवात प्रदेश में वैसे तो छत्तीस बिरादरी के लोग रहते हैं लेकिन मेव जाति के लोग बहुत संख्या में है। लोक संगीत व लोक गीत के मामले में यह क्षेत्र अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ. विश्वनाथ प्रसाद— मगही संस्कार गीत भूमिका पृ. 47
2. डॉ. अनिल जोशी दूहे एव लोक गीत पृ. 70—71
3. मेवाती संस्कृति अध्ययन एवं अवलोकन, सिद्दिक अहमद मेव पेज नं. 142—152
4. निहाल दे एक विवेचना: डॉ. अनिता भारद्वाज एवं डॉ. राम कुमार भारद्वाज पृ. सं.50
5. तारा चन्द प्रेमी चिराग ए मेवात, जनवरी 2005 अंक 5 पं. 49
6. मैथिली लोक गीतों का अध्ययन डॉ. तेजनारायण शास्त्री प्र. 371
7. हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य डॉ. शंकर लाल यादव पृ. 43

प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव

हिन्दी विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर (रोहतक) हरियाणा

मोबा. 9929179255

सारांश —

राजनीतिक शब्द “राज” तथा नीति दो शब्दों के योग से बना है। ‘राज’ से राज्य और नीति से नियम अर्थ लगाया जाता है। राम चंद्र वर्मा के अनुसार— “उन नियमों तथा विधान आदि को राजनीति मानते हैं जिनके अनुसार किसी राज्य का कोई राजा शासन कार्य चलाता है।

व्यक्तियों द्वारा बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था, जिसका उद्देश्य मानव का, राष्ट्र का कल्याण एवं सुरक्षा करना है। राजनीति अर्थात् “राज्य की रक्षा और शासन को दृढ़ करने का उपाय बताने वाली नीति है।

जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जब कोई विकास कार्य नहीं करती है। जनता द्वारा चुने गए राजनेता जनता के लिए संतोश जनक कार्य नहीं करते हैं। तो उनको बदला भी जा सकता है। जो लोग जनता के रक्षक हैं वही लोग कानून के भक्षक बनते जा रहे हैं। वे लोग कानून के नियमों का गलत प्रयोग करते हैं। और अपने अधिकारों के द्वारा आम जनता का शोषण करते हैं। आम जनता को अपने हथकंडे का शिकार बताते हैं। तो आम जनता उनके शोषण के विरोध में आवाज उठाती है। आजादी से पहले और आजादी के बाद में फैली अराजकता, अनैतिक मूल्यों से उत्पन्न आम व्यक्ति का संघर्ष भी राजनीति में देखने को मिलता है।

मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार “रेणु” जी का उद्देश्य मेरीगंज आंचल की समस्त हलचल को चित्रित करना रहा है। सन् 1942 से लेकर देश में स्वतंत्र होने तक जो राष्ट्रीय आन्दोलन चला तथा जो पाटियाँ मुख्य रूप में सामने आई उनके कार्यों का स्पष्ट चित्रण रेणु जी ने अपने उपन्यास मैला आंचल में किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन गतिविधियों में जो उथल-पुथल हुई है राजनीतिक का जो दृष्टभाव फैला है, राजनीति शोषण, भ्रष्टाचार, चुनाव के प्रति सजगता और चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाना, इन सब के प्रति आलोचनात्मक प्रतिक्रिया अपने उपन्यासों में व्यक्त की है। शहर हो या गाँव हो चुनाव में नीति के सजगता और धोखबाजियाँ देखने को मिलती है। मैला आंचल में बावन दास कहता है कि “सब चौपट हो गया.... यह बेमारी ऊपर से आई। यह पटनिया रोग है अब तो धूम-धाम से फैलेगा। भूमिहार, राजपूत, कैथ, यादव, हरिजन सब

लड़ रहे हैं। किसी का आदमी चुना जाए इसी की लड़ाई है। यदि राजपूत पार्टी के लोग ज्यादा आए तो सबसे बड़ा मंत्री भी राजपूत होगा। सब एम.एल.ए. होना चाहते हैं। इसलिए साधारण जनता यह निर्णय नहीं कर पाती है कि उनके लिए कौन से नेता शुभचिंतक और हितैशी हैं। क्योंकि सभी नेता सुन्दर-सुन्दर वादे करते हैं और फल समान ही होता है।

“परती परि कथा” के आरंभ में भी यहा कहा गया है। “पिछले आठ चुनावों में सॉलिड और कांग्रेस को नहीं मिला इसलिए इस बार सॉलिड वोट प्राप्त करने के लिए हर पार्टी की शाखा प्रत्येक मास अपनी बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास करती है।

राजनीतिक पार्टियाँ भी संगठन बनाना जायज समझती है। इसलिए वे चाहते हैं कि “पंचायत मुखिया आदि अपनी पार्टी का आदमी चुनेंगे तो समझो कि गई जमीन फिर मिल गई। सभी को तरह-तरह प्रलोभन दिए जाते हैं और किसानों को विश्वास दिलाया जाता है कि जमीन की प्राप्ति अच्छे सरपंच के माध्यम से हो सकती है। रोशन विश्वा भी सोचता है— “मुखिया सारे पुरान पुर गाँव का अकेला मालिक जिसके इसारे पर गाँव के लोग उठेंगे। जले और जुर्माना करने का पावर नागार्जुन “बलचनमा” उपन्यास में चौधरियों की राजनीतिक काली करतूतों के प्रति ईश्या और इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह को दिखाया है। इस उपन्यास में किसानों के जीवन में उनकी पीड़ाओं और सामाजिक विशमताओं को उजागर किया है। क्योंकि जो जमींदार व्यक्ति है वो हमेशा किसानों पर अत्याचार करते रहते हैं और उन्हें अपना गुलाम बना कर रखते हैं। नागार्जुन के शब्दों में “धरती किसकी जोते बाय उसकी किसान की आजादी आसमान से उतर कर नहीं आएगी वह प्रकट होगी नीचे जुती जमीन के भुरभुरे देलो को फोड़कर।

“मंगल भवन” उपन्यास विवेक राय द्वारा रचित है जिसमें चुनावी राजनीति की मूल्य हीनता के बारे मास्टर विक्रम कहते हैं लोकतंत्र के नाम पर झूठ, फरेब, तिकड़म, सब्जबाग, हवाई वादे, धोखाधड़ी, देशद्रोह जैसे कारनामों, हिंसा, चोरी, बेईमानी, शैतानी पाप और अत्य-अन्याय के पहाड़ खड़े किए जाते हैं। विवेक राय जी ने अपने उपन्यासों में कपट राजनीति का पर्दाफाश किया। साधारण जनता केवल अब अभाव ग्रस्त जीवन जीने के लिए विवश है। भारत को पंचवर्षीय योजनाओं, जमींदारी, उन्मूलन, सामंती जीवन के

विघटन और चुनाव प्रक्रिया से उत्पन्न नए सघर्षों का सामना करना पड़ता है।

डॉक्टर चन्द्रकांत बिंदावडेकर के शब्दों में “राजनीतिक भ्रष्टाचार, सत्ताकांक्षी नेताओं का भयावह दोगला चरित्र, धनाड्य व्यक्तियों की लालसा, भाग लालसा और मूल्यहीनता पुलिस वर्ग का जनपीड़क स्वरूप, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले की मूल्य विशयक बधिरता बढ़ती आत्मकेंद्रित सुखोपजीवी दौड़ राजनीतिक में बढ़ता अपराधीकरण जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देकर जनता को वोट बैंक बनाने की युक्तियां नगर और गाँव असंतुलित संबंध, पारिवारिक टूटन, सामान्य जन जीवन की सहायता, शिक्षा तंत्र की सर्वतोमुखी असफलता, यह समस्त विद्रूप यथार्थ हिन्दी उपन्यास में प्रतिबिंबित हो रहा है।

आज भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चुनाव में हर व्यक्ति अपने जाति के व्यक्ति को जिताना चाहता है। चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सभी के निर्णय जाति के आधार पर होते हैं। “जुलूस” उपन्यास का एक पात्र कहता है— इस देश में सिर्फ आदमी—आदमी अपनी पार्टी का नहीं दिशाएँ भी अपने देश और अपने पार्टी की हो सकती है। स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीतिक उभर कर सामने आई जिसमें शहर हो या ग्रामीण समाज उनकी संस्कृति को प्रभावित किया। ये राजनीतिक दल सत्ता के लालच के कारण राजनीति को स्वार्थ साधन के रूप में प्रयोग करते हैं यह सीधे—साधे गाँव के व्यक्तियों को अपने स्वार्थ का शिकार बनाते हैं।

“पलटू बाबू रोड़” की रचना में इस राजनीतिक दुखद स्थिति को देखा जा सकता है। ‘फूल बागान कोठी नहीं थिएटर हो गया है। एक ही परिवार में साँप, मोर, बकरी, बाघ किस तरह दिन काटते रहे हैं। ऊपर एक कमरे में कांग्रेस का ऑफिस है जिसकी नेता तो बिजली है दूसरे कमरे में छवि व घंटा नेतृत्व करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का तीसरे में राम कृष्ण परमहंस को लेकर ‘जपध्यान’ में मग्न रहता है।

आज की राजनीति जीवन मूल्यों से कटने के कारण जनता से दूर होती जा रही है। सभी राजनीतिक केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। अपने स्वार्थ के कारण भोले किसानों और ग्रामीणों को झूठे प्रपंच में फंसाकर उन्हें अपनी बातों से बहकाते हैं और साथ में उनको डराते भी है “रेणु” के उपन्यासों में इसका वर्णन काफी देखने को मिलता है।

“लोकऋण उपन्यास में राजनीति का एक अलग रूप को एक नया अर्थ और आयाम देता है। सभापति के रूप में गिरीश को निर्विरोध चुनकर उपन्यास में राजनीतिक का आदर्शवादी स्वरूप भी दर्शाया गया है। फिर उत्सुक अधीर लोग का एक घंटे का समय का

आदर्शवादी स्वरूप भी दर्शाया गया है। तो पूछने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी गाँव वालों को निर्विरोध चुनाव के लिए धन्यवाद करते हुए कहता है कि सभापति के लिए सिर्फ एक पर्चा दाखिल हुआ है। प्रस्तावक हरनारायण समर्थक सिरताज सिंह और निर्वाचित उम्मीदवार का नाम गिरीश चन्द्र वल्द राम ऊछाह प्रसाद।

“मछली बाजार” उपन्यास में राजेन्द्र अवस्थी जी ने राजनीति का यथार्थ चित्रण किया है। राजनीति कर्णधारों की निजी जिंदगी कैसी है। इसके विवरण को यह कृति जुटाती है। इस उपन्यास में रिश्वर खोरी, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और राजनेताओं के झूठे आश्वासनों को उपन्यास का कथ्य बनाया गया है। उपन्यास का एक पात्र विक्रम राय वर्तमान राजनीति का प्रतीक है। प्रमोद भार्गव विक्रम राय के संबंध में कहते हैं कि — “जितने चेहरे आज की राजनीति में हम देखते हैं उन सबमें कहीं न कहीं विक्रम राय उपस्थित है।

विक्रम राय सरकारी नौकर था। विक्रम राय विदेशी टेंडर से रिश्वत लेता है और कार्यवाही होने से पहले ही इस्तीफा दे देता है और भीम सेन ट्रस्ट का ट्रस्टी बन जाता है। विदेशी दौरे पर प्राइवेट सेक्रेट्री से अनैतिक संबंध स्थापित करके उसे गर्भवती बना देता है। जब उसकी पोल पट्टी खुलती है तो अपने बेटे से उसकी शादी करवा देता है। विक्रम राय भारतीय राजनीतिक का शतरंज का खिलाड़ी है।

“भंगी दरवाजा” उपन्यास के पात्र श्याम बाबू और उनकी पार्टी में मिलती है श्याम बाबू राजनीति में माहिर है। शतरंज के पक्के खिलाड़ी है। उनकी वर्तमान राजनेता सी दूर दृष्टि है। जब मोहन सिंह नामक उम्मीदवार चुनाव में मदद लेने के लिए आता है तो वे जानता है कि इसका फायदा बड़े चुनाव में मिलेगा। वे उसके कान में मंत्र देते हैं और अनेक राजनीतिक चालें चलता है।

“जंगल के फूल” आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों ने शडयंत्र रच कर उन्हें फंसाया और उनके सपनों को चूर कर दिया। इस उपन्यास में अंग्रेजों की कूटनीति और अत्याचारों की झलक आती है। ग्रेयर अफसर ने महुआ, सुलकसाय और गुंडाधूर को बुलाकर उनकी प्रशंसा करके अपने वश में करने का नाटक रचा था। उनकी आवश्यकताओं को मानने का झूठा दावा किया। इस तरह आदिवासी अंग्रेजों की चाल में फंस गए।

निष्कर्ष— आंचलिक उपन्यासों राजनीतिक धरातल, देश की तत्कालीन राजनीतिक हलचल एवं सामाजिक परिवर्तनों को मानवीय संवेदना के रूप में अपने कथा साहित्य को में उतारा है। स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गतिविधियों में जो उथल—पुथल हुई है। राजनीति का जो दुःप्रभाव फैला है, राजनीति शोषण, भ्रष्टाचार,

चुनाव के प्रति सजगता और चुनाव जीतने के लिए अनेक हथकंडे अपनाएँ इनका वर्णन आंचलिक उपन्यासों में किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. फणीश्वरनाथ रेणु– मैला आँचल, पृष्ठ सं. 28
2. फणीश्वरनाथ रेणु– मैला आँचल पृष्ठ सं. 310
3. फणीश्वरनाथ रेणु– परती परि कथा पष्ठ सं. 23
4. नागार्जुन– बलचनमा, पृष्ठ सं. 207
5. डॉ. विवेक राय– मंगल भवन, प्रभात प्रकाशन 1994, पृष्ठ सं. 215
6. फणीश्वरनाथ रेणु– जुलूस, पृष्ठ सं. 55
7. डॉक्टर विवेक राय– लोकऋण, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी 1977, पृष्ठ सं. 27
8. शब्दार्थ दर्शन– रामचंद्र वर्मा, पृष्ठ सं. 503
9. जंगल के फूल– राजेन्द्र अवस्थी, पृष्ठ सं. 17,19
10. मछली बाजार– राजेन्द्र अवस्थी, पृष्ठ सं. 11
11. भंगी दरवाजा– राजेन्द्र अवस्थी, पृष्ठ सं. 68

प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव

हिन्दी विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर (रोहतक) हरियाणा

मोबा. 9929179255

सारांश

पानी एक अनमोल संसाधन है। पीने का पानी हमेशा सामाजिक उपभोग की वस्तुओं (पीने का पानी, स्वच्छता और चिकित्सा, शिक्षा सुविधाएं आदि) की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रहा है। पानी न केवल आवश्यक है, बल्कि दुर्लभ भी है। विकास और बढ़ती जनसंख्या के साथ पेयजल स्रोतों का हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से बदल रहा है। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार, हरियाणा के कुल ग्रामीण परिवारों में से 37.8 प्रतिशत ने पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग किया और 35.7 प्रतिशत हैंडपंप, 7.6 प्रतिशत ट्यूबवेल, 16.5 प्रतिशत कुओं और 2.4 प्रतिशत ने पीने के पानी के अन्य स्रोत का उपयोग किया। जबकि 2011 में, इसके 63.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने हरियाणा में पीने के पानी के लिए नल, 4.5 प्रतिशत कुओं, 14.2 प्रतिशत हैंडपंप, 14.2 प्रतिशत ट्यूबवेल/बोरहोल और 3.5 प्रतिशत अन्य स्रोतों का उपयोग किया। इस प्रकार नल एक ही समय में पीने के पानी का प्रमुख स्रोत बन गया, समय के साथ ट्यूबवेल/बोरहोल में भी वृद्धि हुई लेकिन 2001 के बाद हैंडपंप और कुएं का उपयोग कम हो गया। परिणाम इंगित करता है कि 2001 से इसके रुझानों और पैटर्न में जिला स्तर पर एक महत्वपूर्ण असमानता है। यह शोधपत्र ग्रामीण हरियाणा में पेयजल की उपलब्धता का विश्लेषण करता है। अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण हरियाणा में पेयजल की उपलब्धता में स्थानिक असमानता और 2001 से 2011 तक हुए परिवर्तनों का पता लगाना है। अध्ययन उपलब्ध माध्यमिक आंकड़ों पर आधारित है।

मुख्य शब्द : पेयजल, नल, हैंडपंप, ट्यूबवेल/बोरहोल।

परिचय

पृथ्वी पर पानी की मात्रा सीमित है और दुनिया की एक तिहाई आबादी जल संकट वाले देशों में रहती है। ऐसी आबादी का हिस्सा समय के साथ बढ़ रहा है (परमासिवन और सैक्रेटीस, 2013)। इसके अलावा, भारत में, कृषि में उपयोग किए जाने वाले 92 प्रतिशत ताजे पानी, उद्योग में उपयोग किए जाने वाले तीन प्रतिशत और घरेलू उद्देश्य के लिए पांच प्रतिशत (खान, 2009)। बढ़ती जनसंख्या, अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए सिंचाई की बढ़ती मांग, तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण, बिजली उत्पादन, ग्लोबल वार्मिंग और अनियमित वर्षा के प्रभाव के परिणामस्वरूप जल परिदृश्य तेजी

से बदल रहा है (कलकोटी, 2013)। पानी की वैश्विक खपत हर 20 साल में दोगुनी हो रही है, जो मानव जनसंख्या वृद्धि की दर से दोगुनी है (स्वामी, 2011)। भारत में दुनिया की चार प्रतिशत पानी की उपलब्धता और 17.5 प्रतिशत आबादी को बनाए रखने के लिए है। भारत के आधे गांवों में संरक्षित पेयजल की उपलब्धता नहीं है (गौतम, 2009)।

पेयजल पर एक प्रौद्योगिकी मिशन (1986) के गठन के साथ कार्यक्रम को मिशन का रूप दिया गया था, जिसे बाद में 1991-92 में 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' के रूप में नाम दिया गया था।

2011 में पेयजल और स्वच्छता विभाग को अलग मंत्रालय के रूप में अपग्रेड किया गया, पीने के पानी के बारे में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है (भारत सरकार, 2016)। हरियाणा सरकार भी वृद्धि जल आपूर्ति योजनाओं, इंदिरा गांधी पेयजल की शुरुआत करके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

हरियाणा सरकार ने जलापूर्ति के लिए बहुत कुछ किया है। वह प्रत्येक गांव में नल का पानी उपलब्ध कराने का काम कर रही है। 1966 में, जब हरियाणा एक नया राज्य बन गया, तो उसके केवल 182 गांवों में पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध थी, लेकिन 1992 तक इसने सभी गांवों को पाइप से जलापूर्ति की। वर्ष 2001 में ग्रामीण परिवारों में पेयजल का स्रोत 37.8 प्रतिशत और वर्ष 2011 में 63.6 प्रतिशत था, कुल मिलाकर राज्य में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

क्रियाविधि

यह शोधपत्र ग्रामीण हरियाणा में पीने के पानी के विभिन्न स्रोतों की उपलब्धता और 2001 से 2011 तक हुए परिवर्तनों की जांच करता है। यह शोधपत्र निम्नलिखित शोध प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है :

1. ग्रामीण हरियाणा में पीने के पानी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं और इन स्रोतों को कैसे वितरित किया जाता है?

2. 2001 से 2011 तक समय के साथ पीने के पानी के स्रोत कैसे बदल रहे हैं?

इस उद्देश्य के लिए, भारत की जनगणना, 2011 द्वारा प्रकाशित और जनगणना संचालन निदेशालय, हरियाणा, चंडीगढ़ से

उपलब्ध घरों, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों पर तालिकाओं से पेयजल स्रोत (2011) पर डेटा उठाया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरियाणा से सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके अध्ययन की जिला इकाई है।

भारत की जनगणना 2001 में पीने के पानी के आठ स्रोतों जैसे नल, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल/बोरहोल, झरने, नदी/नहर, टैंक/तालाब/झील और अन्य पर डेटा प्रकाशित किया गया था। झरने, नदी/नहर, तालाब/तालाब/झील और अन्य का अन्य स्रोतों के रूप में समग्र रूप से विश्लेषण किया जाता है क्योंकि उनका उपयोग दोनों जनगणना वर्षों में प्रत्येक बीस घरों में से एक से कम था। हरियाणा को पंजाब प्रांत के एक हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। ब्रिटिश भारत और भाषाई आधार पर 1966 में भारत के 17वें राज्य के रूप में उकेरा गया था। हरियाणा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है।

यह राज्य 27°39' से 35°55' उत्तरी अक्षांश और 74°28' से 77°36' पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसकी सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान से लगती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। हरियाणा भी देश की राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरता है, जिससे दिल्ली की उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाएँ बनती हैं। नतीजतन, दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। संपूर्ण राज्य 44212 वर्ग किमी में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34 प्रतिशत है, हरियाणा भारत का 21 वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में भारत की कुल आबादी का 2,53,53,081 या 2.09 प्रतिशत शामिल है। इसमें से 65.21 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी।

भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा राज्य को चार भौतिक प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है (क) शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र, यह पहाड़ी क्षेत्र राज्य का उत्तर-पूर्वी भाग है और इसकी ऊंचाई 900–2300 मीटर से है और घग्गर, तंगारी, मारकंडा नदी निकलती है। इस पहाड़ी से हैं, (बी) मैदानी क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक राज्य के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करता है और यह गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में कई ठंडा होता है, (सी) रेतीले क्षेत्र राजस्थान से सटे राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है और यहां छोटा है महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार जिलों में पाए जाने वाले रेत के टीले, (घ) अरावली पर्वतमाला के शुष्क मैदानी क्षेत्र हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं अरावली पर्वतमाला गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में

स्थित हैं। हरियाणा से गुजरने वाली एक भी बारहमासी नदी नहीं है। पहाड़ों से दूरी और थार रेगिस्तान के संदर्भ में स्थान के आधार पर मासिक मौसम व्यवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी भिन्नता है। हरियाणा में उपोष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय मानसून प्रकार की जलवायु है। हरियाणा में वार्षिक वर्षा पश्चिमी भाग में 25 सेंटीमीटर और पूर्वोत्तर भाग (अंबाला और पंचकुला) में 110 सेंटीमीटर से भिन्न होती है। दक्षिण मानसून की अवधि वार्षिक वर्षा का 80 प्रतिशत है।

परिणाम और चर्चा

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेयजल के प्रमुख स्रोत नल, हैंडपंप, ट्यूबवेल/बोरहोल और कुएं हैं। तालिका 1 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के विभिन्न स्रोतों के उपयोग में भारत और हरियाणा के बीच तुलना को दर्शाती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि पीने के पानी के स्रोत समय के साथ बदल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल 2001 से 2011 तक 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं के उपयोग में 9.1 प्रतिशत की कमी आई। तालिका 1 से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल और ट्यूबवेल/बोरहोल का उपयोग कुएं की अपेक्षा अधिक बढ़ रहा है। हरियाणा ने अपने गठन के बाद से पाइप लाइन उपलब्ध कराने में सराहनीय प्रगति की है ग्रामीण परिवारों के लिए, हरियाणा 1992 तक अपने सभी गांवों में पाइप से पानी की सुविधा प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है (हरियाणा सरकार, 2010–11)। ग्रामीण घरों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग 2001 में 37.8 प्रतिशत और प्रति वर्ष 63.6 प्रतिशत था। 2011 में प्रतिशत, 2001–2011 से 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि इसी अवधि के दौरान हैंडपंप और पीने के पानी के स्रोत के उपयोग में क्रमशः 21.5 और 12 प्रतिशत की कमी आई। इससे पता चलता है कि नल और ट्यूबवेल/बोरहोल का उपयोग पूरे राज्य में हैंडपंप और पीने के पानी के स्रोत की कीमत पर बढ़ रहा है। तालिका 1 पीने के पानी के स्रोतों की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा प्रस्तुत करती है लेकिन जिला स्तर पर महत्वपूर्ण असमानता थी। इसलिए जिला स्तर पर स्रोत-वार वितरण का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। तालिका-1

भारत और हरियाणा में पेयजल के विभिन्न स्रोतों से आच्छादित ग्रामीण परिवार, 2001–2011

(कुल परिवारों के प्रतिशत के अनुसार परिवार)

स्तोत्र	2001		2011	
	भारत	हरियाणा	भारत	हरियाणा
नलकूप	24.3	37.8	30.8	63.6
कूप	22.2	16.5	13.1	4.5
ट्यूबवेल/बोरहोल	5.7	7.6	8.3	14.2
हैंडपंप	43.2	35.7	43.6	14.2
अन्य	4.5	2.41	4	3.5

स्रोत : सड़नों, परिवारों की सुविधाओं और संपत्तियों पर भारत की जनगणना तालिकाओं का उपयोग करके संकलित। जनगणना संचालन निदेशालय, हरियाणा, 2001 और 2011।

नल

ग्रामीण हरियाणा में पीने के पानी का प्रमुख और प्रमुख स्रोत नल था, जिसका उपयोग कुल ग्रामीण घरों में 63.6 प्रतिशत द्वारा किया जाता था। हालाँकि, इस संबंध में व्यापक अंतर-जिला असमानताएँ हैं। यह पंचकूला जिले में 87.5 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर मेवात में 32.2 प्रतिशत के निचले स्तर तक था।

पंचकूला, सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल के चार जिलों में कुल ग्रामीण परिवारों में से तीन-चौथाई से अधिक 2011 में पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग करते हैं। सिरसा को स्वीकार करें जो पश्चिमी हरियाणा में पड़ता है, सभी चार जिले पूर्वी हरियाणा में आते हैं, जहाँ पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा की तुलना में भूजल की गुणवत्ता बेहतर है और अधिकांश नल के पानी की आपूर्ति भी भूजल पर आधारित है, जबकि सिरसा में अधिकांश जल कार्य नहर के पानी पर आधारित थे। 2001 में, इस श्रेणी में जिले नहीं थे।

2011 में यमुनानगर, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव, पलवल, सोनीपत, पानीपत और कैथल के तेरह जिलों में 50 से 75 प्रतिशत परिवार पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग करते हैं। जिले इस श्रेणी में आते हैं। राज्य के सभी भागों में पड़ता है। 2001 में केवल तीन जिले इस श्रेणी में आते थे।

मेवात, जींद और फतेहाबाद के तीन जिलों में कुल ग्रामीण परिवारों में से आधे से भी कम 2011 में पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग करते हैं। जबकि 2001 में इस श्रेणी में 16 जिले और झज्जर, यमुनानगर, जींद और के चार जिलों में आते थे। रोहतक कुल ग्रामीण परिवारों में से एक चौथाई से भी कम लोग पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग करते हैं।

2001 से 2011 तक राज्य के सभी जिलों में पेयजल के स्रोत के रूप में नल के उपयोग में वृद्धि हुई और राज्य स्तर पर इसमें 25.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जिला स्तर पर यह फरीदाबाद में 49.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से 9.9 प्रतिशत के निचले स्तर तक था। आठ जिलों यमुनानगर, झज्जर, रोहतक, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और फतेहाबाद में यह वृद्धि राज्य के औसत से अधिक थी। फतेहाबाद को शामिल न करें तो सभी सात जिले पूर्वी हरियाणा में आते थे।

विश्लेषण के बाद यह पता चलता है कि पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल हैंडपंप और पीने के पानी के स्रोत की कीमत पर बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी पेयजल योजना भी अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (सिंह, 2017)।

ट्यूबवेल/बोरहोल

2011 में हरियाणा के कुल ग्रामीण परिवारों में से लगभग एक-सातवें द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेयजल का अगला प्रमुख स्रोत ट्यूबवेल/बोरहोल था। इस संबंध में अंतर-जिला भिन्नताएँ थीं। जिला स्तर पर यह गुड़गांव जिले में 30.0 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर हिसार में 4.4 प्रतिशत के निचले स्तर तक था।

गुड़गांव, कैथल और महेंद्रगढ़ के तीन जिलों में नलकूप/बोरहोल पीने के पानी के स्रोत के रूप में 2011 में कुल ग्रामीण परिवारों के एक चौथाई से अधिक द्वारा उपयोग किया गया था। जबकि 2001 में, इस श्रेणी में केवल एक जिला (महेंद्रगढ़) था। अगली श्रेणी में, सोनीपत, पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, करनाल, मेवात और फरीदाबाद के दस जिलों में, कुल ग्रामीण परिवारों में से दसवें से अधिक 2011 में पीने के पानी के स्रोत के रूप में ट्यूबवेल/बोरहोल का उपयोग करते हैं। 2001 में केवल दो जिले भिवानी और रेवाड़ी इस श्रेणी में आते हैं।

हरियाणा के आठ जिलों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुल ग्रामीण परिवारों के दसवें हिस्से से कम का उपयोग 2011 में किया गया था, जबकि 2001 में इस श्रेणी में 16 जिले आते थे। एक स्रोत के रूप में ट्यूबवेल का उपयोग दक्षिणी हरियाणा में पीने का पानी विशेष रूप से महेंद्रगढ़ में स्थलाकृति और उत्तर की ओर ढलान के कारण नहर के पानी की उपलब्धता सीमित है और पानी की आपूर्ति भी भूजल आधारित है। पेयजल के स्रोत के रूप में नलकूप/बोरहोल का उपयोग 2001 में कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग एक-सातवां या 7.6 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 तक बढ़कर लगभग 14.2 प्रतिशत हो गया। इसने 6.6 प्रतिशत अंक का अंतर

दर्ज किया। राज्य में समग्र रूप से। जिला स्तर पर यह गुड़गांव जिले में 21.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर झज्जर में 0.4 प्रतिशत के निचले स्तर तक था, जबकि महेंद्रगढ़ और भिवानी के दो जिलों में यह तीन प्रतिशत से भी कम था। दक्षिणी हरियाणा में गुड़गांव के छह जिलों और पूर्वी हरियाणा में कैथल, सोनीपत, पानीपत, जींद और कुरुक्षेत्र में, हिस्सेदारी में 2001 से 2011 तक 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी। इन छह जिलों में से चार में स्रोत के रूप में हैंडपंप पीने के पानी में राज्य के औसत से ज्यादा कमी आई है। इसलिए हैंडपंप की कीमत पर पीने के पानी के स्रोत के रूप में ट्यूबवेल/बोरहोल का उपयोग बढ़ गया।

हैंडपंप वर्ष 2001 में ग्रामीण घरों में पेयजल के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग 35.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2011 तक घटकर 14.2 प्रतिशत हो गया। जबकि इस संबंध में अंतर-जिला भिन्नताएं थीं। 2011 में, पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग फरीदाबाद जिले में 36.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर महेंद्रगढ़ जिले में 1.3 प्रतिशत के निचले स्तर तक किया गया था। फरीदाबाद और पलवल के दो जिलों में कुल ग्रामीण परिवारों में से एक चौथाई से अधिक 2011 में पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग करते हैं। जबकि 2001 में इस श्रेणी में 15 जिले थे और विशेष रूप से, यमुनानगर, करनाल, कैथल के पांच जिलों में पानीपत और अंबाला कुल ग्रामीण परिवारों में से आधे से अधिक 2001 में पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग करते हैं। ये सभी पांच जिले पूर्वी हरियाणा में आते थे।

2011 में मेवात, पानीपत, यमुनानगर, जींद, कैथल, हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, फतेहाबाद और अंबाला के 12 जिलों में कुल ग्रामीण परिवारों में से 10 से 25 प्रतिशत पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग करते हैं। मेवात, भिवानी और फतेहाबाद सभी जिले पूर्वी हरियाणा में आते हैं। दूसरी ओर, 2001 में, रेवाड़ी और पंचकुला के केवल दो जिले इस श्रेणी में आते थे। 2011 में सात जिले थे, जहां कुल ग्रामीण परिवारों में से 10 प्रतिशत से भी कम लोग पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप का उपयोग करते थे, वहीं 2001 में इस श्रेणी में केवल दो जिले आते थे।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, राज्य में 2001 से 2011 तक पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप के उपयोग में कमी आई है। यह पूरे राज्य में 21.6 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। जिला स्तर पर यह करनाल जिले में 49.3 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर महेंद्रगढ़ में 4.0 प्रतिशत के निचले स्तर तक था। करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सिरसा,

सोनीपत, गुड़गांव और झज्जर के 11 जिलों में हैंडपंप ट्यूबवेल के उपयोग में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी आई, इनमें से अधिकांश जिले पूर्वी में गिरे थे हरियाणा, जहां भूजल लगातार घट रहा है। दिलचस्प बात यह है कि 2001 से 2011 तक भिवानी जिले में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिसर के भीतर अन्य स्रोतों की उपलब्धता, विशेष रूप से नल, भूजल में कमी और भूजल की गुणवत्ता में बदलाव, ऐसे कारक हैं जो उपयोग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2001 से 2011 तक पीने के पानी के स्रोत के रूप में हैंडपंप मुख्य था।

कुंआ

2011 में, प्रत्येक बीस ग्रामीण परिवारों में से एक पीने के पानी के स्रोत के रूप में अच्छी तरह से उपयोग करता है, जबकि, 2001 में हिस्सेदारी 16.5 प्रतिशत। 2011 में, पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं का उपयोग मेवात जिले में 18.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से करनाल में 0.1 प्रतिशत के निचले स्तर तक था। एक ओर केवल तीन जिले (मेवात, भिवानी और जींद) थे जहां कुल ग्रामीण के दसवें हिस्से से अधिक पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं का उपयोग किया जाता था।

2011 में कुओं में ढकें हुए कुएं तथा खुले कुएं से 2011 से 2011 तक पानी लाने वाले में परिवार शामिल हैं। दूसरी ओर, 2001 में, इस श्रेणी में 10 जिलों की संख्या थी और रोहतक, झज्जर, जींद, सोनीपत और भिवानी के पांच जिलों में कुल ग्रामीण परिवारों के एक चौथाई से अधिक पीने के पानी के स्रोत के रूप में अच्छी तरह से उपयोग करते थे।, सभी पांच जिले राज्य के मध्य भाग में आते हैं (मानचित्र 6)।

वर्ष 2001 से 2011 के दौरान पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं का हिस्सा कम हो गया था, जो पूरे राज्य में 12 प्रतिशत था। जिला स्तर पर, यह रोहतक जिले में 40.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर फतेहाबाद जिले में 1.2 प्रतिशत के निचले स्तर तक था। सात जिलों रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, सोनीपत, जींद, भिवानी और महेंद्रगढ़ में पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं का उपयोग राज्य के औसत से अधिक कम हो गया। सिरसा और कुरुक्षेत्र के दो जिलों में पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुओं का उपयोग एक प्रतिशत से भी कम के साथ थोड़ा बढ़ा दिया गया था, जो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। जल स्तर में कमी, भूजल की गुणवत्ता में बदलाव, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के घरों के साथ जाति आधारित भेदभाव और पीने के पानी के अन्य स्रोतों की उपलब्धता के कारण पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुओं का उपयोग समय के साथ कम होता

जा रहा है जैसे: नल, ट्यूबवेलध्वोरहोल और हैंडपंप।

अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों में टैंकधालाबध्नील, नदीधनहर, झरने और अन्य शामिल हैं। ग्रामीण घरों में पेयजल के अन्य स्रोतों का उपयोग वर्ष 2001 में 2.4 प्रतिशत और वर्ष 2011 तक 3.5 प्रतिशत किया गया था। 2011 में, मेवात और महेंद्रगढ़ के केवल दो जिले थे जहां 12.9 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार थे। पीने के पानी के स्रोत के रूप में अन्य स्रोतों का उपयोग करें। शेष जिलों में पांच प्रतिशत से भी कम परिवार पीने के पानी के स्रोत के रूप में अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। जबकि 2001 में, सिरसा और पंचकुला जिले जहां पांच प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार पीने के उद्देश्य से अन्य स्रोत का उपयोग करते हैं। अन्य स्रोतों का उपयोग उन छोटी बस्तियों में अधिक पाया गया जहाँ भूजल की गुणवत्ता पीने योग्य नहीं थी और नल का पानी उपलब्ध नहीं था।

पीने के पानी के स्रोत के रूप में अन्य स्रोतों के उपयोग में राज्य में कुल मिलाकर 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि जिला स्तर पर महेंद्रगढ़ जिले में 4.0 प्रतिशत के उच्च स्तर से सोनीपत में 0.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसके विपरीत नौ जिलों में यह सिरसा जिले में 4.9 प्रतिशत के उच्च स्तर से घटकर अंबाला जिले में 0.04 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया। पीने के पानी के स्रोत के रूप में अन्य स्रोतों का उपयोग उन क्षेत्रों में बढ़ रहा है जहां भूजल की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है और नल की आपूर्ति टिकाऊ नहीं है।

निष्कर्ष :
2011 में हरियाणा के कुल 21 जिलों में से 18 में ग्रामीण परिवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पेयजल का प्रमुख और प्रमुख स्रोत नल था। पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग हैंडपंप की कीमत पर और पीने के स्रोत के रूप में बढ़ रहा है। पानी। "इंदिरा गांधी पेयजल योजना" नाम की सरकारी योजना अनुसूचित जाति के परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीने के पानी के स्रोत के रूप में ट्यूबवेलध्वोरहोल और हैंडपंप का उपयोग लगभग एक-सातवें घर में होता था। लेकिन पेयजल के स्रोत के रूप में ट्यूबवेल ६ बोरहोल का उपयोग 2001 से 2011 तक हैंडपंप की कीमत पर बढ़ रहा था। पीने के पानी के स्रोत के रूप में कुएं का उपयोग भी समय के साथ कम होता जा रहा है और तीन जिलों मेवात, भिवानी और जींद में कुल ग्रामीण परिवारों का दसवां हिस्सा पीने के पानी के स्रोत के रूप में अच्छी तरह से उपयोग करता है।

हालांकि, कुल ग्रामीण परिवारों में से पांच प्रतिशत से भी कम 2011 में हरियाणा में पीने के पानी के स्रोत के रूप में अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं, लेकिन नल की अनुपलब्धता और पीने योग्य पानी की गुणवत्ता के कारण समय के साथ हिस्सेदारी बढ़ रही है। वैसे तो पीने के पानी के स्रोत के रूप में नल का उपयोग समय के साथ बढ़ रहा है लेकिन साथ ही ट्यूबवेल ६ बोरहोल भी बढ़ रहा है। इसलिए सरकार को घरों को नल या पाइप के पानी से ढकने पर ध्यान देना चाहिए नहर के पानी पर आधारित सुविधा। मेवात, जींद और फरीदाबाद जिलों पर विशेष फोकस होना चाहिए।

संदर्भ

1. गौतम हरेंद्र राज, 2009, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास का एक जर्नल, 57 (05), पृ० सं० 3-6
2. हरियाणा सरकार, 2010-11, सांख्यिकीय सार हरियाणा 2010-11, आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग
3. भारत सरकार, 2016, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, 28 मई, 2017 को अभिगमित
4. कलकोटी, गोपाल, 2013, मानव जाति के लिए प्रकृति की बंदोबस्ती, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास का एक जर्नल, 61 (03), पृ० सं० 23-27
5. खान, संजय 2009, पानी तक पहुंच का अधिकार : एक कानूनी परिप्रेक्ष्य, सिन्हाप्रभा और संजय राणा द्वारा सतत जल प्रबंधन चुनौतियों और प्रौद्योगिकियों और समाधान में। नई दिल्ली : पेंटागन प्रेस, पृ० सं० 279-297
6. परमासिवन, जी., और सैक्रेटीस, जे. 2013, पानी की कमी से बिगड़ना, कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास का एक जर्नल, 61 (03), पृ० सं० 31-34
7. सिंह के., 2017, ग्रामीण हरियाणा में पेयजल नल के पानी के विशेष संदर्भ में। ऑनलाइन इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल, टप् (जनवरी 2017 स्पेशल इश्यू) पृ० सं० 61-77
स्वामी, राजनारायण, 2011, पीने के पानी के लिए जमीनी जन संघर्ष से। कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास का एक जर्नल, 59 (4), पृ० सं० 18-22

सुनीता देवी

शोधार्थी, भूगोल विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

Email : sunitabhakar44@gmail.com



सारांश

नारी संघर्ष से तात्पर्य— नारी संघर्ष पर दृष्टि डालने से पूर्व नारी क्या है और उसे विभिन्न विद्वानों ने क्या-क्या संज्ञा दी है उस पर दृष्टि डालना आवश्यक है। नारी शब्द के सुनते ही उसकी सम्पूर्ण छवि हमारी आँखों के सामने मूर्तरूप से प्रकट हो जाती है। नारी के माता, पत्नी, बहन, बेटा इत्यादि सभी रूप सम्माननीय हैं और उसे गौरवशाली स्थान प्रदान किया गया है जिसकी वेदों में भी व्याख्याता की गई है।

भारतीय विद्वानों के अनुसार—

कबीर के मतानुसार—

“नारी बसावै तीनि सुख जा नर पासै होई।

भगति मुकति निजग्या मै, पैसि न सकई कोई।।

तुलसीदास के अनुसार—

“अवगुन मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुःख खानि।

ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि ।।

जयशंकर प्रसाद के अनुसार—

“नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग—पग तल में।

पियूश स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।।

मैत्रेयी पुष्पा के नारी संघर्ष का प्रधान क्षेत्र हिन्दू समाज है जिसका वे स्वयं अंग थी। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय नारियों की स्थिति एवं छवि की सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराओं के परिपेक्ष्य में जाँच-पड़ताल की है। मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में नारी का जीवन संघर्ष दर असल एक ऐसी समाज व्यवस्था के लिए संघर्ष है इनके उपन्यासों में नारी अपने हक के लिए संघर्ष करती नजर आती है। वंचित के अधिकारों की लड़ाई को आधार बनाकर मैत्रेयी ने नारी को सामाजिक सरोकार का आयाम देने की कोशिश की है।

नारी जीवन अनेक सामाजिक कुप्रथाओं की शृंखला से जकड़ा हुआ है जिससे अनेमल विवाह संघर्ष प्रमुख है। कुछ माँ-बाप सामाजिक विवशता के कारण अपनी बेटियों की शादी ऐसे पुरुष से कर देते हैं जो उसका पति बनने योग्य नहीं होता है। उसे शारीरिक और मानसिक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। वैवाहिक जीवन के लिए शारीरिक तत्व के साथ-साथ वैचारिक समानता का होना भी

आवश्यक है जिसके कारण दाम्पत्य जीवन विशमय हो जाता है।

“कस्तूरी कुण्डल बसै” उपन्यास में आर्थिक विपन्नता के कारण सोलह वर्षीय कस्तूरी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है जो बूढ़ा और बीमार है। विरोध करने पर उसे सामाजिक मर्यादाओं की दुहाई दी जाती है। घर की इज्जत मिटाने वाली बहन को उसका वश चल तो खोदकर गाड़ दे। पिल रंग की आँखें लाल हो गईं। छोटे भाई ने सवाल किया कि मेरी ससुराल के लोग क्या कहेंगे। कैसे सामना करुंगा लोगो का सोचते ही घबरा जाता हूँ। बिशदरी जाति के नाम पर छोटे-छोटे भाई दांत पीसे अपने परिवार की महिमा के चाँद में कलंक नुमा यह बहन..... उसने ब्राह्मण परिवार के उपाध्यक्ष गौत्र की परम्परा मैली करने की ठानी है।

“चाक” उपन्यास की तेरह साल की बैकुण्ठी का विवाह धन लालसा उसके भाई ने चालीस साल के नत्था से कर दिया। विधवा बनी बैकुण्ठी को ससुराल वालों ने जबरदस्ती देवर थान सिंह के साथ दुबारा बिठा दिया ताकि उसके हिस्से की जायदाद किसी और के हाथ में न चली जाए इस उपन्यास में जिरौली वाली का विवाह नपुंसक मनोहर के साथ हुआ था। अपनी शारीरिक इच्छाओं के दमन के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और नरकीय जीवन व्यतीत करने को विवश हो जाती है।

“अँगन पाखी” उपन्यास की भुवन मोहिनी भी अनमेल विवाह का शिकार है। विजय सिंह से उसकी शादी हो जाती है जो पागल और नामर्द है। भुवन के बहनोई ने यह विवाह कराया है बदले में विजय सिंह के बड़े भाई अजय सिंह ने बहनोई को निहाल कर दिया कि बहनोई के बेटे यानि चन्द्र की नौकरी लगवा दें” इस अनमेल विवाह ने भुवन को पति के जिन्दा होते हुए भी विधवा जैसी जिन्दगी बिताने को विवश कर दिया।

“फरिश्ते निकल” उपन्यास में भी अनमेल विवाह की शिकार हुई नारियों की दर्द भरी दास्ताने अंकित की है। उपन्यास का मुख्य पात्र ‘बेला बहू’ अनमेल विवाह का शिकार है। चौदह साल की अवस्था में उसकी शादी अघेड़ उम्र के विधुर शुगर सिंह के साथ हो जाती है। क्योंकि बेला के पिता जी की मृत्यु हो चुकी थी और दहेज देने के लिए माँ के पास पैसा भी नहीं था। बेटा को समझाती हुई माँ कहती है तेरा ब्याह तो एक दिन होगा ही शुगर सिंह नहीं तो किसी और से हमारे पास देने के लिए है ही क्या? गरीब की बेटा तो ऐसे ही

जाती है जो कोई उसे मांग ले जनम कुमारी रह जाएगी बेलियां।

“दहेज प्रथा के प्रति नारी जीवन संघर्ष दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। यह सब जानते हैं फिर भी इस कोढ़ से सभी बीमार है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद आज भी समाज में दहेज प्रथा की जड़े मजबूत हैं लेकिन आज यह शोषण का नया तरीका बन गया। इस कुप्रथा ने हमारी सामाजिक व्यवस्था को विशाक्त बनाया है। खासकर मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन को इस प्रथा ने खोखला बना दिया। नारी सुन्दर और सुशिक्षित होने पर भी दहेज के बिना उसकी शादी असंभव हो गई है।

“इदन्नमम” उपन्यास की कुसुमा भी दहेज प्रथा का शिकार है। वह यश पाल की पत्नी है। कुसुमा के गरीब माँ-बाप दहेज जुटाने में असमर्थ रहे थे इसलिए यश पाल ने कुसुमा का परित्याग करके दूसरी शादी की। उन्होंने दूसरे विवाह में दहेज के रूप नकद रूपों के साथ मोटर साईकिल तथा रेडियो हथियाया।

“चाक” उपन्यास के राम लाल ने अपने बेटे रतन लाल का विवाह हरिप्यारी नाइन की बेटी गुलकंदी के साथ करने के लिए दहेज के रूप में बीस हजार रूपों की मांग की थी। हरिप्यारी रूपों का इंतजाम करने के लिए घर बेचने और गहने गिरवी रखने तक को तैयार हो जाती है। भले मुझे रतन लाल के बाप के गोड़े पकड़ने पड़े रतन लाल की हॉ हॉ खाऊँ। अपनी गड़िडया गहने गिरवी धरूँ पर तेर लिए कसम जुटाकर मानूँगी। माँ अपनी बेटी के लिए अपनी मान-मर्यादा, स्वाभिमान, धन सब कुछ वर के चरणों में न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है।

लिंग भेद के खिलाफ नारी जीवन संघर्ष नारी और पुरुष को कानून समान अधिकार देते हैं। पर हमारी पुरुष रुढ़ि वादी सामाजिक व्यवस्था में नारी और पुरुष के लिए अलग-अलग नीति नियम होते हैं। ‘गुनाह-बेगुनाह’ उपन्यास की मनीशा के घर जब लगातार तीन बेटियाँ पैदा हुईं तो घर वालों का मन मर गया। एक बेटे की आस जोड़कर पकड़ने लगी और सब लोग उसकी माँ को ही बेटा पैदा न करने लिए दोषी मानने लगे। जब-जब सास निपूती कह कह कर गाली दे वे अपनी किसी बेटी को करीब लाकर चूम ले। सच में वह तीन बार घर-परिवार से लड़ी और जीती। घर में जो दहशत पैदा होती रही, उससे पीठ फेर कर भागी नहीं सीना तान कर सामना किया।

‘इदन्नमम’ उपन्यास की प्रेम विधवा के लिए बनाई गई परम्परागत मान्यताओं का खण्डन करती हुई अपने जीजा रतन यादव के साथ चली जाती है। प्रेम द्वारा उठाया गया कदम उसकी सास बहू के लिए बर्दाश्त से बाहर है। जीवन भर वह अपनी बहू को वह माफ नहीं करती। प्रेम को लेकर बहू और मन्दा के बीच भी

वैचारिक संघर्ष होता है।

विधवा नारी का जीवन संघर्ष भारतीय समाज में बिन ब्याही नारी भी सकुशल है और ब्याही नारी भी। बिन ब्याही नारी माता-पिता के लिए बोझ होती है और ब्याही नारी सास-ससुरे, देवर, जेठ आदि के द्वारा पल-पल छली जाती है। जब नारी विधवा हो जाती है तो फिर उसकी स्थिति न घर की न घाट की रहती है। पति की मृत्यु का कलंक उसी के माथे पर मढ़ दिया जाता है। पति को होते हुए उसे केवल पारिवारिक संघर्ष करना पड़ता था पर पति की मृत्यु के बाद उसकी लड़ाई पारिवारिक के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर हो जाती है।

“बेतवा बहती रही” उपन्यास की उर्वशी का जीवन जन्म से मृत्यु तक संघर्षशील रहा। शादी के बहुत जल्दी ही विधवा बनी उर्वशी को भाई अजीत ने जबरदस्ती से उसकी सहेली मीरा के पिता बरजोर सिंह के साथ दुबारा बिठा दिया। परिस्थिति उसे इकलौते बेटे देवेश से भी दूर कर देती है। अपने घर वालों की जिन्दगी संवारने के लिए उसे अपनी जिन्दगी तबाह करनी पड़ती है।

“गुनाह-बेगुनाह” उपन्यास में पुलिस स्टेशन में विधवा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का खुलासा ईला चौधरी करती है। मैत्रेयी के उपन्यासों में विधवा नारी हतबल और हतप्रभ होकर जीने की राह नहीं छोड़ती बल्कि धैर्य के साथ आई परिस्थितियों का सामना करती है। विधवा नारी परिवर्तन के लिए आवाज उठा रही है। आज हमारे समाज में विधवा नारी की स्थिति में बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है।

जाति प्रथा के खिलाफ नारी जीवन संघर्ष- मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में जाति प्रथा, साम्प्रदायिकता, छुआछूत आदि सन्दर्भों में नारी सशक्तीकरण पाया जाता है। उनके चाक, अँगन पाखी, इदन्नमम, कस्तूरी कुण्डल बसे आदि उपन्यासों में यह दिखाई देता है। जाति प्रथा के खिलाफ नारी संघर्ष का सशक्त रूप “चाक” उपन्यास के सारंग और गुलकंदी के द्वारा सामने आता है। सारंग एक जाट औरत होकर भी चट्टा पर्व के मौके पर गाँव के स्कूल में आई। नए मास्टर श्रीधर प्रजापति के पैर छू लेती है जो जाति से कुम्हार हैं। उसे गाँव में ऐसी घटना पहली बार होती है कि सवर्ण जाति की नारी किसी निम्न वर्ग के मर्द के पैर छुए पर सारंग तो पढ़ी-लिखी थी। जाट होकर भी दलित जाति के मास्टर का पांव छूना उसे गलत नहीं लगा क्योंकि वह जाति को ज्ञान नहीं ज्ञान को महत्व देने वाली है। गुरु की हैसियत जाति से बहुत ऊँची है।

निष्कर्ष –

समग्र अध्ययन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि

मैत्रेयी के नारी पात्र ग्रामीण, आंचलिक जन जीवन से संबंधित है परिवर्तन वादी विचारों को जितना रोका जाये वह उतने ही तेजी से फैलते हैं। इसलिए ग्रामीण स्तर को केन्द्र में रखकर ऐसे नारी चरित्रों को सामने लाती है जो पढ़े-लिखे सभ्य नारियों से अधिक जागरुकता का परिचय देते हैं। नारी ने जाना है कि इस देश में निर्बल को सबलत्व के लिए, अज्ञानी को ज्ञान के लिए निर्धन को धन के लिए, पराधीन को स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना ही पड़ा है। इस शाश्वत सत्य को नारी ने अपने जीवन में उतारा जिसके परिणाम स्वरूप आज के समाज में सकारात्मक रूप दिखाई पड़ जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची-

1. मैत्रेयी पुष्पा – कस्तूरी कुण्डल बसै, पृष्ठ सं. 42
2. मैत्रेयी पुष्पा – बेतवा बहती रही, पृष्ठ सं. 57
3. मैत्रेयी पुष्पा – फरिश्ते निकले, पृष्ठ सं. 26, 28
4. मैत्रेयी पुष्पा – इदन्नमम, पृष्ठ सं. 88
5. मैत्रेयी पुष्पा – चाक, पृष्ठ सं. 248
6. मैत्रेयी पुष्पा – गुनाह-बेगुनाह, पृष्ठ सं. 179
7. मैत्रेयी पुष्पा – विजन, पृष्ठ सं. 98, 99
8. डॉ. सलोचना अंतरेड्डी मैत्रेयी पुष्पा और शांता गोखले की नारी दृष्टि, पृष्ठ सं. 72
9. विजन बहादुर सिंह मैत्रेयी पुष्पा स्त्री होने की कथा, पृष्ठ सं. 117
10. महादेवी वर्मा शृंखला की कड़ियां, पृष्ठ सं. 76
11. गोस्वामी तुलसी दास- रामचरित्रमानस (अरण्य काण्ड), पृष्ठ सं. 44
12. जयशंकर प्रसाद- कामायनी (श्रद्धा), पृष्ठ सं. 16

प्रो. (डॉ.) जयकरण यादव

हिन्दी विभाग

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर (रोहतक) हरियाणा

मो. 9929179255



सारांश

भूमि अधिग्रहण को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार और कौशल और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी गई है। इन्हें विकासशील देशों में विकास चालक के रूप में माना जाता है। हरियाणा में भूमि अधिग्रहण ने एसईजेड इकाइयों में वृद्धि के साथ-साथ निर्यात और रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में झुकाव देखा। इस पत्र के माध्यम से भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन का अध्ययन करने का प्रयास किया गया। अध्ययन में पाया गया कि खराब पुनर्वास नीति, आर्थिक मंदी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, भूमि अधिग्रहण में कठिनाई और खराब बुनियादी सुविधाओं जैसे कारक हरियाणा में एसईजेड के उम्मीद से कम प्रदर्शन में योगदान करते हैं। इस पत्र के माध्यम से एसईजेड के प्रभाव का अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया है

मुख्य भाव : भूमि अधिग्रहण, विकास, रोजगार, पुनर्वास।

परिचय

21वीं सदी में, भूमि अर्थव्यवस्था और सतत विकास को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण दिखाई दी है (मार्गुलिस, 2014)। सतत परिवर्तनों के लिए सरकारों को बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की पुष्टि करती हैं (क्रीगर, 2016)। ऐसी सेवाओं और बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के लिए हमेशा भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इसलिए, जब भी और जहां भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, सरकारों को भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। सरकारें जमींदारों को विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जमीनों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। (अताहर, 2013)। भूमि अधिग्रहण एक वैश्विक घटना है जो किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि हथियाने को संदर्भित करती है। भूमि की पहले से ही महत्वपूर्ण मांग के युग में सार्वजनिक संरचना/सुविधाओं को वितरित करने के लिए सरकारें बढ़ते बोझ के अधीन हैं। इसलिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। परिणामस्वरूप, विश्व स्तर पर, भूमि अधिग्रहण 227 मिलियन

हेक्टेयर से अधिक हो गया है (मैककार्थी एट अल, 2012)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास के लिए भूमि अधिग्रहण से हमेशा समाज का कल्याण होता है। हालांकि, यह भूस्वामियों के जीवन को कई गुना प्रभावित करता है। संपत्ति की उपलब्धता जनता के लिए एक भी आर्थिक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, बल्कि यह कई अन्य तरीकों से भी फायदेमंद है (बेदी, 2013)। आर्थिक विचारों के अलावा, लोग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अपनी भूमि से जुड़े होते हैं। भूमि अधिग्रहण से उन भूस्वामियों को तनाव होता है जो अपनी जमीन खो रहे हैं। यह किसानों को उनके खेतों से, परिवारों को उनके घरों से और व्यवसायों को उनके पड़ोस से विस्थापित करता है। यह उनके सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण धार्मिक, विशिष्ट परिवारों या सांस्कृतिक स्थलों के समाजों को बेदखल कर देता है और सामुदायिक संबंधों को बाधित करता है (अताहार, 2013)। फिर भी, इस क्षेत्र के लिए कोई सटीक भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास नीति नहीं है, और विस्थापित लोगों को पर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास नहीं किया जाता है। दुनिया भर में एक मानक प्रथा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा निजी संपत्ति की खरीद है। हालांकि, भारत जैसे भूमि के भूखे देश में, भूमि अधिग्रहण का मतलब है कि जमींदारों को किसी चीज से खतरा और डर है (बेदी, 2013)। अधिक जनसंख्या और भूमि की कमी ने भूमि के स्वामित्व पर अत्यधिक दबाव डाला। इस प्रकार भूमि भारत की सबसे मूल्यवान संपत्ति है, न केवल निर्वाह का साधन है, बल्कि सामाजिक शक्ति, गौरव, स्थिति और खुशी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है (संपत, 2010)। देश में किसी भी संगठन, चाहे वह सरकारी एजेंसी हो या गैर-सरकारी संस्था, और किसी भी कारण से भूमि का अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में देखा जाता है। मालिक लगभग सभी स्थितियों में संपत्ति की खरीद के बिल्कुल खिलाफ हैं। हालांकि, भूमि का अधिग्रहण, अवसंरचनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार को अपनी विशाल आबादी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और अधिक संस्थानों की आवश्यकता है, जिसमें भूमि का अधिग्रहण भी शामिल है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894) का इतिहास :

भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून 1824 में ब्रिटिश सरकार द्वारा

पेश किया गया था। इसे पहले बंगाल प्रांत तक बढ़ाया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को 'उचित और उचित' मूल्य पर सड़कों, नहरों आदि सहित सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दी। विनियम की कुछ शर्तों को वर्ष 1850 के दौरान कलकत्ता में विस्तारित किया गया था। इस अधिनियम के लिए रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता अनिवार्य थी। इसी तरह, सार्वजनिक भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे और मद्रास में 1839 और 1852 में अधिनियम ग्टए और ग पारित किए गए थे। 1857 का अधिनियम टए पूरे ब्रिटिश भारत में 3 तक विस्तारित होने वाला पहला अधिनियम था, और इसने सभी पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिनियमों को निरस्त कर दिया। 1894 का पूर्ण भूमि अधिग्रहण अधिनियम अंततः पारित किया गया और 1870 के पिछले अधिनियम को बदल दिया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, इस अधिनियम ने समय पर संशोधन के साथ सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को सीमित कर दिया।

1990 के बाद के आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद से भारत ने हर तरह से जबरदस्त प्रगति की है। 2005-15 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर औसतन 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी (फुक एट अल, 2015)। औसत प्रति व्यक्ति आय 1990 में 375 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2013 में 1497 अमेरिकी डॉलर हो गई। आर्थिक परिवर्तन के कारण शहरी विस्तार के साथ तेजी से शहरीकरण हुआ, जिसमें प्रति वर्ष कम से कम दो मिलियन लोगों की वृद्धि हुई (जीएसओ, 2013)। आर्थिक विकास और सतत शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, शहरीकरण के परिणामस्वरूप गुणवत्तापूर्ण आवास और बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की बढ़ती मांग हुई है। भूमि उपयोग पर कई दबाव विकसित किए गए हैं, विशेष रूप से ऐसे शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि, ऐतिहासिक रूप से कृषि के लिए उपयोग की जाती है, जहाँ भूमि अभी भी उपलब्ध है और शहरी भूमि की तुलना में सस्ती है। लगातार बढ़ते हुए शहरी क्षेत्र विकृत प्राकृतिक वातावरण और प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग के कारण बिगड़े हुए वातावरण के स्थल बन गए हैं। हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से विकसित राज्य के लिए, समस्या विकास परियोजनाओं को लागू करने की है और औद्योगिक उद्यमों को आकर्षित करने की है (पुनम, 2015)। यह भौतिक रूप से सीमित, अचल, अउत्पादित और पुनरुत्पादित भूमि की अनूठी विशेषताएं हैं जिन्होंने भूमि मूल्य निर्धारण को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, विशेष रूप से भारत जैसे अपूर्ण भूमि बाजार में। इसके अलावा, कोई भी विकास परियोजना क्षेत्र की आर्थिक प्रगति पर विशेष गुणक प्रभावों के साथ सफलता, रोजगार की संभावना और बेहतर कनेक्टिविटी की गारंटी

देती है। इनके अलावा, वंचित समुदायों का विस्थापन, समाज के एक निश्चित वर्ग के लिए आजीविका का नुकसान और रोजमर्रा की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यवधान भी है। इनमें से अधिकांश नकारात्मक परिणाम निवासियों द्वारा वृक्षारोपण, पुलों और सड़कों आदि के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण से उत्पन्न होते हैं। कृषि परिदृश्य पर बेतरतीब अतिक्रमण किसानों के बीच एक अस्थिरता की स्थिति पैदा करता है। ये परिदृश्य नई कृषि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में और निवेश के लिए एक निरुत्साही साबित हो रहे हैं। चमबपंस म्बवदवउपब'वदमे' ईद्व आम तौर पर स्थानीय लोगों की उनके खेतों और चराई भूमि, पानी और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। चमबपंस म्बवदवउपब 'वदमे के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण से पहले ही देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के मन में अशांति पैदा हो गई है। टाउनशिप, औद्योगिक परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए भूमि के कब्जे ने कृषि और अन्य भूमि आधारित आर्थिक गतिविधियों से किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यह कई समुदायों के विस्थापन की समस्या का कारण बन जाता है। उनके पुनर्वास के लिए एक समझदार योजना के अभाव में उन्हें शायद ही पर्याप्त मुआवजा और आवास मिलता है। परस्पर विरोधी भूमि उपयोग के दावों से उत्पन्न हितों का टकराव स्थानीय समुदायों और संभावित निवेशकों का समर्थन करने वाले अधिकारियों के बीच कलह का कारण बन गया है। यह सभी हितधारकों के हितों, भूमि संसाधनों की स्थिरता और पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण नीति तैयार करने का आह्वान करता है। विकास के लिए भूमि अधिग्रहण और उसके प्रभावों ने हाल ही में मीडिया, वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। शहरी विकास और आर्थिक विकास के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले प्रदर्शनकारी लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हाल के अधिकांश शोधों ने यह उत्तर देने का प्रयास किया है कि भूमि के नुकसान ने सामुदायिक संरचनाओं और परंपराओं को कैसे बाधित किया है।

बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण पर वैज्ञानिक सरोकार

विकासशील देशों में भूमि अधिग्रहण पर मीडिया और अकादमिक दोनों में विवादास्पद रूप से चर्चा की जाती है। भूमि अधिग्रहण को मीडिया में भूमि हड़पने का नाम दिया गया है। इन निवेशों ने बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण, संप्रभुता, आजीविका, विकास और संघर्ष पर ऐसी संपत्तियों के प्रभाव पर मजबूत स्थितियाँ ली जाती हैं। हाल के वर्षों में कई शोध विद्वानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थानीय अनुबंधों, श्रम, संपत्तियों तक पहुंच, और भूमि

समझौतों से उत्पन्न संघर्षों की मौजूदगी और संभावित नुकसान के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की संभावित हानिकारकता पर प्रकाश डाला गया है (बोटाजी एट अल, 2016) विद्वानों और अधिवक्ताओं ने विकास कार्यक्रमों को चुनौती दी है जो हजारों लोगों को विस्थापित, हाशिए पर और गरीब बनाते हैं। यद्यपि इन प्रकाशनों ने विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण के तत्काल जोखिमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में मदद की है, लेकिन सामाजिक संगठन, शक्ति संबंधों और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार के लिए स्थानीय प्रभावों का अनुमान लगाना मुश्किल है। इन मुद्दों पर मीडिया और एनजीओ की रिपोर्ट, लेख और वैज्ञानिक पत्र लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों और कुछ प्रकाशित शोधों के प्रकाशन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय भूमि सौदों और उनके प्रभावों को आज भी कम जाना जाता है। पिछले कुछ समय से प्रासंगिक शोध लेखों, समाचारों, पुस्तकों और संक्षिप्त संचारों की समीक्षा की गई है। रुबिन (1988) ने भूमि और किसानों के बीच तीखे संघर्ष का वर्णन किया है। इलिनोइस ने शहरीकरण को कम करने के प्रयास में संरक्षित भूमि का विस्तार करने की अपील की है। 'सामाजिक विज्ञान मॉडल' विकास के लिए उपनगरों के बीच प्रतिस्पर्धा की तर्कसंगतता का विश्लेषण करता है, यह वन संरक्षित जिले और बढ़ते उपनगर दोनों के व्यवहार की व्याख्या करता है। विलियम्स (1989) ने शुरू में क्वींसलैंड में भूमि अधिग्रहण सिद्धांतों के विकास का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया है। विश्लेषण कई ऐतिहासिक विषयों को रेखांकित करता है जो पहले ऑस्ट्रेलियाई इतिहास और कानूनी साहित्य में नहीं खोजे गए थे। अध्ययन ने भूमिधारकों के बीच भत्ते, पट्टों और नीलामी में खरीद के माध्यम से मुआवजे के विभिन्न अधिकारों को रेखांकित किया है। दूसरी जमीन यह है कि भूमि अधिग्रहण पर असहमति प्रमुख भूमिधारकों की शिकायत के रूप में उभरी है, इससे पहले कि उपनिवेशवादियों ने औपनिवेशिक राज्यपालों के साथ लड़ाई लड़ी। अंत में, भूमि अधिग्रहण विधियों के साथ समान मुआवजे की आवश्यकताओं वाले सामान्य उपयोगिता कानून बनाए गए।

आज की समस्या

अनिश्चितता, जोखिम, भूमि अधिग्रहण से संबंधित देरी, विरोध और विस्थापितों की ओर से प्रतिरोध विशेष रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा बन गए हैं। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके इर्द-गिर्द भारत में राज्य के खिलाफ काफी लामबंदी और विरोध हुआ है और अब भी कर रहे हैं। वास्तव में पर्यावरणीय विरोध की जड़ें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्याओं में भी जुड़ी हैं। इस प्रकार यदि भूमि

अधिग्रहण, पुनर्वास और पर्यावरण (विशेषकर पर्यावरण विरोध) से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को एक साथ माना जाता है तो वे आज की परियोजनाओं में देरी, लागत में वृद्धि और उच्च जोखिम के भारी कारण के लिए जिम्मेदार हैं। आमतौर पर वे लोग जिनकी भूमि और आवास भारतीय राज्य द्वारा अधिग्रहित किए जाते हैं, बहुत अधिक पीड़ित होते हैं और उनके विरोध प्रदर्शन अप्रभावी होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अधिक सामाजिक नुकसान होता है और बुद्धिजीवियों की सहानुभूति इतनी अधिक होती है कि लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण विकास-विरोधी अभिविन्यास, विशेष रूप से बुद्धिजीवियों और (गैर-सरकारी संगठन) एनजीओ में बनाता है। इस तरह के 'विकास विरोधी' वर्ग ने गहरी जड़ें जमा ली हैं और भारतीय समाज में बाहरी रूप से उत्पन्न होने वाले उत्तर-आधुनिकतावादी प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिया है। आज स्थिति ऐसी है कि लगभग कोई भी बड़ी परियोजना जिसमें महत्वपूर्ण लाभ लाने की क्षमता है, विस्थापितों और जिनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जिनमें से अधिकांश गरीब हैं, को नुकसान पहुंचाए बिना संभव नहीं है।

भारत में भूमि उपयोग/भूमि कवर (एलयूएलसी) के संबंध में विद्वानों के विचार

मानव गतिविधियों और पर्यावरण की समझ में सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक भूमि उपयोग/भूमि कवर संक्रमण है। प्राकृतिक और मानव दोनों चर एलयूएलसी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एलयूएलसी में पूरे क्षेत्र में मानव परिवर्तन हाल ही में असाधारण दिखाई दिया है और ग्रह के पारिस्थितिक पर्यावरण पर इसका गहरा प्रभाव है (लैम्बिन एट अल, 2001)। विकासशील देशों में, जहां व्यापक एलयूएलसी परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक विकास द्वारा संचालित होते हैं, यह घटना आम है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक पर्यावरणीय हानि होती है, विशेष रूप से परिदृश्य विघटन (ग्रिम एट अल, 2008)। एलयूएलसी पर जानकारी मानव आवश्यकताओं और कल्याण की बढ़ती मांगों को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं के चयन, योजना और कार्यान्वयन के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से उपयोग के संबंध में संभावनाओं को दर्शाती है। एलयूएलसी बढ़ती जनसंख्या के कारण भूमि उपयोग में परिवर्तन की निगरानी भी करती है। एलयूएलसी मैपिंग में रिमोट सेंसिंग एक आवश्यक अभ्यास है, जो आगे भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रकट करती है। पिछले पांच दशकों (जैसे 1960 के दशक में हरित क्रांति और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार) के दौरान भारत में विकासशील परिवर्तन की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई, जिसने भारतीय शहरों के शहरी विकास में अभूतपूर्व बदलाव लाए (गुप्ता, 2011)।

पूरी दुनिया में शहरीकरण एक अलग दर से हो रहा है। विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में यह बहुत आसान है। 1800 ईस्वी में विश्व की केवल 3 प्रतिशत जनसंख्या शहरी केंद्रों में रहती थी, लेकिन 1900 में यह आंकड़ा 14 प्रतिशत तक पहुंच गया, और दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी वास्तव में शहरी क्षेत्रों में रहती है (अमीन और फजल, 2012)। कई विकासशील देशों में, शहरीकरण का भूमि परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वास्तविक विश्लेषण और भूमि आवरण परिवर्तनों की निगरानी के लिए पृथ्वी की सतह के बारे में महत्वपूर्ण डेटा की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग (आरएस) उपकरणों का उपयोग करते हुए, यह डेटा सबसे अधिक सरल तरीके से हम तक पहुंचता है (अराया और कैबरल, 2010)। एल्यूएलसी अध्ययनों ने सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों की प्रगति से चार दशकों में महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित किया है (मेंगिस्टु और वाक्तोला, 2016)। परिवर्तनों का पता लगाना में रिमोट सेंसिंग डेटा के आधार पर भूमि कवर और भूमि उपयोग गुणों में परिवर्तन को परिभाषित और समझाता है (शालाबी एट अल, 2012)। वर्ष 1965 की एक स्थलाकृतिक शीट और वर्ष 2008 के लिए सैटललाइट डेटा का उपयोग अल्मोड़ा जिले के गंगा के वाटरशेड की गणना के लिए 43 वर्षों के लिए भूमि उपयोग / भूमि कवर (पूजा एट अल, 2012) के लिए किया गया था। उत्तराखंड, भारत में कुमाऊं हिमालय के पांच प्रमुख शहरों (यानी, रामनगर, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा और हल्द्वानी) का एल्यूएलसी के संबंध में अध्ययन किया गया था। भूमि उपयोग/भूमि आवरण पर 1990 से 2010 तक उत्तराखंड के 20 वर्षों के उपग्रह डेटा के आधार पर, कृषि और सब्जी भूमि पर आवास विकास के निर्माण के कारण निर्मित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई (रावत एट अल, 2013)। भूमि उपयोग/भूमि कवर मानचित्रण पर श्रीनगर शहर का विश्लेषण किया गया जिसमें यह पाया गया कि शहर में 1990 से 2007 तक बड़े बदलाव हुए हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि भूमि उपयोग के रुझान ने वन क्षेत्रों के नुकसान में योगदान दिया है। (अमीन एट अल, 2012)। 1990 में, भारत में नवउदारवादी सुधारों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का एक क्षेत्र खोल दिया (अनवर और कारमोडी, 2016)।

एल्यूएलसी का गुरुग्राम पर प्रभाव

आज, गुरुग्राम, एक शीर्ष वित्तीय और औद्योगिक केंद्र, 250 से अधिक फॉर्च्यून और 500 व्यवसायों का घर है और राज्य सरकार द्वारा इसके विस्तार के शुरुआती वर्षों में 'मिलेनियम सिटी' के रूप में विज्ञापित किया गया था। 1990 के दशक के उदारीकरण के बाद के चरण (यार्डली, 2011) के बाद से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफी

तेजी से विकसित हो रही है। गुरुग्राम के आगे विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की गई हैं और लॉन्च की गई हैं, जैसे दिल्ली भूमि और वित्त (डीएलएफ), औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) मानेसर। अर्थव्यवस्था के तेज विकास ने पहले ही पर्यावरण में कई बदलाव लाए हैं। पिछले दशक के दौरान गुरुग्राम जिले का शहरी विकास बहुत तेजी से हुआ है, और इसने कृषि भूमि और वनस्पति कवर पर प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है। शहरी क्षेत्रों की यह तीव्र प्रगति और विकास दुनिया भर में शहरी योजनाकारों और निर्णय लेने वालों के लिए एक चिंता का विषय रहा है (चटर्जी, 2013)।

निष्कर्ष :

आज विकास को सीधे तौर पर आसानी से पहचाने जाने वाले तरीके से 'गरीब विरोधी' फैसलों के रूप में देखा जाता है। भले ही कई अन्य गरीब (आमतौर पर बहुत बड़ी संख्या में) विकास परियोजनाओं से लाभान्वित हों, विकासवाद विरोधी दलों का राजनीतिक आधार बहुत बड़ा है। दूसरे शब्दों में, भारत में विकास परियोजनाएं कम से कम 'पारेतो-इष्टतम' होने के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं – यानी लोगों को चोट नहीं पहुंचाना, जिसका कारण इससे कई अन्य लोगों की आय में वृद्धि होती है। इस समस्या का निदान भूमि अधिग्रहण कानूनों और नीतियों में बुनियादी बदलाव के बिना संभव नहीं है। आज के कानून भूमि छोड़ने वालों और विस्थापित होने वालों के लिए बेहतर नहीं है।

कई विद्वानों ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में असमानताओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को सामने लाया है, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से या समाधान खोजने के लिए इसके कामकाज को समझने का बहुत कम प्रयास किया गया है। यह चर्चा सरकारी तंत्र के कामकाज की सीमाओं के आसपास रही है, जिसने भूमि अधिग्रहण में देरी की है, या आधुनिक पूंजीवादी राज्य के 'दमनकारी चरित्र' के संदर्भ में। यह पत्र पहली बार भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को सही ढंग से समझता है और इस तरह से कानून और नीति में उपयुक्त परिवर्तन के माध्यम से इसका समाधान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Margulis, M. E. 2014. Land Acquisitions for Food and Fuel. *Encyclopedia of Food and agricultural Ethics*, 1325-1332.
2. Krieger, T. and Meierrieks, D. 2016. Land grabbing and ethnic conflict. *Homo Oeconomicus*, 1-18
3. Atahar, S.A. 2013. Development project, land acquisition and resettlement in Bangladesh; A quest for well formulated

- national resettlement and rehabilitation policy. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 (7): 306-319.
4. McCarthy, J.F., Jacqueline, A.C., Vel and Afiff, S. 2012. Trajectories of land acquisition and enclosure: Development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia's Outer Islands. *The Journal of Peasant Studies*, 39 (2): 521-549.
5. Bedi, H.P. 2013. Special economic zones: National land challenges, localized protest. *Contemporary South Asia*, 21 (1): 38-51.
6. Atahar, S.A. 2013. Development project, land acquisition and resettlement in Bangladesh; A quest for well formulated national resettlement and rehabilitation policy. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3 (7): 306-319.
7. Bedi, H.P. 2013. Special economic zones: National land challenges, localized protest. *Contemporary South Asia*, 21 (1): 38-51.
8. Sampat, P. 2010. Special economic zones in India: reconfiguring displacement in a neoliberal order? *City & Society*, 22 (2): 166-182.
9. Phuc, N.Q., Zoomers, A. and Van, A.C.M. 2015. Compulsory land acquisition for urban expansion: A study of farmer's protest in peri-urban Hue, Central Vietnam. In proceeding of International Academic Conference on Land grabbing, conflict and agrarian environmental transformations: perspectives from East and Southeast Asia, Chiang Mai University, Thailand :1-15.
10. Ghatak, M., Mitra, S., Mookherjee, D. and Nath, A. 2013. Land acquisition and compensation what really happened in Singur? *Economic and Political Weekly*, XLVIII (21): 32-44.
- Punam, 2015. Effects of land acquisition policy on farmers in Haryana. *International Journal of Advanced Research*, 4 (1):104-114.
11. Lambin, E. F., Turner, B. L., Geist, H. J, 2001. The causes of land-use and land cover change moving beyond the myths. *Global Environmental Change*, 11 (4): 261-269.
12. Grimm, N. B., Faeth, S. H., Golubiewski, N. E., Redman, C. L., Wu, J., Bai, X. and Briggs, J. M. 2008. Global change and the ecology of cities. *Science*, 319 (5864): 756-760.
13. Gupta, R.K. 2011. Change detection techniques for monitoring spatial urban growth of Jaipur city. *Institute of Town Planners*, 8 (3): 88-104.
14. Amin, A. and Fazal, S. 2012. Land Transformation analysis using remote sensing and gis techniques (A case study). *Journal of Geographic Information System*, 4: 229-236.
15. Araya, Y.H. and Cabral, P., 2010. Analysis and modeling of urban land cover change in Setubal and Sesimbra, Portugal. *Remote Sensing*, 2: 1549-1563.
16. Mengistu, D. A., and Waktola, D. K. 2016. Monitoring land use/land cover change impacts on soils in data scarce environments: a case of southcentral Ethiopia. *Journal of Land Use Science*, 11 (1): 96-112.
17. Shalaby, A.A., Ali, R.R. and Gad, A. 2012. Urban sprawl impact assessment on the agricultural land in Egypt using remote sensing and GIS: a case study, Qalubiya Governorate. *Journal of Land Use Science*, 7 (3): 261-273.
18. Pooja, K., Kumar, M. and Rawat, J.S. 2012. Application of remote sensing and GIS in land use and land cover change detection: a case study of Gagas Watershed, Kumaun Lesser Himalaya. *India. Quest*, 6 (2): 342-345.
19. Rawat, J.S., Biswas, V. and Kumar, M. 2013. Changes in land use/cover using geospatial techniques-A case study of Ramnagar town area, district Nainital, Uttarakhand, India. *Egyptian Journal of Remote Sensing*, 16: 111-117.
20. Amin, A. and Fazal, S. 2012. Land Transformation analysis using remote sensing and gis techniques (A case study). *Journal of Geographic Information System*, 4: 229-236.
21. Anwar, M.A. and Carmody, P. 2016. Bringing globalization to the countryside: Special economic zones in India. *Singapore Journal of Tropical Geography*, 37: 121-138.
22. Yardley, J. 2011. In India, dynamism wrestles with dysfunction. *The New York Times*, online edition. Retrieved 23 January 2013 from <http://www.nytimes.com/2011/06/09/world/asia/09gurgaon.html>.
23. Chatterji, T. 2013. The Micro-Politics of Urban Transformation in the Context of Globalisation: A Case Study of Gurgaon, India, South Asia. *Journal of South Asian Studies*, 36 (2): 273-287.

सुनीता देवी

शोधार्थी, भूगोल विभाग,
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

Email : sunitabhakar44@gmail.com



सारांश

सहारनपुर जनपद के 11 विकासखण्डों में विकास का स्तर की पहचान पाँच निर्देशांकों के आधार पर की गई है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत, कुल कार्यकर्ताओं में द्वितीयक कार्यकर्ताओं का प्रतिशत व तृतीयक कार्यकर्ताओं का प्रतिशत, कुल ग्रामीण कार्यकर्ताओं में ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत का अधिक होना धनात्मक सहसम्बन्ध को बताता है। इनमें औसत से अधिक प्रतिशत रखने पर विकासखण्ड को विकसित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। औसत से कम प्रतिशत रखने वाले विकासखण्डों को कम विकसित की श्रेणी में नामित किया गया है। प्राथमिक कार्यकर्ताओं का प्रतिशत औसत से कम रखने वाले विकासखण्डों को विकसित श्रेणी में रखा गया है। इस आधार पर जनपद के चार विकासखण्ड नकुड़, गंगोह, नागल व देवबन्द कम विकसित की श्रेणी में आते हैं। तीन विकासखण्ड सढौली कदमी, सरसावा, व नानौता विकसित विकासखण्ड की श्रेणी रखने वाले हैं। मुजफ्फराबाद व रामपुर मनिहारान उच्च विकसित विकासखण्ड हैं तथा अति उच्च विकसित के रूप में बलियाखेड़ी व पुवारंका शामिल हैं। सहारनपुर नगर की समीपता ने इन विकासखण्डों के विकास स्तर को प्रभावित किया है।

प्रस्तावना


ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास उनकी साक्षरता, कार्यशीलता, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में उनका बढ़ता योगदान से सम्बन्धित होता है। उनका गैर प्राथमिक कार्यों में बढ़ता प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के विकास का प्रतीक होता है। यह माना गया है कि यदि किसी क्षेत्र में उनकी संलग्नता प्राथमिक कार्यों में प्रभावी है तो निश्चित तौर पर वह भूभाग विकास की दृष्टि से पीछे लगता है।

विधि तंत्र एवं आँकड़े

अध्ययन की इकाई विकासखण्ड है। 2001 की जनगणना के आँकड़ों को आधार माना गया है। ग्रामीण क्षेत्र की विकास स्थिति को ज्ञात करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के आँकड़ों की गणना की गई है। निर्देशांकों का औसत प्रतिशत की गणना करके उसकी तुलना प्रत्येक विकासखण्ड के औसत प्रतिशत से की गई है। विकास के स्तर को मानचित्र की सहायता से प्रदर्शित किया गया है।

उद्देश्य

इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति व उनकी विभिन्न कार्यों में संलग्नता को निश्चित करना है। इस आधार पर ग्रामीण विकास के स्तर की पहचान करना है। अध्ययन क्षेत्र सहारनपुर जनपद ऊपर गंगा मैदान का सबसे उत्तरी जनपद है। यह समतल मैदान के साथ अपनी उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ी व वन प्रदेश 9 से 12 किमी० की चौड़ाई व 40



चित्र 1.1

किमी० की लम्बाई में रखता है। इसमें दक्षिण में भावर प्रदेश की उपस्थिति 10–15 किमी० की चौड़ाई में मिलती है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है तथा अपने किनारे पर 7 से 10 किमी० की चौड़ाई में खादर का विस्तार रखती है। मध्य में हिण्डन का खादर 2 से 3 किमी० की चौड़ाई में फैला है। बांगर भूमि का विस्तार जनपद के अधिकांश शेष भाग पर मिलता है। नहर की प्रमुख नदी यमुना है। पांवधोई, ढमोला, कृष्णा, हिण्डन, नागदेव नदियाँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से यमुना की सहायक नदियाँ हैं। हिण्डन दूसरी प्रमुख नदी है। (चित्र 1.1)

पूर्वी यमुना नहर फैजाबाद के ताजेवाला से उद्गम रखती है व उत्तर-दक्षिण दिशा में बहती हुई कुआंखेड़ा के निकट ऊपर गंगा नहर की देवबन्द शाखा से मिलन करती है। इस जनपद में पर्वतीय वन मिट्टी, भावर मिट्टी, बांगर व खादर मिट्टियाँ मिलती हैं। बांगर मिट्टियाँ भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत हैं। व फसलोत्पादन के लिए महत्व रखती हैं। यहाँ की जलवायु उपोष्ण व उप आर्द्र मानसून

प्रकार की है। दिन रात के तापमान में विषमता के साथ शील व ग्रीष्म ऋतुओं में ऐसी विषमताएं पाई जाती हैं। वर्षा की मात्रा उत्तर-पूर्वी से दक्षिण-पश्चिम की ओर कम होती जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति शिवालिक वन व भावर घास है। शिवालिक पहाड़ियाँ घने वनों से ढकी हैं। इसके अलावा मैदानी भूभाग में आम, अमरुद, शीशम, चीड़, लोकाट, लीची के वृक्ष पाए जाते हैं। फलों का उत्पादन व्यापारिक पैमाने पर होता है।

जनपद में भूमि का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में होता आया है। यहाँ की 75 प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। लगभग 14 प्रतिशत भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य भूमि है। 9.16 प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार मिलता है। जिनका विस्तार उत्तरी सीमावर्ती भाग पर मिलता है। कृषि योग्य बेकार भूमि का विस्तार समय के साथ कम हो गया है। परती भूमि का क्षेत्रफल कुल भूमि का 1.30 प्रतिशत है। यह कम उपजाऊ क्षेत्रों में वितरित मिलती है। चारगाह भूमि का महत्व बहुत कम है। बांगर भूमि पर यह विस्तार रखती है। सहारनपुर नगर के समीपवर्ती गांवों में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि का विस्तार अधिक मिलता है। उद्यान व बागाती भूमि का क्षेत्रफल कुल का 0.36 प्रतिशत है। कृषित भूमि का प्रतिशत जनपद के दक्षिणी भूभागों पर मिलता है।

कृषि प्रधान जनपद में तीनों मौसम की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, चावल व गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। गत दशक में गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र अन्य फसलों की तुलना में बढ़ गया है। गन्ना का उत्पादन कुल कृषित भूमि के 66.61 प्रतिशत भूभाग पर किया जाता है। इसी कारण यहाँ पर चीनी की सात मिलें हैं। मक्का, तिलहन व दालें भी कृषित भूमि के लगभग 9.0 प्रतिशत भूभाग पर उगाए जाते हैं। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पुवारका व गंगोह विकासखण्डों में होता है। जनपद के उत्तरी व मध्यवर्ती भूभाग में गेहूँ का उत्पादन अधिक होता है। गन्ना दक्षिणी व मध्यवर्ती भूभाग की प्रमुख फसल है। मक्का उत्तरी भूभागों में उगाई जाती है। तिलहनों में मँगफली सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरी भावर प्रदेश में इसका उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। दालों में उर्द व मसूर प्रमुख हैं।

गत पचास वर्षों में जनपद की जनसंख्या 16.15 लाख से बढ़कर 34.66 लाख तक पहुँच गई है। वृद्धि का औसत प्रतिशत 1961-2011 में 20.30 प्रतिशत आँका गया है। वृद्धि की दर 1961-81 के दशकों में 1981-2011 के दशकों की तुलना में अधिक रही है। जनसंख्या के वितरण को कृषित भूमि की उपलब्धता, परिवहन साधनों का विस्तार तथा नगरीय बस्तियों की समीप स्थिति ने प्रभावित किया है। दक्षिणी भूभाग के विकासखण्डों में जनसंख्या का वितरण अधिक मिलता है। औसत घनत्व 940 व्यक्ति प्रति वर्ग

किमी० है। सबसे कम घनत्व 493 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० मुजफ्फराबाद में तथा सबसे अधिक 1189 व्यक्ति देवबन्द विकासखण्ड में पाया गया है। बलियाखेड़ी विकासखण्ड के समीप सहारनपुर में जनघनत्व 15094 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी० है।

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करने के लिए पाँच निर्देशांकों को चुना गया है। इसमें 2011 की जनगणना वर्ष के आँकड़ों के आधार माना गया है। द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों तथा साक्षरता के स्तर को पहचानने के लिए इनके निर्देशांकों को उनके प्राप्तांक मूल्यों को बढ़ते से घटते क्रम में रखकर अंकमान प्रदान करके उनका योग प्राप्त किया गया है। साथ ही प्राथमिक कार्यों के स्तर को पहचानने के लिए इनके निर्देशांकों को घटते से बढ़ते क्रम में रखकर अंकमान प्रदान करके उनका योग प्राप्त किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों प्रकार के निर्देशांकों को अवरोही व आरोही क्रम में रखकर अंकमान प्रदान करने के बाद समस्त अंकों के प्राप्त योग के आधार पर विकास क्रम स्तर पहचानने का प्रयास किया गया है।

यहाँ पर जिन निर्देशांकों को चुना गया है, वह इस प्रकार हैं:-

घनात्मक निर्देशांक

1. ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत
2. ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
3. द्वितीयक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत
4. तृतीयक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत

ऋणात्मक निर्देशांक

1. प्राथमिक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत

सारिणी 1.1 निर्देशांकों के औसत प्रतिशत (ग्रामीण महिलाएं) के आधार पर विकासखण्डों में विकास स्तर-2011

क्रम	घनात्मक सहसम्बन्ध	औसत प्रतिशत	विकसित			कम विकसित		
			वि०ख० की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल का प्रतिशत	वि०ख० की संख्या	कुल जनसंख्या	कुल का प्रतिशत
i	साक्षरता	58.49	7	685695	60.68	4	444358	39.32
ii	द्वितीयक कार्यकर्ता	9.16	4	354877	31.41	7	775206	68.60
iii	तृतीयक कार्यकर्ता	35.49	6	665779	58.92	5	464274	41.08
iv	महिला कार्यकर्ता	7.83	2	200017	17.70	9	930096	82.30
ऋणात्मक सहसम्बन्ध								
v	प्राथमिक कार्यकर्ता	55.46	5	568016	50.26	6	562037	49.74

उपरोक्त सारिणी से विदित होता है कि ग्रामीण महिला प्रभावी साक्षरता तथा तृतीयक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत

औसत से अधिक 6 से 7 विकासखण्डों में मिलता है। महिला कार्यकर्ताओं का औसत प्रतिशत केवल दो विकासखण्डों में अधिक मिलता है। प्राथमिक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का औसत प्रतिशत पाँच विकासखण्डों में औसत से कम पाया गया है। इन निर्देशांकों को विस्तृत रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है।

प्रभावी साक्षरता के विकास का स्तर— ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं में साक्षरता दर का बढ़ना उनकी सामाजिक प्रगति का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही उनके रोजगार के क्षेत्र में अनेक अवसर प्रदान करता है। वह शिक्षिका, नर्स कण्डक्टर, आंगनवाड़ी




चित्र 1.2

कार्यकर्ता, सिलाई घरेलू उद्योगों के क्षेत्र में विशिष्ट भूमि का निभा सकती है। जनपद में इन महिलाओं का प्रभावी साक्षरता का औसत 58.49 प्रतिशत है। सात विकासखण्डों में यह प्रतिशत औसत से अधिक देखने में आता है। नानौता में यह प्रतिशत सबसे अधिक 77.30 मिलता है। औसत से अधिक प्रतिशत रखने वाले अन्य विकासखण्ड रामपुर (62.93), नकुड़ (61.19), पुवारका (61.02), बलियाखेड़ी (60.61), देवबन्द (59.03) तथा मुजफ्फराबाद (58.52) हैं। नगरीय व ग्रामीण सेवा केन्द्रों की समीप उपस्थिति ने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित किया है। (चित्र 1.2)

ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत— ग्रामीण महिलाओं में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति विकास के स्तर का प्रतीक होती है। यह महिलाएं कृषि क्षेत्र के साथ द्वितीयक व तृतीयक कार्यों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या से इनका औसत प्रतिशत 7.828 है, जो उनकी अति निम्न

भागीदारी को दिखाता है। औसत से अधिक प्रतिशत रखने वाले केवल दो विकासखण्ड हैं— गंगोह (9.40) तथा रामपुर मनिहारान (15.98) यह दोनों ही जनपद के कृषि उपजाऊ क्षेत्र पर विस्तारित हैं। शेष सभी विकासखण्डों में इसका औसत प्रतिशत 5.6 से लेकर 7.77 के बीच देखने में आता है। मुजफ्फराबाद, बलियाखेड़ी, पुवारका व नानौता औसत प्रतिशत से काफी समीपता रखते हैं।

द्वितीयक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का प्रतिशत— इनकी उपस्थिति विकासखण्ड में औद्योगिक कार्यों के विकास का प्रतीक होती है। इनका औसत प्रतिशत 9.16 पाया गया है। चार विकासखण्डों में इनका प्रतिशत औसत से ऊपर पाया गया है। इनमें पुवारका (13.75), बलियाखेड़ी (13.28), रामपुर मनिहारान (9.37) तथा नानौता (16.89) विकासखण्ड शामिल है। इनकी उपस्थिति जनपद की मध्यमवर्ती पेट्री पर मिलती है। यह सहारनपुर—दिल्ली—बेहट मार्ग पर अपना विस्तार रखते है। यहाँ पर चीनी, गुड़, खांडसारी, काष्ठ, फल पेकिंग, वस्त्र सिलाई जैसा घरेलू उद्योगों का जमाव देखने को मिलता है।



चित्र 1.3

विकासखण्डों के विकास का स्तर

उपरोक्त वर्णित निर्देशांकों को ध्यान में रखकर विकासखण्डों को उनके औसत प्राप्तांक को आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो विकासखण्ड एक निर्देशांक में औसत मान की श्रेणी में आता है, उसे कम विकसित श्रेणी में रखा गया है। निम्न सारिणी से विकासखण्डों के स्तर का पता लगता है।

सारिणी 1.2 जनपद सहारनपुर में विकासखण्ड का विकास स्तर

क्रम	विकास स्तर	निर्देशांकों की संख्या	विकास खण्डों की संख्या	कुल जनसंख्या ग्रामीण महिला	प्रतिशत	ग्रामीण महिला कार्यकर्ता	प्रतिशत
i	कम विकसित	एक	4	415007	36.72	30285	34.24
ii	विकसित	दो	3	293608	25.98	19899	22.49
iii	उच्च विकसित	तीन	2	213621	18.90	22675	25.63
iv	अति उच्च विकसित	चार	2	207817	18.40	15606	17.64
	योग		11	1130053	100.00	88465	100.00

कम विकसित विकासखण्ड— चार विकासखण्डों ने चुने गए निर्देशांकों में से किसी एक निर्देशांक के लिए अंकमान प्राप्त किया है, उसको इस वर्ग में शामिल किया गया है। इनमें शामिल विकासखण्ड नकुड़ ने साक्षरता, गंगोह ने ग्रामीण महिला कार्यकर्ता, नागल ने तृतीय महिला कार्यकर्ता तथा देवबन्द ने साक्षरता में औसत से अधिक प्रतिशत अंकित किया है। इनमें ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं का 34.24 प्रतिशत भाग निवास करता है।

विकसित विकासखण्ड— तीन विकासखण्डों ने पाँच में से किन्हीं दो में औसत प्रतिशत के अंकमान को प्राप्त किया है। इनमें जनपद की 22.49 प्रतिशत ग्रामीण महिला कार्यकर्ता शामिल है। इसमें शामिल सबौली कदीम व सरसावा ने प्राथमिक कार्यकर्ता तथा तृतीयक कार्यकर्ता के लिए निर्धारित अंकमान को प्राप्त किया है। इसी प्रकार नानौता ने द्वितीयक व तृतीयक महिला कार्यकर्ताओं के निर्धारित अंकमान से उच्चमान प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि इन विकासखण्डों में तृतीयक ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं की प्रभुता है।

उच्च विकसित विकासखण्ड— वह विकासखण्ड जिन्होंने पाँच में से किन्हीं तीन निर्देशांकों के निर्धारित अंकमानों को प्राप्त किया है। उनको इसमें शामिल किया गया है। इसमें दो विकासखण्ड शामिल हैं, जिनमें 25.63 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ कार्यरत मिलती हैं। इसमें शामिल मुजफ्फराबाद ने प्राथमिक कार्यकर्ता, तृतीयक कार्यकर्ता एवं साक्षरता के लिए निर्धारित अंकमानों को प्राप्त किया है। इसी प्रकार रामपुर मनहारान विकासखण्ड ने ग्रामीण महिला कार्यकर्ता, द्वितीयक कार्यकर्ता तथा साक्षरता के अंकमानों को प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि साक्षरता के अंकमानों को प्राप्त किया है। स्पष्ट है कि साक्षरता के कारण दोनों विकासखण्डों ने विकास के इस स्तर को प्राप्त किया है।

अति उच्च विकसित विकासखण्ड— दो विकासखण्डों ने पाँच में से चार निर्देशांकों के निर्धारित अंकमानों को प्राप्त किया है। इसमें शामिल दोनों विकासखण्ड सहारनपुर नगर की समीपतर से प्रभावित हैं। उनके मुख्यालय भी इस नगर के समीप स्थित हैं। यह पहुँचनीयता की दृष्टि से काफी विकसित है। यहाँ पर अकृषित कार्यों

का भारी जमाव मिलता है। यह दोनों विकासखण्ड पुवारका तथा बलियाखेड़ी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्यों के साथ साक्षरता के लिए निर्धारित अंकमानों को प्राप्त करते हैं। इनमें जनपद की 17.64 प्रतिशत ग्रामीण महिला कार्यकर्ता वितरित मिलती हैं।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि सहारनपुर नगर की समीपता व उसमें सम्पर्कता, सड़क मार्गों का सघन जाल, चीनी, खांडसारी, फल पैकिंग, वस्त्र, घरेलू उद्योग, आधारभूत सेवाओं के व्यापक विस्तार, ग्रामीण सेवा केन्द्रों का स्थापन आदि ने विकासखण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के स्तर को प्रभावित किया है। जनपद की लगभग 63.28 प्रतिशत ग्रामीण महिला जनसंख्या इन सुविधाओं का विशेष लाभ उठा पाती है।

ये शोध पत्र डा० विरेन्द्र सिंह प्राचार्य के निर्देशन में तैयार किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ:

1. सहारनपुर सांख्यिकी पत्रिका वर्ष 2012, 2015, 2020
2. सहारनपुर जनगणना पुस्तिका 2011,
3. एस०सी० बंसल: (2019) सहारनपुर भौगोलिक परिचय, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
4. डी०आर० गाडगिल: (1965) बौमेन इन वर्किंग फोर्स इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई।

शोधार्थी

रंजीता देवी

भूगोल विभाग, डी०जे० कॉलेज,

बडौत (बागपत)

Vill. Marwa

P.O. Sahdoli Qdeem

Distt. Sharranpur

U.P.

Pin - 247121

Mob. 97119106523



सारांश

झारखण्ड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 21°58'10" से 25°19'15" उत्तर अक्षांस तथा 83°79'50" से 87°57' पूर्वी देशांतर के मध्य है। छोटानागपुर में झारखण्ड राज्य के पूर्वी भाग में बोकारो जिला स्थित है। बोकारो जिला के क्षेत्रफल 2883 वर्ग किमी है और इसके जनसंख्या 2012330 है। छोटानागपुर क्षेत्र में अनेक जनजातियों का निवास है जिसमें मुण्डा जनजाति प्रमुख है। ये जाति छोटानागपुर के जंगलो में छोटे-छोटे गाँव बसाकर रहते हैं। मुण्डा जनजाति के विषय में लोगो को जानकारी बहुत ही कम है। ये जातियाँ कौन हैं? कहाँ से आयी है इनका आदि निवास स्थान कहाँ था? और वे इस क्षेत्र में कैसे और क्यों आए? यह अत्यन्त रोचक है। इन मुण्डा जनजाति का सामाजिक जीवन एवं रीति-रिवाज भी अजिब है। मुण्डाओ का काले रंग, नाटे, कद मजबूत कंधा काले बाल मोटे होठ चौड़े नाक होते हैं जो मुण्डा जाति का सामान्य विशेषता है। मुण्डा जनजाति छोटानागपुर की एक प्राचीन जनजाति है। मुण्डाओं के मूल निवास स्थान के विषय में जानकारी बहुत कम है। (1) षरद चन्द्र राय ने अपने पुस्तक मुण्डा एण्ड देयर कन्ट्री में लिखे हैं कि इक्कासी पीड़ी तिरासी पीड़ी अर्थात इक्कासी उच्च भूमि एवं तिरासी निम्न भूमि जो धान के खेत मुण्डाओं का मूल स्थान था।) ये टोप्पो ने लुटकुम हड़म और लुटकुम बुडी को मुण्डाओ का प्रथम पूर्वज माना है। (2) षरद चन्द्र राय ने भी लुटकुम हड़म को होरको अर्थात मुण्डाओ का प्रथम पूर्वज माना है। होरको अर्थात मुण्डाओ का अत्यन्त प्राचीन नाम है।) (3) इतिहासकारों का मत है की होरको का मूल निवास स्थान मध्य एरिया में कहीं था। इन होरको (मुण्डा) ने मध्य एरिया से तिब्बत के रास्ते से होते हुए पूर्वोत्तर भारत से प्रवेश किया।) मुण्डाओ का भारत में प्रवेश आर्यों के बाद या पहले हुआ यह भी स्पष्ट नहीं है, आर्यों को भारत में प्रवेश के समय जनजातियों से संघर्ष करना पड़ा उन जनजातियों में मुण्डा भी होंगे, इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। आगे चलकर वे भारत के विभिन्न जगह उत्तर भारत में फैल गए। (4) इतिहासकारों ने मुण्डाओं का भारत प्रवेश का समय 1500 माना है। एक अन्य विचारधारा के अनुसार मुण्डा भारत में परिकल्पित महाद्वीप तेमुरिया जो कमी भारत को मेडागास्कर और

अफ्रीका को जोड़ता था से आए है।) कुछ विद्वानों का यह मत है की मुण्डा भारत का मूल जनजाति है। और मुण्डा 600 BC के आस-पास झारखण्ड में प्रवेश किया। इससे पहले वे आजमगढ़ में अस्थायी निवास बनाकर रह रहे थे। इस विचार के समर्थक षरद चन्द्र राय है।

(5) मुण्डा लोग अपने को होरको (मानव) बताते हैं और अपने वंश का होरो बताते हैं।) मुण्डा लोगों का परिधान अति साधारण है। पुरुष बटोई पहनते हैं और महिलाएँ परिया पहनती हैं। लड़कियाँ खानरिया पहनती हैं। मुण्डा महिलाएँ आभूषण का भी उपयोग करती थी। वे चुड़ि, हार, कंगना, अंगुठि आदि गहना का उपयोग करती हैं। महिलाएँ अपना शरीर में गोधना भी करती हैं। मुण्डा हथियार में तीर-धनुष का उपयोग करते हैं। तीर-धनुष को वे अकसार कहते हैं। इसके आलावा वे कुल्हाड़ी, भाला, तलवार आदि का उपयोग करते हैं।

1 मुण्डाओं का जीवन निर्वाह कन्द मूल फल, और जंगली जानवर एवं षिकार पर ही निर्भर है, परन्तु अब उनकी मुख्य पेशा .शि करना ही है।

इस प्रकार मुण्डा झारखण्ड राज्य का एक अनुसूचित जनजाति है। मुण्डा जनजाति का मुख्य पेशा .शि है। इसी कारण इसे .शक जनजाति के रूप में जाना जाता है। छोटानागपुर में आकर बसने वाला मुण्डा प्रथम जनजाति है। इसका संबंध महान कोलोरियन प्रजाति से था। परम्परा के अनुसार 21,000 मुण्डा प्रथम रोहतासगढ़ से सोन नदी पार कर छोटानागपुर की धरती पर प्रवेश किया सुतिया मुण्डा मुखिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड राज्य में मुण्डाओं की कुल जनसंख्या 12,292,23 है।

घरेलु उपकरण :- मुण्डा परिवार में सामान में हाल, फाल हसुआ, अनाज कुटने छटने के सामान, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के तुकनी पक्षी पकड़ने के फन्दे, तीर-धनुश रसोई के लिए मिट्टी के बर्तन, पीतल काँसे तथा एलुमिनियम के बर्तन और चटाई इत्यादि होते हैं।

मुण्डाओं के गाँव :- राँची जिले में अनेक पहाड़ियों में जंगलो के बीच उपर से नीचे की ओर मुण्डाओं के गाँव देखने को मिलते हैं। यहाँ इधर-उधर मिलने वाला ऊँचा पहाड़ीओ पर गाँव एवं घर और जमीन बिना किसी व्यवस्थित तरीके से इकट्ठे मिलते हैं। बस्ती और घरों के बीच से होकर अंदर बाहर गुजरने वाला पतले घुमाउदार रास्ते होते

है।

मुण्डाओं के घर :- मुण्डाओं का घर बड़े लम्बे-चौड़े होते हैं। गरीब मुण्डाओं के पास छोटे झोपड़ी होते हैं। बड़े मकानों पर तीन या चार घर होते हैं। जिनके बीच में एक आंगन होता है। घर के पिछले भाग में एक हाता बकड़ी अर्थात् खेत होता है। घरों में दो कमरा होता है। एक को गिती-ओड़ा अर्थात् सोने का कमरा कहते हैं और दुसरे को मंडी-ओड़ा अर्थात् भोजन के कमरा होता है। मेरोम ओड़ा या, बकरी का बाड़ा भी होता है। जहाँ रात में बकरी को रखा जाता है। मंडी ओड़ा के अंदर भोजन बनता है और भोजन किया भी जाता है। अंदिरा अर्थात् पूजा घर जहाँ मृत पूर्वजों के आत्माओं को पूजा जाता है। इस अंदिरा के अंदर परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाहर के किसी को भी जाने का इजाजत नहीं होता है। घर के बाहर के तरफ एक छोटे से जगह में मुर्गा वाड़ा या सिम कुसली होता है जहाँ रात में मुण्डा लोगों के मुर्गों को रखा जाता है। इसके अलावा आवष्कता के अनुसार और भी कमरा बनाए जाते हैं जिसमें जंगल के साल के लकड़ी रखा जाता है जो जलावन और घरेलू उपकरण बनाने में काम आता है। मकान प्रायः मिट्टी के बने होते हैं। घरों के फर्स जमीन से एक या दो फीट उपर रहता है। घरों के अंदर खिड़कियाँ नहीं होता दरवाजा लकड़ी का बना होता है। घर के पिछे जो बाड़ी होता है उसमें कद्दू, बैंगन और विभिन्न प्रकार के सब्जी उगाते हैं। मुण्डाओं के हर घर के सामने या पिछे एक बड़े गड्डे होते हैं जिसमें खाद बनाने के लिए गोबर जमा किये जाते हैं। घरों के छत घास-धन के विचाली अदि से बनाए जाते हैं। दीवार मिट्टी की गारे का होता है। दरवाजों में विभिन्न प्रकार फूल जानवर और पत्ता के चित्र भी बनाये हैं।

2(1) कुंवारे लड़के और लड़कियों के सोने के घर :- मुण्डा जाति में सामाजिक नियम यह है कि कुंवारा और जवान लड़के और लड़कियों साधारणता रात में अपना घर में नहीं रहता वह घर के बाहर एक छोटा झोपड़ी या अलग घर में सोता है इसे गिती-ओड़ा कहा जाता है। कुंवारे लड़कियों का आचरण पर बुजुर्ग विधवा महिला ध्यान रखती है।

कुंवारे लड़के और लड़कियों के ये षगिती-ओड़ा एक सादगी मरे स्वरूप में नैतिक और बौद्धिक प्रशिक्षण की पाठशाला है। इन षयन गृह के अलावा सरना, अखड़ा ससन नाम के भी अनेक स्थान होते हैं।

(2) सरना :- सरना मुण्डाओं का पूजा स्थल या प्रार्थना के और देवी-देवताओं का स्थान होता है। और यहाँ पर ग्राम देवता का निवास स्थान भी माना जाता है। यहाँ देवता के नाम से बली भी चढ़ाए जाते हैं।

(3)अखाड़ा :- आम तौर पर अखाड़ा लगभग गाँव या बस्ती के प्राय बीचो-बीच अवस्थित होता है जहाँ किसी पुराने विषालकाय वृक्ष के नीचे की खुली जगहों जहाँ पर जनसभाएँ होती हैं पंचायत अपनी बैठक करती है उनके सामाज के नियमों को न मानने वाले अपराधियों या डायनों और औझायों के साथ न्याय किया जाता है अखाड़ा में चाँदनी रातों एवं त्योहारों पर गाँव के युवा लोग नाचने और गाने के लिए यहाँ आते हैं।

(4)ससन :- ससन मुण्डाओं के गाँव से सटे होता है। ससन में बहुत सारे पत्थर के तख्ते जमीन पर पड़े होते हैं। इन पत्थरों में एक या एक से अधिक पत्थर के तख्तों के नीचे मुण्डाओं के गाँव से खूँट कड़ीदारो या मुईहरो के हर एक परिवार के सदस्यों के अस्थियाँ दफन किया हुआ रहता है। मुण्डा लोग इन कब्र के तख्तों या ससन दिरियों को हर गाँव के खूँटकड़ीदार या मूइहरो का मालिकाना दस्तावेजों की तरह मानते हैं।

(5)गाँव की भूमि या जमीन :- गाँव के पीछे और बस्ती के सबसे नजदीक ये खेती योग्य ऊँची भूमि है। इसे डिहारी-टाँड़ कहा जाता है और इसे गाँव का ही हिस्सा माना जाता है। इस डिहारी-टाँड़ में प्याज, लहसुन, आलू आदि अनेक प्रकार के सब्जी पैदा की जाती है। ऊँची भूमि को मुण्डा लोग टाँड़ कहते हैं और निची भूमि को दोन कहते हैं। दोन और टाँड़ भूमि के बीच की भूमि को तरिया कहा जाता है। मुण्डाओं ने ऐसे खेतों को कड़ी मेहनत करके बनाते हैं।

(6)फसल :- फसलों में मुख्य फसल धान है। धान को मोरा कहा जाता है। अन्य फसलों में गोदली या गुदलु कुरथी महुआ कोदे आदि खेतों में उपजाए जाते हैं।

(7)सामाजिक प्रथा :- मुण्डा कबीला एक बड़ी संख्या में बड़ी में विभाजित है जिन्हे किली कहते हैं। मुण्डा परम्परा के अनुसार एक किली के सभी सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। यह किली ठिक गोत्र के समान है। किलियों के लिए वे बहिर्विवाह दृष्टिकोण रखते हैं। जहाँ तक अन्य कबीलों का संबंध है मुण्डा लोग अंतर्विवाही होते हैं। मुण्डा प्रथा के अनुसार किसी मुण्डा और किसी अन्य कोलारी कबीलो जैसे कि संधाल, खासी, असुरो या विरहोरो के सदस्यों के बीच वैध विवाह नहीं हो सकता है।

(8)किलियाँ और उसका उत्पत्ति :- (6)(किली कहा जाए तो एक प्रकार का कुल वंश और गोत्र के समान है। इसका उद्भव प्रारंभ से ही अपने पूर्वजो गोत्र या कुल से माना जाता है।) यहाँ किली भी कई प्रकार का होता है जैसे टूटी किली एक जाति के पूर्वज राँची के निकट चुटियाँ नामक गांव में रहते थे जहाँ वे सुतियाम्बे-कोसाम्बे नामक स्थान में बस गये इसे या यहाँ पर रहने वाले लोगों को टूटी किली नाम से जाना जाता है। मुण्डा किली के बारे में ये कथा

प्रचलित है जब वह सोनपुर से आते समय परिवार का मुखिया रात में पूआल की रस्सी का जलती मंषाल लेकर चल रहा था।

जब यह रस्सी जलकर खत्म हो गई थी इस घटना के आधार पर उस स्थान की उसके नजदीकी परिजनो ने मुण्डा किली की स्थापना की। इसके अलावा मुण्डाओ के और भी अनेक किली अर्थात गोत्र होते हैं जैसे सोए किली और उसके शाखाए, होरो किली या कछुआ किली, नाग किली इन किलियों का अनेक उपशाखाएँ भी होता है।

(9)मुण्डाओ का सामाजिक प्रथाए एवं रस्में :- मुण्डाओ का सामाजिक प्रथा और अनेक प्रकार के रस्में बहुत अधिक और व्यापक है। ये प्रथाए एवं रस्में उनका अपने लोगो के प्रति अतिथ्य भाव उनका सम्मान उसका स्नेह और सौहार्द रहने का पता चलता है। यहाँ मुण्डाओ के कुछ रस्में और प्रथा इस प्रकार है—

चेड़े—उरी :- चेड़े—उरी को एक प्रकार से शकून के तरह मनाया जाता है। जब किसी मुण्डा पिता की नज़र में अपने बेटे के लिए को उपयुक्त लड़की होती है तो वह बिचवई को लड़की के अभिभावक के पास भेजता है इसे दूतम कहा जाता है। यदि लड़की के पिता को लड़का अच्छा लगता है। तो वह चेड़े—उरी के लिए एक दिन तय करता है। लड़के पिता अच्छे षकून देखकर लड़की के घर जाते हैं। यदि रास्ते में टोलि को बुरे शकून दिख जाता है तो बातचीत विफल हो जाता है। फिर एक अच्छे दिन देख कर अपने संबन्धियों को लेकर लड़की के घर जाते हैं एवं विवाह दिन तय किया जाता है। इस बीच वह अपने देवता सिंगा—बोगां की उपासना करके एक पुआल से दो छतो को छाएंगे अर्थात दो परिवार एक हो जाएंगे। अन्त में सभी लोग एक दुसरे को जोहार करता है अर्थात सलाम करता है एवं भात माँस एवं हंडिया पीते हैं। अन्त में दो परिवार एक दुसरे से विदा लेते हैं।

बाला :- मुण्डाओ के विवाह में एक मुख्य रस्म होती है बाला। बाला रस्म में एक दिन निश्चित करता है की लड़की और लड़का के माता—पिता एवं वे अपने कई संबन्धियों को लेकर लड़की वाले लड़का के घर पहुचते हैं। मेहमानो को भरपेट खाना लड़की के घरवाले खिलाते हैं और स्वागत करते हैं। मेहमान के स्वागत में कटा—अबुन्त्री नामक नवयुवक के द्वारा पैर धुलाए जाते हैं तथा बकरे का माँस—भात एवं हंडिया पिलायी जाती है।

दहेज के माँगो को इषारा या संकेत द्वारा बताया जाता है। और मान जाने पर विवाह के दिन तारिख तय करके चले जाते हैं। और विवाह के आयोजन करने लगते हैं।

गोनोगटा या इदितुका :- मुण्डाओ में जिस वर्ष सगाई होती है उसी वर्ष यदि विवाह होता है तब गोनोगटा इदितुका अर्थात दुल्हन के

लिए दहेज देना तथा लोगोन तोल अर्थात विवाह के लिए दिन निर्धारित किया जाता है। ये दोनो रस्में एक ही दिन तय करते हैं। 4 अर्द्धि :- मुण्डाओ में सबसे अन्त में अर्द्धि या विवाह समारोह होता है। अर्द्धि में कुछ मुण्डाओ के समारोह होते हैं जिसे निम्न प्रकार से जाना जाता है।

(1) ससंग :-गोसो—विवाह के कुछ दिन पहले वर एवं बधु के घर के आंगन में समकोण आकार के मंच बनाए जाते हैं जिसे मंडोआ कहते हैं। इसके चारो तरफ कोने में एक भेलोवा का पौधा, एक बास का पौधा, एक साल का पौधा एक साथ गाड़ कर चावल के पिसे धोल से रंगा जाता है। इसे सुत के धागा से लपेटा जाता है। इसी जगह पर विवाह समारोह होता है।

(2) चोअ या चूमन :- वर और बधू के घर में विवाह के एक दिन पहले षाम को एक मांगलिक रस्म का आयोजन होता है। उसे चोअ, या चूमन कहते हैं।

(3) वर का डली—सकी :- विवाह के दिन जब बारात गांव के बाहार निकलने के पहले आम के पेड़ के पास बैठता है और माँ से कहता है आपकी सेवा करने के लिए किसी को लाने जा रहा हूँ। इन सब के अलावा और भी अनेक षादी के रस्में होता हैं जैसे दाशाारोम था मोरगोरायी दा—हिरची, चोली हेपेर, उली सकी, संगम गोसो द्वारा, सिन्दुशी स्काव, जिम्मा, आदि रस्म के बाद विवाह सम्पन्न होता है।

(4)मनोरंजन :- मुण्डाओ ने नृत्य गीत तथा विभिन्न प्रकार के खेलो से अपना मनोरंजन करते हैं खेलों में मुख्य है फोदी और खाती फोदी स्वदेषी खेल है जो एक प्रकार का हाँकी है। खाती के खेल दिन में किसी छायेदार जगह पर खेलते हैं। इसके अवाला छुर जो छूने का एक लोकप्रिय खेल छुर है। मुण्डा लोग तिल गुटी, कौड़ी इनुंग, टूँडू खेल, भौरा इनुंग उकु इनुंग। मुण्डा अनेक प्रकार के नाटक भी देखकर अपना मनोरंजन करते हैं।

(5)अंत्योष्टि क्रिया :- (7)(जब कोई मुण्डा जाती के लोग मरता है तो मृत षरीर को अपने पंरम्परागत तरीका से उसे आग में जलाकर उसक हडियों को जंगतोपा अर्थात हड्डी दिवस पर गाँव के समन में गाड़ दिया जाता है मृतक की अंत्योष्टि से जुडे कुछ रस्में या रिवाज निम्न प्रकार से हैं।)

रापा :- मृत्यु के बाद लाश को नए कपड़े पहनाया जाता है और उसे हल्दी और तेल लगाया जाता है। इसके बाद उसे खटिया पर मसान पर ले जाया जाता है जो मुण्डाओ का मसान होता है। वहाँ उसे जलाया जाता है।

उम्बुल अदेर :- मरने के तीसरे, पाँचवे, सातवे या नौवे दिन मृत के अपने परिजन के लोग घर पर जमा होते हैं और अपने बाल दाढी नाखून बनवाते हैं।

जंग तोपा :- शीत ऋतु के धान काटने के बाद हड्डि दफन जिसे वे जंगतोपा कहते हैं। इस रस्म के लिए एक दिन निश्चित कि जाती है अपने परिवार के हड्डि जहाँ दफन किया गया उसी मृतक के हड्डि को दफन किया जाता है इसके बाद सभी लोग नहाते हैं एवं मृतक के घर जाकर बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार मुण्डाओ के अन्तिम संस्कार समाप्त होता है।⁵

निष्कर्ष :- अन्त में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है की मुण्डा जाति झारखण्ड के एक प्रमुख प्राचीन जनजाति है। वे अपने समाज में रहते हैं और अपने जाति के सामाजिक परम्परा, रीति-रिवाज और नियमों को पुरी तहर पालन करते हुए चलते हैं। औद्योगीकरण, शहरीकरण का विकास, शिक्षा का प्रचार से मुण्डाओ का जीवन को प्रभावित किया है। आज वर्तमान में वे अपने सोच और विचार को बदलकर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं।

संदर्भ:-

1. Rai Sarat Chandra, The Mundas and their country, Kolkata, 1912.
2. Rai Sarat Chandra, The Mundas and their country, Kolkata, 1912.
3. Dr. Guha B.S, Race Elements in India.
4. Rai Sarat Chandra, The Mundas and their country, Kolkata, 1912.
5. पाण्डेय गया- झारखण्ड की जनजातियाँ एवं उनकी संसृति। क्राउन पब्लिकेशन राँची।
6. त्रिगुणयक जगदीस- मुण्डा लोक कथाएँ। 34.35
7. डॉ. मिंज दिवाकर- मुण्ड एवं उराव का धार्मिक इतिहास प्रकाशन वर्ष 2010 कल्पाज पब्लिकेशन दिल्ली-110052

Gouri Shankar Banerjee
R.P.S Degree College
Mandanpur,
Chandrapura, Bokaro (JH)
Department of History



सारांश

प्रत्येक युग अपनी मान्यताओं, सम-विषम विचारपूर्ण परिस्थितियों के कारण साहित्यकार को सृजन के लिए विवश या प्रेरित करता रहा है। समाज में फैली (व्याप्त) अच्छाईयाँ-बुराईयाँ, नवीन पुरातन प्रवृत्तियाँ उसकी कलम के द्वारा उभरती पनपती शब्द रूप लेती रही हैं। वह समाज, राजनीति, धर्म-संस्कृति के साथ मानव-व्यवहार में सद्-असद्; जो भी घटित होते हुए देखता और सुनता है, भाव ग्रहण कर वाणी द्वारा उसे व्यक्त करता है, चित्रित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो छायावाद के प्रमुख स्तम्भ कवि सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखा है—

“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान।

उमड़कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान।।”¹

कविता मनोभावों के रूप में ही कागज रूपी धरातल पर अवतरित होती है और उसे उस जमीन पर जमाना उतारता है, या यँ कहें कि साहित्यकार, रचनाकार स्वयं जो भोगता है, उसे समाज के सामने एक प्रश्न (चिंतन) के रूप में रखता है। आधुनिक युग एक ओर ज्ञान-विज्ञान की ऊँचाइयों को छूना चाहता है, तो दूसरी ओर आज का विघटित समाज मानवीय मूल्यों को लगातार विस्मृत करता जा रहा है। यह सभ्य समाज अपने आपको आधुनिकतावादी तो मानता है लेकिन इस समाज का आचरण, भय, शंका, घुटन, निर्दयी, हिंसक और संवेदनाशून्य सहृदय को चिंतन के लिए विवश करता है। समाचार-पत्र, सूचना माध्यम मनुष्य के अमानवीय कारनामों जैसे- लूट, बलात्कार, अपहरण, घृणा, अनैतिक व्यवहार आदि से भरे रहते हैं।

एक-दूसरे के अस्तित्व को नष्ट कर देने की मानसिकता न केवल भारतीय समाज में, बल्कि विश्व स्तर पर भी विज्ञान के अनुचित प्रयोगों को बल देती है। शिक्षा व्यवस्था ज्ञान और रोगार के मध्य झूल रही है। चारों तरफ अजीब किस्म का वातावरण है। मानवीय मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। राजनीति सत्ता का माध्यम बनकर रह गयी है। ऐसा माना जाता है कि विकसित देशों द्वारा अन्य देशों पर प्रभुसत्ता जमाने की सोच ने नए वायरस कोरोना को सन् 2020 में एक महामारी के रूप में जन्म दिया। कवि या रचनाकार जिस युग या कालखण्ड में जीता है, उसकी अच्छी-बुरी, मानवीय-अमानवीय गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना

नहीं रह सकता। इसी को आधार मानते हुए कवि के संदर्भ में डॉ० नगेन्द्र जी लिखते हैं, “वह सामाजिक विसंगतियों का भी चित्रण करता है तथा उनके प्रति विद्रोह भी करता है।”²

आज भारत में ही नहीं, विश्व समाज में व्याप्त अवसरवादिता, भ्रष्टाचार, कट्टर साम्प्रदायिकता, वोट बैंक बढ़ाने के लिए झूठा प्रचार, स्वार्थ, अलगाव, विघटित पारिवारिक मूल्य, आर्थिक विषमताएँ, कृत्रिमता, शिक्षा का व्यवसायीकरण, महामारियाँ व युद्ध जनित विभीषिका, हिंसक उग्रवाद उसे खोखला कर रही हैं। संस्कृति के नाम पर मनमानापन परोसा जा रहा है।

प्राकृतिक आपदाएँ मनुष्य को लगातार यह सीख दे रही हैं कि वह अपनी सीमाओं को न लाँघे। वर्ष 2020 में विकराल रूप धारण कर चुकी कोरोना महामारी ने अनेक लोगों का शारीरिक रूप से अक्षम किया ही, आम आदमी के रोजगार भी छीन लिए। गरीब व मजदूर वर्ग पलायन का शिकार हुए, घरों से बेघर हो गए। उस समय सभी उस अज्ञात सत्ता से गुहार लगाने लगे कि ईश्वर उनकी रक्षा करे। कोरोना के बदलते स्वरूप डेल्टा, ओमीक्रोन आदि ने भी विकसित देशों की नींद हराम कर दी थी। सभी एकजुट होकर वैक्सीन की खोज करने लगे। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई। ऐसे में भारतवर्ष कहाँ अछूता रहता। रही सही कसर यहाँ के अवसरवादी लोगों ने पूरी कर दी। स्वार्थी व्यवसाय करने वाले लोगों ने बीमार व्यक्तियों से दवाओं व इंजेक्शनों के दाम 15 से 20 गुणा वसूले। अंततः वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाकर लगभग दो वर्ष उपरान्त इस पर काबू पाया जा सका है।

युगीन परिवेश रचनाकारों पर कितना प्रभाव छोड़ता है, इसकी पुष्टि भक्तिकालीन महाकवि तुलसीदास- जी के युगीन यथार्थ चित्रण सम्बन्धी निम्न कविता से भी होती है -

“पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरि,

अटत गहन-गन अहन अखेट की।।

ऊँचे-नीचे करम, धरम-अधरम करि,

पेट ही को पचत, बेचत बेटा-बेटकी।।”³

यह केवल तुलसी के युग का सत्य नहीं, बल्कि आज के युग का भी सत्य है कि बेरोजगारी, शोषण, भुखमरी में की जाने वाली आत्महत्या और संतान को गरीबी के कारण खासकर बेटों को बेचने की मार्मिक घटनाएँ अक्सर घटती रहती हैं। कॉलगर्ल जैसे शब्द भी

युग परिवेश की देन है। ऐसे में समाज का कल्याण व जागृति केवल रचनाकार के सकारात्मक रचनाकर्म के माध्यम से ही संभव है।

साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सकतपुर ग्राम में जन्मे पलवल के हिन्दी प्राध्यापक डॉ० केशवदेव शर्मा लगातार पिछले तीन दशकों से सम-सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी लेखनी गद्य-पद्य विधाओं में निरन्तर चलाते आ रहे हैं। बहुआयामी रचनाकार केशवदेव शर्मा जब उपन्यास, कहानी जैसी अन्यान्य गद्य विधाओं में लिखते हैं, तो साथ ही उनका मन काव्य विधा के क्षेत्र में 'लोकराज पानी भर रहा है', 'संवाद', 'समय बोलता है', 'बंजारा शतक' जैसी कृतियाँ निकालकर लाता है। 'भाव तरंग सतसई' भी इसी माला का मोती है। युगीन भाव उनकी 'भाव तरंग सतसई' में आकर समाहित हो गए हैं। भावों की विविध अभिव्यंजना इसमें साकार हो उठी है— 'चिंतक नेता लेखक सस्वर वाचन, अजब गजब माली एजेंडे।

पद भूख प्रतिष्ठा जहरीली वाणी, आतुर खून खराबा गाली डंडे।।'4

'सतसई' वह मुक्तक रचना होती है, जिसमें किसी कवि द्वारा सात सौ या उससे अधिक दोहापरक रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति, रीति, नीति, ज्ञान-दर्शन-प्रेरणा सम्बन्धी दोहों का संग्रह या संकलन होता है।

सतसई रचना की परम्परा 'हाल' की 'गाथा सप्तशती' से आरम्भ हुई। इसी क्रम में 'गोवर्धनाचार्य' की 'आर्यासप्तशती' और रीतिकाल के प्रमुख कवि 'बिहारी' की 'बिहारी सतसई' काफी प्रसिद्ध हैं। इनके बाद तो जैसे सतसई परम्परा ही चल पडी कवि 'वृंद' की 'वृंद सतसई', 'रसनिधि' की 'रसनिधि सतसई', 'अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध' जी की 'हरिऔध सतसई' आदि महत्त्वपूर्ण हैं। आचार्य केशवदेव शर्मा की 'भाव तरंग सतसई' इसी परम्परा की द्योतक है। 'भाव तरंग सतसई' में उन्होंने नीति, भक्ति, आध्यात्म, सामाजिक चेतना, कर्म ज्ञान को भाव पक्ष में संजोया है, तो कला पक्ष में मुक्तक, दोहे, छन्द के साथ रूपक, उपमा, मानवीकरण, दृष्टांत, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर पुट है। यद्यपि कहीं-कहीं दोहा परम्परा भाव सबलता के कारण खंडित भी हुई है, इसे स्वयं रचनाकार ने स्वीकार भी किया है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में कहीं-कहीं ब्रज भाषा शब्दों के साथ मीडिया भाषी शब्द भी मौजूद हैं।

हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ डॉ० जंगबहादुर पाण्डेय इस काव्यकृति की भूमिका में लिखते हैं, "भाव तरंग सतसई" में कवि की दृष्टि आशामयी है, आस्था के बल पर निराशा और उदासी से मुक्ति पाना चाहता है।।'5

कविवर केशवदेव शर्मा इक्कीसवीं सदी में दग्ध-तप्त

मानस धरा को आशारूपी सकारात्मकता की भाव धारा से भिगोना चाहते हैं, लिखते भी हैं—

"निश्चय जीत मनुज पाएगा, प्रभात किरण, तिमिर भग जाय।

आशा दीप संकल्प तेल भर, जग-जीवन खुशियाँ मग पाय।।'6

कोरोना जैसी लाइलाज बीमारी, जो वायरस के प्रसार से पनपी। पूरा विश्व एक साथ यह सोचने पर मजबूर था कि कहीं मानव जाति का खात्मा तो नहीं होगा? सभी यथावत अपने घरों में कैद बेचैनी, चिंता, आर्थिक तंगी की चपेट में आकर नकारात्मकता से भर गए; तब एक कवि कविता रूपी किरण के माध्यम से लिखता है—

"लॉक डाउन अवसर सद् चिन्तन, ज्ञान मर्म आत्मबल झांको।

आपाधापी छीना झपटी छोड़ो, दान गति प्रकृति चल ताको।।'7

प्रकृति प्रेम उनके काव्य की विशेषता है। उन्होंने स्थान-स्थान पर मनुष्य को प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करने का संदेश दिया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के हर स्वरूप को नष्ट करता जा रहा है। चाहे वन हों, नदी-नाले हों, पर्वत जंगल या खुले मैदान। 'भाव तरंग सतसई' में मनुष्य को प्रकृति के नाना रूपों के दर्शन कराए गए हैं। यह भी सच है कि प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि महामारी के मूल पर भी चर्चा करना चाहता है—

"प्रकृति सहचरी मौन भाव, अपलक आँधी तूफानों झेल।

आभा निजपन निजमन त्यागे, बागों महामारी जानो फेल।।'8

कवि स्वयं रचनाकर्म में निमग्न रहते हुए सभी को कर्मवाद का संदेश देते हैं। मनुष्य के इच्छित फल की कामना उसके सही-गलत कर्म पर निर्भर करती है। गीता ज्ञान का प्रभाव अपने मुखर रूप में 'भाव तरंग सतसई' में लक्षित हुआ है। समय-समय पर मनुष्य को सद्कर्म के प्रति प्रेरित किया गया है। श्रीमद् भागवत् में भी कहा गया है—

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।।'9

मनुष्य कर्म करने से पहले ही फल की आशाओं में झूलने लगता है, जबकि फल उसके वश में कदाचित नहीं है। उसी से प्रभाव ग्रहण करते हुए 'भाव तरंग सतसई' में कवि हृदय केशवदेव ने लिखा है—

"कर्मभूमि फल जीवन फलता, भाग्य दोष जन मन भाव।

छल प्रपंच धूर्तता जन खेले, आशा बरगद तन मन चाव।।'10

आज के युग में व्याप्त आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के कारण मानव भी मशीनवत संवेदनहीनता का व्यवहार करने लगे हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी रूपी दानव दिन प्रतिदिन समाज को दंश दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियाँ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिकता को हवा दे रही हैं। देशनीति से अवसरवादी राजनीति महत्त्वपूर्ण हो चली है। बेरोजगार युवकों को कुछ लालच

देकर आंदोलनों व रैलियों की शोभा बनाया जाता है। किसान मजदूर वर्ग के हाथ खाली ही रह जाते हैं। ऐसे में आवश्यकता है— देश को विकसित करने वाली विचारधारा को पहचानने की; आतंकवाद, नक्सलवाद व उग्रवाद से निपटने की। कुछ पड़ोसी देश आतंकवाद जैसी विचारधारा को बढ़ावा देकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, परन्तु यही आतंकवाद उन्हें स्वयं भी अंदर से खोखला कर रहा है। देश पर हुए पठानकोट और पुलवामा जैसे हमले यह सोचने पर विवश करते हैं कि न केवल भारत को, बल्कि विश्व को अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता के साथ निपटना होगा। अन्यथा बम्बई हमले, अमेरिकी टॉवर जैसे हमले मानवता को घायल करते रहेंगे।

साहित्य सेवी केशवदेव शर्मा आतंक के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं—

“आतंक खा रहा इंसानी जज्बा, रिश्ते नाते धर्म ज्ञान संसार।
नयनों आँसू धार सयानी, पिसते पाते इंसानी कर्म यार।।”¹¹

रीतिकालीन कवि बिहारीलाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। यह उक्ति आचार्य केशवदेव शर्मा की ‘भाव तरंग सतसई’ के बारे में भी उतनी ही सार्थक है। अपने दोहों में वे ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्म, देशप्रेम, प्रकृति चित्रण, त्यौहार, पर्व विशेष तथा सामाजिक बुराइयों, जैसे— लूट, भ्रष्टाचार, आरक्षण, राजनीतिक स्वार्थपरकता, एकाकीपन, वायरस जनित बीमारियाँ आदि सभी पहलुओं को छू जाते हैं। उनकी दृष्टि सदैव ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की रही है। उनके चिंतन में मानव और मानवता प्रमुखता से विद्यमान है—

“मानवता सिसके हमला हत्या, चाहे अनचाहे जग सारा रोय।
हाहाकार विश्व भर छाया, इंसानी विश्वास मग हारा सोय।।”

“आज परख मानव क्षमता, विश्लेषण कल करना है।

सम्यक बोध सहज सरल, दुख दर्द जगत जल झरना है।।”¹²
आशावादी दृष्टिकोण के साथ उनका आध्यात्म भाव बोध भी शिल्प पर हावी रहा है। शिल्प विधान की बात करें, तो उनके दोहों में गेयता का गुण भली-भांति मौजूद है। कहीं-कहीं दोहा परम्परा खण्डित हुई है, जिसे उन्होंने स्वयं भी अदोहा कहा है। प्रसाद व ओज गुण रचना में सर्वत्र समाहित है। शब्द साधना के अलावा इस रचना में उनकी 13 कविताओं का भी समावेश है, जैसे— भूख, जीत पराजय खेल, इंसान, प्रकृति दर्द, कोरोना प्रकोप, हिसाब आदि। वे सात सौ चार दोहों में पाठक तक अपने मन के समस्त भावों को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। शब्द विधान में तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। महामारी जनित नए शब्द उनके शब्दकोश में स्थान पा गए हैं, जैसे— ‘कोराना वायरस,

लॉकडाऊन’ आदि। ब्रजरंजित खड़ी बोली का पुट भी उनकी कविताओं में देखा जा सकता है—

“पग—पग चेतन चेतवनी, मानत मन इच्छा पर ठेस।

समझ जगी भई लावनी, पछतावा जीवन भर शेष।।”

“धेला इक कर देता नहीं, बातों बातों निंदा रस अम्बार।

चतुर सयाने जगरीति बखाने, मिश्री—बातों जिंदा बस यार।।”¹³
आज के दौर में भी उन्होंने सतसई परम्परा को बनाए रखा है। यही कारण है कि हिन्दी भाषा और साहित्य चिन्तक डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा उनके विषय में लिखते हैं, “हिन्दी साहित्य में सतसई की एक लम्बी परम्परा है, जो महाकवि गोवर्धनाचार्य से प्रारम्भ होकर हाल प्रणीत गाथा सप्तशती, बिहारी सतसई, मतिराम सतसई, वृन्द सतसई, विक्रम सतसई, रसनिधि सतसई से होती हुई केशव सतसई तक गतिशील है।”¹⁴

निष्कर्षतः आचार्य प्रवर केशवदेव शर्मा की रचना ‘भाव तरंग सतसई’ में व्यक्त युगीन परिवेश के अध्ययन विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि उनके ये दोहे आज के युवा पाठक वर्ग को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे क्योंकि उनके दोहों में सकारात्मक भाव चिंतन को प्रमुखता दी गयी है—

“जंग जरूरी नहीं रे मानव! मन—कालिख बुद्धि करे खराब।

जंग मुक्त रहे जलपोत जल, जंगहि लोहा शुद्धि करे खराब।।

विरोध धर्म पालन करो, ज्यों आग बुझाया करता वारि।

आग जला तापो नहीं, विषम ज्वाल सागर करता खारि।।”¹⁵

मानव समाज विरोधी कृत्यों के प्रति कवि का अवहेलना भाव रहा है। आज समाज में बाजारू व सरस्ती मनोरंजन पूर्ण कविताओं व दोहों की भरमार है। उनकी गूढ़ शिल्प व्यंजना सहृदय को यह सोचने पर विवश करती है कि सतसई परम्परा आज भी जीवन्त है और भविष्य को रचनाकारों के विचार—चिंतनमय भाषा के लिए प्रेरित करती जान पड़ती है। लोक जीवन और ग्राम्य बोध भी उनकी काव्य भाषा में भरा पड़ा है। उन्हें आज का सजग युगकवि कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनकी भाषा पर प्राध्यापकीय प्रभाव की झलक विद्यमान रही है। चाहकर भी वे अपने प्राध्यापकीय वाणी—स्वभाव की अवेहलना नहीं कर पाए हैं।

संदर्भ—सूची

1. कवि सुमित्रानन्दन पंत
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, डॉ० नगेन्द्र, पृष्ठ संख्या 600
3. तुलसीदास, कवितावली (उत्तरकांड)
4. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा पृष्ठ सं० 35, दोहा संख्या

5. भाव तरंग सतसई, भूमिका, जंग बहादुर पांडेय पृ०सं० 13, 14
6. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या 47
7. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या-55
8. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा पृष्ठ सं० 91, दोहा संख्या 550
9. श्रीमद् भगवद् गीता, अध्याय 2, श्लोक सं० 47
10. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा दोहा सं० 688
11. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या 108, दोहा संख्या 650
12. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या 38, 41, दोहा संख्या 128, 146
13. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या 64, 65, दोहा संख्या 330, 344
14. भाव तरंग सतसई : एक दृष्टि डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा, पृष्ठ संख्या-15
15. भाव तरंग सतसई, डॉ० केशवदेव शर्मा, पृष्ठ संख्या 54, 55, दोहा संख्या 254, 262

गीता रानी

एम० ए०, नेट (हिन्दी)
सरस्वती महिला कॉलेज
पलवल (हरियाणा)



सारांश –

वर्तमान युग तकनीकी का युग है। हर वस्तु, हर स्थिति, हर दृश्य, हर घटना, हर अनुभव एक तीव्र गति चक्र का हिस्सा बन जाने को बाध्य हो रहा है। किसी बिंदु पर कुछ देर ठहर कर आस-पास गहराई से देखना, महसूस करना, एकाग्र होकर सोचना, अनुभव द्वारा अर्जित सत्य को संचित कर स्मृति में संजो पाना अपनेआप में दुर्लभ और कहीं ना कहीं गैरजरूरी होता जा रहा है। गैर जरूरी इस कारणकि, न तो इस और अधिकांश की दृष्टि है, न इसके अभाव का बोध है और ना ही इसे बचाए रखने की सचेत चेष्टा। मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के विकास और प्रचार प्रसार ने साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं के जनतांत्रिक चरित्र को प्रश्रय देने तथा उसे विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अभिव्यक्ति प्रणालियों के विविध मुखी विकास को संभव किया है इससे उनकी जन सुलभता में वृद्धि हुई है और आस्वादन परिधि में असीम विस्तार हुआ है। चित्र, मूर्ति, संगीत (गायन, वादन, नृत्य) साहित्य के अंतर्गत नाटक व कथा साहित्य अपनी-अपनी परंपराओं से संवाद करते हुए नवीन युग की माँग के अनुरूप स्वयं को रूपांतरित करते रहने के कारण अधिक प्रयोग धर्मी रहे हैं। जिससे उनकी जनसंप्रेषणीयता में अवश्य ही वृद्धि हुई है।

प्रयोग धर्मिता और जनसंप्रेषणीयता का अर्थ गुणवत्ता से समझौता नहीं है, आवश्यकता है इन तीनों में संतुलन साधते हुए आस्वादन की परिधि का विस्तार करना। इस संदर्भ में भावक की आस्वादन क्षमता, ज्ञान, चेतनागत परिष्कार व शिक्षण-प्रशिक्षण की संबंधी भूमिका से निश्चित ही इनकार नहीं किया जा सकता। संस्कृति व कलाओं के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से निर्मित सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की सक्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, किंतु सर्जक कलाकार का दायित्व इन दोनों की तुलना में कहीं अधिक है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कविता की स्थिति जनसंप्रेषणीयता की दृष्टि से अन्य कलाओं की तुलना में पिछड़ी हुई है। जनसंचार माध्यमों में उभरने वाले फूहड कला रूपों को यदि हम छोड़ दे तो भी प्रयोग धर्मिता व जनसंप्रेषणीयता के बावजूद हमारी शास्त्रीय कलायें अपने परंपरागत ज्ञान वैभव को संजोये रखने में समर्थ रही हैं, किंतु मुद्रण के प्रचलन ने कविता के संप्रेषण की परंपरागत पद्धति पर निर्णयात्मक प्रभाव डाला। एक ओर जहाँ कविता के प्रचार-प्रसार का मार्ग खुला वही कविता श्रव्य की अपेक्षा अधिकाधिक पठ्य होती चली गई। परिणामतः मुद्रण के प्रचलन के पश्चात कविता वाचिक परंपरा से दूर होती गई है। श्रव्य से पठ्य होने की इस प्रक्रिया में कविता की विषयवस्तु और रूप में नियामक बदलाव आया।

भाव बोध और चिंतन के स्तर पर वह अपनी प्राप्त परंपराओं से प्रेरणा व ऊर्जा अवश्य ग्रहण करती रही, किंतु वाचिक परंपरा में विद्यमान गेयता के तत्व से अलगाव के कारण अभिव्यक्ति का एक सशक्त औजार कहीं न कहीं उसके हाथ से छूटता गया और इससे उसकी जनसंप्रेषणीयता निश्चित ही बाधित हुई है। वाचिक से मुद्रित में रूपांतरित होती कविता की आस्वादन प्रक्रिया में कवि के साथ श्रोता से पाठक में बदलते सहृदय की परिवर्तित स्थिति को अज्ञेय ने अपने “कविता श्रव्य से पठ्य तक” शीर्षक निबंध में चिन्हित करते हुए लिखा है।

“वाचिक परंपरा में जहाँ कवि और श्रोता आमने-सामने होते थे कविता के माध्यम से वहाँ एक संवाद निर्मित होता था किंतु पठ्य कविता में कवि के समक्ष एक कल्पित पाठक वर्ग होता है जिसे वह संबोधित कर रहा होता है। जिसकी प्रतिक्रिया उसे प्रायः विलंब से, अप्रत्यक्ष व सीमित रूप में ही प्राप्त होती है। पाठक की पहचान भी कवि से सीधे-सीधे नहीं कागज पर छपे कवि निर्मित शब्द संसार के माध्यम से ही हो पाती है।” (9)

कवि और पाठक के बीच का सेतु बनना है प्रकाशन और बिक्री का तंत्र जो इन दोनों से स्वतंत्र है परंतु दोनों की पहुंच को स्वयं नियंत्रित करता है। वाचिक परंपरा को पुनर्जीवित करने व कविता की संप्रेषणीयता को प्रभावी बनाने की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं किंतु व्यावसायिकता के दबाव और अप-संस्कृति के प्रभाव के कारण वे सार्थक पहल या सक्रियता नहीं दिखा पा रहे।

छायावाद में मुक्त छंद की कविता से लेकर परवर्ती काव्य आंदोलनों की छंद मुक्त कविता व गद्य कविता रूप तक संगीतात्मकता से निरंतर बढ़ती दूरी और अलगाव ने जनमानस तक उसकी पहुंच व प्रभाव क्षमता को किस प्रकार सीमित किया है, किस प्रकार अहम् वाद और विशिष्टता के आग्रह ने प्रयोगवाद, नई कविता और अकविता आदि काव्य धाराओं को तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की वस्तु बना दिया है। इस बात से हम सब अवगत हैं।

प्रायः आधुनिकता व आधुनिकबोध के संदर्भ में प्रमुख लक्षणों के रूप में तथ्यमूलकता, तार्किक चिंतन, विचारपरकता व बौद्धिक विश्लेषण के दबाव का उल्लेख किया जाता है, जो उचित भी है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम आधुनिकता के नाम पर उपरोक्त उल्लिखित तत्वों पर आवश्यकता से अधिक बल देकर कविता में अभिव्यक्त भाव प्रवणता और अनुभूति तत्व को एक रोमांटिक रुझान मानकर कमतर आंकने लगते हैं। इस अनुभूति परकता और भाव प्रवणता का सहज सम्बंध गेयता से जोड़ा जाता रहा है और इस आधार पर घोषित गेय रचनाओं को अथवा गीत-प्रगीत शैली में लिखी गई कविता को चिंतन व बौद्धिक उद्वेलन

क्षमता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अगंभीर समझा गया। "फोर ऑल गुड पोयट्री इज स्पोटेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स" (2) विलियम वर्ड्सवर्थ के इस कथन ने भी उपरोक्त धारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जो भी हो यह मूल्यांकन दृष्टि अपने आप में अधूरी, एकांगी और अतिवादी है जब एक विशिष्ट काव्य रूप 'प्रगीत' पर भी यह पूर्ण रूप से खरी नहीं उतरती तब समूची कविता के विविध रूपी ढांचों पर इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है।

दरअसल आधुनिक रचनाकारों में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग उभरा जिसने कविता और कवि दोनों की विशिष्ट छवि निर्मित करने का प्रयास किया। विशिष्टता के इस आग्रह के कारण हिंदी कविता अपनी वाचिक परंपरा से निरंतर कटती चली गई। प्रगतिशील आंदोलन में **इष्टा** जैसी संस्थाओं व अन्य कवियों द्वारा वाचिक परंपरा से संबंध जोड़ते हुए सांगीतिक सम्प्रेषणीयता की दिशा में प्रयास अवश्य हुए हैं, पर उनमें भी और अधिक गति व विस्तार लाने की आवश्यकता है।

यदि आधुनिक हिन्दी कविता की विकास यात्रा को देखें तो हम पाते हैं उसमें छायावाद, उत्तर छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाओं में गीति तत्व की स्वीकृति रही। उस दौर में पठ्य कविता और मंचीय कविता के स्तरियता व प्रतिष्ठा को लेकर बुद्धिजीवियों के मनोमस्ति दशक में ऐसी फाक नहीं थी जैसी परवर्ती काव्य आंदोलन में बनती चली गई। उस समय श्रेष्ठ कवियों द्वारा मंच पर जन समुदाय के समक्ष काव्य पाठ और काव्य गायन प्रचलन में था। अपने प्रिय कवियों के मुख से देशप्रेम, वीरता की भावना से ओतप्रोत कविताओं के साथसाथ प्रेम और मस्ती की उमंग भरी रचनाओं का सस्वर पाठ सुनकर जन मानस आह्लादित व आंदोलित भी होता रहा। किंतु न तो स्वयं कवियों ने और न हिन्दी काव्य प्रेमियों ने कविता के सांगीतिक सम्प्रेषण की पद्धतियों को विकसित करने की दिशा में प्रयोग के स्तर पर ऐसे गंभीर प्रयास किये, जैसे कि हमें महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर, बंगाली समाज तथा उर्दू शायरी को अपने गायन से लोकप्रिय बनाने वाले गायक कलाकारों के यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं।

छायावादोत्तर काल की काव्यधाराओं में निरंतर विशिष्टता, बौद्धिकता, यथार्थपरकता और समस्यामूलकता की प्रवृत्ति बढ़ने के साथ-साथ हिंदी कविता धीरे-धीरे जैसे जैसे श्रव्य से पठ्य रूप की ओर उन्मुख होती चली गई, वैसे वैसे उसमें जटिल जीवन यथार्थ और तनावपूर्ण मनःस्थितियों के अंकन पर विशेष बल दिया जाने लगा। कविता में जब भावप्रवणता और अनुभूति के स्थान पर विचार तत्व और बौद्धिकता का वर्चस्व बढ़ा तो उसके प्रचलित रूपगत ढांचों में भी दरारें पैदा हुईं। अभिव्यक्ति प्रणालियों के अंतर्गत मूर्त के स्थान पर अमूर्त, गीतात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता तथा बिम्ब के स्थान पर वक्तव्यपरकता और सपाटबयानी को प्रश्रय दिया जाने लगा परिणामतः कविता की जन-सम्प्रेषणीयता में बाधा उत्पन्न हुई। और वह जन-सामान्य से असंपृक्त होती हुई अपने प्रभाव क्षेत्र में सिमटती चली गई। कविता के भीतर विद्यमान लोकधर्मी रचनात्मक ऊर्जा चुकने लगी। वह या तो चंद पड़े-लिखे लोगों के बौद्धिक विमर्श का विषय बनी अथवा मनोरंजन और दिल बहलाव की वस्तु।

कविता की जन सम्प्रेषणीयता के संदर्भ में भाषिक

अभिव्यक्ति को लेकर जो गंभीर चिंतन और विचार विमर्श हिंदी कविता और आलोचना में विकसित हुआ उसके केंद्र में पढ़ा-लिखा शिक्षित पाठक वर्ग रहा। आम जनता को भीड़ समझकर उसे बौद्धिक दृष्टि से कमतर आंकते हुए कविता के आस्वादन के अयोग्य मान लिया गया। पश्चिमी शिक्षा पद्धति के प्रचलन के साथ शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के बीच जो अलगाव उत्पन्न हुआ, जो खाई निर्मित हुई उसे पाटना अब तक संभव नहीं हो पाया है इसी प्रकार कविता के संबंध में अभिजात्यवर्गीय व जन अभिरुचि के बीच भी एक विभेदक रेखा मान ली गई। फलतः कविता के सृजन और आस्वादन के जो मानदंड निर्धारित किए गए उसके मूल में यही विभाजक दृष्टि काम करती रही।

इसका एक परिणाम यह देखते हैं कि धीरे-धीरे मुद्रित कविता और मंचीय कविता के बीच दूरी बढ़ती गई। दिनकर, बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजाकुमार माथुर के बाद की पीढ़ी के श्रेष्ठ कवियों ने मंचों पर कविता पढ़कर अथवा गाकर कविता सुनाने से परहेज करना शुरू कर दिया इससे मंच जैसा सशक्त और प्रभावी माध्यम सतही कवियों के हाथ में पढ़कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम बन गया जिन मंचों से पहले के कवि अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का उद्घोष किया करते थे, जन मानस को नवीन प्रेरणा से स्फुरित परिष्कृत किया करते थे अब वे धीरे धीरे व्यावसायिक बनते हुए विकृत होते चले गए। कविता में वह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की चेतना में निहित रागात्मक और बौद्धिकवृत्तियों को एक साथ विविध स्तरों पर सक्रिय और तृप्त कर सकती है, वह मनुष्य को प्रेरित कर सचेत कर्म में प्रवृत्त कर सकती है, उसे परिवर्तन की दिशा का संकेत दे सकती है। अतः चेतना के संस्कार, परिष्कार व उन्नयन के लिये कविता और जन सामान्य के बीच संवाद सेतु कायम होना बेहद जरूरी है।

जब हम आधुनिक युग में कविता की जनसम्प्रेषणीयता पर विचार करते हैं तो हमें उसके पठ्य रूप के साथ साथ अन्य कला माध्यमों के रचनात्मक उपयोग की संभावनाओं पर भी सोचना होगा। इस दृष्टि से संगीत आज भी सम्प्रेषण का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। यदि कविता के आस्वादन प्रक्रिया में सांगीतिक सम्प्रेषणीयता की इस शक्ति व सामर्थ्य को पहचाना गया होता, यदि हिंदी आलोचना के अंतर्गत कविता के मूल्यांकन के औजार के रूप में बिंबात्मकता, नाटकीयता तथा लयात्मकता के समावेश के साथ-साथ नादात्मक सौंदर्य व गेयता के तत्व को भी यथोचित परिमाण में शामिल किया गया होता तो सांगीतिक सम्प्रेषण की दिशा में नवीन प्रयोगों के द्वार खुलते और कविता की प्रसार व प्रभाव क्षमता निश्चय ही विस्मयकारी होती।

जिस प्रकार ब्रह्म की सत्ता निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में व्यक्त मानी गई है उसी प्रकार शब्द को अर्थ समेत मूर्त और अमूर्त रूपों में स्वीकार किया गया है। कविता में प्रयुक्त शब्द के वाचिक अर्थ के साथ-साथ लक्ष्यार्थ और अनेक बार इन दोनों से इतर व्यंग्यार्थ निहित रहता है। इसी से कविता में प्रयुक्त शब्दों की सम्प्रेषण प्रक्रिया उनकी अर्थ प्रतीति की परतें खुलने के साथ-साथ घटित होती है। संगीत की सत्ता नाद पर आधारित है नाद अपने आप में अमूर्त है। इस दृष्टि से अन्य ललित कलाओं की तुलना में शब्द और नाद के बीच संबंध कहीं अधिक गहरा है यही कारण है कि जब काव्य और

संगीत का रंजक मेल संभव होता है तब दोनों ललित कलाएं अभिव्यक्ति, संप्रेषण और आस्वाद के स्तर पर समृद्ध होती हैं। कवि के हृदय में विद्यमान संवेदना तथा भाव शब्दरस व लय में रूपायित होकर कविता में व्यक्त होते हैं। कविता में व्यक्त भाव, शब्दार्थ और लय सम्मिलित रूप से स्वर और ताल में रूपांतरित होकर जब गेय रचना में संयोजित होते हैं तब उसमें एक नयी प्रगाढ़ता का संचार हो जाता है।

भारत की अधिकांश जनता आज भी निरक्षर है यद्यपि साक्षरता का ग्राफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पुस्तकों का प्रकाशन बड़ी मात्रा में हो रहा है, किंतु कविता में प्रयुक्त भाषा और जन सामान्य की बोधगम्यता के बीच अब भी एक गहरा अंतराल बना हुआ है जिसे पाटना जरूरी हो गया है ऐसे में मुख्यधारा की कविता को केवलपठ्यरूप तक सीमित कर देखना उसकी संप्रेषण क्षमता को सीमित करता है।

यदि वर्तमान और भविष्य में कविता को जन मानस तक अपनी पहुँच और पैठ बनाए रखनी है, यदि सामाजिक चेतना के भावनात्मक और बौद्धिक उन्नयन व विकास में अपनी सार्थक भूमिका को अर्जित करना है तो पठ्य रूप के साथ-साथ वाचिक और गेयरूप को भी लेकर चलना होगा। यह अवश्य है कि गेयरूप को साधने के लिए कविता में व्यक्त नवीन भावबोध, भाषा तथा लय के अनुरूप संगीत का उपयोग भी आधुनिक दृष्टिकोण से करना होगा।(३)

भक्त कवियों ने अपने युग और समय के अनुरूप अपने काव्य में निहित लय तत्व व नाद सौंदर्य की खोज की थी। उन्होंने परंपरा से प्राप्त शास्त्रीय संगीत तथा लोक परंपरा में प्रवाहित जन सामान्य में प्रचलित लोक गीतों की अनुगूँज दोनों को आत्मसात कर जिन काव्य रूपों, शैलियों को विकसित किया, उससे काव्य और संगीत के सर्जनात्मक संबंध की एक नयी मिसाल कायम हुई। यह संबंध केवल मुक्तक पदों तक सीमित नहीं रहा प्रबंधकाव्यों में भी उसका विस्तार देखा जा सकता है। तुलसी का रामचरित मानस काव्य और संगीत के मनोरम संयोग का अन्यतम उदाहरण है। भक्ति काव्य में संगीत एक अनिवार्यता के रूप में उसके भीतर से फूटता महसूस होता है वह बाहर से थोपा या चिपकाया हुआ कोई तत्व नहीं है। संभवतः इसका एक कारण यह भी है कि संगीत पर भक्त कवियों की गहरी पकड़ थी। कबीर, सूर, तुलसी और मीरा तो स्वयं गाते थे। उनकी कल्पना में पहले कविता वाचिक और गेयरूप में ही उभरती रही होगी इनमें से तुलसी ही अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध भी किया करते थे किंतु महत्व वाचिक और गेयरूप का ही था। गेय के साथ-साथ सगुण भक्ति में नृत्य व नाट्य कला रूपों से भी भक्ति काव्य का गहरा और अंतरंग संबंध रहा। संगीत, नृत्य व नाट्य कलाओं के संयोग व संस्पर्श ने किस प्रकार भक्ति काव्य को अधिकाधिक जनसंप्रेषणनीय और लोकप्रिय बनाया, उसके प्रभाव और प्रसार को अक्षुण्ण बनाए रखा, यह सर्वविदित हैं।

“नाद सौन्दर्य से कविता की आयु बढ़ती है।”(४) **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल** का यह कथन जितना संस्कृत वाग्मय और भक्ति काव्य के परिप्रेक्ष्य में खरा उतरता है, उतना ही आधुनिक हिन्दी कविता के संदर्भ में भी। आधुनिक हिन्दी कविता मुद्रित रूप के प्रचलन से अपने जनतांत्रिक प्रचार, प्रसार और विस्तार में तो समर्थ हुई किंतु

जन सामान्य में अपने प्रभाव विस्तार की दृष्टि से सिमटती चली गई। यह अपने आप में अंतर विरोधात्मक स्थिति है और विडंबनापूर्ण भी। यदि कविता के पठ्य रूप के प्रचलन के साथ-साथ उसकी वाचिक परंपरा और गेय रूपों की उपेक्षा न की गई होती तो निश्चित ही सभी रूप एक दूसरे के पूरक बनते तथा कविता के संप्रेषण और आस्वाद की व्यापक जमीन तैयार होती। एक ऐसी स्थिति जिसमें साक्षर और निरक्षर सभी शामिल होते। श्रेष्ठ कविता के नाम पर उसे विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित कर दिए जाने से एक ओर जहाँ वह जन सामान्य की पहुँच से दूर होती गई वहीं अपने वाचिक और गेय रूप के साथ भी संबंध शिथिल हो जाने से उसकी जन संप्रेषणीयता बाधित हुई। परिणामतः जन सामान्य के बीच उसके प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हुआ।

इसका एक महत्वपूर्ण कारण अन्य कलारूपों के साथ उसकी बढ़ती दूरी, असम्बद्धता और अलगाव भी है।

अनेक बार संप्रेषण की समस्या को लेकर रचनाकारों और आलोचकों के बीच से यह विचार उठता रहा है कि कविता को समझने के लिए चेतनागत संस्कार, परिष्कार व उन्नयन की आवश्यकता है। यदि इस दृष्टि से पाठक की मानसिक तैयारी नहीं है अथवा वह चेतना के उस स्तर को अर्जित करने में असमर्थ है तो इसका दायित्व पूर्ण रूप से रचनाकार पर नहीं डाला जा सकता स्वयं पाठक को भी इस दिशा में प्रयत्न करना होगा।

यह तर्क अपने आप में एक हद तक उपयुक्त है किंतु यह समस्या का केवल एक पहलू है। यह भी एक विचारणीय तथ्य है कि वाचिक परंपरा के अंतर्गत जब कविता जन समूह के बीच सुनी और सुनायी जाती थी और, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवियों की कविताओं का मर्म समझ कर जो जनता आत्मसात कर पाने में समर्थ थी वही जनता पठ्य कविता के प्रचार प्रसार के साथ धीरे धीरे कविता से विमुख होती हुई उसकी आस्वादन क्षमता से रहित क्यों होती चली गई। क्या यह जरूरी नहीं कि एक ऐसे समय में जब मुद्रण माध्यम के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों की बाढ़ सी आ गई है तब कविता भी इन माध्यमों का रचनात्मक उपयोग करते हुए जन जन तक पहुंचे। इस दिशा में प्रयास आरंभ भी हुए हैं उनमें अब और गति लाने की आवश्यकता है। अजीत कुमार ने इस आवश्यकता को रेखांकित भी किया है।(५)

कविता के लिए अब यह आवश्यक हो गया है कि अपनी उपादेयता को बनाए रखने के लिए अन्य कला माध्यमों से जुड़े पठ्य रूप के साथ-साथ सस्वर वाचन, गायन, नृत्य, नाटकीय मंचन तथा चित्र कला माध्यमों के भीतर संप्रेषण की नवीन संभावनाएं तलाश करे। इसके लिए जहाँ कवियों को परंपरा से प्राप्त लय, छंद और नाद के विभिन्न रूपों के साथ संवाद करते हुए नवीन अभिव्यक्ति प्रणालियों की खोज करनी होगी, वहीं अन्य कला क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने-अपने कला माध्यमों में प्राचीन और मध्यकालीन कविता के साथ-साथ आधुनिक कविता का उपयोग भी करें इससे उनकी कला को सर्जनात्मकता के नए आयाम प्राप्त होंगे। यह स्थिति एक ओर कविता में नवीन ऊर्जा का संचार करेगी वहीं अन्य कला रूपों को समृद्ध करती हुई नवीन युग संदर्भों में प्रासंगिकता प्रदान करेगी।

लंबी कविताओं के गीति व नृत्य नाटकों के रूप में मंचन, विभिन्न नृत्य शैलियों के कलाकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों में तथा कई नाट्य निर्देशकों द्वारा प्रदर्शित नाटकों में इस दिशा में रचनात्मक प्रयोग किए भी जा रहे हैं यद्यपि परिमाण की दृष्टि से अभी इन्हें अल्प ही कहा जा सकता है। किंतु इन सब के बीच बराबर यह ध्यान रखना होगा कि कविता अन्य कला रूपों से संवाद करते हुए कहीं अपनी पहचान और प्रकृति न खो दे उसकी अपनी अस्मिता, अन्य कलाओं से उसकी विशिष्टता अवश्य सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रयोग बहुलता के आवेश से उसके मूल स्वरूप को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे।

यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि मेरा आशय यह बिल्कुल नहीं है कि गीत रूप में लिखी जाने वाली सभी रचनाएं श्रेष्ठ हैं। मंचीय कवि सम्मेलनों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए गाये जाने वाले हल्के गीतों का संदर्भ भी यहां नहीं है। यहां जो बात ध्यातव्य है वह यह कि कविता चाहे वह छंदबद्ध हो या मुक्तछंद अथवा छंदमुक्त सबमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में स्वर और लय अंतर्निहित रहते हैं। आवश्यकता है शब्दार्थ को बिना क्षति पहुंचाए भावानुभूति और विचारतत्व के सह अस्तित्व मूलक संतुलन को बनाए रखते हुए कविता के भीतर विद्यमान संगीत तत्व को उद्घाटित किये जाने की। सघन एवं सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति के स्तर पर साहित्य और संगीत दोनों कलारूपों का रचनात्मक संयोग अर्जित किया जाय तो मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि आधुनिक हिन्दी कविता की जन सम्प्रेषणीयता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो सकती है।

संदर्भ

(१) "वाचित-श्रुत परंपरा में श्रोता इतर व्यक्ति है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो एक सजीव, प्रत्यक्ष, व्यक्ति रूप मूर्त इकाई की ओर प्रवाहमान होती है, जिस इकाई की सजग चेतना संप्रेषण के दौरान निवर्याघात बनी रहती है। लिखित पठित काव्य की परिस्थिति में सजीव इतरसत्ता की उपस्थिति का यह बोध नहीं रहता कवि को एक आभ्यन्तर श्रोताकी उद्भावना करना पड़ता है, एक इतर आत्मोपरिस्थि की सृष्टि करनी पड़ती है। फलतः मुद्रित कविता किसी हद तक अनिवार्यतः एक आत्मोत्सरिष्ट परायेपन की माँग करती है जिसकी वाचित-श्रुतपरंपरा में कोई आवश्यकता नहीं होती।" (पृष्ठ संख्या-२४२) सर्जना और संदर्भ, अज्ञेय, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली प्रथम संस्करण 1985

(२) भूमिका से, पृष्ठ -४, लिрикल बैलड्ज, विलियम वर्ड्ज्वर्थ और सैमुएल टेलर कोलरिज, पेंग्विन क्लासिक्स सीरिज, २००६

(३) रघुवीर सहाय के शब्दों में "जिस कवि को आज कविता लिखना अनिवार्य मालूम होता है, उसे अपनी कविता को सुनाना भी अनिवार्य लगना चाहिए। तभी कविता के भीतर छिपे संगीत का सही स्वरूप प्रकट होगा और वह पलट कर फिर कविता की सच्चाई की कसौटी बनेगा। कविता में संगीत होता है, इससे वे भी इनकार नहीं कर सकते जो खुद उस संगीत को स्वर नहीं दे पाते। परंतु एक आधुनिक कविता में एक आधुनिक संगीत ही होगा, उसको खोजना चाहिए।" (पृष्ठ संख्या-१४१) आधुनिक कविता और संगीत रघुवीरसहाय, भारतीय कला दृष्टि, संपादक अज्ञेय

(४) आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि -भाग १, पृष्ठ संख्या -१२३,

इंडियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, १९७५

(५) "शिक्षा तथा पत्रकारिता की बढ़ोतरी के जिस दौर में हिंदी कविता 'श्रव्य' की बनिस्बत पाठ्य होने में ज्यादा यकीन करने लगी थी, उसके समानांतर अब जो श्रव्य-दृश्य साधन विकसित हो चले हैं, वे तो हमारी कविता का इस्तेमाल अपने किन्हीं उद्देश्यों-हितों के लिए करने लगे हैं- आकाशवाणी-दूरदर्शन पर इधर कविता के सहसा बढ़ गए कार्यक्रमों से इसका आभास मिलता है, लेकिन हमारी कविता इन माध्यमों का उपयोग अपने हितों में कर सकने की स्थिति और क्षमताएं, दुर्भाग्यवश नहीं विकसित कर पाई है। रंगीन पृष्ठों पर छपकर भी वह बड़ी पत्रिकाओं का ही संवर्धन करती है, स्वयं एक संभावना पूर्ण पाठक वर्ग तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाती।" (पृष्ठ संख्या 115) इधर की हिंदी कविता, अजित कुमार, किताबघर प्रकाशन

Dr. Priti Prakash Prajapati

Head, Department of Hindi

Founding Convener, Interdisciplinary Lecture

Series Lady Shri Ram College for women

University of Delhi T-+91 9013594104



सारांश –

कबीर के काव्य में भरपूर दर्शन एवं भक्ति के अद्भुत साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिसमें उन्होंने विविध श्रुत एवं संगति से प्राप्त अनुभवों को परिष्कृत करके प्रस्तुत किया है। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की किन्तु फिर भी वे सभी के शिक्षक हैं और संसार उनका अनुचर है। कबीर के काव्य में ब्रह्म, जीव, जगत, माया की असीमित ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग का अद्भुत संयोजन ही कबीर का काव्य है। कबीर ने ईश्वर की अलग पहचान विकसित की। उन्होंने मनुष्य के एक ही उद्देश्य पर बल दिया है कि जन्म-मृत्यु से मुक्ति और परमात्मा का साहचर्य मनुष्य एकाकी ही इस संसार में आता है और खाली हाथ अकेला ही जाता है। कबीर के पूरे काव्य में सिद्धों और नाथों की सोच की ओर भी उन्मुख होते उन्हें देखा जा सकता है। कबीर की व्याख्या भी कबीर के काव्य का उद्देश्य रहा जिस पर संभवतः कबीर का भी ध्यान नहीं गया होगा किन्तु बुद्धि जन के विश्लेषणों से कबीर की भक्ति को समझने का अवसर संसार के पाठकों को मिला है। कबीर ने आगे कबीर की भक्ति के विविध पक्षों पर प्रकाश का प्रयास किया है।

भक्ति भारतीय काव्य की आत्मा है। कबीर का आविर्भाव एवं उनका साहित्य भक्ति काल की अप्रतिम घटना है। कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद सगुणोपासना के उपासक थे, फिर भी उन्होंने निर्गुण भक्ति वाले कबीर को अपना शिष्य बनाया। कबीर रामानंद का शिष्य होने के कारण कबीर के हृदय में वैष्णवों के लिए अत्यधिक आदर-भाव था। कबीर ने कहा है –

‘मेरे संगी दोई जणा, एक वैष्णव एक राम ।

वो है दाता मुक्ति का, वो सुमिरावे नाम ॥

कबीर धनिते सुंदरी, जिनि जाया वैसनो पूत’ 2

“कबीर एक ऐसी भक्ति-धारा को प्रवाहित करना चाहते थे, जिसे सभी वर्ग एवं सभी वर्ण के व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सकें। कबीर उस समय हिन्दू एवं मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या-द्वेष अत्यधिक बढ़ रहे थे। अतः कबीर ने अपनी निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों जातियों की पारस्परिक कटुता एवं वैमनस्य की भावना को दूर करके एक ऐसी सामान्य भक्ति का प्रचार किया जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद की एक रूपता स्थापित करके एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया गया था और ईश्वर की एकता के आधार पर मानव की एकता का प्रचार किया गया था।” 3

कबीर की पृष्ठभूमि के रूप में व्याप्त नाथ पंथ और सिद्धों की साधना-पद्धति मिली जिसका समावेश कबीर की निराकार साधना और उसमें घट के भीतर के चक्रों, सहस्रदलकमल,

इड़ा-पिंगला नाड़ियों इत्यादि के वर्णन के रूप में देखने को मिलता है :

“झीनी झीनी बिनी चादरिया ।

काहे कै ताना काहे कै भरनी, कौन से तार से बीनी चदरिया ।

इंगला-पिंगला ताना भरनी, सुसमनतार से बीनी चदरिया ॥

आठ कँवल दल चरखा डोलै, पंचतत्त्व गुनतीनी चदरिया ।

साई को सिमट मास दस लागै, ठोक ठोक के बीनी चदरिया ॥

सो चादर सुरनर मुनि ओढ़िन, ओढ़ि कै मैली किनी चदरिया ।

दस कबीर जतन से ओढ़िन, ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया ॥” 4

संत कबीर के लिए यह त्रिगुणात्मक संसार नाशवान है। वह इसका भोग नहीं करना चाहते हैं। कबीर शरीर रूपी चादर के निर्माण को सिद्ध योगियों की भाषा में कहते हैं और बड़े ही सरल ढंग से कहते हैं कि इस पंच तत्त्व और तीन गुण की शरीर-चादर को सभी मुनियों और देवताओं ने ओढ़कर मैली कर दी है। वे तो इस झीनी चादर को ज्यों-का-त्यों उतार कर रख देते हैं।

योग साधना में कबीर वेदांत की भावना ‘सोऽहमस्मि’ का अनुसरण करते हुए परमात्मा की भक्ति-उपासना में स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह तो अन्तर्यामी है लेकिन अज्ञानियों के द्वारा बाहर ढूँढा जाता है। ईश्वर तो सबके भीतर है, भला वह बाहर खोजने से कहाँ मिलेगा? संत कबीर उदाहरण देते हैं “कस्तूरी मृग” का कस्तूरी हिरण का नाभि में बसती है। उसकी गंध बाहर फैली होती है। कबीर कस्तूरी की गंध के कारण प्रभावित होकर उसे पाने के लिए बाहर भटकता है। कबीर प्रकृत प्रकार मनुष्य भी ईश्वर की खोज हेतु दर-दर खोजता फिरता है और भटकता रहता है जबकि वह ईश्वर उसमें ही है। इससे समझ की आवश्यकता कबीर ने प्रतिपादित की है। कबीर वन मांही में वन का अर्थ है वासनाओं का वन। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि वासनाओं एवं तृष्णा में प्रभु कहाँ मिलेंगे। इन्हें तो इस वन से अलग अपने पवित्र हृदय में देखना होगा।

संत कबीर की रचनाओं में प्राप्त भक्ति-तत्त्व के स्वरूप के तार भक्ति-प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों से जुड़े हुए हैं। कबीर की व्याख्या करने वाले मूल ग्रंथ हैं – शांडिल्य भक्ति-सूत्र, नारदीय भक्ति-सूत्र, महाभारत का नारायणी उपाख्यान, वेदांत दर्शन, गीता आदि। कबीर श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वारा भक्ति की स्थापना विशेष रूप से की गयी है। परम्परा की दृष्टि से भक्ति को अनादि और अनंत माना जाता है। अभिमान छोड़कर, सभी धर्मों को त्यागकर प्रभु की शरण में जाने को भक्ति कहा जाता है। जाति, कुल, गोत्र, वर्ण, रंग आदि के अहंकार को तोड़कर- सब कुछ छोड़कर श्रद्धायुक्त प्रेम-भावना के साथ ईश्वर की शरण में जाना भक्ति है। श्री कृष्ण ने

अर्जुन को जाति-धर्म, कुल-धर्म, परिवार-धर्म सबको छोड़कर भक्ति-धर्म में आने को कहा है।

भारतीय लोक-जीवन में भक्ति की व्यापकता सर्वाधिक है। छ संतों का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है। लोक जीवन से जुड़ने के लिए लोक के प्रधान तत्त्व को माध्यम बनाया जाता है। कबीर ने भक्ति के उन तत्त्वों को अपनाया जो समाज में व्याप्त थे और आज भी व्याप्त हैं।

भक्ति के क्षेत्र में नारद का महत्त्व सर्वोपरि है। कबीर भी नारदीय भक्ति में मगन रहना चाहते हैं। भक्ति में हर प्रकार का भेद-भाव वर्जित है। नारदभक्ति सूत्र में जाति ही नहीं, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादि का भेद भी निषिद्ध है -

“नास्तितेषु विद्या, रूप, कुल, धन क्रियादि भेदः।”⁵

भक्ति के विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत अथवा द्रविड़ देश का महत्त्वपूर्ण स्थान है-

भक्ति द्राविड़ी रूपजी

लाये रामानन्द

परगट करी कबीर ने

नवदीप सत खण्ड।⁶

श्रीमद्भागवत् महापुराण में भागवत-महत्त्व में तथा बीच-बीच में अन्य स्थलों में भी भक्ति के दक्षिण में उत्पन्न होने की बात आती है लेकिन दक्षिण से भक्ति को लाने वाले रामानन्द और उसके प्रचारक कबीर थे ऐसा प्रसंग भागवत में नहीं आता है। भागवत में तो भक्ति का सम्बन्ध नारद से ही है। संत कबीर भी स्वयं को नारदी भक्ति से ही जोड़ते हैं -

‘भगति नारदी मगन कबीरा’।⁷ कबीर नारदी भक्ति में मगन हैं। यही नहीं कबीर तो भागवत की कथा कहने वाले मुनि शुकदेव से भी जुड़ते हैं- सामान्य रूप से नहीं, परम श्रद्धा के साथ।

भजि नारदादि शुकदि वन्दित चरण पंकज भामिनी।⁸

शुकदेव के विषय में तो कबीर का कथन विशेष है -

“जा मन को कोई जान न भेदा।

ता मन मगन भये शुकदेवा।”⁹

यह सर्व विदित सत्य है कि शुकदेव राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं लेकिन कथा के प्रारंभ के साथ ही वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि वे आचार्य होने के साथ विरागी हैं जन्म से योगी हैं छ शुकदेव स्वयं को निर्गुणोपासक कहते हैं।

भक्ति प्रेम मूला है। संत कबीर भी प्रेम रूपा भक्ति के उपासक हैं। भागवत का दशम स्कन्ध जिसमें कृष्ण-चरित्र प्रधान है, प्रेम मूला भक्ति का आदर्श है, जिसकी पात्र गोपियाँ हैं। गोपियों में विरह के साथ मिलन भी है जबकि संत कबीर में विरह तत्त्व प्रधान है। कबीर ‘राम की बहुरिया है।’

निर्गुण निराकार का मूलाधार उपनिषदों में है। ‘तत्त्वमसि’ जिसका सार है। ज्ञानोपदेश का यह स्वरूप याज्ञवल्क्य और जनक संवाद में, वशिष्ठ द्वारा राम को उपदेश के रूप में योग वाशिष्ठ्य में

और कृष्ण द्वारा उद्धव को भागवत में दिया गया है। कबीर अपनी निर्गुणोपासना में मानो प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं-

तत्त्वमसी इन्हके उपदेशा। ई उपनिषद कहां सन्देसा।

याज्ञबलिक औजनक संवादा। दत्तात्रेय वहै रसस्वादा।।

वहै वसिष्ठ राम मिली गई। वहै कृष्ण ऊधव समझाई।

उठे बात जे जनक दृढ़ाई। देह धरे विदेह कहाई।।¹⁰

कबीर ने ज्ञानोपासना की कठोरता को ऐसे प्रसंगों के साथ जोड़कर जनसामान्य के लिए सरल बना दिया है। संत कबीर का उद्देश्य परम तत्त्व को पाना है जिसकी उपलब्धि में सत्संग सहायक होता है छ अतरु संत कबीर संतों के साथ बैठकर दया करते हैं-

जहाँ बाहि लागे सनक सनंदन, रूद्र ध्यान धरि बैठे।

सूर्य प्रकास आनंद चमके में, धन कबीर है बैठे।।¹¹

साधु संगति भगवत्सान्निध्य का पर्याय है क्योंकि भक्त या साधु स्वयं भगवान हैं छ इसीलिए संत कबीर तीर्थस्थलों में जाकर पूजा-पाठ अथवा जप-तप करने को महत्त्व नहीं देते हैं-

कबीर मथुरा जावै द्वारिका जावै जाऊ जगन्नाथ।

साध संगति हरि भगति बिनु कछु न आवे हाथ।।¹²

संत कबीर की मान्यता है कि संत तीर्थों से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। तीर्थस्थान स्वयं संतों के आगमन और समागम से पवित्र होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं- मेरे प्रेमी भक्त मेरे हृदय हैं। उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते छ मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता।

जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत और अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अन्तर्दृष्टि देते हैं।

“संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने प्रियतम की आत्मा हैं छ तीर्थों में जाना व्यर्थ है।”¹³

भक्ति करते-करते भक्त स्वयं भगवान बन जाता है छ भगवान को भगवत भाव में पहुँचे बिना समझा नहीं जा सकता है। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु में अभेद भाव है। गुरु निराकार ब्रह्म का साकार विग्रह है। गुरु ही साधक को भगवान तक पहुंचाता है। इसीलिए तो कबीर गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं और उनका बार बार गुणगान भी किया है।

संत कबीर के काल में गुरुद्वय प्रथा जोरों पर थी। एक गुरु के शरीरान्त के बाद उसके सभी शिष्य स्वयं को गुरु घोषित कर देते थे छ सच्चे गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता है -

जाका गुरु भी अँधला, चेला खरा निरंध।

अन्धे अन्धा ठेलिया, दुन्यू कूप पड़ंत।।¹⁴

कबीर ने सच्चे सतगुरु के लिए कहा -

पीछे लागा जाय था, लोकवेद के साथ।

आगे से सतगुरु मिल्या, दीपक दीया हाथ।।¹⁵

नाम स्मरण भी कबीर की भक्ति का एक महत्त्वपूर्ण तात्त्विक अंग है। कबीर के अनुसार स्मरण ऐसा होना चाहिए कि अपने आराध्य देव का स्मरण करते-करते साधक उसी का रूप ग्रहण कर

ले। वे ऐसे स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें माला तो हाथ में फिरती है और जीभ मुँह में फिरती है, परन्तु मन दस दिशाओं में घूमता रहता है—

‘माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख मांहि ।
मनुवा तो दस दिसि फिरै, सोतो सुमिरन नाहिं ॥16

संत कबीर नाम—स्मरण करते—करते अपने उपास्य में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें सर्वत्र वही दिखलाई पड़ता है—

लाली मेरे लाल की, जित देखे उत लाल ।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल ॥17

संत कबीर की भक्ति में प्रपत्ति भाव अर्थात् अनन्य भाव है । कबीर ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा आदि का परित्याग कर ‘तन, मन, धन मेरा रामजी के ताई’ कहकर अपने इष्टदेव के प्रति पूर्णतया आत्म-समर्पण का भाव प्रकट किया है और प्रेमा भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है —

राता— माता नाम का ,पीया प्रेम अघाये ।
मतवाला दीदार का ,मांगे भुक्ति बलाए ॥
भाग बिना नहीं पाइए, प्रेम प्रीत की भक्त ।
बिना प्रेम नहीं भक्ति कछु, भक्ति भरयो सब जक्त ॥
प्रेम बिना जो भक्ति है ,सो निज दंभ दृविचार ।
उदर भरन के कारने ,जनम गँवायो सार ॥18

कबीर की आत्म समर्पण की भावना प्रस्तुत साखी में देखने को मिलती है —

कबीर कूता राम का ,मुतिया मेरा नाऊँ ।
गले राम की जेवड़ी ,जित खेंचे तित जाऊँ ॥19

रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में —“कबीर ने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य हो कर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ बातें ग्रहण कीं और दूसरी ओर योगियों और सूफियों के संस्कार प्राप्त किये द्य वैष्णवों से उन्होंने अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिए ” 20

डॉ गणपति चन्द्र गुप्त का मानना है की सैद्धान्तिक दृष्टि से कबीर को किसी एक सम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं किया जा सकता द्य उन्होंने रामानंद से राम भक्ति का मन्त्र प्राप्त किया किन्तु फिर भी उनके राम ‘दुष्टदलन रघुनाथ’ नहीं थे। ‘राम’ से उनका अभिप्राय कुछ और ही था द्य कबीर के अनुसार —

दशरथसुत तिहं लोक बखाना ,राम नाम का मरम है आना ॥21

निष्कर्ष —

कबीर के विचारों पर अद्वैतवादी वेदांत दर्शन का अत्यधिक प्रभाव दिखलाई पड़ता है इसी कारण कबीर ने ब्रह्म और जीव तथा ब्रह्म और जगत, सभी की अद्वैतता का प्रतिपादन किया है और माया की अनिर्वचनीयता का उल्लेख करते हुए जगत को व्यावहारिक दृष्टि से सत्य माना है । वस्तुतः यह मिथ्या है क्योंकि जगत का कोई भी पदार्थ सदा विद्यमान नहीं रहता । कबीर के इन्ही दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का भी प्रभाव पडा । इसी कारण वृहदारण्यक उपनिषद् के आत्मा और परमात्मा के दृष्टांत की भाँति कबीर ने भी ब्रह्मा को बाहर ढूँढने का प्रयास किया । कबीर ने प्रत्येक जीव

को परमात्मा का अंश मानते हुए उसको स्वीकार किया है । इस प्रकार कबीर काव्य में भक्ति दृष्टत्व को विविध रूपों में देखा जा सकता है जो व्याख्या से परे भी हैं और व्याख्या में समाहित भी हैं ।

सन्दर्भ —

- 1—डॉ गणपति चन्द्र गुप्त ,हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास , लोक भारती प्रकाशन ,इलाहाबाद . पृ —144
- 2—प्रो .युगेश्वर (सं),कबीर समग्र ,हिंदी प्रचारक पब्लिकेशनस ,वाराणसी . पृ 10
- 3—द्वारिका प्रसाद सक्सेना ,हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि ,विनोद पुस्तक मंदिर ,आगरा . पृ —86
- 4 —हजारी प्रसाद द्विवेदी ,कबीर ,राजकमल प्रकाशन ,दिल्ली पृ —133
- 5 —स्वामी वेदान्तानंद दृनारद भक्ति सूत्र ,पृ —127.
- 6 —प्रो युगेश्वर (सं),कबीर समग्र ,हिंदी प्रचारक पब्लिकेशनस,वाराणसी पृ —83
- 7 —वही ,पृ ,83 .
- 8 —वही ,पृ , 686.
- 9 —वही ,पृ ,83 .
- 10—वही ,पृ —84.
- 11—वही ,पृ —84 .
- 12—वही ,पृ —85.
- 13—श्रीमद्भागवतमहापुराण —9 / 4 / 68.गीता प्रेस ,गोरखपुर .
- 14—प्रो .युगेश्वर ,कबीर समग्र ,हिंदी प्रचारक पब्लिकेशनस,वाराणसी . पृ —207
- 15—वही ,पृ —206.
- 16 —डॉ द्वारिका प्रसाद सक्सेना ,हिंदी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि ,विनोद पुस्तक मंदिर,आगरा पृ —88
- 17—वही ,पृ —88 .
- 18 —हजारी प्रसाद द्विवेदी ,कबीर ,राजकमल प्रकाशन ,दिल्ली . पृ —143
- 19 —गणपति चन्द्र गुप्त दृहिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ,लोकभारती प्रकाशन ,इलाहाबाद . पृ —144
- 20 —रामचंद्र शुक्ल दृहिंदी साहित्य का इतिहास ,प्रभात पेपर बैक्स ,दिल्ली . पृ —70
- 21 —गणपति चन्द्र गुप्त दृहिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ,लोकभारती प्रकाशन ,इलाहाबाद . पृ —156— 157.

डॉ० सुमन शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर

हिंदी विभाग ,कला संकाय ,

डी. ई. आई. (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा

ई—मेल— drsumandayalbagh@gmail-com



सारांश –

‘मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती।’

‘भगवान् भारत वर्ष में गुंजे हमारी भारती।’

‘हो भद्र भावोद्भाविनी, वह भारती हे भगवते।’

‘सीतापते सीतापते, गीतापते गीतापते।’

‘मैथिलीशरण गुप्त भारत-भारत’

‘तीन सजावत देश को, सती, संत और शूर।’

‘तीन लजावत देश को, कपटी, कायर क्रूर।’

‘भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर अनेक ऋषि, मुनि, संतों और गुरुओं का पदार्पण हुआ है, इनमें यागवल्क्य, भारद्वाज, अष्टावक्र, वेदव्यास, शंकराचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यमदग्नि, परशुराम, सहजानंद सरस्वती, चाणक्य, राम-कृष्ण, विवेकानंद आदि मुख्य हैं, जिनके ज्ञान और विवेक से भारतवर्ष ही नहीं, अपितु विश्व गौरवान्वित हुआ है। भारतवर्ष को सजाने संवारने वाले और विश्व गुरु बनाने वाले गुरु, सती, संत और शूर ही हैं, जिनपर हमें नाज और ताज है।’

‘भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है और सभी दानों में ज्ञान दान सर्वोत्तम है। महाकवि तुलसी ने मानस में ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ और सर्वोपरि बताया है—’

‘कहहि संत मुनि वेद पुराना।’

‘नहिं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना।’

‘तुलसी, मानस—उत्तर काण्ड’

‘इसीलिए ज्ञान दाता गुरु के पूजन का विधान हमारी संस्कृति में आदि काल से चला आ रहा है। गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस (5 सितंबर) उसी गुरु पूजन का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में शिव को आदि गुरु माना गया है, लौकिक परंपरा में महर्षि वेद व्यास ही आदि गुरु माने जाते हैं। अतरुगुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है।’

‘विद्या दान के द्वारा मानव जीवन को सब प्रकार से सार्थक करने वाले गुरु का स्थान हिन्दू धर्म में माता पिता से भी बढ़कर आदरणीय और पूजनीय है। यही कारण है कि गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बढ़कर पूजनीय माना गया है।’

‘गुरुः ब्रह्मा, गुरुरुविष्णुरुगुरुदेवो महेश्वर—’।

‘गुरुसाक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमरु—’।

‘आदर्श शिक्षक छात्रों के हृदय में शुभ संस्कारों के सर्जक होने के नाते ब्रह्मा हैं, उनके रक्षण—वर्धन के नाते विष्णु हैं और अशुभ संस्कारों, कुप्रवृत्तियों एवम् अंतर्विकारों के अपाकरण के कारण साक्षात् प्रलयंकर शंकर हैं।’

‘जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़े को ठोकता पीटता है तथा भीतर से हाथ का सहारा देकर खोत निकालकर लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार आदर्श शिक्षक भीतर से अपनी सहानुभूति का सहारा देता हुआ, ऊपर से आवश्यक पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने छात्र का शुभ निर्माण करता है। संत कबीरदास ने अपनी साखी में ठीक ही कहा है:—’

‘गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ि—गढ़ि काढ़े खोट।’

‘अंतर हाथ सहार दै, बाहर बाहर चोट।’

‘ऐसे सुनिर्मित शिष्य ही राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं, वे उसके सुदृढ निर्माता होते हैं, यदि शिक्षक अपने छात्रों का निर्माण ठीक से न करे, तो राष्ट्र का भविष्य धूमिल हो जाए। महर्षि अरविंद घोष ने ठीक ही कहा है:—शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं।’

‘यही कारण है कि संत कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा और सर्वोपरि घोषित किया है और कहा है कि यह शरीर विष की वेल्लरी (लता) है और गुरु अमृत की खान हैं, सीस समर्पण करने से भी सच्चे गुरु मिल जाएं, तो इसे सस्ता ही समझना चाहिए—’

‘गुरु गोविंद दोउ खड़े, काके लागूं पांय।’

‘बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाय।’

‘शास्त्र ऐसे गुरुओं को बारंबार नमन, वंदन और अभिनंदन का निर्देश देता है और महाकवि तुलसी तो अपने मानस में यह डिम डिम घोष भी करते हैं कि माता—पिता, गुरु और स्वामी (प्रभु) की बात बिना बिचार किए मान लेनी चाहिए और ऐसा करनेवाले कभी खाले (खंदक) में नहीं गिरते:—’

‘गुरु पितु मातु स्वामी सिख बानी।’ बिनहीं विचार करिए भलि जानी।’

‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’

‘गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले।’

‘चलहिं कुमग पग परहिं न खाले।’

‘आदर्श शिक्षक अपने छात्र को विद्युत—यष्टिका से नहीं, वरन् प्रेम के जादू से वश में रखते हैं। उनका कार्य छात्रों का वित्तापहरण नहीं, अपितु चित्तापहरण होना चाहिए।’

‘राष्ट्र के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका है, लेकिन शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक अहम है। राष्ट्र कोई जड़ संज्ञा नहीं है बल्कि जागृत संचेतना का प्रतीक है। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से किसी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अनेक भूमिकाएं हैं, पर मैं उन्हें तीन रूपों में रेखांकित करना चाहता हूँ:—’

‘1. भूमि के संस्कार का दायित्व शिक्षकों पर है:—’

‘भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति हम जितने अधिक जाग्रत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यह पृथिवी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथिवी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथिवी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथिवी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक कर्म है। यह गुरुतर कार्य राष्ट्रहित में वहाँ के शिक्षक ही करते हैं; अतः शिक्षकों के अभाव में हम राष्ट्र निर्माण की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की बहुत बड़ी पहली भूमिका है।’

‘2. जन को शिक्षित करने का दायित्व:—’

‘मातृभूमि पर निवास करनेवाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा प्रमुख अंग हैं। पृथिवी हो और मनुष्य न हों, तो राष्ट्र की परिकल्पना असंभव है। पृथिवी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथिवी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथिवी हमारी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथिवी के पुत्र हैं:—’

‘माता भूमिरूपुत्रोऽहम् पृथिव्या:’

‘अर्थात् पृथिवी हमारी माता है और हम उसके पुत्र। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र-निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के साथ ही मनुष्य पृथिवी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जिस क्षण जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के प्रति इस प्रकार प्रकट होता है:—’

‘नमो मात्रे पृथिव्यै। नमो मात्रे पृथिव्यै।’

‘माता पृथिवी को प्रणाम है। माता पृथिवी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़भिति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथिवी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथिवी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है।’

‘जन के मन में इस संचेतना का बीज वपन, उसका पल्लवन और उसका सम्यक् वर्धन का दुष्कर कार्य शिक्षक ही करता है। राष्ट्र निर्माण में यह शिक्षक वर्ग की दूसरी अहम् भूमिका है।’

‘3. राष्ट्र हित के निमित्त संस्कृति के सृजन का दायित्व शिक्षकों के कंधे पर है:—’

‘राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग-युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास-प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंधमात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कल्पलता में लिखा है कि षंसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है।’

‘स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रकवि दिनकर की सर्वश्रेष्ठ गद्य कृति संस्कृति के चार अध्याय की प्रस्तावना में संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि षंसंकृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है।’

‘राष्ट्रकवि दिनकर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए अपनी गद्य कृति रेती के फूल संग्रह के निबंध संस्कृति क्या है? में लिखा है— षंसभ्यता वह चीज है, जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हममें व्याप्त है। षसरल शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि:—’

‘स्वयं कमाना और खाना मनुष्य की प्रवृत्ति है। दूसरों से छिनकर खाना विकृति है और स्वयं कमाकर दूसरों को खिलाना संस्कृति है।’

‘संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसनेवाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। संस्कृति अर्थात् ज्ञान। सच तो यह है कि राष्ट्र के शिक्षक ही इस संस्कृति के जनक और वितरक हैं। शिक्षा ही राष्ट्र के निर्माण और विकास का मूलाधार है। शिक्षा के बल पर ही भारत अतीत में विश्व गुरु था और पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर उन्मुख है। इस रूप में शिक्षकों की यह तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों की बदौलत ही भारत भविष्य में विश्व गुरु बनेगा। विश्व विजेता सिंकदर ने अपने गुरु अरस्तु से कहा था कि मैं भारत से कौन सा उपहार आपके लिए लाऊंगा? अरस्तु ने कहा कि यदि तुम भारत से मेरे लिए उपहार स्वरूप कुछ लाना चाहते हो तो एक संत गुरु लाना। सिंकदर आश्चर्य चकित हो, अरस्तु के चरण कमलों में गिर पड़ा। यह भारत के गुरुओं की महिमा है।’

‘राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने कहा था किरू थनजनतम वी जीम बवनदजतल कमचमदके नचवद पजे बपजप्रमद, निजनतम

वज बपजप्रमद कमचमदके नचवद पजे मकनबंजपवद,दक निजनतम वी मकनबंजपवद कमचमदके नचवद पजे हववक जमंबीमत. राष्ट्र का भविष्य वहां के योग्य नागरिकों पर निर्भर करता है,नागरिकों का भविष्य वहाँ की शिक्षा पर और शिक्षा का भविष्य वहाँ के योग्य शिक्षकों पर निर्भर करता है।'

'शिक्षक को आचार्य भी कहते हैं।आचार्य का अर्थ ही होता है आचारवान।अर्थात् जिसका आचरण अनुकरणीय और उदाहरणीय हो।शिक्षक अपने आचार विचार और संस्कार से योग्य छात्रों का निर्माण करते हैं और योग्य छात्र राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।'

'गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार और अज्ञान का निरोधक।गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है निरोधक अर्थात् गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञानांधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करता है।ऐसे गुरु को कोटिशः नमन वंदन और अभिनंदन है'

'अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानांजन शलाकया'।

'चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमरु'।।

'अज्ञानांधकार से आवृत्त इस संसार में भटकने वालों के ज्ञान रूपी अंजन की शलाका लगाकर जो भीतर के मूंदे हुए नेत्रों को खोल देता है,वह गुरु देवता नहीं तो और क्या है?ऐसे परम उपकारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती जो एक अज्ञ को महान पंडित बनाकर निकालता है।अज्ञान और अविद्या से भटके हुए को बिजली की भांति चमकने वाले विद्या का प्रसाद बांट देता है।अपने भीतर की समूची अगाध निधि को लूटा देता है।अपने शिष्य से गुरु और अपने पुत्र से पिता कुछ भी बचाकर अपने पास नहीं रखना चाहता,यदि वह सचमुच सच्चा गुरु और वास्तविक पिता है।'

'महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य शपद्मावत्त्र में गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है किरु—'

'गुरु ज्ञान चिंनगी सो मेला।'

'जो सुलगाइ लेई सो चेला।'

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

'ज्ञान सुगा जोइ पंथ देखावा।'

'बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा।'

'इसीलिए महाकवि तुलसी ने मानस में गुरु की महिमा को स्थापित करते हुए लिखा है'

'बंदौ गुरु पद पदुम परागा।'

'सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।'

'अमिय मूरिमय चूरन चारु।'

'समन सकल भव रूज परिवारु।'

'गुरु बिनु भव निधि तरै न कोई।'

'जौ विरंची शंकर सम होई।।'

'राखई गुरु जौ कोप विधाता।'

'गुरु बिरोध नहि कोई जग त्राता।'

'अंत में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि:—'

'सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो।'

'गुण शील साहस बल तथा सबमें भरा उत्साह हो।'

'सबके हृदय में सर्वदा, संवेदना की दाह हो।'

'हमको तुम्हारी चाह हो,तुमको हमारी चाह हो।'

'संदर्भ—ग्रंथ:—'

'1 तुलसीदास, रामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर,2018'

'2 डॉ० माता प्रसाद गुप्त,सं. कबीर ग्रंथावली,इण्डियन प्रेस ,इलाहाबाद,1960'

'3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल,सं. जायसी—ग्रंथावली की भूमिका, काशी नागरी प्रचारिणी,सभा वाराणसी,1940'

'4 डॉ० मुकुंद द्विवेदी, सं.हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली,1965'

'5 राष्ट्र कवि दिनकर,संस्कृति के चार अध्याय,लोकभारती इलाहाबाद,1971'

'6 राष्ट्र कवि दिनकर, रेती के फूल, उदयाचल, पटना 1950'

'7 डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप,काशी नागरी प्रचारिणी सभा,वाराणसी,1960'

'डॉ० तपन कुमार शाण्डिल्य'

'कुलपति'

'डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची'

'चलभाषरू 9431049871'

सारांश

भारतीय साहित्य और संस्कृति में नारी को अद्भुत गरिमा प्राप्त है। साहित्य मनीषियों द्वारा उसे पत्नी, प्रेयसी, माँ, बहन, पुत्री, रानी, दासी आदि—आदि अनेकविध रूपों में उकेरा गया है। सामान्य रूप से, यह कह दिया जाता है कि नर से भारी नारी, लेकिन समाज में व्यावहारिक दृष्टि से नारी कितनी भारी है यह एक विचारणीय = विषय है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि नारी का प्रकृत रूप शक्ति का रूप है, लेकिन शक्ति स्वरूपा नारी को पुरुष प्रधान समाज ने अशक्त बना दिया है। नारी के अशक्त — अबला रूप का हेतु उसका नारीत्व नहीं, वरन् उसका पुत्री, उसका पत्नी, उसका माँ रूप रहा है। इसलिए वह निरन्तर पिता, पति, पुत्र की इच्छा वेदिका पर अपने को उत्सर्ग कर अबला बनती चली आ रही है। डॉ. पुष्पा बंसल भावप्रवण और विचारविदग्ध महिला हैं। उन्होंने अपनी रचना प्रतिवाद पर्व में सीता के बहाने से नारी स्वरूप की व्यंजना की है। सीता ही प्रतिवाद पर्व का केन्द्रीय चरित है और वही इस कृति का एकमात्र मुखर पात्र है। ऐसी स्थिति में, सीता की वाणी, सीता की सोच, सीता के स्वर, सीता की धारणा, सीता की कल्पना, सीता का विचारणा से हो प्रतिवाद पर्व प्रतिरूपित हुआ है।

प्रतिवाद पर्व का वस्तु विधान सीता—निवासन से सम्बद्ध है, लेकिन वह परम्परागत नहीं है। कवयित्री की पतिपरायणा सीता अपने सत्य—साधक, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्यायी राजा, पति श्रीराम से यह अवश्य जानना चाहती है कि जब उसने मनसा, वाचा, कर्मणा पत्नी धर्म का निर्वाह किया, तब उसे निर्वासन का कठोर पितदण्ड क्यों दिया गया ?

प्रजा की रक्षा का दायित्व राजा का होता है सीता भी रानी—पत्नी होते हुए भी राजा राम की प्रजा है। राम ने सीता को निर्वासन का आदेश देते हुए उसे केवल पत्नी माना, प्रजा नहीं। न्याय की दृष्टि से राम का यह मानना सर्वथा असंगत था। यदि राजा राम ने किसी के द्वारा सीता चरित्र का लांछन सुना तो न्याय की माँग के अनुसार सीता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। प्रजा सीता ने शासक राम से जिन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहा है, वे अत्यन्त सार्थक और न्यायोचित हैं। वह राम से जानना चाहती है

लेकिन सीता के पितृगृह मिथिला में सीता निर्वासन संवाद से कुछ विशिष्ट नहीं हुआ। माँ सुनयना, पिता जनक एवं अन्य सब के सब निरपेक्ष बने रहे और उसका कारण सीता का पालिता रूप

था। कवयित्री ने सीता से कहलवाया है कि पुत्री के निष्ठुर गृह—निष्कासन पर जनक जननी, मिथिला की राजसभा और अशेष जनता की मूकता का कारण उसका औरस सन्तान न होना था। उनके व्यवहार से विगलित वह अति पीड़ित मन से कहती है

भूमिहर, अनाम, अनाथ, खेतों में छोड़ी बाला राजा रानी ने पाभाव से उसे पुत्रीवत् पाला। पुत्री नहीं थी वह, औरस, कोखज, आत्मजा, न ही वह मिट्टी में खेतों में सोई बाला, थी सामन्तसुता।

माँ सीता बच्चों के अनुपालन और भविष्य को लेकर भी चिन्तित है। माँ की भूमिका में रहकर उसने यह प्रश्न उठाया है कि यदि राम का दायित्व अपनी पत्नी के प्रति नहीं था, तो क्या उनका दायित्व अपनी सन्तति के प्रति भी कुछ नहीं था, जबकि अबोध शैशव सम्भार और सम्पालन की अपेक्षा करता है। सीता ने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ शिशु के प्रति दायित्वबोध के प्रश्न को उठाया है और दायित्वहीनता तथा उस दशा में भविष्य की भयंकरता को भी संकेतित किया है। वह कहती है कि शिशु के प्रति दायित्वहीनता की स्थिति में अपार अपूरणीय क्षति होगी, विश्वास ध्वस्त होगा, मन आहत होगा तथा आदर—स्नेह—सम्बन्ध तार—तार हो जायेंगे

मातृत्व का ज्वलन प्रश्न माँग रहा है विश्लेषण। शासन, समाज, घर—परिवारों का शैशव के प्रति क्या दायित्व ? पालन की सुविधा, ममता का अधिकारी है शैशव अबोध कवयित्री ने सीता के माध्यम से जहाँ नारी के विविध रूप—स्वरूप की अवतारणा की है, वहीं पर उन्होंने उनके चरित्र के अनेक स्पृहणीय और नवीन पक्षों को और आर्यपुत्र ! तुम !

माना तुम राजा हो, प्रजा के पालक, वत्सल राजा हो ! पर मैं, मैं सीता, क्या प्रजा नहीं थी ? मेरी रक्षा, मेरा न्याय, क्या राजा का कर्तव्य नहीं था ?

निर्वासन के निर्मम दण्ड से सीता बिलकुल टूट जाती है। निर्वासन के कारण सीता को अपनी उत्पत्ति बड़ी पीड़ादायिनी प्रतीत होती है। कवयित्री ने सीता की असहाय और एकाकी स्थिति की बड़ी मार्मिक व्यंजना की है

और मैं ? मैं सीता ?

यदि मैं भी होती राजसुता, राजा—रानी की औरस सन्तान आर्यपुत्र ! तो कथा न यह होती, इतिहास दूसरा होता।

और यदि कोई भाई भी होता तो निर्वासन का घटनाक्रम यँ नहीं बन सकता था। वह आसन्न प्रसवा, अग्निपरीक्षिता, निरपराध बहन के साथ होने वाले अन्याय को कदापि सहन न करता— 1

भी उदघाटित किया है। रामकथा की जो सीता परम पतिपरायणा थी, पति के प्रति अन्धविश्वास रखती थी, निर्वासन के प्रति बिलकुल मूक-मौन थी, कालान्तर में, प्रतिवाद पर्व में वह अपनी मूकता को उतारने के लिए विवश दिखायी पड़ती है। युग-युग से और जन-जन द्वारा आराधित-पूजित श्रीराम पर उनके न्याय-प-सुशासन जनरंजन और भगवता पर वह अनेकानेक आरोप लगाती है आर्यपुत्र !

सुनो ! मैं तुम पर आरोप लगाती हूँ तुमने तथ्यों पर पर्दा डाल, छद्म राजनीति का आश्रय लिया। तुमने न्याय, सुशासन, जनरंजन का नाट्य किया है। भगवान नहीं हो तुम, तुम मानव हो।

दुःख मानव के लिए शाप है। इससे जो लड़ता है, इसका जो धीरता से सामना करता है, वह निखर उठता है, विजयी हो जाता है, जो डर जाता है, वह मर जाता है। सीता ने इस दुःख का सामना बड़ी धीरता से किया, इसीलिए वे विजयी रहीं। हरण निर्वासन सीता के लिए कितना पीड़ादायी रहा। जो सीता गोद छोड़ने के बाद, हिंडोरे पर रहीं और हिंडोरा छोड़ने के बाद पलंग-पीठ पर ही रहीं, कठोर पृथ्वी पर चरण ही नहीं रखे, उस सीता ने कितना सन्ताप झेला, लेकिन इन सारे सन्तापों से सीता ने नयी दृष्टि तथा नयी ऊर्जा प्राप्त की शक्ति स्रोत के इसी सन्दर्भ में प्रतिवाद पर्व की सीता ने कहा है कि मैं दुखियारी अपनों के षड्यन्त्र की मारी दुःख ने मुझको माँज - माँज दृष्टि नयी दे दी है कालोदधि के वार वार इच्छा गति दे दी है।

स्वावलम्बन का आनन्द और दुःख की दृढ़ता सीता को अबला नारी नहीं बनने देता है। उसे यह अहसास ही नहीं होता है कि वह कभी अबला भी थी। बल की मुझ में कमी नहीं थी, मैं तो अबला कभी नहीं थीं। वैसे तो उसकी यह धारणा है कि नारी का बल शरीर में नहीं, वरन् उसके सौन्दर्य में होता है। नारी बल उसका सौन्दर्य होता है। कवयित्री ने गोस्वामी तुलसीदास की भाँति सीता मुख से सीता का सौन्दर्य निरूपित किया है। सीता अपने सौन्दर्य का भावन करते हुए कहती है कहते हैं नारी बल है सौन्दर्य उसकी भी मुझमें कमी नहीं थी कलश भरा था, छलक उठा था शोभा को शोभित करने वाली छविगृह में लौ सी जलने वाली मैं भी सीता, मुझको पाने को अग-जग सारा मचल उठा 1 ' 10

सीता का मनोबल कहाँ भी मन्द नहीं पड़ता है, वह हताश निराश नहीं होती तथा रामकथाकारों की सीता की भाँति न तो वह धरती में ही प्रवेश करती है। इस घटना पर कवयित्री का अभिमत अवलोकनीय है- रामकथा में सीता का भूमि फटने की प्रार्थना करके भूमि में समा जाने का प्रसंग सम्भवतः सीता के क्रोध या निराशा या मोहभंग की स्थिति का संकेतक है। एक गहन अपमान व आत्म-तिरस्कार के भाव से गुजरकर उन्होंने सोचा होगा हे भगवन् में कहाँ जाऊँ काश यह धरती फट जाती तो मैं इसी में समा जाती।

सचमुच धरती में प्रवेश किया हो ऐसा नहीं लगता। यदि कोई भूचाल आता, तो अकेली सीता नहीं, यज्ञमण्डप में उपस्थित अनेक व्यक्ति भू-प्रवेश करते।

कवयित्री की यह बौद्धिक सोच है। धरती में प्रवेश करने वाली बात तो भावुक भक्तों द्वारा गायी गयी है। सारी विपत्ति झेल लेने के बाद सीता ने धरती में क्यों प्रवेश किया ? उसे यदि आत्मघात करना ही था तो वह पहले ही कर लेती। विपत्तियों ने तो माँज - माँजकर उसे स्वच्छ निर्मल बना दिया, दो पुत्रों की माँ बना दिया, यह उसके लिए कम गौरव और अवलम्ब की बात नहीं है। प्रतिवाद पर्व की सीता इन तथ्यों को सम्यक रूप से जानती है। उसे अपने पुत्रों पर गर्व है, लेकिन वह उनके अधिकार के लिए अवश्य चिन्तित व सचेत है

मेरे आत्मज, साथ हैं मेरे दो-दो पुत्र जो आज की हैं मेरी पहचान और कल की जय का मन्त्र हैं। मैं प्रसन्न हूँ। ' समय चाहे जैसा हो, बीत जाता है। सीता का भी समय बीत जाता है। उसके पुत्र युवा बनते हैं। वह अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राम को दोनों पुत्र सौंपकर वनवासी साधियों के बीच लौट आती है और शेष जीवन को नया अर्थ देने के लिए संकल्प लेती है और घोषणा करती है -

शेष जीवन को अपने दूंगी अर्थ

प्रगति-विकास व शोषण-दोहन के मध्य रेखा खींचूंगी विरोध करूंगी शासन के मदमती शोषण का इन पर आँच न आने दूंगी, इनकी निजता, इनके घर, इनका वन-संसार, किसी प्रकार न उजड़ने दूंगी।

सीता राम से यह भी जानना चाहती है कि क्या कोई अकेली आवाज जनप्रतिनिधि बन सकती है। यह आवाज जन प्रतिनिधित्व का पद तभी प्राप्त कर सकती है, जब उसका चयन या अमब चप जनगण ने किया हो या शासन के द्वारा उसका मनोनयन हुआ है

वह एक आवाज ! कैसे थी बनी जन-प्रतिनिधि ? क्या उसको ऐसा कुछ अधिकार मिला था ? क्या उस मन का जन-गण ने चयन किया था ? या शासन ने इस कार्य हेतु उसका मनोनयन किया था ? ' 11

इतना ही नहीं, वह अपने निर्वासन के औचित्य का भी प्रश्न उठाती है। निर्वासित सीता राम से उन संहिताओं और विधिशास्त्रों की भी जानकारी प्राप्त करना चाहती है जिसमें उसके नारी के निष्कासन का प्रावधान है। वह अपने परित्याग के प्रस्तावक और अनुमोदक का प्रश्न उठाती है जो न्याय प्रक्रिया की दृष्टि से अत्यन्त सार्थक-समीचीन है कौन था प्रस्तावक बोलो इस दण्ड का ? था अनुमोदक कौन ? किस संहिता के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया था ? कौन धर्म, कौन संहिता, कौन-कौन से विधिशास्त्र पति के पत्नी परित्याग का प्रावधान करते हैं ?

इन सारी विषम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद

प्रतिवाद पर्व को वास्तव में, कवयित्री ने सीता और श्रुतिवाद पर्वश्रुति को जो प्रसन्न और उदात्त परिणति दिखलायी है, वह सर्वथा सराहनीय मानवीय है। जो बुद्धि का वैभव हो, सौन्दर्य का सागर हो, स्वावलम्बन से संवलित हो, दुःखों की दाहकता को झेल लिया हो, वह किसी के अत्याचार से पस्त परास्त हो आत्महनन करें, आत्म गोपन करे, यह उसके बल बुद्धि की सार्थकता सम्मान नहीं है। प्रतिवाद पर्व की सीता इसी महाभाव से पुलकित है, इसी से वह अपने जीवन-पथ की सर्जना करती है।

उक्त बिन्दुओं के आलोक में यदि हम प्रतिवाद-पर्व की सीता पर दृष्टिपात करें तो बड़ी स्पष्टता के साथ यह तथ्य उभर कर आयेगा कि सीता-चरित के दो पक्ष हैं- बौद्धिक पक्ष एवं संवेदनात्मक पक्ष अपने बौद्धिक स्वरूप के कारण ही सीता व्यक्ति वस्तु-घटना-परिस्थिति पर तीव्र प्रतिक्रिया करती है, उनका गहन गम्भीर विश्लेषण करती है, चिन्तन और तर्क करती है, परिस्थितियों की स्वीकार करते हुए उनके उद्भव हेतुओं का सन्धान करती है। इतिहास, काव्य, दर्शन, सत्य, काल, अर्थ, राजनीति आदि विषयों की शास्त्रसम्मत व्याख्या करती है। इतना ही नहीं, अपनी बौद्धिक पटुता के कारण सीता महाराज दशरथ की मृत्यु के कारण को एक नया आयाम प्रदान करती है। प्रतिवाद पर्व की सीता की धारणा है कि महाराज दशरथ के निधन का हेतु पुत्र शोक नहीं था, वरन् अयोध्या की जनता का सम्भावित विद्रोह और कणा था। इस दृष्टि को रूपित करने वाली ये पंक्तियाँ भावनीय हैं संलक्ष्य हैं। अपने बौद्धिक स्वरूप के ही कारण सीता ने राजनीति के छल- छद्मों, व्यक्ति की स्वार्थलिप्सा, अर्थ अमब 6 अनर्थकारी प्रकृति और प्रभाव की व्यंजना की है। अपनी इसी बौद्धिकता के कारण उसने राम अमब उ अवतारी रूप पर भी अँगुली उठायी है, जीवन और साहित्य की वास्तविकता तथा मानव की पूर्णता की चर्चा की है। उसका विचार है राज्यों-नगरों का विस्तार प्रकृति के शोषण और दोहन का परिणाम है। प्रकृति के शोषण दोहन से मानवता, उदारता, शान्ति आदि उच्च मानवीय सद्गुणों का नाश होता है, और तो और पर्यावरणिक सन्तुलन भी लड़खड़ा उठता है। अस्तु, पर्यावरणश्रुतिवाद पर्वश्रुति की सीता बुद्धिमती है और संवेदनशील है। बुद्धिमती सीता के प्रश्न, तर्क और विरोध उसकी सजल संवेद्यता को खण्डित-शोषित नहीं कर पाये हैं। वास्तव में, अपनी संवेदनशीलता के ही कारण सीता मानवीय सम्बन्धों की जाग्रत स्थिति की कामना करती है वह मानवीय सम्बन्धों की भूखी-प्यासी है। पिता, माँ, भाई, पति, सास, ससुर - सबके स्नेह को मूल्य देती है, मान देती है, उनकी आकांक्षा करती है। लव-कुश के प्रति ममतालु वात्सल्य, वाल्मीकि के प्रति आदरभाव, वनवासियों के प्रति सहज प्रेम और कृतज्ञता उसकी संवेदनशीलता के नाना रूप प्रतिरूप हैं। एकसीता के समग्र चरित्र और जीवन-वृत्तान्तों को भावित करके कहा जा सकता है कि प्रतिवाद पर्व की सीता जन्म से ही उपेक्षा, पीड़ा, प्रताड़ना, तिरस्कार

आदि संतापों को झेलती रही है। उसे सुख और शान्ति, समृद्धि और सम्बन्धों की सघन छाया कभी नहीं मिली। जलना ही उसका जीवन रहा, चाहे वह साक्षात् अग्नि में जलना हो और चाहे क्रूर निष्कासन परित्याग की ज्वाला में जलना हो। जलना ही सीता की नियति रही। उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसका तत्ताय उसी के व्याकुल-व्यथित इन पंक्तियों में सीता ने क्या कुछ नहीं कहा। सब कुछ कह दिया, सब कुछ पूछ लिया, लेकिन उत्तर किसी का नहीं मिला प्रश्न भीतर ही भीतर उठे सुबके, भीतर ही भीतर वे अनुत्तरित रह गये। इन पंक्तियों में सीता का सजल हृदय भी अनावृत्त हुआ है और बुद्धि का सचेत द्वार भी वह जितनी बुद्धिमयी बौद्धिक है, उतनी ही भावनामयी भावुक अवतरण से इस भावसत्य, सीता-चरित के सत्य की स्वच्छ प्रतीति हो जाती है।

संदर्भ सूची

1. प्रतिवाद पर्व, पृ० 71
2. वही, पृ० 40
3. अमब 96स पृ० 46
4. वही, पृ० 52.
5. वही, पृ० 50
6. वही, पृ० 77
- सन्दर्भ-सूत्र
8. वही, पृ० 26
9. वही, पृ. 72
10. अमब 96ज पृ. 72
11. अमब ळइज पृ० 32-33
12. वही, पृ० 82
13. प्रतिवाद पर्व, अपनी बात, पृ० 16
14. प्रतिवाद पर्व, पृ० 20
15. वही, पृ० 115

डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा

सह-प्रोफेसर हिन्दी विभाग
गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय
पलवल



सारांश –

‘सभ्यता और संस्कृति बड़े ही सूक्ष्म और व्यापक शब्द हैं। प्रायः सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग एक दूसरे के लिए लोग कर दिया करते हैं; परंतु दोनों में अंतर है। सभ्यता और संस्कृति की कहानी उतनी ही पुरानी है, जितनी मानव जाति की कहानी। सभ्यता बाहरी चीज का नाम है और संस्कृति भीतरी तत्व है। पहले हम दोनों शब्दों के व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ पर विचार करना चाहेंगे।’

‘सभ्यता शब्द सभा शब्द से बना है। सभा का विशेषण सभ्य है और उसमें ता प्रत्यय के योग से सभ्यता शब्द बना है जो भाववाचक संज्ञा का प्रतीक है। अर्थात् सभा में अदब के साथ बैठने की कला सभ्यता है। सभ्यता का संबंध मनुष्य की भौतिक उपलब्धियों से है, यह मनुष्य के बाहरी उन्नति का द्योतक है।’

‘संस्कृति शब्द सम उपसर्ग के साथ संस्कृत की(इ) कृ(अ)धातु से बना है, जिसका मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है। अंग्रेजी का कल्चर (बनसजनतम)शब्द इसका पर्याय है। इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग मानव विज्ञान के लिए होता है। इस विज्ञान के अनुसार संस्कृति समस्त सीखे हुए व्यवहार अथवा उस व्यवहार का नाम है, जो सामाजिक परंपरा से प्राप्त होता है। इस अर्थ में संस्कृति को सामाजिक प्रथा का पर्याय भी कहा जा सकता है। दूसरे अर्थ में संस्कृति एक वांछनीय वस्तु मानी जाती है और सुसंस्कृत व्यक्ति एक श्लाघ्य व्यक्ति समझा जाता है। इस अर्थ में संस्कृति प्रायः उन गुणों का समुच्च समझी जाती है, जो व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाती है।’

‘वस्तुतः संस्कृति शब्द को एक वाक्य में परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। इसके अंतर्गत विचार और आचार यानी सिद्धांत और व्यवहार दोनों की गणना की जाती है। इसके सिद्धांत पक्ष के अंतर्गत दर्शन, धर्म, ज्ञान और विज्ञान के सूक्ष्म तत्व समाविष्ट हैं और इसके व्यवहार पक्ष के अंतर्गत रीति, नीति, प्रथा और सदाचार आदि तत्व समाहित किए जाते हैं।’

‘दार्शनिकों ने संस्कृति को दर्शन का विषय माना है, जबकि साहित्य में संस्कृति का संबंध जीवन के विभिन्न सापेक्ष स्थितियों से माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति पर विचार

करते हुए ठीक ही लिखा है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आपको परिचित कराना संस्कृति है।’

‘भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने दिनकर की सुप्रसिद्ध गद्य कृति संस्कृति के चार अध्याय की प्रस्तावना लिखी है। उस प्रस्तावना में उन्होंने संस्कृति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति अथवा या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है जो बुनियादी और अंतरराष्ट्रीय है।’

‘पटना विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ वासुदेव उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने हमारी संस्कृति की कहानी शीर्षक शोध पुस्तक में लिखा है कि किसी भी जाति या राष्ट्र के श्रेष्ठ पुरुषों के विचार, वाणी तथा क्रिया के व्याप्त रूप को ही संस्कृति कहते हैं। अतएव संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं, जिसमें लोग जीवन की समस्याओं को एक ही तरह से देखते हैं।’

‘हिंदी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रकवि डॉ. रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के स्वरूप पर विचार करते हुए लिखा है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हममें व्याप्त है। मोटर, महल, सड़क, हवाई-जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन ये तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के सामान हैं। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है, वह संस्कृति की चीज है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाजों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता; क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सुसभ्य ही होता है क्योंकि सभ्यता की पहचान

सुख-सुविधा और टाट बाट है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफी कपड़े भी नहीं होते और ना कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं लेकिन फिर भी उनमें प्रेम, विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं।

‘दिनकर की इस परिभाषा के आलोक में अर्धनगनावस्था में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुसंस्कृत कहे जा सकते हैं और अत्याधुनिक पोशाकों से सुसज्जित व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और छुपकर मोनिका लेविंस्की से प्रेमालाप करने वाले बिल क्लिंटन सुसंस्कृत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वे तबीयत से नंगे मालूम पड़ते हैं। संस्कृति तन का नहीं मन का धर्म है। संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है, जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। यह सभ्यता की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है; क्योंकि सभ्यता की सामग्री टूट-फूट कर विनष्ट हो जा सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। संस्कृति की रचना में वर्षों का समय लगता है, जबकि सभ्यता के उपकरण शीघ्रता में जुटाए जा सकते हैं। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है पर सभ्यता का अनुकरण शीघ्र किया जा सकता है। जंगली जाति भी कोट पैंट पहनकर और बंगले में रहकर यूरोपीयन बन सकती है, पर उसकी संस्कृति का स्तर यूरोपीयन जैसा नहीं हो सकता। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संसार में जो कुछ भी उत्तम सोचा विचारा या कहा गया है उसी का नाम संस्कृति है। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए हैं तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहां एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म होता है। जब हम किसी बच्चे को बहुत तेज पाते हैं तब अचानक हम कह उठते हैं कि यह पूर्वजन्म का संस्कार है। अतः संस्कार और संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण हैं जबकि सभ्यता की वस्तुओं से हमारा संबंध शरीर के धरातल पर ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। मनुष्य पैदा होता है किंतु मनुष्यता अर्जित की जाती है कृतित्व और आचरण से। इस

प्रक्रिया में जिस क्षण मूल्य चेतना का उदय होता है, उसी क्षण संस्कृति का आविर्भाव भी। मनुष्यता इसीलिए संस्कृति की सहजन्मा है, सहोदरा है और मनुष्य के रक्षक होने के कारण उसका धर्म भी मनुष्यता सचमुच मनुष्य का धर्म है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मूल्य चेतना का नाम संस्कृति है। ज्ञानार्जन संस्कृति है, आचार विचार और संस्कार संस्कृति है।

‘एक वाक्य में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि स्वयं कमाना और खाना मनुष्य की प्रकृति है, दूसरों का छिनकर खाना विकृति है और स्वयं कमाकर दूसरों को खिलाना संस्कृति है। परहित की चेतना संस्कृति और परअहित की भावना विकृति है। महर्षि वेद व्यास ने अपने 18 पुराणों और महाभारत में दो ही बातें सार रूप में कही हैं:’

‘अष्टा दश पुराणेषु, व्यासस्य वचनं द्वयं।’

‘परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीडनम्।।’

‘अर्थात् परोपकार से पुण्य और परपीड़ा से पाप होता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने महाकाव्य रामचरितमानस इसी बात की घोषणा की है:’

‘परहित सरिस धर्म नहि भाई।’

‘परपीड़ा सम नहि अघमाई।।’

‘संस्कृति से हमारा जीवन बोध उज्ज्वल समृद्ध और मूल्यांकन होता है। सभ्यता और संस्कृति एक साथ भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों की भिन्नता स्पष्ट है:—’

‘1. सभ्यता बाहरी तत्व है जबकि संस्कृति आंतरिक।’

‘2. सभ्यता का संबंध बाहरी वेशभूषा से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वेशभूषा से।’

‘3. तन का संवरना सभ्यता है जबकि मन का संवरना संस्कृति। इस संदर्भ में दिनकर ने ठीक ही लिखा है कि हम सभ्य तो बन गए हैं पर सुसंस्कृत होना शेष है:—’

‘झड़ गई पूंछ रोमांत झड़े,’

‘पशुता का झड़ना बाकी है।’

‘बाहर बाहर तन संवर चुका,’

‘मन अभी संवरना बाकी है।।’

‘4. सभ्यता का विकास तेजी से होता है, जबकि संस्कृति का विकास धीरे-धीरे। कालिदास को पंडितों ने सभ्य तो एक ही दिन में बना दिया था परंतु सुसभ्य कालिदास को सुसंस्कृत होने में वर्षों का समय लगा था। इतिहास इस बात का साक्षी है।’

‘5. भौतिक विकास का नाम सभ्यता और आध्यात्मिक विकास का

नाम संस्कृति है।'

'6. सभ्यता की प्राप्ति से जीवन सफल हो सकता है जबकि संस्कृति की प्राप्ति से जीवन चरितार्थ होता है।'

'7. एक से सुख और दूसरे से शांति की प्राप्ति होती है।'

'8. सभ्यता का संबंध स्व की भावना तक सीमित है जबकि संस्कृति का संबंध पर की भावना तक।'

'9. भौतिकवादी उन्नति सभ्यता है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति संस्कृति। आचार्य श्रीराम शर्मा ने ठीक ही कहा है कि:'

'रोटी कपड़ा और मकान',

'साथ-साथ नैतिक उत्थान'

'10. प्रेम, मैत्री, करुणा, त्याग, बलिदान एवं सर्व मंगल की कामना संस्कृति के पर्याय हैं, जबकि सभ्यता में प्रायः इसका अभाव रहता है।'

'11. तन को संवारने के लिए सौंदर्य गृह (BeautyParlor)की जरूरत है जबकि मन को संवारने के लिए शिक्षालय की।'

'उपर्युक्त विवेचन से सभ्यता और संस्कृति का अंतर स्पष्ट है फिर भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का विकास साथ साथ चलते रहता है। दोनों में शरीर और आत्मा, चोली और दामन का संबंध है। एक बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन संस्कृति सभ्यता से बड़ी चीज है। डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने संस्कृति पर विचार करते हुए ठीक ही लिखा है कि संस्कृति व्यक्तिगत अंतर्वृत्ति का सामाजिक संस्कार है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की चार विशेषताएं बताई हैं:—'

'(क) वह सनातन, सतत प्रवाही, सात्विक समन्वयात्मक और सर्वांगीण रही है,'

'(ख) वह लोग कल्याण विधायनी है,'

'(ग) वह आध्यात्मिकता प्रधान रही है,'

'(घ) वह बुद्धि परक रही है।'

'महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि:'

'श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक।'

'तेहि न चलहिं नर मोह बस, कल्पहिं पंथ अनेक।।'

'तुलसीदास, मानस 7/100'

'तुलसी ने इन्हीं चारों को क्रमशः श्रुति-सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरति और विवेक कहा है। तुलसी ने इन चारों संस्कृतियों का मानस में राम के माध्यम से प्रतिपादन किया है। राम एक आदर्श चरित्र हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे श्रुति सम्मत कार्य करने वाले भक्ति की मर्यादा को संतुलित रखने वाले एवं संयुत विरति विवेक के

प्रतीक हैं। वे मानवीय मूल्यों के रक्षक एवं सजग प्रहरी हैं। संस्कृति का संबंध धर्म से है और धर्म वही है, जो दूसरों को बाधित नहीं करता—'

'धर्म यो बाध्यते धर्मः न सरु धर्मः।' 'अविरोधी तु सरुधर्मरुसरुधर्म सत्य विक्रम।'

'महाभारत:वेद व्यास।'

'उर्दू के महान शायर डॉ० मोहम्मद अल्मा इकबाल ने कहा है कि:'

'मस्जिद तो बना ही शब भर में ईमां की हारत वालों ने।'

'मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका।।'

'भारतीय संस्कृति समन्वयात्मक सामासिक एवं सामाजिक रही है। विश्व कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने लिखा है कि यहाँ आर्य, अनार्य, चीन द्रविड़ शक, हूण, पाठान मुगल सभी आए और भारत में सब लीन हो गए:'

'हेथाय आर्य ! हेथा अनार्य, हेथाय द्राविड़ चीन,।'

'शक, हूण, दल, पाठान मोगल एक देहे होलो लीन।।'

'नीति कहती है कि मानव साधन से नहीं साधना से महान बनता है। भवन से नहीं भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। मेरे विचार से संस्कृति साधना, भावना और उच्च आचरण की समन्वित अभिव्यंजना है और यही मानव का चरम अभीष्ट है।'

'मनुष्य का व्यक्तित्व त्रय आयामी है। अर्थात् इसके तीन धरातल हैं—तन, धन और मन का। तन और धन का संवरना यदि सभ्यता है तो मन का संवरना संस्कृति है। मन ही मनुष्य की इन्द्रियों का राजा है, जो रात दिन बजाता बाजा है। मन का सुधरना परमावश्यक है क्योंकि कबीर ने घोषणा की है कि:'

'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।'

'कह कबीर हरि पाहैं, मनहि की परतीत।।'

'आधुनिक युग के वैज्ञानिक डार्विन ने मनुष्य का विकास बंदरों से माना है। डार्विन के इस विकासवादी सिद्धांत के आलोक में राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि मानव सभ्यता के विकास के इस दौड़ में पुच्छ, नख, दंत और रोएँ तो झड़ गए लेकिन पशुता का झड़ना अभी शेष है:'

'झड़ गई पुच्छ, नख दंत झड़े,'

'पशुता का झड़ना बाकी है।'

'बाहर बाहर तन संवर चुका,'

'मन अभी संवरना बाकी है।।'

'इसी मन के संवरने की संज्ञा संस्कृति है।'

‘संदर्भ ग्रंथः’

- ‘1 संस्कृति के चार अध्याय; दिनकर’
- ‘2 नीम के पते; दिनकर’
- ‘3 चक्रवालरूदिनकर’
- ‘4 रामचरितमानस:तुलसीदास’
- ‘5 महाभारतरूवेद व्यास’
- ‘6 हमारी संस्कृति की कहानीरूडा बासुदेव उपाध्याय’
- ‘7 मानस मर्मज्ञ प्रो अवधेश प्रसाद पाण्डेय के उदबोधनरूपूर्व अध्यक्ष,
तुलसी शोध संस्थान, चित्रकूट’
- ‘8 इकबाल की प्रतिनिधि शायरी; अल्मा इकबाल’

‘डॉ० जंग बहादुर पाण्डेय तारेश’

‘पूर्व अध्यक्ष, हिंदी विभाग’

‘रांची विश्वविद्यालय, रांची’

‘चलभाष:9421595318’



सारांश —

‘बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसम्बर 1899 ई. में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शबेनीपुरीश गाँव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अतरुण्यका लालन पालन और प्रारम्भिक शिक्षा ननिहाल में हुई। आम तौर पर ननिहाल में पालित पोषित होने वाले बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मुझे यह लिखने में प्रसन्नता हो रही है कि बेनीपुरी जी इसके अपवाद साबित हुए।’

‘इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन से प्रथमा एवं विशारद की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। 1920 ई. में मैट्रिक पास करने के पूर्व ही महात्मा गाँधी के आह्वान पर ये स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। 1930 ई. से 1942 ई. तक इन्हें 12 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। ‘श्रमचरितमानस’ के नियमित पठन-पाठन से साहित्य और कविता के क्षेत्र में इनकी रुचि जाग्रत हुई। स्कूल-काल से ही इनकी रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इनकी पहली रचना प्रसिद्ध पत्रिका श्रुतापथ में छपी थी। कविता से ये शीघ्र ही गद्य के क्षेत्र में आ गए और पत्रकारिता के माध्यम से भी राष्ट्र सेवा करने लगे। इन्होंने अनेक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें प्रमुख हैं — तरुण-भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, लोकसंग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय, नई धारा तथा चुन्नु-मुन्नु आदि। 07 सितम्बर 1968 ई. में इनका निधन हो गया।’

‘रामवृक्ष बेनीपुरी की गिनती हिंदी के समर्थ निबंधकार, संस्मरण तथा रेखाचित्र लेखक के रूप में की जाती है। इन्होंने लगभग एक सौ ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें प्रमुख हैं —

‘उपन्यास—’ पतितों के देश में (1930-32), कैदी की पत्नी (1940)

‘कहानी संग्रह’

चिता के फूल (1930-32), संसार की मनोरम कहानियाँ।

‘रेखा चित्र’

लाल तारा (1937-39), माटी की मूरतें (1941-45),

‘निबंध’

गेंहूँ और गुलाब (1948-50), मशाल

वंदे वाणी विनायकौ (ललित निबंध)

‘संस्मरण’

मील का पत्थर, जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है

(श्माटी की मूरतें का साहित्य अकादमी की ओर से अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जा चुका है।)

‘नाटक’— अम्बपाली (1941-45), नेत्रदान (1948-50), सीता की माँ (1948-50), संघमित्रा (1948-50), अमर ज्योति (1951) तथागत (1952)

‘यात्रा वृत्तान्त’

पैरो में पंख बांधकर।

‘जीवनी’

जयप्रकाश, रोजा, लुकजेम्बर्ग,

जय प्रकाश की विचारधारा (चित्तन परक निबंध)।

‘बाल साहित्य’— अमर कथाएँ, बिलाई मौसी, बेटे हो तो ऐसे, बेटियाँ हों तो ऐसी, हमारे पुरखे, हमारे पड़ोसी, प्रकृति पर विजय, पृथ्वी पर विजय, हीरामन तोता, बच्चों के बापू, सियार पांडे आदि।

‘अन्य संपादित ग्रंथ’ — विद्यापति की पदावली (सम्पादित), मेरी डायरी (डायरी) बिहारी सतसई की सुबोध टीका, लालचीन, जान हथेली पर, आविष्कार और आविष्कारक, नई नारी, रवीन्द्र भारती आदि। (बेनीपुरी का साहित्य शबेनीपुरी ग्रंथावली में प्रकाशित है।)

‘वैशिष्ट्य’

‘एकता और समता के पक्षधर बेनीपुरी जी की समाज कल्पना अद्भुत थी। सामान्य किसान परिवार में जन्मे बेनीपुरी जी यद्यपि एक ग्रामीण व्यक्ति थे, किन्तु इन्होंने अपनी साधना से ज्ञान पा लिया था। साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति से समन्वित इनकी दृष्टि सदा समाज की उन्नति और विकास की ओर अग्रसर थी। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा, भोगा और अनुभव किया, साहित्य में उसी की अभिव्यक्ति की। जीवन की विकासोन्मुख धारा में जहाँ कहीं सामाजिक रूढ़ियाँ कुरीतियाँ दिखाई दीं इन्होंने उसका निराकरण करते हुए नया समाज बनाने की आकांक्षा प्रकट की। इन्होंने गुलाम भारत की पीड़ा देखी और भोगी थी और आजाद भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उनकी अभिलाषा थी रूसमूद्ध भारत देखने की और शाश्वत भारत लिखने की।’

‘बेनीपुरी जी प्रेम विवाह और अंतर्जातीय विवाह के हिमायती थे। उनका मानना था कि ऐसे संबंध होने से विश्व में कल्याणकारी भावनाओं का उदय होगा, विश्व मैत्री की भावना बढ़ेगी, एक दूसरे के

प्रति अपनत्व होगा। ये भावनाएं मन की कुत्सित बुराइयों को दूर करने में सहायक और समर्थ होंगी।'

'बेनीपुरी जी नारी विकास के परम हिमायती थे। उन्होंने लिखा है 'रू' 'षामाजिक क्रांति की अग्नि में स्त्रियों की गुलामी भी जलने वाली है, समय के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता'।

'इन्होंने समाज के विकास में नारी की अनिवार्यता बतायी है। इनके इसी सपने को साकार करने के लिए मुजफ्फरपुर में बेनीपुरी महिला कालेज की स्थापना हुई है'।

'वे संपूर्ण भारतीय समाज में एकता और समता के पक्षधर थे। समाजवादी चिंतन से प्रभावित हो उन्होंने मनुष्यता को टुकड़े में बाटने वाली जाति, वर्ण और धर्म के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। यह 1930 के आस पास की घटना है जब शिखा सूत्र टाइल सब कुछ सदा के लिए उन्होंने त्याग दिया। स्वयं बेनीपुरी जी के शब्दों में 'रू

'ष्यो ही राजनीति में आने की सोची, सबसे पहले मैंने धर्म और जाति पाति से अपने को दूर करने का निर्णय कर लिया। धर्म का आधार भगवान है, मैं भगवान से भी द्रोह कर बैठा।'

'फकहाँ बचपन का वह चंदन टीका, कहां किशोरावस्था का ब्राह्मणत्व और गायत्री का प्रतिदिन जाप और कहाँ एक मैं हूँ कि अपनी चुटिया काट डाली, जनेऊ उतार फेंका, अपने नाम की उपाधि शर्मा हटा दी और जोरो से कहने लगा भगवान से बचो, सबसे बड़ा भूत वही है। जब तक तुम्हारे सिर पर वह भूत है, कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते।'

'विकासोन्मुख और समता मूलक समाज की स्थापना चाहने वाले बेनीपुरी जी के संपूर्ण साहित्य में जीवन को आगे बढ़ाने वाली नयी दिशा दृष्टि गोचर होती है। यदि जीवन को सीधे सादे ढंग से कह देना ही कला की सबसे बड़ी विशेषता है तो बेनीपुरी जी इसके सबसे बड़े परमाचार्य हैं। बेनीपुरी जी एक सच्चे समाज सुधारक, कुशल राजनीतिज्ञ सफल साहित्यकार और प्रखर पत्रकार थे। यही कारण है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था किरूनाम से दिनकर मैं था काम से असली सूर्य बेनीपुरी जी थे।'

बेनीपुरी जी के संदर्भ में कतिपय साहित्य मनीषियों के उदगार द्रष्टव्य हैं 'रू

'यदि हमसे प्रश्न किया जाय कि आजकल हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शब्द चित्र कार कौन है, तो हम बिना किसी संकोच के श्रीबेनीपुरी जी का नाम उपस्थित कर देंगे।'

'बनारसी दास चतुर्वेदी'

'यह लेखनी है या जादू की छड़ी है आपके हाथ में।'

'राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त'

'बेनीपुरी की सजीव लेखनी वास्विकता और साथ ही रस और सौन्दर्य की पराकाष्ठा साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृत्यों में '।

'राहुल सांकृत्यायन'

'आधुनिक साहित्य निर्माताओं में आपका अनूठा स्थान है।'

'कलामनीषी राय कृष्ण दास'

'गद्य साहित्य को अभूतपूर्व देन—साहित्य सृजन का नया आदर्श, उदार दृष्टिकोण ज्योतिर्मय व्यक्तित्व।'

'जगदीश चंद्र माथुर'

'अस्तु बेनीपुरी जी जैसे शब्दों के जादूगर का हिंदी भाषा में होना गौरव का संदर्भ है।'

'डॉ० प्रकाश कुमार'

'प्राध्यापक, हिंदी विभाग',

'मारवाड़ी कालेज, राँची'



सारांश –

वर्तमान मारिशस देश को सदा इसी नाम से अभिहित नहीं किया गया। प्राचीन भारतीय लोककथा के अनुसार इस द्वीप का नाम मारीच था। इसीलिए शतबंदी कानून के अन्तर्गत मारिशस जाने वाले भारतीय मजदूर यही सोचते थे कि उन्हें मारीच देश ले जाया जा रहा है।

मारिशस मानव जाति को प्रकृति का अनुपम उपहार है। यह विशाल समुद्र के गले में असाधारण चमकते हुए हीरों—मोतियों का हार है। यह इन्द्र—धनुषों, मनोहारी समुद्र तटों और मन्त्र—मुग्ध कर देने वाले जल प्रपातों का देश है। समुद्र इस देश का प्राण है। टापू का समुद्र तट लगभग एक सौ मील लम्बा है। यह टापू लगभग 32 मील लम्बा और 29 मील चौड़ा है। एन्साक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में प्रत्येक जिले का क्षेत्रफल निकालकर सारे टापू का क्षेत्रफल 720 वर्गमील बताया गया है। इतना छोटा—सा द्वीप सामरिक प्राकृतिक और ईख की उपज की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भौगोलिक दृष्टि से भले ही यह टापू एक छोटे—से बिन्दु के समान है, किन्तु अत्यन्त द्युतिमान है।

मारिशस भूमध्य रेखा से लगभग बीस डिग्री दक्षिण और देशान्तर रेखा साठ के बिल्कुल समीप है। यह हिन्द महासागर के मेडागास्कर से लगभग पांच सौ मील और समुद्र तट से लगभग 1500 मील पूर्व की ओर स्थित है। मारिशस के अधिकांश भू—भाग का निर्माण ज्वालामुखियों के भयंकर विस्फोटों से हुआ है। ऐसे ज्वालामुखी लाखों वर्ष पूर्व सक्रिय रहे होंगे, क्योंकि जब से मानव जाति का इस टापू से सम्पर्क हुआ है, तब से किसी ज्वालामुखी के सक्रिय होने का कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु हजारों वर्ष पूर्व यहां ज्वालामुखी सक्रिय रहे हैं, इसके असंख्य ठोस प्रमाण उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अधिकांश मारिशस की भूमि पत्थरों और विशाल चट्टानों से भरी पड़ी है और इन्हीं पत्थरों की बहुलता के कारण यहां की अधिकांश भूमि कृषि—योग्य नहीं थी। यदि मानव जाति को मारिशस में बसना था तो उसे इन पत्थरों को उखाड़ने, तोड़ने और छटाने जैसे जोखिम भरे और अत्यन्त श्रम—साध्य काम करने थे। अतः इसके लिए बच्चमुट्टियों वाले, सुदृढ़ रीढ़ वाले और अटूट इच्छा शक्ति वाले समर्पित लोगों अर्थात् मजदूर कुलियों की आवश्यकता थी। जो जातियां इस द्वीप के सम्पर्क में पहले—पहल

आई उनमें इतने जोखिम भरे कार्य की इच्छा शक्ति नहीं थी। इसलिए इस द्वीप के तट पर कुछ दिन विश्राम करके आगे बढ़ जाना ही उन्हें उचित प्रतीत होता था। कुछ प्रमाण उपलब्ध हुए हैं कि सातवीं शती में अरब लोग अपनी नौकाओं में यहां आया करते थे और कुछ दिन विश्राम के बाद यहां से अपना लंगर उठा लेते थे।

उपलब्ध इतिहास के अनुसार 1507 ई० में पुर्तगाली यहां आए और उन्होंने यहां स्थायी रूप से बसने की योजना बनाई, किन्तु लगभग 75 वर्ष के संघर्ष के बाद भी वे इस टापू को अपने मनोकूल नहीं बना सके और इससे विदा ले गए। 1598 ई० में डच जाति के लोगों को एक भयंकर तूफान से अपने प्राणों और नौकाओं को बचाने के लिए इस द्वीप की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपने महान नेता नासु के मारिस के नाम पर इस द्वीप का नामकरण मारिशस किया। भयंकर घने जंगलों को काटने के लिए कुछ अपराधियों को यहां लाकर बसाया गया किन्तु उन्हें यह कार्य दुष्कर लगा। डचों ने इस द्वीप को विकसित करने का निश्चय किया था, इसलिए 1658 ई० में डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने यहां अपना जहाजों का अड्डा बनाया। यह अड्डा जिस स्थान पर बनाया गया था, आज वहां ग्रां पोर्ट है। डचों ने इस द्वीप को आकर्षक बनाने के लिए बहुत से उपाय किये "हिरन, मवेशी, ईख और बहुत—से पेड़—पौधे यहां डचों के लाये हुए ही हैं।" — इस टापू में बत्तख से कुछ बड़े आकार का, न उड़ सकने वाला, पक्षी डोडो पाया जाता था, जिसे डचों ने खा—खाकर समाप्त कर दिया। डचों ने ग्रां पोर्ट को अपनी राजधानी बनाया। 1712 ई० में इस द्वीप में प्लेग महामारी के रूप में फैली कि डचों को उसके बाद इस द्वीप में रहने का साहस नहीं हुआ। डचों को इस द्वीप में स्थायी रूप से बसने में सफलता न मिलने के कुछ प्रमुख कारण थे : — भयंकर समुद्री तूफानों का आना, विनाशकारी चूहों की अधिकता, जंगलों का आधिक्य और काम से जी चुराने वाले दासों का भागकर जंगलों में छिप जाना।

1764 ई० में फ्रांस के सम्राट ने इस द्वीप का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद द्वीप में खेती और व्यापार का विकास तेजी से में अनेक महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ। हुआ और द्वीप फ्रेंच की महान क्रांति का प्रभाव मारिशस पर भी पड़ना स्वाभाविक था। मारिशस में भी अराजकता का सा वातावरण बन गया। जो लोग विद्रोह और क्रांति की आवाज उठाते थे, गवर्नर दकानवे उन्हें

गिरफ्तार करने की आज्ञा दे देता था। लोगों ने जोश में जेलों को तोड़ दिया, कैदियों को आजाद कर दिया और सैनिकों पर भी आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये। असफल दकानवे के बाद कोसिग्नी को गवर्नर बनाया गया, जिसकी लोगों ने हत्या कर दी। इसी बीच चेचक की महामारी फैल गई और दो सप्ताह के भीतर ही सैकड़ों आदमी चेचक के शिकार हो गये।

नेपोलियन मारिशस को एक महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करना चाहता था।¹ नेपोलियन ने जनरल डेकन को मारिशस का गवर्नर नियुक्त किया। फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों के साथ हो रहे युद्ध में मारिशस का उपयोग एक महत्वपूर्ण अड्डे के रूप में किया था उसने सारी सत्ता स्वयं में केन्द्रित करके अनेक प्रशासनिक और सामाजिक सुधार करने आरम्भ किये। सारे द्वीप को नौ जिलों में बांटा। नगरपालिकाओं के नये प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की, ताकि नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। फलस्वरूप द्वीप की समृद्धि में तेजी से वृद्धि हुई। इसी बीच अंग्रेजों की मारिशस की सामरिक दृष्टि से महत्व की ओर दृष्टि गई। अंग्रेजों ने पहले सिशेल पर और बाद में केप पर अधिकार कर लिया। मारिशस का प्रशासन आन्तरिक सैनिक गड़बड़ी के कारण विशेष प्रतिरोध न कर सका। फलतः अंग्रेजों ने 1810 ई० में मारिशस पर जोरदार आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। आक्रमणकारी अंग्रेज सेना में लगभग नौ हजार भारतीय सैनिक थे।² उस समय मारिशस में फ्रेंच जमींदारों का महत्वपूर्ण प्रभाव था। इनके अतिरिक्त मेडागास्कर और अफ्रीका से खरीदकर लाये गए दास और कुछ भारतीय मारिशस में रह रहे थे। 1810 ई० में अंग्रेजों के अधिकार करने के समय मारिशस में सात हजार गोरे, साढ़े सात हजार स्वतंत्र कर दिये गए गुलाम, साठ हजार गुलाम तथा छः हजार भारतीय रहते थे।³ अंग्रेजों ने द्वीप का नाम आइल द फांस से बदलकर पुनः मारिशस रख दिया। इंग्लैण्ड की सरकार दास प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में थी, पर मारिशस के गवर्नर फॉकर ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जब अंग्रेज सरकार ने लारी कोल को मारिशस का गवर्नर नियुक्त किया तब उसने दास प्रथा समाप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिये, लेकिन फ्रेंच जमींदारों के असंगठित किन्तु शक्तिशाली वर्ग ने गवर्नर पर अपना प्रभाव डालने में सफलता प्राप्त कर ली और गवर्नर ने फ्रेंच जमींदारों को खुश रखने की नीति अपना ली। गुलाम प्रथा समाप्त न होते देखकर काले लोग समानता के अधिकारों की मांग करने लगे थे। गवर्नर कोल ने चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया और सड़कें बनाकर यातायात की सुविधाओं में वृद्धि की। 1835 ई० में मारिशस के चौथे अंग्रेज सर विलियम निकोले ने घृणित दास प्रथा को समाप्त किया।

मारिशस के पर्वतीय क्षेत्र का एक विरल आश्चर्य यह है वहां कुछ स्थानों पर सतरंगी जमीन साफ-साफ दिखाई देती है। लोगों के विश्वासों पर ध्यान न दें तो वैज्ञानिकों की मान्यता पर विश्वास करना होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि मारिशस में लाखों वर्ष पूर्व ज्वालामुखियों के विस्फोट हुए और उन्हीं से आस पास की धरती पर लावा के रूप में बड़ी और छोटी चट्टानें तथा पत्थर फैलते गए। शमारेल पहाड़ पर स्थित सतरंगी जमीन इन्हीं ज्वालामुखियों का वरदान है। लोगों में धार्मिक विश्वास है कि सूर्य देवता के सात घोड़ों की टापों के कारण यह जमीन सतरंगी है। यह धारणा सही नहीं प्रतीत होती। शमारेल पहाड़ की मिट्टी प्रकृति का विरल चमत्कार है। संसार में कहीं भी इतने रंगों (40 रंग) की मिट्टी एक ही जगह पर नहीं पाई जाती।⁶

इन्द्र-धनुषों का देश है मारिशस। लाखों वर्ष पुरानी चट्टानें और समुद्री तेज लहरों के संघर्ष के परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी चट्टानों में अनेक बड़-बड़ छद बन गये हैं, जब भयंकर लहरें चट्टानों से टकराती हैं तो चट्टानों के छेदों में से पानी निकलकर जब ऊपर आकाश में उठता है तो लगता है विशालकाय फव्वारे क्रीड़ा कर रहे हैं। ऊपर उठते हुए पानी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हजारों इन्द्र धनुष चमकने लगते हैं। इसी दृश्य को देखकर किसी ने मारिशस को षों का देश कहा होगा। मारिशस को निवास योग्य, सुन्दर और समृद्ध बनाने के लिए अंग्रेजों ने इस द्वीप में भारतीयों को लाने तथा बसाने के प्रयास किये। 1810 ई० जपसकम 4 जब अंग्रेज सेना ने इस द्वीप पर अधिकार किया तब अंग्रेज सेना में कई हजार भारतीय सैनिक भी थे। कुछ भारतीय कैदियों को भी इस द्वीप में भेजा गया, जिन्होंने वहां सड़कों के निर्माण में योगदान किया। 1835 ई० में भले ही कागजों पर गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई थी, पर व्यावहारिक रूप में यह प्रथा बाद में भी अनेक वर्षों तक चलती रही। मारिशस में खेतों में काम करने वाले मजदूरों का अभाव था। इसलिए शर्तबन्दी प्रथा प्रारम्भ की गई जो दास प्रथा का दूसरा रूप थी। शर्तबन्दी के अन्तर्गत जो भारतीय मारिशस लाये गए, उनसे अत्यन्त निन्दनीय व्यवहार किया जाता। 1836 ई० में भारत से मजदूर लाने के लिए कुछ नियम बनाये गए, पर उनका बहुत कम पालन किया जाता था। इसलिए 1837 ई० में एक कमीशन द्वारा मजदूरों को ले जाने के नये कानून बनाये गए, पर मजदूरों को दी जाने वाली यातनाओं में कमी नहीं आई। 1842 ई० में नये कानून के अन्तर्गत पांच सौ भारतीयों को हर महीने मारिशस ले जाने की अनुमति दी गई। 1834 ई० से 39 तक वहां 25 हजार भारतीय ले जाए गए, उनमें स्त्रियों की संख्या कुल पांच सौ थी। 1843 ई० से 1907 तक साढ़े चार लाख भारतीय वहां ले जाए गए। भारतीयों की

मेहनत से मारिशस की एक लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होने लगी और चीनी मिलों की संख्या बढ़कर ढाई सौ से अधिक हो गई कृषि प्रधान यह देश केवल अपनी उपज के बल पर टिका हुआ है। देश की 95 प्रतिशत आय चीनी उद्योग से ही प्राप्त होती है। 90 प्रतिशत विदेशी मुद्रा का लाभ इसी उद्योग से होता है। भारतीय मजदूरों को गिरमित कुली कहा जाता है। कुछ लोगों द्वारा इन मजदूरों की दुर्दशा पर आपत्ति प्रकट किये जाने पर सरकार ने इन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक रक्षक पद संज्ञा का अधिकारी नियुक्त किया। वह रक्षक भी मजदूरों के लिए भक्षक सिद्ध होता। मारिशस में जर्मन अधिकारी प्लेवित्ज ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भारतीय मजदूरों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इंग्लैण्ड सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया। कमीशन ने जर्मन अधिकारी द्वारा लगाये गए आरोपों को ठीक पाया। उस समय भारतीय मजदूर कैदियों का—सा जीवन व्यतीत करने पर विवश थे। मजिस्ट्रेट भी मजदूरों की रक्षा करने में सहायक नहीं हुए। इसलिए भारतीय मजदूरों से पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता रहा। भारतीय मजदूर अशिक्षित थे और खेतों में काम करते थे, इसलिए अपना संगठन नहीं बना सके थे। 1901 ई० में दक्षिण अफ्रीका जाते समय गांधी जी मारिशस में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। उन्होंने भारतीय मजदूरों को परामर्श दिया कि वे देश की राजनीति में रुचि जरूर लें और अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। बाद में गांधी जी की प्रेरणा से डॉ० मणिलाल भारतीयों की स्थिति में सुधार लाने के लिए मारिशस पहुंचे। वे लगभग पांच वर्ष वहां रहे। मणिलाल ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनेक मांगें सरकार के सामने रखीं तथा टापू में फौंच मजिस्ट्रेटों के स्थान पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जाएं, छोटे किसानों की सहायता के लिए सहकारी संस्थाएं बनायी जाएं, भारतीय ढंग से होने वाले विवाहों को मान्यता दी जाए आदि। 1924 ई० में लोगों की जबरदस्त मांग को देखकर भारत सरकार ने कुंवर महाराज सिंह को भारतीय मजदूरों की स्थिति की जांच करने के लिए मारिशस भेजा। उन्हीं की सिफारिश और प्रयत्नों से शर्तबन्दी प्रथा समाप्त की गई। मारिशस में आजाद होने की भावना तब लोगों में उत्पन्न हुई जब उन्होंने फ्रेंच महान क्रांति के बारे में सुना और पढ़ा। कुछ वर्षों तक तो फ्रेंच सरकार के आदेशों की अवहेलना मारिशस में होती रही। 1810 में मारिशस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 1825 में गवर्नर कोल ने सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें केवल चार सदस्य थे। 1832 ई० में सरकार ने एक व्यापक परिषद का गठन किया, जिसका कार्य प्रशासनिक मामलों में गवर्नर को सलाह देना था।

1886 ई० में गवर्नर पोप हेनेसी ने इस परिषद का पुनर्गठन

किया जिसमें 8 अधिकारी थे, 10 सदस्य नामजद थे और 10 सदस्य बहुत सीमित मताधिकार के आधार पर चुने गये

1907 में एक राजनीतिक संस्था एक्शन सिवरेज का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य जिलों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने साथ ही भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी आवाज उठाई। फलतः भार तीयों ने भी इस संस्था का समर्थन किया। 1911 ई० से प्रवासी भारतीय भी चुनाव लड़ने लगे। 1926 ई० में डी०, लाला नामक भारतीय ग्रां पोर्ट से विजयी हुए और भारतीयों के पहले निर्वाचित प्रतिनिधि बने। 1935 ई० में भारतीय मजदूरों की मारिशस में आए एक सौ साल हो गए थे। 1936 में डॉ० शिव सागर रामगुलाम इंग्लैण्ड से डॉक्टर बनकर मारिशस लौटे थे। उन्होंने लोगों के उपचार के साथ—साथ उनमें जागृति लाने का कार्य शुरू किया। उन्हीं दिनों प्रो० विष्णु दयाल भारत से उच्च शिक्षा प्राप्त करके मारिशस लौटे थे। उन्होंने भारतीय मजदूरों में सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया।

एक्शन सिवरेज का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य जिलों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने साथ ही भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी आवाज उठाई। फलतः भार तीयों ने भी इस संस्था का समर्थन किया। 1911 ई० से प्रवासी भारतीय भी चुनाव लड़ने लगे। 1926 ई० में डी०, लाला नामक भारतीय ग्रां पोर्ट से विजयी हुए और भारतीयों के पहले निर्वाचित प्रतिनिधि बने। 1935 ई० में भारतीय मजदूरों की मारिशस में आए एक सौ साल हो गए थे। 1936 में डॉ० शिव सागर रामगुलाम इंग्लैण्ड से डॉक्टर बनकर मारिशस लौटे थे। उन्होंने लोगों के उपचार के साथ—साथ उनमें जागृति लाने का कार्य शुरू किया। उन्हीं दिनों प्रो० विष्णु दयाल भारत से उच्च शिक्षा प्राप्त करके मारिशस लौटे थे। उन्होंने भारतीय मजदूरों में सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास किया।

1936 ई० में डॉ० मारिस कुरे ने लेबर पार्टी का गठन किया और सभी प्रवासी भारतीयों ने इस पार्टी को समर्थन दिया। 1937 ई० में गोरों के अत्याचारों के विरुद्ध जोरदार हड़ताल हुई। मजदूरों पर गोलियां चलाई गईं, पर आन्दोलन दबा नहीं। 1943 ई० में विष्णु दयाल ने व्यापक स्तर पर एक महायज्ञ का आयोजन गोरों के तीव्र विरोध के बावजूद किया। यह धार्मिक आयोजन अत्यन्त सफल रहा। 1945 ई० में गवर्नर मेर्केजी कनेडी ने मारिशस को नया संविधान प्रदान करवाया, जिसके फलस्वरूप दस हजार की बजाय सत्तर हजार लोगों को मतदान का अधिकार मिला। 1949 ई० में चुनाव प्रणाली में सुधार हुआ और देश की समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के मतदान में भाग लेने का अधिकार मिला। इस चुनाव

व्यवस्था से मन्त्रिमंडलीय प्रणाली शुरू हुई और डॉ० रामगुलाम इस मन्त्रिमंडल के प्रमुख बने। 1967 ई० में नया संविधान लागू होने से पूर्व मारिशस की तीन पार्टियों—कूलेबर पार्टी, फारवर्ड ब्लॉक और मुस्लिम कमेटी फॉर एक्शन ने मिलकर इंडिपेंडेस पार्टी बना ली। चुनाव में इस पार्टी को भारी विजय प्राप्त हुई। डॉ० रामगुलाम ने मन्त्रिमंडल का गठन किया। अन्त में 12 मार्च, 1968 को मारिशस आजाद देश बन गया। डॉ० रामगुलाम ने घोषणा की श्चालीस वर्ष पूर्व लेबर पार्टी ने देश की भलाई के लिए संघर्ष शुरू किया था। फलस्वरूप हमने प्रजातन्त्र की एक और जीत गत साल देखी अर्थात् अठारह साल के लोगों को भी वोट देने का अधिकार मिला।

मारिशस का मूल निवासी कोई नहीं है। इसलिए आज जो लोग इस टापू के निवासी हैं, वे सब विदेशों से आये हुए लोगों की संताने हैं। क्योंकि इस टापू में अनेक देशों से लोग लाये गए अथवा आए थे, इसलिए वे अपने साथ अपनी संस्कृति सभ्यता, भाषा आदि भी लेकर आए। जो लोग स्वेच्छा से आए थे, वे महत्वाकांक्षी थे और अपने तथा अपने देश की समृद्धि के लिए प्रयत्नशील थे। दूसरी ओर जो लोग लालच देकर धोखे से लाए गए थे, वे गरीबी और बेकारी से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील थे। प्रथम वर्ग में यूरोपीय जातियों के लोग थे— पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आदि आए। सबसे पहले मेडागास्कर से दास लाकर मारिशस में छोटे एव तुच्छ कामों में लगाए गए। अफ्रीका के कुछ देशों से भी दास लाये गए। अफ्रीकी दासों और फंच जमींदारों तथा अधिकारियों के सम्पर्क एवं मिश्रण से क्रिओल नामक नयी जाति का जन्म हुआ। जिसका रंग या चेहरा—मोहरा न यूरोपीय था और न पूर्णतया अफ्रीकी। अफ्रीकी लोगों के बाद भारतीय मजदूरों को लाना शुरू किया गया। इन मजदूरों के साथ आने वाली औरतों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी कोठी के गोरे मालिक किसी—न—किसी औरत से बलात्कार करते रहते थे, अतः वर्णसंकर बच्चे होते रहे। ब्रिटिश और चीनी लोग भी इस द्वीप में पहुंचे। इसलिए अब मारिशस में प्रमुख रूप से पांच जातियां हैं—कृष्णभारतीय, क्रिओल, अंग्रेज, फ्रेंच और चीनी इन सबकी अलग—अलग संस्कृतियों ने मिलकर एक विचित्र रूप धारण किया है। यूरोपीय लोग ऊंचे व्यवसाय में हैं यथा चीनी मिलों के मालिक क्रिओल अधिकतर नौकरी पेशा हैं, चीनी लोग व्यापार करते हैं और गांव—गांव में चीनी दुकानदार हैं। हिन्दुओं में अधिकतर खेती करते हैं, पर व्यापार और नौकरी करने वालों की भी पर्याप्त संख्या है। क्रिओल लोगों की भाषा क्रिओली, सम्पर्क भाषा का काम करती है, पर यह प्रायः बोलचाल की भाषा है। गम्भीर विषयों के लिए लोग अंग्रेजी या फ्रेंच में बातचीत करते हैं। हिन्दू लोग भोजपुरी (हिन्दी) बोलते हैं, पर क्रिओली तथा फ्रेंच/अंग्रेजी का भी खूब प्रयोग करते

हैं।

क्योंकि यूरोपीय लोग शासक थे और तानाशाही शक्तियों से सम्पन्न थे। इसलिए सम्पदा एकत्र करके ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। फ्रेंच और अंग्रेज कोठियों के मालिक होने के साथ—साथ उच्चतम पदों पर आसीन थे। अतः परस्पर मिलने और मनोरंजन करने के लिए प्रायः विलासमयी पार्टियों का आयोजन करते रहते थे। श्शुन्दर फ्रेंच महिलाएं बड़ी बड़ी शानदार पार्टियों का आयोजन किया करती थीं। 19 जब शर्तबन्दी प्रथा समाप्त हो गई तो एशिया—अफ्रीका के लोग भी कोठियों के मालिक बनकर समृद्ध हो गये, तब उन्होंने भी विलासमयी शानदार पार्टियां करनी आरम्भ महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में स्वतन्त्र आचरण की छूट मिलने लगी। मारिशस में भारतीय मजदूर नारी को पुरुषों के बराबर खेतों में काम करना पड़ता था, जो पर—पुरुषों से सम्पर्क की अनन्त संभावनाएं पैदा कर देता था यथा चाचा राम गुलाम के संस्मरण में लिखा है कि कड़कती धूप में भी नारी को वहां खेत में काम करना पड़ता थाकृश रास्ते के दोनों ओर खेत—खलिहानों में मजदूर काम कर रहे थे। साथ में स्त्रियां भी थीं। कड़ी धूप थी। सभी मजदूर नंगे बदन, पसीने से लथपथ होकर, मिट्टी की जुताई में लगे हुए थे।

भोजपुरी प्रवासी भारतीयों की भाषा थी, पर भारतीयों के सम्पर्क में आने वाले क्रिओल और चीनी लोग भी इस भाषा को समझने और बोलने लगे। किबोली भाषा में सैकड़ों भोजपुरी शब्द मिल गये हैं। प्रवासी भारतीयों के पास रामायण की कंठस्थ चौपाइयां थीं, जिन्हें वे बैठका (पंचायत घर) में रात को गाया करते थे। भारतीय हिन्दी भाषा की पढ़ाई की मांग बराबर करते रहे, लेकिन जब तक सरकारी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की गई, गांव में ही हिन्दी पाठशाला चलाई जाती थी।

‘मारिशस में सरकारी स्तर पर हिन्दी की पढ़ाई 1946 में शुरू हो गई थी। 90 प्रवासी भारतीयों ने अपने धर्म—कर्म की भाषा हिन्दी ही रखी, इसलिए बच्चों में हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक माना गया। फलतः हिन्दी के प्रचार और प्रसार में वृद्धि हुई।

आज मारिशस में हिन्दी सरकारी शिक्षा संस्थाओं में तो पढ़ाई ही जाती है, निजी स्कूलों में भी इसके पढ़ाने का विशेष प्रबन्ध रहता है। फलस्वरूप इस टापू में हिन्दी के प्रति रुचि में वृद्धि हुई। भारतीय हिन्दी फिल्मों ने इस रुचि में अभिवृद्धि की। मारिशस में हिन्दी में पत्र—पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ और अनेक लेखक हिन्दी साहित्य लेखन में प्रवृत्त हुए। उनमें से कुछ तो भारत में भी अत्यन्त लोकप्रिय हो गए हैं और उन्होंने हिन्दी में अपनी अलग पहचान बनाई है यथा अभिमन्यु अनन्त, रामदेव धुरंधर, सोमदत्त

बखोरी, पूजानंद नेमा, विष्णु दयाल, आनन्द दबी आदि ।

संदर्भ

1. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, वॉल्यूम 11, पृ० 715–716.
2. जितेन्द्र कुमार भिनल, मारिशस (देश और निवासी) 4555, प्रथम संस्मरण 1982.
3. डॉ. के. हजारी सिंह, मारिशस में भारतीयों का इतिहास, पृ० 4.
4. जितेन्द्र कुमार भिनल, मारिशस (देश और निवासी) पृ० 61..
5. वहीं पृ० 62
6. वहीं पृ० 29
7. वहीं पृ० 30
8. डॉ. के. हजारी सिंह, मारिशस में भारतीयों का इतिहास, पृ०144
9. जितेन्द्र कुमार भिनल, मारिशस (देश और निवासी) : पृ 84
10. सुरेश राम वर्ण, चाचा राम गुलाम के संस्मरण, पृ०५५.

डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा

सह-प्रोफेसर हिन्दी विभाग

गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय

पलवल

'विश्व का तोरण द्वार है हिंदी' 'राष्ट्रभाषा बनाम राजभाषा'

श्रीमती तारामणि पाण्डेय



सारांश —

'भारत एक महान एवं विशाल देश है। इसमें 29 राज्य हैं। विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाएँ हैं — बंगाल की बांगला, असम की असमिया, उड़ीसा की उड़िया, महाराष्ट्र की मराठी, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम, कर्नाटक की कन्नड़, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी, गुजरात की गुजराती, राजस्थान की राजस्थानी आदि; किन्तु जो भाषा सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है, वह तो हिंदी ही है।'

'राष्ट्र में सम्पूर्णता के धरातल पर जिस भाषा में भाव और विचार की अभिव्यक्ति होती है उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान की अष्टम् अनुसूची में 22 भाषाएँ स्वीकृत हैं। राष्ट्रभाषा एक सामासिक पद है जिसका शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की भाषा। संविधान की अष्टम् अनुसूची में स्वीकृत सभी 22 भाषाएँ राष्ट्र भाषाएँ हैं और व्यापक अर्थ में भारतवर्ष में जितनी भाषाएँ बोली, समझी और लिखी जाती हैं, वे सब राष्ट्रभाषा की गरिमा से युक्त हैं। लेकिन विशिष्ट अर्थ में अधिकाधिक लोगों द्वारा बोली समझी और लिखीजाने वाली हिंदी ही राष्ट्रभाषा है।'

'राजभाषा भी एक सामासिक पद है, जिसका अर्थ हैरुजाज काज की भाषा, राजा की भाषा अर्थात् राज्य का काज जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत इस देश की राजभाषा थी मुगल काल में फारसी, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी और स्वतंत्र भारत में हिन्दी इस देश की राजभाषा बनी। आजादी मिलने के बाद संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 में हिंदी को राजभाषा का पद संविधान द्वारा प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू तब से हिंदी इस देश की संवैधानिक तौर पर राजभाषा है। संविधान के भाग 5, 6 एवं 17 के कुल 11 अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी की चर्चा है।'

'संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त होती है। राजभाषा से हमारा तात्पर्य उस भाषा से है, जिसमें राज-काज का संचालन होता है। संविधान में राजभाषा हिंदी की भूमिका निम्नांकित रूप में निर्धारित है—

'1 संघ की राजभाषा के रूप में।'

'2 दूसरे राज्यों और प्रदेशों के बीच संपर्क भाषा के रूप में,

'3 संघ और राज्यों के बीच तथा 'एक-दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार

की भाषा अर्थात् संपर्क भाषा के रूप में।'

'हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय कहा गया कि सिद्धांत रूप में हिंदी राजभाषा रहेगी परन्तु 15 वर्षों तक राजकाज का काम अंग्रेजी द्वारा ही किया जाएगा। राजभाषा हिंदी पोस्ट डेटेड चेक बना दी गई जिसका दुष्परिणाम आज तक हिंदी को भुगतना पड़ रहा है।'

'संघ की भाषा के रूप में हिंदी को मात्र संवैधानिक मान्यता है। आज भी हिंदी भाषा नीति के अंतर्गत सत्ता और प्रशासन के कार्य हिंदी-अंग्रेजी के अनुवादित रूप में सम्पादित होते हैं। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा मंत्रालय, हिंदी निदेशालय, गृहमंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजनाएँ प्रायोजित हैं। प्रत्येक विभाग में राजभाषा पदाधिकारी या हिंदी अधिकारी कार्यरत हैं। हिंदी प्राध्यापक, अहिन्दी भाषी कर्मचारी एवं अधिकारियों को हिंदी प्रशिक्षण देकर प्रवीणता प्राप्त कराने में सहयोग करते हैं किन्तु खेद है कि आज भी कार्यालयी भाषा हिंदी नहीं, अंग्रेजी है।'

'प्रशासन की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का सामान्य अर्थ राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय काज चलाने की सुविधा हो। राजभाषा से राजा की भाषा अथवा राज्य की भाषा दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। केंद्र की राजभाषा को संघ भाषा भी कहा जाता है। प्रशासन तथा न्याय की भाषा होने के कारण सरकारी दृष्टि से राजभाषा का बहुत महत्व होता है। राजभाषा का प्रयोग प्रमुख चार क्षेत्रों में किया जाता है — शासन, विधान, न्यायपालिका एवं विधायिका।'

'स्वतंत्र भारत में नए संविधान की रचना तथा भारत के गणराज्य बन जाने पर भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था — जिस अर्थ में आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। वस्तुतः हिंदी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा की क्षमता से पूर्ण है और अन्य भारतीय भाषाएँ राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। क्योंकि हिंदी ही सम्पूर्णता के साथ भारत की जातीय गरिमा, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उच्चता, जीवन मूल्य और मानवता, अस्मिता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को वाणी प्रदान करने में सक्षम है। आज हिंदी ही शैक्षिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, सामाजिक उपलब्धियों के मूल्यांकन और संरक्षण की भाषा है। डॉ. राकेश चतुर्वेदी के शब्दों में — हिंदी जातीयता, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, धर्मार्थता

एवं संकीर्णता के दायरे तोड़कर विश्व भाषाओं के साहचर्य में वैज्ञानिक संस्कृति की निर्भ्रान्त नियोजिका है। इसे नहीं बनना है राजभाषा अंग्रेजी की अधिकारिणी यह तो जन भाषा है। संघर्ष और संस्कार, भारतीयता और अस्मिता की भाषा है अतः इसकी शाश्वतता सर्वकालिक और सार्वभौमिक है। इसी लिए राष्ट्रकवि गोपाल सिंह नेपाली ने हिंदी को भारत की बोली कहते हुए लिखा है कि' –

'यह दुखड़ो का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है।'

'थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदो की अभिलाषा है।।'

'मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झपने दो।'

'हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो।।'

'राष्ट्रभाषा हिंदी की उन्नति राष्ट्र की सार्वत्रिक, सर्वव्यापी उन्नति का मूल है। हिंदी अब राष्ट्रीय ही नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, क्योंकि अब यह सात समुद्र पार भी बोली और समझी जाने लगी है। हिंदी को विधिवत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन '10-12 जनवरी 1975 में नागपुर (भारत) में और एकादश विश्व हिंदी सम्मेलन मारीशस की राजधानी पोर्ट लुई में 18 से 20 अगस्त 2018 में सम्पन्न हुआ। हम प्रयत्न करें कि यह अपने देश में ही नहीं फूले-फले अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान पाकर विश्व में अपनी ज्योति फैलाए। हिंदी संस्कृति और संस्कार लिए हुई विश्व का तोरण द्वार हैरू'

'केश है कंघा है, कच्छ कड़ा,'

'सिख धर्म के हाथ कटार है हिंदी।'

'बात करो दिन रात जहाँ मन',

'चाहे बेतार का तार है हिंदी।'

'पूजा से पूर्व पुरोहित हाथ,'

'सजायी हुई थार है हिंदी।'

'संस्कृति और संस्कार लिए हुई,'

'विश्व का तोरण द्वार है हिंदी'

'जय हिन्द, जय हिन्दी'

श्रीमती तारामणि पाण्डेय'

'द्वारा: प्रो० डॉ० जे बी पाण्डेय'

'कृतकार्य, हिंदी-शिक्षिका, महारानी प्रेममंजरी प्रोजेक्ट

बालिका उच्च विद्यालय, रातू, रांची'

'चलभाष: 9431595318, 9386336807'

'द्वतडाक: pandey&ru05@yahoo-co-in*'



सारांश –

‘जय हो जग में जले जहां भी,’ ‘नमन पुनीत अनल को।’
 ‘जिस नर में भी बसे हमारा,’
 ‘नमन तेज को बल को।’
 ‘किसी वृत्त पर खिले विपिन में,’ ‘पर नमस्य हैं फूल।’
 ‘सुधी खोजते नहीं गुणों का,’ ‘आदिशक्ति का मूल।’

‘उपर्युक्त नमस्कारात्मक काव्य पंक्तियां राष्ट्रकवि दिनकर ने महाभारत के अप्रतिम दया वीर, युद्धवीर और दानवीर महारथी कर्ण को ध्यान में रखकर लिखी हैं, लेकिन इन सारगर्भित पंक्तियों की व्यंजना कर्ण तक ही सीमित नहीं हैं; अपितु इनकी व्यंजना बहुत विस्तृत, व्यापक एवं सूक्ष्म है। जंगल के किसी भी वृत्त पर खिलने वाला फूल आदर एवं सम्मान का अधिकारी है। वे सभी लोग नमनीय एवं वंदनीय हैं, जो तेज, प्रताप एवं गुणों की खान हैं। सुधी जन गुणों के आदि एवं अंत के लिए व्यग्र नहीं होते, अपितु गुनी जनों का समादर करते हैं।’

‘किसी को समय बड़ा बनाता है और कोई समय को बड़ा बना देता है। कुछ लोग समय का सही मूल्यांकन करते हैं और कुछ आने वाले समय का पूर्वाभास पाए जाते हैं, कुछ लोग परत दर परत तोड़कर उसमें वर्तमान के लिए ऊर्जा एकत्र करते हैं और कुछ लोग वर्तमान की समस्याओं से घबराकर अतीत की ओर भाग जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अतीतजीवी नहीं, अपितु वर्तमान को संवारने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र भक्त थे।’

‘भारतभूमि ने अपने जिन महापुरुषों को जन्म देकर मानवता का कल्याण केतु फहराया है, उनमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम अन्यतम है। मातृभूमि के आदरवान पर अपने समस्त सुख साम्राज्य को स्वाहा करने वाले तथा वैभव और विलास पूर्ण जीवन का परित्याग कर कुलिश की नोक पर मचलने वाले नेता जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महारथियों की प्रथम पंक्ति में परिगण्य है।’

‘सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा प्रांत के कटक शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इनके पिता का नाम राय बहादुर जानकी दास बोस था तथा माता का नाम प्रतिभा देवी था। इनके पिता बंगाल प्रांत के 24 परगना जिले के कोदालिया नामक गाँव के निवासी थे। वे अपनी प्रतिभा के बदौलत कटक नगरपालिका के चेयरमैन बने तथा नगर के प्रतिष्ठित वकीलों में

उनकी गणना होती थी। अंग्रेजी सरकार ने इनके कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें रायबहादुर की उपाधि प्रदान की। इनकी माता धर्म निष्ठ महिला थीं। ऐसे मा बाप का पूर्ण प्रभाव सुभाष पर पड़ा। वे भी दीन दुखियों की सेवा निस्पृह भाव से करते थे।’

‘नेताजी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने 1913 में मैट्रिक की परीक्षा रेवेंसा कालेजियट स्कूल से प्रथम श्रेणी में पास की और इंटर में कोलकाता के प्रेसीडेंसी कालेज में नामांकन कराया। उस कालेज के प्रो ऊटन विद्यार्थियों पर बड़ा अत्याचार करते थे और सदैव भारतीयों को निंदा जनक शब्द कहा करते थे। स्वाभिमानी सुभाष ने एक दिन उनके इसी व्यवहार के कारण उन्हें एक चांटा जड़ दिया। उस दिन से उन्होंने निंदा जनक बातें कहनी बंद कर दीं, परंतु नेताजी को कालेज से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने स्काटिश चर्च कालेज में नामांकन कराया और वहीं से बी.ए. आनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। 1919 में नेताजी ने आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। नेताजी प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की, परंतु उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी को नहीं स्वीकारा और अपने को राष्ट्रीय आंदोलन में समर्पित कर दिया।’

‘नेताजी के जीवन पर देशबंधु चितरंजन दास के त्याग और तपस्या का गहरा प्रभाव पड़ा। नेताजी उन्हें गुरु की तरह पूजते रहे और उनके स्वराज दल के कार्यों में पूरी सहायता करते रहे। अपने राष्ट्र प्रेम के कारण थोड़े ही दिनों में नेताजी ब्रिटिश सरकार की शनि दृष्टि के शिकार हुए और उन्हें आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के आरोप में 25 अक्टूबर 1924 को माडले जेल में बंद कर दिया गया। फिर तो वे कई बार जेल गए। परंतु अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की। वे अंग्रेजों से नजर बचाकर विदेश चले गए और भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 5.7. 1943 को आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के विषय में मजबूर किया। गांधी जी से मतभेद होने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए। वे गरम दल के नेता थे और गांधी जी नरम दल के। नेताजी अंग्रेजों से लोहा लेकर भारत को आजाद करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें हिंसा से परहेज न था। कहा जाता है कि जब नेताजी वायुयान द्वारा बैंकॉक से जापान जा रहे थे, तो उनके

विमान में आग लग गई और झुलसकर उनकी मौत हो गई। यह समाचार टोकियो रेडियो से 18.8.1945 को प्रसारित हुआ था।

‘नेताजी अपने राष्ट्र प्रेम के कारण भारतीयता की पहचान बन गए थे। भारतीय युवक उनसे राष्ट्र के लिए मर मिटने की प्रेरणा ग्रहण करते थे। जय हिंद का नारा नेताजी ने दिया था और नेता संज्ञा उनको पाकर सार्थक हो गई। उनका कहना था प्लुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी जैसे राष्ट्र भक्तों पर सदैव भारत को नाज और ताज रहेगा। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में ऐसे राष्ट्र सपूत को कोटिश: नमन, वंदन अभिनंदन हैरू’

‘नमन उन्हें मेरा शत बार।’

‘वीर, तुम्हारा लिए सहारा,’

‘टिका हुआ है भूतल सारा,’

‘होते तुम न कहीं तो कब का,’

‘उलट गया होता संसार।’

‘नमन उन्हें मेरा शत बार।’

‘चरण धूलि दो शीश लगा लूं,’

‘जीवन का बल तेज जगा लूं,’

‘मैं निवास जिस मूक स्वप्न का,’

‘तुम उसके सक्रिय अवतार।’

‘नमन उन्हें मेरा शत बार।’

‘अभी तो वे सुन और सुना रहे थे जमाने को, अचानक परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया शायद उन्हें भी इन्हीं को सुनने और सुनाने की जरूरत थी:

‘बड़े गौर से सुन रहा था जमाना,’

‘तुम्हीं सो गए दास्तां कहते कहते।’

‘अब वे हमारे नजरों से जुदा होकर खुदा(ईश्वर) हो गए हैंरू’

‘नजरों से ऐसे जुदा हो गए हैं।’ ‘लगता है जैसे खुदा हो गए हैं।’

‘जय भारत, जय न्यायाधीश’

डॉ० चंद्र मणि किशोर’

‘द्वारा—डा जे बी पाण्डेय’

‘तपोवन’

‘लक्ष्मी नगर, पिस्का मोड़, रातू रोड, रांची 834005’

‘चलभाष: 9431595318’

‘8862827946’



सारांश —

इतिहास—लेखन का कार्य इतिहास की रचना करने जैसा ही महत्वपूर्ण होता है। यदि इतिहास—लेखक इतिहास की रचना करने वाले के प्रति सत्यनिष्ठ नहीं होता तो सत्य का सही निर्वाह नहीं हो पाता और इसका दण्ड मानव समाज को भोगना ही पड़ता है।¹

— कमाल अतातुर्क

देश का उदार युद्धों से नहीं होने जा रहा है। इसे आत्मबल चाहिए, ऐक्य चाहिए, कर्तव्य पर स्थिर रहने का मंत्र चाहिए। सबसे बड़ी बाधा है— राजा की विचित्र कल्पना, झूठे कुलाभिमान का दम्भ, मिथ्या विश्वासों पर धर्म—भावना। मुझे इस धर्म या उस धर्म के प्रति आस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ मनुष्य के भीतर जो देवता स्तब्ध बैठा है, जो अन्याय के सामने नहीं झुक्ता, लोभ और मोह के प्रहारों से जर्जर नहीं होता, शताब्दियों से विरूप परिस्थितियों में भी चारित्र्य को, दया को, परोपकार को कसकर पकड़ने में आनन्दित होता है उस देवता को उद्बुद्ध करना।²— हजारी प्रसाद द्विवेदी

यह किसी भी देश अथवा जाति के इतिहास का मुख्य मुद्दा ही नहीं, सरोकार भी है। कला और साहित्य की तरह ही इतिहास के सभी प्रयत्नों का एक मात्र लक्ष्य यही मनुष्य है। इन इतिहास प्रयत्नों को हम विभिन्न घटनाओं, क्रान्तियों, विद्रोहों और बदलावों के रूप में देखते—परखते और चित्रित करते हैं। ये घटनाएँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक सन्दर्भों से प्रत्यक्षतः जुड़ी रहती हैं और अपने काल से भी, जो यह तथ्य प्रकट करती है कि इतिहास काल सापेक्ष है। वह ब्रह्माण्डीय काल का एक विशिष्ट अंग है, क्योंकि ब्रह्माण्डीय घटनाएँ और गतियाँ (ग्रह—नक्षत्र) मानवक्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं जो भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान द्वारा माय है। वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाय तो पूरे विश्व के अध्ययन को सामग्री प्रत्यक्षतः मनुष्य ही है। इतिहास विश्व समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों के कार्यों और उपलब्धियों की कहानी है। यह मानवीय स्वतन्त्रता की विकसित कहानी भी है। मानवीय इतिहास का स्वरूप प्रगतिशील रहा है। इतिहास में समस्त मान बी उपलब्धियों के पीछे एक प्रगति का इतिहास है। इतिहास एक शीशा है, जो मानवीय प्रयास को प्रतिबिम्बित करता है। यह सद् और असद के बीच निरन्तर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सद् का पक्ष लेकर उसे विजयी घोषित करता है। वह ज्ञान और विवेक का स्रोत है। वहन केवल विवरणात्मक घटनाओं का जखीरा है, बल्कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों तथा उसमें निहित अर्थों तथा मूल्यों का अध्ययन

है। इब्न खल्दून ने साफ तौर पर लिखा है कि इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परि वर्तन संघर्ष और कान्ति तथा विद्रोह के परिणामस्वरूप राष्ट्रों अथवा जातियों के उत्थान और पतन का वृत्तान्त है। वह प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय इतिहास का लेखा—जोखा भी है। वह केवल राजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का इतिहास ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक इतिहास भी है। वास्तविक आशयों में वह मानवीय सृजन के विविध पक्षों का इतिहास है जो मूलतः सामाजिक और सांस्कृतिक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक स्थान पर लिखा है आपने इतिहास इसी मनुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है, साहित्य में इसी के आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का स्पन्दन देखा है, राजनीति के इसी लुकाछिपी के सेल का दर्शन किया है, अर्थशास्त्र में इसकी रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है। यह मनुष्य ही इन सभी का वास्तविक लक्ष्य है। आप इससे सीधा सम्बन्ध जोड़ते जा रहे हैं। यह जो प्रत्यक्षतः मनुष्य का पड़ना है, वही बड़ी बात है। हमारी शिक्षा का अधक भाग जिन सब दृष्टान्तों का आश्रय लेता है वे हमारे सामने नहीं आते। हमारा इतिहास पढ़ना तब तक व्यर्थ है जब तक हम उसे जीवन्त मानवप्रवाह के साथ एक करके न देख सकें इसके लिए जरूरी है कि इतिहासकार अपनी जमीन, अपने देश और अपनी जाति और उसकी भाषा से जुड़ा रहे। एक चिन्तक और इतिहासकार की हैसियत से आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी एक स्थान पर इस आशय को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं रुहमारे देश का इतिहास यदि वह सचमुच हमारे देश का है आज भी निश्चय ही हमारे घरों में, गाँवों में, जातियों में, खण्डहरों में और इस देश के जरे जरे में अपना चिह्न छोड़ता जा रहा है। जब तक देश के प्रत्येक कर्णों से हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, तब तक हम इतिहास का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे? इसमें से जो भी अपने को शिक्षित समझता हो, उसे अपनी उच्च अट्टालिका के नीचे उतरकर अपने देश के इर्द—गिर्द फैले हुए विशाल जनसमूह, विस्तृत भूखण्ड और सजीव चिन्ता प्रवाह को प्रधान पाठ्य—पुस्तक बनाना होगा। बिना इस जरूरी काम को किए बिना कोई व्यक्ति इतिहासकार बन सकता है और न इतिहास ग्रन्थ लिख सकता है।

जहाँ तक हिन्दी साहित्य में इतिहास लिखने का सवाल है, सबसे पहले विदेशी लेखकों ने इसमें भागीदारी निभायी। गार्सा द तासी, ग्रियर्सन, एफ० के० महोदय ग्रोन्स आदि विदेशी इतिहासकारों ने हिन्दी साहित्य के बारे में जो लिखा है वह हमारी जनता, रीति—नीति,

भाषा भाव, सभ्यता—संस्कृति, धर्म—दर्शन और भूमि— विचार से मेल नहीं खाते, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो अच्छा है, वह हमारी दृष्टि से भी अच्छा होगा, ऐसा जोर देकर नहीं कहा जा सकता। और फिर यहाँ की करोड़ों जनता की भाषा को छोड़कर विदेशी भाषा में इतिहास लिखना हंसी—ठट्टा का खेल नहीं है। इस महनीय कार्य में विदेशी लेखक चूक का गये, क्योंकि इस धरती और इस पर रहने वाले मनुष्य की ल प्रकृति, समाज, जीवन तथा परिवेश और विभिन्न का बोलियों भाषाओं की जानकारी को वे प्रामाणिक तौर पर नहीं समझ सके। ऐसी स्थिति में केवल लिखी—लिखाई पुस्तकों के आधार पर हिन्दी साहित्य का इतिहास और उसका स्वरूप नहीं समझा जा सकता है। आचार्य राम चन्द्र शुक्ल ने इतिहास—लेखन के लिए जो सूत्र प्रदान किया है, वे महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होत है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परि वर्तन के साथ—साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया है। आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। 15 जहाँ तक जनता की चित्तवृत्तियों का सवाल है। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है — जिन्हें इतिहासकार को समझने की जरूरत होती है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी तो यहाँ तक कहते हैं कि साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और कदियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादिकाल प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान जीवन्त मानव समाज की ही कथा है। ग्रन्थ और ग्रन्थकार तो उस धारा की ओर अंगुलिनिर्देश करते हैं। इस तरह ग्रन्थ और ग्रन्थकार मुख्य नहीं है, मुख्य है मनुष्य जीवन और उसका समाज हिन्दी साहित्य का इतिहास कुछ कुछ नहीं, मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का यथार्थ दस्तावेज है। यह असामाजिक मनोवृत्तियों को दवाकर समाज की मंगलविधायिनी प्रचेष्टाओं के उत्कर्ष का इतिहास है। भारतवर्ष में सैकड़ों जातियों वाला यह समाज नाना प्रकार की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण और परम्परा के भीतर अमब गुजरकर बना है। आज मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष आ गया है जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। इसलिए आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाय; बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने बोर मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। यह काम साहित्य बखूबी कर सकता है, क्योंकि जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग—शोक, दारिद्र्य—अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ऐसे साहित्य सृजन से ही हिन्दी साहित्य का इतिहास मनुष्य के महत कार्यों का दस्तावेज बन जाता है। इसके लिए इतिहास कार

के पास विशाल हृदय होना चाहिए। विशाल हृदय के अभाव में हिन्दी साहित्य का जातीय इतिहास नहीं लिखा जा सकता। डॉ० रामविलास शर्मा का हिन्दी जाति का इतिहास इसका प्रमाण है। इस तरह के इतिहास—लेखन से करोड़ों मनुष्यों का भला होता है।

किसी भी देश अथवा जाति के साहित्यिक इतिहास में मनुष्य को इस द्वन्दात्मक जययात्रा को आज प्रगति शीलता के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। मनुष्य का यह द्वन्द्व समाज और परिवेश की देन है जिससे वह लड़ता है और जिजीविषा के बल पर न हारने का संकल्प करता है। यही जिजीविषा वह प्राणधारा है जिसकी ओर ग्रन्थ बार—बार संकेत करते हैं कि हे मनुष्य ! उठो, अपने इतिहास को लिखो संघर्ष द्वन्द्व वह ऊर्जा 1 और ताप है जिसके बल पर मनुष्य अपनी जययात्रा पूरी करता है कितनी बार वह (मनुष्य) चढ़ा है, कितनी बार वह गिरा है। उसने कितनी बार निराशा की लम्बी सांस खींची है और सुस्ताकर फिर आगे बढ़ा है। उसके क्षत—विक्षत लहू—लुहान चरणों ने हार नहीं मानी है, बाधाओं के कांटों को रौंदता हुआ, पराजय की थकान की उपेक्षा करता हुआ, मृत्यु की चुनौती को स्वीकार करता हुआ वह आगे बढ़ा है। पशुता ने रह—रहकर सिर उठाया है, छोटी—छोटी ममताओं ने छीना—झपटी ने उसे मूढ़ बताया है, भोड़े स्वायं ने उसे कायर बनाया है पर वह हारा नहीं है। मनुष्य थका है, पर रुका नहीं है, वह बढ़ता जा रहा है। इतिहास के अवशेष उसकी विजययात्रा के पद यहाँ सवान है कि आखिर हिन्दी साहित्य के इतिहास के इस मनुष्यदर्शन को कैसे समझा जाय ? मेरी समझ में इसका एक ही रास्ता है, वह है इतिहास—चेतना। फिर यह चेतना क्या है जिसके बल पर किसी देश या जाति के इतिहास को समझा जा सकता है ? स्पष्ट है कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसमें यह चेतनता चेतना के कारण आती है जो उसे सजीव, सचेत और सम्बद्ध बनाती है। श्चेतनाश मानस की एक खास प्रवृत्ति है जो मनुष्य फो संज्ञा, ज्ञान और विवेक से लैस करती है जिससे मनुष्य में समझदारी आती है। समझदारी आने पर मनुष्य जीवन और समाज के बारे में सोचने लगता है। यही होते हैं। मनुष्य जीवन में इतिहास—चेतना का यही प्रस्थान बिन्दु है। आगे जैसे—जैसे मनुष्य के सामाजिक सांस्कृतिक कर्मों में बदलाव आता गया वैसे—वैसे हो मानवी सभ्यता और संस्कृति के साथ इतिहास—चेतना का भी स्वरूप बदलता गया। भारतीय समाज ठीक वैसा हो हमेशा नहीं रहा है जैसा आज है। नये—नये जनसमूह इस विशाल देश में बराबर आते रहे हैं और अपने—अपने विचारों और आचारों का प्रभाव छोड़ते रहे हैं और बज की समाज व्यवस्था कोई सनातन व्यवस्था नहीं है। बाज जो जातियाँ समाज के निचले स्तर पर पड़ी हुई हैं, वे सदा वहीं रहीं हैं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार समाज के ऊपरी स्तर में रहने वाली जातियाँ भी नाना परिस्थितियों को पार करती हुई वहाँ पहुँचती हैं। यहाँ सोचने की बात यह भी है कि भारतवर्ष नाना जातियों का मिलन क्षेत्र है। इन

जातियों के अलग-अलग समाज है। अनेक विदेशी जातियों के आगमन और स्थायी निवास से इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। यहाँ पर एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार मे भारतवर्ष का इतिहास क्या है ? अनादिकाल से नाना रजातियाँ अपने नाना प्रकार के संस्कार, रीति रस्म, बोली नी भाषा को लेकर इस देश में आती रही हैं। इनके आगमन के पहले यहाँ भी अनेक प्रकार के मानवीय समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियाँ कुछ देर तक भगड़ती रहीं और फिर रगड़-झगड़कर, ले-देकर पास ही पास बस गयी हैं। -नाइयों की तरह। इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति रस्मों वीर नाना भाषा बोलियों का जीवन्त समन्वय भारतवर्ष का इतिहास है। इस भारतवर्ष में कई करोड़ जनता का समूह निवास करता है। लाखों गावों और हजारों शहरों में फैली हुई, वाधिक जातियों और उपजातियों में विभक्त, अनेक भाषाओं और बोलियों में बंटा सभ्यता के नाना स्वरों पर ठिठकी हुई इस जनता के इतिहास और उसकी चेतना को समझना और समझाना एक कठिन कार्य है पाश्चात्य विद्वान लोएस डिकिन्सन रू स्वूमे क्पापदेवद, ने अपनी पुस्तक एन एसे आन द सिविलाइजेशन आफू इण्डिया में लिखा है कि शिन्दू इतिहासकार नहीं थे, क्योंकि उनमें इतिहास-चेतना का अभाव था। डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय ने इस मत को खण्डित करते हुए कहा है कि भारतीयों को इतिहास-चेतना प्रारम्भिक दौर में धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का ही अंग थी। इस चेतना में कर्म की प्रधानता थी। वेद, पुराण, आख्यान, स्मृति ग्रन्थों की पुरागाथाएँ इसके उदाहरण हैं। इन ग्रन्थों के माध्यम से भारतीयों ने अपने जीवन्त अतीत को कर्म के माध्यम से सुरक्षित करने का प्रयत्न किया है। निश्चित रूप से जीवन्त परम्परा के प्रति इतनी उदात्त चेतना वृद्धि इतिहास-चेतना नहीं है तो आखिर क्या है ? भारत वयं सदेव से महापुरुषों की कर्मभूमि रहा है : पृथिव्यां भारतवर्ष कर्मभूमिरुदाहता १५ महापुरुषों यानि वाघ्यात्मिक पुरुषों के कर्म कालबोध से जुड़े रहते हैं। इसी कालबोध का सम्बन्ध इतिहास-चेतना से है। भारतीय परम्परा में काल के एक रेखीय अवधारणा को नकार कर कालचक्रीय अवधारणा को मान्य ठहराया गया है।

हेगल पहले विचारक है जिन्होंने इतिहास निर्माण प्रक्रिया को नहीं रेसाया माना है। उन्होंने प्रकृति और इतिहास में अस्तर को स्पष्ट करते हुये यह बता कि प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है और इतिहास की रेणात्मक १५ उन्होंने इतिहास-चेतना के विवेक को सार्वमौमिक स्वरूप प्रदान दिया है। चेतना अनश्वर है। प्रत्येक युग को पटनाएँ चेतना से प्रभावित और संचालित होती है। दास प्रथा, पुनर्जागरणकाल, साम्यवादी और प्रजातांत्रिक कान्तियाँ चेतना से ही संचालित रही हैं। चेतना ही मानव मस्तिष्क को कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसका स्वरूप द्वन्द्वात्मक और विरोधात्मक होता है। मानव विकास को यात्रा इसी पर निर्भर है। मार्स की इतिहास चेतना इनसे भिन्न है। उन्होंने इसे आर्थिक सिद्धान्त के तहत विकसित माना है

जिसमें वस्तुनिष्ठता और यथार्थता पर जोर दिया गया है। सामाजिक परि वर्तन का मूल कारण आर्थिक विकास होता है। आर्थिक कारण हो विचार, संस्था, राजनीति, धर्म तथा संस्कृति को प्रभावित करते हैं जहाँ तक मनुष्य के ऐतिहासिक प्रगति की बात है यह प्राचीन और नवीन सामाजिक संगठन के बीच की द्वात्मकता के कारणों से प्रवहमान होता है। चोर-प्रतिवादी द्रन्द्रस उपर होता है जिसकी इतिहमा चेतना मानववादी है। मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास तदा की मुख्य ऊर्जा वर्ग संघर्ष है जो पूंजीवाद और श्रमिकों के बीच स्वाभाविक रूप में चलता रहता है। श्रमिकों के विजय में हो मानव प्रगति निहित है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन पर किये गये अम पर निर्भर करता है। उत्पादन व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की तीन अवस्थाएँ हैं। दास प्रथा, सामन्ती प्रथा और पूंजीवाद सभी सामाजिक १ परिवर्तन उत्पादन की प्रक्रियाओं से प्रारम्भ होते हैं। इसीको ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धान्त कहते हैं। १५ वे मानव जाति के इतिहास-चेतना के अध्ययन के लिए जिस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, वह वस्तुनिष्ठता और यथार्थ पर निर्भर है। एंगेल्स, लेनिन, लुकाच, आदि ने इसे और स्पष्ट किया है। लिए विवश कर दिया सर्वप्रथम एच०जा० बस अपनी इतिहास-चेतना के तहत ही विश्वभ्रातृत्ववाद, मानव कल्याण और मानव-प्रगति को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। इ० एच० कार ने उनकी इतिहास-चेतना के बारे में लिखा है कि उनके अनुसार शसम्पूर्ण मानव जाति की इतिहास चेतना इस विश्वास में समाहित है कि पूरे विश्व के लोग एक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इतिहास-चेतना के सार्वभौमिक स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके तीन प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। ये तत्व हैं रू विज्ञान, सत्कर्म और मानववाद उनकी इस सोच में धर्म भी अपनी भूमिका निभाता है। वे धर्म के साथ नैतिकता को भी मान्यता प्रदान करते हैं। १५ टायन्बी ने इतिहास-चेतना को समाज प्रदत्त माना है। उन्होंने चुनौती (बींससंदहम) को समस्या और प्रतिक्रिया (त्मेचवदेम) को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार चुनौती और प्रतिक्रिया ही सामाजिक और विश्व भ्रातृत्व बाद के मूलाकार है जिनके माध्यम से सार्वभौमिक मान बीम का उदय और विकास होता है। स्पेंगलर राके और जे०बी० न्यूरी ने भी इतिहास-चेतना को सार्वभौमिक रूप में ही स्वीकार किया है। मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मों में धर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पारसी, यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन प्रमुखों और पुरुषों ने धार्मिक चेतना को सार्वभौमिक स्वरूप में अपनाने का आग्रह किया है पर आज की आर्थिक सोच ने इस चेतना को जिस स्तर से ध्वस्त करने का उपक्रम किया है उसका परिणाम भी सामने है। धर्म-दर्शन विश्वबंधुत्व, एकता और अखण्डता के मूलमन्त्र थे, आज वे राजनीति के साधन बन गये हैं। इससे मनुष्य का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन विशृंखलित हुआ है। इतिहास-चेतना मनुष्य के अतीत जीवन के

साथ-साथ वर्तमान को मानवीय स्तर पर प्रस्तुत और विश्लेषित करता है। धार्मिक कर्म नैतिकता और मूल्य को विकसित करते हैं। विज्ञान न तो धर्म को मान्यता देता है और नैतिकता को प्रत्येक समाज, परिवेश और स्थान के मूल्य अलग-अलग होते हैं, क्योंकि समानता, स्वतन्त्रता, न्याय और प्राकृतिक नियमों का स्वरूप एक काल से दूसरे काल और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बदलता रहता है। ये मूल्य ही मनुष्य के सामाजिक जीवन को संस्कारित और विकसित करते हैं, मूल्यों के अभाव में मानव जाति की सांस्कृतिक छवि भी धूमिल हो जाती है। इतिहास-चेतना के माध्यम से हम मनुष्य की सांस्कृतिक छवि को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयत्न करते हैं जो साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अन्तर्निहित रहता है। इतिहास-चेतना का विकास केवल युग पुरुषों या महापुरुषों की भूमिका से ही नहीं होता है, उसके विकास में जनता की भागीदारी ही ज्यादा रहती है। राम और कृष्ण के प्रत्येक कृत्य में जनता की भागीदारी को अलग कर दिया जाय तो इन दोनों के महापुरुष और युगपुरुष बनने का स्वप्न ही बिखर जायेगा। सच तो यह है कि जनता ही युग की आकांक्षाओं को स्वरूप प्रदान करती है। जनता के इस ऐतिहासिक रोल को हम इतिहास-चेतना के माध्यम से ही समझ सकते हैं और उसे विश्लेषित कर सकते हैं। साहित्य के निर्माण और विकास में जनता यानी मनुष्य की अपनी ऐतिहासिक भागीदारी होती है जो साहित्य मनुष्य और मनुष्यत्व को नकार कर लिखा जाता है उसे हम साहित्य मानने को तैयार नहीं हैं। इतिहास चेतना रचना के भीतर प्रवेश कर दी और की करता है। इतिहासका सम्बन्ध मानवीय चेतना से है। मनुष्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाएं इस चेतना से निर्धारित और तथा त्रियान्वित होती है। मानव समाज के निर्माण में इन विभिन्न दियों को सहभागिता होती है जिसे प्रत्येक मनुष्य कवि और संस्कारपूर्वक करता है। औरसंस्कार के अभाव में मानव हो जाता - एक और विश्व की भावना मष्ट -चेतना अतीत के संस्कारों, मूल्यों, और कोर करन सिर से देश और जाति में एकता, अखण्डता और कोठाको प्रसारित ही नहीं करता, बल्कि उसे अपनाते का भी करता है।

आज के इतिहास-वना की कमी है। यह को ही सब कुछ मान बैठा है। इसकी प्राप्ति के लिए वह न जाने कितने प्रकार के त्यों यासोरी, गुण्डागर्दी, आतंकवादी सी की परिणति है। पोटाने और कानमा आज मानव-समाज को विनष्ट करने में लगा है उसका मूल कारण है इतिहास कान कृत्यों से मनुष्य-जीवन ही चवरे आज इस वनको कभी भौगोलिक के भीतर से कभी जातिगत और कभी धर्मगत विशेषताओं के भीतर से प्रति करके समझाया जाता कि भारतवासियों को न तो अपने इतिहास का ज्ञान है होउन चेतना है जिससे के अपने देश और जाति के इतिहास की समझ सकें। विदेशी लेखकों ने हिन्दी के साहित्यिक इतिहास के बारे में जो पुस्तकें लिखी है उसमें

इतिहासचेतनाको महत्व मिला है जबकि वास्तविक स्थिति इसके विरोध में है। इसके लिए आ रोप पत्तों के प्रामाणिक मस्करणों और अनुवादों को देवना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं मूल ग्रन्थों के आधार पर हम विदेशियों के धामक प्रचार और मत को निरस्त कर सकते हैं।

सन्दर्भ

१. प्रकाश, इतिहास दर्शन, पृ० ३७
२. हजारीप्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, पृ० १०२-१८३ २.
३. वही, पृ० १८३
४. रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, काल विभाग
५. हजारीप्रसाद द्विवेदी, हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री, पृ० १०
६. वही, पृ० १६६
७. हजारीप्रसाद द्विवेदी, विचार और वितकं, पृ० २३८
८. हजारीप्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, पृ० ६१
६. लोएस डिकिंसन, एन एसे ऑन द सिविलाइजेशन ऑफ इण्डिया, पृ० १५.
१०. गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, इतिहास स्वरूप एवं सिद्धान्त,
११. ब्रह्मपुराण, २७/२ पृ० ४८
१२. शेखली, हिस्ट्री: इट्स थियरी एण्ड मेथड, पृ० १३६
१३. सी० एच० विलियम्स, माडन हिस्टोरियन्स, पृ० १३२
१४. वही, पृ० १४१
१५. एच० जी० बेल्स, ट्वाट इन हिस्ट्री, पृ० ८६
१६. वही, पृ० १०१
१७. जी० जे० रेनियर, हिस्ट्री इट्स परपज एण्ड मेथड, पृ० २४०

डॉ० प्रवीण कुमार वर्मा

सह-प्रोफेसर हिन्दी विभाग

गोस्वामी गणेशदत्त सनातन धर्म महाविद्यालय
पलवल



सारांश

आचार्य भानुदत्त द्वारा विचरित रसमंजरी का संस्कृत साहित्यशास्त्र में अपना विशेष स्थान है। परवर्ती साहित्य आचार्यों ने इस ग्रंथ में प्रतिपादित सिद्धांतों की यत्र तत्र चर्चा की है। संस्कृत काव्यशास्त्र के अलावा हिंदी साहित्य शास्त्र संबंधी अनेक कृतियां भी इसमें प्रभावित हैं। आचार्य भानुदत्त ने अपनी रस तरंगिणी में रस का विवेचन सरस शैली में किया है तथा नवीन उद्भावनाओं को रंग देकर विवेचन को अत्यंत समृद्ध बना दिया है। इसी कारण परिवर्ती संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्यशास्त्र तथा हिंदी साहित्य शास्त्र पर रसमंजरी का प्रभाव पड़ा है। आचार्य भानुदत्त को भानुदत्त मिश्र, भानु मिश्र, भानुदास तथा भानुकार नाम से अभीहित किया गया है। रसमंजरी में भानुदत्त ने रस का विवेचन व्यवस्थित स्पष्ट तथा सरस एवं सरल शैली में किया है तथा नवीन विचारों एवं उद्भावनाओं को रंग देकर इस विवेचन को और भी समृद्ध बना दिया है। इसी कारण से अपेक्षाकृत सरल ग्रंथ पर भी रस शास्त्र में रस मंजरी का महत्वपूर्ण स्थान है भानु तत्व के बाद अनेक आचार्यों ने रस मंजरी के सिद्धांतों को अपनाकर अथवा उनका विवेचन कर इसके महत्व को और भी बढ़ा दिया है और आज हिंदी रस शास्त्र पर रसमंजरी का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।

आचार्य भानु दत्त ने रसमंजरी में रस के 3 लक्षण प्रस्तुत किए हैं। इन तीनों लक्षणों को क्रमशः भट्टलोल्लट तथा शंकुक, भट्टनायक तथा अभिनवगुप्त के मंतव्य के समकक्ष रखा जा सकता है। भानुदत्त ने इस जन्म की अथवा पूर्व जन्म की वासना को रसास्वादन के मूल में माना है। विश्वनाथ आदि आचार्यों ने तो दोनों जन्मों की भावना को संयुक्त रूप से रसास्वादन के मूल में माना है। भानुदत्त मिश्र जी को सात ग्रंथों की रचना का श्रेय दिया जाता है। रसमंजरी, अलंकार तिलक, गीत गौरीश, कुमार भार्गवीय, रस परिजात, चित्रचंद्रिका श्रंगार प्रदीपिका। इन सभी रचनाओं के रचयिता आचार्य भानुदत्त मिश्र हैं। इस बारे में सभी एकमत नहीं हैं। इसमें से रसमंजरी रस तरंगिणी तथा गीत गौरीश उनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। इसमें से रसमंजरी का रसतरंगिणी में भी उल्लेख आया है। तथा स्पष्ट है कि रसमंजरी के बाद रसतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना उनके द्वारा की गई है।

व्यक्तित्व—

आचार्य भानुदत्त का व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य में एक विलक्षण प्रतिभाशाली आचार्य के रूप में विख्यात है। उनके इस विलक्षण व्यक्तित्व के निर्माण में उनके पूर्वजों का वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनो समान रूप से उत्तरदायील है। कुमार भार्गवीय में भानुदत्त ने अपने वंशवृक्ष का उल्लेख इस प्रकार किया है—

रत्नेश्वर— सुरेश्वर— विश्वनाथ— रविनाथ— भवनाथ— महादेव— गजपति— भानुदत्त।

जीवन परिचय—

आचार्य भानुदत्त श्री गणेश्वर मिश्र के पुत्र हैं। इन्हें महाकवि गणपति मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। जिनका निवास स्थान विदेह की भूमि मिथिला है। जो देवनादी गंगा की तरंगों से प्रक्षालित है। उस कवि श्री भानुदत्त ने स्वनिर्मित पद्यों द्वारा इस रसमंजरी को तैयार किया है।

तातो यस्य गणेश्वरः कविकुलालाङ्कारचूडामणि

देशों यस्य विदेहभूः सुरसरिकल्लोल किमीरिता।

पद्योन स्वकृतेन तेन कविना श्री भानुना योजिता

वाग्देवी श्रुतिपारिजात कुसुमस्पर्धाकरी मंजरी।

उपरोक्त पद्य से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने पिता का नाम गणेश्वर तथा स्वदेश मिथिला को बताया। रसमंजरी की सुरभि टीका के रचयिता कविशेखर पं० बदरीनाथ शर्मा जी का कथन है कि म० शंकर मिश्र के भाई के पौत्र रसमंजरी के रचयिता भानुदत्त मिश्र थे। आचार्य शंकर मिश्र जैसे गणमान्य विद्वान् अधिकारी का पौत्र होने के कारण विद्वता की प्राप्ति का अधिकारी होना भानुदत्त जी का उत्तराधिकार था।

“साहित्यदर्पण” के रचयिता विश्वनाथ के समान रसमंजरी के सृजन कार भानुदत्त मिश्र के काल निर्णय के सम्बन्ध में भी ऐतिहासिकों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भानुदत्त का समय 13वीं और 14वीं शताब्दी का मध्यकाल है और विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी है। कुछ लोगों के मतानुसार भानुदत्त का समय 16वीं शताब्दी है और विश्वनाथ उनके पूर्ववर्ती हैं। प्रथम मत के पोषक विद्वान् श्री पी०वी०काणे ने साहित्यदर्पण की भूमिका में

लिखा है कि गोपाल ने रसमंजरी की टीका 1437 ईस्वी में की थी। इसलिए भानुदत्त का समय संभवतः तेरहवीं शताब्दी का अंतिम अथवा 14वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल होना चाहिए। भानुदत्त ने अपनी कृतियों में कहीं भी अपने समय का उल्लेख नहीं किया है अतः केवल अन्तः साक्ष्य तथा वाह्य प्रमाणों के आधार पर उनके समय का अनुमान लगाया जा सकता है। भानुदत्त ने अपने ग्रंथ अलंकारतिलक में जयदेव कृत गीत गोविंद को उद्धृत किया है। भानुदत्त का गीतिकाव्य, गीतगौरीश भी गीत गोविंद की शैली में लिखा गया है। जयदेव 12 वीं शताब्दी में हुए थे अतः भानुदत्त उनसे कुछ समय पश्चात ही हुए होंगे। भानुदत्त ने रस तरंगिणी में अल्लराज कृत रसरत्नप्रदीपिका का भी एक श्लोक उद्धृत किया है।

नायक नायिका भेद परंपरा के कुछ अध्येताओं ने भानुदत्त के आश्रयदाता के रूप में निजाम-धरणीपाल का नाम भी उल्लेखित किया है। भानु दत्त मिश्र ने रसमंजरी के सात्विक भावों के समसित उदाहरण में उन्होंने निजाम-धरणीपाल का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह निजाम राजा देवगिरीश्वर के आश्रय में रहते थे और देवगिरीश्वर उनके समकालीन मान प्रतिष्ठित राजा थे। उनका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो उस समय भारत वर्ष में थे लगभग सभी उनके ही दरबार में रहते थे। उनके जैसे आश्रय दाता सभी को नहीं मिल पाते थे। वे स्वयं विद्वान थे तथा कला एवं संस्कृति का आदर जानते थे। वह विद्वान, पंडित, कलाकारों, नर्तकों, वास्तुकारों आदि को समाज के कल्याणार्थ संरक्षण प्रदान करते थे। जनता को सत्साहित्य के पठन-पाठन हेतु प्रेरित करते थे। इसके लिए उन्होंने पाठशाला विश्वविद्यालय संस्कृत आश्रम आदि खोलें। जिससे विद्वान जनों का संचित ज्ञान सामान्य जनता तक पहुंच सके। इससे पूर्व अशिक्षा के कारण जनता पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाती थी आश्रयदाता की कृपा पाकर कवि निश्चिन्त होकर काव्य रचना करते थे। प्रजा में भी कवि को राजा से अधिक सम्मान प्राप्त होता था। अतः भानु दत्त मिश्र एवं उनके पूर्वजों तथा परवर्ती भी आश्रय दाता की शरण में रहकर जनकल्याण एवं काव्य कृतियों की रचना करते रहे। अतः सिद्ध है कि राजा के मनोरंजनार्थ एवं उन्हें नाट्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने हेतु उन्होंने रसतरंगणी एवं रसमंजरी की रचना की।

कृतियों—

आचार्य भानुदत्त को सात-आठ ग्रन्थों की रचना का श्रेय दिया जाता है। वे सात ग्रन्थ हैं— रसमंजरी, अलंकारतिलक, गीतगौरीश, कुमारभार्गवीय, रसपरिजात, चित्रचन्द्रिका तथा शृंगार

दीपिका। इनमें से रसमंजरी का तो रसतरंगणी में उल्लेख आता है। अतः वह रसतरंगणी से पूर्व की रचना है। रसमंजरी के मुख्यतः नायक-नायिका भेद का विवेचन है। अलंकारतिलक, रसमंजरी के बाद की रचना है। इसमें रसरूपी आत्मा का उल्लेख मात्र करके छोड़ देना सम्भवतः इसी तथ्य की ओर संकेतक रहा है। कि इसका विस्तार से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है। कि रसतरंगणी और अलंकारतिलक दोनों के श्लोक कहीं-कहीं पर मिलते जुलते दृष्टिगोचर होते हैं।

1. रसमंजरी— यह रस सिद्धांत का व्यापक विवरण प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। इसे नाट्य शास्त्रीय परंपरा का ग्रंथ माना जा सकता है। इस ग्रंथ में शृंगार के सभी अवयवों का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया गया है। रसमंजरी के निर्माण का कारण बताते हुए उन्होंने स्वयं कहा है कि विद्वानों के मनोरूपी भौरों विलक्षण प्रकार के रसास्वादन प्राप्त करें। एतत्प्रयुक्त रसमंजरी प्रकाश में लाई गई। अंत में उन्होंने कहा मकरंद समूह को प्रभावित करने वाली यह रसमंजरी है इसे विद्वान लोग अपने कर्णाभरण के रूप में कृपया धारण करें। कवि श्री भानुदत्त ने स्वनिर्मित पद्यों द्वारा इस रसमंजरी नामक पुस्तक की रचना की है। जो वाग्देवी सरस्वती के कान पर स्थित परिजात के पुष्प के साथ स्पर्धा करने वाली है। रसमंजरी की महत्ता इससे और सिद्ध हो जाती है कि इसके गूढतम भावों को अभिव्यक्त करने वाली अभी तक 11 टीकाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। 1. अनन्त पण्डित कृत व्यङ्ग्यार्थकौमुदी 2. नागेशभट्ट कृत प्रकाश 3. शेश चिन्तामणि कृत परिमल 4. गोपालाचार्य कृत विकास 5. द्राविण गोपालभट्ट कृत रसिक रंजिती 6. विश्वेश्वर पर्वतीय कृत समज्जसा 7. रंगशायिन् कृत आमोद 8. आनन्द शर्मा कृत व्यङ्ग्यार्थ दीपिका 9. महादेव कृत भानुभावप्रकाश 10. ब्रजराज कृत रसिकरंजन 11. किसी अज्ञात नाम विद्वान् द्वारा कृत रसमंजरी स्थूल तात्पर्यार्थ। इसके अलावा कवि शेखर पंडित ब्रदीनाथ झा जी ने रसमंजरी की सुरभि-व्याख्या लिखी है। इसके अलावा सुषमा-व्याख्या भी रसमंजरी का नवीन विवेचन करती है। इस प्रकार अनेक विद्वानों द्वारा रसमंजरी के विचारों को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। सभी टीकाकारों का दृष्टिकोण भानुदत्त कृत रसमंजरी की महत्ता को पूर्णरूपेण वर्णित करता है। सभी टीकाकारों ने उनके नायिका भेद वर्णन को नाट्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग बताया है। अतः नायक नायिका भेद परंपरा की नवीन कड़ी के रूप में रसमंजरी की महत्ता सर्व सिद्ध है।

2. रसतरंगणी— भानुदत्त का दूसरा ग्रन्थ रसतरंगणी है। इसमें रसों

का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। भानुदत्त ने इस ग्रन्थ को लिखकर रस सिद्धान्त का व्यापक विवरण प्रस्तुत करके अलंकारशास्त्र के इतिहास में स्मरणीय कार्य किया है।

3. गीतगौरीश— इसे गीतगौरापति के नाम से भी जाना जात है। यह एक गीतकाव्य है। यह दश सर्गों में लिखा गया है। रसमंजरी के कुछ पद्य गीतगौरीश में भी दिए गये हैं।

उक्तवत् आचार्य भानुदत्त जी के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

आचार्य भानुदत्त एवं भारतीय नाट्य परम्परा—

भारतीय नाट्य परम्परा पर विचार करने के पूर्व इतिहास पुराण नाट्य शासत्रीय ग्रन्थों एवं अन्य साहित्यिक रचनाओं तथा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में ईसा से कई सदियों पूर्व नाट्यकला विकसित हो चुकी थी। इसके विकास में अदिम जातियों — यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, नट, नर्तक, चारण, मागध, सूत, कथक ग्रन्थिक, कुशीलव आदि जातियों का महत्वपूर्ण अवदान रहा है। उन्होंने गायन, वादन, नर्तन, कर्तव्य प्रदर्शन, कथा, वाचन तथा आख्यानोपाख्यानों के नाटकीय प्रस्तुतीकरण के द्वारा इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोये रखा। बाद में ऋषियों मुनियों एवं आचार्यों ने इस कला को अपनी असाधारण प्रतिभा, अनुपम मनीशा और विवेचना कौशल से मण्डित कर प्रोढ़ लोकप्रिय एवं व्यापक बनाने का विपुल प्रयास किया है और भारत ने उसे शास्त्र का सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है।

नाट्यशास्त्र को केवल नाट्य कला का ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय कलाओं का विश्वकोश कहा गया है। ऐसा कोई ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, विद्या, योग और कर्म नहीं है जो इस नाट्यशास्त्र में समाहित न हो। काव्य नाट्य, अभिनय, नृत्य, गीत, वाद्य, वास्तु मूर्ति, चित्र, पुस्त-विधि आदि न जाने कितनी कलाओं का परिनिश्चित एवं व्यापक विवेचन इस ग्रन्थ में हुआ है। भारत का यह नाट्यशास्त्र ही नाट्य परम्परा और कला—चिन्तन का केन्द्र बिन्दु रहा है। भारत ने तो इसे सार्ववर्णिक पंचम वेद कहा है।

नाट्य परंपरा के विकास के बारे में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अमर सिंह ने अमरकोश में नाट्योन्मेष एवं नाट्य चिंतन के विकास की तीन परंपराओं का उल्लेख किया है। प्रथम शिलालि द्वारा नट सूत्र की रचना और जायाजीवो (नटो) द्वारा उसका प्रयोग। द्वितीय कृशाश्व द्वारा नाट्यशास्त्र विषयक ग्रंथ की रचना और नटों द्वारा उसका प्रयोग। तृतीय भारत के नाट्य शास्त्र की रचना और उसके वंशज भरतों द्वारा उनका प्रयोग। इनमें प्रथम दो शिलालि एवं कृशाश्व नामक नाटक सूत्र (नाट्यशास्त्र) के निर्माता आचार्यों का

उल्लेख पाणिनी की अष्टाध्याई में मिलता है। उनके अनुसार जो शिलालि द्वारा उपरोक्त नट सूत्र का अध्ययन करते थे, वे शिलालिन् कहलाते थे और जो कृशाश्व की परंपरा में दीक्षित होते थे वे कृशाश्विन् कहलाते थे।

इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों आचार्य नाट्यशास्त्र के पूर्व विख्यात हो चुके थे। हो सकता है कि शिलालि और कृशाश्व की परंपरा में दीक्षित आचार्य भरत के मार्गदर्शक रहे हों।

तृतीय परंपरा भरत की रही है इस परंपरा के अनुसार ब्रह्मा ने चतुर्वेद संभूत नाट्य कों प्रयोग के लिए भरत को दिया था। एक अन्य परंपरा के अनुसार नटराज शिव ने नाट्य वेद को नंदीकेश्वर को देकर ऋषियों से प्रयोग का अनुरोध किया। वे ऋषि ही भरत कहलाए। भरत ने नटसूत्र की रचना की थी। किंतु अमरकोश में भारत के नटसूत्र की चर्चा नहीं है। भवभूति ने उनका तौर्यत्रिक सूत्रकार के रूप में उल्लेख किया है। उनके अनुसार भरत का मूलग्रन्थ सूत्रबद्ध था। नान्यदेव ने भी भरत को सूत्रकृत् कहा है। सम्भवतः ये सूत्रकार भरतनाट्यशास्त्र के संग्रहकार भरत से भिन्न रहें हों और ये सम्भवतः आदिभरत ही रहें हों जिनके कुछ सूत्र नाट्यशास्त्र में आनुवंशिक के रूप में उद्धृत हैं। अभिनवभारतीकार ने भरतनाट्य शास्त्र को भरतसूत्र के नाम से अभिहित किया है। सम्भव है कि अभिनवभारतीकार के सामने भरत का वह नटसूत्र विद्यमान रहा हो और नाट्यशास्त्र की रचना हो जाने पर उसका उसमें अन्तर्भाव हो गया हो।

इसके अतिरिक्त नाट्य शास्त्र में अनुवंश्य श्लोक और सूत्रानुविद्ध, आचार्यायें भी प्राप्त होती हैं। अनुवंश्य का अर्थ है वंश परंपरागत तथा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त वे अनुवंश्य श्लोक भरत को वंश परंपरा से प्राप्त हुए थे। जिनका उल्लेख नाट्यशास्त्र में किया गया है। वैसे तो प्राचीन भारतीय साहित्य में भरत शब्द जातिवाचक रहा है। वैदिक काल में भरतों की वंश परंपरा विद्यमान थी। इसी वंश परंपरा में भरत नामक व्यक्ति रहा है। अमरकोश में भरतपुर नट का पर्याय माना गया है। नाट्य शास्त्र में भी भरतों के वंश का उल्लेख है। भरत ने तो स्वयं नाट्यशास्त्र में नटन करने वाले अभिनेताओं तथा उनके साथियों को भरत कहा है।

नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों में प्राप्त और उल्लेखों से ज्ञात होता है कि भरत के पूर्व भी नाट्य आचार्यों की एक परंपरा विद्यमान रही है। भरत ने स्वयं नाट्यशास्त्र में विभिन्न प्रसंगों में अनेक नाट्य आचार्यों का उल्लेख किया है। नाट्यशास्त्र में नाट्योत्पत्ति एवं नाट्यप्रयोग के प्रसंग में ब्रह्म, शिव, पार्वती, स्वाति, नारद, कोहल, वात्स्य, शांडिल्य,

धूर्तित (दलित) करणों एवं अंगहारों के निरूपण के प्रसंग में तन्दु एवं नंदी तथा अन्य प्रसंगों में कश्यप, बृहस्पति, नटकुट्ट-अश्मकुट्ट, वादरायण, शतिकर्णी अदि आचार्यों का नाट्यशास्त्र प्रणेता एवं नाट्य आचार्य के रूप में उल्लेख किया है।

नाट्यशास्त्र के अविष्करता स्वयंभू ब्रह्मा माने जाते हैं। उन्हें पद्मभू एवं द्रुहिण भी कहा गया है। शारदातनय ने उन्हें नंदीकेश्वर का शिष्य बतलाया है। नाट्यशास्त्र में उन्हें नाट्यशास्त्र का सृष्टा कहा गया है। नाट्य शास्त्र के अनुसार ब्राह्म ने देवताओं के अनुरोध पर ऋग्वेद से नाट्य यजुर्वेद से अभिनय सामवेद से गीत तथा अथर्ववेद के रसों को ग्रहण कर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की थी।

दत्तिल ने ब्रह्मा को गांधर्व का प्रवक्ता कहा है। शाडर्गदेव ने उन्हें मद्रकादि सप्रगीतों का प्रवर्तक बतलाया है। ब्रह्मा ने नारद को गीत स्वाति को बाद्य और भरत को नाट्यवेद की शिक्षा देकर उन्हें नाट्यकर्म में नियोजित किया था। शारदातनय के अनुसार ब्रह्मा भरतमुनि के शिक्षक रहे हैं उनकी वीणा का नाम ब्रह्मवीणा था उन्हें आदिवीणा तथा घोशवती भी कहते हैं। यह एकतंत्री वीणा थी। एक तंत्री वीणा में एक तार होता है जिसमें समस्त श्रुतियाँ, ग्राम एवं मूर्च्छनाएँ उपस्थित रहती हैं। इसे ही समस्त वीणाओं की जननी कहा जाता है। ब्रह्मा के अनुसार नाट्य में 8 रस होते हैं। नाट्यशास्त्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा जी ने अमृत मंथन नामक समवकार की रचना की है।

भारतार्णव के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मस्थानक के जनक थे। भारतार्णव के अनुसार शिव शुद्धनाट्य के जनक थे। शुद्धनाट्य के अंतर्गत सात प्रकार के तांडव सम्मिलित हैं। नदिकेश्वरकाशिका के अनुसार शिव के डमरू से 14 सूत्र निकले हैं। इनमें निर्दिष्ट स्वर ही सांगीतिक स्वरों के आधार हैं। इन्हीं परमशिव के प्रसन्नता भरे नृत्यों से नृत्य कला का आविर्भाव हुआ है। अतः स्वर एवं नृत्य की उत्पत्ति शिव से हुई है।

नाट्यशास्त्र के अनुसार शिव ने कारणों एवं अंगहारों से युक्त नृत्य की रचना कर तन्दु को सिखाया था। तन्दु ने शिव के प्रदत्त प्रत्येक नृत्य ज्ञान को बारीकी के साथ सीखा था। तन्दु के द्वारा उपदिष्ट वह नृत्य तांडव कहलाया। इस प्रकार नाट्य एवं नृत्य के विकास में शिव नटराज के रूप में विश्रुत रहे हैं। इसलिए उन्हें नटराज राज कहा जाता है।

इसी प्रकार एक अन्य ग्रंथ शारदातनय ने भी रसस्वरूप के प्रसंग से सदाशिव के मत का उल्लेख किया है। और उन्हें

नाट्याचार्य कहा है। इसी प्रकार शिव की अर्धांगिनी पार्वती को भी कलाओं की अविष्कर्त्री माना गया है। नाट्य शास्त्र और अभिनयदर्पण के अनुसार भगवती पार्वती ने लास्य का आविष्कार किया था। भारतार्णव में उन्हें देसी नाट्य की सर्जिका कहा गया है। नारद ब्रह्ममा के शिष्य एवं गान्धर्व के प्रतिपादक आचार्य थे। ब्रह्ममा ने नाट्यवेद का निर्माण कर नारद को नाट्य-प्रयोग में नियुक्त किया था। नारद की विद्वता को ध्यान में रखकर महाभारत के रचयिता ने महाभारत में नारद को गान्धर्ववेद का प्रवर्तक कहा है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भरत ने नारद निरूपित सिद्धान्तों के आधार पर गान्धर्व का प्रतिपादन किया है। नारद के प्रतिभा शक्ति को महत्व देते हुए दत्तिल ने लिया है। भूतल पर गान्धर्व के प्रचार का श्रेय नारद को है। नाट्यशास्त्र के अनुसार नारद ने ऋचा, गाथा, पाणिका गीतों और वीणा आदि बाधों का निरूपण गान्धर्व के अन्तर्गत किया है। शारदातनय न रस के प्रसंग में नारद के मत का उल्लेख किया है।

नारद के दो ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं— पञ्चमसारसंहिता और नारदीय शिक्षा। नारद के अनुसार ग्रामरागों का प्रयोग लोक में न होकर स्तुतियों एवं यज्ञ के अवसर पर करना चाहिए। नारद निर्गीत अर्थात् बहिर्गीत के अविष्कारक कहे जाते हैं। नारद की वीणा का नाम महती है। इनकी वीणा में इक्कीस तार थे, जिनमें तीनों सप्तक मिले रहते थे और तीनों ग्राम तथा इक्कीस मूर्च्छनाएँ होती थी।

अभिनवगुप्त ने कश्यप का नाट्यशास्त्र प्रणेता एवं संगीताचार्य के रूप में उल्लेख किया है। संगीतरत्नाकर में शाडर्गदेव ने कश्यप का नामोल्लेख प्राचीन संगीताचार्य के रूप में किया है। कश्यप के नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का त्वरित अध्ययन कई शोधार्थियों द्वारा किया गया व अनेक निकाले गये। इनके मतों की अनेक स्थलों पर मान्यता है। नान्यदेव ने भरतभाष्य में कश्यप का मत उद्धृत किया है। अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में कश्यप का मत उद्धृत किया है अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में रागों के विनियोग—निरूपण के अवसर पर कश्यप के नाम से पचहत्तर रत्नों को उद्धृत किया है।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि इस अध्याय में आचार्य भानुदत्त के व्यक्तित्व एवं कर्तव्य पर चर्चा करने के साथ-साथ उनकी प्रमुख तीनों रचनाओं रसमजरी, रसतरंगणी और गीतगौरीश के प्रतिपाद्य पर भी प्रकाश डाला गया है। उसके अलावा आचार्य भानुदत्त और भारतीय नाट्य परंपरा पर भी इस अध्याय में विस्तृत चर्चा की गई है। वह भारतीय नाट्य परंपरा के प्रमुख आचार्य

हैं। एक तरफ उन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों में अभिनवगुप्त, रुद्रट, धनंजय, भोजराज, सागरनंदी, रामचंद्र, गुणचंद्र, शारदातनय, सिंहभूपाल से प्रेरणा ग्रहण की है। तो वही अपने परिवर्ती आचार्य अकबर शाह एवं हिंदी आचार्यों को प्रभावित भी किया है

सन्दर्भ सूची

1. Muslim Patronage of Sanskrit learning Part 1 (Calcutta)
2. Journal of the deptt. Of Letters, Calcutta University Vol-9 (1923)
3. कुमार भार्गवीय
4. महाकवि भानुदत्त मिश्र विरचिता रसमंजरी, संस्कृत व्याख्याकार कवि शेखर श्री पण्डित बद्रीनाथ झा, श्री हरिकृष्ण निबन्धभवनम् वाराणसी 1978 ई०
5. भानुदत्त विचरित रसतरंगणी
6. माध्वीकस्यन्द सन्दोहसुन्दरी रसमंजरीम्
7. मेघदूतम्, कालीदास
8. The Rasol – Jivan, Gadadahara Bhata, Culcutta 1944

डॉ० रविन्द्र कुमार आर्या

एम०ए० (संस्कृत), बी०एड०

संस्कृत विभाग,

राजकीय महाविद्यालय,

फरीदपुर (बरेली)

क० सविता विक्रम

एम०ए० (संस्कृत), बी०एड०



सारांश

भक्ति—तत्व प्रेम—तत्व का निचोड़ है, प्रेम अनेक रूपमय होता है। मानव की वासन्तीवय उसे प्यार, प्रेम एवं प्रीति आदि तत्वों की ओर लुभाती है। दाम्पत्य जीवन में बद्ध होकर जब तक सन्तति संचालन का मुख्य अंग बनता है तो नवजात शिशुओं के प्रति उसके अन्तर्भूत में निहित प्रेम की प्रबल भावना की धारा वात्सल्य एवं स्नेह के रूप में प्रकट होती है। शिशु वर्ग जब गुरुओं और माता—पिता के उपकारों को समझने लगता है और जीवन—मार्ग की यात्रा को तय करता हुआ युवा अवस्था में प्रवेश करता है तो वह श्रद्धा भावना से समन्वित हो जाता है। अन्त में चलकर वह प्रेम के सभी रूपों को पार करता हुआ भक्ति—तत्व के महान् रूप से सुशोभित होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति प्रायः प्रेम के सम्पूर्ण रूपों का रसास्वादन करता हुआ भक्ति—तत्व तक पहुँचता है। निश्चित ही भक्ति खरा कंचन के समान है जिसकी मलिनता प्रेम के अन्य तत्वों की अग्नि में तपकर ही दमकने लगती है। अनेक भक्त साधकों में यह भावना प्रेम के अन्य रूपों के साथ अनुभव जन्य न होकर जन्मजात भी होती है।

द्विवेदी कालीन कवियों की बात करी जाए तो वे सभी भक्ति तत्व के खरे उपासक हैं। भक्ति देवी—देवताओं एवं ईश्वर के प्रति प्रस्तुत होती है। “साकेत” जैसा आधुनिक युग का वैज्ञानिक महाकाव्य रचने के पश्चात् भी मैथिलीशरण गुप्त राम की भक्ति को नहीं भूलते —

“राम, तुम मानव हो? ईश्वर नहीं हो क्या?

विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या?

तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें,

तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे।”

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ‘सरस्वती’ पत्रिका के माध्यम से काव्य जगत को निश्चित ही एक नई दिशा प्रदान की है। भक्ति की भावना आपमें कूट—कूट कर भरी हुई थी। इसी भावना की अमिट छाप द्विवेदी कालीन अन्य कवियों में भी दिखायी पड़ती है। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता में भक्ति भावना का चरमोत्कर्ष है। नवद्या भक्ति का सम्पूर्ण निरूपण आपकी कविता में प्रस्तुत किया गया है —

“श्रवण, कीर्तन, वन्दन, दासता।

स्मरण, आत्म—निवेदन, अर्चना।

सहित सख्य तथा पद—सेवना।

निगदिता नवधा प्रभु भक्ति है।”²

परमपिता परमेश्वर से भक्ति में विनम्र निवेदन करना हरिऔध जी के काव्य की महान् विशेषता रही है —

“यह प्रलोभन है न कृपानिधे।

यह अकोर प्रदान न है प्रभो।

वरन है यह कातर—चित्त की,

परम—शान्तिमयी—अवतारणा”।³

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता अटूट भक्ति से समन्वित है। आप अपने को अपनी कविता में स्वयं एक भक्त के रूप में ही प्रस्तुत करती हैं —

“देवता थे वे, हुए दर्शन, अलौकिक रूप था।

देवता थे, मधुर सम्मोहन स्वरूप अनूप था।

देवता थे, देखते ही बन गयी थी भक्त मैं।

हो गयी उस रूप—लीला पर अटल आसक्त मैं।”⁴

श्रीमती चौहान की “टुकरा दो या प्यार करो” नामक कविता बहुत ही प्रसिद्ध रही है। यह एक ऐसी कविता है जिसमें भक्ति—रस की पुनीत स्रोस्वनी ही प्रवाहित हो उठी है। आपने इस कविता में पवित्र—हृदय से जिस निश्छल भक्ति को प्रस्तुत किया है वह निश्चित ही महान् है। प्रभु के समक्ष शुद्ध हृदय से अपने को समर्पित कर देना ही आपकी भक्ति की महान् विशेषता है —

“पूजा और पूजापा प्रभुवर।

इसी पुजारि को समझो।

चरणों पर अर्पित है, इसको

चाहो तो स्वीकार करो।

यह तो वस्तु तुम्हारी ही है।

टुकरा दो या प्यार करो।।”⁵

मैथिलीशरण गुप्त जी के काव्य में भक्ति के अनेक अटूट प्रमाण देखने को मिलते हैं। वे अपने आराध्य के ऐसे अद्वितीय भक्त हैं जिन पर किसी अन्य आराध्य की भक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो सकता —

“धनुर्बाण वा वेणु लो स्याम रूप के संग।

मुझ पर चढ़ने से रहा राम! दूसरा रंग ।”

‘भक्ति’ शब्द में “भज” क्रिया है। आशय यह है कि जब आराध्य अपने आराध्य के प्रति भक्ति करता है तो वह उसका जाप करता हुआ भजन करता है। गुप्त जी की कविता में अपने आराध्य के प्रति ऐसी भक्ति प्रस्तुत की गयी है जो प्रतिपल, प्रतिक्षण अपने आराध्य का ही भजन करती है। गुप्त जी के काव्य में आधुनिक अन्धविश्वास रहित वैज्ञानिक विचारधाराओं की प्रबल प्रतिछाया होते हुये भी भक्ति तत्व की अत्यल्प भी उपेक्षा नहीं की गयी। अपने काव्य ग्रन्थों में प्रारम्भ में ही वे मंगलाचरण के साथ ही साथ भक्ति-तत्व को पूर्णतः प्रस्तुत करते हैं –

“राम भजन कर पाच जन्य! तू

वेणु बजा लूँ आज अरे ।”

श्री रामनरेश त्रिपाठी ने भी अपनी कविता में भक्ति को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। आप परम पिता परमेश्वर को समस्त विश्व का पालनहार मानते हैं। ईश्वर की ही महान दयाकारी के रूप में स्वीकृत करते हुये आपने उसमें भक्ति को ही समाहित कर दिया है “सर्व शक्ति का केन्द्र समस्त जगत का संचालक है।

वही दया का स्रोत, प्रेम का प्राण, लोक-पालक है ।।”

द्विवेदी कालीन कवि श्री गया प्रसाद शुक्ल ‘सनेही’ की कविता में अद्वितीय अलौकिक शक्ति के प्रति शुद्ध भक्ति प्रस्तुत की गयी है। जीवात्मा-परमात्मा का अनूठा भक्तिमय चित्रण भी आपकी कविता में सुन्दर रूप में देखने को मिलता है –

‘तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ,

तू है महासागर अगम मैं एक धारा क्षुद्र हूँ।

तू है महानद तुल्य तो मैं एक बूँद समान हूँ,

तू है मनोहर गीत तो मैं एक उसकी तान हूँ ।।”

प्रेम, लौकिक रूप में नर नारी तक ही सीमित न रहकर, अलौकिक स्तर तक पहुँचता है, यही उसका आदर्श एवं आध्यात्मिक स्वरूप है, यह जीवात्मा-परमात्मा का ही एक अविनाशी अंश है तो फिर वह जीवात्मा परमात्मा के प्रेम से विमुख कैसे रह सकती है। मनुष्य में प्रेम की भावना जब निज तक ही सीमित न रहकर विश्व के जन-जन एवं कण-कण तक पहुँचती है तो उसका ध्यान सृष्टि के रचियता परमात्मा तक पहुँचता है और वह इसी वसुधेवी कुटुम्बकम् के आदर्श भाव को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, यही उसकी ईश्वरीय आराधना, ईश्वरीय-भक्ति के नाम से जानी जाती है। प्रेम का अलौकिक रूप ही भक्ति का स्वरूप है।

परमात्मका के प्रति भक्ति का भाव मानव के अन्तस् में प्रेम

के प्रथम सोपान से भी जाग्रत होता है। इस गूढ़ का प्रतिपादन अनेक प्रेमी साधकों ने किया है। महाकवि दिनकर कृत ‘उर्वशी’ जैसे महान् काव्य का यही अमर सन्देश है :-

“जिस मधुर भूमिका में जन को,

दर्शन तरंग पहुँचाती है,

उस दिव्य लोक तक हमें

प्रेम की नाव सहज ले जाती है ।”¹⁰

प्रेम का एक प्रारम्भिक रूप ‘काम’ भी है। काम तत्व की वेदों में भी अति महत्ता प्रतिपादित है ।¹¹

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार तत्व जीवन के महान् तत्व हैं, इन सभी में ‘काम’ को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वीकृत किया गया है :-

“काम मंगल से मण्डित श्रेय

सर्ग, इच्छा का है परिणाम,

तिरस्कृत कर उसको तुम भूल

बनाते हो असफल भव धाम ।”¹²

जब प्रेमी-साधक इन्द्रिय धरातल से प्रेम के स्तर पर अतीन्द्रिय धरातल की ओर बढ़ता है तो यही अतीन्द्रिय भावना उसे आध्यात्म की प्राप्ति कराती है :-

“इन्द्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श, यही प्रेम की आध्यात्मिक महिमा है ।”¹³

महाकवि प्रसाद के ‘आँसू’ का मूल सन्देश भी यही है। प्रेमी साधक प्रारम्भ में स्थूल सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होकर प्रेम की उदात्तीकृत स्थिति से अलौकिक स्तर तक पहुँचता है और यह अलौकिक स्तर ही प्रेम से राम की प्राप्ति है। आँसू का प्रेम भी अन्त में चलकर एक अद्वितीय, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति कर चुका है जिसकी शक्ति के संचालन से ही विश्व संचालित हो रहा है :-

“तेरे प्रकाश से चेतन

संसार वेदना वाला,

मेरे समीप होता है

पाकर कुछ करुण उजाला ।”¹⁴

प्रेम से राम की प्राप्ति साधक-प्रेमी की स्थिति को सुख-दुःख से ऊपर उठकर आनन्दमयी बना देता है। महाकाव्य “कामायनी” की नायिका श्रद्धा मनु के साथ प्रेम की उदात्तीकृत स्थिति से ही राम की प्राप्ति कर आनन्द के अथाह सागर में समाधिस्त हो जाती है :-

“प्रतिफलित हुई सब आँखें

उस प्रेम ज्योति विमला से,

सब पहचाने से लगते
अपनी ही एक कला से'
समरस थे जड़ या चेतन
सुन्दर साकार बना था,
चेतना एक विलसती
आनन्द अखण्ड घना था।'¹⁵

प्रेम के माध्यम से राम की प्राप्ति के सिद्धान्त के आधार पर ही विद्वानों
ने "प्रेम को ही ईश्वर कहा है।"

स्वअम पे ळवकंदक ळवक पे सवअम¹⁶

प्रेम का अलौकिक रूप ही भक्ति का स्वरूप है। संक्षिप्त रूप में हम
कह सकते हैं कि – सौन्दर्य की भावना प्रेमी साधक को अपनी ओर
आकर्षित करती है। प्रारम्भ में यह आकर्षण स्थूल-कायक रूप के
प्रति सबसे अधिक होता है और इस स्तर पर उसे 'काम' कहा जाता
है। यही काम-भावना जब स्थूल प्रेम की भावना से कुछ ऊपर उठती
है तो उसे 'प्यार' कहते हैं। इसी प्यार की उदात्तीकृत स्थिति जब
स्थूल भावना से सूक्ष्म भावना की ओर बढ़ती है तो उसे 'प्रेम' कहते
हैं। जब यही प्रेम की भावना जब अटल और स्थाई रूप धारण कर
लेती है तो उसे "प्रीति" कहते हैं। प्रेम और प्रीति में पवित्रता की
भावना होती है। यही प्रीति जब इन्द्रिय धरातल से ऊपर उठकर
अतीन्द्रिय धरातल को स्पर्श करती है तो उसे "भक्ति" कहते हैं।
यही भक्ति-भावना प्रेमी साधक को आराध्य राममय बनाकर आनन्द
के अथाह सागर में सराबोर कर देती है, और यही प्रेम के माध्यम से
'राम' की प्राप्ति का सार है।

द्विवेदी कालीन कविता में प्रेममीय वेदना प्रकृति के साथ घुलमिल
जाती है। वियोगिनी प्रकृति से उद्दीपन ग्रहण कर भावना को उद्दीप्त
कर उतनी पीड़ित नहीं होती, अपितु प्रकृति-नदी में भी वियोग की
भावना देखकर उसे अपनी सखी बना लेती है। "साकेत" की उर्मिला
'प्रिय-प्रवास' की राधा वियोग भरी ताप का रीतिकालीन नापतोल
एवं उछल-कूद नहीं करती अपितु धैर्य, आभा एवं विश्वास को ग्रहण
कर पीड़ा में भी आनन्द की अनुभूति करती है। द्विवेदी कालीन प्रेम
निश्चित ही भारतीय संस्कृति से समन्वित नैतिकता का सफल
परिचय देता है।

परिशिष्ट –

1. श्री मैथलीशरण गुप्त, साकेत, पूर्वरंग, पृ0 1 से पूर्व।
2. श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय-प्रवास, षोडस सर्ग, पृ0
1
3. श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय-प्रवास, तृतीय सर्ग, पृ0
23

4. श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल व अन्य कवितायें, पृ0 17
5. श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल एवं अन्य कवितायें, पृ0 21
6. श्री मैथलीशरण गुप्त, द्वापर, मंगलाचरण, पृ0 9
7. श्री मैथलीशरण गुप्त, द्वापर, श्रीकृष्ण, पृ0 10
8. श्री रामनरेश त्रिपाठी, पथिक, चौथा सर्ग, पृ0 59
9. श्री गंगाप्रसाद शुक्ल 'सनेही', हिन्दी साहित्य का इतिहास, सं0
डॉ0 नगेन्द्र, पृ0 506
10. महाकवि दिनकर, उर्वशी, तृतीय अंक, पृ0 99
11. ऋग्वेद, मन्त्र 4, सूत्र 129
12. महाकवि प्रसाद, कामायनी, श्रद्धा, पृ0 62
13. महाकवि दिनकर, उर्वशी, भूमिका, पृ0 (ख)
14. महाकवि प्रसाद, आँसू, पृ0 62
15. महाकवि प्रसाद, कामायनी, आनन्द, पृ0 292
16. Caudwell, "Studies in a Dying Culture", P. 132

डॉ0 निशा गोयल

मोबा0 नं0 – 9358308694

ई-मेल – nishagoel10@gmail.com

म0न0 201– जवाहर चौक निकट

लाला का बाजार

मेरठ शहर 20025



सारांश

आचार्य भानुदत्त द्वारा विचरित रसमंजरी का संस्कृत साहित्यशास्त्र में अपना विशेष स्थान है। परवर्ती साहित्य आचार्यों ने इस ग्रंथ में प्रतिपादित सिद्धांतों की यत्र तत्र चर्चा की है। संस्कृत काव्यशास्त्र के अलावा हिंदी साहित्य शास्त्र संबंधी अनेक कृतियां भी इसमें प्रभावित हैं। आचार्य भानुदत्त ने अपनी रस तरंगिणी में रस का विवेचन सरस शैली में किया है तथा नवीन उद्भावनाओं को रंग देकर विवेचन को अत्यंत समृद्ध बना दिया है। इसी कारण परिवर्ती संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्यशास्त्र तथा हिंदी साहित्य शास्त्र पर रसमंजरी का प्रभाव पड़ा है।

शोध प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में रसमंजरी एवं शृंगारमंजरी की समीक्षा की गई है। दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में दोनों आचार्यों के द्वारा किये गए नायक नायिका वर्णन में साम्य एवं वैशम्य पर भी प्रकाश डाला गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन-किन गुणों का वर्णन आचार्य भानुदत्तजी से भिन्न अकबरशाह जी ने किया है तथा इसी अध्याय में रसमंजरी के उपजीवत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

शोध प्रबन्ध के पंचम अध्याय में रसमंजरी का नाट्यशास्त्र के सन्दर्भ में महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसी अध्याय में रसमंजरी की नाट्यशास्त्र से तुलना भी की गई है और परवर्ती नाट्य साहित्य पर रसमंजरी के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है।

1. नायक-नायिका वर्णन में साम्य-वैशम्य-

नायक-नायिका भेद विवेचन परम्परा के अन्ति संस्कृताचार्य एवं काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा साहित्यशास्त्र के प्रसिद्ध कवि भानुदत्त मिश्र ने नायक नायिका निरूपण की जो समृद्ध परम्परा आगे बढ़ाई है उसका अनुकरण आगे आने वाले सभी आचार्यों एवं हिन्दी रीतिकालीन परम्परा के कवियों ने नायक नायिका निरूपण में किया है।

नायक-नायिका निरूपण के क्षेत्र में आचार्य भानुदत्त जी ने रसमंजरी में विस्तृत वर्णन किया। इस रचना का अनुकरण करके, रचना करने वाले कवियों में अकबरशाह कृत शृंगारमंजरी कृति का नाम अग्रगण्य है। इस कृति में भी नायक-नायिका आदि का विशद

विवेचन किया गया है। दोनों ग्रन्थों का साम्य वैशम्य यहाँ प्रस्तुत है— नायक निरूपण में आचार्य अकबरशाह, आचार्य भानुदत्त के निरूपण से साम्य प्रदर्शित करने के साथ साथ वैशम्य भी प्रदर्शित करते हैं। शृंगाररस का द्वितीय आलम्बन अर्थात् नायक कथा में सर्वत्र व्याप्त रहता है। आचार्य भानुदत्त ने नायक के तीन भेद माने हैं। पति, उपपति और वैशिक। तदुपरान्त उन्होंने पति के चार भेद किये हैं— अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ। इसी प्रकार उन्होंने उपपति या जार के भी चार भेद किए हैं— दक्षिण, अनुकूल, धृष्ट और शठ, और वैशिक नायक को तीन प्रकारों में बांटकर (उत्तम, मध्यम, अधम) उनकी चर्चा की है। परन्तु पति, उपपति के उत्तम मध्यम, अधम भेद उन्होंने नहीं किए हैं। नायिका की चेष्टा को न समझ पाने वाले गुणहीन नायक को उन्होंने नयकाभास कहा है। इस प्रकार अकबर शाह ने रसमंजरीकार की भांति नायक के 12 भेदों का निरूपण किया है पति के गुण का विवेचन करते हुए उन्होंने उसे विधि पूर्वक पाणिग्रहण करने वाला नायक कहा है। उन्होंने पति के प्रथम भेद अनुकूल नायक, उसे माना है जो पराई स्त्री से सर्वथा पराङ्मुख रहने वाला होता है। अपनी समस्त नायिकाओं में बराबर अनुराग रखने वाला नायक को दक्षिण नायक कहते हैं। साथ-साथ उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि यह शठ नायक पर लागू नहीं होता है क्योंकि वह अनेक नायिकाओं को प्रेम तो करता है परन्तु उनका प्रेम अकृतिम होता है। इसी प्रकार बार-बार अपराध करने निडर रहने वाले नायक को उन्होंने धृष्ट नायक कहा है। तथा अपराधी होकर भी कामिनी को ठग लेने वाले नायक को उन्होंने शठ नायक कहा है। जो पति स्त्री के सत्य प्रेमाचार में बाधक हो जाता है उसे अकबर शाह ने उपपति कहा है। तदोपरांत उन्होंने वेश्या के उपभोग में अत्यंत रसिक नायक को वैशिक कहा है। फिर उन्होंने इन वैशिक नायक को उत्तम मध्यम तथा अधम में विभाजित किया है। जो नायिका के रुष्ट होने के उपरांत भी उसको मनाने के कार्य में लग जाता है उत्तम वैशिक नायक कहलाता है। तथा नायिका को क्रोधित जानकर उसके सम्मुख ना जाने वाले नायक को उन्होंने वैशिक मध्यम नायक कहा है। नायिका को कुपित जानकर जो उसके कोप से तनिक भी न डरने वाला अपने कटु कृत्य से लज्जित ना होने वाला नायक वैशिक

अधम नायक कहलाता है। उन्होंने उपरोक्त तीनों प्रकार के नायक के प्रोशितावस्था के आधार पर पुनः तीन प्रकार के नायक माने हैं— प्रोशित पति, प्रोशित उपपति, प्रोशित वैशिक। जो नायक अपनी नायिका का सम्पूर्ण प्रेम पाने के बाद भी पूर्ण तृप्त नहीं होता प्रोशित पति कहलाता है। जो नायक, नायिका के प्रेमाचारको व्यक्त करने से पूर्व ही उसे स्पर्श कर लेता है और उस घटना को बाद में याद करता है प्रोशित उपपति कहलाता है तथा जो नायक वेश्या की कामचेश्टा, जो लज्जारहित होती है, को याद करता है, वैशिक प्रोशित नायक कहलाता है।

नायक निरूपण के साथ साथ नायिका भेद निरूपण के क्षेत्र में रसमंजरी एवं अकबरशाह विरचित शृंगारमंजरी दोनों प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। भानुदत्त मिश्र आचार्य जी का वैसे सम्पूर्ण परवर्ती संस्कृत नाट्यशास्त्र पर पूर्णतः प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ यहाँ यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि हिन्दी साहित्य का रीतिकालीन काव्य भी, भानुदत्त मिश्र कृत नायिका भेद वर्णन का अनुकरण मात्र ही प्रतीत होता है। संस्कृत नाट्यशास्त्र के अन्तिम नायक—नायिका भेद निरूपक कवि के रूप में स्थान प्राप्त आचार्य भानुदत्त मिश्र कृत रसमंजरी का नायिका भेद निरूपक अन्तिम संस्कृत ग्रन्थ, अकबरशाह विरचित शृंगारमंजरी पर आद्यन्त पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नायिका भेद प्रकरण में भी शृंगारमंजरीकार रसमंजरीकार से साम्य एवं वैशम्य रखते हैं। आचार्य भानुदत्त ने नायक क रति का आलम्बनविभाव को नायिका माना है। शृंगारमंजरी के रचयिता अकबरशाह ने लिखा है नायिका वह स्त्री होती है। जो शृंगाररस का आलम्बन होती है। उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार कालातीत आनन्द को पैदा करने वाली मुस्कान से युक्त सुन्दर नेत्रों के प्रान्त भाग वाली नायिका काम सर्वस्व हुआ करती है। रसमंजरीकार ने नायिका को तीन भागों में बाँटा है— स्वीया, परकीया, सामान्या। उसी प्रकार शृंगारमंजरी ने भी तीन प्रकार की नायिका बतायी है— स्वीया, परकीया, सामान्या। शृंगारमंजरी के रचयिता बड़ेशाह अकबर ने स्वीया के गुणों का बड़ी सरसता से वर्णन करते हुए लिखा है— वह विशेष नम्र, सरल, लज्जावती, पतिपरायणा, सुशीला है। परन्तु उन्होंने शृंगारमंजरीकार आचार्य भानुदत्त के द्वारा निर्धारित स्वीया के गुणों, लक्षणों को पूर्णतयः स्वीकार नहीं किया। उनका मत है कि स्वीया के निरूपण में एवकार का प्रयुक्त करना निरर्थक है, क्योंकि स्वीया ही परपुरुष के प्रति अनुराग करके परकीया बन जाती है। यह तर्क देने के परपेक्ष्य में शृंगारमंजरीकार का मानना है कि यदि स्वीया एवकार के रहने से केवल स्वामी में

अनुराग रखेगी तो स्वीया हमेशा स्वीया ही रहेगी परकीया नहीं बन पाएगी। उनका मानना है कि इस प्रकार परकीया का स्वरूप ही अपना अस्तित्व खो देगा।

कुछ विद्वानों ने शृंगारमंजरीकार के इस नियम का खण्डन करते हुए आशंका व्यक्त की है कि एवकार के न देने से परकीया भी स्वीया हो जाएगी, क्योंकि परकीया भी तो अपने चयनित स्वामी से अनुराग करती है। विद्वानों ने इस परकीया भी व स्वकीया के लक्षणों के संक्रान्त न होने के कारण एवकार का उपादान किया था। इसका खण्डन करते हुए शृंगारमंजरीकार ने अपने मत के पक्ष में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि परकीया कभी भी अपने पति में अनुराग नहीं करती उसका अनुराग उपपति में ही होता है। अतः परकीया में स्वीया लक्षण के संक्रान्त होने की आशंका व्यर्थ है। एवकार की प्रयुक्तता के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किये हैं। आमोदकार के शब्दों में अनुराग का सम्बन्ध सम्भोग की इच्छा मात्र है। और परकीया स्वपति में भी अनुराग या सम्भोग की इच्छा रखती है। अतः एवकार के उपादान न करने से स्वपति में भी सम्भोग की इच्छा रखने वाली परकीया में स्वीया का लक्षण संक्रान्त हो जाएगा। अतः एवकार का उपादान आवश्यक है।

इस मत का विरोध करते हुए शृंगारमंजरीकार ने लिखा है कि अनुराग का अर्थ संभोग की इच्छा नहीं होती, फिर भी इच्छा को अनुराग मानते हैं। तो यह कहना एकदम गलत है कि परकीया स्वपति में अनुराग करती है। उसकी इच्छा तो उपपति के स्नेह की है। शृंगारमंजरीकार का स्पष्ट मत है कि परकीया का अपने पति के प्रति अनुराग हो ही नहीं सकता। उनका विचार है कि हो सकता है कि परकीया का पति उसे उपपति के साथ रहने में कोई बाधा न उत्पन्न करता हो तभी वह अपने पर पति से प्रेम करती हो और वे बलपूर्वक यह भी कहते हैं कि परकीया स्वपति में अनुराग नहीं करती। और वे एवकार शब्द का भी विरोध करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार इस शब्द का प्रयोजन ही खण्डित हो जाता है।

वे रसमंजरीकार द्वारा प्रयुक्त स्वामी शब्द को भी निरर्थक मानते हैं। तथा इसका स्पष्टीकरण देते हुए लिखते हैं कि स्वामी शब्द प्रभु का सामान्यवाची है। स्वपतिपरक नहीं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वीया अपने पति में अनुरक्त रहती है। पति वही होता है जो परिणय करता है। अतः स्वीया को परिणीता भी कहा जा सकता है व पति को परिणेतता भी कह सकते हैं। इस प्रकार शृंगारमंजरीकार का मानना है कि स्वामी शब्द के स्थान पर परिणेतता रखकर ही स्वीया का यह लक्षण होना चाहिए।

शृंगारमंजरीकार के समान रसमंजरीकार आचार्य भानुदत्त मिश्र ने जो स्वीया के 3 भेद मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा किए हैं। उनमें से मध्या, प्रगल्भा से साम्यता प्रकट करने के साथ साथ रसमंजरीकार द्वारा प्रदर्शित मुग्धा के लक्षणों से शृंगारमंजरीकार संतुष्ट नहीं है। क्योंकि रसमंजरीकार ने मुग्धा को अंकुरित यौवन वाली कहा है। शृंगारमंजरीकार का कहना है कि अंकुरित यौवन तो परकीया और सामान्या दोनों में होता है। वे पुरुष विशेष से अनभिज्ञ नायिका को मुग्धा मानते हैं।

वह नायिका जो अपने पति की समस्त केलिकलाओं का परिचय रखती है। उसे रसमंजरी की भांति शृंगारमंजरीकार ने प्रगल्भा कहा है जबकि वे भानुदत्त निरूपित इस लक्षण में पतिमात्र शब्द के प्रयोग से संतुष्ट नहीं है। उनका कथन है कि परकीया और सामान्य नायिकाओं में स्पष्ट रूप से प्रगल्भा का रूप स्फुरित होता है। इसी प्रकरण पर सुरभिटीका में लिखा है भानुदत्त ने पतिमात्र का उपादान करके उन दोनों के प्रगल्भात्व का रूप स्फुरित किया है। भानुदत्त ने पतिमात्र का उपादान करके उन दोनों के प्रगल्भात्व का निषेध जो किया वह ठीक नहीं है। हा यह तो ठीक ही है कि परकीया और सामान्या में मुग्धात्व और मध्यात्व नहीं होते, लेकिन उनमें प्रगल्भात्व का अपलाप तो किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। इसलिए रसमंजरीकार का लक्षण स्वीया में ही ठीक बैठता है, वह साधारण प्रगल्भा के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन आमोदकार ने जो प्रगल्भा का लक्षण बताया है “मदनविजितलज्जा प्रगल्भा” यह लक्षण शृंगारमंजरीकार को अभिमत हुआ है।

रसमंजरीकार ने स्वीया के भेद मध्या और प्रगल्भा को पुनः धीरा, अधीरा, धीराधीरा तीन भेदों में बांटा है। शृंगारमंजरीकार इन भेदों के वर्णन से भी वैशम्य प्रकट करते हुए लिखते हैं कि धीरादिक भेदों को स्वीया में ही मानना चाहिए। परकीया और सामान्या में नहीं उन्होंने परकीया के अनुराग को अप्रकट माना है और यह भी कहा उसमें धीरादिक भेद नहीं होते। शृंगारमंजरीकार परकीया के दो भेद मानते हैं। उद्बुद्धा और उद्बोधिता।

1. उद्बुद्धा— जो स्वयं नायक में अनुरागवती होती है उसे उद्बुद्धा कहते हैं।

2. उद्बोधिता— जो स्वयं अनुरागवती होती है उसे उद्बोधिता कहते हैं।

इन दोनों में अनुराग है और अनुराग जहाँ होता है वहाँ कोप भी सम्भव है। उद्बुद्ध में कोप का न होना माना जा सकता है, क्योंकि जो स्वयं अनुरागवती होती है वह कोप कैसे करेगी? लेकिन

उद्बोधिता जिसे बड़े प्रेम से नायक अनुराग करने के लिए प्रवृत्त करता है, उसका कोप होना और तत्प्रयुक्त उसमें धीरादि भेद का होना अनुचित नहीं है।

सामान्या में धीरादिक भेद के सम्बन्ध में शृंगारमंजरीकार का कहना है कि सामान्या तो वही है जो अपनी नाना प्रकार की चेष्टाओं से नायक में मोह उत्पन्न कर देती है। सामान्य नायिकाओं के मन में यह भावना रहती है कि नायकों का अनुराग उनमें हमेशा ही बढ़ता रहें। इस कारण वे प्रौढ़ नायकों में भी अनुराग रखती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्या को भी धीरादिक 6 भेदों में विभाजित किया जा सकता है।

1. मध्या धीरा
2. मध्या अधीरा
3. मध्या धीराधीरा
4. प्रौढ़ा धीरा
5. प्रौढ़ा अधीरा
6. प्रौढ़ा धीराधीरा

इसके अलावा शृंगारमंजरीकार ने अवस्था भेद के आधार पर किए वर्गीकरण में ही एक और भेद जोड़ा है जो खण्डिता के नाम से अभिहित है।

2. शृंगारमंजरी के विषय में रसमंजरी का उपजीवत्व

शृंगारमंजरीकार ने अपने ग्रन्थ शृंगारमंजरी में भानुदत्त मिश्र से प्रभावित होकर सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, शृंगार रस वर्णन तथा शृंगार रस के आलम्बन, नायक—नायिका का वर्णन किया है। इसके अलावा सखी के वर्णन एवं सखी के कार्यों के वर्णन में भी शृंगारमंजरी भानुदत्त कृत रसमंजरी से उपजीव्यत्वता प्राप्त करती है। इस प्रकरण के अलावा दूती एवं कर्म निरूपण प्रसंग में भी शृंगारमंजरीकार की उपजीव्य रसमंजरी ही है। तदोपरान्त रसमंजरी में वर्णित नायक के सहायक का निरूपण भी शृंगारमंजरी के सह नायक प्रकरण में पूर्णरूपेण अनुकरणीय रहा है। विदूषक निरूपण में भी शृंगारमंजरी पर रसमंजरी की स्पष्ट छाप पड़ी है।

शृंगार के द्वितीय आलम्बन विभाव नायक का निरूपण एवं उसके तीन भेदों— पति, उपपति, वैशिक का वर्णन भी शृंगारमंजरी में अनुकूल दक्षिण, घष्ट, शठ आदि भेदों के साथ किया गया है तथा वैशिक को उत्तम, मध्यम और अधम भेदों में विभाजित किया है।

जिस प्रकार भानुदत्त ने सब मिलाकर 16 प्रकार की नायिकाएं बताई 13 प्रकार की स्वीया, 2 प्रकार की परकीया और 1 प्रकार की सामान्या। तदोपरान्त अवस्था तथा परिस्थिति के अनुसार

उन्होंने प्रत्येक के आठ प्रकार बताए हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 128 प्रकार की नायिकाएं बताईं। फिर इनके गुणानुसार भेद करने पर उत्तम, मध्यम, अधम के भेद से सब मिलाकर नायिकाओं के 384 भेद बताए हैं। आचार्य अकबरशाह ने भी इन सभी भेदों का विवेचन रसमंजरी से साम्य-वैशम्य के साथ किया है।

वैसे नायक नायिका भेद की परम्परा नाट्यशास्त्र से ही प्रारम्भ हुई थी। तदोपरान्त अग्निपुराण, दशकरूपक, सरस्वतीकण्ठाभरण, साहित्यदर्पण और शृंगारमंजरी में नायक नायिका भेद का विकास पाया जाता है। शृंगार रस के आलम्बन विभाव नायिका-नायक के भेद प्रभेद की चर्चा रसमंजरी के उपजीवत्व के रूप में शृंगारमंजरी का भी प्रमुख विषय है। साथ-साथ नायक के सहायक एवं नायिका की सहनायिका आदि का निरूपण भी किया गया है। भानुदत्त एकमात्र प्रधान आचार्य हैं। जिन्होंने नायक नायिका का प्रकरण पर पृथक रूप से विस्तृत विचार किया है। तदोपरान्त शृंगारमंजरी में भी अकबरशाह ने नायक-नायिका भेद प्रकरण पर विस्तृत रूप से विचार किया है। नायक नायिका भेद वर्णन जो शृंगारमंजरी में अकबरशाह ने प्रस्तुत किया है वह काव्य शास्त्र एवं कामशास्त्र जैसे शास्त्रों के तद्विषयक प्रकरण को समनवयात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। नाट्यशास्त्र से तो इसका समन्वय पूर्वाचार्यों के समय से ही प्रकाश में आया गया था। शृंगारमंजरी में रसमंजरी के नायक-नायिका भेद के एकांक्षिक साहित्य को अति विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

शृंगारमंजरी में नायिका भेद निरूपण

श्रसमंजरीकार के द्वारा परकीया के भेदों को कुछ हद तक प्रस्तुत करने के साथ उनके बताए गये परकीया के लक्षणों का मात्र उन्होंने परकीया के ही भेद लक्षिता और कुलटा पर लागू होना सिद्ध किया है। रसमंजरीकार ने परकीया को परोद्धा व कन्यका में विभाजित किया है। तदोपरान्त इन्होंने परकीया के गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता आदि भेद भी माने हैं।

उन्होंने प्रोशितभर्तिका को विरहिणी या पथिकवनिता भी कहा है। शृंगारमंजरीकार प्रोशित भेद को तो मानते हैं। परन्तु प्रोशित शब्द के भूतार्थक प्रत्यय को नहीं मानते हैं। वह नायिका जिसका पति प्रवास कर चुका है। या प्रवास कर रहा है अथवा प्रवास करने वाला है, को उन्होंने प्रोशित पतिका या प्रोशितभर्तिका कहा है। प्रोशितभर्तिका के भेदों के अन्तर्गत उन्होंने रसमंजरीकार कृत मध्या प्रोशितभर्तिका, प्रौढ़ा प्रोशितभर्तिका, परकीया प्रोशितभर्तिका, सामान्या प्रोशितभर्तिका आदि भेदों में मान तो लिया है परन्तु उनके लक्षणों में

कुछ मौलिकता अवश्य प्रस्तुत की। खण्डिता नायिका को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है जो नायक के उपराध सुनती है और जिसका पति उसका अनादर करके अन्य में आसक्त हो जाता है एसी नायिका को खण्डिता कहते हैं। मान करने नायिका को उन्होंने मानवती वक्रोक्ति आदि का प्रयोग करने वाली नायिका को उन्होंने धीरा, अधीरा प्रौढ़ धीराधीरा कहा है। जो नायिका नायक के पराक्ष में सखियों के समक्ष कोप प्रकट करती है उसे उन्होंने अन्य सम्भेग दुखिता कहा है। कलहेन अन्तरिता को कलहान्तरिता नायिका कहा है जो रसमंजरी में बताए गये भेद के समान है। उन्होंने खण्डिता के छः भेद- मानवती, धीरा, अधीरा, धीराधीरा तथा अन्य सम्भेग दुखिता, ईश्या गर्विता आदि धीरादिक भेद किए हैं। जो रसमंजरी से प्रभावित होने के बाद भी मौलिकता से पूर्ण है।

इस प्रकार शृंगारमंजरीकार ने नायिका के स्वीया, परकीया, सामान्या तथा उपभेदों में मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा व ज्ञात यौवना, अज्ञातयौवना, प्रच्छन्नमध्या, प्रकाशमध्या, रतिप्रीतमयी, रत्यानन्दपरवशा नवोद्धा, विश्रब्धनवोद्धा तथा स्वतन्त्रा, जन्यधीना, नियतिता क्लृप्तानुरागा, कल्पितानुरागा तथा धीरा, अधीरा, धीराधीरा आदि भेद किए हैं। इसके अलावा नायिका की सखी एवं दूती की चेश्टाओं एवं उसके भेद, स्वरूप तथा गुणों की भी चर्चा रसमंजरी में जिस प्रकार की गयी है, उसी प्रकार शृंगारमंजरी में भी अकबरशाह ने नायिका की सखी, दूती एवं नायक के सहायक की चर्चा भी की है। उन्होंने रसमंजरी में वर्णित सखी के कार्यों की भी चर्चा तदनु रूप की है। परन्तु उन्होंने सखी व दूती को अलग अलग माना है। दूती के कार्यों का भी वर्णन शृंगारमंजरी में रसमंजरी के आधार पर ही किया गया है।

जिस प्रकार नायिका की सहायिका एवं सहायक को सखी, दूती आदि नामों से विभूषित किया गया है। उसी प्रकार नायक के सहायकों का वर्णन भी भानुदत्त कृत रसमंजरी में किया गया है। इसे पीठमर्द, नर्मसचिव आदि उपनामों से भी निरूपित किया गया है। इन सबका निरूपण शृंगारमंजरीकार ने भी अपनी शृंगारमंजरी में किया है। नर्मसचिव एवं पीठमर्द, विट, चेटक और विदूषक आदि भेदों का वर्णन भी रसमंजरी में किया गया है। अस्तु, नायक के लगभग सभी भेदों का वर्णन शृंगारमंजरी में किया गया

सन्दर्भ सूची

1. श्रसमंजरी, सं०प० गोपाल शास्त्री नेने पृ०-20, चौखम्भा अमरावती प्रकाशन प्र० वा० 138 सन् 1978 ई०।
2. अनभिज्ञो नायको नायकाशास एवं- वही, पृ०-232

3. महाकवि भानुदत्त मिश्र विरचिता रसमंजरी, संस्कृत व्याख्याकार कवि शेखर श्री पण्डित बद्रीनाथ झा, श्री हरिकृष्ण निबन्धभवनम् वाराणसी 1978 ई०
4. श्रृंगारमंजरी, अकबरशाह, पृ०-3
5. माध्वीकस्यन्द सन्दोहसुन्दरीं रसमंजरीम्
6. श्रृंगारमंजरी, अकबरशाह, टीका पं० जगन्नाथ पाठक पृ०-10
7. The Rasol – Jivan, Gadadahara Bhata, Culcutta 1944

डॉ० रविन्द्र कुमार आर्या

एम०ए० (संस्कृत), बी०एड०

संस्कृत विभाग,

राजकीय महाविद्यालय,

फरीदपुर (बरेली)

कृ० सविता विक्रम

एम०ए० (संस्कृत), बी०एड०

सारांश

जब विपणन के अर्थ के बारे में पूछा जाता है तो तो अधिकांश लोग यह बताते हैं कि विपणन विक्रय, विज्ञापन तथा जनसंपर्क का ही दूसरा नाम है। परन्तु वास्तविकता यह है कि विपणन विक्रय व विज्ञापन दोनों से अधिक व्यापक प्रक्रिया है। हाँ ये दोनों तत्व विपणन प्रक्रिया के प्रमुख अंग अवश्य हैं। व्यवसायी हमारे उपयोग के लिए विभिन्न वस्तुओं और आपूर्ति सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इनका उत्पादन अनिवार्य रूप से उन स्थानों पर नहीं होता है जहाँ उपभोक्ता इनका उपभोग करते हैं। आजकल गावों में भी संपूर्ण भारत और अन्य देशों में निर्मित उत्पाद उपलब्ध हैं। इसका अर्थ है कि उत्पादनकर्ता हमेशा इस प्रयत्न में रहते हैं कि उनके उत्पाद की मांग बनी रहे और संपूर्ण विश्व में अंतिम उपभोक्ता तक उनका उत्पाद उपलब्ध हो सके। विपणन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को जानने और विभिन्न वस्तुओं और आपूर्ति सेवाओं को संतोषजनक रूप से उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया है जिससे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। विपणन व्यावसायिक गतिविधियों का निष्पादन ही है जिसके द्वारा विभिन्न वस्तुएं और आपूर्ति सेवाएं उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता तक आसानी से पहुंचती हैं।

अमेरिका विपणन संघ के अनुसार "विपणन एक संगठनात्मक कार्य है और ग्राहकों को मूल्य बनाने, संचार करने और वितरित करने और संगठन और उसके हितधारकों को लाभ पहुंचाने वाले तरीके से ग्राहक संबंधों के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया का एक सेट है।" परिभाषा निःसंदेह विपणन को विक्रय मात्र बताने वाली परिभाषा की अपेक्षा कहीं अधिक संपूर्ण एवं सटीक है। इसके अनुसार विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें विक्रय के अलावा कई अन्य क्रियाएँ भी शामिल हैं।

पारंपरिक अवधारणा के अनुसार विपणन का अर्थ उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री है। अतः वे सभी कार्य जो ग्राहकों को समझाना और वस्तुओं और आपूर्ति सेवाओं की बिक्री से संबंधित हैं, विपणन कहलाते हैं। विपणन की यह अवधारणा माल और सेवाओं के प्रवर्तन एवं बिक्री पर अधिक बल देती है और उपभोक्ता की संतुष्टि की ओर कम ध्यान देती है। इस अवधारणा के केंद्र बिंदु में उत्पाद होता है, अर्थात् हमें अपना उत्पाद बेचना होता

है। इसलिए उपभोक्ता में विश्वास पैदा करना होता है कि वह हमारे उत्पाद को खरीदे। विपणन से जुड़े व्यक्तियों के सभी प्रयत्न उत्पाद को बेचने पर ही केंद्रित होते हैं। विपणन गतिविधियों का एक मात्र लक्ष्य अधिक से अधिक बिक्री कर लाभ कमाना होता है।

समय के साथ-साथ विपणन की अवधारणा पारंपरिक से हटकर आधुनिक परिवेश में परिवर्तित होती जा रही है। आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत उपभोक्ता की इच्छाएं और आवश्यकताएं ही विपणन की मार्गदर्शक होती हैं। अतः ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं को उपलब्ध कराने में ध्यान केंद्रित होता है जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को अच्छी प्रकार पूरा कर सके और उन्हें संतुष्ट कर सके। आप ऐसी मानवीय आवश्यकताओं का पता लगाकर ही यह तय कर पाएंगे कि कौन-सा उत्पाद बनाना श्रेयस्कर होगा जिसकी संतुष्टि आवश्यक है। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने पर कि किस जन समूह को कौन-सी आवश्यकता पूरी की जानी है, तो आपको अपने उत्पाद-विशेष क स्वरूप एवं प्रकार तय करने में सहायता मिलेगी। यह विचार आधुनिक विपणन-दर्शन एवं विपणन अवधारणा का मूल तत्व है।

"उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने, उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें उत्पादों सेवाओं में परिवर्तित करने और उन उत्पादों सेवाओं को आर्थिक लाभ एवं संसाधनों के सुनिश्चित उपयोग को सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समग्र प्रक्रिया को विपणन कहते हैं।"

इस प्रकार विपणन उपभोक्ताओं की इच्छा और आवश्यकताओं को पहचान कर शुरू होता है और फिर ऐसे माल और आपूर्ति सेवाओं के उत्पादन की योजना बनती है जो उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संतुष्टि दे सके। वर्तमान में सामग्री और मशीनरी की उपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही माल और आपूर्ति सेवाओं के उत्पादन की योजना बनती है। सभी गतिविधियां निर्माण, शोध और विकास, गुणवत्ता नियन्त्रण, वितरण, विक्रय आदि उपभोक्ता की संतुष्टि पर दिशा-केंद्रित होती हैं। विपणन की आधुनिक अवधारणा में निम्नलिखित बातों का समावेश है— (क) इस अवधारणा का केंद्रबिंदु ग्राहक का अभिमुखीकरण होता है। विपणन का कार्य ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ होता है और उसके

बाद उन वस्तुओं के विनिर्माण की योजना बनती है जो ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि दे सकें। यह बात विपणन की अन्य विपणन क्रियाओं जैसे मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री संवर्धन पर भी लागू होती हैं। (ख) उत्पाद-योजना, मूल्य-निर्धारण, पैकेजिंग, वितरण तथा बिक्री संवर्धन आदि जैसी सभी विपणन क्रियाओं को एक समन्वित विपणन प्रयासों के रूप में संघटित किया जाता है। इसे एकीकृत विपणन कहा जाता है। इसमें ऐसे उत्पाद का विकास जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा बिक्री संवर्धन के उपाय अपनाना ताकि ग्राहक उस उत्पाद के बारे में, उसकी विशेषता, गुणों और उसकी उपलब्धता आदि के बारे में जान सकें साथ ही लक्षित ग्राहकों की क्रय-शक्ति और भुगतान-इच्छा को ध्यान में रखते हुए उत्पाद का मूल्य-निर्धारण करना होता है। वर्तमान युग में विपणनकर्ता का जोर उपभोक्ताओं की संतुष्टि तक ही सीमित नहीं है। विपणनकर्ता अब उपभोक्ताओं की प्रसन्नता प्राप्त करने, सबसे मूल्यवान उपभोक्ता की पहचान करने, उपभोक्ता निष्ठा प्राप्त करने तथा उपभोक्ता संबंध बनाने और प्रतिबद्धित करने पर जोर देते हैं।

उत्पाद का पैकेजिंग और श्रेणीकरण इसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए करना और बिक्री संवर्धन के उपाय अपनाना ताकि ग्राहक उस उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें; तथा अद्ध ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे अन्य उपायों (उदाहरणार्थ विक्रय के बाद की सेवाएं) को अपनाना। (ग) इन सभी प्रयत्नों का एकमात्रा उद्देश्य ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान कर लाभ कमाना होता है। इसका अर्थ है कि यदि ग्राहक संतुष्ट हैं, तो वे खरीदारी करते रहेंगे और नए ग्राहक जुड़ते चले जाएंगे। इससे उत्पाद की बिक्री बढ़ेगा।

विपणन की सर्वाधिक पुरानी अवधारणा उत्पादन है। आम व्यवसायी सोचते हैं कि उपभोक्ता केवल कम दाम और आसानी से मिल जाने वाली वस्तुएँ ही खरीदते हैं, उनकी गुणवत्ता आदि की वे अधिक परवाह नहीं करते। अतः उत्पादकों को केवल यह करना है कि सुचारू एवं कम लागत और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता रहे, ताकि उत्पादों की कीमत उचित बनी रहें और उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धि में कोई कठिनाई न हो। इस अवधारणा वाले व्यवसायी अपना सारा ध्यान कुशल प्रबंध, अधिक उत्पादन और बेहतर उपलब्धता पर केंद्रित करते हैं।

कुछ उत्पादक ऐसे भी होते हैं जो उत्पाद की अधिक मात्रा व सस्ते मूल्य के बजाय उसकी उत्कृष्टता तथा गुणवत्ता में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार उपभोक्ता केवल ऐसे उत्पाद पसंद करता और खरीदता है जो उत्तम, टिकाऊ एवं सुंदर होते हैं। यदि उनके उत्पाद

में ये सभी गुण होंगे तो उपभोक्ता अधिक कीमत पर भी इन्हें खरीदने में संकोच नहीं करेगा तथा अतिरिक्त गुणवत्ता और सेवा के लिए थोड़ा सा अधिक देने में उसे एतराज न होगा। इस अवधारणा में विश्वास रखने वाली फर्म अपने उत्पादन की उत्कृष्टता तथा इसे निरंतर सुधारने पर अधिक ध्यान देती हैं। परन्तु ऐसा करते समय वे उपभोक्ता की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि पर शायद उतना ध्यान नहीं देती। नए उत्पादों के नियोजन में भी उत्पादक का अधिकांश ध्यान उत्पाद पर अधिक और इसकी उपयोगिता एवं उपभोक्ता की आवश्यकताओं पर कम रहता है।

कभी-कभी किसी उद्यम की मुख्य समस्या अधिक उत्पादन न होकर, उत्पादों का विक्रयन होती है। विक्रय अवधारणा का आधार उत्पादकों की इस मानना से संबद्ध है कि यदि जोरदार बिक्री अभियान नहीं चलाया गया और उपभोक्ताओं को उनके विवेक पर छोड़ा गया तो वे संभवतः यथेष्ट मात्रा में कंपनी के उत्पाद व सेवाओं को नहीं खरीदेंगे। बिक्री ही विपणन एवं उत्पादन की सफलता का सही सूचक है। परंतु केवल बिक्री को ही विपणन का आदि-अंत मानने वाले लोग प्रायः यह भूल जाते हैं कि उपभोक्ता अपनी किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वस्तुएँ खरीदते हैं। बिक्री के बाद क्या होता है या उपभोक्ता क्या सोचता है, इसके विषय में वे अपना कोई संबंध नहीं रखते। आज अपने अस्तित्व के लिए एवं विकास के लिए व्यावसायिक फर्म ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विक्रय तकनीक का प्रयोग करती हैं। 'विपणन' और 'विक्रय' शब्द परस्पर संबंधित हैं लेकिन पर्यायवाची नहीं। जैसे पहले कहा गया है कि 'विपणन' ग्राहक को संतुष्टि प्रदान कर लाभ को अर्जित करने पर बल देता है।

'विपणन' में ग्राहक की आवश्यकताओं और उसकी संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित होता है। दूसरी तरफ 'विक्रय' उत्पाद पर केंद्रित है और उत्पाद को बेचने पर ही बल देता है। वस्तुतः 'विक्रय', 'विपणन' की व्यापक प्रक्रिया का एक छोटा अंग मात्रा है जिसमें शुरु में उत्पाद और सेवाओं के विकास पर बल दिया जाता है। विपणन के मूल उद्देश्यों में विपणन की सारी गतिविधियां ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करने पर केंद्रित होती हैं। विपणन ग्राहक की आवश्यकताओं को जानने के साथ शुरु होता है और वह माल अथवा वस्तु को तैयार करता है जो ग्राहक को प्रभावी रूप से संतुष्टि दे सके। ग्राहक को अधिक गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराना विपणन का मूलभूत उद्देश्य है। व्यावसायिक इकाइयां अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल को निरंतर बढ़ाती हैं। विपणन उन व्यावसायिक गतिविधियों का निष्पादन है जिससे माल और सेवाएं उत्पादनकर्ता से उपभोक्ता या ग्राहक तक पहुंचती हैं। कई व्यावसायिक संगठन अपना लक्ष्य

बदलकर अपने विपणन प्रयास को एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखने लगे हैं। विपणन अवधारणा एक ऐसा व्यावसायिक दर्शन है जिसकी सीमाएँ विस्तीर्ण हैं। इस अवधारणा में व्यावसायिक फर्म उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को अपना मार्गदर्शक तत्व मानती हैं और ऐसे उत्पाद व सेवाओं प्रस्तुति का प्रयास करती हैं जिनसे अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपभोक्ताओं को इन आवश्यकताओं-अपेक्षाओं की संतुष्टि होती हो। यह भी कहा जाता है कि विपणन अवधारणा दीर्घकालिक आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनाया गया उपभोक्ता उन्मुखीकरण है। यह चयन व्यावसायिक संवृद्धि का आधुनिक विपणन दर्शन है। दूसरे शब्दों में इस अवधारणा के अनुसार विपणन-प्रक्रिया का आरंभ उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने से होता है और ऐसे उत्पाद सेवा तैयार करने पर समाप्त होता है, जिससे उपभोक्ता की इन आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि हो सके।

व्यापार के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए विपणन को समाज कल्याण एवं लाभ से संबद्ध करने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखा जाए तो विपणन केवल एक व्यावसायिक क्रिया ही नहीं, बल्कि समाज (उपभोक्ता भी तो समाज के ही अंग हैं) की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण (मदअपतवदउमदजंस कमजमतपवतंजपवद) और विशेषतया उपभोक्ता-आंदोलनों ने विपणन को शुद्ध व्यावसायिक प्रक्रिया से ऊपर उठाकर इसके सामाजिक दायित्व पक्ष को तर्क युक्त बना दिया है। आज विपणन सामाजिक दृष्टि से दायित्वपूर्ण क्रिया कलाप बनकर उजागर हो रहा है। व्यावसायिक संगठन को अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं-अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पाद तैयार करने चाहिए, जिनसे उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ-साथ उनका दीर्घकालिन हित व साथ में समाज कल्याण भी प्रशस्त हो। जब व्यावसायिक संगठन विपणन अवधारणा को कार्यान्वित करता है तो उसके सभी कार्यकलाप उत्पादन वित्तीयन, शोध एवं विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, वितरण बिक्रय, आदि (केवल एक ही उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि) द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। कुछ कंपनियाँ निकट भविष्य में अधिकाधिक लाभ अथवा हानि के भय से और दूरगामी भविष्य में लाभ की अनिश्चितता के कारण-इस अवधारणा को अपनाने में घबराती हैं। तुरंत लाभ चाहने वाली कंपनियाँ इस अवधारणा को पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि कंपनी के अंदर के लोग भी इस मामले में अपना पूरा सहयोग नहीं देते, क्योंकि वे विपणन अवधारणा के लाभों से पूर्णतया आश्वस्त नहीं होते। परंतु इन सब बातों के बावजूद विपणन अवधारणा लोकप्रिय हो रही है।

विकास के प्रथम चरण में गाँव के कुम्हार व अन्य शिल्पी, लोगों के आदेश अथवा आस-पास के लोगों की आवश्यकता पर ही माल तैयार करते थे। परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो जाने के कारण बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। औद्योगिक क्रांति के आरंभिक चरण में निर्माता जो भी बनाते थे, वह बिक जाता था। विकसित देशों में जहाँ बाज़ार विकसित अवस्था में हैं, अधिकांश उत्पादक विपणन अवधारणा को मानते हैं। विकासशील देशों में बाज़ार का स्वरूप मिला-जुला है और वहाँ विभिन्न अवधारणाओं को साथ-साथ चलन में देखा जा सकता है। विपणन की अवधारणा का विकास और आर्थिक विकास की प्रक्रिया दोनों सहगामी रही हैं। संस्कृति का विकास, जीवन स्तर और जीवन-यापन के बदलते तेवर और तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप नई-नई आवश्यकताएँ जन्म ले रही हैं। उनकी संतुष्टि केवल नए-नए उत्पादों एवं सेवाओं द्वारा ही संभव है, या फिर वर्तमान उत्पादों व सेवाओं में पर्याप्त सुधार किया गया हो।

विपणन का कार्य ग्राहक के लिए उत्पाद की योजना और उसकी रूपरेखा बनाने से शुरू होता है। इसे पहले से ही उपलब्ध उत्पाद में कुछ परिवर्तन और संशोधन कर भी किया जा सकता है। विक्रय वितरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा माल और सेवाओं का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास मूल्य के प्रति फलस्वरूप हस्तान्तरित किया जाता है। विक्रय की प्रक्रिया को शुरू और पूरा करने के लिए विक्रेता को भावी खरीदार को माल की उपलब्धता के बारे में, उसकी प्रकृति तथा उत्पाद से लाभ, मूल्य तथा वस्तु उसकी कौन-सी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, के बारे में सूचित करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में वह ग्राहक की उत्पाद में रुचि पैदा करता है और उसे क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। एक विपणनकर्ता के लिए यह पता करना आवश्यक है कि क्या उसके उत्पाद के लिए बाज़ार और लोगो के लिए बाज़ार और लोगो में पर्याप्त मांग है? तथा क्या संगठन के पास अंतिम उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने के लिए कुशल मानव संसाधन है? विपणन व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य-कलाप है। अधिकतर व्यापार की सफलता इसके विपणन-व्यवस्था व प्रयासों की सफलता का ही दूसरा नाम है। इसके अलावा, विपणन ने उपभोक्ता और अर्थव्यवस्था के विकास में भी काफी योगदान किया है। परंतु विकासशील देशों की विपणन व्यवस्था विकसित देशों की विपणन व्यवस्था से भिन्न है, क्योंकि वहाँ विकसित देशों वाली परिपक्वता एवं प्रणाली परिष्कार अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। विपणन विकास का दूसरा पक्ष इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण है। कई निर्माता आजकल अपने उत्पाद विश्व के एक से अधिक देशों में बँच रहे हैं।

उत्पादन तथा प्रोत्साहन नीतियों का निर्धारण भी विभिन्न देशों में स्थित विभिन्न बाज़ार व उपभोक्ता-अपेक्षाओं द्वारा होता है। एक बात और, निर्यात बाज़ार में प्रवेश के लिए बड़ा व्यवसायी होना आवश्यक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि अनेक छोटे व्यापारी आज सफलतापूर्वक निर्यात बाज़ार में कार्यरत हैं। विपणन उपभोक्ता को अपनी पंसद व जरूरत की बेहतर उत्पाद/सेवा चुनने का अवसर देता है और वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करता है। इसीलिए कहा गया है कि यह जीवन-स्तर का प्रदाता है। स्तरीय उत्पादों का सुगम और उचित मूल्य पर उपलब्धि सुचारु विपणन व्यवस्था के कारण होती है। विपणन उत्पादों का समय, स्थान और स्वामित्व की उपयोगिता पैदा करता है, क्योंकि उत्पाद तभी सार्थक है जब वह उचित समय पर, उचित स्थान पर और उचित उपभोक्ताओं (जिन्हें उनकी आवश्यकता है) को उपलब्ध हो। विपणन इन उपयोगिताओं का सृजन करता है। विपणन से देश के आर्थिक विकास को मदद मिलती है और यह देश के आर्थिक विकास की स्थिति का भी द्योतक है। ऐसा इसलिए है कि एक ओर विपणन कार्यों के परिणामस्वरूप रोजगार तथा आय के अवसर पैदा होते हैं और दूसरी ओर आर्थिक विकास उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा तथा इनकी खपत में परिलक्षित होता है। आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धि व प्राप्यता देश के लोगों की गरीबी अथवा अमीरी का सूचक भी होता है। विपणन अनेक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। देश के कुल रोजगार अवसरों का काफी बड़ा भाग विपणन द्वारा प्रदान किया गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण अधिकांश लोगों के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए पर्याप्त धन नहीं बचता है। सीमित साधनों के कारण लोग अधिक वस्तुएँ खरीदने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि खपत उपलब्ध साधनों द्वारा सीमित होती है। विपणन प्रक्रिया की सीमित जानकारी के कारण उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की भी अधिक जानकारी नहीं होती और जब स्वयं किसी को इनका ज्ञान व अनुभव न हो तो बेहतर स्तर, बेहतर सेवा और विस्तृत चुनाव आदि बातें महत्वहीन लगती हैं। वास्तविकता यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को प्रायः जो कुछ भी और जैसा भी मिल जाता है, उसी से वह संतुष्ट हो जाता है। सभी विकासशील देश अभी क्रमिक विकास के दौर से गुजर रहे हैं। समय पाकर उनकी अर्थव्यवस्था भी विकसित अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। हालांकि तेजी से बदलते हुए परिवेश के साथ, सभी चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। एक विपणनकर्ता के लिए यह पता करना आवश्यक है कि क्या उसके उत्पाद के लिए बाज़ार और लोगो के

लिए बाज़ार और लोगो में पर्याप्त मांग है? तथा क्या संगठन के पास अंतिम उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने के लिए कुशल मानव संसाधन है? हमें उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने के द्वारा एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई प्रक्रिया की आवश्यकता है। सेवा उद्योगों के यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुँचाया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. त्रिवेदी, वेणु: "विपणन भूगोल" यूनिवर्सिटी बुक हाऊस, प्रा0लि0, जयपुर, प्रथम संस्करण, 1997
2. <https://hi.m.wikipedia.org>
3. <https://www.uou.ac.in>
4. <https://ncert.nic.in>
5. <https://www.businessmanagementideas.com>
6. <https://nios.ac.in>
7. <https://in.ilearnlot.com>
8. Alam: S.M. & W.Khan Op.Cit., P. 305
9. Reilly, W.J.: The Law of Retail Gravitation Krickerbocker Press, 1931.

डॉ० नाज़िया खान

सहायक आचार्य, बरेली कॉलेज,

बरेली।

शोध निर्देशक:

डॉ० ए०सी० त्रिपाठी

राजकीय रज़ा पी०जी० कॉलेज, रामपुर

महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,

बरेली

सारांश—

साहित्य गगन में एक तारिका की तरह उदीप्त महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व बहुत कुछ सूक्ष्म और गहरी रेखाओं से निर्मित हुआ है। उनके व्यक्तित्व में एक ओर जहाँ रहस्य, दर्शन और सौन्दर्यमयी पीड़ा के तत्व मिले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माता का गहन आस्तिक्य—बोध और पिता का दार्शनिक—बोध भी आकर एकाकार हो गया है। माँ की आस्तिकता और भावुकता ने महादेव को करुणामय और पीड़ाभय बनाया तो पिता की दार्शनिकता ने रहस्यान्वेशिणी। ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि करुणा, पीड़ा, दार्शनिकता तथा रहस्यान्वेशण आदि सभी के मूल में वेदना की विश वेल ही है। आश्चर्य तो तब होता है जब वेदना के भीतर जीवन को खोजने वाली महादेवी वर्मा उन्मुक्त हास्य का निर्झर लुटाती हुई दिखाई देती हैं। उनके अधरों से फूटता हुआ मुक्त हास्य उस तरह है जैसे किसी शांत भूधर के अंचल में कोई दूध से श्वेत पारदर्शी जल का निर्झर फूट रहा हो और उसे धरा की रज कणिका मलिन न कर पायी हो। वेदना, हास्य और करुणा की त्रिवेणी में स्नात होकर महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व उनके कृतिव की आत्मा में स्पंदित हुआ है। उनके काव्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि 'नीर भरी दुःख की बदली' और सपनों की सेज पर भावों के कुसुम बिछाकर वेदना और करुणा की रागिनी छेड़ने वाली महादेवी वर्मा वैयक्तिक सीमाओं में बँधकर भी सबका क्रंदन पहचानने में सफल हुई हैं। वे अपने प्रियतम को खोजने के बहाने प्रकृति के कण—कण से परिचित होना चाहती है।

महादेवी वर्मा का जन्म सन् 1907 में फर्रुखाबाद (उ०प्र०) में हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही हुई थी लेकिन आगे की शिक्षा विधिवत प्रयाग में हुई। इन्होंने दर्शनशास्त्र में परास्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रारम्भ में महादेवी जी ब्रजभाषा में कविता लिखा करती थीं, लेकिन बाद में खड़ी बोली में कविता सर्जना करने लगीं। महादेवी जी कवयित्री होने के साथ—साथ एक कुशल चित्रकार भी थीं इसीलिए उनके गीतों में चित्रात्मकता के सहज दर्शन हो जाते हैं।

महादेवी जी का रचनाकाल 1924 से लेकर 1942 तक रहा है। इस युग में उन्होंने छायावादी चेतना से अनुप्राणित होकर नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा एवं सप्तपर्णा जैसी कृतियों की सर्जना की। इसमें महादेवी जी का प्रणय—निवेदन देखने को मिलता है। इनकी कविताओं में एक अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय—निवेदन व्यक्त हुआ है। छायावादी कवियों में यदि रहस्यवाद के निकट कोई रहा है तो वे महादेवी वर्मा ही हैं। इनका सम्पूर्ण काव्य वेदना और करुणा का काव्य रहा है। बौद्ध दर्शन के प्रभाव के कारण जीवन के अनुभवों से निश्कर्ष निकालते हुए इन्होंने अपनी वेदना को लोकमंगल विधायिनी बनाए रखा है। इनकी अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है अपितु उसमें लोक कल्याण की भावना भी देखने को मिलती है। प्रकृति के

प्रति अनुराग और उसके माध्यम से अनुभूतियों का सम्प्रेषण महादेवी जी द्वारा बड़ी ही कुशलता के साथ किया गया है। अन्य छायावादियों की तरह इन्होंने अपने काव्य के लिए नये—नये धरातलों की खोज नहीं की है। इनकी काव्य—साधना, भावाभिव्यक्ति और रचना शैली प्रायः एक—सी ही रही है। इनके व्यक्तित्व में एक ओर रहस्य, दर्शन और करुणा आकर मिले हैं, वहीं दूसरी ओर इनका आस्तिक स्वभाव भी मिला हुआ दिखायी देता है। महादेवी वर्मा के पिता की दार्शनिकता ने काव्य में रहस्यवादी तत्वों को उभारा है तो दूसरी ओर माता की आस्तिकता ने भी इनके मन में करुणा का सागर भर डाला है।

महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति 'नीहार' में बालोचित क्रीड़ा, कौतूहल और जिज्ञासा के भाव सर्वत्र दिखायी देते हैं। कभी तो वे ओस की बूदों में प्रियतम का हास देखती हैं तो कभी अपने आँसू। कवयित्री को प्रियतम की मूक मिलन बेला ने वियोग दिया है। जिस प्रियतम ने पीड़ा दी है, उसे पीड़ा के माध्यम से पाने की चाहत की अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में सहज ही देखी जा सकती है—

पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा

तुमको पीड़ा में ढूँढ़ा, तुम में ढूँढ़ूँगी पीड़ा।

महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह से गीत को बनाया है। बहुत कुछ इसी कारण से उनके काव्य में वह वैविध्य नहीं मिलता जो कि छायावाद के वरिष्ठ कवियों में देखने को मिलता है, यद्यपि उनका गद्य बहुत दूर तक इस कमी को पूरा करता है। गीतों में भावात्मक सघनता और शिल्पवत् कसाव एक दूसरे को तीव्र बनाते हैं, जब कि उनके रेखाचित्र और संस्मरण उनके सामाजिक कार्यक्रमों तथा व्यवहारिक जीवन की विषमताओं में से विकसित होकर एक गहरी करुणा की सृष्टि करते हैं। पर महादेवी जी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन् रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है।

महादेवी वर्मा जी के काव्य में निराशा का नकारात्मक रूप नहीं है, बल्कि करुणा का सकारात्मक पक्ष है। उसमें जीवन का अपना उल्लास और उत्साह है। यहाँ कोई निराशा या पलायन का स्वर नहीं है। वह कहती हैं—

तरी को ले जावो मँझधार, डूब कर हो जाओगे पार

विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुँचा देगा उस पार !

बौद्ध दर्शन ने महादेवी जी को बहुत हद तक प्रभावित किया है। उनके मन में भी करुणा का मूल स्रोत पीड़ा और वेदना है। मानव—मात्र में पीड़ा सहन करने की शक्ति ही उसे ऊँचा बनाती है। पीड़ा और वेदना कवयित्री के लिए मानव को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से काम्य है, सामान्य दुःख के रूप में नहीं। 'जीवन का क्रंदन' जब पुकारता है— तब वे प्रकृति का वैभव देखती नहीं रह सकती। प्रकृति जननी से वे सीधे पूछती हैं— तेरा वैभव देखूँ या / जीवन का क्रंदन देखूँ। इस दृष्टि से वेदना, पीड़ा और क्रंदन के बीच में आवश्यक और महत्वपूर्ण विवेक करती हैं, यद्यपि इसके बावजूद आँसू—मात्र में वे

मनुष्य जीवन का उजलापन देखती हैं—सब आँखों के आँसू उजले सबके सपनों में सत्य पला ।⁴

महादेवी वर्मा की कविताओं में आरम्भ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं । ये भाव निरन्तर और अधिक प्रौढ़ और परिमार्जित होते गये हैं । किन्तु उनमें वैसी अनेकरूपता नहीं मिलती जैसी निराला और पंत में लक्षित होती है । प्रसाद के काव्य में भी अनुभूति और विचार निरन्तर व्यापकता की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं, किन्तु महादेवी के सभी गीतों में अनुभूति और विचार के धरातल पर एकान्विति मिलती है । इनकी भावभूमि गीतिकाव्य के ही उपयुक्त है क्योंकि ये स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृति करती है । इनके अनुसार सफल गीत वही है जिसमें संयमित भावातिरेक की व्यंजना होती है । महादेवी जी के गीत भाव प्रधान हैं । उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय—निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं । उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है । अन्य छायावादी कवियों के समान वे भी हृदय और बुद्धि के विरोध का निराकरण कर काव्य में दोनों की अखण्ड स्थिति का समर्थन करती हैं ।

महादेवी जी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय—निवेदन किया है, किन्तु उनका प्रणय दुःख प्रधान है । वे प्रियतम से मिलन की कामना नहीं करती क्योंकि मिलन में तो अभिव्यक्ति का ही नाश हो जाता है । 'मिलन का मत नाम लो' में विरह में चिर हूँ ।' महादेवी का यह दुःखवाद निराशा या अकर्मण्यता का व्यंजक नहीं है, उनकी वेदना की तुलना प्रसाद के 'आँसू' काव्य के अंत में दिखाई देने वाली करुणा की अनुभूति से की जा सकती है । महादेवी ने दुःख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है, सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में वे विश्वास करती हैं । उन्हें 'अमरों के लोक' की कामना नहीं है, वे तो 'मितने के अधिकार' को ही बनाये रखना चाहती हैं । उनका दुःखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से सम्पन्न है । वे जब अपने जीवन की तुलना 'नीर भरी दुःख की बदली' या 'दीपशिखा' से करती हैं तो वहाँ आध्यात्मिक साधना के साथ—साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है । जिस प्रकार एक घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है तथा दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किन्तु परिवेश को आलोकित करता है, ठीक उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना कर आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं । इस संदर्भ में वह कहती हैं—

दुःख प्रति निर्माण उन्मद

ये अमरता नापते पद

बाँध देंगे अंक—संसृति से तिमिर में स्वर्ण बेला ।⁵

महादेवी वर्मा पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव केवल उनकी लोकमंगल विधायिनी पीड़ा की स्वीकृति तक ही सीमित है अन्यथा जहाँ तक सत्य के पारमार्थिक स्वरूप का संबंध है, वे उपनिषदों की परंपरा को ही स्वीकार करती हैं । उन्होंने सर्ववादी दर्शन को अपनाया है, फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक साधना और लोक—साधना में विशेष विरोध नहीं है । उनका मानना है कि सशित उस एक असीम सत्य की ही सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है, इसलिए सृष्टि के प्रति प्रेम और उस मूल सत्य के प्रति प्रेम में समानता है; 'मैं कण—कण में ढाल रही अलि आँसू के मिस

प्यार किसी का ।' दीपशिखा महादेवी जी का प्रिय बिम्ब है । उनके विश्लेषण से भी यही सत्य व्यंजित होता है । यद्यपि दीपक की एक आध्यात्मिक उपयोगिता भी है — वह आराधना का अनिवार्य उपकरण है, किंतु वही दीपक संसार के लिए भी प्रकाश फैलाता है जिसमें पथिक अपना मार्ग खोज पाता है ।

महादेवी जी की अनुभूति केवल व्यक्तिपरक आध्यात्मिकता की अनुभूति ही नहीं है, उसमें लोक कल्याण की भावना भी है जो अडिग आस्था, अटूट साधना और आत्मबलिदान के रूप में गीतों में बिखरी हुई मिलती है । इस प्रकार महादेवी ने मध्यकालीन रहस्य साधना की परंपरा को स्वीकार करके उसे लोक—कल्याण के साथ संयुक्त कर अपने युग बोध के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है । यह रहस्यवाद का एक नया आयाम है । जिसके उद्घाटन का श्रेय महादेवी वर्मा जी को है । इसके लिए उन्होंने अभिव्यक्ति की सांकेतिकता और सूक्ष्मता के अतिरिक्त प्रतीक—विधान और आलंकारिता का भी सफल संयोजन किया है ।

कवयित्री के 'नीरजा' काव्य संकलन में रसात्मक अनुभूतियों का उत्कर्ष और सुंदर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है । 'नीहार' की अनुभूति तथा 'रश्मि' की चिंतन प्रौढ़ता — इन दोनों को एक साथ 'नीरजा' में देखा जा सकता है । 'नीरजा' के गीतों में रागात्मक अनुभूति की तीव्रता है । हृदय की अनुभूति में जब कृत्रिमता और धूमिलता हट जाती है तब अनुभूति की सरस शैली इन शब्दों में व्यक्त होती है —

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ

नयन में जिसके जलद वह तृषित चातक हूँ

शलभ जिसके प्राण में वह नितुर दीपक हूँ

फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ

एक होकर दूर तन से छँह वह चल हूँ

दूर तुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ ।⁶

नीरजा के पश्चात् 'सांध्यगीत' में इनका केन्द्रीय गीत 'प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन' है । ध्वंस के निर्माण और निर्माण में ध्वंस की मूल भावना निहित है । इसी कारण कवयित्री ने सृष्टि के ह्रास और विकास को समन्वित किया है । 'दीपशिखा' में 51 गीतों को पिरोया गया है । इसमें करुणा की स्निग्ध लौ जो मधुर—मधुर जलती हुई पृथ्वी के कण—कण को आलोकित करती है । इसके गीतों का मूल स्वर आत्मनिवेदन है । दीपशिखा के पश्चात् 'सप्तपर्णा' महादेवी जी को एक नये मोड़ पर ले आती है । इसमें आर्शावाणी, वाल्मीकि, अश्वघोश, कालिदास, भवभूति और जयदेव की काव्य—कृतियों के मार्मिक अंशों का सरस और स्वाभाविक ढंग से रूपान्तर किया गया है । 'मेघदूत' में विरही यक्ष ने जो संदेश अपनी प्रियत्मा को भेजा है, उसकी अभिव्यक्ति करती हुई कवयित्री ने लिखा है —

संतुप्तों के शरण बलाहक ले जाओ संदेश प्रिया तक मेरा

जिसकी धनद कोख से विरह—तृप्त काया

आशाढ़ मास का प्रथम दिवस आया ।⁷

महादेवी वर्मा की कविताएँ प्रायः गीति तत्व से युक्त हैं । अतः उनके सम्पूर्ण काव्य संकलन को 'गीतिकाव्य' की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि गीतिकाव्य वह रचना है जिसमें विशुद्ध कलात्मक धरातल पर कवि के

अन्तर्मुखी जीवन का उद्घाटन मुख्य रूप से होता है और जो उसके हर्ष-उल्लास, सुख-दुःख एवं विशाद को वाणी प्रदान करता है। महादेवी जी के काव्य में गीति तत्व के अनायास ही दर्शन हो जाते हैं। इनके गीतों में उनके हृदय की संचित करुणा, वेदना एवं पीड़ा प्रमुख रूप से मुखरित हुई है। ये अनुभूतियाँ उनके व्यक्तिगत जीवन से भिन्न नहीं कही जा सकती हैं। अपने जीवन को वे दुःख से भरी हुई बदली के रूप में अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं—

मैं नीर भरी दुख की बदली
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा
क्रंदन में आहत विश्व हँसा
नयनों में दीपक से जलते
पलकों में निर्रिणी मचली।

काव्य भाषा के दृष्टिकोण से महादेवी वर्मा की भाषा सामान्य भाषा से कुछ अलग है। सामान्य भाषा केवल अर्थ व्यक्त करती है जबकि काव्य भाषा अर्थ के साथ-साथ रीति, ध्वनि, रस, वक्रता आदि को भी वहन करती है। काव्य भाषा में बिम्ब विधायिनी शक्ति होती है। इसके साथ ही भाषा में अलंकारगत रमणीयता, चित्रात्मकता, नाद सौंदर्य, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता जैसे गुण भी विद्यमान रहते हैं जबकि सामान्य भाषा में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। नाद सौंदर्य का एक उद्घरण यहाँ देखते ही बनता है—

सौरभ का फौला केशजाल करती समीर परियाँ बिहार
गीली केसर मद झूम-झूम पीते तितली के नव कुमार
मर्मर का मधु संगीत छेड़ देते हैं हिल पल्लव अजान।

महादेवी वर्मा ने बिम्ब-विधान द्वारा जो चित्र सृजित किये हैं वह अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक बन पड़े हैं। उनमें भावों और अनुभूतियों को उद्घेलित करने की शक्ति है। ऐसा होने पर ही बिम्ब-विधान को सार्थक कहा जा सकता है। बिम्ब में भावनाओं को उत्तेजित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, साथ ही उसमें नवीनता और ताजगी का पुट भी होना चाहिए। इनके बिम्ब-विधान प्रयोग में नीले और सफेद रंगों की प्रमुखता है, क्योंकि नीला रंग अनन्त और श्वेत रंग सात्विकता को व्यक्त करता है। वह अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए बरसती हुई बदली को माध्यम बनाते हुए कहती हैं—

मैं नीर भरी दुख की बदली
परिचय इतना इतिहास यही
उमड़ी कल थी मिट आज चली।

महादेवी वर्मा ने भारत की गुलामी और आजादी दोनों को ही देखा है तथा उन्होंने आजादी के पश्चात् समाज सुधारक के रूप में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। इन्होंने कविता लेखन के अतिरिक्त रेखाचित्र जिसके अन्तर्गत अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ प्रमुख हैं तथा निबंध विधा के अन्तर्गत श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा कई अन्य निबंध लिखे हैं। संस्मरण विधा के अन्तर्गत पथ का साथी, मेरा परिवार आदि संस्मरण लिखे हैं। महादेवी जी को सर्वप्रथम 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा भारत भारती सम्मान दिया गया। सन् 1965 में भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से अलंकृत किया गया तथा 1988 में उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। नीरजा के लिए 1934 में ससकेरिया पुरुषकार तथा यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरुषकार से

भी सम्मानित किया गया।

निष्कर्ष— महादेवी वर्मा जी के काव्य में प्रकृति, प्रेम, करुणा, वेदना के साथ-साथ सजग कल्पना के भी दर्शन होते हैं। इनके गीतों में भावों की इन्द्रधनुशी रंगीनियाँ देखी जा सकती हैं। प्रकृति के कण-कण के साथ इनका तादात्म्य है तथा गीतों में उमड़ती पीड़ा की विराट व्यापकता है। गहरी संवेदना से युक्त महादेवी जी की कविताएँ मानवतावाद की भावना को जाग्रत करती हैं। भावपक्ष और कलापक्ष दोनों ही दृष्टियों से इनका काव्य उत्कृष्ट है। सत्य तो यह है कि महादेवी जी के काव्य में अभिव्यक्त मूल भावना विरह से जुड़ी हुई है। नारी के विशाद पूर्ण जीवन के प्रति उनकी संवेदना इनके गद्य-लेखों में भी व्यक्त हुई है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि महादेवी जी हिंदी साहित्य जगत् में सदैव स्तुत्य रहेंगी तथा ऐसी कवयित्री भारत के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए सम्मान के योग्य रहेगी।

संदर्भ सूची—

- हिंदी (द्वितीय प्रश्न-पत्र) डा0 हरिचरण शर्मा, इण्डिया बुक हाउस, जयपुर, पृष्ठ 253
- हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास— रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ 134
- वही, पृष्ठ 134
- वही, पृष्ठ 135
- हिंदी साहित्य का इतिहास—डा0 नगेन्द्र, मयूर पेपर बैक्स प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 554
- हिंदी (द्वितीय प्रश्न-पत्र) डा0 हरिचरण शर्मा, इण्डिया बुक हाउस, जयपुर, पृष्ठ 253
- वही, पृष्ठ 253
- हिंदी (तृतीय प्रश्न-पत्र) डा0 अशोक तिवारी, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, साहित्य प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ 338
- वही, पृष्ठ 339
- वही, पृष्ठ 340

डॉ० निर्भय शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी)

न्यू ग्रेट स्कालर्स (पी0जी0) कालेज

अल्हागंज (शाहजहाँपुर) उ0प्र0

पिन कोड — 242220

मो0नं0—9634160016

सारांश

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का बोलबाला रहा है। यह दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों से बना एक समूह है जिसके सदस्यों का अपना एक सामान्य निवास होता है तथा जो धर्म, कर्म, अर्थ, शासन प्रबन्ध तथा भोजन आदि की दृष्टि से बहुत कुछ संयुक्त होते हैं।

इराबती कर्वे के अनुसार—

“ एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो सम्पत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं तथा जो सामान्यतः पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त सम्बन्धी होते हैं।”

आई. पी. देसाई के अनुसार—

“ हम उस गृह (घर) को संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा सम्बद्ध हो।”

संयुक्त परिवार एक बृहत परिवार है जिसमें कई सदस्य होते हैं। यह कम से कम दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। ऐसे संयुक्त परिवार में पिता, उसके लड़के-लड़कियाँ, चाची तथा उनके लड़के-लड़कियाँ सम्मिलित होते हैं अथवा माता-पिता, उनका विवाहित लड़का या लड़की और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में तीन या अधिक पीढ़ी के लोग पाये जाते हैं।

दुष्यन्त कुमार त्यागी परिवार को समाज की इकाई मानते हैं। समाज को संगठित करने में परिवार का योगदान रहता है। भारतीय समाज प्राचीन समय से ही बड़े-बड़े परिवारों में विभक्त रहा है। आज बड़े-बड़े परिवार टूटने लगे हैं। शहरी परिवारों में तो यह टूटन बहुत पहले ही आरम्भ हो गई थी। ग्रामीण परिवार भी अब अछूते नहीं रहे। कवि का विचार है कि पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक चलचित्र ने युवा को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज प्रत्येक व्यक्ति निजी स्वार्थ को लिए अपने परिवार से अलग हो रहा है। वह पारिवारिक परम्पराओं से छुटकारा पाना चाहता है। आज पारिवारिक कलह के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य अर्न्तद्वन्द्वके जाल में उलझा हुआ है। उसमें कुंठा, एकाकीपन, अजनवीपन, फुटन, नपुसंक, आक्रोश आदि अवगुण पनप रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की नींव धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। परिवार को

तोड़ने में जहां पाश्चात्य संस्कृति का हाथ है, वहीं मंहगाई ने भी परिवार विघटन में अहम-भूमिका निभाई है। दुष्यन्त जी ने अपनी कविता 'एक मकान के बारे में' परिवार के मुखिया का चित्रण किया है जो मंहगाई से मजबूर होकर अपने सुन्दर घर को किराए पर देकर स्वयं झुग्गी-झोपड़ियों में रहने के लिए तैयार हो जाता है। मकान की प्रशंसा करके भी बतलाने की कोशिश करता है की वह एक दिन भी इस मकान में चैन से नहीं सोया। वजह साफ है क्योंकि जब पेट ही भूखा है तो राजमहल उनके किस काम के। जैसा कि वे लिखते हैं—

“इस मकान में

आज तक इत्मीनान से सोया नहीं हूँ।

मन में एक तलाश—सी बनी है।

यानी रुचि और परिस्थिति में तना—तनी है।

जी हाँ एक अजीब—सी मजबूरी है

यों समझिए कि अब इसे तोड़ना या छोड़ना

निहायत जरूरी है।”

कवि ने आगे स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जब व्यक्ति गरीबी और भूखमरी से परेशान हो जाता है, तो वह धीरे-धीरे अंध विश्वासों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। परिवार में छोटे-छोटे विघ्न होने पर ही आशंकाओं के बारे में विचार करने लग जाता है। बिल्ली का रास्ता काटना, छत से पानी का रिसना, मकड़ियों के जाले आदि शगुन मानव के मस्तिष्क में हलचल पैदा कर देती है उन्होंने अपनी कविता में 'शगुन— शंका' में इसी बात पर प्रकाश डाला है—

“परसाल घर में

मकड़ियाँ बहुत थी

परसाल घर में

अब मेरे आंगन में

बिल्लियाँ लड़ती हैं।

क्या यह बुरा शगुन है?”

समकालीन युवा परिवार के संस्कारों से वंचित हो रहे हैं। एकाकी परिवार की अधिकता ने नैतिकता, मूल्य, परम्पराओं आदि को कमजोर किया है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने ही घर में भटके हुए से प्रतीत हो रहे हैं। वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर-उधर मारे-मारे भटक रहे हैं। त्यागी जी ने अपनी कृति 'मेरे स्वप्न में लिखा भी है—

“मेले में भटके होते तो कोई घर पहुँचा जाता,

हम घर में भटके है कैसे ठौर-ठिकाने आएंगे”

उपर्युक्त सन्दर्भ के अलावा भी परिवार में पति-पत्नी, विवाह, प्रेम सम्बन्ध एवं यौन सम्बन्ध जैसे पहलुओं पर भी दुष्यन्त जी ने प्रकाश डाला है—

पुरुष और स्त्री एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे एक पहलू के बिना दूसरा अधूरा है, उसी प्रकार स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है। या फिर यू कह सकते हैं कि पुरुष और स्त्री जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी एक पहिए के अभाव में चल नहीं सकती उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बिना और पुरुष स्त्री के बिना जीवन रूपी गाड़ी नहीं चला सकता। दुष्यन्त जी ने अपने साहित्य में पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर का सम्मान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुरुष और परिवारिक सम्बन्धों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पुरुष जहाँ एक पिता, भाई, बेटा की भूमिका सहजता से निभाता है तो वहीं स्त्री माँ, बहन, बेटा, की भूमिका त्याग के साथ निभाती है। कवि का विचार है कि पुरुष और स्त्री के लिए पति-पत्नी के रूप में दायित्व निभाना अत्यन्त कठिन होता है। पति-पत्नी के एक-दूसरे के साथ विश्वास के कमजोर धागे से बंधे होते हैं। यह विश्वास रूपी धागा टूटने पर जुड़ता नहीं बल्कि गांठ डाल देता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो एक-दूसरे को सम्मान देने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। कवि ने अपने उपन्यास 'एक कंठ विषपायी' में पत्नी द्वारा पति को सम्मान न मिलने पर यज्ञ में भस्म होना और पति द्वारा पत्नी प्रेम के कारण पत्नी की लाश को कई दिनों तक उठाए फिरना इसी बात का प्रमाण है जैसे-वारिणी द्वारा अपनी पति दक्ष को कहना—

“पत्नी का मान

नाथ!

पतियों की एक सहज आंकाक्षा होती है,

आप तनिक बतलाएं

मेरे संग अगर कहीं इसी तरह हो जाए

तो क्या तुम आत्मा पर

पर्वत-सा भार वहन कर लोगे

मेरा अपमान सहन कर लोगे?”

कवि दुष्यन्त जी का विचार है कि स्त्री अपने पति की मर्यादा में ही अपनी मर्यादा समझती है। भारतीय इतिहास भी इस बात का गवाह है क्योंकि रानी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को छीन लिया था। पत्नी सदैव पति के सम्मान में अपना सम्मान समझती है। उन्होंने अपनी कृति में लिखा—

“पत्नी की मर्यादा

पति की मर्यादा से होती है

“मेरा घर है यह,

मेरा क्या,

मैं तो प्रजा में खड़ी होकर भी

दर्शक की तरह देखूँ तो

मेरी मर्यादा नहीं घटती

पर मेरे महादेव शंकर का स्थान

वहाँ, सर्वोपरि आसन के निकट रहे।”

त्यागी जी अपनी रचनाओं में पुरुष और स्त्री का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए पुरुष और स्त्री की मानसिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है। उनका विचार है कि पुरुष अपनी पिछली प्रेम-कहानी बताने में गर्व महसूस करता है। वह भोग-विलास में लीन होकर भी अपने आपको साफ छवि का मानता है। स्त्री को सबसे ज्यादा दुःख भी उसी समय होता है जब वह अपने पति की किसी प्रेम-कहानी के बारे में जान जाती है। कवि का पुरुष के प्रति दृष्टिकोण है कि जब उसे अपनी पत्नी की प्रेम कहानी का पता चलता है तो वह जल भूनकर कोयले की तरह हो जाता है। उन्होंने अपने इस तर्क को 'एक अधुरी कवि-कथा' में महावीर नामक पात्र के मुख से कहलवाया—

“यह व्यक्तिगत स्वभाव पर निर्भर है। हो सकता है कोई पुरुष इसे बिल्कुल भी गंभीरतापूर्वक महसूस न करता। मगर जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं जानता हूँ कि तुम जल भुनकर कोयला हो जाते, चाहे उसे उस वक्त कुछ भी न कहते।”¹⁵

दुष्यन्त जी का विचार है कि विवाह से पहले और विवाह के बाद के सम्बन्ध में बड़ा अन्तर है। विवाह से पहले स्त्री-पुरुष स्वतन्त्र विचारधारा के धनी होते हैं। विवाह के बाद दम्पति एक अटूट रिश्ते में बंध जाते हैं। वे परम्परा, रिवाज, मर्यादा, संस्कार आदि बंधनों में बंधकर एक दूसरे को सम्मान देते हैं। कवि का विचार है कि पत्नी विवाह के बाद एकात्म्य अनुभव करती है, नारी मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए अपनी दार्शनिकता प्रकट करते हुए लिखते हैं—

“एकात्म्य की भावना शारीरिक संपर्क के बाद जन्म लेती है”

विवाह के बाद पति-पत्नी मानसिक रूप से भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए खुद को तैयार कर लेता है। जीवन में आने वाली परिस्थितियां अन्तर्द्वन्द्वका जाल बुन देती है। छोटी-छोटी बातें कई बार बड़ी-बड़ी विपतियां खड़ी कर देती है।

कवि दुष्यन्त जी ने अपनी आरम्भिक रचनाओं में अन्य समकालीन कवियों की भाँति प्रेम पर प्रकाश डाला है। इनकी रचनाओं में प्रेम का सात्विक रूप प्रस्तुत हुआ है। इन्होंने अन्य कवियों की भाँति मांसलता का प्रयोग नहीं किया। कवि ने सच्चे प्रेम की वकालत की है। इनका विचार है कि आज का युवा प्रेम का सहारा लेकर काम-वासना को शान्त करता है। इनका प्रेम न तो घनानंद की तरह था जो सदैव शिकायत करता और न आज की युवा पीढ़ी जैसा। त्यागी जी ने प्रेमी-प्रेमिका के वियोग भाव को बड़ी सजीवता से प्रस्तुत किया है। उनका विचार है कि प्रेम ही जीवन में प्रकाश लाता है। सौन्दर्य का गर्व करने वाली नायिका को लिखते हैं कि उनका सौन्दर्य क्षणभर के लिए है। यह तो नश्वर है। प्रेम की परिभाषा देते

हुए लिखते है कि—

“मतलब यह है कि प्रेम के तीन स्तर होते हैं। आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक। आध्यात्मिक प्रेम में प्रेमी—प्रेमीका एक—दूसरे में ब्रह्म की छाया का आभास पाते है हुए एक—दूसरे की आराधना करते हैं। मानसिक प्रेम में प्रेमिका व प्रेमी पत्र व्यवहार करते हुए समाज के हाथों विवश हुए रहने पर भी उसके विधान को तोड़ने और विद्रोह के ख्याली पुलाव पकाया करते हैं। जबकि तीसरे शारीरिक प्रेम में साधारणतया आपसी बातचीत, मिलना—जुलना, हंसना—रोना—गाना और परस्पर खत लिखना वगैरह भी शामिल रहता है।”

त्यागी जी प्रेम के रोमानी स्वर में लिखते है कि यह ठीक है कि प्रेमी प्रेम करता है पर प्रेम में इतना लीन नहीं होना चाहिए कि वह अपना विवेक खो बैठे। अपने स्वाभिमान को प्रेमिका के पैरों तले कुचलते देख या कि स्वयं को समर्पित कर दे ऐसे प्रेम को कवि स्वीकृति प्रदान नहीं करते। वे लिखते है—

“सुमुखि मानो न मानो तुम, तुम्हारे क्या
किसी के सामने सिर झूक नहीं सकता
चरण वे और होंगे बाध लेते हैं
जिन्हे अनुराग के कच्चे रंगे धागें”

दुष्यन्त जी के गीतों में स्वाभिमान की भावना प्रबल रही है। इन्होंने साहस और पौरुष स्वखलित नहीं होने दिया। प्रेम के नाम पर महज भोग को ही जीवन का अभीष्ट नहीं समझा है। चूंकि प्रेम आशावादी और निराशावादी विचार धारा के बीच चलता है। प्रेमिका की मुस्कान ही कवि के जीवन में आशा उत्पन्न कर देती है। जैसे—

“तुम एक बार मुस्का दो ना!
यौवन की अनुपम देन प्रिये
मधु प्यार भरा है मेरा उर
अनुराग—वर्तिका उकसा दो
देकर मुझको कल्पना मधुर
जीवन के दीपक में मेरे
निज स्नेह की बूंद गिरा दो ना!”

कवि ने साहित्य के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की है। कि प्रेम के बिना जीवन अधंकार मय है। प्रेमी—प्रेमिका एक दूजे के बिना अधूरे होते है। वे अपनों से ही हार जाते है। उन्होंने अपनी कृति “एक कठं विषपायी:” में दर्शाया है—

“प्रिया—हीन संसार
और मैं देख रहा हूँ!
अपने जीवन पर
तम का विस्तार
और मैं देख रहा हू
ये अपने से ही
अपने की हार
और मैं देख रहा हूँ”

कवि का विचार है कि प्रेम मार्ग दर्शन के रूप में भी कार्य करना है। जीवन के उत्तम पथ की ओर अग्रसर करता है। झूठ—सत्य के रहस्य से अवगत कराता है। शारीरिक, मानसिक पीड़ा को दूर करता है तो वहीं काव्य सृजन में भी योगदान देता है। कवि ने अपनी कविता “भूला सकूंगा नहीं कभी” में लिखा है—

“भुला सकूंगा नहीं कभी प्रिय तेरा भी अहसान
तुमने चेतन—नियम बनाकर चलना मुझे सिखाया
तुमने मुझको सबसे उत्तम पथ का बोध कराया
तुमने जग के झूठ—सत्य का सब रहस्य समझाया
तुमने मुझको ‘कहां पहुंचना है’ यह भी बतलाया”

दुष्यन्त जी के काव्य में यौन—सम्बन्ध विचारधारा पर प्रकाश डाला गया है। कवि को लगता है कि आज का युवा वर्ग प्यार और दोस्ती की आड़ में अपनी हवस की आग बुझाता है। वह संयम के अभाव में यह गलत कार्य कर बैठता है। हांलाकि कवि ने यथार्थ चित्रण करते हुए अपनी कृति ‘एक अधूरी कवि—कथा’ में यौन—सम्बन्ध प्रक्रिया का चित्रण किया है—

“धीरे—धीरे मेरे हाथों और पैरों में हरकत आती गई। वे खुद ब खुद ऊपर—नीचे खिसकने लगे। शरीर के रोए—रोए में पुलक और ताजगी—सी महसूस होने लगी। मन बार—बार सिहरने लगा। आँखें मुदती गई और हाथ तेजी से ब्लाउज़ पर फिरने लगे। घुटनों से ही उसकी साडी को मैने जाघों तक सरका दिया”

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि संयुक्त परिवार में घर का एक मुखिया होता है जिसके दिशा निर्देशन में परिवार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि रूपों में एकजुटता के साथ कार्य करता है। त्यागी ने परिवार को समाज की इकाई मानते हुए समाज को संगठित करने में परिवार के योगदान की सराहना की। हमारा समाज प्राचीन समय से ही बड़े—बड़े परिवारों में विभक्त रहा है। लेकिन बदलते परिवेश के कारण आज बड़े—बड़े परिवार गाँव और शहरों में टूटने लगे है। पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक चलचित्र ने संयुक्त परिवारको अपनी ओर आकर्षित किया है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति निजी स्वार्थ को लिए अपने परिवार से अलग हो रहा है। वह पारिवारिक बोज़ से छुटकारा पाना चाहता है। पारिवारिक कलह से अर्न्तद्वन्द्व के जाल में उलझकर कुंठा, एकाकीपन, अजनवीपन, फुटन, नपुसंक, आक्रोश आदि अवगुण में परिपूर्ण हो गया है। अतः संयुक्त परिवार के विघटन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि ने भी अपने विविध रूपों में अहम भूमिका निभाई है।

सन्दर्भ सूची

1. <https://www.kailasheducation.com/2020/11/>
2. वही
3. विजय बहादुर सिंह, दुष्यन्त कुमार रचनावली, दो पृ.स.—131 वही, पृ.स.—156

4. वही, पृ.स.—204
 5. वही, पृ.स.—44.45
 6. वही, पृ.स.—46
 7. विजय बहादुर सिंह, दुष्यन्त कुमार रचनावली, तीन पृ.स.—354
 8. वही, पृ.स.—377
 9. विजय बहादुर सिंह, दुष्यन्त कुमार रचनावली, एक पृ.स.—133
 10. वही, पृ.स.—126
 11. विजय बहादुर सिंह, दुष्यन्त कुमार रचनावली, दो पृ.स.—75
 12. वही, पृ.स.—136
 13. विजय बहादुर सिंह, दुष्यन्त कुमार रचनावली, तीन पृ.स.—353
- शोधार्थी :

सविता

सुपुत्री श्री आत्माराम

पंजी. संख्या—Dr/Ph.D(H)15/2019

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार—सभा,

उच्च शिक्षा और शोध संस्थान,

धारवाड़

डॉ० आर पी

हिसार



सारांश

'पराधीन सपने हूँ सुख नहीं' 16 वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बता दिया था फिर भी हम चेतने नहीं और धीरे-धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। ऐसा क्यों हुआ? कब हुआ? कैसे हुआ? इन्हें जाने बिना स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाने वालों का योगदान जानना निरर्थक होगा।

हमने इतिहास की कक्षाओं में अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा ही है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की समृद्धि जानने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने भारत आई। तब किसी ने अनुमान न लगाया होगा कि छोटे-से आकार के देश की यह कंपनी अपने से बीस गुना बड़े देश पर सीधे तौर पर शासन कर सकती है।

एक शताब्दी के भीतर लगभग समूचे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत हो चुकी थी जो अगली दो शताब्दियों तक कायम रही। 200 साल तक अंग्रेजी राज से इतने बड़े देश भारत को आजाद कराने में बहुत कुछ लगा।

शक्ति लगी तो सहनशक्ति भी,
मुक्ति की चाह लगी और युक्ति भी,
तन-मन लगा तो धन भी,
श्रम लगा और चिंतन भी,
धैर्य लगा तो समय भी,
क्षति लगी व अनामय भी,
विकल्प लगे, संकल्प लगे,
कुछ विराट लगे कुछ अल्प लगे।
कभी कुंद लगी कभी द्युति भी,
निंदा लगी और स्तुति भी,
अग्र भी लगे, समग्र भी,
शांत भी लगे, उग्र व्यग्र भी,
व्यष्टि लगी और समष्टि भी,
दूरदृष्टि लगी तो सद्दृष्टि भी,
यज्ञ लगे और आहुतियाँ भी,
निकृष्ट लगे तो विभूतियाँ भी।

शब्द लगे, घाव लगे ... और न जाने क्या-क्या लगा। लगी थीं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की लड़ी में महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई थी।

पलासी का युद्ध, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन, गाँधी जी का दक्षिण अफ्रीका से

भारत लौटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड हुआ, दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, रावी नदी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन, 'पूर्ण स्वराज' की मांग, असहयोग आंदोलन, दाँडी मार्च, आजाद हिंद फौज / इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि-आदि।

स्वतंत्रता संग्राम की लौ प्रज्वलित रखने में कई नारे लगे-

'करो या मरो'

'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा'

'इंकलाब जिंदाबाद'

'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा'

'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है'

इन नारों से शब्दों की ताकत स्वयंसेवकों और सेनानियों में हस्तांतरित हुई। आज़ादी के 75 वर्ष हुए और हम स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।

ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में अश्वरी ऋषि अय्यर ने कहा था 'शब्द तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है'। फिर 19वीं सदी में लंदन के अंग्रेजी लेखक एडवर्ड बुलवेर-लिटलन ने अपने नाटक 'रिकेल्यू' में लिखा था 'कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है'। यह सत्य है कि स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साहित्यकारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गद्य रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय आदि ने नाटक-उपन्यास आदि के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जनसमूह में जागृत की।

अपनी कविताओं से देश के लिए कुछ कर गुज़रने की अलख जगाने वालों में अग्रणी नाम हैं एक ओर महावीर प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पाण्डेय, सुमित्रानंदन पंत, बंकिमचंद्र चटर्जी, कामता प्रसाद गुप्त, रवींद्रनाथ ठाकुर, इकबाल हैं और दूसरी ओर राष्ट्र चेतना का संचार करने वाले बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामनरेश त्रिपाठी, राधाचरन गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माधव प्रसाद शुक्ल, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' प्रमुख नाम हैं।

इन सबने अपनी कलम को तलवार से भी अधिक धारदार बनाया। आइए, राष्ट्र प्रेम को उद्दीप्त करनेवाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के राष्ट्र-समर्पण के बारे में जान लेते हैं।

अपने नाम को सार्थक करते उनके शब्दों की प्रतिध्वनि महाराज

पुरुरवा के कथन में मुखरित होती है—
 मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं,
 उर्वशी! अपने समय का सूर्य हूँ मैं।
 अंध तम के भाल पर पावक जलाता हूँ,
 बादलों के सीस पर स्यंदन चलाता हूँ।
 और सच ही अभावग्रस्त जीवन में उनके भावग्रस्त शब्दों के सशक्त
 घोड़ों ने विस्तृत साहित्याकाश पर अनिरुद्ध रथ में भ्रमण किया और
 उस अपूर्व रथ का घर्घर नाद सबने सुना।
 दिनकर को पढ़ने के बाद उनके प्रति राष्ट्र के संतकवि जैसा भाव
 मन में उपजता है। बड़े महत्त्व का नीति ज्ञान उन्होंने दिया जो
 स्वाधीनता संग्राम की रीढ़ कहा जा सकता है।
 क्षमा शोभती उस भुजंग को
 जिसके पास गरल हो
 उसको क्या जो दंतहीन
 विषरहित, विनीत, सरल हो।
 सच पूछो, तो शर में ही
 बसती है दीप्ति विनय की
 सन्धि—वचन संपूज्य उसी का
 जिसमें शक्ति विजय की।
 सहनशीलता, क्षमा, दया को
 तभी पूजता जग है
 बल का दर्प चमकता उसके
 पीछे जब जगमग है।
 वीरता, दृढ़ता, न्यायप्रियता, सत्याचरण, निडरता, मातृभूमि सम्मान
 आदि मानवीय गुणों की शिक्षा—दीक्षा का शंखनाद उनकी इस
 कविता 'नमन करूँ मैं' का मूल स्वर है—
 भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है?
 नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है?
 तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने आता है
 किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है
 मानवता के इस ललाट—वंदन को नमन करूँ मैं!
 किसको नमन करूँ मैं भारत? किसको नमन करूँ मैं?
 अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का भाव जगाने का पहला
 सोपान है अपने देश से प्रेम, उसके लिए आदर की भावना। अपनी
 मातृभूमि की वंदना इससे बेहतर शब्दों में और क्या हो सकती है।
 देखिए कविता 'प्यारा हिंदुस्तान है' की कुछ पंक्तियाँ—
 क्षमा, दया, धृति के पोषण का इसी भूमि को श्रेय है।
 सात्विकता की मूर्ति मनोरम इसकी गाथा गेय है।
 बल—विक्रम का सिंधु कि जिसके चरणों पर है लोटता—
 स्वर्गादिपि गरीयसी जननी अपराजिता अजेय है।
 समता, ममता और एकता का पावन उद्गम यह है
 देवोपम जन—जन है इसका हर पत्थर भगवान है।

आजादी का स्वप्न देखनेवालों को दिनकर की रागिनी 'कल्पना की
 जीभ में भी धार होती है' कहकर अमृतमंत्र देते हुए कर्मण्य बनाती है।
 अपने सपनों को आग में गला, लोहा बनाकर और उस पर नए घर
 की नींव रख, फौलादी दीवार उठाना हमें दिनकर ने ही सिखाया।
 बाण ही होते विचारों के नहीं केवल,
 स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है।...
 स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे,
 रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे।
 परतंत्रता की बेड़ियों को काट, वीरों का आह्वान करते हुए कविता
 'हुंकार' में वे जन—जन में जोश और स्फूर्ति का संचार करते हैं—
 रण की घड़ी, जलन की बेला, रुधिर—पंक में गान करो,
 अपनी आहुति धरो कुण्ड में, कुछ तुम भी बलिदान करो।¹⁶
 'वर्तमान की जय', अभीत हो खुलकर मन की पीर बजे,
 एक राग मेरा भी रण में, बन्दी की जंजीर बजे।
 स्वाधीनता के आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की दिनकर ने,
 अपने बल—पौरुष पर विश्वास करना सिखाया। राष्ट्रीय भावनाओं से
 ओतप्रोत ओजस्वी कलम द्वारा राष्ट्र—चेतना के प्रसार से वे जनकवि
 से राष्ट्रकवि बने। स्वाधीन राष्ट्र के लिए आहुति देनेवालों के लिए
 जयाघोष के शब्द देखिए—
 जला अस्थियाँ बारी—बारी,
 चिटकाई जिनमें चिंगारी,
 जो चढ़ गये पुण्यवेदी पर,
 लिए बिना गर्दन का मोल,
 कलम, आज उनकी जय बोल।
 स्वतंत्रता का जश्न मनाता हुआ, राजशाही की समाप्ति और लोकतंत्र
 के सत्तारूढ़ होने की घोषणा करता कवि हृदय कह उठता है—
 सदियों की टंडी—बुझी राख सुगबुगा उठी,
 मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है;
 दो राह, समय के रथ का घर्घर—नाद सुनो,
 सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
 सब से विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा,
 तैंतीस कोटि—हित सिंहासन तय करो;
 अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है,
 तैंतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो।
 शासकीय सेवा में रहकर भी दिनकर का साहित्यिक जीवन राजनीति
 से ऐसे संपृक्त रहा ज्यों धनुष पर चढ़ा हुआ तीर। कूटनीतिक
 अराजकता, राजनीतिकों की स्वार्थपरता, अवसरवादिता पर वे करारा
 प्रहार करते हुए पूछते हैं— कि आजादी के मरभुखे! तू इसे बेच तो
 नहीं खाएगा? कविता 'रोटी और स्वाधीनता' में वे स्पष्ट कहते हैं कि
 बेताब भूख से आजादी की खैर नहीं है। दृ
 हो रहे खड़े आजादी को हर ओर दगा देनेवाले,
 पशुओं को रोटी दिखा उन्हें फिर साथ लगा लेनेवाले।

इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्षु सह सकता है?
है कौन, पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है?
असमानता, भुखमरी, बेहाली, दुराचार, अमानवीयता, धार्मिक विद्वेष,
अन्याय; इन सबके प्रति दिनकर जी की कलम स्वराज्य का सही अर्थ
बताते हुए देश के कर्णधारों को धनुष की टंकार सुनाती है और
लकारती है कि स्वराज कहाँ अटका हुआ है—
पथरीली ऊँची जमीन है? तो उसको तोड़ेंगे
समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे
समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर
खण्ड—खण्ड हो गिरे विषमता की काली जंजीर
इस कविता की ये अंतिम दो पंक्तियाँ—
समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध
ये अत्याचार सहन करते चुप्पी साधे आम मनुष्य को झिंझोड़कर अपने
आत्मसम्मान—आत्मगौरव के लिए अन्याय—अनीति के विरुद्ध बिगुल
बजाने का संदेश देती हैं।

एक सतत संग्राम राष्ट्रभाषा के लिए भी रहा। 'राष्ट्रभाषा
और राष्ट्रीय एकता' तथा 'राष्ट्रभाषा आंदोलन और गाँधीजी' उनकी
ये दो पुस्तकें राष्ट्रभाषा की समस्या सपर संबोधित हैं। दिनकर का
कथन है कि हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता व राजनीतिक
अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। याद रहे कि यह
संग्राम अभी जारी है; ...समर शेष है।

अंत में स्वरचित कविता 'मेरा भारतवर्ष' की इन पंक्तियों के साथ
कलम को विराम देती हूँ—

विचरा करते जहाँ स्वर्ण मृग, और कहाता सोन चिरैया,
वेद उपनिषद मंत्र गूँजते, रसखान रचे निर्बाध सवैया।
भक्ति रंग दिया तुलसी ने, नीति ज्ञान कबीर की वाणी,
भागीरथ प्रयत्न से सुरसरि, उत्तरी धरा पर बन निर्वाणी।
हिन्द महासिंधु चरण पखारे, माँ पग अमृत के आकर्ष,
ताम्रपत्र पर अमिट कहानी, जो है रची वह भारतवर्ष।

संदर्भ—ग्रंथ

उर्वशी

रश्मि रथी

हुंकार

संस्कृति के चार अध्याय

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रभाषा आंदोलन और गाँधीजी

भारत काव्य पीयूष

डॉ० आरती 'लोकेश'

दुबई, यू.ए.ई.

Mobile: +971504270752

Email: arti-goel@hotmail-com

P-O-Box 99846] Dubai] U-A-E-

<https://www.amazon.com/author/dartilokesh>

<https://www.notionpress.com/author/314504>

स्थायी पता

डॉ० आरती 'लोकेश'

मकान नं. 137, आई ब्लॉक,

कवि नगर, गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश, भारत

201002



सारांश

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। जहाँ 60 प्रतिशत से भी ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। परिवार के सभी सदस्य कृषि कार्यों में हाथ बटाते हैं पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियां व बच्चे भी आवश्यकतानुसार खेती-बाड़ी से सम्बन्धित कार्यों में अपना योगदान देते हैं। नलाई तथा फसल की कटाई जैसे कामों में स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। यहाँ पर किसान दिन-रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। उनका कठिन परिश्रम, अभिलाषाएँ, महत्वकांक्षाएँ आदि सभी कुछ लोकगीतों में भावाभिव्यक्त हुआ है। हरियाणा में मुख्य रूप से गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ईख व धान की खेती की जाती है। इन फसलों से सम्बन्धित अनेक लोकगीत हैं जिनमें इन फसलों की बुआई, कटाई, नलाई आदि का बखूबी वर्णन मिलता है। महिलाएँ सुबह-शाम घर के कामों को निपटाने के साथ-साथ कृषि कार्यों में अपना हाथ बटाती हैं और अपने मन के भावों को लोकगीतों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं। लोकगीतों में उनकी दिन-रात घरेलू कामों की व्यस्तता के साथ-साथ उनकी मनोव्यथा, मनोकामना जेवरों के प्रति उनका आकर्षण, पारिवारिक समस्याओं आदि का भी वर्णन मिलता है। लोकगीतों के माध्यम नारी ने प्राकृतिक समस्याओं (बाढ़, सूखा, अकाल) के कारण उनके जीवन में आई परेशानियों को भी उद्घेलित किया है। इतना ही नहीं लोकगीतों के माध्यम से हमें हरियाणा प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की उपजाऊ क्षमता, कृषि सम्बन्धी औजार, कृषक जीवन में आने वाली कठिनाईयाँ, अच्छे जीवन यापन की लालसा पशुओं की स्थिति, अच्छा भोजन व वस्त्र पाने की इच्छा, धार्मिक आस्था, प्रकृति पर निर्भर जीवन, आदि की जानकारी प्राप्त होती है।

हरियाणा के किसान का जीवन बड़ा ही कठिन तथा संघर्षमय रहा है। वह दिन-रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा मुश्किल से कर पाता है। वह इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहता अपितु बड़े ही विनम्र भाव से धरती माता को बैलों, जीव-जन्तुओं के भाग्य को, गंगा-यमुना और संतो के आशीर्वाद को देता है। एक गीत में उसके इस विनम्र भाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है –

धरती माता नै हरयो कर्यो
गऊ के जाये नै हरयो कर्यो

जीव जंत के भाग नै हरयो कर्यो
ढाणा खेडे नै हरयो कर्यो
गंगा माई नै हरयो कर्यो
जमना माई नै हरयो कर्यो
धना भगत को हर तै हेत
बिना बीज उपजायो खेत
बीज बच्यो सो सन्तां नै खायो
घर भर आंगन भर्यो।¹

किसान के इस कष्टकारी जीवन में उसका पूरा परिवार खेती-बाड़ी के कामों में हाथ बंटाता है। अधिकतर कृषि प्रकृति पर ही निर्भर होती है। वर्षा कम होने के कारण बहुत कम फसलें ही पैदा हो पाती थी। जो थोड़ी बहुत पैदावार होती उसे परिवार और मवेशियों के खाने पीने की ही व्यवस्था हो पाती थी। जहाँ पर नहरों की व्यवस्था नहीं थी वहाँ की अधिकतर भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, उसे बरानी भूमि के नाम से जाना जाता था। ऐसी जगह जीवन यापन करना किसान की पत्नी के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता। एक लोकगीत में किसान की पत्नी जीवन में आई कठिनाइयों से तंग आकर नाई को कोसती हुई कहती है :-

एक मेरे बाप के चार धीहड़ थी,
चारों ब्याही चारो कूंट में

एक बागड़ में दूजी खादर में, तीजी हरियाणा चौथी देश में,
मेरे सिर पर कागा हाथ भूआरी भरुंट भूवारुं में खड़ी खड़ी
में सट सट मारुं डस डस रोवूं रोवूं नाई का तेरे जीव ने।²

इस गीत के माध्यम से हमें हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का भी पता चलता है। किसान की पत्नी का नाई को कोसना यहाँ की परम्परा को दर्शाता है जिससे ज्ञात होता है कि पहले रिश्ते नाई द्वारा तय किए जाते थे। नाई द्वारा बताई गई जगह पर विवाह कर देना उसके लिए बड़ा कष्टकारी सिद्ध हुआ है।

वर्षा ऋतु का महीना सभी किसानों के लिए खुशहाली का सूचक होता है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाने के कारण किसान व उसका परिवार भी खुश होकर नाच उठता है। सूखे खेत खलिहान हरे-भरे हो जाते हैं। गर्मी की तड़प के बाद पशु-पक्षियों को राहत मिलती है। आकाश में उमड़ते-घुमड़ते बादल पल-पल रंग बदलते हुए दिखाई देते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली

की चमक देखकर किसान फूले नहीं समाता। उसके खेत खलिहानों में पानी भर जाता है। उसकी इस खुशी को एक गीत में यूँ उजागर किया गया है –

रै गगन गरजै झिमालै बीजली,
पड़ै बुदियां भरै क्यारी,
इस में बरखा लगै प्यारी।^३

इसके विपरीत यदि वर्षा ऋतु में बारिश नहीं होती है तो उसके लिए फसलें उगाना ओर भी कष्टकारी हो जाता है। इस समय किसान व उसकी पत्नी आँख गड़ाए आसमान में देखते रहते हैं और वर्षा होने के इंतजार में आशा करते हैं कि ऊपर से जाने वाले बादल उनके देश में क्यों नहीं बरसते? ऐसे में किसान की पत्नी मौसम बदलने की आशा करती हुई कहती है –

ऊपर-ऊपर बादलड़ा ऊपर कै क्यूं जां
बरसै तू क्यूं नां म्हारे देस रै।
छन में पालिड़ा धूलम-धूल
छन में तो भर दे जोहड़-डाबड़ा।।^४

किसान का वर्षा ऋतु पर निर्भर रहना हमें यह दर्शाता है कि खेती-बाड़ी करना प्रकृति पर निर्भर होता था। आधुनिक समय की सिंचाई सुविधाएं व मशीनें उस समय नहीं होती थीं। फसलो से सम्बन्धित सभी कार्य किसान खुद मेहनत करके और पारम्परिक तरीके से ही करते थे। इसके लिए किसान हल जोतने के लिए अपने घर में गाय व बैलों की जोड़ियों को रखता था। किसान की पत्नी घर के काम-काजों से निपटकर अपने पति के लिए खाना व पशुओं के लिए चारा लेकर जाती है और खेतों में जाकर काम करती है। किसान द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में ईख की फसल जितनी अधिक लाभकारी होती है उतनी ही कष्टकारी भी होती है। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है ईख की फसल को कोसती हुई एक स्त्री गीत के माध्यम से अपनी व्यथा प्रकट करती हुए कहती है—

बहुत सताई ईखड़े तन्नै बहुत सताई रै।
बालक छोड़डे रोवते रै तन्नै बोहत सताई रे
डालडी में छोड़या पीसणा
अर छोड़डी सै लागड़ गाय
नगोड़े ईखड़े तन्नै बोहत सताई रे
कातनी में छोड़या कातना अर छोड़े सै नां अर बाप
नगोड़े ईखड़े-तन्नै बोहत सताई रे।^५

स्त्रियों को गहनों से बहुत लगाव होता है। हो भी क्यों ना, आभूषण स्त्रियों की सुन्दरता में चार चाँद लगा देते हैं। जब किसान के घर में अच्छी उपज होती है तो खुशी के मारे उनकी पत्नी अपने लिए 'नाथ' और पति को 'गोखरू' घड़वाने की फरमाइश करती है। नारी का

जेवरों के प्रति आकर्षण इस गीत के माध्यम से यूँ दर्शाया है –

कितना एक उपज्या रे हालिड़े बाजरा
कोये, कितनी एक उपजी ज्वार, बरसण लागी रे काली बादली
कोये, सौ मण निपज्यारे गोरी धन बाजरा
कोये दो सौ मण निपजी ज्वार, बरसण लागी रे काली बादली
कोये अपने घड़ा ले रे हालिड़े 'गोखरू' काये, मेरी घड़ा दे 'नाथ'
बरसण लागी रे काली बादली।^६

इसके अलावा एक अन्य गीत में भी ईख की अच्छी फसल होने पर किसान की पत्नी का कंठी घड़वाना नारी का जेवरों के प्रति आकर्षण व्यक्त करता है –

ईख नलाई के फल पाई
ईख नलाई मन्ने कंठी छड़ाई
ले गया चोर बहू के सिर लाई

.....।^७

लोकगीतों में जहाँ हमें नारी का जेवरों के प्रति आकर्षण दिखाई देता है वहीं दूसरी ओर जब वह उन जेवरों को खेती-बाड़ी के कार्यों व गृहस्थी के कामों के पहन नहीं पाती तो उसे गुस्सा भी आता है। जब नारी खेत में गेहूँ काटने के कार्य करके थक हार का घर, आती है। उसे साथ सास का लड़ाई करना और ऊपर से मक्की पीसना उसे ओर भी क्रोधित करता है। क्योंकि मक्की पीसना बड़ा ही कठिन कार्य होता था ऐसे में वो दुःखी होकर अपने पति मक्की न बोनो की सलाह देती है प्रस्तुत गीत उसकी मनोव्यथा को दर्शाता है –

पाँच पचास की नाथ घड़ाई
पड़गी लामनी पहरन ना पाई
सांज ताहीं करी लामनी
आगै पड़ै घरां डिगराई
आगै सासड़ लड़ती पाई
देखा क्यूंना कामबखत क्यूं ना आई
सास मिरी नै मक्की री सुकाई
ढाई सेर की कूँडी बखत उठ कै
आधी पीस कै कंथा धोरै आई
के सोवै ही कै जागै ननदी के भाई
मक्की मत बोइए हो कलावती के भाई
डिग्गी धरण ठिकानें नहीं आई।
सार मर जागी ननद धर जागी
तेरे मेरे राज में मक्की छूट जागी।^८

लोकगीतों में नारी कृषि जीवन की कठिनाईयों के साथ-साथ पशु अन्न सम्बन्धी गीतों के माध्यम से परम्परागत व्यवस्था को दर्शाया है। किसान अपने खेत में हल जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करता है तो उनकी बहुत सेवा करता है लेकिन जब वे बैल बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय वह उसे बेचना चाहता है। बूड़डे बैल के माध्यम से नारी ने

दया भावना दिखाते हुए किसान को बैलों की कड़ी मेहनत के बारे में बताते हुए कहा है –

अरे न्यून रोवै बूढ़ा बैल, मन्नै मत बेच्यै रे पापी
तेरे कुआं कोल्हू में चाल्या नाज कमा कै तेरे घरां

घाल्या

इब तन्नै करली सै बज्जर की छाती
तिरा बज्जंड खेत मन्नै तोड्या, गड्डी तै मुंह ना

मोड्या

इब्ब तै मेरी बेच्यै से माटी ।⁹

हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी को बड़े चाव से खाया जाता है। नारियों ने बाजरे की खिचड़ी बनाते हुए आई परेशानियों को लोकगीतों के माध्यम से बताते हुए कहा :-

आध पाव बाजरा कूटण बैठी, उछल-उछल घरभरियो,
शैतान बाजरा ।

भरियो,
आध पाव बाजरा पकावण बैठी, खदक-खदक हँडिया

शैतान बाजरा ।¹⁰

लोकगीतों में बाजरे को 'जी का जंजाल' भी कहा गया। महिलाओं ने लोकगीतों में आई आर्थिक तंगी का भी वर्णन किया है। अकाल पड़ने पर मंहगाई की मार ने उन्हें भूखा रहने पर मजबूर कर दिया। घर आए मेहमान की भी आवभगत न कर पाने के कारण उनके सम्मान को गहरी ठेस पहुँचती है। 1956 के भंयकर अकाल को लोकगीतों में इस प्रकार चित्रित किया है –

पड़ रहा छप्पनियों का काल
पड़ रहा कैसा री दुकाल
दिया री मंहगाई नै मार
दमड़ी के हो गए चार
कपड़ा मिलै न टाट
अन्न दाल का टोटा पड़ गया
बालक सारे रोते डोलें
जीना जी का जंजाल

.....

.....¹¹

लोकगीतों में नारियों ने आधुनिक काल में हुए बदलावों के कारण सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था में आए परिवर्तनों को भी बताया है। हरियाणा प्रदेश में कृषि कार्यों में आये आधुनिक औजारों का वर्णन नारियों ने इस प्रकार किया है –

आर्या देश सुधारैगे,

छोहरयों की हलसी छूटैगी, हे बाहैवी खेत मशीन,

आर्या देश सुधारैगे ।

बहुआं की चाकी छूटैगी, हे पीसैगी चून मशीन

.....
आर्या देश सुधारैगे ।¹²

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हरियाणवी लोकगीतों में नारी ने कृषक जीवन में आने वाले कठिनाईयों के साथ-साथ सुख-दुःख के समय अपने मन में उठने वालों भावों की भी अभिव्यक्त किया है। गृहस्थी के कार्यों के साथ-साथ उसने कृषि कार्यों में भी मेहनत, लगन व उत्साह से अपनी भूमिका को निभाया है। लोकगीतों में जहाँ नारी मन की भावनाओं का लय बद्ध स्वर मिलता है वहीं हमें लोकमानस की प्राचीनतम संस्कृति व सभ्यता का परिचय भी मिलता है। ये हमारे लोकमानस की धरोहर हैं जिसे हमें संयोजित करना होगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ० साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ०-287
2. वही, पृ०-286
3. अतुल यादव, हरियाणा लोक सांस्कृतिक धरोहर-89
4. वही, पृ०-88
5. डॉ० साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ०-292
6. डॉ० सावित्री वशिष्ठ, हरियाणा की लोक संस्कृति, पृ०-101
7. डॉ० साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ०-291
8. वही, पृ०-292
9. डॉ० साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ०-293
10. डॉ० भीमसिंह, हरियाणा के लोकगीत (सांस्कृतिक मूल्यांकन) पृ०-65
11. डॉ० साधुराम शारदा, हरियाणा के लोकगीत, पृ०-294, 295
12. डॉ० सावित्री वशिष्ठ, हरियाणा की लोक संस्कृति, पृ०-172

रेखा

शोधार्थी

बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय

अस्थल बोहर, रोहतक



सारांश

मानव सभ्यता के विकास में आदिवासी समुदायों की विशेष भूमिका रही है। गुफा जीवन से लेकर सिंधु सभ्यता के वैभव तक आदिम जन का अवदान निर्विवाद रहा है। परंतु समय के साथ वही जनजातियाँ उपेक्षित, पीड़ित और शोषित होती रही है। श्री लक्ष्मी नारायण पयोधि ने इस तथ्य और सत्य को तर्कसम्मत ढंग से प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति दी है। वे लमझना में कहते हैं – “कितनी सभ्यताओं की रखी हमने बुनियादें/गुफा जीवन से सिंधु सभ्यता के वैभव तक/संस्कृतियों का हमने ही तो किया विस्तार/आग से लेकर लोहे तक की खोज/पेड़-पौधों से लेकर जड़ी-बूटियों तक की पहचान/हमने ही की/पशुओं को पालतू बनाया/खेती की फसलें उगायीं/कितनी ही विद्याओं के जनक/कितनी ही कलाओं के प्रवर्तक/करोड़ों वर्षों के जीवन से अर्जित/हमारे अनुभवों को हथियार बनाकर/तुम बन गए ज्ञानी?”

मध्यप्रदेश आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ 43 अनुसूचित जनजातियाँ उपेक्षित एवं संघर्षमय जीवन जीती है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी एक करोड़ 53 लाख 26 हजार 7 सौ 84 है, जो कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। इतनी बड़ी आदिवासी वाले राज्य में उनके संपर्क में रहते हुए भी श्री पयोधि ने अपने कवि धर्म के लिए आदिम संवेदना को चुना। आदिवासी जीवन के उल्लास-उत्सव, सुख-दुख और शोषण के साक्षी बनकर सहानुभूति के स्तर पर अभिव्यक्त किया। यही कारण है कि श्री पयोधि की प्रमुख काव्यकृति 'सोमाः' और 'लमझना' आदिवासी जीवन संवेदना एवं संघर्ष के प्रामाणिक दस्तावेज बन गए हैं। सोमारू के केंद्रीय चरित्र को परिभाषित करते हुए कवि ने आदिवासी संघर्ष की महागाथा का मानों भाश्य ही लिख डाला। जैसे— “सोमारू जंगल साल सागौन का/उगा अपनी मर्जी से/काटा जाता हर रोज़/जंगलखोर इरादों के कुल्हाड़ों से/एक उद्यम पहाड़ी नदी सोमारू/जिसके अंतस्तल में/हलचल/बरहमेश/उथल-पुथल/काला-कठोर पहाड़ सोमारू/ऊर्जा उत्खनित जिसकी/तस्करी के वास्ते/सोमाः वह आग/जो फूटे तो ज्वालामुखी/और धधके तो बन जाए दावानल/प्यार में पगा कोमल लोकगीत सोमाः/घुमड़ने लगे विचारों के बादल”² दुनिया में जहाँ कहीं भी आदिवासी समुदाय आबाद है, सबके जीवन संघर्ष की गाथा लगभग एक सी है। भौगोलिक स्थितियों के कारण जीवनशैली, संस्कृति और भाषा के

स्तर पर भिन्नताएं जरूर हैं, जो स्वाभाविक हैं। इसलिए हर आदमी सोमारू का अपना है, उसकी दिनचर्या, स्वप्न और उम्मीदें लमझना से अलग नहीं हैं।

बस्तर की कलापक्ष को ही लें गाँव के ये भोलेभाले आदिवासी चित्रकार मानव जीवन को उसकी गहरायी एवं मजबूती के साथ पकड़कर छोटी-मोटी रेखाओं के माध्यम से अपनी जीवन कथा को भिती चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो ये चित्र महज एक कला का हिस्सा न होकर इन आदिवासियों के जीवन को रेखांकित करते हैं। जिसमें हर्ष और उल्लास के पलों के साथ-साथ शामिल है जीवन का संघर्ष, लोककला शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे दर्द को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है— “लिखा दीवारों पर/दुख-दर्द/चित्र बनाकर/हुआ मुखर/गाया एकांत में/मंत्रों से/गूँज उठे/दिग्-दिगंत/मेरी हर अभिव्यक्ति से/आनंदित अभिजात्य/अंतस् के कौन से/खोलूँ द्वार/कि दर्द/छलक उठे/उनकी आँखों से/सोचता सोमारू”³

बस्तर के इन भोले-भाले आदिवासियों ने चित्रकला को अपने संघर्ष के पल एवं पीड़ा की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। जीवन की सहजता और जटिलता को, उत्पीड़न को व्यंग्यपूर्ण स्थितियों की वकता, नारी जीवन के त्रास और उत्पीड़न को मूर्त करने के साथ-साथ आदिवासी जीवन की पेचदगी को व्यक्त करने की कोशिश की गयी। इतना ही नहीं इन चित्रों के माध्यम से राजनीतिक एवं सामाजिक सच्चाइयों का पर्दाफाश करती ये आकृतियाँ भले ही सभ्य समाज के लिए कलाकृति का एक रूप हो, मनोरंजन का साधन हो किंतु ये चित्र वस्तुतः इन आदिवासियों के जीवन का मार्मिक अंश है।

मदिरा का सेवन वैसे तो संपूर्ण समाज में प्रचलित है। आदिम संस्कृति में यह जीवन का अभिन्न अंग है। मदिरा के बगैर इन लोगों की कोई भी खुशी या पूजा-पाठ पूर्ण नहीं होते। बस्तर प्रदेश में नशे के लिए महुआ, सल्फी और ताड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका उल्लेख हमें मेहरुनिस्सा परवेज़ के उपन्यास 'उसका घर' में भी मिलता है।⁴ इसी संदर्भ में कवि पयोधि की 'सल्फी का पेड़' शीर्षक कविता प्रस्तुत है— “काली-बलिष्ठ देह में/झालरों जैसे/हरे-हरे पत्ते फहराता/सल्फी का पेड़/आसमान की ओर/सोच रहा था सुबह-सुबह/सोमारू फिर चढ़ेगा/तनी हुई छाती पर/चीरेगा काती से शिराओं को/और उतार लेगा/सफेद

दूध जैसा रस भरा तूम्बा'5

इस कविता में कवि ने सोमारू की दिनचर्या, ज़रूरत, शोशण और उससे उपजी पीड़ा के बिम्ब उक्रे हैं। काली बलिष्ठ देह वाला मेहनतकश सोमारू शोशक के लिए मादकता से परिपूर्ण आनंद का प्रतीक बन जाता है। इस देश के भूमि पुत्र होने के बावजूद वे मानो अंधकार में हैं। उनकी दरिद्रता नष्ट करने के लिए विकास की विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गयीं पर वे अचानक थमथमाती हैं। अतः आदिवासियों की इसी दयनीय स्थिति को विजय कुमार मडावी अपनी कविता में व्यक्त करते हैं—“ न जाने किसने चुरा ली/सुविधा की मिठाई/उनके नाम पर लेकिन/उडाए दूसरों ने मजे”। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास योजनाओं की लकीरें मात्र कागज़ों पर ही रह गई हैं। इसी संबंध में कवि पयोधि की कविता प्रस्तुत है—“ मालूम नहीं/कितनी पीढ़ियाँ/इसी घर में पैदा हुईं/मर खप गयीं/पट्टा/नहीं मिला अब तक/पटवारी मांगता/पत्ती/गुरुजी पढ़ाते/झाड़ के नीचे/सुना है/समझौते के एवज में/बन गया स्कूल/फाइलों में/पुलिस वाला मारता सोमारू को/पिलाता नहीं महुआ”7 देश का शासक हो पूँजीपति हो या सरकारी तंत्र से जुड़ा मुलाज़िम सभी सुविधा भोगी है। आर्थिक साधन मानों उन्हे विरासत में मिला हो। दूसरी ओर सर्वहारा वर्ग अपनी आर्थिक विपन्नता तथा जीवन की कठिनाई को पूर्वजों की धरोवर के रूप में ओढ़े हुए हैं। शोषण का यही चक्र कवि की टीस है।

कृषि भारतीय उत्पादन का प्रमुख साधन है। किंतु कृषि के संसाधनों पर मूलतः भूमिपति, ज़मींदार और महाजनों का दबदबा रहा है। इसी सामंतवाद ने ज़मींदारी प्रथा को जन्म दिया, जिससे ग्रामीण समाज में वर्गवाद को स्थान मिला। अपने प्रभुत्व के रहते, सरकारी सत्ता से गठजोड़ करके ज़मींदारों ने भूमिहीन किसान, बंधुआ मज़दूर और श्रमरत महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और दैहिक शोषण किया। उनके श्रम का शोशण कर उन्हे शारीरिक और मानसिक रूप से तो आहत किया। घर की शान वहां की महिलाओं के आँचल को भी दागदार किया है। आज विश्व सभ्यता का अधिकांश मानव समुदाय विस्थापित जीवन जीने को विवश है। आदिवासी स्त्रियों को विस्थापन के कारण गंभीर संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इस समुदाय की स्मृतियों और इतिहास को मिटाकर उसे हाशिये पर धकेलने की कोशिश जारी है। इस संबंध में चर्चित आदिवासी कवयित्री निर्मला पुत्तुल कहती हैं—“ तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हज़ारों/पर हज़ारों पत्तल भर भी नहीं पाता तुम्हारा पेट/जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू/उन्ही घरों से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्ती में”8 अतः इन पंक्तियों के माध्यम से देखा जा सकता है कि मानवीय गरिमा और सम्मान पाना किसी भी स्त्री का मौलिक एवं प्राकृतिक अधिकार है। निष्कर्षतः निर्मला पुत्तुल की कविता स्त्री के उन तमाम सवालियों को उठाती है जो पितृसत्ता की वजह से केंद्र में नहीं आ पाए थे। आज की स्त्री अपने घर की तलाश

में निरंतर संघर्षशील एवं प्रयत्नशील दिखती है और यही बिंदु निर्मला पुत्तुल की कविता की सार्थकता के आधार है।

वही बस्तर के आदिवासियों पर लगातार कलम चलाने वाले चर्चित कवि लक्ष्मीनारायण पयोधि ने आदिवासी बालाओं के दैहिक शोशण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कवि ने यहां देहधारी महुए को वनवासिनी कन्या के सौंदर्य में आरोपित किया है। ‘गदरायी’ शब्द महुए और वनकन्या में साम्य स्थापित करते हुए अर्थविस्तार की दृष्टि देता है। महुए के गदराने के साथ-साथ उसकी गंध के फेलने से आसन्न संकट की ओर इशारा करते हुए पयोधि जंगल के माथे पर उभरने वाली चिंता की रेखाओं को प्रस्तुत करते हैं—“मौसम में/घुल गई मादकता/निखर उठे अंग-अंग/महुए के पेड़ों के/जंगल के माथे पर/उग आयी/रेखाएं चिंता की/हवा ढिंढोरची/पहुँचाएंगी खबर/गाँव की डगर-डगर/घूम-घूमकर”। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से आदिवासी युवतियों के दैहिक शोशण की ओर इशारा किया है। ठेकेदारों, व्यापारियों और अन्य गैर जनजातीय वर्गों के शोशक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा युवा होती वनवासी कन्याओं पर कुदृष्टि डालने और उनके भोलेपन का अनुचित लाभ उठाने के एक अंतहीन सिलसिले को बयान करने की कोशिश की है। “थानागुड़ी से/डाक बंगले तक/हर दिशा में फैल जाएगी/गदराये महुओं की/नशीली गंध/रात के झुटपुटे में/निकल पड़ेंगे ज़रूर/फिर/आखेट के लिए/दबे पाँव/चुपचाप/आदमखोर भालू/जानता है जंगल/भालू होते/तलबगार/रसीले-माँसल महुओं के”10 इस कवितांश में ‘थानागुड़ी’ और ‘डाकबंगले’ शब्द गाँव से शहर तक के भूगोल को सीमांकित करते हैं। ‘थानागुड़ी’ जहाँ अतिथिगृह के लिए बस्तर का स्थानीय शब्द है, वहीं डाकबंगला शहर में अफसरों के रात्रि विश्राम का स्थल है। कवि ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से दैहिक शोशण की प्रवृत्ति को इन दो शब्दों के माध्यम से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। तमाम उलझनों और मुश्किल हालातों के बीच जिंदगी का यह बेफिक्रे अंदाज़ ही बस्तर के आदिवासियों की विशेषता है, जिसे कवि पयोधि ने अपनी दोनों काव्यकृति ‘सोमारू’ एवं ‘लमझना’ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। आज के दौर का यह कवि केवल लोकजीवन और लोकसंस्कृति के साथ वहाँ की सामंती व्यवस्था की कुत्सित रूप को भी उजागर करते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा और संघर्ष प्रक्रिया को वाणी दी है। कारण लाकेजीवन से उनका केवल भावुकतापूर्ण लगाव नहीं बल्कि सच्चा लगाव है, भाईचारा है। एक साहित्यकार के लिए बहुत आवश्यक है कि वह जनता का चितेरा ही न हो बल्कि उसके संघर्षों का संघाती भी हो।

निष्कर्ष : निष्कर्ष रूप में कहें तो पयोधि जी के इन दोनों काव्यकृतियों में बस्तरवासियों के तमाम न्यायपूर्ण औश्र क्रांतिकारी संघर्ष के पक्ष में खड़े होकर एक रचनाकार के रूप में अपने व्यक्तित्व

सामाजिक रचनाशीलता की भूमिका में बहुत ऊँचा उठा देते हैं।

संदर्भ

1. लक्ष्मीनारायण पयोधि, लमझना, राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, संस्करण-2019, पृ.सं.40-41
2. लक्ष्मीनारायण पयोधि, सोमा, कौशल पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण- 2021, पृ.सं.23-24
3. पूर्वोल्लिखित, पृ.सं.83
4. सं.विजेंद्र प्रताप सिंह, वंचित संवेदना का साहित्य, आकांक्षा पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण- 2015, पृ.सं.75
5. लक्ष्मीनारायण पयोधि, सोमारू, कौशल पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण-2021, पृ.सं.27
6. सं. डॉ. उशा कीर्ति राणावत, डॉ. संतीश पाण्डेय, डा. शीतला प्रसाद दूबे, आदिवासी केंद्रित हिंदी साहित्य, अतुल प्रकाशन, संस्करण-2012, पृ.सं.183
7. लक्ष्मीनारायण पयोधि, सोमारू, कौशल पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण-2021, पृ.सं.49-50
8. निर्मला पुत्तुल, नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, पृ.सं.12
9. लक्ष्मीनारायण पयोधि, सोमारू, कौशल पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण-2021, पृ.सं.40
10. लक्ष्मीनारायण पयोधि, सोमारू, कौशल पब्लिकेशंस, चतुर्थ संस्करण-2021, पृ.सं.40

जया प्रभा भट्टाचार्य

हिंदी विभाग

अंडमान महाविद्यालय

चक्करगाँव, पोर्ट ब्लेयर

पिन: 744112 सहायक प्रोफेसर(अनुबंध)

मोबाइल न. 9933249967

सारांश

अज्ञेय आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रतिभा सम्पन्न कवियों में से एक हैं। अपनी विलक्षण बौद्धिक क्षमता से उन्होंने हिन्दी कविता को नया रास्ता दिखाया। उनकी पहचान एक युग-निर्माता कवि के रूप में है। उन्होंने न केवल कविता को अन्वेषण की राह दिखाई बल्कि उसे प्रयोग के आधार पर प्रतिष्ठित भी किया। कथ्य एवं शिल्प के धरातल पर नवीन दृष्टि दी। वे पुराने और मैले पड़ चुके उपमानों के स्थान पर कविता में नए उपमानों के प्रयोग पर बल देते थे।

“ये उपनाम मैले हो गए हैं”

देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।”, अज्ञेय की काव्य यात्रा का प्रारंभ छायावादी प्रवृत्तियों के आधार पर हुआ। इसके माध्यम से उन्होंने जीवन और प्रकृति को एक नई दृष्टि से देखा जो आगे चलकर प्रयोगवाद के रूप में प्रचलित हुआ। जीवन और प्रकृति को यथार्थ रूप में देखना अज्ञेय की विशिष्टता थी जो पहले के कवियों से भिन्न थी। उनकी मान्यता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय की आवश्यकता भी। इसलिए वे कविताओं में नये प्रयोग पर बल देते हुए नजर आते हैं।

अज्ञेय ने तारसप्तक के माध्यम से कवियों को नई राह दिखाई और स्वयं को भी राहों का अन्वेषी माना। उनके विषय में अज्ञेय ने तारसप्तक की भूमिका में कहा कि “संग्रहीत सभी कवि, कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि उन्होंने काव्य को सत्य पर लिखा है, केवल अन्वेषी ही अपने को पाते हैं। वे किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं”²

अज्ञेय जी की कविता में कुछ नया करने का प्रयत्न दिखाई देता है। वे काव्य-सत्य को प्रतिष्ठित करते हुए प्रस्तुत होते हैं। अतः वे आधुनिक होने की उद्घोषणा करते हुए कहते हैं –

“यों मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ काव्य सत्य की खोज में कहां नहीं गया हूँ।”, अज्ञेय जी कविता में सत्य की खोज के लिए प्रयासरत दिखाई देते हैं। उनकी यही दृष्टिकोण कविता में नवीनता और ताजगी ला देती है। अज्ञेय की विचार और दृष्टि जीवन में हुए अनुभवों से प्राप्त होती है। उनका एकाकी जीवन चिंतन की ओर प्रवृत्त करती है जो कि उनके लेखन में सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर उन्होंने कविता में पहले से स्थापित काव्य प्रवृत्तियों में नई मान्यताओं को स्थापित किया। उनके क्रान्तिकारी विचारों ने

कविता में प्रयोग और सृजन के नए प्रतिमानों की स्थापना की।

तारसप्तक के प्रकाशन से आधुनिक हिन्दी कविता में नया मोड़ आया। इसमें अज्ञेय ने कविता में प्रयोग की स्थापना पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि “प्रयोग तो सभी कालों के कवियों ने किए हैं यद्यपि किसी एक काल में विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति होना आवश्यक ही है किन्तु कवि यह अनुभव करते हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, उनसे आगे बढ़ कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी छुआ नहीं गया है या जिन्हें अभेद्य मान लिया गया है”⁴

स्पष्ट है कि कवि उन विषयों पर प्रयोग करना चाहता है जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। प्रयोग की आवश्यकता पुराने विचारों को बदलने के लिए होती है। समय के साथ-साथ पुराने पड़ते विचारों में संशोधन की आवश्यकता अज्ञेय को महसूस होने लगती है।

अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रह चुके हैं अतएव उनके विचारों में वैज्ञानिकता एवं तर्क करने की क्षमता कूट-कूट कर भरी हुई है। उदाहरण स्वरूप प्रकृति में घास-फूस, फूल, पत्ती, पेड़, पक्षी, समुद्र, झरना इत्यादि को प्रायः देखा जाता है। लोग इसकी सौन्दर्य को देखते तो हैं पर समझने का प्रयास नहीं करते परंतु अज्ञेय की वैज्ञानिक दृष्टि उसका विश्लेषण करती है।

आधुनिक युग में मनुष्य की बदली हुई परिस्थितियों और संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता को जीवन के अनुरूप बनाना आवश्यक था। इसी दृष्टि से कवि अज्ञेय जी ने “तार सप्तक” का प्रकाशन किया। अज्ञेय जी तथा तार-सप्तक के कवियों के समक्ष जो परिवेश जन्म ले चुका था उसी के अनुकूल काव्य-सृष्टि ने नवीनता का रुख अपना लिया था। तार-सप्तक में वस्तुतः इसी नवीनता की अभिव्यक्ति हुई है।

अज्ञेय जी “सत्य के अन्वेषण के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। आज की उलझी संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए काव्य में प्रयोग आवश्यक है। अज्ञेय जी ने उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहा है। जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया था, जिनको अभेद्य मान लिया गया था। उन्हें काव्य के वस्तु और शिल्प दोनों में ही प्रयोगशीलता आवश्यक लगी। प्रयोगशीलता को अपनाने के कारण उन्हें प्रयोगवादी कहा गया। “दूसरा सप्तक” में अज्ञेय जी ने इसका विरोध किया।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया “प्रयोग का

कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे, नहीं हैं और न प्रयोग अपने आप में इष्ट है न साध्य। अतः प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है, जितना हमें कवितावादी कहना”⁵।

युग की बदलती चेतना के साथ उनका चिंतन भी बदलता गया। अतः उसे व्यक्त करने के लिए नवीन माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। “प्रयोग का उद्देश्य है मान्यता प्राप्त सत्य का परीक्षण और फिर परीक्षण द्वारा सत्य के नये आयामों का अन्वेषण। प्रयोग की मूल प्रवृत्ति परंपरागत स्थापनाओं से आगे बढ़कर नयी दिशाओं की स्थापना है।”⁶

अज्ञेय जी ने कविता में प्रयोगशीलता का आग्रह किया। अतः वे प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहलाए। उन्होंने प्रयोग क्यों और किसलिए जैसे प्रश्नों के उत्तर कविता के माध्यम से दिए, इस कविता का नेतृत्व भी किया।

अज्ञेय के काव्य में विषय—वस्तु की नवीनता के साथ दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति—कौशल की नयी भंगिमाएँ उपलब्ध होती हैं।

अज्ञेय ने अनुभूत विषयों को ही काव्य में स्थान दिया। तब तक कुछ न लिखो जब तक कोई सच्चाई तुम्हें लिखने के लिए बाध्य न करे। इसी तत्व को अज्ञेय ने अपने काव्य में अपनाया। वे सत्य को यूँ ही पाठकों तक पहुँचा देना चाहते हैं। “प्रयोगों के सागर में काफी गहरे जाकर अज्ञेय ने सत्य के मोती ढूँढे हैं। जो जिया है, अनुभूत किया है वह काल्पनिक नहीं इसी संसार का है।”⁷

अज्ञेय जी स्वानुभूत सत्य को व्यापक सत्य में बदलना चाहते हैं। उनके काव्य में आत्म—सत्य की खोज प्राप्त होती है।

“मैं भी एक प्रवाह में हूँ

लेकिन मेरा रहस्यवाद ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं है।

मैं उस असीम शक्ति से

संबंध जोड़ना चाहता हूँ

जो भी मेरे भीतर है”⁸।

अज्ञेय जी ने मानव व्यक्तित्व को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। वे कलाकार में स्व—बोध या “अहं” को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि अन्य मानवों की भांति अहं मुझमें भी व्याप्त है। अहंवाद के कारण ही उनपर आलोचनाएं हुईं। इसी कारण वे सामाजिक श्रृंखला से अलग हो जाते हैं।

“तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही

घिरा हुआ है जग से, पर है सदा अलग, निर्मोही”⁹।

उनके काव्य में समष्टि—कल्याण की भावना है। वे मानते हैं कि “समाज में प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित धर्म होता है और जितना ही समाज अविकसित होता है, उतना ही वह धर्म रुढ़ और अनिवार्य हो जाता है। अतः कवि भी अपने अहं को समष्टि में बदलते हैं—

“यह दीप अकेला स्नेह भरा

है गर्व—भरा मदमाता, पर

इसको भी पंक्ति को दे दो”¹⁰।

उनके विश्व—जन की अर्चना में व्यक्ति का अभिमान बाधक नहीं बना है, क्योंकि मानव एक स्वतंत्र व्यक्ति है, इसलिए सामाजिक आचरण की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। अतः मेरे लिए व्यक्तित्व का विकास सामाजिक जीवन की आधार भित्ति है।

अज्ञेय जी का काव्य सामाजिकता के तत्व को अपनाए हुए है। कवि अपने परिवेश के प्रति सजग हैं। अतः उनके काव्य में उनका युग अभिव्यक्त हुआ है। यांत्रिक सभ्यता के कारण टूटते जीवन—मूल्य, उससे निर्मित कुंठा, निराशा, घुटन, अजनबीपन आदि जटिल स्थितियों को उन्होंने स्पष्ट किया है।

उनकी दृष्टि में मशीन मनुष्य के सांस्कृतिक अंग को समाप्त करता है। उनकी महानगर, रात, रेंक आदि कविताओं में महानगरीय जीवन की विद्रूपता स्पष्ट होती है तो हवाई यात्रा में वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन की अस्वाभाविकता पर व्यंग्य है।

सुख मिला

उसे हम कह न सके।

दुःख हुआ

उसे हम सह न सके

संस्पर्श वृहत् का उतरा सुरसरि—सा

हम बह न सके

यों बीत गया सब, हम मरे नहीं, पर हाय! कदाचित्

जीवन भी हम रह न सके।”¹¹

वैज्ञानिक युग की गतिशीलता ने नैतिकता की धज्जियाँ उड़ा दी है।

समाज में व्याप्त वर्ग—संघर्ष के प्रति अज्ञेय जी सचेत हैं। उनके काव्य में मध्य वर्ग तथा पददलितों के प्रति सहानुभूति के भाव हैं।

श्रमरत मानव के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है —

“जो भी जहाँ भी पिसता है

पर हारता नहीं न मरता है

पीड़ित, श्रमरत मानव

अविजित दुर्जेय मानव

कर्मकर, श्रमकर, शिल्पी, स्रष्टा —

उसकी मैं कथा हूँ।”¹²

वे समाज के आततायियों पर “दृढ़ पौरुष की चोट” करते हैं तथा सत्ताधारियों से घृणा करते हैं।

तुम, सत्ताधारी, मानवता के शव पर आसीन,

जीवन की चिर—रिपु, विकास के प्रतिद्वंद्वी प्राचीन

तुम स्मशान के देव!

सुनो यह रणभेरी की तान

आज तुम्हें ललकार रहा हूँ, सुनों घृणा का गान!"¹³

अज्ञेय जी का मानना है कि एक व्यक्ति का विद्रोह भी सामाजिक महत्व रखता है।

आज मनुष्य अपने को बौना महसूस करता है। वह समाज से टुकराया जाता है, परन्तु वह अपने प्रति ईमानदार होता है। अतः अज्ञेय कहते हैं—

"मैं अवाक् हूँ, अपलक हूँ
मेरे पास और कुछ नहीं है
तुम भी यदि चाहो
तो टुकरा दो,
जानता हूँ कि मैं भी तो ठीकरा हूँ।
और मुझे कहने को क्या हो
जब अपने तई खरा हूँ।"¹⁴

प्रयोगवादी कवियों में अनास्था एवं संशय के स्वर गूँजते दिखाई पड़ते हैं। पूँजीवादी व्यवस्था के कारण "आस्था" की समाप्ति हुई है। अज्ञेय जी भीड़ में होने के बावजूद अपने को अकेला महसूस करते हैं। उनके काव्य में इस अनास्था, संशय तथा निराशा के स्वर मुखरित है—

"क्या फिर— मैं हूँ।
किसी बीते साल के सीले कैलेण्डर की एक
बस तारीख, जो हर साल आती है।"¹⁵

अज्ञेय जी में अस्तित्व-संकट के बोध का स्वर गूँज उठता है। वे अपने को "नदी के द्वीप" मानते हैं तथा आत्मरक्षा की भावना को भी व्यक्त करते हैं।

"हम नदी के द्वीप हैं
हम नहीं कहते कि
स्रोतस्विनी हमको छोड़कर बह जाए
वह हमें आकार देती है
कोण, गलियाँ, उभार, सैकत-कूल
सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं।
माँ है वह! इसी से हम बने हैं।
किन्तु हम हैं द्वीप। हम धारा नहीं हैं।

स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं प्रोतस्विनी के
मातः उसे फिर संस्कार तुम देना"¹⁶

अज्ञेय आधुनिक युग के साधारण व्यक्ति को यौन-वर्जनाओं का पुंज मानते हैं। कुंठित वासनाएं किसी न किसी प्रकार से व्यक्त होती हैं। वे स्त्री-पुरुष के चिरंतन प्रेम-व्यापार में यौन भावनाओं का समावेश आवश्यक मानते हैं।

"आह, मेरा श्वास है उत्तप्त
धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार

प्यार है अभिशप्त— तुम कहाँ हो, नारी?"¹⁷

अज्ञेय जी के काव्य में प्रणय का स्वस्थ रूप देखने को मिलता है। वे मानते हैं कि, जिसे तुम प्रेम करते हो या प्रेम करने की दावा करते हो या समझते हो तो उसके निकट तब तक न जाओ जब तक कि तुम्हारे पास उसको देने के लिए कुछ न हो और देने की उत्कट अभिलाषा न हो। उनके अनुसार प्रेम समर्पण और आत्म विसर्जन की वस्तु है, अहं तुष्टि की नहीं।

"प्राण तुम्हारी पद— रज फूली

मुझको कंचन हुई तुम्हारे चंचल चरणों की यह धूली

अज्ञेय जी यह भी मानते हैं कि बिना स्वतंत्र अस्तित्व रखे प्रेम नहीं होता। "हरी घास पर क्षण भर" काव्य-संग्रह में अज्ञेय की प्रणय-भावना मुखरित होती है।

अज्ञेय प्रेम के निश्चल और अखण्ड रूप को ही आदर्श मानते हैं। उनके लिए प्रेम हृदय की मार्मिक और अखण्ड अनुभूति है जिसे विलग होने में जीवन ही सारहीन हो जाता है।

अज्ञेय जी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से भी करते हैं। उनकी कविताओं में कोयल और पपीहे के अलावा पिडकुल, हारिल, चिड़िया, काक जैसे पक्षियों को भी स्थान मिला है। हिन्दी साहित्य में कवियों ने अपनी प्रेयसियों को अनेक नामों-उपनामों से संबोधित किया है। इनमें से अधिकांश उपमान पारम्परिक हैं। अज्ञेय जी अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए इन पारम्परिक उपमानों के बजाय कुछ हटकर संबोधन देना चाहते हैं। प्रेम का स्वरूप तो वही है, केवल उपमान नये हैं।

पारम्परिक उपमानों से हटकर कविवर अज्ञेय अपनी प्रेयसी के लिए "हरी बिछली घास", तथा "बाजरे की छरहरी कलगी" उपमानों का प्रयोग करते हैं—

"हरी बिछली घास।

ढोलती कलगी छरहरी बाजरे की।

अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता,

या शरद के भोर की नीहार न्हाई—कुई

टटकी कली चंपे की

तो नहीं—कारण कि मेरा हृदय उथला कि सुना है

या कि मेरा प्यार मैला है।"¹⁸

अपनी प्रेमिका को "नभ की अकेली तारिका", "टटकी कली चंपे की" कवि अब नहीं कहना चाहता क्योंकि उसे वह अब पुराने और मलिन लगते हैं। वह हरी बिछली घास कवि के आँखों को अत्यंत सुख देती है। उसके हरेपन में एक मादकता है, सिग्धता और कोमलता है।

यहाँ अज्ञेय जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एक ही प्रतीक का प्रयोग बार-बार किया जाय तो वह केवल पुराना ही नहीं होता अपितु उसकी अर्थवता भी समाप्त होने

लगती है।

अज्ञेय जी की दृष्टि में आधुनिक कवि के लिए एक समस्या उभर कर सामने आती है अपनी संवेदनाओं को यथावत् संप्रेषित करना। नवीन जटिल तथा उलझी हुई अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए व्यंजना के पुराने साधन पर्याप्त नहीं हैं, अतः कवि शिल्पगत प्रयोग करते हैं। वे शब्द अर्थ के समन्वय को प्रमुख मानते हैं।

अज्ञेय ने अपने विशेष शिल्प की उद्भावना की है। भाषा, शब्द-चयन, पद-विन्यास, छंद-योजना, प्रतीक और बिंब विधान आदि इन सभी शिल्प विधियों में प्रयोगशीलता व्याप्त है।

प्रयोगवाद से पहले छायावादी शब्द योजना, कोमलकान्त पदावली की अधिकता थी, प्रगतिवादियों के काव्य में वह विद्रोह और आक्रोश से परिपूर्ण बनी। उसमें काव्यात्मकता का अभाव था। इसी अभाव के कारण अज्ञेय जी ने महसूस किया कि नवीन भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए भाषागत नवीनता की आवश्यकता है। अज्ञेय जी की आरंभिक रचनाओं में द्विवेदी युग और छायावादी युग की भाषा का प्रभाव रहा है। बाद में "तार-सप्तक" के साथ उनकी भाषा प्रयोगशीलता की ओर अग्रसर हुई। उनकी चिंता काव्य संग्रह की पंक्तियां "क्षणभर पहले ही आ जाते और प्राण सुधा को क्या तुम तब ऐसी बिखरी ही पाते" में छायावादी भाषा का प्रभाव लक्षित होता है। परन्तु आगे चलकर अज्ञेय की काव्य भाषा में तद्भव और देशज शब्द प्रयोग बढ़े हैं। "धधक रहा है हिया पिया धत्तरे नास जाय" जैसी पंक्तियों में देशज शब्दों के प्रयोग मिलते हैं।

अज्ञेय जी की काव्य-भाषा में भाषा के पुनर्निर्माण की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इन्होंने "मौन" को भी अभिव्यंजना का उपकरण माना है। "असाध्य वीणा" में कवि महामौन के द्वारा ही सत्य का उद्घाटन करते हैं।

"महाशून्य
वह महामौन
अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय
जो शब्दहीन
सबमें गाता है।"¹⁹

नये युग की नयी सौन्दर्य-चेतना नये उपमानों के अन्वेषण में प्रेरक होती है। अज्ञेय जो नये उपमानों के प्रति आग्रहशील रहे हैं। डॉ० केदार शर्मा के शब्दों में प्रचलित उपमानों की नयी दिशा में अज्ञेय ने जिन नये उपमानों के द्वारा खोले हैं वे प्रयोग की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, साथ-ही-साथ वे आज के सक्रिय चिंतन और नई संवेदना को व्यक्त करने में समर्थ हैं। अज्ञेय ने मानव को भी उपमान के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने सूर्योदय, सूर्यास्त, नदी जैसे प्राकृतिक उपकरणों को उपमेय रूप में ग्रहण किया है और उनके लिए अन्य उपमानों की योजना की।

अज्ञेय जी काव्य में प्रतीकों की योजना आवश्यक मानते हैं। उन्होंने परंपरागत प्रतीकों से नवीन अर्थों की

व्यंजना की।

अज्ञेय ने तिनका और हारिल जैसे आत्म प्रतीकों की भी सृष्टि की है। प्रेम की स्मृति के रूप में "तिनका" कवि की स्रष्टा की आस्था का प्रतीक है। इनके काव्य में प्राकृतिक, दार्शनिक, यौन प्रतीक, वैज्ञानिक प्रतीक आदि के प्रयोग मिलते हैं।

अज्ञेय जी की काव्य-भाषा में बिंबों की प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुई है।

"भोर का बावरा अहेरी

पहले बिछाता है आलोक की, लाल लाल कनियाँ,

अज्ञेय ने अपने काव्य में अलंकारों को भी प्रयुक्त किया है। परन्तु उनका प्रयोग रूप-सज्जा की दृष्टि से नहीं वरन् भाषा की शक्ति के रूप में किया गया है। प्रकृति के अलग-अलग उपकरणों के माध्यम से मानवीय व्यापारों की अभिव्यंजना की है।

"मेरे हृदय रक्त की लाली

इसके तन मे छाई है

किंतु मुझे तज दीप-शिखा ने

पर से प्रीत लगायी है।"²⁰

अज्ञेय ने अपनी कविता में तुक की अपेक्षा आंतरिक लय को स्वीकार किया है। लय को वे कविता का आत्यंतिक गुण मानते हैं।

छंद के क्षेत्र में अज्ञेय ने विविध प्रयोग किए हैं। परंपरागत छंदों से लेकर मुक्तछंद तक में लोकगीतों की धुन लय प्राप्त होती है। अज्ञेय जी कविता में नए प्रतीकों की सृष्टि महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके काव्य-संग्रहों के नाम भी प्रतीकात्मक हैं।

"इत्यलम" छायावादी काव्य-प्रवृत्ति की समाप्ति का प्रतीक है तो "बावरा अहेरी" सूर्य का प्रतीक है। इंद्रधनु रौंदे हुए ये, टूटी हुई रंगीन कल्पनाओं का, "हरी घास पर क्षण भर" आधुनिक रोमानी-प्रवृत्ति का और "आँगन के पार द्वार"- आध्यात्मिक भावना का प्रतीक है। उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम भी "प्रतीक" रखा गया। "प्रतीक" के प्रकाशन ने कवियों को नये प्रतीकों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हीं कारणों से प्रयोगवादियों में अज्ञेय ही प्रमुख प्रतीकवादी माने गये।

चूँकि अज्ञेय की काव्याभिव्यक्ति का प्रमुख साधन प्रतीक विधान है। उन्होंने प्रतीकों पर गहराई से विचार किया है। उन्हें पुराने प्रतीक मैले तथा अव्याप्त लगते हैं। अतः इन बदलती परिस्थितियों, परिस्थितिजन्य अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए कवि नये प्रतीकों का निर्माण करते हैं।

निष्कर्ष :- इस प्रकार हम देखते हैं कि अज्ञेय ने काव्य में न केवल विषय वस्तुगत बल्कि, शिल्पगत भी विविध प्रयोग किये। उन्होंने भाषा को नया संस्कार देकर उसके प्रत्येक उपकरण पर मौलिक दृष्टि से चिंतन किया, सफल प्रयोग के नूतन उदाहरण प्रस्तुत किए। अज्ञेय काव्य क्षेत्र में भी आवश्यकता को प्रयोग की जननी मानते हैं। काव्य में नये विषय और उनको नये रूपों में प्रस्तुत करने का जो

प्रारंभ अज्ञेय से हुआ, आगे चलकर उसका पर्याप्त अनुकरण हुआ।
उन्होंने काव्य में ताजगी लाने का प्रयत्न किया।

संदर्भ-सूची

1. अज्ञेय, सदानीरा भाग-1, पृ0-152
2. तारसप्तक : संपादक अज्ञेय भूमिका से
3. अज्ञेय, अरी ओ करुणा प्रभामय, पृ0-82
4. अज्ञेय, तारसप्तक : संपादक अज्ञेय, पृ0-270
5. दूसरा सप्तक : संपादक अज्ञेय, पृ0-6
6. हिन्दी साहित्य कोष : श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, पृ0-528
7. प्रयोगवाद और अज्ञेय : शैल सिन्हा, पृ0-49
8. सदानीरा : भाग-1, अज्ञेय, पृ0-152
9. सदानीरा : भाग-1, अज्ञेय, पृ0-166
10. बावरा अहेरी : अज्ञेय, पृ0-61
11. इंद्रधनु रौंदे हुए ये : अज्ञेय, पृ0-79
12. वही, पृ0-20
13. पूर्वा : अज्ञेय, पृ0-48
14. आँगन के पार द्वार : अज्ञेय, पृ0-62
15. पूर्वा : अज्ञेय, पृ0-132
16. सदानीरा : अज्ञेय, भाग-1, पृ0 - 241
17. पूर्वा : अज्ञेय, पृ0-213
18. हरी घास पर क्षण भर- अज्ञेय, पृ0-244
19. आँगन के पार द्वार : अज्ञेय, पृ0-82
20. सदानीरा भाग-01 : अज्ञेय, पृ0-124

डॉ० उर्मिला कुमारी

मो0-9572474739

Email Id - urmilakumari0870@gmail.com

C/o मुकेश कुमार

ग्राम-भुड़वा (मिडिल स्कूल के पास)

पोस्ट-शोले, थाना-पाटन

जिला-पलामू (झारखण्ड)

पिन - 822123



सारांश

श्री अमृत लाल नागर का उपन्यास 'अमृत और विष' सामाजिक जीवन में स्तर-स्तर पर फैलते हुए 'विष' का विशद चित्रण करते हुए अमृत के पक्ष में लड़ने, जूझने, सोचने, विचारने के लिए एक चुनौती है।

'हेमिंग्वे' का प्रसिद्ध उपन्यास है—'ओल्ड मैन एंड द सी' जिसका नायक एक बूढ़ा मछेरा है जो बाहर से हर-तरफ से टूट चुका है जिसका बड़े से बड़ा प्रयत्न खाली गया है लेकिन अपने अन्दर अदम्य जीवनाकांक्षा संजोए हुए है। बुढ़ापे और असफलता के आधार पर जीवनेच्छा का त्रिकोण हेमिंग्वे के जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करता है। 'अमृत और विष' उपन्यास की प्रेरणा नागर जी को इसी से मिली है। स्वयं नागर जी के शब्दों में—'हेमिंग्वे की पुस्तक 'ओल्ड मैन एंड द सी' में ओल्ड मैन का चरित्र बहुत ही स्ट्रॉंग है। उसमें जिजीविषा है, शारीरिक रूप से कमजोर रहने पर भी मानसिक रूप से कितना सुदृढ़ है कि मछलियों को पकड़कर वह शारीरिक रूप से इतना थक जाता है कि जूते पहने ही सो जाता है पर जो उसका लक्ष्य है उसे अवश्य ही पूरा करता है। मुझे इस करेक्टर ने बहुत ही प्रभावित किया है और मैंने अपने उपन्यास 'अमृत और विष' में अरविन्द शंकर को इसी रूप में चित्रित किया है।

इस उपन्यास में अंकित समाज विक्टोरिया युद्ध से लेकर आज तक की विशाल पृष्ठभूमि में अपने सम्पूर्ण क्रियाकलापों के साथ सजीव हुआ है। उपन्यास के भीतर नागर जी के उपन्यास लिखने की यह नूतन परिकल्पना है। उन्होंने अरविन्द शंकर को अपने प्रतिनिधि रूप में प्रस्तुत कर स्वयं को ही नहीं अपितु प्रत्येक रचनाकार के जीवन में उत्पन्न विसंगतियों, समस्याओं, उनकी साहित्यिक अभिरुचियों, रचनाधर्मिता एवं समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों का सजीव चित्रण किया है।

अरविन्द शंकर के बारे में रचनाकार से अपने साक्षात्कार के दौरान श्री रणवीर रांगा ने प्रश्न किया—'कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके नायक अरविन्द शंकर को निमित्त बनाकर आप अपनी रचना प्रक्रिया को ही निरूपित कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अपने भीतर गहरा गोता लगाए बिना ऐसा प्रयास नहीं हो सकता?' नागर जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा—'बात तो आपकी ठीक है। अपने भीतर गहरे पैठे बिना मैं अरविन्द शंकर को भला कैसे चित्रित कर सकता था? हम कथाकार तो उस धरती की तरह हैं जो सूरज से खंडित हुई, लाखों बरस उसमें आग जलती रहीं, उसमें से गैसें

निकलती रहीं, पानी बरसा, फिर धीरे-धीरे उसकी पहली परत टंडी हुई तब उसमें जीवन आया। पृथ्वी के साथ तो एक बार ही ऐसा हुआ पर हमारे साथ तो दिन में बार-बार ऐसा घटित होता है। इसलिए आपकी बात सच है कि अन्दर पैठे बिना गति नहीं। आपको एक बात यह भी बताता हूँ कि उन दिनों नेताओं के षष्ठीपूर्ति समारोह और अभिनन्दन ग्रन्थ बहुत निकल रहे थे। मेरे मन में आया कि बीसवीं सदी भी तो साठ बरस की हो गई है। उसका किसी ने अभिनन्दन नहीं किया। अरविन्द शंकर बीसवीं शताब्दी के षष्ठीपूर्ति के प्रतीक हैं।²

उपन्यासकार अरविन्द शंकर की आत्मस्वीकृति है—'लगता है सारा जीवन खोखला हो गया है न कुछ दिया है न कुछ लिया है। ये सैंतीस-अड़तीस, छोटी-बड़ी किताबें जिन्हें मैंने पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ रचा अब मुझे बेकार का श्रम मालूम पड़ती हैं।³

अरविन्द शंकर की ही तरह अपनी आर्थिक स्थिति के विषय में एक पत्र में अपने मित्र ज्ञान चन्द्र जैन को लिखा था—'आज आठ महीने हो गए ज्ञान, सब मिलाकर पच्चीस तीस रातों से अधिक भर नींद सो नहीं सका। मशीन बन गया हूँ। पैसा कमाता हूँ लेकिन अब तक पैसा जमा नहीं कर सका। मेरी गृहस्थी की गाड़ी अभी अच्छी चल रही है परन्तु भविष्य के लिए क्या होगा मुझे हरदम यही चिन्ता लगी रहती है।⁴ अरविन्द शंकर का निम्न कथन नागर जी के पूर्वोक्त कथन का ही प्रतिरूप है—'...अज्ञान के प्रतीकों से जूझे बिना ही रह जाऊँ विश्राम करूँ या मर जाऊँ?'⁵

अरविन्द शंकर के मन में पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ साहित्य सर्जना करते हुए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की लालसा है वे कड़ी मेहनत से अपने इस उद्देश्य में सफल भी होते हैं। उनका एक पुत्र उमेश आई. ए. एस ऑफिसर बनता है तथा पुत्री वरुणा भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है।⁶

लेखक अरविन्द शंकर के समान उपन्यासकार नागर जी उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके, यह कसक उनके दिल में हमेशा चुभती रही है। अतः अपने अभिरक्षितों की उच्च शिक्षा के लिए वे सतर्क और प्रयत्नशील रहे। अपनी यह अभिलाषा व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है—'मोटरें बंगले के शौक से भले अपने को बचा लूँ और बच्चों को ऊंची शिक्षा देकर उनका भविष्य बना देने लायक धन मैं अवश्य चाहता हूँ।'⁷

व्यावहारिक जीवन में अत्यन्त मधुर, कोमल तथा सद्भाव पूर्ण होते हुए भी नागर जी प्रकृति से स्पष्टवादी हैं। वे जिस बात को

कहना चाहते हैं बिना किसी लाग लपेट के डंके की चोट पर कहते हैं। उनकी स्पष्टवादी प्रकृति सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रहार करते समय नायक अरविन्द शंकर के माध्यम से उपन्यास में अभिव्यक्त है। अरविन्द शंकर अपनी षष्ठिपूर्ति समारोह पर वे इसी स्पष्टवादिता का परिचय देते हैं।⁹ उनकी इस स्पष्टवादी प्रवृत्ति से उदास होकर उनकी पत्नी माया भी कहती है—‘तुम्हें इतना सच भी न बोलना चाहिए था। आखिर अपनी ही इज्जत गई...लेकिन...खैर तुमने जो ये किया तो कुछ सोचकर अच्छा ही किया होगा।’

लेखक पात्र अरविन्द शंकर के पिता किशोरी लाल ने विभिन्न सामाजिक स्थितियों से त्रस्त होकर अपनी कुंठाओं का अन्त करने के लिए आत्महत्या कर ली।¹⁰ नागर जी के पिता ने भी आत्महत्या की थी। अपने भावुक पिता की आत्महत्या के कारणों का बड़े साहस के साथ विश्लेषण करते हुए लिखते हैं—‘9 फरवरी 1935 का दिन हमारे घर में वज्रपात का दिन था। एक अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा से कुंठित और अपने बड़े बेटे की मृत्यु वाली धमकी से आतंकित होकर भगवान् के नाम पर स्वयं उठ गया। आत्महत्या के पीछे मैं अपने पिता की जड़ कुंठा को ही देखता हूँ। उनकी वैराग्य भावना उनके भावुक विश्रृंखलन का ऊपरी गिलाफ भर थी।’¹¹

नागर जी को साहित्य रचना की प्रेरणा बाल्यकाल से मिली। बकौल नागर जी—‘अपने बाल्यकाल में खेलने और मन बहलाने के लिए बाहर के साथी मुझे कम से कम मिले इसलिए अक्षर ज्ञान होने पर पढ़ने का शौक जागा। घर में आने वाली पत्रिकाएं आनन्द, सरस्वती और गृहलक्ष्मी पढ़ा करता था। हमारे चौक के निवासी आनन्द के सम्पादक स्वर्गीय पंडित शिवनाथ जी शर्मा अपने समय के अच्छे व्यंग्य लेखक थे। वह भी हमारे घर आते थे। इस प्रकार छोपे के अक्षरों से अपनत्व भाव स्थापित हो गया। ज्ञान बोध बढ़ने के साथ यह अपनत्व भाव भी प्रगाढ़ होता गया।’¹² अपनी इसी लेखन प्रक्रिया को अरविन्द शर्मा के माध्यम से प्रकट करते हुए नागर जी लिखते हैं—‘बचपन में हमारे घर पर एक साप्ताहिक पत्र आनन्द आया करता था। मैं छपी खबरों और बातों को इतने ध्यान और चाव से पढ़ता था कि अक्सर शीर्षक से लेकर मैटर तक करीब-करीब क्रम से दिमाग पर छप जाता था। मैं अपने सहपाठी मित्रों का बड़े चाव से यह सब सुनाया करता था।’¹³

उपन्यास की मुख्य कथा स्वतन्त्र भारत की पृष्ठभूमि में विकसित होती है। आत्मचरित का नायक उपन्यास लिखने का निर्णय करता है और इसके लिए पात्र ढूंढता है। उसे गली के दो लड़के मिल जाते हैं रमेश और लच्छू। इनको लेकर अमृत और विष का मुख्य कथानक विकसित होता है। बीच-बीच में अरविन्द शंकर स्वयं स्टेज पर प्रस्तुत होते हैं और अपने रचे पर टीका पेश करते हैं। इसके साथ ही उनके अपने परिवार में पत्नी माया और उनके तीन पुत्रों की कहानी पेश होती है। इनमें सर्वप्रथम पात्र उनका तीसरा

बेटा उमेश है। वह आई.ए.एस बनने का स्वप्न देखता है। मिनिस्टर्स को सलाम न बजाने वाले पिता की नए कांग्रेसी शासकों के बगावत को अपने कैरियर में व्यवधान समझकर वह लायक बेटा घर छोड़ देता है। फिर आई. ए. एस. बनकर अफसर की बेटे से शादी कर लेता है। उमेश का यह प्रसंग आनुषांगिक प्रसंग होते हुए भी बड़ा प्रभावशाली है। स्वतन्त्र और जनतान्त्रिक भारत में पुराने नौकर शाहों की जात ने कैसा रौब पाया हुआ है और यह स्टील फ्रेम किस तरह देश की छाती पर मूंग दल रहा है। इस तात्कालिक स्थिति का बड़ा ही तीखा विश्लेषण किया है।

रमेश विधवा क्षत्रिय बाला रानी से विवाह कर प्रेम और प्रगति का परिचय देता है जिससे रूढ़िवाद की पराजय होती है। लच्छू के माध्यम से नागर जी ने उपन्यास का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया है। लच्छू को सोवियत संघ जाने का अवसर मिलता है। वहां एक ऐसे समाज का दर्शन करता है जो हमारे विकार ग्रस्त पूंजीवादी समाज से सताये हुए के लिए अनेकानेक अनुकरणीय आदर्श पेश करता है।

उपन्यासकार ने ‘अमृत और विष’ में नगर जीवन को प्रभावित करने वाली दो विपत्तियों का चित्रण किया है। एक विपत्ति लखनऊ बाढ़ से शुरू होती है और सम्पूर्ण लखनऊ बाढ़ की चपेट में आ जाता है। जयकिशोर रमेश और दूसरे युवकों के साथ बाढ़ से ग्रस्त लोगों की सहायता के कार्य में संलग्न हो जाते हैं। रमेश और उसके मित्र नाव की प्रतीक्षा करते हुए आपस में बातचीत करते हुए देश की वर्तमान स्थिति के बारे में जयकिशोर कहता है—‘जिस देश के बौद्धिक उद्देश्य, भ्रष्टहीन, लक्ष्यहीन और परावलम्बी हों तथा दूसरे देशों के दमन पर अपने देश का उद्धार होने की कल्पनाओं और योजनाओं में लीन रहते हों। उस जनसाधारण पर जो कुछ न बीत जाए वही कम है।’¹⁴ लखनऊ में बाढ़ आयी थी? भेंटवार्ता के दौरान जब नागर जी से यह पूछा तो उन्होंने बताया—‘सन् 60 और 62 में लखनऊ की गोमती में भयंकर बाढ़ आयी थी।’¹⁴

विवेच्य उपन्यास भारतीय समाज व्यवस्था का यथार्थ के विस्तीर्ण पटल पर रचित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पुरानी और नई पीढ़ी के नैतिक आदर्शों, संस्कारों, धार्मिक विचारों आदि के संघर्ष का अंकन करते हुए रचनाकार ने उसे अमृत और विष से युक्त देखा है। प्रगतिशील लेखक संघ के पचास वर्ष पूरे होने पर एक समारोह में नागर जी ने संस्कृति कर्मियों के व्यापक और नए संगठन की आवश्यकता है, ऐसे बताए हुए एक भेंटवार्ता में कहा था कि ‘आज की परिस्थिति में ऐसे एक व्यापक सांस्कृतिक संगठन की बहुत जरूरत है क्योंकि आज परिस्थितियां अचानक परिवर्तित हो गई हैं। 1947 से पहले जब हमें आजादी नहीं मिली थी तब देश को साम्रज्यवादी शिकंजे से मुक्त कराने के लिए हम कई-कई मोर्चों पर एक थे।... आजादी हमें पूरी नहीं मिली है। आर्थिक आजादी के लिए लड़ना बाकी है। आज का शासक वर्ग भारत की अखंडता को तोड़ रहा

है।¹⁵

‘अमृत ओर विष’ में नागर जी ने विभिन्न कथाएं अंकित की हैं जिनमें विभिन्न जीवन स्थितियां हैं। विभिन्न समय और स्थानों के अलग-अलग परिपेक्ष्यों से ग्रहित दृश्य हैं। लगता है जैसे घटनाक्रम और परिस्थिति के प्रभाव में विविध आयु वर्ग के मनुष्यों की मनःस्थिति का जुलूस निकला हुआ है। उनकी बोली, वाणी, व्यंग्य, विनोद, दुःख-दर्द, आशा-आकांक्षा, विचार पद्धति, जीवन रीति, पारस्परिक-सम्बन्ध आदि अपनी जीवन्तता के साथ हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ देते हैं।

भारत भूषण अग्रवाल के शब्दों में नागर जी ने अमृत और विष द्वारा अपने समाज का अत्यन्त विस्तृत और विवरणपूर्ण महाचित्र रखने का प्रयत्न किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक नगर के, एक मौहल्ले को अपना केन्द्र बनाकर न जाने कितने परिवारों की वंशगाथा और कितने पात्रों की झांकियां प्रस्तुत की हैं।¹⁶

निष्कर्ष:

इस प्रकार ‘अमृत और विष’ में नागर जी का उद्देश्य यदि एक ओर नगर जीवन के भीतर वर्ग समाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पैदा होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक द्वन्द्वों को प्रस्तुत करना है। वहीं दूसरी ओर इस परिणामकारी विसंगति को निर्मित करने वाले ऐतिहासिक और आधुनिक सूत्रों का नियोजन करना भी है। यह उपन्यास काल्पनिक घटनाक्रम पर आधारित नहीं है अपितु नगरीय जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का सच्चा दस्तावेज भी है। अन्ततः ‘अमृत और विष’ केवल लखनऊ नगर का ही चित्र प्रस्तुत नहीं करता अपितु भारतीय जीवन की विसंगतियों का विश्वसनीय चित्र बन जाता है।

सन्दर्भ

1. नागर जी से अंतरंग भेंटवार्ता के आधार पर।
2. साहित्यिक साक्षात्कार, रणवीर रांगा, पृष्ठ 178-179।
3. अमृत और विष, पृष्ठ 56।
4. सेरा विला, शिवाजी पार्क दादर बंबई से ज्ञानचन्द जैन को लिखा गया 22.9.1942 का पत्र जो साक्षात्कार के समय दिखाया गया।
5. अमृत और विष, पृष्ठ 48।
6. अमृत और विष, पृष्ठ 48।
7. सीमान्त प्रहरी, अमृतलाल नागर अंक, अगस्त 1666 पृष्ठ 17।
8. अमृत और विष, पृष्ठ 35-36।
9. अमृत और विष, पृष्ठ 37।
10. अमृत और विष, पृष्ठ 55।
11. बाबूजी ‘नागर’, सारिका, अप्रैल 1971, पृष्ठ 53।
12. नागर जी से 25.2.89 में हुई भेंट वार्ता के आधार पर।

13. अमृत और विष, पृष्ठ 32।

14. अमृत और विष, पृष्ठ 272।

15. 2.6.1986 में नागर जी से साक्षात्कार के समय।

16. अमर उजाला, 4 जनवरी 1987 पृष्ठ 6।

17. अमृत और विष, छात्र संस्करण, अभिमत, पृष्ठ 15।

डॉ० कंचन पुरी

एसोसिएट प्रोफसर व हिन्दी विभागाध्यक्षा,
आर. जी. पी. जी. कॉलेज,
मेरठ



सारांश

आधुनिकता शब्द 'अधुना' से बना है, जिसका अर्थ है— अभी—अभी, 'अब', इस समय अर्थात् वर्तमान ।

अतः आधुनिक शब्द वर्तमान का घटक है। वर्तमान में जो भी कुछ घटित हो रहा है, आधुनिक कहा जाता है। आधुनिकता एक प्रकार की रचनात्मक स्थिति है, जिसकी अपनी वैचारिकता है। मनुष्य ने स्वतंत्र रहकर अपने अनुभवों से जिस दर्शन का प्रत्यक्षीकरण किया, उसे ही आधुनिकता कहा जाता है। आधुनिकता वह सोच है, जो व्यक्ति को इस दुनिया के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखाती है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता का समावेश है। आधुनिकता पूर्णरूप से एक मानसिक प्रक्रिया है। हमारा मन ही अपने अनुसार आधुनिकता एवं परम्परा की परिपाटी बनाता है। जब मानसिकता आधुनिकता को स्वीकार कर लेती है तो शरीर स्वतः ही उसके अनुसार कार्य करने लगता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में विवरणात्मक शोध—प्रविधि के माध्यम से आधुनिकता के स्वरूप को समझने एवं समझाने का प्रयास किया गया है क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी अवधारणा स्वरूप एवं प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी को आधार मानकर प्रस्तुत शोध पत्र में विश्लेषणात्मक एवं विचारात्मक प्रविधि को अपनाया गया है।

विचार—विमर्श — प्रस्तुत शोध उन सभी विचारधाराओं को प्रस्तुत करता है, जो आधुनिक होते हुए भी मानसिक गुलामी से बंधी हुई हैं। किसी भी संस्कृति या वेश भूसा के आधार पर आधुनिकता को नहीं अपनाया जाता, अपितु समाज में उसकी प्रासंगिकता क्या है वह जनमानस के लिए कितनी उपयोगी है, इस आधार पर ही उसे स्वीकार किया जाता है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर आधुनिकता के पहलुओं को समझने का प्रयास किया जाएगा।

उद्देश्य :- आधुनिक मनुष्य बहुत अधिक महत्त्वकांक्षी होता जा रहा है, उसकी इच्छाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। वह अपनी महत्त्वकांक्षा के चलते अपनी मानसिक शांति को खोता जा रहा है। एक—दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं। वे यह नहीं

जानते कि ऐसा कर वे अपने भविष्य के सुख चैन को दाँव पर लगा रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा में मनुष्य बिल्कुल अकेला पड़ जाता है।

आधुनिकता : अवधारणा, स्वरूप एवं प्रक्रिया

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिकता की अवधारणा पर विचार किया है और आधुनिक रचनाशीलता की विशेषता को भी स्पष्ट किया है। आधुनिकता समाज के आधुनिकीकरण से उत्पन्न चिंतन एवं भावना से जुड़ी होती है। यह समाज के विकास की विशेष अवस्था से निर्मित मानवचेतना की एक विशेषता है। साहित्य एवं कला में आधुनिक मनुष्य की सृजनशीलता ही आधुनिकता के रूप में प्रकट होती है। साहित्य में आधुनिकता का अर्थ आधुनिक जीवन की समस्याओं और वास्तविकता की अभिव्यक्ति से है। आधुनिकता कला और साहित्य की रचना का एक दृष्टिकोण है और आधुनिक रचनाशीलता की एक विशेषता भी है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परिवेश के प्रति सजगता, वस्तुनिष्ठ दृष्टि, बौद्धिकता, यथार्थवाद और सामूहिक मुक्ति की भावना को आधुनिकता की विशेषता मानते हैं।

द्विवेदी जी के अनुसार आधुनिकता एवं आधुनिक रचनाकार की एक विशेषता, 'संचेत परिवर्तनेच्छा' भी है। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है। — 2 आधुनिक युग में यह विश्वास किया जाने लगा कि साहित्यकार जब लिखता है तब उसके द्वारा कुछ बदलना चाहता है, वह केवल बंधी—बंधाई परिपाटियों से चालित होकर लिखने से यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। उसका उद्देश्य जैसा है, उसकी व्याख्या करना नहीं होता और न यह होता है कि जो कुछ पुराने जमाने से कहा जाता आया है उसे दोहराये।

यहाँ द्विवेदी जी का आशय इस बात से है कि कोई भी रचनाकार परम्परावादी या आधुनिकतावादी नहीं होता, वह केवल सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी रचनाओं का निर्माण करता है। अतः वह समाज के दृश्यों को दिखाने का प्रयास करता है।

आज के बदलाव, भय, संत्रास, अकेलापन, धर्म के प्रति टूटती आस्था, विज्ञान, शिक्षा व राजनीति की उठा—पटक जैसी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष करता मनुष्य जिन मूल्यों से टकराता है, उनमें अपना संतुलन खो बैठा है। उसके अन्दर निरन्तर द्वंद्व चलता रहता है। वह निरंतर संघर्ष झेलता, उदास, ऊब से भरा, कुण्ठाग्रस्त

और स्वयं को अकेला महसूस करता है। उसे अपना अस्तित्व खतरे में पड़ा अनुभव होता है। यही उसकी विडम्बना है। आज की शासन व्यवस्था और अर्थतन्त्र ने मनुष्य को अकेला ही नहीं किया है, बल्कि पेशे की एकरूपता के कारण आदमी-आदमी की पहचान समाप्तप्रायः हो गयी है। वह अलग रहकर भी परतन्त्र है और निजत्व से लुप्त है। आज का मनुष्य भीड़ के बीच भी स्वयं को अकेली महसूस करता है। मानसिक तनाव से भरा बाहर-भीतर से पूरी तरह जर्जरित, आध्यात्मिकता से दूर भौतिकता के जंजाल में फँसा वह पाश्चात्य रंग-ढंग में डूबा, अतीत की परम्पराओं को अस्वीकार करता नवीनता का आग्रही बन रहा है। अतरु आधुनिकता मनुष्य के अस्तित्व पर आने वाले संकट, उसकी घुटन, तनावपूर्ण मानसिक स्थिति, अभावजन्य क्षोभ, निराशा, संत्रास, भय, पीडा, कुण्ठा और संघर्ष को ईमानदारी से व्यक्त करती हुई वास्तविकता को स्वीकारते हुए नये मूल्यों की तलाश पर बल देती है। आज के बदलते समाज में मानवीय संबंधों की जटिलता, पुराने सम्बन्धों का टूटना, अनाम सम्बन्धों का स्थापित होना, और समाज के बीच रहकर भी अपने को एकाकी अनुभव करना आदि को स्पष्ट करते हुए कुछ नए अन्वेषण की प्रेरणा देती से है।

आधुनिकता-बोध अपनी संरचना में कई विकल्प सम्मिलित किए रहता है। यह एक प्रक्रिया है, जिसके कारण इसे अनेक दौरों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए यह कहना अत्यधिक कठिन होगा कि सही अर्थों में आधुनिकता क्या है। अतः आधुनिकता को एक दृष्टि के रूप में अर्जित ही किया जा सकता है। उसे नपे-तुले शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा बोध है जो कहीं टिकने या रमने की छूट नहीं देता।³ इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएँ दी हैं-

दिनकर - 4. आधुनिकता एक प्रक्रिया का नाम है। प्रक्रिया अन्धविश्वास से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुँचने की प्रक्रिया है।⁴ डॉ० सूर्यप्रकाश वेदालंकार - 5. ऐतिहासिक बोध या विकासशील है सभ्यता के तत्त्वों के अनुरूप अपने आपको नए रूप में ढालते रहना ही आधुनिकता है।⁵

लक्ष्मीकान्त वर्मा- 6. आधुनिकता इस कारण कोई रूढ़ि नहीं है, वह एक ऐतिहासिक परिधि है, जो एक युग के मानसिक धरातल को कुछ नयी उपलब्धियों के अनुसार काटती -छाँटती है अथवा उनमें नए सन्दर्भ जोड़ती है और पुराने या ऐसों को जो सतत गतिशील नहीं रह पाते, अपने से पृथक भी करती है।⁶

डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी- 7. आधुनिकता इतिहास की सजग और

सचेतना प्रतीति है और उस इतिहास चक्र को द्रुततर चलाने की चेष्टा है।⁷ (डॉ० राम स्वरूप चतुर्वेदी)

आधुनिकता और परम्परा

परम्परा और आधुनिकता दोनों एक ही तत्व हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता। ये दोनों तो मानों समयगरुड के दो विशाल पंख हैं। इसके बीच अंतर्विरोध भी अवश्य रहते हैं। परम्पराओं के द्वारा पूर्वकाल से चली आ रही प्रथाओं, रीति-रिवाजों व विचारधाराओं का बोध होता है। परम्परा एक ऐसी धरोहर है, जिसके माध्यम से किसी भी समाज के व्यक्तित्व को जाना-पहचाना जा सकता है। वस्तुतः परम्परा किसी समाज का प्रतिबिम्ब है, जो उसके भूतकाल का आकलन करके भविष्य की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है। 8. प्यथार्थता आधुनिकता की आवश्यकता है, जो हमें स्वतंत्र करती है। इसलिए आधुनिकता में परिवर्तनशीलता और परम्परा में निरंतरता विद्यमान रहती है। वस्तुतः आधुनिकता की आवश्यकताएँ हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, जबकि परम्परा की विशेषताएँ हमें बाधाओं में जकड़ती हैं। इस तरह स्वतंत्रता एवं बाधा का द्वन्द्वबोध प्रधान हो जाता है।⁸ परम्पराएँ यदि अगली व्यवस्था में भी आवश्यक हैं तो हम उन्हें स्वस्थ या प्रगतिशील परम्पराएँ कहते हैं, किन्तु अगर वे बाधा उत्पन्न करती हैं तो हम उन्हें शरुद्धियाँ कहते हैं। परम्पराएँ संस्कृति के जीवन-चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, और यथार्थता की सापेक्षता का भी प्रतिबिम्ब होती हैं। ये परम्पराएँ जीवन का अर्थ खोजती हैं इतिहास का बोध विकसित करती हैं, तथा संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं। ये परम्पराएं बदलती हुई आवश्यकताओं को स्वीकार करती हैं।

आधुनिकता परम्परा का विरोध नहीं करती। परम्परा स्वयं परिवर्तनशील है तथा निरन्तर आगे बढ़ती है। परम्परा में यदि कोई जड़ तत्व है, तो वह रूढ़ि तथा समाज की प्रगति में बाधक भी है। अतः जो परम्परा की रूढ़ियों का विरोध है, वही आधुनिकता है। परम्परा तो इतिहास से मिलने वाली धरोहर है, जातिगत स्पन्दन है। परम्पराएँ समाज विशेष की पहचान कराती हैं। कुछ परम्पराएँ युग व्यापी होती हैं, उनके जड़त्व का परिष्कार करना पड़ता है तभी स्वस्थ परम्परा शुरू होती है। इस प्रकार विकास के क्रम में परम्परा का भी कुछ भाग होता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसी से विकास होता है। परिवर्तन और आधुनिकता में गहरा सम्बन्ध है। मानवतावाद दृष्टि आधुनिकता की मूलाधारा है, अतरु आधुनिकता का सम्बन्ध मनुष्य हित से है। इस प्रकार कह सकते हैं कि परम्परा से आधुनिकता का विरोध नहीं, अपितु आधुनिकता के प्रभाव से धर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है।

आधुनिकता एक जीवनदृष्टि

नैतिकता 'सौंदर्य-बोध' और अध्यात्म के समान 'आधुनिकता' कोई शाश्वत मूल्य नहीं है सच पूछिये तो वह मूल्य है ही नहीं। वह केवल समय-सापेक्ष है। नवीन युग समय-समय पर आते रहते हैं, और जैसे आज के नये जमाने पर आज के लोगों को नाज़ है, उसी तरह हर जमाने के लोग अपने समय पर गर्व करते हैं। संसार का कोई भी समाज किसी भी समय इतना स्वाभाविक नहीं रहा है कि वह हर आदमी को पसंद हो। और कोई भी समाज ऐसा भी नहीं बना है जिसके बाद का काल उनका आलोचक नहीं हुआ।

आधुनिकता की शुरुआत कब और कहाँ हुई यह एक जटिल प्रश्न है, इसकी खोजबीन करते हुए किसी निश्चित तिथि तक पहुँचना निरर्थक होगा। क्योंकि हम आज जिसे आधुनिक कहते हैं उसे एक विशेष ऐतिहासिक प्रक्रिया में अर्जित किया गया है, न कि किसी विशेष तिथि से आधुनिकता एक सोच है, एक विचार है, मनुष्य को इस संसार के प्रति अधिक जागरूक व मानवीय दृष्टिकोण से जीने का सही मार्ग दिखलाती है। आज के समय में जीवन का हर क्षेत्र आधुनिकता से परिपूर्ण है। आज आधुनिकता के चलते समाज से बहुत सी कुप्रथाओं का अन्त हुआ है, जो समाज के लिए कलंक थी। जैसे- सतीप्रथा, छुआ-छूत, अशिक्षा, नारियों के अधिकारों का हनन बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ थी, जिन्हें आज समाज से बहिष्कृत किया गया है। आधुनिक वही है जिसकी जड़े परम्परा से जुड़ी हों, जिसे हम आज आधुनिक कहते हैं कल वह प्राचीन हो जाएगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज जो आविष्कार हो रहे हैं वो आज आधुनिक है, लेकिन आने वाले समय में नयी खोजें होंगी वो उनके लिए आधुनिक होगा। अर्थात् जो 'आज' है वही आधुनिक है।

9 मनुष्य जब से उत्पन्न हुआ है, वह प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसने संघर्ष कर रहा है। बाधाएं तो उसके सामने बहुत आती हैं मगर सफलता पाने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है जाता है। 19 आरंभ में प्रकृति के रौद्र रूप को देखकर वह घबरा जाता था, तथा ईश्वर से अपनी रक्षा एवं कल्याण के लिए प्रार्थना करता था। अब वह बीमार होने पर स्वयं को देवी देवताओं के भरोसे न छोड़कर उपचार कराता है। भौतिकवादी संस्कृति के विकास के परिणामस्वरूप इन मूल्यों में परिवर्तन आए हैं। 19

आधुनिकता पर विज्ञान का प्रभाव

हमारा आज का जीवन वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के आधुनिक युग में विज्ञान में नए नए परिक्षण हो रहे हैं। रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। मनुष्य चाँद पर पहुँच रहा है। यह जीवन पद्धति में होने वाला बदलाव एक नए परिवेश को जन्म दे रहा है, जो आधुनिक बोध को उजागर करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। बीसवीं सदी में विज्ञान के नवीन अनुसंधानों व आविष्कारों में एकाएक

वृद्धि हुई है। जिससे मानव के बाहरी जीवन में ही नहीं अपितु आन्तरिक मन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आधुनिक मनुष्य अपने जीवन को भोग-विलास की सामग्रियों में संलिप्त करने लगा, जिससे की उसका मन भी भटकने लगा है, वह अपने स्वभाव की शान्ति व स्थिरता को खो रहा है। वह आध्यात्मिकता को त्यागकर विलासिता की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान के प्रसार ने हमारे बाह्य जगत को ही नहीं अपितु हमारे आन्तरिक मन को भी प्रभावित किया है। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, तो वैज्ञानिक तर्क हमारे चिन्तन का। यह विज्ञान का ही प्रभाव है कि आज हम हर घटने वाली घटना को नियति मानकर स्वीकार नहीं करते अपितु उसकी गहराई में जाकर उसमें कार्य कारण का सम्बन्ध ढूँढते हैं। प्रत्येक रहस्य को सुलझाने की हमारी जिज्ञासा या वैज्ञानिक चेतना ने अनेक अलौकिक बातों पर पड़े पर्दे को उठा दिया है, जिससे रूढ़िवाद और अन्धविश्वास भी अब सिमटता सा प्रतीत हो रहा है। जैसे ही विज्ञान का आलोक प्रकाशित हुआ सदियों से चल रही प्रचलित रूढ़ी मान्यताओं का अन्धकार धीरे-धीरे लुप्त हो गया तथा इसने ही आधुनिकता को एक नवीन दृष्टि प्रदान की, जिससे मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ा और वह कर्म के क्षेत्र की ओर अग्रसर हुआ। मनुष्य अब महत्वाकांक्षी हो गया है, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ है। भारत जिन मूल्यों के लिए लड़ रहा है, वे मूल्य केवल भारत के नहीं, सारे संसार के हैं। हम आधुनिकता की ताकत और प्राचीनता के संतोष को मिलाना चाहते हैं। विज्ञान के प्रभाव से संसार के उन्नतिशील देश और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं, परंतु जैसे-जैसे उनकी संपदा और शक्ति बढ़ती जा रही है वैसे ही उनकी संस्कृति का ह्रास होता जाता है। हमें भारत में वह मार्ग निकालना है जिससे विज्ञान को अपनाकर भी हम उसके दास न बने। हमारी संपदा और शक्ति अवश्य बढ़े, परंतु हम अपने संस्कार, संस्कृति को न भूले हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है और पाश्चात्य संस्कृति के सर्वोत्तम भाग को भी स्वीकारना है। भारत की विशेषता अध्यात्म है और पाश्चात्य जगत की विशेषता विज्ञान है। हमें इन दोनों तत्वों का समन्वय करना है -

10. एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान

लेकर उठनेवाला है. धरती पर हिंदुस्तान 10.

आधुनिकता के विभिन्न घटक

हम यहाँ आधुनिकता के उन घटक तत्वों को विश्लेषित करेंगे जिनके माध्यम से, किसी रचना में आधुनिकताबोध की तलाश की जा सकती है अथवा आधुनिकताबोध का खोजा जा सकता है वस्तुतः आधुनिकता के ये घटक तत्व ही ऐसे माध्यम जिसके आधार पर हम आधुनिकता का मूल्यांकन करते हुए अपने उद्देश्य की सिद्धि

कर पाएंगे । 11. आज के संदर्भ में कोई भी राष्ट्र तभी एक श्रेष्ठतर और आधुनिक दर्जा हासिल कर सकता है, जब वह सर्जनात्मक की मात्रा तथा गहराई, दोनों का भरपूर इस्तेमाल करें । 11.

1. वैज्ञानिक चेतना— वैज्ञानिक दृष्टि के दर्शन हमें लगभग पन्द्रवी शताब्दी के आस-पास हुए । प्राचीन व मध्यकालीन मनुष्य की दृष्टि उपस्थापक थी । वह प्रत्येक घटने वाली घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता था । सूखा, बाढ़ जैसी घटनाओं को वह ईश्वर का क्रोध समझता था, कि शायद हमारी किसी गलती के कारण भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं और उसी का यह प्रकोप है, जो हमें भुगतना ही होगा । परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि ने इन विचार धाराओं तथा परम्परागत विश्वास पर प्रहार किया तथा वैज्ञानिक चेतना प्रदान की । विज्ञान के प्रसार ने हमारे बाह्य जगत को ही प्रभावित नहीं किया है, अपितु उसने हमारी मानसिक विचारधारा को भी प्रभावित किया है । विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना है, तो वैज्ञानिक तर्क या चेतना हमारे चिंतन का । यही कारण है कि अब हम हर घटने वाली घटना को नियति मानकर स्वीकार नहीं करते अपितु उसकी गहराई में जाकर कार्य-कारण का सम्बंध ढूँढने का प्रयास करते हैं । अब हम प्रत्येक रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयत्न करते हैं । हमारी वैज्ञानिक चेतना तथा उत्कृष्ट अभिलाषा से हम यथार्थता तक पहुंचते हैं ।

प्रश्नाकुलता

प्रश्नाकुलता कभी भी मनुष्य की जिज्ञासा को शांत नहीं होने देती । आधुनिक बोध से युक्त मनुष्य किसी भी सत्य सिद्धांत को अंतिम नहीं समझता । उसके मन में सदैव नये-नये प्रश्नों की कतार लगी रहती है । यही उसकी जीवन्तता की पहचान है । यदि मनुष्य अपनी जिज्ञासा प्रकृति को छोड़ देता है तो उसके जीवन की गति समाप्त हो जाएगी वह जड़ बन जाएगा और उसका जीवन शून्य एवं नीरस हो जाएगा ।

प्राचीन समय से ही जिज्ञासा और मनुष्य के बीच एक अटूट संबंध रहा है । अपनी जिज्ञासा को वह प्रश्नों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है । वैज्ञानिक युग से पहले मनुष्य के सभी प्रश्न दर्शन या अध्यात्म से सम्बन्धित होते थे । परन्तु आधुनिक युग में विज्ञान के विकास के फलस्वरूप मनुष्य की जिज्ञासाएँ एवं प्रश्न जटिल एवं सूक्ष्मतर हो गए हैं, जिसके समाधान के लिए प्रायः बुद्धि एवं विवेक का सहारा लिया जाता है ।

आधुनिक चिंतक अथवा वैज्ञानिक नास्तिक नहीं है, न उनमें से कोई धर्म के विरुद्ध है । धर्म के आनुष्ठानिक रूप सर्वत्र निंदित हो चुके हैं और आज के जो महान चिंतक हैं, वे मंदिरों और गिरजाघरों में चलनेवाली रीतियों के प्रति उदासीन हैं । धार्मिक वे इस

अर्थ में हैं कि उनके मन में आज भी वो प्रश्न जीवित हैं, जो प्रश्न धर्मसंस्थापकों के भीतर उठा करते हैं । 12. मनुष्य क्या है? जन्म से पहले वह कहाँ रहता था । मृत्यु के उपरान्त वह कहाँ चला जाता है? यह संसार किसी योजना के अधीन है, अथवा वह अकस्मात् उछलकर हमारे सामने आ गया है? ईश्वर हो सकता है या नहीं? अगर वह है, तो उसका सबूत क्या है? अगर वह नहीं है तो इसका क्या प्रमाण है? इस प्रकार के बहुत से प्रश्न सभी मनुष्यों को विचलित तो अवश्य करते हैं । 12.

इस सृष्टि का संचालन कौन करता है? ये नदियाँ, पहाड़, झरने सेब किसने बनाए हैं? ईश्वर का स्वरूप कैसा है? वह कैसा दिखता है? इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न रात-दिन मनुष्य के मन में विचरण करते हैं । वास्तव में आधुनिकता का प्रादुर्भाव यांत्रिक और वैज्ञानिक विकास क्रम के वर्तमान केन्द्र पर हुआ है । 13. डॉ० ओमप्रकाश शर्मा श्लाधुनिकता एक प्रश्नाकुल मानसिकता है, जो किसी सिद्धान्त धारणा या मूल्य को स्वीकार करने से पहले उसकी जाँच करने पर जोर देती है । 13. इसका सम्बन्ध आत्मनिष्ठा से भी है । व्यक्तिमन का विश्लेषण करना आधुनिकता के अन्तर्गत आ सकता है ।

14 डॉ० धर्मवीर भारती के अनुसार — विवेक अन्तर्त्मा के सहायक तत्वों में सम्भवतः सबसे प्रमुख और सबसे विश्वसनीय है । 14

निर्मम बौद्धिकता — आधुनिक युग बुद्धिवाद पर आश्रित है । अब भावना के स्थान पर बुद्धि को प्रधानता दी जाती है । अतः अब किसी भी घटना को भावुकता की दृष्टि से नहीं वरन् बौद्धिक दृष्टि से देखा जाता है । बुद्धि में भावना जैसी समरस्ता नहीं है इसलिए यह तटस्थ होकर निर्ममतापूर्वक अपना पक्ष रखती है । अब तक काव्य रचना के लिए भावनात्मकता को प्रधानता दी जाती थी, परन्तु आधुनिक बोध से युक्त मनुष्य सत्य का साक्षात्कार करता है, और यदि वह भाव उसकी बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे वह कदापि स्वीकार नहीं करता ।

बुद्धिवाद भी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है । चिंतन की जो धारा अगम और अज्ञात की ओर चलने लगती है, उसे बुद्धिवाद प्रोत्साहन नहीं देता । 15. बुद्धिवाद से वास्तविकता के वे ही अंश प्रकाशित और संपुष्ट होते हैं जो इंद्रियानुभूति और तर्क के नियमों की अवहेलना नहीं करते । एक समय ऐसा भी आ सकता है जब वास्तविकता इंद्रियानुभूति और तर्क के नियमों से समझी नहीं जा सके और तब बुद्धिवाद भी पराजित हो जाए । 15. अतः बुद्धिवाद भी पूर्वाग्रह का एक रूप है ।

यह बुद्धिवाद एकाएक आकस्मिक घटना नहीं है वरन् व्यक्ति

मानस की अपने वातावरण के प्रति अन्तविरोधों की प्रतिक्रिया की उपज है। बौद्धिकता अपने स्वरूप में द्वन्द्वात्मक है, क्योंकि यह अपने सामने उपस्थित जीवन एवं जगत से संवेदनशील दृष्टिकोण रखती है।

आधुनिकता जिस बौद्धिकता को अपना घटक मानती है, वह है . यथार्थ का निर्मम भाव से साक्षात्कार करने वाली आधुनिकता। आज की बौद्धिकता जीवन की हताशा, निराशा एवं टूटे हुए व्यक्तियों की बौद्धिकता नहीं है, अपितु वह तो तटस्थ भाव से अपने परिवेश से जूसती है। तथा जीवन और साहित्य को सर्जनात्मक बनाती है।

वर्तमान के प्रति सजगता :- वर्तमान युग समानता से शुरू हुआ और उनमें श्वच्छन्दता का वर्तमान अभिषेक हुआ। यह वर्तमान युग आधुनिक युग का ही विकास है। इतिहासवाद के चिन्तन में "आधुनिक एक बौद्धिक ग्रहण है। 16^शआधुनिक होना केवल आधुनिक मनुष्य का ही एकाधिकार नहीं है। लगभग सभी कालों में आधुनिक मनुष्य (अर्जुन, कौटिल्य, कबीर) हुए हैं। 16^श पहले आधुनिकता की झिलमिलाहट सीमित थी, परन्तु वर्तमान में यह बहुव्यापी है। वर्तमान समय में व्यक्ति उपलब्धि तथा सामाजिक शक्ति का प्रसार विशाल जन-जन में व्याप्त हो रहा है। आधुनिकता वर्तमान युग जीवन से प्राण रस ग्रहण करती है। आधुनिक व्यक्ति को अपने चारों ओर के वातावरण में भय, संत्रास ए पीड़ा कुण्ठा, त्रास घुटन आदि को झेलना पड़ता है, परन्तु वह मे सब झेलता हुआ भी संघर्षशील रहता है। और अपने परिवेश एवं युग से जुड़ा रहता है। वर्तमान युग की क्रांति ने मनुष्य की आत्मचेतना को रूपान्तरित कर दिया है।

अतः आधुनिक बोध से युक्त साहित्यकार अपने वर्तमान की चुनौती को स्वीकारता है, तथा अपने युग के प्रति अधिकाधिक सचेतन होता जा रहा है। वह अपने काव्य में युगीन जीवन व युगीन – भावबोध की व्यापक अभिव्यक्ति कर रहा है। 17^शआधुनिक लेखक के मानस में भी सामाजिक यथार्थता का प्रतिबिम्ब पड़ रहा है। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिशास्त्री और जनता के मानस में भी इसका ही प्रतिबिम्ब पड़ रहा लेखक है। की तरह समाजशास्त्री और राजनीतिशास्त्री भी बुद्धिजीवी है। 17^श समाजशास्त्री भी लेखक की भाँति ही सामाजिक यथार्थता विश्लेषण करता है। वस्तुतः यह आधुनिकता का महत्वपूर्ण घटक है।

प्रगतिशीलता – प्रत्येक युग अपने आप में आधुनिक होता है। उस समय के लोग भी अपने को किसी न किसी प्रकार से आधुनिक कहते रहे हैं। हर युग की परिस्थिति भिन्न होती हैं। समय के साथ पुराने मूल्य कहीं छुट जाते हैं, यही प्रगतिशीलता की पहचान

है। प्रयोगवृत्ति की इस प्रबलता से जड़ता समाप्त हो जाती है तथा परम्पराएं संशोधित होती रहती है। जब तक समाज में फ़ैली कुरीतियों तथा कढ़ियों का अन्त नहीं हो जाता तब तक समाज को रमसे मुक्ति नहीं मिल सकती तथा समाज में आधुनिकता का उदय भी सम्भव नहीं है।

अतः हम कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता आधुनिकता का महत्वपूर्ण घटक है जो समय की कसौटी पर खरी न उतरने वाली रुढ़ियों व कुरीतियों को स्वीकार नहीं करती। इस प्रगतिशीलता के कारण ही भौतिक तथा सामाजिक दोनों स्वरूपों का विकास होता है। आधुनिक मनुष्य भौतिक दृष्टि से गाँवों तथा कस्बों को छोड़कर नगरों तथा औद्योगिक केन्द्रों की ओर जाने लगे हैं उन्हें वहाँ व्यक्तिगत योग्यता और कौशल विकास का अवसर प्राप्त होता है।

आधुनिकता और अस्तित्ववाद

अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पूर्ववर्ती दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। और स्वयं को ठोस अनुभवों तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी सवालों के साथ जोड़ा। जैसे— व्यक्ति की व्याग्रता, दुःख, निराशा, अकेलापन, मृत्युबोध कुष्ठा, भय, त्रास, मावपूर्ण मानसिक स्थिति, क्षोत्र, स्वतंत्रता आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह उन सभी विचारों के विषय विरुद्ध है जो व्यक्ति को अ-मनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है। वह न वस्तु है और नहीं मशीन है, वह क्रियात्मक शक्ति है। वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है, और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। कीर्केगार्ड, सार्च आदि के अस्तित्ववादी विचारों का प्रभाव पश्चिमी साहित्य पर खूब पड़ा है।

अस्तित्ववाद स्थिति अर्थात् मनुष्य की पीड़ा, उसका एकाकीपन, उसकी सत्रस्त स्वतंत्रता का प्रभाव आधुनिक साहित्य पर छाया हुआ है। सार्च के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती लेखकों की कृतियों में भी यह प्रभाव स्पष्ट है और इस अस्तित्ववादी स्थिति की सचाई का अनुभव तो सभी गंभीर चिंतक करते रहे हैं। सार्च ने मनुष्य की जिस पीड़ा का अनुभव कराया है, उसमें उसकी आकस्मिकता और स्वतंत्रता के प्रति गहरी चेतना, दोनों ही सम्मिलित हैं। मनुष्य अपनी संचेतना के द्वारा से पूर्णरूप से अर्थहीन विश्व को अपने रहने योग्य बनाता है। – अपने स्वतंत्र वरण से उसे अर्थवता प्रदान करता है – और साथ ही स्वतंत्रता के संत्रास से भयभीत भी रहता है। भय कि यही स्थिति उसे जीवन के प्रति उत्तरदायी बनने को मजबूर करती है।

अस्तित्ववादी दर्शन के विषय में विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किए हैं :-

अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार मनुष्य अपने चितन एवं निर्णय के लिए स्वतंत्र है। 18. 'अज्ञेय' ने भी कहा था कि ष्यया स्वतंत्र चिन्तन का हक सिर्फ मार्क्स को मिलेगा मुझे नहीं। 18. और इतने पर ही उन्हें अस्तित्ववादी करार दे दिया गया। इस प्रकार तार सप्तक के कवि – विजयदेव नारायण साही (तीसरा सप्तक) में लिखते हैं –

19. मैं परम स्वतंत्र हूँ – अपने किये के लिए शत-प्रतिशत जिम्मेदार हूँ। मैं संसार का महत्वपूर्ण प्राणी हूँ। यदि नहीं हूँ तो आत्महत्या के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। यही दशा आपकी भी है। 19.

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूपेण कहा जाएगा कि आधुनिक जीवन यापन करने वाला मनुष्य अपने कल से भयभीत है। और इसी भय के कारण प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल होकर अपने आने वाले कल के लिए कांटे बो रहा है। क्योंकि जो चीज हमारे लिए जितनी सुलभ तथा खूबसूरत होगी वह उतनी ही खतरनाक और भयावह होगी। आज मनुष्य ने ऐसे-ऐसे घातक उपकरण बना लिए हैं कि अकेला मनुष्य भी करोड़ों को मारने की ताकत रखता है। अतः आधुनिकता का प्रयोग जितना हमारे जीवन को सरल बनाता है, कहीं न कहीं उतना ही विनाशकारी भी है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संस्कृत हिन्दी कोश वामन शिवराम आप्टे 2027
2. मैनजर पाण्डेय, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली। 1991, पृ. 145
3. डॉ जयसिंह नीरद, दिनकर के काव्य में परम्परा और आधुनिकता, पृ. 15
4. दिनकर : आधुनिक बोध, पृ.36
5. सूर्यकान्त बेदालकार, सप्तकत्रय: आधुनिकता और परम्परा पृ. 34
6. लक्ष्मीकात्र वर्मा, नयी कविता के प्रतिमान, पृ. 258
7. डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, नयी कविता, अंक -7 पृ. 43
8. रमेश कुन्तल मेघरू आधुनिकता और आधुनिकीकरण, अक्षर प्रकाशन (प्रा.) लिमिटेड, दिल्ली, पृ.सं. 1969, पृ.
9. रामधारी सिंह 'दिनकर': साहित्यमुखी, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस- 23 दरियागंज दिल्ली पृ.
10. रामधारी सिंह 'दिनकर': साहित्यमुखी, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस- 23 दरियागंज दिल्ली पृ. 70
11. रमेश कुन्तल मेघ: आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण प्रथम संस्करण 1969, अक्षर प्रकाशन (प्रा.लि.) दिल्ली पृ. 60
12. रामधारी सिंह दिनकर साहित्यमुखी, नेशनल पब्लिकेशन

हाऊस- 23 दरियागंज दिल्ली पृ.30

13. डॉ. ओमप्रकाश शर्मा; आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रकृतियाँ, बोहरा प्रकाशन जयपुर, प्रसं० 1989, पृ.सं. 04

14. डॉ० धर्मवीर भारती: मानव मूल्य और साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन काशी, प्रथम संस्करण -1960 पृ० 21

15. रामधारी सिंह दिनकर साहित्यमुखी, नेशनल पब्लिकेशन हाऊस- 23 दरियागंज दिल्ली पृ.38

16. रमेश कुन्तल मेघरू आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण प्रथम संस्करण 1969, अक्षर प्रकाशन (प्रा.लि.) दिल्ली पृ. 56

17. रमेश कुन्तल मेघ: आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण प्रथम संस्करण 1969, अक्षर प्रकाशन (प्रा.लि.) दिल्ली पृ. 388

18. अंजनी कुमार : नई कविता की भूमिका, शारदा प्रकाशन दिल्ली प्र० सं० 1988 पृ० 72

शालिनी

शोधकर्त्री

डॉ० जया

एस० प्रो० एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)

एम.एल. एण्ड जे.एन. के.

गर्ल्स कॉलेज सहारनपुर (उ०प्र०)

ई मेल- Shalinihimanshu11@gmail-com

मो० न. 9758192600

पता: शालिनी W/O Himanshu Kumar

A10 F Orchid Green om Vihar

Delhi Road, Roorkee, Haridwar

(U.K 247667)

“जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में नारी-पात्रों की अतृप्ति एवं कुण्ठा”

डॉ० (श्रीमती) आशुतोष (अध्यक्ष- हिंदी विभाग)



सारांश

मनोविश्लेषणवादी परम्परा के प्रवर्तक जैनेन्द्र कुमार जी का हिंदी साहित्य के विस्तृत आकाश में जगमगाते हुए तारों की भांति विद्यमान हैं, जैनेन्द्र जी कहानीकार ही नहीं, वरन उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार एवं दार्शनिक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध-क्षेत्र इनका कथासाहित्य ही है। इनकी कहानियों के नारी-पात्र अतृप्त एवं कुंठाग्रस्त रहते हुए दोहरा जीवन जीते हैं, एक तरफ पत्नीत्व का जीवन-निर्वाह दूसरी ओर प्रेयसी के प्रति आकर्षण। वैवाहिक जीवन की असफलता परपुरुष की ओर आकर्षण का कारण है। इस आकर्षण में बंधकर नारी अपने लक्ष्य से भटक जाती है और जीवन में असन्तुष्टि, तनाव एवं कुंठाग्रस्त हैं, समस्त नारी-पात्रों में बुद्धि एवं हृदय का संघर्ष अनिवार्यतः दर्शाया गया है।

कुण्ठा दृ वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति तनाव, चिंता एवं प्रतिपल विपरीत परिस्थितियों से ग्रस्त है, जिसकी वजह से उसमें कुंठा की आवृत्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कुंठा की स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। अंतर्मन में उथल-पुथल रहती है। फलस्वरूप उसकी आशाएँ और इच्छाएँ भग्न हो जाती हैं। अतृप्ति दृ यहाँ अतृप्ति से तात्पर्य वैवाहिक जीवन में कामभाव की तृप्ति न होने के अभाव से है।

जैनेन्द्र जी की कहानियाँ बड़ी मर्मस्पर्शी हैं, जो पाठकों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं, इनकी कहानियों का केंद्रबिंदु नारी है, इन्होंने नारी के अंतर्मन की गहराइयों को छूने का भरसक प्रयास किया है।

‘रत्नप्रभा’- एक अतृप्त प्रेम दृ कहानी है जिसमें ‘रत्नप्रभा’ नामक विवाहिता एक युवक की ओर आकर्षित हो जाती है। इस आकर्षण में कभी-कभी वह बहुत प्रसन्न होती है और कभी बहुत दुःखी और कुंठित होती है। यथा रत्नप्रभा रीझती है, खीझती है, पर वह यह सब अपने में ही कर लेती है। वह तो अचल पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा ही रहता है। —रत्नप्रभा क्रोधित होकर कहती है “जाओ, हटो मेरे सामने से।” ट्रंक में से कफन निकालती हुई फेंककर बोली “लो और निकलो यहाँ से।”

रत्नप्रभा देखती रही और शांत हो गई। वह अपने आपको नोच लेना चाहती थी।²

रत्नप्रभा सेठ लक्ष्मीनिवास की तीसरी पत्नी थी। वह अतृप्त, खीझ एवं कुंठाग्रस्त होकर परपुरुष की ओर आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करना चाहती है, जो उसे संतुष्टि एवं तृप्ति दे सके। यथा —

‘स्नानागार के दरवाजे के पट जोर से मारकर बोली ‘वहीं से बातें बना रहा है यह नहीं कि आके निकाल दे। कहाँ है?’ कहकर एक तौलिया अपने बदन पर ढक लिया। लड़के ने पंजों के बल खड़े होकर पीछे से खींचकर डिबिया उतार दी। रत्नप्रभा बोली ‘देखो भला, मैं यहाँ से खींचकर कैसे लेती? और यह पानी!’ खड़े क्यों हो? हाथ डालकर देखो, गरम है, और गरम लाओ। उसने गरम पानी ला दिया। तुमसे कितनी बार कहा है कि बाल्टी को पटरी से इतनी ज्यादा दूरी पर न रखा करो। अब मैं कैसे सरकाऊँ? इसमें और ठंडा पानी मिलाओ, अभी और। अरे, बस, बस — लड़का सब काम करके चला गया। रत्नप्रभा नहाकर आई तो बहुत असन्तुष्ट और अशांत थी।³

एकाकीपन का भाव जीवन को भार और क्षीण बना देता है। ‘प्रमिला’ कहानी की पात्र 35 वर्षीय एक अविवाहित नारी है। जीवन से असन्तुष्टि, तनाव एवं एकाकीपन का भाव उसे कहीं कमजोर न कर दे, इस डर से वह अपने दृ आपको श्रम की भट्टी में झोंक देती है। इसमें पर्याप्त प्रेम, स्नेह एवं सम्मान भी मिलता है फिर भी वही अकेलेपन का दर्द, अधूरापन पर परछाई की तरह पीछा नहीं छोड़ता है। ‘सभी बच्चे उन्हें गुरुआनी मानते हैं और सभी शिक्षकों के बीच में वह देवी अधिस्टात्री — लेकिन कभी-कभी उसे ये सब थोथा और निरर्थक-सा प्रतीत होता है’ जैसे सब बच्चे उसके अपने हों और इसलिए कोई भी अपना न हो, सब हों, पर अलग हों, इससे अधिक कुछ न हो। फिर उसके मन में ऐसे विचार घर कर जाते हैं और घबरा जाती है कि वह कहाँ जाए? क्यों करे? ये बच्चों का असीम स्नेह गुरुआनीपन उसे घेरता है, और जकड़ता-सा जान पड़ता है। — कैसे और कहाँ वह उस बंधन से छूटकर किसी अनजानी दुनिया में खो जाए। उसका कोई खास या वह किसी के लिए खास न रहे। और तनिक भी पहचानी न जाए, कोई उससे आज्ञा लेने वाला भी न हो और न कोई उसका आदर लिहाज करने वाला न हो। कभी तो मन करता है कि कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ उसकी कोई गिनती न हो। बस उसे अनायास स्वीकारता और लौंघता चला जाए। वह जगह ऐसी हो कि

अपने मे होने की आवश्यकता न रहे । 4

‘ग्रामोफोन का रिकार्ड’ ————— कहानी की मुख्य पात्र विजया एक ऐसी विवाहिता है, जो पति के होने पर भी पति के प्रेम से कोसों दूर है । वह मन ही मन सोचती है, ‘मेरी चादर हटाकर वह कहेंगे, ओ बिजी सोती हो?’ मैं करवट लेकर कहूँगी, ‘ऊँ दृऊँ ———ऊँ ।वह कहेंगे , ‘अजी विजया महारानी उठो ।‘मैं,’ हटो जी, हमें मत छोड़ो, हाँ तो । हमें नींद आ रही है,’ वह उठाएंगे मैं नहीं उठूँगी, नहीं उठूँगी ।’ 5 एक ओर पति की व्यस्तता—भरा जीवन है तो दूसरी ओर विजया के मन में दबी असीम इच्छाएँ । वह पति के प्रेम के स्वप्निल संसार में इतनी खो—सी जाती है कि मदहोशी में अधखुली आँखों से पति के मित्र को पति समझने की भूल में उसके तन— मन की इच्छाएँ निरंकुश हो जाती है । पति का मित्र (मनमोहन) यथा—‘मनमोहन का वश अपने पर से उठता गया, उसने भर्त्सा कण्ठ से कहा, ‘भाभी, भाभी !और एकदम उठकर पलंग पर बैठकर भाभी को अंक में भर लिया । बोला, ओ मेरी पगली भाभी ।’ —————वह उस गोद में लेटी पानी—पानी होकर बह जाएगी । मनमोहन ने उसे बटोरकर अत्यंत मोहविष्ट होकर जोर से उसका चुम्बन लिया । ————— वह चौंकी, उठी और भौचक्की रह गई । सुन्न, वह खड़ी की खड़ी ही रही । उसने मनमोहन को देखा तो ————— विजया के मुँह से निकला दृ‘तुम ! तुम !’ अपने हाथों से अलग हटाते हुए विजया ने कहा, ‘हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ । चले जाओ, अभी चले जाओ । 6

विजया एक ऐसी भारतीय नारी है, जो पतिव्रता होते हुए भी पति की व्यस्तता के कारण पति के प्रेम की एक बूँद के लिए तरसती रहती है ।

‘दिन रात सवेरा’ कहानी की कवयित्री को समाज में एक प्रतिष्ठित एवं अविवाहित युवती है, कवयित्री को समाज में इज्जत, शोहरत, प्रतिष्ठा, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है, परंतु एक नारी का पूर्णत्व उससे कहीं दूर हो गया था, जो एकांत में भावुकतावश खुशी की तलाश में स्वप्निल एवं काल्पनिक प्रयास की स्मृतियों में सजग हो जाता है और त्वरित सुख भी प्रदान करता है । उसे ऐसा आभास होने लगता है जैसे उसके शरीर के साथ कोई क्रीड़ा कर रहा है । यथा ——— “वह प्रतिमा की तरह लीलाभाव से खड़ी है और एक पुजारी उसके पाँवों को चूम रहा है । उसके शरीर पर अभ्यास हो रहा है । उसको दबाया और मसला जा रहा है और देखकर जाने कैसा लगता है । कैसा लगता है कि उसका चेहरा पीड़ा और आनंद से विहल होता जा रहा है । उस आदमी को नहीं देखती है । और आश्चर्य तो यह भी है कि आदमी दिख नहीं पाता है । अपनी ही काया दिखती है और हर धीरता, हर बर्बरता, हर अभ्यर्थना, हर पूजा में उसे

अपनी काया में पुलक भरता नज़र आता है ।” 7

‘पत्नी’ कहानी की पात्र सुनंदा एक 20—22 वर्ष की दुबली—पतली युवती है जो अपने पति कालिंदीचरण की देर रात तक प्रतीक्षा में बैठी रहती है यह एक कर्तव्य परायण पत्नी की बेबसी और बेचौनी को उजागर करती अद्भुत कहानी है । इस कहानी की केंद्रीय पात्र सुनंदा है । सुनंदा का पति कालिंदीचरण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित न होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित है । जो सुनंदा के चरित्र को, उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता । सुनंदा थोड़ा कम पढ़ी—लिखी भारतीय नारी है । वह बार—बार सोचती है कि देश क्या है? सरकार क्या है? आज़ादी क्या है? स्वाधीनता क्या है? इन सारी बातों से अनभिज्ञ सुनंदा सोचने पर विवश हो जाती है कि उसका पति उससे इस विषय पर बात क्यों नहीं करता है? वह चाहती है कि उसका पति उसे समय दे, जो चीजें वह नहीं समझती है वह उसे समझाए । अपने साथ होने का अहसास कराए अपने सुख—दुःख बांटे । पर कालिंदीचरण अपनी पत्नी को इन सारी बातों से अलग रखता है । सुनंदा को ऐसी बातें अंदर ही अंदर कचोटती रहती है । देर रात तक सुनंदा पति का इंतजार करती रहती है । पति देर से आता है और अपने साथ अपने तीन मित्रों को भी लाता है जिसकी खबर पहले से सुनंदा को नहीं होती है । वह सारा खाना अपने पति और उसके दोस्तों को परोसकर स्वयं भूखी रह जाती है, ऊपर से उसका पति एक बार भी उससे ये नहीं पूछता कि तेरे लिए भी कुछ बचा है क्या? इससे यह साबित होता है कि नारी त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण है । वह सोचती है कि उसने इन लोगों को खाना खिलाकर पूण्य अर्जित किया है । फिर भी उसका पति उसकी अच्छाई पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगाता रहता है । वह अकेली रहने के कारण अतीत में खो जाती है । और अपने मरे हुए बच्चे की स्मृतियों में खोकर दुःखी रहने लगती है ।

‘देखो, अब दो बजेंगे । उन्हें न खाने की फिक्र न मेरी फिक्र । मेरी तो कुछ नहीं पर अपने तन का तो ध्यान रखना चाहिए । ऐसी बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया । उसका मन कितना भी इधर—उधर डोले, पर अकेले में बच्चे के अभाव में दुःखी होती है । बड़ी प्यारी आँखें, छोटी—छोटी उंगलियाँ और नन्हे—नन्हे होंठ याद आते हैं! उससे यह सब सहा नहीं जाता है, बच्चे की याद उसे मथ देती है । विह्वल होकर आँखें पोंछती है । 8

‘बिखरी कहानी’ की पात्र अनिला भाभी 57 वर्ष की एक विधवा नारी है । इस अवस्था में भी जीवन में असन्तोष, अतृप्ति एवं अकेलेपन की पीड़ा उसे कचोटती रहती है । जिसके कारण उसका स्वभाव कुटित एवं विचित्र—सा हो जाता है । याथ ————— ‘क्या मैं

भिखारिन हूँ कि रुपया देते हो और चुप हो जाते हो?’ मैं बोल नहीं सका और देखा कि उसमें रोष उठ रहा है, तुम बड़े हो, बड़े बनते हो। क्यों यही न? मैं तुम्हारे पैसे पर थुक्कूंगी भी नहीं — उसने मेरे पैर चूमे थे, मेरे तन की वलैया ली थी। लेकिन अब उसमें अभिमान चढ़ आया और उसने गालियाँ देनी शुरु कर दी।

‘बीमारी’ कहानी की पात्र कंदर्प एक ऐसी ही नवविवाहिता स्त्री है, जिसके मन में दमित इच्छाएँ थीं, जिनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। विवाहोपरान्त उसे अपने पति से वह प्रेम नहीं मिल पाया, जो उसे मिलना चाहिए था। वैवाहिक जीवन में असन्तुष्टि एवं अतृप्ति के भाव के कारण वह बीमार-सी हो जाती है। विवाहित जीवन में काम(सेक्स) का विशेष महत्व है। इनकी मानसिक एवं शारीरिक संतुष्टि से जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार होता है एवं आनंद की प्राप्ति होती है इसके अभाव में जीवन में असंतोष, तनाव एवं कुंठा उत्पन्न होकर व्यक्ति रोगी बन जाता है। ‘बीमारी’ कहानी की मुख्य पात्र कंदर्प का यही हाल है— जब उसे दौरा पड़ जाता था। यथा—“कंदर्प का सारा शरीर तना हुआ था और दो जने मुश्किल से उसे थाम पाते थे। रह-रहकर शरीर में लहरें आती, मुट्ठियाँ बंध जाती, तन ऐंठ उठता और तीन दृ चार मिनट तक वह इसी अदम्यता की स्थिति में रहकर फिर निढाल पड़ जाता था। बीच में आँखें खुलती तो वह देखती न थी। उसमें दृष्टि न होती वह भयंकर व खौफनाक मालूम होती। मुँह में दंती बंध जाती थी और कभी वे दाँत ही खुद मुँह को काटने को होते। कभी मुट्ठी की उंगलियाँ खुलती और जो हाथ पड़ता, उसी को चीथ डालने की कोशिश करती। कपड़ा हो तो कपड़ा, शरीर हो तो शरीर। बहुत ही विचित्र अवस्था थी।”¹⁰

‘दो सहेलियाँ’ कहानी ऐसी दो प्रौढ़ महिलाओं की कहानी है, जिनका वैवाहिक जीवन संतुष्टि एवं तृप्ति के अभाव में बड़ी जटिलता से व्यतीत होता है। इस कहानी की पात्र बसु अच्छा वेतन पाने वाली कामकाजी महिला है। उसके पास पति, बच्चे, पैसा यानि सम्पूर्ण वैभव। फिर भी जीवन में कहीं भी शांति नहीं थी। हमेशा ही असंतोष एवं कुंठाग्रस्त रहती। वह अपने दाम्पत्य जीवन की पीड़ा को अपनी सहेली जसोदा से कहती है। “उनको तो तेने देखा ही है कि नहीं चश्मेबहूर ! लेकिन निभाए जा रही हूँ!

सच कहती हूँ जी में कभी ऐसी घिन होती है कि आत्महत्या कर लूँ, पर नहीं, रोज पलंग पर साथ सोना पड़ता है।” “बसु की बात सुनकर जसोदा भी अपने वैवाहिक जीवन के विषय में बसु से कहती है—“बदन से उसके बू आती है। आखिर उन्हीं से तो तुझे छः बच्चे हुए हैं,—क्या बताऊँ ? बस जाने कैसा दृ कैसा होता है। एक क्षण भी मैं सह नहीं सकती। सामना तक नहीं

सह सकती। अब भी आते हैं, लेकिन पता लगते ही मैं चली जाती हूँ। जाने जी कैसा हो जाता है।”¹²

जसोदा को उसके मन के अनुकूल जीवन साथी न मिलने के कारण कहीं न कहीं उसके अंतर्मन में असन्तोष, तनाव, निराशा एवं उदासीनता के भाव निरंतर बने रहते हैं, जसोदा अपने वैवाहिक जीवन से असन्तुष्ट एवं अतृप्त भाव से पीड़ित है वह बसु से कहती है —“तुझे नहीं मालूम ! वे उपदेश देते हैं, जी से तो चाहते हैं, मुँह से उपदेश देते हैं संयम का उपदेश। अपने और मेरे बीच ‘सत्यार्थ प्रकाश’ रखते हैं, छः बच्चों की माँ बन गई कैसे बन गई ? अब यही अचरज होता है, मालूम होता है कि आँख खोलकर किसी तरह और सब कुछ नहीं हो सकता उनका उपदेश ही मानना और देखना होता है। अँधेरे में कुछ भले ही हो जाए — वह इन्द्रिय-जय में विश्वास रखते हैं, तो अच्छा तो है, काम दृ वेग यदि उन्हें कभी कष्ट देता हो तो बाजार है, या स्त्रियों की दुनिया में कमी नहीं है, उस सबकी छूट उन्हें है।”¹³

जसोदा के मन में छिपी इच्छाएँ ही उसके जीवन में निराशा, हताशा एवं कुंठा का कारण है। नारी को यदि उसके पति का भरपूर प्यार ना मिले तो वह अवसाद में या फिर कोई दूसरा रास्ता तय कर लेती है।

‘अ — विज्ञान’ कहानी की मुख्य पात्र मालती का चरित्र एक नारी का चित्र प्रस्तुत करता है कि जो समाज सेविका एवं नेत्री होने के साथ ही विवाहित होकर भी परपुरुष के प्रेमपाश में आबद्ध है। यथा दृ ‘मालती अपने आपको रोक नहीं सकी, एक साथ काँपती और बढ़ती हुई वह आई और आदित्य की दोनों कनपटियों को हथेली में लेकर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आँखों में देखते हुए उसने दोहराया कि तुम ऐसे कहते हो? और कहने के साथ आवेश में आकर उसने आदित्य के मुँह को चूम लिया, आदित्य पूरा का पूरा लहरा गया।’¹⁴

जैनेन्द्र जी की उल्लेखनीय भूमिका यह रही है कि आपने हिन्दी दृ कहानी में प्रेम को संभव किया है। प्रेम के बीहड़ और वर्जित प्रदेशों में साहसिक यात्रा की है। आगे बढ़कर प्रेम को जीवन का यथार्थ बना दिया है। प्रेम की सूक्ष्मताओं और जटिलताओं को समझने और अनुभव करने वाली एक नई नारी की रचना की।¹⁵

निष्कर्ष :- “जैनेन्द्र कुमार की कहानियों में एक नई दिशा दिखाई देती है। आलोचकों का मानना है कि दृ “जैनेन्द्र जी ने कहानी को ‘घटना’ के स्तर से उठकर ‘चरित्र’ और मनोवैज्ञानिक सत्य, पर लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कथावस्तु को सामाजिक धरातल से समेटकर व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक भूमिका पर प्रतिष्ठत किया।”

कहानियों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदी साहित्य में नई बात थी

जिसने न केवल व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की नई व्याख्या की बल्कि व्यक्ति मन को उचित महत्ता भी दिलवाई। उनकी कहानी, हत्या, खेल, अपना दृ अपना भाग्य, बाहुबली, दिन दृ रात, सवेरा, बिखरी कहानी, दो सहेलियाँ, प्रमिला, रत्नप्रभा, दो चिड़िया, बीमारी आदि ऐसी कहानियाँ हैं। जो नारी दृ मन की शंका, असन्तोष, कुंठा आदि को प्रस्तुत करती है। ये नारी मन के मर्मज्ञ माने जाते हैं।

जैनेन्द्र जी पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिन्दी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। इनके पात्र बने बनाए सामाजिक नियमों को स्वीकार कर, उनमें अपना जीवन बिताने की चेष्टा नहीं करते, अपितु उन नियमों को चुनौती देते हैं। यह चुनौती प्रायः उनकी नायिकाओं की ओर से आती है जो उनकी लगभग सभी रचनाओं में मुख्य पात्र है, इनके पात्रों में शंका, उलझन दिखाई देती है। [स्त्रियाँ संबंधों की मर्यादा में रहते हुए भी स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखना चाहती है। वह आज तक की एक दुर्लभ वस्तु है। इन कहानियों के नारी पात्रों के जीवन में अकेलापन घुटन, अतृप्ति, कुण्ठा जीवन में प्रेम से असन्तुष्टि आदि का भाव विद्यमान है।

संदर्भ सूची :—

- (1) आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, डॉ. प्रीति वर्मा एवं डॉ. डी. एन. श्रीवास्तव, पृ. 523, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
- (2) रत्नप्रभा, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड-4, संपादक निर्मला जैन, पृ. संख्या —650 51, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (3) वही, पृ. संख्या 653
- (4) प्रमिला, जैनेन्द्र रचनावली— खण्ड-5, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 378, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (5) ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड — 4, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 489, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (6) वही, पृष्ठ — 492, 493
- (7) दिन- रात सवेरा, जैनेन्द्र रचनावली—खण्ड-5, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 539 – 540 भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (8) पत्नी—जैनेन्द्र रचनावली, संपादक रायकृष्ण दस कलकत्ता दृ 'विशाल भारत, पत्रिका में सन 1929
- (9) बिखरी कहानी, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड-5, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 480, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (10) बीमारी, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड-5, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 523, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (11) दो सहेलियाँ, जैनेन्द्र रचनावली खण्ड-5 संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ 544, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।
- (12) वही पृष्ठ — 544
- (13) वही पृष्ठ — 549

(14) अ – विज्ञान, जैनेन्द्र रचनावली : खण्ड – 5, संपादक निर्मला जैन, पृष्ठ – 498 भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन।

(15) कहानीकार जैनेन्द्र पुनर्विचार, मधुरेश, पृष्ठ – 70, समानांतर प्रकाश, नई दिल्ली – 2

Dr. Ashutosh W/o Sh. Suresh Kumar

VPO. Aasiaki Gorawas

Tehsil – Palhawas

Distt. Rewari

Haryana – 123035

Mail id: ashutoshbharti1975@gmail.com

Mob. 8684911862, 9896842576



सारांश

संत कबीर निर्गुणमत के अनुयायी कवि थे। भक्तिकाल में निर्गुण भक्तों में कबीर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कबीर का अरबी भाषा में अर्थ है—महान वे भक्त और कवि बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। वेसिकन्दरलोधी के समकालीन थे। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी तथा उसी भाषा में कबीर ने समाज में फैली अनेक रुढ़ियों का खुलकर विरोध किया है। हिन्दी साहित्य में कबीर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। कबीर के समय समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडम्बरों, क्रूरतियों एवं विभिन्न धर्मों का बोल बाला था। कबीर ने इन सबका विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है।

मुख्य बिन्दू—कबीर, सामाजिक

कबीर की सामाजिक चेतना

कबीर का युग सामाजिक विषमताओं का युग था। वे अपने युग में जाति, धर्म, ऊँच—नीच, धन आदि कोले कर समाज की सारी विषमताओं को खत्म कर देना चाहते थे। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। वे मानवतावादी आस्था के साथ समाज में सुधार लाना चाहते थे। कबीर ने जहाँ भी सामाजिक रुढ़ियाँ मिली उनका डटकर विरोध किया। कबीर ने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें न तो कोई ब्राह्मण है और नाही शुद्र, न ही ऊँचा है और नाही नीचा, न ही अमीर है और नही गरीब लोग उस निर्गुण निराकार परमात्मा की संतान है।

लोकाजानि न भूलौभाई।

खालिक खलक खलकमें खालिक,

सब घट रहगंसमाई।

कबीर जी अपनी ऐसी ही मान्यताओं तथा स्थापनाओं के कारण मानवतावादी चेतना, शिखर पर प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। कबीर ने जाति—पाति के भीषण परिणामों को देख चुके थे। कबीर ने जाति—पातिका खुलकर विरोध किया है और कहा है ईश्वर एक है और हमसब एक ही ईश्वर की संतान है।

“जाति—पाति पूछै नहीं कोई।

हरि को भजे सोहरि को होई।”

उन्होंने जन्म के आधार पर ऊँच—नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, ऊँचा या बड़ा वह है जिसके कार्य अच्छे हैं।

ऊँचे कुल काजनमिया करनी ऊँच न होय।

सुरबन कल ससुरा भरासाधू निंदतसोय।

मूर्ति पूजा का विरोध

कबीर ने समाज में मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया वह सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्तिपूजा से भगवान नहीं मिलते हैं। इसके तो अच्छा है कि आप घर की चक्की को ही पूजा करें क्योंकि चक्की हमें खाने भर के लिए अनाज पीसकर दे देती है।

पाहन पूजै हरि मिलैं तो मैं पूजुं पहार।

घर की चाकी कोई नापू जैपीस खोय संसार।

कबीर एक ऐसे सन्त थे जिन्होंने दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला था कि कोरा ज्ञान व्यर्थ है। वह ज्ञान काम का है जो हरिभक्ति और मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “कबीर की वाणी वहलता है जो भोग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी।”

डॉ० द्वारिका प्रसाद सक्से नाकामत है कि “कबीर सच्चे समाज सुधारक थे जिन्होंने दोनों धर्मों हिन्दू—मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं कि अपितु दोनों धर्म विलम्बियों को रास्ता दिखलाया। जिस पर चलकर समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है।

कबीरदास जी ने विभिन्न प्रकार छपा तिलक व माला धारण करके ईश्वर को प्राप्त करने वाले लोगों का विरोध किया है। वे कहते हैं माला फेरने से ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं ईश्वर तोमन की शुद्धि से प्राप्त होते हैं।

“माला फेरत जग गया, गयानामनका फेर।

करकामनका, डारि के मनकामनका फेर।।”

कबीर एक सजाम सुधारक थे वे समाज में फैली असमानता आडम्बर और ढोंग को समाप्त कर देना चाहते थे ये काम एक दृढ़ विवेक और निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता था। कबीर को किसी का भय नहीं था वे तो घर फूँककर तमाशा देखने वाले में से थे।

कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ

जो घर फूँके आपणो चलै हमारे साथ।

हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में—“भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में

प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में, भाषा में कहलावलिया बन गया है, तो सीधे—2 नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इसला परवाह फक्कड़ की किसी फरमाईश कोना ही कर सकें।”

निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि वीर समाज सुधारक थे वेसमन्वयकारी और मानवतावादी थे तथा निर्गुण निराकार अकथ—अविगतपरमात्मा के स्वरूप का वर्णन और गायन करने वाले सन्त कवि थे। कबीर में समाज में फैली अनेक रूढ़ियोंका विरोध किया है जैसे ऊँच, नीच, अमीरगरीब, जात—पात इत्यादि उन्होंने मूर्ति पूजा और हिन्दु मुसलमानों का भी विरोध किया है उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और हमस बउसकी संतान है। कबीर हठयोग साधना, वैष्णव मत इस्लामत था अपने समय में अनेक प्रकार की साधनाओं से परिचित थे इनकी सामाजिक चेतना उनकी परमार्थ चेतना में घुली हुई है। वे भारतीय समाज और हिन्दी साहित्य की अप्रतिम अनूठीनिधि है।

सन्दर्भ

1. कबीर वचनामृत— सं. डॉ० विजयेन्द्र स्नातन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी साहित्य का इतिहास, कमल प्रकाशन
3. कबीरग्रंथावली—संपादन— डॉ० श्यामसुन्दरदास, लोक भारती प्रकाशन।
4. कबीर ग्रंथावली—माता प्रसाद गुप्ता
5. कबीर वाणी संग्रह— डॉ० पारसनाथ तिवारी
6. मध्यकालीन काव्य कुंज— सं० डॉ० राम सजन पाण्डेय, खाटू श्याम प्रकाशन
7. 'कबीर' हजारी प्रसाद द्विवेदी—राज कमल प्रकाशन।
8. कबीर एक अनुशीलन— डॉ० रामकुमारवर्मा

डॉ० प्रवेश कुमारी

सहायकप्रोफेसर,

टीकारामगर्ल्स

कॉलेज, सोनीपत (हरियाणा)

Email : pparveshrapria@gmail.com

समीक्षा

स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष लौट आया बसन्त" (उपन्यास अंश)

लाजपत राय गर्ग



सारांश

शीतकालीन अवकाश के पश्चात् जब कॉलेज खुला तो प्रिंसिपल ने टीचिंग स्टाफ की एक मीटिंग बुलाई, जिसका मुख्य मुद्दा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन तथा रक्तदान विषयक साहित्य-सृजन के अग्रणी साहित्यकार डॉ. मधुकांत को आमन्त्रित करना था। जहाँ हिन्दी के विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीकांत ने इसका अनुमोदन किया तथा पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि प्रिंसिपल ने यह चयन अवश्य ही शीतल मैम के सुझाव पर किया होगा, वहीं एक-दो प्राध्यापक ऐसे भी थे जो इस तरह के आयोजन में लगने वाले समय को समय की बर्बादी मानते थे। ये वही प्राध्यापक थे जो इन दिनों ट्यूशनो से चाँदी कूट रहे थे। प्रिंसिपल ने उन्हें शान्त करने के लिए कह दिया कि इस आयोजन का कार्यभार किसी भी प्राध्यापक पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि ड्यूटी सब की इच्छा जानकर लगाई जाएगी। इतना सुनते ही सभी ने प्रिंसिपल द्वारा रखे प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी। विज्ञान, अंग्रेजी, मैथ, अर्थशास्त्र के विषय पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को प्रिंसिपल ने किसी भी प्रकार की ड्यूटी से मुक्त रखते हुए बाकी के स्टाफ की विभिन्न कार्यों को सरंजाम देने के लिए ड्यूटियाँ लगा दीं। प्रिंसिपल ने मीटिंग में ही यह जानकारी देते हुए कि शीतल मैम ने डॉ. मधुकांत के साहित्य को अपनी पीएचडी का विषय बनाया है, डॉ. मधुकांत को आमन्त्रित करने, उनके ठहरने तथा स्वागत की ड्यूटी उसे ही दे दी। प्रो. विनायक को रक्तदान शिविर के लिए सिविल सर्जन से सम्पर्क करने तथा डॉक्टरों की टीम को सँभालने का उत्तरदायित्व दिया गया।

23 जनवरी।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिन।

पिछले कुछ दिनों की भयंकर ठंड नदारद।

ओपन एयर थियेटर में आयोजित रक्तदान से सम्बन्धित कार्यक्रम में मंच संचालक के निवेदन पर प्रिंसिपल महोदय ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को स्मरण करते हुए उनके जन्मदिन पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए तथा डॉ. मधुकांत, रक्तदान शिविर के लिए आए डॉक्टरों की टीम व नगर के आमन्त्रित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा – 'नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर कॉलेज के प्रांगण में प्रथम रक्तदान शिविर के आयोजन की प्रेरणा हमें हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार एवं रक्तदान मिशन के भीष्म पितामह डॉ. मधुकांत से

मिली है, जिन्होंने अपनी कथनी को करनी का अमली जामा पहनाते हुए रक्तदान पर चालीस के लगभग साहित्यिक रचनाओं के सृजन के साथ अब तक अढ़ाई सौ के लगभग रक्तदान शिविर भी आयोजित किए हैं। वैसे इनकी साहित्यिक रचनाओं की संख्या पौने दो सौ के लगभग है।'

प्रिंसिपल के इस कथन पर मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथियों तथा उपस्थित विद्यार्थियों की तालियों से ओपन एयर थियेटर गूँज उठा। प्रिंसिपल ने आगे कहा – 'हमें डॉ. मधुकांत जी के उद्बोधन के पश्चात् रक्तदान शिविर का भी विधिवत शुभारम्भ करना है, इसलिए मैं और समय न लेते हुए डॉ. मधुकांत जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आएँ और हमें रक्तदान के विषय में अपने उद्गारों से कृतार्थ करें।' इसके साथ ही उन्होंने पीछे मुड़कर डॉ. मधुकांत जी से कहा – 'आइए डॉ. साहब ३.।'

डॉ. मधुकांत अपनी कुर्सी से उठते हुए 'डायस' की ओर आते हुए हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया तथा माइक पर आकर बोले – 'मेरे रक्तदानी मित्रो! ३. कॉलेज के माननीय प्राचार्य महोदय, रक्तदान शिविर के प्रभारी सभी प्राध्यापकगण, युवा छात्रो व छात्राओ! आपके मध्य आकर मैं अपने आपको बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ।'

छात्र-छात्राओं ने तालियों से स्वागत किया।

उद्बोधन जारी रखते हुए डॉ. मधुकांत बोले – 'सर्वप्रथम मैं हमारे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के पावन अवसर पर उनकी स्मृति में श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ तथा प्राचार्य महोदय, प्राध्यापकगण, नगर के आमन्त्रित प्रबुद्धजनों, प्रतिष्ठित डॉक्टरों की टीम तथा देश के भविष्य हमारे प्यारे विद्यार्थियों का अभिवादन एवं अभिनन्दन करता हूँ। शिक्षक होने के नाते मुझे विद्यार्थियों के बीच आने पर सदैव प्रसन्नता होती है। आज का दिन तो मेरे लिए इसलिए भी विशेष महत्त्व का है, क्योंकि आज इस कॉलेज के प्रांगण से रक्तदान का शुभ संदेश इस नगर के कोने-कोने तक पहुँचेगा। मेरे देश के युवा साथियो, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में जब आज़ाद हिन्द फौज का गठन किया था तो उन्होंने एक नारा दिया था – तुम मुझे खून दो ३' डॉ. मधुकांत पल भर के लिए रुके और फिर बोले – 'क्या कहा था नेताजी ने ३?'

अब 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा जयघोष से थियेटर गूँज उठा।

हाँ तो आप सभी को याद है कि नेताजी ने क्या कहा था और यह भी आपको स्मरण होना चाहिए कि हज़ारों भारतीय नेताजी के आह्वान पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन बहादुर वीरों की कुर्बानी की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। ३. मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 08 सितम्बर, 2022 के ऐतिहासिक दिवस पर मैं भी उन ऐतिहासिक पलों का साक्षी था, जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नई दिल्ली में 'इंडिया गेट' की कैनॉपी तले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 28 फुट ऊँची ग्रेनाइट की प्रतिमा का अनावरण किया था। उस पावन अवसर पर आज़ाद हिन्द फौज के फ़ौजियों में से दो सैनिकों तथा अन्य कई सैनिकों के परिवारजनों को सम्मान सहित आमन्त्रित किया गया था। मुझे 97वें वर्षीय श्रद्धेय आर. माधवन से कुछ मिनटों तक संवाद करने का सुअवसर मिला। वार्तालाप के दौरान श्री माधवन जी ने बताया कि उन्हें 1944 में जापान से बर्मा, आज के म्यांमार, पधारे श्री रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिन्द फ़ौज में शामिल किया था। उस समय माधवन जी की आयु केवल सत्रह वर्ष थी। प्रिय विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए कि उस समय आपके समव्यस्क युवाओं में आज़ादी पाने की कितनी ललक थी! माधवन जी ने मुझे आगे बताया कि उस समय के एक मुसलमान भाई ने एक करोड़ दो लाख नेताजी को आज़ाद हिन्द फ़ौज की स्थापना के लिए अर्पित किए थे तो बिहार के आरा ज़िले के सेठ परमानन्द ने अपनी शुगर और टेक्सटाइल मिलों, जिनमें दो हज़ार वर्कर काम करते थे, की सम्पूर्ण सम्पदा नेताजी के चरणों में न्योछावर कर दी थी।'

नेताजी के लिए तथा उनके उद्देश्य को समर्पित भारतीयों के अद्वितीय योगदान का बखान सुनकर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। जब कोलाहल थमा तो डॉ. मधुकांत ने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा – 'आज हम लाखों-करोड़ों भारतीयों के त्याग और बलिदानों के फलस्वरूप आज़ाद हैं। लेकिन, आज भी देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनका निदान हम सबको मिलकर करना है। ३ हर रोज़ हज़ारों लोग अस्पतालों में मृत्यु से जूझते पाए जाते हैं, उनमें से बहुत-से मरीजों को बाह्य साधनों से रक्त उपलब्ध करवाकर बचाया जा सकता है। इसलिए हमें आज एक प्रण करना होगा कि कोई भी देशवासी रक्त की कमी के कारण अपनी जान न गँवाए। यह सम्भव होगा हमारे द्वारा रक्तदान करने से। समय की माँग है कि स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए अधिक-से-अधिक दानवीर आगे आएँ।

'आज आपके इस कॉलेज में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हुए लाखों वीरों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है –

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।'

हॉल फिर से तालियों से गूँजने लगा।

वक्तव्य जारी रखते हुए डॉ. मधुकांत आगे बोले – 'भारतीय संस्कृति और सभ्यता में दान की बड़ी महिमा गाई गई है। सन्त कबीर के इस दोहे से आप सभी भलीभाँति परिचित होंगे –

चिड़ी चोंच भर ले गई, नदियाँ ना घट्यो नीर।

दान दिए धन ना घटे, कह गए भगत कबीर।।

हमारे इतिहास में असंख्य दानवीरों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने दान के लिए अपना प्रण निभाते समय अपना सर्वस्व दे दिया, किन्तु अपने प्रण को झूठा नहीं होने दिया।

मित्रो, दूसरी बात, जैसे दान देने से धन नहीं घटता, वैसे ही रक्तदान करने से आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम नहीं होती। दान किए गए रक्त की आपूर्ति बहुत शीघ्र हो जाती है।

'आज का यह रक्तदान उत्सव विश्व के श्रेष्ठ उत्सवों में से एक है, क्योंकि आज यहाँ इतना पवित्र कार्य होने जा रहा है, जिसके द्वारा अनेक बीमार व्यक्तियों के जीवन की रक्षा हो सकेगी।

रक्तदान महायज्ञ है, कभी भी करके देख।

तुमको कुछ होगा नहीं, जीवन बचें अनेक।।

हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान उस व्यक्ति से सबसे अधिक खुश होते हैं जो उसके बनाए इंसान की निरुस्वार्थ सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति की कोई कामना अधूरी नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर सदा उसके अंग-संग रहता है।

'रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस दान से मानवता मुखर होती है। धर्म, जाति, वर्ग का भेद नहीं रहता। न रक्तदाता को पता होता है कि उसका रक्त किस धर्म, जाति या वर्ग के व्यक्ति के काम आएगा और न ही लेने वाले को पता चल पाता है कि उसकी शिराओं में चढ़ाया जा रहा रक्त किस धर्म, जाति या वर्ग के रक्तदाता का है।

किस जाति, किस धर्म का, जाने नहीं ईमान।

खून का रिश्ता एक है, जाने सकल जहान।।

‘मित्रो! यदि मैं अपनी बात करूँ तो आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने जीवन के पाँच दशक बीत जाने के बाद इस दिशा में कदम उठाया। यदि कहीं आपकी उम्र में मुझे भी किसी ने प्रेरित कर दिया होता तो मैं भी रक्तदान का शतक लगा चुका होता!

‘आपका कॉलेज शहर का अग्रणी शिक्षा संस्थान है। यहाँ रक्तदान शिविर के आयोजन से शहर में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मुझे बताया गया है कि प्रथम शिविर के लिए सौ विद्यार्थियों और दस प्राध्यापकों ने अपने नाम लिखवाए हैं। मैं इन सभी रक्तदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा इनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। रक्तदानियों की एक श्रृंखला बननी चाहिए जो शुरू होने के बाद ख़त्म होने का नाम न ले।

ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।

‘मेरी दिली तमन्ना है कि अधिक-से-अधिक विद्यार्थी इस महायज्ञ में अपनी आहुति डालें। कृपया वे विद्यार्थी हाथ उठाएँ जो अगले रक्तदान शिविर में रक्तदान के इच्छुक हैं३.’

एक साथ सैंकड़ों हाथ उठ गए। यह देखकर सिविल सर्जन ने माइक लेकर सबका धन्यवाद किया तो आमन्त्रित सेठ जगन्नाथ ने तत्क्षण घोषणा कर दी कि सभी रक्तदाता विद्यार्थियों को वे अपनी ओर से एक-एक हेलमेट उपहार स्वरूप भेंट करुंगा और भविष्य में लगने वाले रक्तदान शिविरों के लिए भी वे पर्याप्त मात्रा में हेलमेट उपलब्ध करवाएँगे।

इस घोषणा के साथ ही हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा।

डॉ. मधुकांत ने शान्त होने का निवेदन किया और वक्तव्य जारी रखते हुए कहा – ‘मैं सेठ जगन्नाथ की उदारता का तहेदिल से स्वागत करता हूँ तथा उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थियों को नेक काम में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रक्तदाताओं को हेलमेट उपहार में देने का मनोरथ विद्यार्थियों को किसी प्रकार का प्रलोभन देना नहीं है, बल्कि इस उपहार के माध्यम से एक सन्देश देने का प्रयास है कि हेलमेट पहनने से सड़क पर दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी जीवन-स्रोत रक्त को व्यर्थ जाने से रोका जा सकता है और परिणामस्वरूप अमूल्य मानव-जीवन की रक्षा की जा सकती है।

‘अन्त में मैं प्राचार्य महोदय को विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी मुझे रक्तदान से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम के लिए याद किया जाएगा, मैं अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज करवाऊँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएँगे –

‘रक्तदाता की जय हो, भारतमाता की जय हो’

कुछ क्षणों तक इस जयकारे की प्रतिध्वनि वातावरण में गूँजती रही।

कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व मुख्य अतिथि, डॉक्टरों की टीम तथा सेठ जगन्नाथ को स्मृति –चिह्न देकर सम्मानित किया गया तथा प्रिंसिपल महोदय ने मुख्य अतिथि तथा आमन्त्रित महानुभावों का पधारने के धन्यवाद किया तथा रक्तदान करने जा रहे रक्तदानियों को शुभकामनाएँ दीं।

इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का पटाक्षेप हुआ, तथा रक्तदान के लिए जिन छात्र-छात्राओं तथा प्राध्यापकों ने नाम लिखवाए थे, वे प्रिंसिपल महोदय की अगवानी में मुख्य अतिथि, सिविल सर्जन तथा सेठ जगन्नाथ के साथ शिविर की ओर बढ़ने लगे। ‘‘‘‘‘

लाजपत राय गर्ग
150– Sec15 पंचकूला
M–9216446527

Diop's At Night All Blood is Black : A text that makes one ponder deep and reconsider

★ Apoorva

Am I a spy in the land of the living, that I should deliver men to death? Edna St Vincent Millay, "Conscientious objector"

At Night All Blood is Black, a novel written in French (2018) by David Diop and available to us as a translation in English by Anna Moschovakis (2020), is a story that grapples with myriad thrust areas at once like war, friendship, humanity at large, racism, colonialism etcetera.

The backdrop of the novel is that of World war I and as the story progresses it allows us a window into the plight of black soldiers. As the story unfolds we meet Alfa Ndiaye, our narratorial voice. His authentic first person narrative makes him a colossal figure in the text. Diop offers him as a prism to his readers. He is either the carrier of his culture, then social existence, his race, ancestral principles or a pivotal point because all primary incidents i.e encounter with women, Mademba's friendship and death, mother's abandonment, revenge inspired killing spree, all of it has Alfa as the focal point. Anything and everything that happens, we get to know of, is through him.

The story revolves around a young Senegalese soldier, Alfa Ndiaye, who right at the onset of the novel, tells us that his "more than brother" friend Mademba died. David Diop through this heart wrenching episode doesn't just present to us the parting of two close friends but also brings home the idea of 'mercy killing'. Mademba almost begging for his own death tugs at the heart of the readers and the slow, painful death of Mademba changes Alfa for ever.

The guilt of not being able to release Mademba of his pain engulfs him. As result of his tormented psyche, he goes on a killing spree of Germans and gives the same treatment to his enemies which he could not give to Mademba. The question, we as readers, must be asking is, what kind of a coping mechanism is this and to what an extent, would it lift Alfa. The psychological aspect crawls in

here because his fragmented psyche pushes him to a point where his insanity becomes irreversible and he starts severing hands of the enemies. The war frenzy and the internalised violence breaks loose. Violence and merciless killings get justified in the name of revenge and guilt.

The text also has threads of racism and colonialism running deep underneath. Alfa is feared by the blue eyed enemy. The line "Fear of what he has been told about me and what he believed without ever seeing me." is self explanatory. The racial of the Blacks being barbaric, utterly savage and a race that must be dreaded to the bones is used. It is not just an old, overused stale cliché but is also false with no truth to its base. It is a plain, untrue and a negative portrayal of the Blacks that has been done since time immemorial.

As readers of this age, the onus of coming out of the naivety, lies on us. Same old, false images of a certain race or nation only strengthens the typical image and sediments the idea to a deeper level in the history for ever and that does significant harm.

Racism is an unavoidable offshoot of colonialism. If Blacks "Choclates of Black Africa" (Alfa, as one) are seen as the bearer of barbarism then someone would have portrayed them so. The Blacks are seen and referred to as Blacks because the Whites have reduced them to that. That's exactly how colonialism works. It portrays one race, one particular nation as inferior to its own advantage. Colonialism and Racism operate on the politics of representation. One represents the other is a particular dimension leaving it with no identity and Diop's creation Alfa falls prey to the same old untrue representation. Perhaps the author through this episode is trying to communicate to his readers that racism is a parasite and eats away one's identity.

Coming back to the most prominent theme of the novel- War. War leaves one's rationality shattered into bits. Alfa gets involved in thoughtless killings and then tries to reason with his psyche, tries to justify all the wrongs done, which also include amputating the enemy, in the name of friendship, morality, remorse and guilt. Readers see Alfa admitting, "They won't imagine what I have thought, what I have done, the depths to which the war drove me".

War, from the lens of history might be a singular event but it has its own baggage. War makes the participants internalise the violence and insanity to a level that one becomes indifferent, cold at heart towards the other. It makes us see the world as a binary, clearly segregated into the self and the other. It moulds your mind and tricks you into believing that there is no other way the things could be mended. In order to maintain the gap between the self and other one keeps indulging in all kinds of wrong and what suffers is humanity. One side definitely wins but the human in us dies and mankind suffers both at the micro and macro level and eventually we end up being at the receiving end of loss.

Like every other phenomenon War too at least has two sides to it if not more and in representing the other hidden facet lies Diop's expertise. The text describes incidents and actions taken by the chief character Alfa in a way where the war evens it all. It is shown as one of the greatest equalizers. The very title suggests that all blood is black, be it of the chocolates of Africa or of the British, alongside with Alfa is or be it of the Germans. In the end, the blood is the same. All the superiority on the basis of race, nation, sect is deflated by war. Diop in a hushed manner is also making us reassess and re-examine the idea of war that lies instilled in us deep down. His novel that won big at the international Booker prize, makes us rethink the old of war. Is it heroism or sheer hollowness? Diop doesn't raise questions but his narrative makes us ponder. This makes us realise that why the war backdrop has been used.

Since the text falls under the spectrum of translation, language becomes a dense area that commands

our thoughtful probing. Diop at length has seemed to deploy war imagery "Like a giant seed of war dropped from the metallic sky". Lines like these from the text turn on our senses to the war atmosphere pervading in the text. The blue clear sky has been turned into a grey sooty metallic sky. Comprehensible or not to the human mind but a reality. The language, imagery, war syntax make it all the more authentic hence believable.

The text also uses refrains and repetition like "God's truth", "I know, I understand". They come up in the reading time and again. Of course Diop is trying to not just emphasize and draw our attention to such passages but at the same time is calling for analysis of Alfa. The speech provided to Alfa in the novel is first person narrative but somehow it also borders upon the stream of consciousness technique. Such refrains and repetitions just add to the language factor of the text and it nowhere looks redundant as it is done for a purpose and as a part of the technique. The passages which begin with these refrains almost compel us to investigate the interiority of Alfa. His subjectivity is laid bare to us. So this way the language serves a double purpose.

If looked at closely there lies an intricate nexus at the level of the language between violence and sexuality. Alfa sees the war trenches as female organ and the rumour of him being a war demon or soldier sorcerer "chases him like a slut". This is both, interesting and clever of Diop, because at the level of characterisation, females (Alfa's love interest and his mother) seem to appear only at the fringes in the text but a female-centric language is used to make sense of war happenings.

This is really fascinating because war, traditionally is understood as a masculine domain but Diop uses female symbols to understand it and portray. To say the least, the text of course, at length incorporates passages that deal with gruesome deaths so Diop didn't really have much choice but to use content suggestive language and thus it is steeped in violence and metaphors of fear and cruelty.

Another facet of this international Booker prize winner is that the novel was originally written in French,

then translated in English . Alfa's native language has been kept at place in some portions to keep the essence intact. Translation, if at times takes away the soul, on the other hand also add more meaning sometimes. One of the passages from the text itself sheds enough light on the importance of translation. Diop observes,” To translate is to risk understanding better than others that the truth about a single word is not single but double, even triple, quadruple or quintuple.”. Anna Moschovakis , the translator has tried her best to keep the native touch and she doesn't translate certain words to English for the same reason. This kind of language play helps the percolation of meaning at different levels and there are more chances of resonating with the readers.

The story has every factor that contributes into not only making the best seller of the year of publishing but also made it win big at the Internal Booker prize because not every text , within a short limit of 110 pages can touch upon such a wide spectrum of themes with such profound sensitivity and detailing. Brevity is the best thing about this book. The plot, the language, underlying themes, concerns addressed make it an excellent and an unforgettable read.

Under the disguise of being a war story it touches upon the tender aspects of human lives, like friendship, love. At one point the novel seems to be only a narrative of war and its consequences but on the other hand it talks about brotherhood and camaraderie.

Though the background is of World war I, it eventually blossoms into a tale where in violence, love, friendship, colonialism all are intertwined. The text is so rich at all levels that readers could lay their hands on big, serious truths of life. The greatness of any writer lies in coming close to life itself and Diop in that light appears absolutely successful. In between passages on war, trauma and violence , Diop makes Alfa drop some good takeaways. “Randomness is too absurd. They want someone to blame. “ Alfa is very right in decoding that war does start the blame game. Then the ugly truth of war is exposed in lines like, “ Temporary madness makes you forget the truth about war. “ This lays bare the harsh reality that war is only concerned with the

outcome and it never really bothers about what is lost in the process.

Like every timeless piece of literature, Diop's *At night all blood is black* spills philosophies of life , if what lies between the lines is carefully read like “ It isn't the man who control the events but events that control the man. “Alfa at one points ends up saying “ War made me grow up all at once”. After going through the entire story as an observant reader, it could be concluded that events like war not just alter the history but more importantly alter the human psyche, pattern of thinking therefore leaving no space for the innocence and life to happen.

By the time novel attains closure, readers get enough time to contemplate on the life Alfa could have lived had he not participated in the war. What a sheer waste of youth and the potential ! This makes the quote that is right there at the starting of this review all the more meaningful and apt because the readers would end up wondering was Alfa a spy in the land of living that he delivered men to death.

Book- *At Night All Blood is Black* by David Diop.
New York : Farrar, Straus and Giroux. 2018.
Translated by Anna Moschovakis in 2020.

Reviewed by – Apoorva

Research Scholar.

Department of English.

MJP Rohilkhand University, Bareilly.

Email : apoorvajagta.16dec@gmail.com

(This book review was presented as an assignment to the M.J.P Rohilkhand University, Bareilly during Pre-Ph.D. course work)